खण्ड-407, अंक-4
बुधवार, 4 अग्रहायण, शक संवत् 1914
(25 नवम्बर, 1992 ई0)

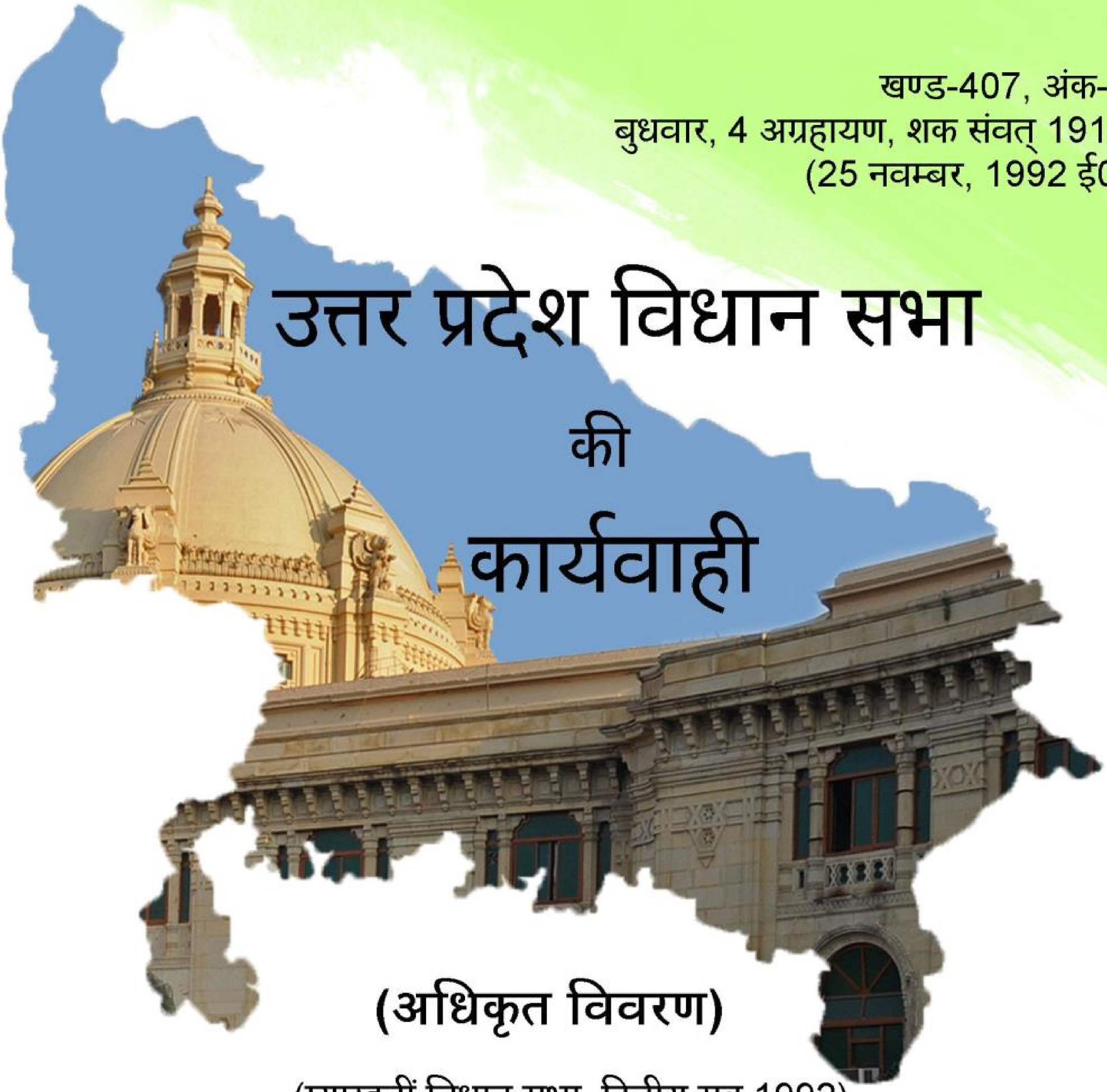

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1992)

खण्ड 407 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
नियम 311 की सूचना लिये जाने की मांग ..	1
प्रश्नोत्तर	1–134
भूतपूर्व सदस्य श्री हबीबुर रहमान आजमी तथा श्री मोहम्मद नसीर के निधन पर शोकोद्गार	134
[redacted]	134–140
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	140–141
श्री गिरजा शंकर तिवारी, उपनिदेशक, शिविर कार्यालय, लखनऊ के बकाया वेतन व भत्ते के भुगतान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	141–142
लाटरी निदेशालय द्वारा सभी स्टाकिस्टों को समान दर पर दो रुपये के टिकटों का वितरण करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	142
जनपद बांदा के जल संस्थान तिन्दवारी के अवर अभियन्ता द्वारा की जा रही धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	142–143
जनपद उन्नाव के राज्य अग्निशमन केन्द्र, दोस्तीनगर पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर में पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	143
टाण्डा, जनपद फैजाबाद में बिजली के पुराने तार बदलने एवं 33/11 के० वी० ए० का उपकेन्द्र स्थापित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	143
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	144
प्रदेश के आउट ले प्लान से कटौती किये जाने तथा भा० ज० पा० विधायकों के क्षेत्र में एक-एक करोड़ रुपया का कार्य अलग से दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	144–149
श्री राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवादित स्थल पर दिनांक 6 दिसम्बर, 1992 को होने वाली कारसेवा रोकने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	149–173
श्री अंगद सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा के गनर एवं रिश्तेदार की हत्या के संबंध में पीठ से दिये गये निदेश को शासन द्वारा पालन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	173
जिला विकास योजनाओं एवं डी० आर० डी० ए० आदि में मा० सदस्यों के अधिकारों में कटौती किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	173–182

विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आगरा में 10 लाख कुओं के योजना के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन की पूर्ति न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	182–184
उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबंधन) विधेयक, 1991 (पटल पर रखा गया)	184
विशेषाधिकार हनन/सदन की अवमानना की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष के निर्णयों की सूचना	184
श्री पवन कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा मा० स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार हनन की सूचना पर मा० अध्यक्ष का निर्णय ..	185–186
श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री गिरिजा शंकर शुक्ला, थानाध्यक्ष, मऊ, जनपद बांदा के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	186–187
श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री सूर्य प्रताप शाही, तत्कालीन गृह राज्य मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	187
श्री भोला शंकर मौर्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री हरिराज सिंह, पुलिस अधीक्षक, बदायूं के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	187–188
श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा जिला अधिकारी (बाराबंकी), पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके सहयोगी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	188–189
श्री राम स्वरूप वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा मा० कृषि मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	189–191
श्री मोहम्मद आजम खां, सदस्य, विधान सभा द्वारा मा० मुख्य मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर मा० अध्यक्ष का निर्णय ..	191–192
श्री अकबर हुसैन, स० वि० स० द्वारा मा० मुख्य मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	192–193
श्री महराज सिंह यादव, स० वि० स० द्वारा श्री दिनेश कुमार चतुर्वेदी परगना अधिकारी, भर्थना, जनपद इटावा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	193–194
श्री बलराम यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा मा० ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	194–195

विषय	पृष्ठ-संख्या
कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री सुरेन्द्र नाथ, श्री नरेश अग्रवाल, श्री ऊदल तथा श्री सुरेन्द्र सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा सहकारिता मंत्री, श्री सुधीर कुमार बालियान के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	195–196
श्री दिवाकर विक्रम सिंह तथा श्री सुरेश प्रताप गांधी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा सहकारिता मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	197–198
श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा मा० लोक निर्माण मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	198–199
श्री राम प्रसाद सिंह व श्री ऊदल, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री लाल जी टण्डन के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	199–200
श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, स० वि० स० द्वारा मा० मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	200–201
श्री विजय सिंह, श्री राम प्रसाद सिंह, डा० बृजभान यादव तथा श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री लालजी टण्डन के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	202–203
श्री राम प्रसाद सिंह तथा श्री ऊदल, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा मा० ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	203–204
श्री कप्तान सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा सहायक निदेशक, स्वास्थ्य, डा० एस० के० सक्सेना एवं सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के विरुद्ध सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	204–205
श्री जागेश्वर प्रसाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र की अधूरी योजनाओं को पूर्ण कराने की मांग	205
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति 1991-92 का तीसवां प्रतिवेदन–(पटल पर रखा गया)	205

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति (1991-92) का इकतीसवां प्रतिवेदन– (पटल पर रखा गया)	206
प्रतिनिहित विधायन समिति उत्तर प्रदेश की ग्यारहवीं विधान सभा का द्वितीय प्रतिवेदन– (पटल पर रखा गया)	206
जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में गौरी कला आगरा सम्पर्क मार्ग में चन्द्रावल नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका-(उपस्थित की गयी) ..	206
जनपद फतेहपुर के ग्राम शहवालपुर, रावतपुर, फरीदपुर में नाले तथा साइफन का स्थगित कार्य पूरा कराये जाने तथा जनपद फतेहपुर के ग्राम ततनी, विकास खण्ड, खजुहा में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के संबंध में याचिका– (उपस्थित की गयी)	206
जनपद फतेहपुर के ग्राम देवरी बुजुर्ग में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के संबंध में याचिका–(उपस्थित की गयी) ..	206
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	207–208
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं–(जारी)	209–238
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1992 के अननुमोदन का प्रस्ताव तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1992–(अननुमोदन का प्रस्ताव अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) ..	238–254
उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, 1992–(पारित) ..	254–258
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992–(पारित)	258–264
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	264–265
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1992–(पारित) ..	265–267
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति और पंचायत लेखा परीक्षा विधेयक, 1992–(पारित)	267–278
संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992–(अनुसमर्पित किया गया) ..	278
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन संगठन तथा कार्य विधि के नियम में संशोधन हेतु संकल्प–(स्वीकृत)	279
सदन के अनिश्चित काल तक के लिये स्थगन का प्रस्ताव-(स्वीकृत) ..	279–280
राष्ट्रगान	280
नत्थियां	281–307

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 25 नवम्बर, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

अभय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अरविन्द कुमार, डा०	ललितपुर
अशोक कुमार, श्री	लखनऊ
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक दुबे, श्री	इटावा
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
ऊदल, श्री	वाराणसी
कमल नयन वर्मा, श्री	रायबरेली
कमलेश कुमार, श्री	गोण्डा
कृष्ण स्वरूप, श्री	बदायूं
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली
गिरीश नारायण पाण्डेय, श्री	रायबरेली
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दीना नाथ सिंह यादव, श्री	वाराणसी
दौलत राम, श्री	सीतापुर
धर्मपाल यादव उर्फ डी० पी० यादव, श्री	बुलन्दशहर
नरेन्द्र सिह, श्री	फर्रुखाबाद
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
निर्वेन्द्र कुमार, श्री	खीरी
पूरन चन्द्र शर्मा, श्री	अल्मोड़ा
फतेह बहादुर सिह, श्री	महराजगंज
बच्ची सिंह रावत, श्री	अल्मोड़ा
बाबू राम एम० काम०, श्री	जालौन
बाल चन्द्र मिश्र, श्री	कानपुर नगर
बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद
बैजनाथ रावत, श्री	बाराबंकी
भगवत सरन गंगवार, श्री	बरेली
भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
मदन भैया, श्री	मेरठ
मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
महावीर सिंह, श्री	हरदोई
मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
रमेश बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र सिंह, श्री	देहरादून
राम प्यारे शुक्ल, श्री	सुल्तानपुर
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
शिव नाथ सिंह कुशवाहा, श्री	कानपुर देहात
शिवा कान्त ओझा, श्री	प्रतापगढ़
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
समीउल्ला, श्री	गोण्डा
सुधीर कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
सुरेश संगल, श्री	मुजफ्फरनगर
हरक सिंह रावत, श्री	गढ़वाल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा प्रदेश मध्य

(विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे उपाध्यक्ष श्री राम आसरे वर्मा के सभापतित्व में आरम्भ हुयी ।)

नियम 311 की सूचना लिये जाने की मांग

(नत्थी "क" अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या एक पुकारे जाने पर)

डा० बृजभान यादव–

मान्यवर, आज आरक्षण के नाम पर सुनियोजित षड्यन्त्र किया जा रहा है, पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति पैदा हो गयी है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

आज आरक्षण के नाम पर पूरा प्रदेश जल रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें ।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा० बृजभान यादव–

मान्यवर, आप सारे नियमों को निलम्बित करके इसे सुने । विश्राम दास जी के घर में बम फेका गया है ।

प्रश्नोत्तर

प्रदेश में खराब पड़े नलकूपों की मरम्मत एवं चालू कराने की सरकार की नीति

**1–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भयंकर सूखे के कारण कृषकों की दशा को देखते हुये खराब या फेल राजकीय नलकूपों की मरम्मत करके नए सिरे से चालू कराने की सरकार ने कौन-कौन सी नीति अपनाई है ?

सिंचाई एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

खराब नलकूपों को तत्परता से चालू कराने की व्यवस्था की गयी है । फेल नलकूपों को जनपद योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से पुनः छिद्रण करके नये सिरे से चालू कराने की नीति है ।

(माननीय मंत्री जी द्वारा अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं०–1 का उत्तर पढ़ा गया)

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं आप लोग कृपया शांति बनाये रखें । यह प्रश्नों का प्रहर है कृपया प्रश्न होने दें ।

नोट :–अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं० 1 के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के लिए देखिये आगे पृष्ठ 3 पर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आप लोग कृपया अपनी बात कहने के लिये दूसरे विधायकों के अधिकारों का हनन न करें ।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जी अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहें तो पूछें)

(घोर व्यवधान)

यह माननीय सदस्य जो भी कह रहे हैं, वह कुछ लिखा नहीं जायेगा । आप लोग शांति बनायें ।

प्रदेश में किसानों को उर्वरकों की कीमतों में सब्सिडी दिये जाने की मांग

**2–श्री राम औतार शाक्य, श्री हृदय नारायण दीक्षित तथा श्री अखिलेश–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में करोड़ों किसानों को बढ़ी हुई उर्वरकों की कीमतों पर राहत देने के लिए सब्सिडी देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो किस-किस खाद पर और कितनी-कितनी सब्सिडी दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री रवीन्द्र शुक्ल)–

भारत सरकार के द्वारा उर्वरकों की बढ़ी हुई कीमतों पर राहत देने के लिये फास्फोरसधारी और पोटाशधारी उर्वरकों पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है, जिसके क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा उक्त उर्वरकों पर भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी प्रदान की जा रही है । यह सब्सिडी डी० ए० पी० और एम० ओ० पी० उर्वरकों पर रु० 1000 प्रति मै० टन की दर से तथा इफ्को के 12:32:16 काम्पलेक्स उर्वरक पर रु० 962 प्रति मै० टन की दर से सब्सिडी शीर्ष संस्थाओं यथा पी० सी० एफ०, एग्रो तथा गन्ना संघ के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(श्री राम औतार शाक्य का नाम पुकारे जाने पर घोर व्यवधान)

(डा० बृजभान यादव, श्री भगवन्त प्रसाद और श्री भगवत पाल सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

माननीय डा० बृजभान यादव व अन्य जो माननीय सदस्य वेल में आ गये हैं वे कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें ।

(उक्त माननीय सदस्यों के अतिरिक्त विरोध पक्ष के अन्य माननीय सदस्य भी सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे [x x x])

श्री उपाध्यक्ष–

सदन की कार्यवाही साढ़े ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(इस समय 11 बजकर 5 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दिया । 11 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी)

नोट :–अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं० 2 के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के लिए देखिये आगे पृष्ठ 3 पर ।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ अव्यवस्था के कारण अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक नहीं हो सके । इसलिये मैं पहले अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ले रहा हूं ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तर माननीय मंत्री जी ने पृष्ठ 1 पर पढ़ दिया था । माननीय श्री सुरेन्द्र सिंह कृपया अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहें, तो पूछें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने प्रतिशत राजकीय नलकूप खराब हैं और उसमें कितने प्रतिशत मेकेनिकल फाल्ट की वजह से और कितने प्रतिशत विद्युत फाल्ट की वजह से खराब हैं । वर्तमान में रबी अभियान को देखते हुए उसकी क्या व्यवस्था की है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, सूचनानुसार 8-10-92 को यांत्रिक दोष से 5.13 और विद्युत दोष से 7.76 अर्थात् 12.89 प्रतिशत नलकूप खराब हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जब कोई नलकूप खराब हो जाता है तो कितने दिन के भीतर वह नये सिरे से ठीक कराया जाता है उसकी कोई अवधि निर्धारित की है । यदि हां, तो यदि उस अवधि के भीतर ठीक नहीं हुए तो दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी अथवा नहीं ? दूसरे, अगर कोई अवधि समयबद्ध नहीं निर्धारित है तो सरकार कोई अवधि निर्धारित करेगी कि हर हालत में इतने दिन में ठीक हो जायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, नलकूप की खराबी तीन प्रकार की है और बंदी दो तरह से है–विद्युत या यांत्रिक है । वह दोनों विभाग अलग-अलग हैं । इसमें जो निर्देश दिये गये थे उसके परिणाम आये हैं । निर्देश थे कि शीघ्र से शीघ्र ठीक कराये जायं । इसकी जिम्मेदारी पहले नहीं थी....

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

अब शीघ्र से शीघ्र कह दिया इसका क्या अर्थ हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष–

जवाब पूरा सुन लें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शीघ्र से शीघ्र का उत्तर वह अब तक इस सदन की परम्परा में रहा है । मैं परम्परा बनाये रखने के पक्ष में हूं तोड़ने के पक्ष में नहीं हूं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित

शीघ्र से शीघ्र को अब परम्परा से जोड़ दिया ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप उस परम्परा को बिगाड़ कर के नयी परम्परा को क्यों जोड़ रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

हमने इस दिशा में जिम्मेदारी भी निर्धारित कर दी है अगर एक महीने से अधिक नलकूप बन्द रहेगा तो उसकी जिम्मेदारी सहायक अभियन्ता पर रहेगी । अगर दो महीने से अधिक रहेगा तो अधिशासी अभियन्ता पर रहेगी और इसका परिणाम यह है कि समय-समय पर मानिटरिंग की जा रही है नलकूपों की शिकायतें हमें प्राप्त होती रहती हैं । माननीय ग्राम प्रधानों को 5-5 पोस्ट कार्ड्स दिलवा दिये हैं, जिन-जिन गांवों में नलकूप हैं और उसके उत्तर भी संतोषजनक आये हैं । एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को निर्देश दिये गये हैं कि 15 दिन के अन्दर उस पर कार्यवाही करें और उसकी मानिटरिंग भी हो रही है । विद्युत विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की प्रतिमाह संयुक्त बैठक जिला स्तर पर मण्डल स्तर पर तथा एक मुख्य अभियन्ता स्तर पर हो रही है । मान्यवर, कुछ नलकूप बहुत ही पुराने हैं इसमें कभी ट्रांसफार्मर जल गये, कभी विद्युत फाल्ट आ गया, कभी कंडक्टर चोरी हो गये, कभी मोटर चोरी हो गयी तो इस तरह की खराबियां होती रहती हैं और इसमें समय सीमा बांधना मुश्किल हो जाता है । जो सामान्य खराबियां होती हैं वह महीने पन्द्रह दिन में ठीक हो जायें इसके लिए जिम्मेदारी उच्च अधिकारियों की निश्चित की है ।

श्री राम लखन –

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अभी तक जो कर्मचारी या अधिकारी दो महीने से ज्यादा विलम्ब से ट्यूबवेल ठीक करा पाये हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही हुई है । दूसरी बात यह है कि क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि जो जिले के ट्यूबवेल छः–छः महीने से खराब पड़े हैं उसकी जानकारी उनको है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जानकारी है और मैं स्वयं कार्यों की मानिटरिंग कर रहा हूं । मान्यवर, प्रदेश में 28 हजार के करीब नलकूप इस समय काफी पुराने हो गये हैं इसमें कुछ खराबियां हो गयीं जैसे ड्रिल हो गया तो वह दो-दो, तीन-तीन साल से खराब पड़े हैं, कहीं पम्प सेट फेल हो गया तो वह भी काफी समय से खराब पड़े हैं तो उसमें समय सीमा हम नहीं बांध सकते हैं क्योंकि यह बड़ी खराबियां हैं । जो सामान्य खराबियां हैं उन्हें महीने पन्द्रह दिन में बनाया जा रहा है और जो बड़ी खराबियां हैं उसमें अधिक समय लगता है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांति बनाये रखिये । मैं यह प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को अवसर दे सकूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, हमारी जानकारी में प्रदेश में तमाम ऐसे ट्यूबवेल हैं जो छः–छः महीने से खराब पड़े हैं । इनको इनके अधिकारियों ने लगता है सही सूचना नहीं दी है । इस समय रबी की बोआई के लिए उपयुक्त समय भी है और ट्यूबवेल खराब पड़े हैं तो यह ट्यूबवेल कब तक सही करा देंगे ? दूसरा यह

कि जो इसके न होने से फसल को नुकसान होता है तो क्या उसके लिए मुआवजा देने के लिए कुछ प्रबन्ध करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैं पुनः पूरे सदन से कह रहा हूं कि जिस किसी भी माननीय सदस्य की जानकारी में आये कि कोई नलकूप इस रूप में बन्द है, जो औचित्यपूर्ण नहीं है, जिस तरह के कारण हमने बताये हैं, तो वह एक-एक नलकूप की जानकारी हमें दे दें, मैं एक सप्ताह के अन्दर बन्दी के पूरे विवरण से अवगत करा दूंगा। सामान्य रूप से 6 महीने से कोई नलकूप बन्द नहीं है।

(इस पर विपक्ष के कई सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे, जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आप लोग शान्त रहें।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैं पुनः कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य शब्द पर ध्यान दें। मैंने कहा है, सामान्य रूप से कोई खराब है, जैसे मोटर जल गया है, बोल्ट नहीं है, इस तरह के नलकूप बनते-बिगड़ते रहते हैं। लेकिन यदि कहीं ट्रांसफार्मर जल गया, कोई फेल हो गया, पम्प सेट गिर गया तो उसमें समय लगता है। फिर भी 6 महीने से अधिक समय से खराब किसी नलकूप की जानकारी माननीय सदस्यों को है, तो वह लिख कर दे दें, एक सप्ताह के अन्दर स्थिति से अवगत करा दूंगा, इससे बड़ा कोई आश्वासन नहीं हो सकता।

(पुनः विपक्ष के सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपया शान्त रहें।

मैं इस प्रश्न को, प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सुपुर्द करता हूं।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 का मूल उत्तर पृष्ठ 2 पर छपा है।)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। यह गांव-गरीब-किसान की बात करते हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि किसान गरीब भी है, किसान गांव में रहता भी है तो क्या आप अपनी सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी देने की व्यवस्था करेंगे या नहीं ?

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, मैंने कल ही इस प्रकरण के आने पर कहा था कि उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुये यह सम्भव नहीं है कि कोई सब्सिडी दी जाय लेकिन इसके बाद भी खाद का उत्पादन न घटे, इसके लिये जो-जो व्यवस्थायें हो सकती हैं, उसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार कमर कस कर तैयार है और वह उसे करेगी।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या इस प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार ने खाद पर सब्सिडी देने की व्यवस्था की थी यदि हां तो वह कितनी थी और यदि पहले से यह व्यवस्था रही है तो आपकी सरकार द्वारा सब्सिडी न देने का क्या कारण है ?

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, यूरिया पर 10 रुपये सब्सिडी देने का प्राविधान था परन्तु अब अगर 10 रुपए को निकाल भी दिया जाय तो यूरिया के दाम पहले की अपेक्षा बहुत नीचे आ गये हैं । दूसरे उर्वरकों, जैसे पोटाश और फास्फोरस उर्वरकों पर केन्द्र सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है, उसे हम भी उपलब्ध करा रहे हैं ।

श्री विजय सिंह राणा –

मान्यवर, माननीय मंत्री जी तथ्य छिपा रहे हैं । पूर्ववर्ती सरकारों ने सभी प्रकार की खादों पर छूट देने की व्यवस्था की थी । खादों में जो कैमिकल पड़ता है, उसकी कीमत बहुत हो गयी है । इसलिए इसे मद्देनजर रखते हुए खादों पर छूट देने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री अखिलेश–

मान्यवर, मैं अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार और केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर कहीं भी विरोध नहीं है । अमेरिका के इशारे पर खाद में छूट की व्यवस्था को समाप्त किया गया है । आज इस छूट के न मिलने से उत्तर प्रदेश का किसान कराह रहा है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किसानों की इस दुर्दशा को देखते हुए अन्य साधनों में कटौती करके उत्तर प्रदेश के किसानों को खाद में छूट देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, मैंने प्रारम्भ में ही कह दिया है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान में वित्तीय स्थिति को देखते हुए खाद पर छूट देना सम्भव नहीं है । इसके बावजूद, उत्पादन में कमी न हो, इसके लिए हमने कमर कस रखी है ।

डा० बृजभान यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बार-बार यही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी स्थिति नहीं है कि वह किसानों की मदद कर सके । पूरा प्रदेश जानता है कि यह सरकार किसान विरोधी है । पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा खाद पर जो छूट दी गई थी, उसे इस सरकार ने समाप्त कर दिया है । क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सरकार दिवालियेपन में चली गई है कि नहीं ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय कृषि मंत्री जी ने बताया कि काश्तकारों को किसी भी प्रकार की छूट देने का इरादा उनकी सरकार का नहीं है । दूसरा, इन्होंने कहा कि भारत सरकार की सब्सिडी को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ये उपलब्ध करा रहे हैं । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि बाजार से खाद गायब हो गई है और भारत सरकार की जो सब्सिडी है, वह सहकारी संस्थाओं के माध्यम से काश्तकारों को नहीं मिल रही है । अगर आप खाद पर सब्सिडी नहीं दे पा रहे हैं तो क्या आप इतनी व्यवस्था सुनिश्चित करा देंगे कि किसानों को खाद उपलब्ध हो सके और साथ ही चोर बाजारी में सरकार की जो साझेदारी है, वह रोकी जा सके ?

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, खाद प्रत्येक स्थान पर किसानों को उपलब्ध हो सके इसके लिए सरकार ने व्यापक प्रबन्ध किया है । उसी के तहत प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी को निर्देश दिये गये हैं कि वह पुराने खाद का भैतिक सत्यापन करे, छापे डाले और इस काम के लिए स्पेशल स्कोर्ट तक बनाये गये हैं । कुल मिलाकर 6800 से ऊपर छापे मारे गये और तमाम लोगों के लाईसेंस निरस्त किये गये हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस समय प्रत्येक जिले में हर सहकारी संस्था में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और खाद की कोई कमी नहीं है ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि हम हर जगह छापे डाल रहे हैं और सुलभ उर्वरकों की व्यवस्था कर रहे हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो व्यापारीगण हैं वे आज भी खाद में मिलावट कर रहे हैं तो उसे रोकने के लिये उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री राम कुमार शुक्ल–

यह किस नियम के तहत आता है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आप शांत रहे ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, खाद या सब्सिडी स्वयं यह कोई साध्य नहीं है, साध्य है किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तो इसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं । (व्यवधान)) मैं सब्सिडी की जानकारी दे रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शांत रहें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सब्सिडी देने का कारण जो रहता है वह यह होता है कि उसकी उत्पादन लागत कम हो, उसकी उपज को सही मूल्य मिले उसमें सब्सिडी एक साधन है । कुल मिलाकर हम खाद उपलब्ध करा रहे हैं और उसके साथ ही साथ उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये इन-पुट्स की जो आवश्यकता पड़ती है उसके मूल्य कम हो इसके लिये अनेक तरीके हैं हम गांवों के विकास पर प्राथमिकता दे रहे हैं । इसमें किसी पार्टी का नाम लगाने की आवश्यकता नहीं है जो व्यापारी हैं, जो खाद बेचने वाले हैं अगर वह कहीं पर नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है, की जाती है और की जाती रहेगी । यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित व्यापारी उसमें जुटे हैं । इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है । कोई व्यापारी किसी दल से सम्बद्ध है और अगर वह गलत काम कर रहा है तो उसे क्षमा नहीं किया जायेगा ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

उपाध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि अब भारत सरकार की खाद पर सब्सिडी खत्म हुई तो यहां प्रदेश में खाद का कुल कितना स्टाक था और आज तक कितनी खाद वितरित की जा चुकी है। जो घोषणा कर रहे हैं कि छापे डाल रहे हैं तो उन छापों में कितनी खाद बरामद की गयी और कितने खाद वितरकों के खिलाफ कार्यवाही की गयी ?

श्री उपाध्यक्ष–

आपका अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न से भिन्न है।

श्री हरिशंकर तिवारी–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि छापे डाल रहे हैं तो यह किस आधार पर कह रहे हैं (व्यवधान)

(श्री इम्तियाज अहमद का नाम पुकारने पर)

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, हम पांच बार खड़े हो चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आप बैठें।

श्री इम्तियाज अहमद–

मान्यवर, मैं एक चीज जानना चाहता हूं अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि जो कृषि के लिये इनपुट्स है उसकी सुविधा दे रहे हैं, यह नहीं बताया कि क्या सुविधा दे रहे हैं, पानी बिजली महगी है और जो खाद थी वह भी महंगी हो गयी है और इनपुट्स भी महंगे हैं। तो जिस प्रकार सरकार ने उत्तर प्रदेश के बनियों को सेल्स टैक्स में सैकड़ों रुपयों की रियायतें दी है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शांत रहें।

(घोर व्यवधान)

श्री इम्तियाज अहमद–

मान्यवर, मेरा बड़ा छोटा सा सवाल है....(घोर व्यवधान)

श्री राजकुमार शुक्ल–

किसी जाति विशेष का नाम ले लिया गया यह गलत है, व्यापारियों का नाम लिया जाता उसमें तो सभी हैं ....(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं, बैठ जाइये। इस समय व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मेरी निश्चित रूप से जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार खाद पर सवा छः प्रतिशत सेल्स टैक्स ले रही है और इस टैक्स को प्रदेश के पड़ोसी प्रदेश मध्य प्रदेश आदि नहीं ले रहे हैं। ऐसी हालत में यदि यह सरकार किसानों को राहत देने के लिये अपने ही यहां का सेल्स टैक्स माफ कर दे तो 20 से 25 रुपया प्रति बोरी डी० पी० खाद पर किसानों को लाभ हो जाएगा। तो जिस तरह से इस सरकार ने 300 करोड़ रुपये की सेल्स टैक्स में व्यापारियों के लिए छूट दी है, क्या सरकार उसी तरह से यह छूट प्रदेश के किसानों को भी देगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, वर्मा जी वित्त एवं संस्थागत विभाग के मंत्री रहे हैं, सम्भवतः उनको जानकारी होगी कि प्रदेश के अन्दर प्रदेश के व्यापारियों को जो देना होता है वैसा कोई सेल्स टैक्स यहां है नहीं । तो उससे उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है । (घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह सरकार किसान विरोधी है, खाद पर सेल्स टैक्स लेकर उनका स्पष्ट शोषण कर रही है । इसलिए हम अपने दल के साथ इस सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा अपने दल के साथ सदन से चले गये)

श्री सोमांश प्रकाश–

यह सरकार किसान विरोधी है, इसलिए हम सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री सोमांश प्रकाश अपने दल के साथ सदन से बाहर चले गये)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

किसानों को सब्सिडी न देने के विरोध में हम अपने दल के साथ इस सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री कैलाश नाथ सिंह यादव सदन से अपने दल के सदस्यों सहित चले गये)

श्री नरेश अग्रवाल–

यह सरकार किसानों को कोई लाभ नहीं दे रही है, यह पूरी तरह किसान विरोधी है, इसके विरोध में हम अपने दल सहित इस सदन का त्याग कर रहे हैं ।

(श्री नरेश अग्रवाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन से चले गये)

(घोर व्यवधान)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में किसानों का विभिन्न गन्ना मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य

*1–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की गन्ना मिलों पर 30 सितम्बर, 1992 तक किसानों का गन्ना मूल्य का कितने करोड़ रुपया बकाया है ? क्या यह सत्य है कि यू० पी० केन एण्ड शुगर एक्ट के अनुसार यदि गन्ना किसानों को शुगर मिल में गन्ना देने के 14 दिन के अन्तर्गत भुगतान नहीं होता है तो साढ़े सात प्रतिशत ब्याज देय है ? यदि हां, तो प्रदेश के कितने गन्ना किसानों को उसके बकाया मूल्य के साथ-साथ ब्याज भी दिलवाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास मंत्री (श्री हनुमन्त सिंह)–

दिनांक 30-9-92 की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र, 1991-92 का गन्ना किसानों का 203.50 करोड़ रुपया चीनी मिलों पर बकाया था ।

उ० प्र० शुगर केन रेगुलेशन आफ सप्लाई एण्ड परचेज एक्ट 1953 के प्राविधानों के अनुसार यदि गन्ना किसानों को चीनी मिल द्वारा गन्ना खरीदने के 14 दिन के अन्तर्गत भुगतान नहीं होता है तो मिलों द्वारा बारह प्रतिशत ब्याज देय है । कोई नहीं । मिलों की गम्भीर आर्थिक कठिनाईयों के कारण गन्ना मूल्य भुगतान को प्राथमिकता दी जा रही है ।

चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना समितियों के माध्यम से किया जाता है । अतः विलम्बित भुगतान पर ब्याज गन्ना समितियों को देय है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरकार के ऊपर गन्ना किसानों का रुपया बाकी है । किसानों के ऊपर जब सरकार का रुपया बाकी होता है तो वह उससे कड़ाई से वसूल करती है और ब्याज भी लेती है और 10 प्रतिशत तहसील से वसूली का खर्च भी वसूलती है । यह भी नियम है कि यदि किसानों का 14 दिन के अन्दर गन्ना बकाये का भुगतान नहीं हुआ तो 12 परसेंट ब्याज का भुगतान वह करेगी । लेकिन इस विषय पर मंत्री जी ने बहुत तोड़-मरोड़ कर इस चीज को कहा है कि गन्ना समितियां उस ब्याज को देंगी । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले सत्र में पूरे 14-14 दिन काश्तकारों का बकाया हो गया है, तो इस तरह कितना रुपया उनका बकाया हुआ और उसको कितना रुपया ब्याज का प्रदेश में मिलना चाहिए ? दूसरी बात यह है कि जब ऐक्ट में दिया हुआ है कि भुगतान करना पड़ेगा 12 प्रतिशत ब्याज का तो इन्होंने गन्ना किसानों को भुगतान क्यों नहीं किया । इसके क्या कारण थे एवं इसके लिये कौन दोषी हैं ? इसका उत्तर मंत्री जी देने की कृपा करें ।

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, माननीय नरेश जी एक विद्वान व्यक्ति हैं, यह नियमों के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं जैसा कि आप जानते हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि गन्ना मूल्य का भुगतान 14 दिन के अन्दर नहीं होता है तो शुगर केन रेगुलेशन आफ सप्लाई एण्ड परचेज एक्ट के अन्तर्गत ब्याज देय होता है । इसके अन्तर्गत नियमों में ब्याज दिये जाने का प्राविधान है । स्टैटुअरी केन प्राइस में गन्ना मूल्य निर्धारित करने का अधिकार केन्द्र सरकार को है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का यह जवाब नहीं है, मैं ब्याज की बात कर रहा हूं ।

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, मैं आपको बता रहा हूं कि पिछली बार केन्द्र सरकार द्वारा 26 रुपये की दर से दिया गया था जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4 रुपये बढ़ाकर गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य दिया है । इस परिपेक्ष में यह पहली सरकार है जिसने किसानों को गन्ना मूल्य बढ़ा कर दिया है ।....

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मूल प्रश्न क्या है और यह जवाब क्या दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप प्रश्न की परिधि में अपने को रखें तथा गन्ने के मूल्य के बकाये के सम्बन्ध में जो प्रश्न है, उसका माननीय सदस्य को उत्तर दें ।

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं कि जो गन्ना मूल्य का भुगतान बकाया है उसके लिये यह पहली सरकार है जिसने इसकी समीक्षा करके.....(घोर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं भुगतान की बात नहीं कर रहा हूं मेरा प्रश्न.....

(माननीय उपाध्यक्ष द्वारा श्री सोमांश प्रकाश का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, पहले मेरे प्रश्न का जवाब आ जाने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपको बाद में एक अनुपूरक प्रश्न का मौका दे दिया जायेगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, पहले इस प्रश्न का उत्तर तो आ जाय । माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट पूछा है कि 14 दिन के अन्दर भुगतान न होने पर जो ब्याज देय है वह अब तक क्यों नहीं दिया गया ? इसके लिये कौन लोग जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? मेरा यही प्रश्न है । गन्ना मूल्य कौन तय करता है, यह नहीं पूछ रहा हूं । इसको तो नियम–56 में पूछ लेंगे ।

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि विलम्बित गन्ना मूल्य पर जो ब्याज देय होता है उसके भुगतान में कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आई हैं जिसके बारे में सरकार ने समीक्षा की है ।.....

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य आपकी सरकार से पूछ रहे हैं आपकी सरकार के बारे में नहीं पूछ रहे हैं ।

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, मैं वही बता रहा हूं कि जो समीक्षा की गई है उसके विरुद्ध में चीनी मिल के लोगों ने हाई कोर्ट से स्टे भी प्राप्त कर लिया है । हमारी सरकार इस पर कार्यवाही कर रही है इसके बावजूद व्यवहारिक दिक्कतें हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मेरा पूछना यह है कि पिछले सत्र में कितने करोड़ रुपया ब्याज के तौर पर गन्ना किसानों का हुआ और इसको क्यों नहीं दिलाया गया ? यह हिन्दुस्तान का बखान कर रहे हैं और उत्तर नहीं दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी को जो उत्तर देना था वह दे दिया अब आप दूसरे माननीय सदस्य को पूछने दें । आप बैठ जाएं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

फिर मान्यवर, आपका संरक्षण क्या रह गया ? यह प्रदेश के गन्ना किसानों का मामला है किसी का व्यक्तिगत मामला नहीं है आप इनको संरक्षण न दें । आप मेरे प्रश्न का स्पष्ट जवाब दिला दें । 14 दिन डिले होने से ब्याज का कितना करोड़ रुपया हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने जो बिन्दु उठाए हैं उसका जवाब माननीय मंत्री जी देना चाहें तो दें दें ।

श्री हनुमन्त सिंह–

मैं आपके माध्यम से इसका जवाब दे चुका हूं कि इस प्रक्रिया में बीच में शासन कहीं नहीं आता है यह एक प्रक्रिया है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

गन्ना किसान के मूल्यों की शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं हैं आप यह घोषणा करा दें ।

श्री हनुमन्त सिंह–

आप प्रक्रिया सुन लें कि कैसे ब्याज देय होता है ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मैं क्या पूछ रहा हूं और यह क्या बता रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी इन्होंने स्पेसिफिक सवाल किया है उसका जवाब आपके पास हो तो दे दें ।

श्री हनुमन्त सिंह–

यह पहली सरकार है जिसने गन्ने के मूल्यों पर समीक्षा की है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जो इन्होंने प्रश्न के उत्तर में कहा है, कि 1991-92 का गन्ना किसानों का 203.50 करोड़ रुपया चीनी मिलों पर बकाया था इसके संदर्भ में जानना चाहता हूं कि आज की तिथि तक गन्ना किसानों का कितना भुगतान अभी शेष रह गया है ।

दूसरा प्रश्न मान्यवर, यह है कि उत्तर प्रदेश शुगर केन रेगुलेशन आफ सप्लाई एण्ड परचेज एक्ट 1953 के अनुसार यदि गन्ना किसानों को चीनी मिल द्वारा गन्ना खरीदने के 14 दिन के अन्तर्गत भुगतान नहीं होता है तो मिलों द्वारा 12 प्रतिशत ब्याज देने की व्यवस्था है तो क्या इस नियम का कड़ाई के साथ संज्ञेय अपराध के रूप में इसे परिवर्तित करके 12 प्रतिशत मूल्य दिलाने पर सरकार विचार कर रही है यदि कर रही है तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने दो सवाल उठाएं हैं कि आज उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का कितना मूल्य बकाया है ? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 1744 करोड़ रुपया देय था, जिसमें 1611 करोड़ रुपए का भुगतान इस सरकार के प्रयास से गन्ना किसनों को किया जा चुका है, जो कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है ।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने यह पूंछी है कि जो धन बकाया है उसका ब्याज अगर समय से भुगतान नहीं किया जाता है तो क्या इसको संज्ञेय अपराध मानने के लिए सरकार विचार कर रही है । इस संबंध में, मैं बताना चाहता हूं कि अभी इस पर कोई विचार नहीं चल रहा है । लेकिन इस पर समीक्षाएं हो रहीं हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

स्वामी नाथ यादव ने एक प्रश्न यह किया था कि नियम के विपरीत आचरण करना, क्या इसे संज्ञेय अपराध घोषित किया जाए, इसका जवाब चाहते हैं ।

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार के सामने किसानों का हित सर्वोपरि है। किसानों के हित के लिये सरकार कोई भी विचार कर सकती है, लेकिन अभी इस पर कोई विचार नहीं किया गया, लेकिन इस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल दो प्रश्न करना चाहता हूं । माननीय स्वामी नाथ यादव ने पूछा कि कुल कितना बकाया था और कितना भुगतान किया गया और अब तक कुल कितना रुपया गन्ना भुगतान करने के लिए बकाया है, और कितना भुगतान किया जा चुका ।

दूसरा सवाल श्रीमन्, यह है कि यह काश्तकारों से प्रति कुन्तल 2 रुपया समितियों के माध्यम से काटते हैं तो मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो 2 रुपया काटा जाता है हर काश्तकारों से, क्या वह काश्तकारों के हित में है ?

(शोर गुल के मध्य)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

सरकार को भंग करने का ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के पास जा चुका है, इसलिए विधान सभा नहीं चलनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपया शान्त रहें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मैं दो सवाल करना चाहता हूं। एक सवाल यह है कि किसानों का गन्ना मूल्य कितना बकाया है और कितना भुगतान कर दिया गया है ? दूसरा सवाल यह है कि समितियों के नाम पर 2 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती की जाती है तो काश्तकारों के हित को देखते हुये क्या यह धन काश्तकारों को देने की कृपा करेंगे ?

श्री भागवत पाल–

मान्यवर, सरकार के निलम्बन का प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेज दिया गया है अब विधान सभा चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

(शोर)

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

श्रीमन्, सदन को व्यवस्थित कराइये।

श्री भागवत पाल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं है।

श्री पूरन प्रकाश–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि गन्ना मूल्य का कितना रुपया बाकी है और उस पर कितना ब्याज बनता है ?

श्री भागवत पाल–

विधान सभा चलाने का कोई औचित्य, मान्यवर, इस समय नहीं रह गया है। स्पष्टीकरण दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

जब कोई ऐसी सूचना मिलेगी तो आपको अकेले नहीं सबको साथ मिलेगी।

(शोर)

एक सदस्य–

राम नाम सत्य हो गया है अब तो कोई बात ही नहीं रह गयी है।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शांति बनाये रखें।

माननीय पूरन प्रकाश ने जो प्रश्न पूछा है यद्यपि मूल प्रश्न से उसका संबंध नहीं है लेकिन जानकारी हो तो बता दें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, इसके बारे में सूचना एकत्रित करनी पड़ेगी ।

श्री राम लखन–

मान्यवर, गन्ना मूल्य के बकाये के संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रत्ना शुगर मिल, जौनपुर जिस पर गन्ना मूल्य का करोड़ों रुपया बकाया है क्या माननीय मंत्री जी उस रुपये को दिलवाने के लिये कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री जागेश्वर प्रसाद—

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में लाखों रुपया गन्ना मूल्य का बकाया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद सोनभद्र के रेनूपावर कम्पनी रेनूसागर के ऐशडेम में जल रिसाव

*1–श्री विजय सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सोनभद्र के रेनूपावर कम्पनी रेनूसागर के ऐशडेम में छोड़े जा रहे राख और पानी जो गांव की सतह से सैकड़ों फुट ऊंचा है, के जल रिसाव से ग्राम परासी के सैकड़ों घर गिर गये हैं ? यदि हां, तो सरकार उनको कम्पनी से उचित क्षतिपूर्ति दिलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जल रिसाव रोकने के लिए सरकार स्थायी व्यवस्था करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद सोनभद्र के रेनुसागर पावर कम्पनी, रेनुसागर के ऐशडेम में छोड़े जा रहे राख और पानी के रिसाव से जिलाधिकारी सोनभद्र की सूचना के अनुसार 102 घर प्रभावित हुए ।

जिलाधिकारी सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार निर्धारित मात्रा में प्रत्येक व्यक्ति को क्षतिपूर्ति/मुआवजे का भुगतान किया गया है । जल रिसाव से प्रभावित 102 व्यक्तियों को कुल रुपया 16,66,228.88 पै० का भुगतान रेनुसागर पावर कम्पनी के प्रबन्धकों द्वारा किया गया है ।

प्रकरण का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से है ।

नोटः–नत्थी 'ख' तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ ।

राज्य विद्युत परिषद् के घाटे को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों का परिणाम

*2–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के घाटे को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा किये गये कार्यों का परिणाम क्या रहा है ? उक्त परिषद् अद्यतन कितने रुपये प्रतिमाह के घाटे में है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी)–

इस सम्बन्ध में राज्य विद्युत परिषद् द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप विद्युत उत्पादन में सुधार हुआ है तथा तापीय विद्युत गृहों का प्लांट और फैक्टर बढ़ा है । इसके अतिरिक्त राजस्व वसूली में भी अपेक्षाकृत सुधार हुआ है तथा प्रतिशत लाइन हानियां भी घटी हैं ।

परिषद् के वित्तीय घाटे का प्रतिमाह आगणन नहीं किया जाता है । परिषद् के वित्तीय परिणाम पूरे वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा बनाकर आकलित किये जाते हैं । वित्तीय वर्ष 1990-91 के असम्प्रेक्षित लेखों के अनुसार कुल संचयी घाटा, वर्ष 1989-90 में हुए 592.72 करोड़ रुपये के कुल संचयी घाटे से घट कर 587.87 करोड़ रुपये हो गया है ।

जनपद अलीगढ़ के कतिपय विद्युत गृहों को पूर्ण किये जाने की मांग

*3–श्री दलवीर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के अर्ध निर्मित विद्युत गृह इस्माइलपुर वीरपूरा भरतरी तथा प्रस्तावित बिजली घर उपकेन्द्र बरौली जिला अलीगढ़ पर कोई कार्य वित्तीय वर्ष 1991-92 में किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक इस अधूरे कार्य को पूर्ण किया जाना शासन के समक्ष विचाराधीन है ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

इस्माइलपुर एवं वीरपुरा दोनों एक ही उपसंस्था के नाम हैं । दिनांक 31-3-91 को इस उपसंस्थान का विद्युतीकरण किया गया था, कुछ दिनों के पश्चात् 5 एम० वी०ए० के ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी के कारण लोड नहीं दिया जा सका । अब विद्युत गृह पर दिनांक 11-8-92 को पुनः ट्रान्सफार्मर स्थापित करके उसका ऊर्जीकरण किया जा चुका है । भरतरी उपसंस्थान का कन्ट्रोल रूम पूरा किया जा चुका है, धन अभाव के कारण उपसंस्थान का कार्य प्राथमिकता के अनुसार शुरू नहीं किया जा सका ।

बरौली उपसंस्थान को धन अभाव के कारण अभी प्राथमिकता नहीं दी जा सकी है ।

नगरपालिका संडीला, जिला हरदोई में विद्युत कटौती की शिकायत

*4–श्री राम पाल सिंह सैनी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 50 हजार की आबादी वाली नगरपालिकाओं को कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति दिये जाने की शासन की नीति है ? क्या विद्युत कटौती प्रत्येक सप्ताह अथवा पक्ष में अलग-अलग समय किये जाने की भी नीति है ? यदि हां, तो नगर पालिका सण्डीला, जिला हरदोई में पिछले एक वर्ष से लगातार विद्युत की कटौती सायं 6.00 बजे से रात्रि 11 बजे तक जब विद्युत की

सबसे अधिक आवश्यकता होती है, क्यों की जा रही है ? क्या प्रत्येक सप्ताह विभिन्न समय पर निर्धारित घण्टों के लिये विद्युत कटौती किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् की वर्तमान नीति के अनुसार विद्युत आपूर्ति का आधार 1981 की जनगणना है । 1981 की जनगणना के अनुसार जिन नगरों की जनसंख्या 25,000 या इससे अधिक होती है उन सभी नगरों को 24 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति करने का प्रयास किया जाता है । वर्तमान में प्रदेश में कोई भी निर्धारित कटौती लागू नहीं है । इसलिये जब भी विद्युत की मांग उपलब्धता के सापेक्ष अधिक होती है तब प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये नगरों की, उद्योगों की और ग्रामीण क्षेत्रों की भी आपातकालीन कटौती कराई जाती है । इस आपातकालीन कटौती का कोई समय निर्धारित नहीं है और यह दिन में किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर कराई जाती है । सायंकाल पीक के समय प्रदेश की विद्युत की मांग बहुत बढ़ जाती है और उपलब्ध स्रोतों से पूरा कर पाना सम्भव नहीं होता है । इसलिये सायंकाल पीक के समय बहुधा ही नगरों की आपातकालीन कटौती करानी पड़ती है । प्रत्येक सप्ताह भिन्न-भिन्न समय पर निर्धारित घण्टों के लिये विद्युत कटौती किये जाने की व्यवस्था तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब प्रदेश में निर्धारित विद्युत कटौती लागू कर दी जाय । इस बात का प्रयास किया जाता है कि एक ही नगर की विद्युत कटौती प्रतिदिन पीक के समय न हो । परन्तु कई बार इसे सुनिश्चित कर पाना तकनीकी कारणों से सम्भव नहीं हो पाता है ।

जनपद बाराबंकी में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की जानकारी

*5–श्री फरीद महफूज किदवई–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मजरा ग्राम बहरौली, जनपद बाराबंकी में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम में विद्युतीकरण कराने पर सरकार कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो सरकार इस मजरे बहरौली में विद्युत की व्यवस्था कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं ।

बाराबंकी जनपद में मजरों के विद्युतीकरण की कोई योजना अभी प्रस्तावित नहीं है इस कारण मजरा बहरौली का विद्युतीकरण अभी सम्भव नहीं है ।

(बुधवार, दिनांक 25-11-92 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

प्रदेश में पांच हजार रुपये से अधिक विद्युत बकाये की वसूली

*1– श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सरकारी विभागों तथा बड़े उद्योगपतियों पर बिजली विभाग का 5 हजार रुपये से अधिक का कितना बकाया देय है ? क्या उक्त बकाये को वसूलने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सितम्बर, 92 के अन्त तक राज्य विद्युत परिषद् के सरकारी विभागों तथा बड़े उद्योगपतियों पर 600.11 करोड़ रु० बकाया है –

क्रमांक	विभाग	बकाया धनराशि (करोड़ रु० में)
1	सरकारी विभाग	307.38
2	औद्योगिक उपभोक्ता (मिल मालिक भी शामिल है)	292.73
		600.11

बकायों की वसूली हेतु धारा–3 की नोटिस, विद्युत विच्छेदन, धारा-5 की नोटिस की कार्यवाही तथा व्यक्तिगत सम्पर्क किया जा रहा है ।

*2–श्री रवीन्द्र प्रताप–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

*3–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

नलकूप मण्डल, बरेली द्वारा कतिपय आपूर्तिकर्ताओं को क्रय प्रस्ताव व अन्य माध्यमों द्वारा धनराशि के आपूर्ति का विवरण

*4–श्री राम ललित चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप मण्डल, बरेली द्वारा 1-3-90 से 31-3-92 तक चन्द्रा ट्रेडिंग कारपोरेशन, कानपुर, भारत इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल, कानपुर, मेसर्स सजल सेल्स कारपोरेशन, कानपुर आपूर्तिकर्ताओं को क्रय प्रस्ताव तथा अन्य माध्यम द्वारा कितनी धनराशि के आपूर्ति आदेश निर्गत किये गये तथा इनका खण्डवार विवरण क्या है ? क्या ये सामान उक्त आपूर्तिकर्ताओं की रिटेल लिस्ट से अधिक दरों पर खरीदे गये हैं ? यदि हां, तो उसमें शासन को कितनी हानि हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

1-3-90 से 31-3-92 तक मै० चन्द्रा ट्रेडिंग कारपोरेशन, कानपुर, भारत इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल, कानपुर एवं मैसर्स सजल सेल्स कारपोरेशन, कानपुर को क्रमशः 14,765 रु०, शून्य एवं 5,96,222 रुपये की आपूर्ति आदेश मण्डल के अधीनस्थ खण्डों के अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा एवं क्रय प्रस्ताव द्वारा किये गये, जिनकी वित्तीय वर्षवार एवं खण्डवार सूचना संलग्न है ।

उक्त आपूर्ति आदेशों के विरुद्ध सामान निविदायें आमंत्रित करके न्यूनतम दरों पर क्रय किया गया। आपूर्तिकर्ताओं की स्वयं की कोई रिटेल लिस्ट नहीं है । इस प्रकार जनहित में आवश्यकतानुसार किये गये सामग्री क्रय से शासन को कोई हानि नहीं हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 281-282 पर)

मृदा सुधार को जिप्सम व पाइराइट की बिक्री में कृषकों को मिलने वाले अनुदानों को रोके जाने की शिकायत तथा चालू किये जाने की मांग

*5–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या कृषि मंत्री शासन द्वारा मृदा सुधारकों जिप्सम व पाइराइट की बिक्री के समय सामान्यतः कृषकों को दिये जाने वाले अनुदान को समाप्त किये जाने के निर्णय की जानकारी सदन को देने का कष्ट करेंगे? अनुदान समाप्त करने से ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रम पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखकर क्या मृदा सुधारकों पर अनुदान पूर्ववत् सभी कृषकों को दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे ?

कृषि मंत्री (श्री गंगा भक्त सिंह)–

मृदा सुधारकों जिप्सम व पायराइट पर कृषकों को अनुमन्य अनुदान की सुविधा को समाप्त नहीं किया गया है ।

मृदा सुधारकों पर अनुदान ऊसर सुधार कार्यक्रम हेतु पूर्व की भांति देय है ।

सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल) के आरक्षित पदों को भरने की मांग

*6–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अभियन्ता (सिविल) के आरक्षित 103 पदों को अनुसूचित जाति/जनजाति के अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर करके भरे जाने हेतु उत्तर प्रदेश सर्विस आफ इंजीनियर्स क्लास-2 इरीगेशन ब्रांच संशोधित नियमावली, 1988 को संशोधित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस प्रकरण को वर्ष 1989 में लोक सेवा आयोग की सहमति हेतु भेजा गया था जिसे आयोग ने शासन स्तर से कार्यवाही किये जाने हेतु वापस कर दिया था । यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है ? क्या सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति के अवर अभियन्ताओं को ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत किये जाने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

यू० पी० सर्विस आफ इंजीनियर्स क्लास-2 इरीगेशन ब्रांच नियमावली, 1936 तथा इसकी संशोधित नियमावली 1988 में संशोधन का प्रस्ताव वर्ष 1989 में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की सहमति हेतु भेजा गया था । लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी गयी। तदोपरान्त शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि पुरानी नियमावली में संशोधन के बजाय समूह (ख) के अभियन्ताओं के लिये नई नियमावली बना ली जाये । तद्नुसार उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) समूह ''ख'' सेवा नियमावली, 1992 पर लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश का अनुमोदन प्राप्त कर मंत्री परिषद् का अनुमोदन तथा नियमावली के प्रख्यापन की कार्यवाही प्रगति पर है ।

इसके लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है ।

वर्तमान नियमों के अन्तर्गत अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नति का मापदण्ड ''श्रेष्ठता'' है, अतः ''ज्येष्ठता'' मापदण्ड पर प्रोन्नति करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियन्ताओं (यांत्रिक) के रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

*7–श्री विशुन दयाल तथा सतीश भाटिया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-6-1992 को सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) के कुल कितने पद थे ? इसमें कितने अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति प्राप्त अभ्यर्थी हैं ? क्या उक्त पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के कितने पद अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) के रिक्त हैं ? उन पदों पर सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की कब तक प्रोन्नति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

इंगित तिथि तक अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) के कुल 195 पद स्वीकृत थे । इसमें से 13 अनुसूचित जाति के व एक अनुसूचित जनजाति के अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) पदोन्नति प्राप्त अधिकारी है ।

जी नहीं ।

कोटा पूर्ण करने हेतु अनुसूचित जाति के 22 पद एवं अनुसूचित जनजाति के 3 पद भरे जाने हैं ।

उक्त पदों पर प्रोन्नति हेतु नियमानुसार अर्ह एवं उपयुक्त सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) उपलब्ध होने पर ही पदोन्नति सम्भव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश स्तर पर लघु उद्योगों की विद्युत दरों में कमी

*8–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि सरकार लघु उद्योग को दी जाने वाली विद्युत दरों में की गयी हाल ही में वृद्धि को प्रदेश की आम जनता के हित में वापस लेने/कम करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

दिनांक 18-1-92 से लघु उद्योगों के लिये घोषित विद्युत दरों में की गयी बढ़ोत्तरी को प्रदेश की आम जनता के हित में दि० 18-5-92 एवं 29-6-92 को निर्गत अधिसूचनाओं के द्वारा विद्युत दरों में कमी की जा चुकी है ।

विचार हो चुका है एवं विद्युत दरें कम कर दी गयी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में आलू की फसल को हानि से बचाने में जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा की गयी लापरवाही की शिकायत

*9–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि इस वर्ष पूरे प्रदेश में किसानों की सारी आलू की फसल नष्ट हो गयी और किसानों को करोड़ों रुपये की क्षति उठानी पड़ी ? यदि हां, तो क्या किसानों को क्षतिपूर्ति हेतु सरकार कोई सर्वेक्षण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि मैनपुरी जनपद, जो प्रदेश में आलू उत्पादन का मुख्य स्थान है, में किसानों को उनकी फसल बचाने के लिये न तो कीटनाशक दवायें उपलब्ध कराई गयी हैं और न ही उन्हें आवश्यक निर्देश दिये गये ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अपने दायित्व का निर्वहन न करने के आरोप में कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार भविष्य में आलू की फसल को रोग से बचाने के लिये कोई कारगर उपाय करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान, युवा कल्याण एवं खेलकूद राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

वर्ष 1991-92 में लखनऊ, आगरा, बरेली, कानपुर एवं फैजाबाद मण्डलों में झुलसा रोग का प्रभाव सूचित हुआ । करोड़ों की हानि का कथन सही नहीं है ।

जी नहीं । आलू की खुदाई के बाद सर्वेक्षण सम्भव नहीं है और क्षतिपूर्ण करने की कोई योजना नहीं है ।

जनपद मैनपुरी में आलू की फसल सुरक्षा हेतु किसानों को वर्ष 1991-92 में 349.10 हेक्टेयर क्षेत्र के लिये 763 किलोग्राम मैंकोजेब तथा 21 किलोग्राम कापर-आक्सीक्लोराइट 25 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करायी गयी और आवश्यक जानकारी भी दी गयी ।

उत्तरदायित्व निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता ।

आलू को रोग मुक्त करने हेतु कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा समुचित मात्रा में कीटनाशक दवायें उपलब्ध करायी जाती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इण्डोडच परियोजना के अन्तर्गत देवरिया में क्लस्टर लगाने की योजना

*10–श्री हरिवंश सहाय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में इण्डोडच योजना से भटनी ब्लाक में वर्ष 92-93 में कहां-कहां नलकूप लगाने की योजना है ? गांवों का चयन कब तक पूरा कर लिया जायेगा तथा कब तक कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

इण्डोडच परियोजना के अन्तर्गत जनपद देवरिया के भटनी ब्लाक में एक क्लस्टर लगाने हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया है । कलस्टर की सर्वेक्षण रिपोर्ट के परीक्षण एवं परियोजना की स्वीकृति के पश्चात् गांवों का चयन किया जायेगा, जहां पर नलकूप लगाये जायेंगे ।

कलस्टर की स्वीकृति के पश्चात् गांवों का चयन कर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

प्रदेश में विद्युत वितरण नीति की जानकारी

*11–श्री समीउल्ला–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत वितरण के सिलसिले में शासन की क्या नीति है ? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कटौती से हुई असुविधाओं को देखते हुए क्या कटौती पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

प्रदेश में विद्युत वितरण के सम्बन्ध में शासन की नीति यह है कि सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक समय तक विद्युत उपलब्ध हो । पिछले कई वर्षों से विद्युत मांग एवं उपलब्धता में अन्तर होने के कारण समय-समय पर कटौती करनी पड़ रही है । शासन की यह चेष्टा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 12-14 घंटे प्रतिदिन विद्युत उपलब्ध हो ।

विद्युत की मांग और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर कटौती के सम्बन्ध में राज्य विद्युत परिषद् एवं शासन के स्तर पर विचार किया जाता है ।

जनपद आगरा के दयालबाग माइनर को समाप्त करने का प्रकरण

*12–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में दयाल बाग माइनर को समाप्त घोषित किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या उक्त माइनर पूर्व की भांति काम कर रही है ? यदि माइनर समाप्त घोषित कर दिया है, तो उसकी भूमि का क्या उपयोग हो रहा है ? क्या यह सच है कि इस भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो नहर की कुल भूमि कितनी थी और कितनी भूमि पर अवैध कब्जा हुआ है ? कितनी भूमि अब शेष बची है तथा शेष भूमि का क्या उपयोग किया जा रहा है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दयालबाग माइनर को समाप्त करने का प्रकरण विचाराधीन है ।

जी नहीं ।

माइनर को समाप्त किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है । इसकी भूमि का वर्तमान में कोई उपयोग नहीं हो रहा है ।

जी हां, 0.79 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा हुआ है ।

दयालबाग माइनर की कुल भूमि 5-17 एकड़ थी जिसमें 0-79 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा हुआ है।

माइनर की 2.48 एकड़ भूमि दयालबाग शिक्षण संस्थान, आगरा को शासनादेश दिनांक 16-9-83 द्वारा स्थानान्तरित की गयी । उक्त माइनर की 1-90 एकड़ भूमि अब विभाग के पास शेष बची है । इस भूमि का अभी कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है ।

मुरादाबाद नगर में विद्युत आपूर्ति के रिकार्ड में गड़बड़ी

*13–श्री जाहिद हुसैन–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 से कृषि उद्योग के विद्युत 12 पैसे प्रति यूनिट सप्लाई की जा रही है ? यदि हां, तो शहरी लघु उद्योग के लिये विद्युत किस दर से सप्लाई की जा रही है ? क्या यह सही है कि नगर मुरादाबाद में अर्बन सर्किल विद्युत विभाग के खण्ड-2 व 3 को वर्ष 1989-90 के अप्रैल माह में कुल विद्युत 16.080 मेगावाट प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इसी माह अप्रैल वर्ष 1989-90 में विद्युत की सप्लाई उपभोक्ता खण्ड-2 और 3 में 21.93 मेगावाट सप्लाई की गयी है ? यदि हां, तो 5.13 मेगावाट ज्यादा विद्युत कहां से सप्लाई की गयी है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं ।

वर्ष 1980 में एवं उसके उपरान्त भी निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिये नियत दर (फिक्स चार्ज) के आधार पर विद्युत आपूर्ति की जाती रही है ।

वर्तमान में शहरी लघु उद्योगों (25 अश्व शक्ति तक) के लिये विद्युत आपूर्ति की दर निम्नवत् है :––

फिक्स चार्ज रु० 22.00 प्रति अश्व शक्ति (प्रति माह) इनर्जी चार्ज रुपये 1.35 प्रति यूनिट समय से भुगतान करने पर 10 पैसे प्रति यूनिट की छूट अनुमन्य है ।

उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर घोषित ईधन अधिभार एवं अधिष्ठान अधिभार भी देय है । मिनिमम कन्जम्पशन गारण्टी रु० 720 प्रति अश्व शक्ति प्रति वर्ष है जो रु० 60 प्रति अश्व शक्ति प्रति माह की दर से देय है ।

यह सही है कि मुरादाबाद में अर्बन सर्किल विद्युत विभाग के खण्ड 2 व 3 को वर्ष 89-90 के अप्रैल माह में कुल विद्युत 16.08 मिलियन यूनिट प्राप्त हुई थी । प्रश्न में 16.08 मेगावाट दिया है वह सही नहीं है ।

इसी माह वर्ष 89-90 में 21.93 मेगावाट सप्लाई नहीं की गयी बल्कि निर्धारण 6.615 मिलियन यूनिट का किया गया ।

*14–श्री किशन गोपाल–

[6वें मंगलवार में ता० प्र० सं० 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

चिपको आन्दोलन के नेता श्री सुन्दर लाल बहुगुणा की मांगों पर पुनर्विचार करने की मांग

*15–श्री लाखी राम जोशी–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि निर्माणाधीन टिहरी बांध के विरोध में चिपको नेता, श्री सुन्दर लाल बहुगुणा द्वारा टिहरी बांध निर्माण पर पुनर्विचार की मांग को लेकर 30 अक्टूबर, 91 से बांध स्थल पर धरना व आन्दोलन चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो उनकी पुनर्विचार की मांग पर सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? बांध स्थल पर धरना आन्दोलन को देखते हुए उनकी मांगों पर पुनर्विचार क्यों नहीं हो रहा है ? क्या यह भी सही है कि पूरा टिहरी बांध क्षेत्र, भूकम्प से प्रभावित है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

बांध स्थल पर श्री बहुगुणा जी द्वारा अक्टूबर, 91 में धरना दिया गया था, परन्तु अप्रैल, 1992 में उन्होंने बांध से धरना उठा लिया था ।

श्री बहुगुणा जी का मुख्य मुद्दा भूकम्प को लेकर बांध की सुरक्षा का था । यद्यपि बांध की सुरक्षा का अध्ययन उनके धरने से पहले भी गठित कई समितियों द्वारा किया जा चुका था और बांध सुरक्षित पाया गया था । भारत सरकार द्वारा भूकम्पीय विशेषज्ञों के साथ इस विषय पर पुनर्विचार किया गया । बांध के परिकल्पन को एक वास्तविक उच्च स्तरीय भूकम्प (गजली भूमि) जिसमें शीर्ष त्वरण का माप 1-36 "जी" था के लिये चेक किया गया और इस पर भी बांध को सुरक्षित पाया गया ।

हिमालय के अन्य क्षेत्रों की भांति पूरा टिहरी बांध भी भूकम्पीय क्षेत्र में है, परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि ऐसे भूकम्पीय क्षेत्र में ऊंचे बांध नहीं बनाये जा सकते । भारत के अतिरिक्त कई अन्य देशों में ऐसे क्षेत्रो में ऊंचे बांध बनाये जा चुके हैं ।

बड़े तथा मझोले उद्योगों को विद्युत आपूर्ति की दर

*16–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बड़े तथा मझोले उद्योगों को विद्युत की सप्लाई किस रेट से की जाती रही है ? क्या अब संशोधन करके उसका रेट पुनः निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो किस हिसाब से कम किया गया है तथा इससे राज्य विद्युत परिषद् को कितने करोड़ रु० का घाटा हुआ है ? क्या सरकार किसानों के ऊपर बढ़ाये हुये विद्युत अधिभार को भी कम करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

दिनांक 18-1-92 को घोषित बड़े एवं मझोले उद्योगों के लिये विद्युत आपूर्ति की दरें निम्नवत् थी :––

रेट आफ चार्ज

(अ) इण्डक्शन फर्नेश/आर्क फर्नेश/रोलिंग तथा रिरोलिंग मिल्स–221 पैसे प्रति यूनिट

(ब) बड़े उद्योगों को 100 अश्व शक्ति से अधिक :

1–बिरल प्रक्रिया :

डिमाण्ड चार्ज-110/-प्रति के० वी० ए०/माह + एनर्जी चार्ज–152 पैसे प्रति यूनिट

2–अबिरल प्रक्रिया :

डिमाण्ड चार्ज-130/-प्रति के० वी० ए०/माह + एनर्जी चार्ज–166 पैसे प्रति यूनिट

(स) मंझोले उद्योगों को 25 अश्व शक्ति से अधिक तथा 100 अश्व शक्ति भार तक ।

1–विरल प्रक्रिया :

फिक्स चार्ज–रु० 40/- प्रति माह प्रति बी० एच० पी० या उसके अंश पर+ एनर्जी चार्ज–160 पैसे प्रति यूनिट

2–अविरल प्रक्रिया :

फिक्स चार्ज–रु० 45/- प्रति माह प्रति बी० एच० पी० या उसके अंश पर+ एनर्जी चार्ज–165 पैसे प्रति यूनिट

(I) समय से भुगतान करने पर 10 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जाती है।

(II) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण अधिसूची से विद्युत आपूर्ति पाने पर 10% की छूट अनुमन्य है।

(III) डी० सी० के लिये 25 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज लिया जाता है।

जी हां।

दिनांक 18-1-92 को घोषित दरें एवं वर्तमान में लागू दरों में परिवर्तन का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है :––

क्र०	विवरण	18-1-92 को घोषित विद्युत दरें	वर्तमान लागू विद्युत दरें (18-5-92 एवं 29-6-92 के पुनरीक्षण के उपरान्त)	प्रतिशत कमी
(अ)	इण्डक्शन फर्नेश/आर्क फर्नेश/ रोलिंग तथा रिरोलिंग मिल्स	221 पैसे/यू०	200 पैसे/यू०	9.0%
(ब)	बड़े उद्योग 100 अश्व शक्ति से अधिक			
	1–विरल प्रक्रिया :			
	डिमाण्ड चार्ज रु० 110		रु० 100	9.1%
	के० वी० ए०/माह +एनर्जी चार्ज 152 पैसे/यूनिट		145 पैसे/यू०	4.6%
	2–अविरल प्रक्रिया:			
	डिमाण्ड चार्ज रु० 130 प्रति		120	7.7%
	के० वी० ए०/माह			
	+ एनर्जी चार्ज 166 पैसे प्रति यूनिट		160 पैसे/यू०	3.6%
(स)	मध्य उद्योग 25 अश्व शक्ति से अधिक परन्तु 100 अश्व शक्ति तक			
	1–विरल प्रक्रिया:			
	डिमाण्ड चार्ज रु० 40		रु० 32	20%
	के० वी० ए०/माह +एनर्जी चार्ज 160 पैसे/यूनिट		145 पैसे/यू०	9.4%

2–अविरल प्रक्रिया:

डिमॉण्ड चार्ज रु० 45 प्रति के० वी० ए०/माह	40	11.1%
+ एनर्जी चार्ज 165 पैसे प्रति यूनिट	150 पैसे/यू०	9.1%

उपरोक्त विद्युत दरों की कमी से लगभग 94.67 करोड़ रुपये के राजस्व में कमी अनुमानित है।

जी नहीं।

दिनांक 18-1-92 से किसानों (निजी नलकूप उपभोक्ताओं) के लिये लागू विद्युत दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी थी, दिनांक 15-2-91 से लागू दरें ही वर्तमान दर है।

प्रदेश सरकार की कृषि नीति की जानकारी

*17–श्री लाल जी वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश सरकार की कृषि नीति क्या है ? क्या इसमें परिवर्तन का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ?

श्री गंगाभक्त सिंह–

कृषि हेतु भूमि की सीमित उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए उन्नतिशील उत्पादन प्राविधिकी एवं संतुलित कृषि निवेशों के प्रयोग द्वारा प्रदेश में विभिन्न फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना, कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना तथा ग्रामीण अंचलों में रोजगार के नये अवसर विकसित करके ग्रामों से शहरों की ओर पलायन रोकना है।

जी नहीं।

देवरिया जनपद में विगत सत्र में पेरे गये गन्ने की मात्रा तथा भुगतान की जानकारी

*18–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ने पेराई सत्र 1991 से जून, 1992 तक देवरिया जनपद की गन्ना मिलों द्वारा कुल कितने गन्ने की पेराई की गयी ? क्या पेरे गये गन्ने के मूल्य का भुगतान किसानों को कर दिया गया ? यदि नहीं, तो किन-किन गन्ना मिलों पर गन्ना काश्तकारों का कितना धन बकाया है ? गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान न करने का क्या कारण है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

पेराई सत्र 1991-92 में जनपद देवरिया में स्थित 14 चीनी मिलों द्वारा जून, 1992 तक 320.92 लाख कुन्टल गन्ने की पेराई की गयी।

जी नहीं, लेकिन लगभग 90 प्रतिशत का भुगतान किया जा चुका है।

दिनांक 15-11-92 की स्थिति के अनुसार देवरिया जनपद की चीनी मिलों पर काश्तकारों के बकाया धन की स्थिति निम्नवत् है :—

नाम चीनी मिल	गन्ना मूल्य का बकाया (लाख रु० में)
1	2
1. रामकोला (पी)	162.26
2. कप्तानगंज	29.00
3. सेवरही	234.73

4.	प्रतापपुर	13.25
5.	छितौनी	69.87
6.	खड्डा	109.64
7.	लक्ष्मीगंज	95.51
8.	रामकोला (के)	98.29
9.	भटनी	76.36
10.	देवरिया	94.59
11.	बैतालपुर	89.82
12.	पडरौना	198.86
13.	कठकुईयां	161.44
14.	गौरीबाजार	162.67
		1596.29

आर्थिक कठिनाईयों के कारण मिलों द्वारा पूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान अभी नहीं हो पाया है ।

अकबरपुर जिला बनाओ संघर्ष समिति की मांगों का विवरण

*19–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत खण्ड टाण्डा से सम्पूर्ण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति दिनांक 16-3-1992 को बाधित रही ? यदि हां, तो कब से कब तक ? इसका कारण क्या है ? क्या यह सही है कि अकबरपुर जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान (जनता कर्फ्यू) के दौरान स्थानीय जनता के दबाव में विद्युत आपूर्ति बाधित रही है ? यदि हां, तो संघर्ष समिति की प्रमुख मांगें क्या-क्या हैं ? क्या सरकार उन मांगों पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

दिनांक 16-3-92 को विद्युत उपखण्ड टाण्डा के सम्पूर्ण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति प्रातः 8.40 बजे से सायं 15.10 तक बाधित रही ।

यन्त्रों के क्षतिग्रस्त होने की आशंका के कारण ।

जी हां ।

संघर्ष समिति की प्रमुख मांग अकबरपुर को जिला बनाने की थी, यद्यपि तत्संबंधी कोई ज्ञापन टांडा उपकेन्द्र पर नहीं दिया गया ।

इस बिन्दु से ऊर्जा विभाग संबंधित नहीं है ।

*20–श्री अखिलेश–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

गन्ना पर्यवेक्षकों को सुपरस्केल दिये जाने तथा शाखा लिपिकों के पदोन्नति का मामला

1—श्री कृष्ण किंकर सिंह तथा श्री शिवपाल सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना पर्यवेक्षकों को सुपरस्केल दिये जाने तक शाखा लिपिकों की पदोन्नति का मामला गन्ना आयुक्त कार्यालय में कब से विचाराधीन है ? क्या सरकार को जानकारी है कि इसी प्रकार गन्ना निरीक्षकों के भी कुछ मामले मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन है ? क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इसके विरुद्ध शक्कर विशेष निधि योजना के वाहनों की देख रेख कार्य सहायक स्थापना अधिकारी से लेकर एक, अत्यन्त कनिष्ठ सहायक श्री शहजाद आलम को दिये जाने तथा श्री गन्फार को सिनेमा आपरेटर से फिल्म लाइबेरियन के पद पर पदोन्नति करने का कार्य अपर आयुक्त प्रशा० द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूरे मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी को दण्डित करने पर विचार करेगी ?

श्री हनुमन्त सिंह—

जहां तक गन्ना पर्यवेक्षकों को सुपरस्केल दिये जाने का प्रश्न है, मामला शासन के विचाराधीन है । लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदोन्नतियों पर मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ ने अपने स्थगन आदेश दिनांक 23-3-92 द्वारा रोक लगा रखी है ।

प्राप्त सूचना के अनुसार गन्ना निरीक्षकों को पदोन्नति/सुपरस्केल दिये जाने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है ।

गन्ना आयुक्त कार्यालय स्तर पर प्रश्नगत सहायकों के कार्य में फेर बदल प्रशासनिक दृष्टिकोण से सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम अमिलिहा थाना मछरेहटा जिला सीतापुर के निवासी श्री छोटकन तथा जगमोहन की विद्युत तार से हुई मृत्यु की क्षतिपूर्ति की मांग

2—श्री राम कृष्ण—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री छोटे गन्नू उम्र 25 वर्ष व श्री जगमोहन उम्र 60 वर्ष की मृत्यु 29-3-92 को ग्राम अमिलिहा, थाना मछरेहटा, जिला सीतापुर में विद्युत लाईन का तार टूटा होने से हो गई है ? यदि हां, तो क्या उनके परिवार को एक-एक लाख रुपये मुआवजा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

ग्राम अमिलिहा थाना मछरेहटा जिला सीतापुर में 29-3-92 को विद्युत लाइन के टूटे तार से श्री छोटकन (छोटे मन्न नहीं) एवं श्री जगमोहन की मृत्यु हुई थी ।

अन्तरिम सहायता के रूप में मृतकों के परिवार को एक-एक हजार रुपया दिया जा चुका है । परिषदीय नियमानुसार घातक विद्युत दुर्घटनाओं के मामलों में अधिकतम रु० 10,000 की अनुग्रह धनराशि दिये जाने का प्राविधान है जिसकी स्वीकृति भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग खण्ड प्रथम, जनपद गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता श्री ओ० एस० चन्दोक द्वारा झूलनीपुर हेड पर मिट्टी पटाई के भुगतान में धांधली

3–श्री जैदान सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई खण्ड प्रथम, गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता, श्री ओ० एस० चन्दोक ने वर्ष 91-92 के दौरान झूलनीपुर हेड पर जो मिट्टी का कार्य कराया है, वह बिल्कुल पास से लायी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि मौके पर उक्त प्लान पर लगभग डेढ़ कि०मी० दूर से मिट्टी लायी गयी दिखायी गयी है तथा 5 लाख रुपये का भुगतान किया गया है, जबकि वास्तविक लागत सवा लाख रुपये तक की होनी चाहिए ? यदि हां, तो क्या इस भ्रष्टाचार की जांच कराकर अनियमितता के लिये उन्हें दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । लगभग 1-2 कि०मी० दूर से मिट्टी लाने का प्रस्ताव बनाया गया है । मिट्टी के कार्यों हेतु रु० 5.00 लाख का भुगतान नहीं किया गया है । भुगतान लगभग 1.85 लाख का किया गया है ।

जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ तथा कस्बा कोपागंज में पावरलूम तथा अन्य उद्योग को विद्युत आपूर्ति न होने के कारण हुई हानि

4–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ शहर तथा इसके पास के कस्बे कोपागंज, जिला मऊ में जनवरी से लेकर 25 जून, सन् 92 में कितने घंटे बिजली की सप्लाई प्रत्येक दिन की गयी है ? क्या यह सही है कि मऊ के पावरलूम तथा दूसरे उद्योग बिजली न मिलने से संकट में हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर मऊ की विद्युत व्यवस्था ठीक करायेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मऊ शहर व उसके पास कोपागंज में जनवरी, 92 से जून, 92 तक औसतन विद्युत आपूर्ति 22 घंटे प्रतिदिन 23/30 घंटे प्रतिदिन रही । विद्युत न मिलने के कारण मऊ के पावरलूम तथा दूसरे उद्योगों पर कोई प्रभाव नहीं रहा क्योंकि विद्युत व्यवस्था ठीक रही ।

मथुरा मण्डी समिति में बनने वाली इकतालिस मार्गों के निर्माण कार्य में परिवर्तन

5–श्री झाऊलाल यादव–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 21-1-91 को निदेशक, मण्डी परिषद् द्वारा स्वीकृत मथुरा मण्डी समिति के अन्तर्गत बनने वाले 41 मार्गों के कार्यों को रोक कर ब्लाक मांट फरह मथुरा एवं मण्डी स्थल मथुरा में नये कार्य कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी पहले से स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने के उपरान्त ही नये स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ कराने का आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं ।

मण्डी परिषद् द्वारा स्वीकृत 41 मार्गों में से वित्तीय संसाधनों तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अभी तक 20 मार्गों पर कार्य प्रारम्भ कराया जा सका है जिसमें से 8 मार्गों पर कार्य जून, 92 तक पूर्ण हो चुका है और 12 मार्गों पर कार्य प्रगति पर है । इसके साथ ही फरह तथा मथुरा ब्लाकों में एक-एक सम्पर्क मार्ग का भी कार्य कराया जा रहा है । मांट ब्लाक में अभी तक कोई सम्पर्क मार्ग का कार्य नहीं कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र औरैया, जनपद इटावा में ककोर से कन्योसी की विद्युत लाइन को ठीक कराने की मांग

6–श्री इन्द्रपाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र औरैया, जनपद इटावा की ककोर से कन्योसी की विद्युत लाइन चालू हालत में है ? यदि नहीं, तो उसे ठीक कराकर चालू करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं ।

जी हां । इस संबंध में प्राक्कलन स्वीकृत हो चुका है । धन एवं सामग्री उपलब्ध होने पर पुनः लाइन का निर्माण हो सकेगा ।

जनपद इटावा में विधान सभा क्षेत्र औरैया के सहवरिया गांव के विद्युतीकरण का मामला

7–श्री इन्द्र पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इटावा के औरैया क्षेत्र के सहवरिया गांव शासन द्वारा विद्युतीकरण के लिये स्वीकृत किया जा चुका है ? यदि हां, तो उक्त गांव कब तक विद्युत युक्त हो जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जनपद इटावा के औरैया क्षेत्र में जनगणना पुस्तिका 1981 के अनुसार सहवरिया नाम का कोई गांव नहीं है ।

वर्ष 1992-93 में जनपदीय सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा सहवदिया नामक ग्राम को विद्युतीकरण हेतु स्वीकृति प्रदान हो चुकी है, जो मार्च, 93 तक विद्युतीकृत हो सकेगा ।

विधान सभा क्षेत्र औरैया, जनपद इटावा के गांव जवाहरपुर में स्थापित राजकीय नलकूप को चालू किये जाने की मांग

8–श्री इन्द्रपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र औरैया, जनप्रद इटावा के अन्तर्गत ग्राम जवाहरपुर, ब्लाक-सहार में एक स्टेट ट्यूबवेल काफी समय से लगाकर तैयार किया जा चुका है ? क्या गांव के ट्यूबवेल विभाग की ढील की वजह से उक्त ट्यूबवेल अभी तक चालू नहीं है ? यदि हां, तो उसे कब तक चालू करायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

नलकूप चालू दशा में है लेकिन कृषकगणों के आपसी विवाद के कारण इसका संचालन बाधित है ।

जिला प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग से नलकूप से कृषकों को सिंचाई सुविधा यथाशीघ्र प्रदान की जायेगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में हुई गड़बड़ी को ठीक करने की मांग

9–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की माह अप्रैल, मई, 92 में हुई अस्त-व्यस्तता व आपूर्ति के लगभग शून्य होने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो सरकार ने विद्युत आपूर्ति ठीक कराने की दिशा में क्या प्रयास किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को 14.00 घंटे प्रतिदिन तीन फैस विद्युत आपूर्ति करने का प्राविधान है। माह अप्रैल व मई, 92 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को निम्न तालिका के अनुसार विद्युत आपूर्ति की गयी थी :—

माह	औसत विद्युत आपूर्ति (घंटे प्रतिदिन)
अप्रैल, 92	12.15
मई, 92	11.45

यह आंकड़े प्रणाली में उपलब्ध सूचना के आधार पर है और इसमें स्थानीय कारणों से होने वाले व्यवधान सम्मिलित नहीं है।

जिस सप्ताह ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युत आपूर्ति कार्यक्रम दिन के समय होता है उस सप्ताह ग्रामीण क्षेत्र को रात्रि के समय बत्ती एवं पंखे के लिये दो फेस विद्युत आपूर्ति भी करने का प्रयास किया जाता है। इस बात का पूरा प्रयास किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों को निर्धारित 14.00 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति होती रहे। परन्तु जब विद्युत की मांग उपलब्धता के सापेक्ष बहुत बढ़ जाती है तब प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों की भी आपातकालीन कटौती करायी जाती है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के सतत् प्रयास से पिछले कुछ मास से विद्युत की उपलब्धता में सुधार हुआ है। माह सितम्बर व अक्टूबर, 92 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को निम्न तालिका के अनुसार विद्युत आपूर्ति की गयी :—

माह	औसत विद्युत आपूर्ति (घंटे प्रतिदिन)
सितम्बर, 92	13.10
अक्टूबर, 92	13.30

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु लगातार प्रयासरत है।

बांदा में निर्माणाधीन कठार पम्प कैनाल में हो रहे विलम्ब की शिकायत

10–श्री गया चरन दिनकर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में विगत 8 वर्षों से निर्माणाधीन कठार पम्प कैनाल की निर्माण प्रगति क्या है ? क्या इसे पूर्ण करा कर शीघ्र संचालित करने का शासन का विचार है ? यदि हां, तो अवशेष कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

निर्माणाधीन कठार पम्प नहर का वर्टीकलवेल, डिलीवरी टैंक व नहर का निर्माण किया गया है।

कठार पम्प नहर योजना की वर्टीकल वेल प्रणाली की उपयुक्तता का तकनीकी परीक्षण एवं पम्प नहर के निर्माण हेतु उपयुक्त तकनीक प्रस्तावित करने के लिये एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही पम्प नहर को पूर्ण कराने तथा संचालित कराने पर विचार किया जायेगा।

विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत विद्युत परिषद में आरक्षित पदों को शीघ्र भरने की मांग

11–श्री गया चरन दिनकर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के आदेश सं०–1212 दिनांक 4-9-89 द्वारा "विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए स्वीकृत पदों को पूर्णतया भर लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त पदों को भरने हेतु उत्तर प्रदेश रा० वि० परिषद् में अनु० जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं पर्याप्त संख्या में से पात्र अभ्यर्थी चयनित किये जायेंगे ? अभी तक परिषदादेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

वर्ष 1989 में की गई गणनानुसार उ० प्र० रा० वि० परिषद् की सेवाओ में परिषद के आदेश संख्या 1212 दिनांक 4-9-89 में दशाये गये अनुसूचित जाति/जन जाति के 604 आरक्षित वैकलाग के कुल पदों के विरुद्ध 430 पदों पर विशेष भर्ती के माध्यम से 4 मई, 1990 तक नियुक्तियां की जा चुकी है।

174 अवशेष रिक्त पदों को भरे जाने हेतु परिषद् द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

परिषद् में नव नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था जिसको शिथिल करने पर विचार किया जा रहा है।

ऊर्जा विभाग में अराजपत्रित पदों में आरक्षण कोटा पूर्ण करने की मांग

12–श्री गया चरन दिनकर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में दैनिक श्रेणी लिपिक, आलेखक एवं प्रालेखक, प्रधान लिपिक, कार्यालयाधीक्षक, परिचालकीय वर्ग, चतुर्थ श्रेणी आदि में अनु० जाति/अनु० जनजाति हेतु आरक्षित पदों को भरा जा चुका है ? यदि नहीं, तो पदवार अवशेष रिक्तियां अभी कितनी हैं ? क्या यह आरक्षित अवशेष रिक्तियां पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

अनुसूचित जाति/जनजाति के सीधी भर्ती के आरक्षित बैकलाग के पदों की वर्ष 1989 में शासनादेशों के अनुपालन में गणना कराने पर दैनिक श्रेणी लिपिक के कुल 182 एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 604 पद आगंणित हुए थे जिनके विरुद्ध विशेष भर्ती के माध्यम से दैनिक श्रेणी लिपिक के 163 पद तथा चतुर्थ श्रेणी के परिचालकीय एवं मिनिस्ट्रीयल के 430 पदों पर भर्ती पूर्ण की जा चुकी है। दैनिक श्रेणी लिपिक के 19 अवशेष पद एवं चतुर्थ श्रेणी के परिचालकीय एवं मिनिस्ट्रीयल वर्ग के 174 अवशेष

पदों को भरने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं। प्रोन्नति से भरे जाने वाले अवशेष पदों की पदवार सूचना निम्नवत हैं:–

1–प्रालेखक एवं आलेखक	44 पद
2–प्रधान लिपिक	26 पद
3–कार्यालय अधीक्षक	5 पद
4–परिचालकीय वर्ग (तृतीय)	114 पद

जी हां।

आरक्षित वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के विकास खण्ड कमासिन के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण की मांग

13–श्री गया चरन दिनकर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड कमासिना के अन्तर्गत 4000 से अधिक आबादी वाले ग्राम लोहरा बुढौली, अणडौली, पाली मुडवारा, अखारी खेड़ा, सिकरी कुरेहा (मऊ) देवरार तथा जाखी इत्यादि ग्रामों का ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकृत किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

विकास खण्ड कमासिन जनपद बांदा के प्रश्नगत ग्रामों में से केवल मऊ, कोड संख्या–91 जिसकी जनसंख्या 4000 से अधिक है दिनांक 31-3-88 को विद्युतीकृत किया जा चुका है। शेष कोडेड ग्रामों का विद्युतीकरण जनपद स्तरीय सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति के द्वारा चयनित होने पर ही सम्भव हो सकेगा। जासी ग्राम वर्ष 1981 की जनगणना पुस्तिका में कोडेड ग्राम नहीं है।

जनपद स्तरीय सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत चयनित होने पर ही विद्युतीकृत हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में तहसील बबेरू मे सिंचाई हेतु जल आपूर्ति की मांग

14–श्री गया चरन दिनकर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में बबेरू तहसील के अन्तर्गत केन नहर को लगभग 10 वर्षों से सिंचाई हेतु पानी न उपलब्ध कराकर नहर की तलहटी पर पेड़ उगाने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त नहर को वन विभाग को सौंप दिया गया है ? क्या जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वनीकरण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सफाई व निर्माण कार्य में अभी तक दिखाई गयी व्यय धनराशि से विभागीय आय वृद्धि योजना के अन्तर्गत वृक्ष तैयार किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या उक्त नहर की सफाई करके क्षमता भर पानी उपलब्ध कराने का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो सुधार एवं तकनीकी जांच सहित हजारों कृषकों के हित में कब तक पानी उपलब्ध होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, केन नहर प्रणाली को जल उपलब्ध कराया जा रहा है । औगासी पम्प नहर प्रणाली पर जल की उपलब्धता कम है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

पम्पों के पूर्ण क्षमता से चलने पर नहरों को पूर्ण क्षमता से चलाया जाना सम्भव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के शारदा सहायक खण्ड 23 के तरवा रजबहा में किसानों की ली गई भूमि का मुआवजा देने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

15–श्री सुखदेव –

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक खण्ड–23 से तरवा राजबहा में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गयी है, क्या उन किसानों को मुआवजा अब तक दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि दिया जायेगा, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने पर कृषकों को प्रतिकर का भुगतान कर दिया जायेगा ।

16–श्री सुखदेव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड–23 से तरवा राजबहा जनपद आजमगढ़ में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई, क्या उनके मुआवजे के भुगतान के बारे में दिनांक 13 मार्च, 1992 को प्रश्नकर्ता का एक पत्र, जिसकी सूचना उनके कार्यालय से दिनांक 17 मार्च, 1992 को पत्रांक सं०–1158/वी०आई०पी०/आई०एम० 92 द्वारा प्रश्नकर्ता को दी गई ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि रक्षा विभाग बस्ती में कार्यरत कृषि रक्षा सहायक के एक ही स्थान पर निर्धारित समय से अधिक समय तक तैनाती की शिकायत

17–श्री श्रीराम चौहान–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि कृषि रक्षा विभाग, बस्ती में कार्यरत वरिष्ठ कृषि रक्षा सहायक पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं , यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी को गोरखपुर मण्डल से अन्यत्र स्थानान्तरित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं ।

जनपद बस्ती में 2 वरिष्ठ कृषि रक्षा सहायक सर्वश्री के० पी० पाण्डेय एवं श्री एस० के० सिंह 5 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत थे । श्री पाण्डेय को आदेश दिनांक 30-6-92 द्वारा एवं श्री सिंह को आदेश दिनांक 7-7-92 द्वारा स्थानान्तरित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम किशोर गुप्ता अधिशासी अभियन्ता अनुसंधान एवं नियोजन (जल संस्थान) खण्ड लखनऊ द्वारा अवैधानिक यात्रा भत्ता लेने की शिकायत

18–श्री लाल जी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि श्री राम किशोर गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड लखनऊ द्वारा अपने ''चिकित्सा अवकाश'' के दौरान यात्रायें करने का यात्रा भत्ता बीजक बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता श्री वाई० आई० खान द्वारा उसे पारित किया गया है ? यदि हां, तो इस प्रकरण में अनियमित भुगतान किस स्तर से हुआ है ? क्या इसकी जांच सिंचाई विभाग के मुख्य लेखाधिकारी के माध्यम से कराकर दोष निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, श्री राम किशोर गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, आवेदित चिकित्सा अवधि दिनांक 5-12-87 से 12-2-88 जिसमें वे शारदा सहायक खण्ड–41, रायबरेली में अवकाश पर रहे तथा इसी अवधि में जब अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड, लखनऊ के अधिशासी अभियन्ता का कार्य देख रहे थे, द्वारा की गई सरकारी यात्राओं का यात्रा भत्ता बीजक बनाया है । आवेदित अवकाश श्री गुप्ता को स्वीकृत नहीं किया गया है । उक्त अवधि अवैतनिक अवकाश के रूप में स्वीकृत की गयी है ।

श्री गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता के माह 12/87, 1/88 एवं 2/88 (दिनांक 12-2-88) के यात्रा भत्ता बीजक क्रमशः रुपये 63.85, रु० 233.45, रु० 68.90=कुल रु० 368.20 श्री वाई० आई० खान, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा पारित किये गये है ।

चूंकि यात्रायें राजकीय कार्यहित में की गयी हैं और आवेदित अवकाश स्वीकृत नहीं हुआ है । अतः अनियमित अवकाश का प्रश्न नहीं है ।

जी नहीं ।

भुगतान नियमानुसार किये जाने के फलस्वरूप जांच कराने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री राम सेवक वरिष्ठ लिपिक शारदा नहर खण्ड लखनऊ के विरुद्ध लम्बित जांच के मामले

19–श्री लाल जी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1983 से 11-9-91 तक श्री रामसेवक, वरिष्ठ लिपिक, लखनऊ खण्ड, शारदा नहर, लखनऊ के लम्बित जांच प्रकरण की विधिक दृष्टि से जांचोपरान्त विधि अधिकारी, सिंचाई विभाग द्वारा क्या यह सत्य पाया गया था कि ज्ञापांक–2112–सप्तम/आर–123(एल-3) दिनांक 30-8-83 अनियमित था एवं इसके आधार पर की गयी समस्त कार्यवाहियां अवैध थीं ? यदि हां, तो क्या उक्तांकित अवधि का समस्त अवशेष वेतन व भत्ते देने के लिये विभाग को उत्तरदायी ठहराया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण पर विधिक परामर्शानुसार उक्त लिपिक की पदस्थापना भी कर दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त लिपिक को उक्त अवधि के वेतन-भत्ते अवशेष कब तक भुगतान किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

विधि अधिकारी द्वारा 4/92 में दी गयी राय के अनुसार मामले का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोंपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर के घोटाले से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं की जांच

20–श्री लाल जी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ड्रेनेज खण्ड, सिद्धार्थनगर के घोटालों पर दो अधिशासी अभियन्ताओं (श्री कन्हैया राम व श्री नरसिंह) की विभागीय कमेटी व स्वयं मुख्य अभियन्ता- गण्डक (श्री सैफुद्दुजा) द्वारा जांच की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त जांच के परिणामों के आधार पर दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध दण्डादेशपारित करने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त जांच के परिणामों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

शारदा सहायक प्रणाली के अन्तर्गत हैदरगढ़ ब्रांच बाराबंकी के संयुक्त डिस्चार्ज का मामला

21–श्री लाल जी वर्मा तथा श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) संगठन के अन्तर्गत नहरों पर सभी निर्धारित स्थलों पर अभियन्ताओं द्वारा नियमानुसार संयुक्त डिस्चार्ज लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या नहर प्रणालियों में पिछली फसलों में प्राप्त हुए पानी का उपयोग फसलों की सींच में पूर्णरूप से कृषकों द्वारा किया गया है ? क्या शारदा सहायक प्रणाली के अन्तर्गत हैदरगढ़ ब्रांच में संयुक्त डिस्चार्ज में ऊपर और नीचे की ओर पानी में भिन्नता पायी गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिह–

जी हां, अधिकांशतः

जी हां, अधिकांशतः

कुछ अवसरों पर भिन्नता पाई गई।

सहकारी चीनी मिल सेमी खेड़ा बरेली के प्रधान प्रबन्धक श्री के० सी० चतुर्वेदी के विरुद्ध हो रही जांच के संबंध में जानकारी

22–श्री अनिल कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल सेमी खेड़ा बरेली के प्रधान प्रबन्धक श्री के० सी० चतुर्वेदी द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार एवं अतियमिततायें बरतने सम्बन्धी अध्यक्ष मजदूर ट्रेड यूनियन के शिकायती पत्र संख्या–2358/ मु०मु०स०/92 में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इनकी सतर्कता विभाग से जांच कराई गयी ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या श्री के० सी० चतुर्वेदी के विरुद्ध वर्तमान समय में और भी किसी विभाग से जांच की जा रही है ? क्या यह जांच आख्या भी सदन के पटल पर रखी जायेगी ? क्या इनके विरुद्ध वर्ष 1991 में

भिन्न-भिन्न प्रकार की अनेकों शिकायतें शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उन शिकायतों के क्या परिणाम रहें ? क्या जांच में दोषी पाये जाने के कारण इन्हें सेवामुक्त किया जायेगा ? सम्पूर्ण राशि की वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

प्रश्नकर्ता के उक्त पत्र की तलाश की जा रही तदोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

मुंसिफ न्यायालय की स्थापना हेतु मानक तथा नये मुसिंफ न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव

23–श्री राम खिलाड़ी–

क्या न्याय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नये मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना हेतु मानक क्या हैं ? उक्त के अनुसार प्रदेश में किन-किन स्थानों पर नये मुन्सिफ न्यायालयें की स्थापना का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री गिरीश नारायण पाण्डेय)–

नये मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना हेतु यह देखना है कि संबंधित क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में दीवानी/फौजदारी वादों की प्रचुर संख्या रही हो, वहां न्यायालय कक्ष, आवासिक भवन, हवालात, सबजेल, मालखाना, बारसंघ, लाइब्रेरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता व जिला जेल के बन्दियों को लाने ले जाने की सुविधा हो प्रस्तावित स्थान से जिला मुख्यालय रेल अथवा मोटर मार्ग से सम्बद्ध हो। वहां काफी आबादी हो एवं स्कूल, कालेज व अस्पताल आदि की सुविधा सहित न्यायालय की गरिमा के उपयुक्त वातावरण हो । वहां परगनाधिकारी तथा उपपुलिस अधीक्षक आदि स्थायीरूप से निवास करते हों । यह भी आवश्यक है कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अनुकूल संस्तुति हो ।

उक्त के अनुसार संलग्नक में उल्लिखित प्रदेश के सम्प्रति 43 जनपदों की 64 तहसीलों पर मुन्सिफ न्यायालयों की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ-283-284 पर)

जनपद गाजीपुर में बहरियाबाद में विद्युत उपकेन्द्र बनाने का प्रस्ताव

24–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1992-93 में जनपद गाजीपुर में बहरियाबाद (विकास खण्ड-सादात) में 33/11 के० वी० का विद्युत उपकेन्द्र बनवाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब से शुरू किया जायेगा ? उक्त विद्युत केन्द्र को कब तक चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

वर्ष 1992-93 के कार्य-विवरण में बहरियाबाद (विकास खण्ड-सादात) जनपद गाजीपुर में 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का प्राविधान नहीं है । अतः वर्ष 1992-93 में इस उपकेन्द्र के निर्माण का प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि भवन के गबन अनुभाग में आठ वर्ष से अधिक समय तक कर्मचारी का कार्यरत होना

25–श्री लल्लन प्रसाद त्रिपाठी–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगें कि सामान्य ढंग से एक पटल पर किसी कर्मचारी की कार्य अवधि 3 से पांच वर्ष है ? यदि हां, तो क्या कृषि भवन के गबन अनुभाग में कोई अराजपत्रित कर्मचारी पिछले 8 वर्षों से अधिक समय से वहां कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी को निदेशालय से दूर पद स्थापित करने का आदेश प्रसारित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दि किसान सहकारी चीनी मिल घोसी जनपद मऊ के पूर्व प्रधान प्रबंधक द्वारा किये गये घपले की जांच

26–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद में "दि किसान सहकारी चीनी मिल" घोसी को स्थापित औद्योगिक मानकों के आधार पर चलाया गया था ? यदि हां, तो उक्त फैक्ट्री में कुल कितना घाटा चल रहा है तथा घाटा होने का कारण क्या हैं ? क्या यह सत्य है कि पूर्व प्रधान प्रबन्धक श्री हलवन्त सिंह द्वारा चीनी मिल में कई लाख रुपयों का घोटाला किया गया है, जिसको वर्तमान प्रधान प्रबंधक द्वारा प्रकाश में लाया गया है ? यदि हां, तो पूर्व प्रधान प्रबंधक के विरुद्ध कौन सी जांच हुई एवं जांचोपरान्त कितने रुपये का घोटाला प्रकाश में आया ? उनके विरुद्ध सरकार ने कौन सी कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं ।

चीनी मिल के प्रथम पेराई सत्र 1984-85 से पेराई सत्र 1990-91 तक मिल समिति को कुल रु० 1318.20 लाख का घाटा हुआ है । प्रारम्भिक वर्षों में पेराई हेतु पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध न होने के कारण पूरी पेराई क्षमता का उपयोग न होना, चीनी का परता कम रहना तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा परियोना हेतु प्रदत्त दीर्घ कालीन ऋण का समय से भुगतान न होने के कारण ब्याज का अतिरिक्त व्यय भार भी घाटे का मुख्य कारण रहा ।

जी हां ।

सहकारी चीनी मिल संघ स्तर से जांच कराई गयी है प्रकरण अन्तिम निर्णय हेतु विचाराधीन है ।

सिंचाई विभाग में विभिन्न स्तर के अभियन्ताओं द्वारा लिपिकीय कार्य कराये जाने की शिकायत

27–श्री समीउल्ला–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में कितने अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियंन्ता, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिं वि० में समबद्ध होकर लिपिकीय प्रकृति के कार्य निष्पादित कर रहे हैं ? इनके अधिष्ठान पर प्रतिमाह कितना व्यय हो रहा है ? प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय लखनऊ में कितने अनुभाग गैर-तकनीकी प्रकृति के हैं तथा इनके अभिमुख (विरुद्ध) कितने अधिशासी/अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी वहां पद स्थापित हैं ? यदि गैर तकनीकी प्रकृति वाले अनुभागों का कार्य लिपिक संवर्गीय वैयक्तिक सहायकों से लिया जाय तो प्रतिमाह अधिष्ठान-व्यय क्या होगा तथा वर्तमान में प्रतिमाह कितना व्यय हो रहा है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग में 14 अवर अभियन्ता, 2 सहायक अभियन्ता एवं 40 अधिशासी अभियन्ताओं को अधिष्ठान, अनुश्रवण, जांच एवं अन्य कार्यों हेतु सम्बद्ध किया गया है जिनके द्वारा किये जाने वाले कार्य लिपिकों से नहीं लिया जा सकता ।

इनके अधिष्ठान पर लगभग रु० 3,70,000 प्रतिमाह व्यय हो रहा है ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में 3 अनुभाग गैर तकनीकी प्रकृति के हैं जिनके अभिमुख कोई अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता पद स्थापित नहीं है ।

गैर तकनीकी प्रकृति वाले अनुभागों का कार्य लिपिक संवर्गीय वैयक्तिक सहायकों द्वारा ही किया जा रहा है ।

अतः व्यय भार के प्रश्न की सार्थकता नहीं है ।

सिंचाई विभाग जनपद लखनऊ के प्रमुख अभियन्ता कार्यालय एवं अन्य क्षेत्रीय कार्यालय में खण्डीय/मण्डलीय अधिष्ठान के लिपिकों के वापसी का मामला

28–श्री समीउल्ला–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिं० वि०, लखनऊ एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालयों में खण्डीय/मण्डलीय अधिष्ठान के कितने लिपिक कार्यरत हैं ? इन्हें इनके मूल कार्यालयों में वापस किए जाने विषयक अभियन्ता के आदेशों का अनुपालन अब तक किन-किन अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है ? उपरोक्त कार्यरत लिपिकों के पदों का सांतत्व प्रस्ताव शासन को भेजते समय विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा उक्त लिपिकों के पदों का प्रयोग किस कार्यालय में होना दर्शाया जाता रहा है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग, लखनऊ एवम् क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालयों में खण्डीय/मण्डलीय अधिष्ठान के 49 लिपिक कार्यरत हैं ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय संवर्ग में स्वीकृत पदों/कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण एवम् कार्य में हो रहे अवरोध के निराकरण हेतु पूर्णतः कार्यहित में ही खण्डीय/मण्डलीय लिपिकों को प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग, लखनऊ अवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालयों में अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत रखा गया है ।

सांतत्व प्रस्ताव शासन को भेजते समय विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा उक्त लिपिकों के पदों का प्रयोग उनके मूल कार्यालय में होना दर्शाया जाता है ।

श्री प्रह्लाद पाठक निवासी ग्राम-गोहिलाव पो० बरवां बाजार तहसील भदोही जिला वाराणसी से फर्जी विद्युत शुल्क वसूले जाने की शिकायत

29—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत कनेक्शन कंवेंड संख्या के 1/20 तथा कनेक्शन नं० 153 पी० आर० बी०/ममछ गांव गोहिलाव पो० बरवां बाजार तहसील भदोही जिला-वाराणसी प्रहलाद पाठक के नाम था ? क्या यह सही है कि बोरिंग फेल हो जाने से इन्होंने परमानेन्ट डिस्मेंटल चार्ज जमा करके डिस्मेंटल करा दिया है और इन्हें डिस्मेंटल की रसीद 12-12-86 से 3-4-92 तक का सहायक अभियन्ता विद्युत भदोही वाराणसी ने दे दी है ? यदि हां, तो इनके ऊपर पुनः दस हजार रु० का बकाया क्यों वसूला जा रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रहलाद के प्रार्थना पत्र तथा रु० जमा की पांच रसीदें एवं परमानेन्ट डिस्मेंटल ई० डी० डी० भदोही का दिया हुआ पत्र प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ उन्हें ता० 27-6-92 को दिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी हां ।

श्री प्रहलाद के पत्र दिनांक 26-12-90 के अनुसार उपभोक्ता की लाइन का स्थाई विच्छेदन कर दिया गया है तथा 12-12-86 से 3-4-92 तक कोई विद्युत का प्रयोग न होने के कारण उपभोक्ता का स्थाई विच्छेदन एकाउन्ट फाइनल कर दिया गया है जिसके अनुसार कुल 2906.95 उपभोक्ता के विरुद्ध बकाया निकलते है ।

27-6-92 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग के किसी लिपिक द्वारा ज्येष्ठता के संबंध में मा० उच्च न्यायालय में दायर की गयी याचिका

30—श्री दलवीर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग के एक कनिष्ठ लिपिक द्वारा मा० लोक सेवा अधिकरण—4 लखनऊ में प्रचलित याचिका संख्या—166/एफ/4/90, अब तक केवल इसलिए अस्तित्व में है कि विभाग द्वारा वरिष्ठता निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 13-10-87 का अनुपालन नहीं किया गया ? यदि हां, तो उक्त शासनादेशों का अनुपालन अब तक न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

रिट याचिका संख्या—5172/92 में मा० उच्च न्यायालय नें ज्येष्ठता उ० प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के अनुसार तैयार करने के आदेश पारित किये हैं । अतः ज्येष्ठता निर्धारण की कार्यवाही उक्त नियमावली के अनुसार की जा रही है ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग में अनुसचिवीय कर्मचारियों के ज्येष्ठता निर्धारण का मामला

31—श्री लाज कृष्ण गांधी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के अनुसचिवीय कर्मचारियों की जयेष्ठता निर्धारण से सम्बन्धित ऐसे कितने मामले हैं, जिनमें कर्मचारियों को विभाग द्वारा

शासनादेशों/नियमों का अनुपालन न किये जाने के कारण लोक सेवा अधिकरण/माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ा है ? क्या ऐसे कोई जयेष्ठता निर्धारण के प्रकरण भी लम्बित हैं, जिनमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों/निर्णय के उपरान्त भी जयेष्ठता निर्धारण शासनादेशों के अनुसार नहीं किया गया ? यदि हां, तो उक्त निर्देशों का अनुपालन कब तक कर लिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कर्मचारियों के ज्येष्ठता सम्बन्धी 6 वाद विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं ।

रिट याचिका संख्या–5172/92 में दिनांक 4-8-92 को मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुपालन में ज्येष्ठता निर्धारण की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है ।

सिंचाई विभाग में शासनादेश के अनुपालन हेतु लिपिकों द्वारा भूख हड़ताल

32–श्री हरि शंकर माहौर तथा श्री लाज कृष्ण गांधी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के ज्ञाप संख्या–5975/ई०-4 दिनांक 19-8-87 तथा ज्ञाप संख्या–5976/ई०-4 दिनांक 19-8-87 द्वारा विनियमित किये गये कुल 11 कनिष्ठ लिपिकों को शासनादेश संख्या–2521/87-23-सिं-7 दिनांक 13-10-87 के अनुसार ज्येष्ठता प्रदान करने के लिये तथा केवल उक्त शासनादेश का अनुपालन कराने के लिये सिंचाई विभाग के कनिष्ठ लिपिकों द्वारा कोई भूख हड़ताल की गई थी ? यदि हां, तो विभाग को उक्त शासनादेश का अनुपालन करने में क्या कठिनाई है ? क्या यह सही है कि यदि उक्त शासनादेश दिनांक 13-10-87 का अनुपालन कर लिया जाय तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण का वाद संख्या–166/एफ-4/90 भी समाप्त हो जायेगा ? यदि हां, तो उक्त शासनादेश का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है ? क्या शासनादेश का उल्लंघन के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही भी की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठता निर्धारण के प्रकरण में दायर वाद संख्या–5172/92 में यह आदेश दिये हैं कि वह ज्येष्ठता कार्मिक विभाग द्वारा प्रख्यापित उ० प्र० सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 के अनुसार निर्धारित की जाय । तद्नुसार मामले में कार्यवाही की जा रही है ।

अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश अभियंत्रण सेवा (सिंचाई विभाग) समूह 'क' में पदोन्नति हेतु बनी ज्येष्ठता सूची का अनुपालन

33–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश अभियन्त्रण सेवा की (सिंचाई विभाग) समूह "क" (नियमावली, 1990) के अनुसार पदोन्नति हेतु ज्येष्ठता सूची तैयार की गयी है ? क्या उसके अनुसार पदोन्नति की जा रही है ? यदि हां, तो ज्येष्ठता सूची अब तक क्यों नहीं जारी की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ, उक्त नियमावली तथा समय-समय में मा० न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों के अनुसार ज्येष्ठता सूची तैयार कर तदनुसार पदोन्नतियां की जा रही हैं । चूंकि अभी भी माननीय न्यायालय में ज्येष्ठता विवादित है, अतः अभी इसे जारी नहीं किया है ।

34–श्री बची सिंह रावत–

[मंत्री परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

श्री विवेक कुमार शर्मा पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा अधिशासी अभियन्ता अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड लखनऊ के विरुद्ध दायर याचिका

35–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के पहले बुधवार के अता० प्र० सं०–25 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि श्री विवेक कुमार शर्मा पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी–146/6, चरसमण्डी, लखनऊ कार्यालय प्रमुख अभियन्ता अभियन्ता सिंचाई विभाग के कार्यालय के अधिष्ठान-2 के अनुभाग में अधिशासी अभियन्ता अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड लखनऊ के विरुद्ध दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी टंकक के रूप में दिनांक 21-5-1988 से 15-1-1991 तक निरन्तर कार्यालय दिवसों में कार्य करते आ रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि इस पूरे कार्यकाल में शासनादेश संख्या 4107/86-23-सिं-7-95(6)/84, दिनांक 5 दिसम्बर, 1986 के अनुसार दो बार 240 दिन की कार्यावधि पूर्ण कर चुके हैं ? यदि हां, तो प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के पत्रांक–1413-क०प्र०अ०प्र०/पी-20, दिनांक 30 अप्रैल,1987 तथा ऊपर वर्णित शासनादेश के अनुपालन में इनकी नियुक्ति नियमित न किये जाने का क्या कारण हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

श्री विवेक कुमार शर्मा पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में अधिशासी अभियन्ता अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, लखनऊ के द्वारा रखा गया था । श्री विवेक कुमार शर्मा ने अपनी नियुक्ति के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में एक रिट याचिका दायर की है ।

चूंकि मामला न्यायालय में विवादित है अतः अन्तिम निर्णय तक कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

36–श्री सतीश भाटिया–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

राज्य चीनी निगम की हरदोई इकाई द्वारा खरीदे जा रहे गन्ना क्रय केन्द्रों तथा क्रय के दरों का विवरण

37–श्री समीउल्ला–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई फैक्ट्री द्वारा किन-किन क्रय केन्द्रों पर गन्ना खरीद की जा रही है तथा गन्ना खरीद किस दर पर की जा रही है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की इकाई हरदोई द्वारा पेराई सत्र 1991-92 में सुरक्षण आदेश के अन्तर्गत ऐगवा, आभी, टांडरपुर, बेहटागोकुल, बरबटापुर, बघैली, बालामऊ, अटवा, माधोगंज, मल्लावा, पुसेड़ा, शुक्लापुर, अटरा, भम्मापुरवा, धतनखेड़ा, नगवा, उधरनपुर, तेरिया, परेली, स्पापुर, पंडरवा, पिहानी, थाना, बेलहरी, मलीहामऊ, टडियांवा, जजवासी, कस्तूरी मन्दिर, अमही, शहादतनगर, नारीखेड़ा, अनंगपुर, असगरपुर, बूढ़नपुर, भरावन एवं महुराकला गन्ना क्रय केन्द्रों पर गन्ना खरीद की गयी ।

पेराई सत्र 1991-92 में शासन द्वारा निर्धारित दर बाह्य क्रय-केन्द्रों पर सामान्य जाति 42 रु० प्रति कुन्टल तथा शीघ्र पकने वाली जातियां 45 रु० प्रति कुन्टल की दर से खरीद की गयी तथा गेट पर सामान्य जाति 45 रु० एवं शीघ्र पकने वाली जातियां 48 रु० प्रति कुन्टल की दर से खरीद की गयी।

मल्लावां, जनपद हरदोई में सहकारी क्षेत्र में शुगर फैक्ट्री खोले जाने का मामला

38—श्री समीउल्ला—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मल्लावां में सहकारी क्षेत्र में शुगर फैक्ट्री खोले जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन था ? यदि हां, तो क्या उस पर निर्णय लिया गया ? यदि नहीं, तो क्या इस तथ्य की जानकारी करके इस प्रकरण पर निर्णय लिया जायेगा ?

श्री हनुमन्त सिंह—

जी हां।

सर्वेक्षण के समय पाया गया कि प्रस्तावित सहकारी चीनी मिल मल्लावां के लिये आवश्यकतानुसार पेराई हेतु वांछित मात्रा में गन्ना उपलब्ध न होने की स्थिति में चीनी मिल स्थापना का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

पंचम उपखण्ड सिंचाई खण्ड 3 लखनऊ को विघटित किये जाने की मांग

39—श्री समीउल्ला—

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नदी के हार्डिग पुल के ऊपर की ओर दाहिने किनारों पर स्थित बांध के आंशिक निर्माण को बाएं किनारे के बांध के रख-रखाव का कार्य एक ही उपखण्ड में चलाने से क्या कठिनाई है ? क्या बायें बंधे का निर्माण पूरा हो जाने अर्थात् 1988 के बाद से पंचम उपखण्ड, जो इसी कार्य हेतु मई/जून, 1983 में सिंचाई खण्ड–3 के पुनर्नामांकन के समय लखनऊ खण्ड, शारदा नहर, लखनऊ के अधीन हस्तान्तरित किया गया था, विघटित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

एक उपखण्ड से कार्यों का निष्पादन व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता।

जी नहीं।

बायें बन्धे का निर्माण अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

लक्ष्मी शुगर मिल हरदोई के अधिग्रहण से पूर्व के किसानों का बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान की मांग

40—श्री समीउल्ला—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि चीनी निगम द्वारा अधिग्रहण के पूर्व का किसानों का जो गन्ना मूल्य लक्ष्मी शुगर फैक्ट्री हरदोई पर बाकी था उसका भुगतान कराये जाने के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तथा अधिग्रहण की शर्तों के मुताबिक इस मूल्य का भुगतान किसके द्वारा किया जाना है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई, हरदोई के ऊपर अधिग्रहण के पूर्व वर्षों का कृषकों का गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने के लिये उ० प्र० चीनी उपक्रम अर्जन अधिनियम, 1971 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है । अधिग्रहण के पूर्व वर्षों के गन्ना मूल्य का भुगतान उक्त अधिनियम के अन्तर्गत चीनी मिल को मुआवजे के रूप में मिलने वाली धनराशि से उनके द्वारा किया जायेगा ।

सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियन्ता एवं अन्य समकक्ष अधिकारियों को वाहन सुविधा की नीति

41–श्री समीउल्ला–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि किस नियम के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ताओं को निवास से कार्यालय आने जाने हेतु सरकारी वाहन के प्रयोग का प्राविधान सरकारी व्यय पर दिया गया है ? यदि प्राविधान नहीं है तो प्रमुख अभियन्ता व अन्य प्रमुख अभियन्ता मुख्य अभियन्तागण किस नियम के अन्तर्गत सरकारी वाहन का उपयोग उक्त कार्य हेतु करते हैं एवं इससे सरकार को कितनी आर्थिक क्षति हो रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शासनादेश संख्या–451टी/30-4-जे०बी०/77 दिनांक 24-10-88 में दिये गये आदेशानुसार विभागाध्यक्षों एवं संयुक्त सचिव स्तर तक के उन सभी अधिकारियों जिनको सरकारी गाड़ी उपलब्ध है, घर से कार्यालय व कार्यालय से घर आने-जाने के लिये की गयी यात्रा को ड्यूटी यात्रा माना जायेगा । प्रमुख अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता संयुक्त सचिव स्तर से उच्च स्तर के अधिकारी हैं । अतः सरकारी गाड़ी से इन यात्राओं हेतु अधिकृत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री धर्मपाल, सहायक अभियन्ता चतुर्थ, सिंचाई विभाग, रायबरेली के विरुद्ध चल रही जांच की जानकारी

42–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के सातवें बुधवार के अता० प्रश्न संख्या–18 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री धर्मपाल गर्ग, सहायक अभियन्ता-चतुर्थ, रायबरेली के विरुद्ध जांच किस तिथि व वर्ष से आरम्भ की गयी ? क्या जांच लम्बे दिनों तक लम्बित रहने से उसके साक्ष्य पर असर पड़ता है ? यदि हां, तो तत्काल जांच समाप्त करने के आदेश कब दिये गये ? श्री गर्ग के विरुद्ध उपलब्ध अभिलेख के अनुसार इससे पूर्व कितनी जांचें और की जा चुकी हैं तथा कितनी शिकायतें मिली हैं ? निष्पक्ष एवं सत्य जांच के लिये कितना समय प्रर्याप्त होता है एवं कितना समय गर्ग की जांच के लिये लगाया गया ? लम्बी अवधि के लिए दोषी कौन है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अधीक्षण अभियन्ता, षोडशम् मण्डल, सिंचाई कार्य, प्रतापगढ़ द्वारा श्री धर्मपाल गर्ग, सहायक अभियन्ता, चतुर्थ के विरुद्ध जांच 5 अप्रैल, 1992 से प्रारम्भ की गई ।

जी नहीं ।

मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) को जांच शीघ्र कराने के आदेश जनवरी 1992 में दिये गये ।

उपलब्ध सूचनानुसार–दो

जांच करने के लिये सामान्यतया 6 सप्ताह का समय लगता है । श्री गर्ग के प्रस्तर–1 मे उल्लिखित जांच में 40 दिन का समय लगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कैम्पवेल रोड नियर एक्जान मान्टेसरी स्कूल, लखनऊ क्षेत्र के बारह उपभोक्तओं को विद्युत कनेक्शन न मिलने की शिकायत

43–श्री राम ललित चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि कैम्पवेल रोड नियर एक्जान मान्टेसरी स्कूल, लखनऊ में 7 (सात) खम्भों की लाइन लगाकर बिजली कनेक्शन देने हेतु वहां के 12 उपभोक्ताओं द्वारा ऐशबाग पावर स्टेशन लखनऊ द्वारा बनाया गया इस्टीमेट जो रु० 32,334 का था, को सभी उपभोक्तओं द्वारा मार्च, 1992 तक इस मद में जमा करने के बावजूद आज तक उक्त क्षेत्र में विद्युत लाइन न बिछाये जाने का क्या कारण है ? शासन द्वारा संबंधित लाइन न बिछाये जाने के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त लाइन कब तक बिछा कर सभी उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

उक्त क्षेत्र में 12 उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन देने हेतु विद्युत लाइन बिछा दी गयी एवं सभी 12 उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन दिया जा चुका है ।

कार्य के प्रति उदासीनता एवं शिथिलता हेतु संबंधित अवर अभियन्ता श्री आर० एस० बग्गा की चरित्र पंजिका में निन्दा प्रविष्टि कर दी गयी है तथा सभी उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करा दी गयी हैं।

राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ओबरा तापीय परियोजना सोनभद्र के साइलो ऐश सिस्टम के चार प्लान्ट के खरीद में घपला

44–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ओबरा तापीय परियोजना, सोनभद्र के सायलों ऐश सिस्टम के चार प्लान्ट किस कम्पनी द्वारा कब बनवाये गये ? उक्त प्लान्ट कब से कार्य नहीं कर रहे हैं ? इन प्लान्टों पर लगने वाली लागत क्या थी तथा कम्पनी को कितना रूपया भुगतान कब-कब किया गया ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

ओबरा तापीय परियोजना के अन्तर्गत ऐश हैन्डलिंगप्लान्ट के साथ केवल दो साइलो मे० इन्डोर प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली द्वारा बनाये गये हैं । पहले साइलों का कार्य सन् 1988 में तथा दूसरे साइलों का कार्य सन् 1991 में पूर्ण हो चुका है ।

प्रथम साइलों जो सन् 88 में पूर्ण हुआ था पूर्णरूप से कार्यरत है । दूसरे साइलो का कार्य पूर्ण हो चुका है । तथा परिचालन में लाने से पूर्व परीक्षण का कार्य हो रहा है ।

साइलो प्लान्ट पर लगने वाली लागत रु० 49.398 लाख है ।

इस कार्य के लिये उक्त कम्पनी को भुगतान निम्न प्रकार किया गया है :–

भुगतान की अवधि	राशि (लाख रु० में)
6/76	1.757
9/76–11/76	1.270
9/76–12/76	5.454
9/76–6/82	5.000
1/77	2.440
3/77–11/77	7.930
6/77	0.340
7/77–9/77	3.500
11/77	0.400
8/77–4/78	12.870
6/81–11/81	4.760
6/81–6/82	1:200
1/88	0.282
6/91	1.606
2/92	0.589
	49.398

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के टाण्डा तापीय विद्युत परियोजना, फैजाबाद में कन्डेंसर को ठंडा करने हेतु बनायी गयी जलापूर्ति प्रणाली

45–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत टाण्डा तापीय परियोजना, फैजाबाद में कन्डेंसर को ठंडा करने हेतु बनायी गयी जलापूर्ति प्रणाली में रेडियल कलेक्टर, कूपों, तालाब, कुलिंग टावर, पम्प हाउस की चैनेल एवं डक्ट की अलग-अलग लागत क्या थी ? क्या जलापूर्ति प्रणाली को अन्तिम रूप देने के पूर्व घाघरा नदी से सीधे पानी लेने की व्यवस्था पर कोई अध्ययन किया गया था ? यदि हां, तो क्या किये गये अध्ययन की रपट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में पूर्व विधायक मथुरा पाण्डेय, नौगढ़, बस्ती ने वर्ष 1980 में कोई सुझाव दिया था ? यदि हां, तो वह सुझाव क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

टाण्डा तापीय परियोजना, फैजाबाद में कन्डेंसर को ठण्डा करने हेतु जलापूर्ति प्रणाली के अन्तर्गत रेडियल कलेक्टर कूपों, तालाब, कूलिंग टावर, पम्प हाउस की चैनल एवं डक्ट का निर्माण किया गया है। जलापूर्ति प्रणाली जलापूर्ति प्रणाली के निर्माण की अनुमानित लागत निम्नवत है :—

1–(अ) रेडियल कलेक्टर

कूप संख्या–1 की लागत रु० 93,74,410.37

(ब) रेडियल कलेक्टर

कूप संख्या–2 की लागत रु० 1,19,14,787.53

(स) रेडियल कलेक्टर

कूप संख्या–3 की लागत रु० 20,42,528.94

वर्तमान में रेडियल कलेक्टर कूप संख्या–3 का निर्माण कार्य बीच में रोक दिया गया है। इस पर अभी तक कुल 20,42,528.94 व्यय हुआ है।

2–तालाब (जलाशय) की लागत, रु० 3,82,53,157.79

3–कूलिंग टावर की लागत, रु० 3,85,24,571.47

4–पम्प हाउस व चैनल की लागत, रु० 1,64,86,132.03

5–डक्ट की लागत रु० 3,69,74,066.08

जलापूर्ति प्रणाली को अन्तिम रूप देने के पूर्व प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शीतल जल के लिये दो स्रोतों पर विचार किया गया था।

1–दरियाबाद लिंक चैनल से पानी लेने की व्यवस्था।

2–टाण्डा नहर प्रणाली के महरीपुर पम्पिंग स्टेशन से पानी लेने की व्यवस्था।

उस समय सिंचाई विभाग, उ० प्र० ने दोनों स्रोतों से वांछित मात्रा में जल की आपूर्ति करने हेतु कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिया था। जब परियोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ तब यह पाया गया कि दरियाबाद लिंक चैनल की दूरी अधिक होने के कारण वहां से जल की आपूर्ति व्यवस्था करना व्यवहारिक नहीं है। जल के द्वितीय स्रोत टाण्डा नहर प्रणाली के महरीपुर पम्पिंग स्टेशन से जल लेने में नदी धारा के मुड़ने की प्रकृति के कारण संदिग्ध हो गया था क्योंकि नदी की धारा मुड़ने के फलस्वरूप महरीपुर पम्पिंग स्टेशन अक्टूबर, 1980 से दिसम्बर, 1981 तक बन्द रहा था। नदी के मुड़ने की प्रकृति के कारण घाघरा नदी से सीधे जल लेने की व्यवस्था का अध्ययन उस समय नहीं किया गया था।

इस संबंध में पूर्व विधायक श्री मथुरा पाण्डेय, नौगढ़, बस्ती द्वारा वर्ष 1980 में दिये गये किसी सुझाव की जानकारी उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार नहीं है।

कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर, जिला नैनीताल की छात्रा कुमारी अनुभा गुप्ता की हत्याकाण्ड का मामला

46–श्री स्वामी नाथ यादव तथा श्री वीरेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि अगस्त, 1986 में पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर, जिला नैनीताल एम० एस-सी० के अन्तिम वर्ष की छात्रा कुमारी अनुभा गुप्ता हत्याकांण्ड की जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दि० 31-7-90 जनहित में सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं ।

इस प्रकरण में थाना लालकुआं, जनपद नैनीताल में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई जा चुकी है। अतः अब यह प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया की परिधि के अन्तर्गत विवेचनाधीन है ।

जनपद मऊ की तहसील घोसी के ग्राम बकोल्ही मुबारकपुर के देव नारायण की भैसों की विद्युत तार से हुई मृत्यु एवं क्षतिपूर्ति की मांग

47–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के अन्तर्गत तहसील-घोसी के ग्राम–अकोल्ही मुबारकपुर के श्री देवनारायण पुत्र श्री रामदास की दो भैसें दिनांक 14-8-90 को 12 बजे दिन में बिजली के तार गिरने से मर गयीं ? क्या इसके लिये आर्थिक सहायता हेतु प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र संख्या 41903 दिनांक शून्य द्वारा अपर जिलाधिकारी, मऊ को सूचना दी थी ? क्या सूचना देने के बाद अब तक पीड़ित किसान को कोई आर्थिक सहायता दी गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या इसे अब आर्थिक सहायता दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

श्री देव नारायण को उनकी दो भैसों की घातक विद्युत दुर्घटना के फलस्वरूप रुपये 2000 की अनुग्रह राशि का भुगतान चेक संख्या–978284 दिनांक 18-11-92 द्वारा कर दिया गया है ।

जनपद मऊ के सिकड़ी कोला माइनर के निर्माण एवं अन्य विवरण की जानकारी

48–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मऊ के दोहरीघाट पम्प कैनाल के अन्तर्गत निर्माणाधीन सिकड़ीकोल माइनर की लम्बाई कुल कितने कि०मी० है ? क्या उक्त माइनर के निर्माण हेतु किसानों से जमीन ली जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या किसानों को जमीन का मुआवजा दिया जा चुका है ? क्या यह सही है कि ग्राम भठिया से ग्राम अम्मा भेलउर होते हुए गजियापुर तक के किसानों को मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है ? क्या यह सही है कि तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा ग्राम सिकड़ीकोल से ग्राम गजियापुर तक प्रस्तावित माइनर का निर्माण न कराने का आदेश दिया गया

था ? क्या सरकार जनहित में शेष बची हुई जमीनों को किसानों को वापस करके वहां सिंचाई हेतु सरकारी नलकूप लगाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिकड़ीकोल माइनर की कुल लम्बाई 16.8 कि०मी० प्रस्तावित है ।

जी हां ।

सिकड़ी कोल माइनर को 16.8 कि०मी० के बाद बनाने की योजना को निरस्त कर दिया गया है तथा विभाग ने सम्बन्धित भूमि नहीं ली है ।

जी हां ।

विभाग ने नहर की 16.8 कि०मी० से आगे की भूमि नहीं ली है । अतः वापस करने का प्रश्न नही उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शारदा सहायक खण्ड 41 रायबरेली के सहायक अभियन्ता श्री धर्मपाल गर्ग के चिकित्सा अवकाश का मामला

49–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड-41 रायबरेली के अन्तर्गत श्री धर्मपाल गर्ग, सहायक अभियन्ता चतुर्थ ने माह दिसम्बर, 1991 के प्रथम सप्ताह में चिकित्सा अवकाश के लिये लखनऊ से तार दिया था ? क्या 6 दिसम्बर को खण्डीय कार्यालय से स्वयं वेतन प्राप्त किया था और 21-12-91 से 24-12-91 तक टी० ए० सी० की चैकिंग के समय न तो स्वयं उपस्थित रहे न ही कोई रिकार्ड ही प्रस्तुत किया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या श्री गर्ग के चिकित्सा अवकाश प्रार्थना-पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी का मेडिकल सर्टिफिक्रेट और फिटनेस सर्टिफिक्रेट लगा है ? यदि नहीं, तो क्या बगैर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सर्टिफिकेट के ही चिकित्सा अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी का सर्टिफिक्रेट लगा है, तो कहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । श्री धर्मपाल गर्ग, सहायक अभियंता चतुर्थ के तार जो अधिशासी अभियंता को प्राप्त हुआ है, के द्वारा दिनांक 5-12-1991 को लखनऊ से चिकित्सीय आधार पर एक सप्ताह के अवकाश की मांग की गई थी ?

जी हां ।

जी हां ।

श्री धर्मपाल गर्ग, सहायक अभियंता के अस्वीकृत अवकाश पर रहने तथा उपस्थित न होने एवं अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण ही टी०ए०सी० की जांच नहीं की जा सकी ।

जी नहीं ।

अवकाश स्वीकृत नहीं है । चिकित्सा आधार पर उपार्जित अवकाश की मांग की गई है, जिस पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंताओं द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका के भाग छः के प्रस्तर चार सौ उन्तालिस का पालन न करने की शिकायत

50–श्री लालजी वर्मा तथा श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंताओं द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग–6 के प्रस्तर–439 में निहित कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या श्री मूलचन्द्र गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, गण्डक नहर निर्माण मण्डल, गोरखपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 1989-90 तथा 90-91 में अपने अधीनस्थ ड्रेनेज खण्ड, सिद्धार्थनगर के कार्यों में उपरोक्तानुसार कर्तव्यों का निर्वहन किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त खण्ड में सम्पन्न हुए कार्यों की मापों में कोई घटा-बढ़ी या गड़बड़ी पायी गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । श्री मूलचन्द्र गुप्ता, सिंचाई अधीक्षण अभियंता सिंचाई निर्माण मण्डल गोरखपुर द्वारा वर्ष 89-90 तथा 90-91 में ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर के कार्यों में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-439 में निहित कर्तव्यों का निर्वहन सामान्यतः किया गया है । सहायक अभियन्ताओं तथा अधिशासी अभियन्ता की चेकिंग में कुछ कमी रह गयी है तथा कार्यों की मापी में घटा बढ़ी व अनियमिततायें प्रकाश में आयी हैं ।

उत्तर प्रदेश कृषि सेवा संघ का शासन को भेजा गया प्रत्यावेदन

51–श्री सुरेश प्रताप गांधी तथा श्री दलवीर सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० कृषि सेवा संघ ने एक प्रत्यावेदन दिनांक 2-1-92 द्वारा उनसे कृषि सेवा श्रेणी-I में अनुभाग "डी" के अधिकारियों की संख्या स्वीकृत पदों से अधिक होने के कारण उनके हटाने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो इस अनुभाग "डी" के ज्यादा अधिकारियों को हटाकर इनके स्थान पर अनुभागवार स्वीकृत पदों पर उस अनुभाग के अधिकारियों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

उ० प्र० कृषि सेवा संघ का प्रत्यावेदन दिनांक 2-1-92 प्राप्त होना नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नरेन्द्र देव कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में विभागाध्यक्ष का कार्य कनिष्ठ प्रोफेसर को देने की आपत्ति

52–श्री किशोरी लाल यादव–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शासन के कृषि अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–1849/12-8-89-480(241) दिनांक 24-6-89 जो अधिनियम परिनियम/88 के धारा-36 के अधीन है, का पालन नरेन्द्र देव कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो अधिसूचना दिनांक 24-6-89 तथा परिनियम के चेप्टर–9 के सेक्शन 17(7) के विपरीत विभागाध्यक्ष का दायित्व एसोसियेट प्रोफेसर से वहन क्यों कराया जा रहा है जबकि प्रोफेसर स्तर

का विभागाध्यक्ष होना चाहिए ? क्या सरकार अधिसूचना तथा परिनियम के चेप्टर-9 के सेक्शन 17(7) का उल्लंघन करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गन्नापूर्ति में सरकार की गलत नीति से प्रदेश के किसानों को हो रही हानि

53–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि सरकार की गलत नीति के कारण इस वर्ष प्रदेश के अधिकांश गन्ना किसानों का गन्ना चीनी मिलों तक न पहुंच कर खेतों में ही सूख गया और प्रदेश के किसानों को अपने गन्ना उत्पाद को खपाने हेतु अन्य वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे उन्हें अत्यधिक घाटा उठाना पड़ा ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे किसानों को मुआवजा देने पर विचार करेगी एवं निकट भविष्य में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी जिससे किसानों को अपना गन्ना, मिलों तक ले जाने में कोई असुविधा न हो एवं वे बिचौलियों/अधिकारियों/कर्मचारियों के शोषण से बच सकें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई खण्ड, उन्नाव के मौरावां ब्रांच हिलौली माइनर पर बनी पुलियों के मरम्मत की मांग

54–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई खण्ड, उन्नाव द्वारा मौरावां ब्रांच से ग्राम दुंदपुर के सामने स्थित पुल से निकली हुई हिलौली माइनर या रजबहा पर स्थित कितनी पुलियों की रिपेयरिंग वर्ष 1991-92 में करायी गयी है ? रिपेयर हुई कितनी पुलियां वर्ष 1992 के जून माह में ही गिर गयी हैं? क्या सरकार इन रिपेयर हुई पुलियों के पुनः गिर जाने के कारणों की जांच टी० ए० सी० से करवायेगी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस विषय पर प्रश्नकर्ता द्वारा उनसे उन्नाव में मिलकर दिये गये पत्र दिनांक 29-6-92की जांच किस अधिकारी ने की तथा उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मौरावां रजबहा से निकले हुए हिलौली रजबहा की 12 अदद पुलियों की मरम्मत वर्ष 1991-92 में कराई गयी थी ।

मरम्मत कराई गई कोई पुलिया वर्ष 1992 के जून माह में नहीं गिरी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 29-6-92 में इंगित कार्यों की जांच श्री एन० सी० महेश्वरी, अधि० अभि०, उन्नाव खण्ड, शारदा नहर, उन्नाव ने की तथा किया गया कार्य संतोषजनक पाया गया ।

विद्युत दरों में वृद्धि के बावजूद विद्युत आपूर्ति व्यवस्था ठीक न होने की शिकायत

55–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत दरों में की गयी भारी वृद्धि से प्राप्त कुल आय का प्रयोग शासन द्वारा विद्युत आपूर्ति व्यवस्था ठीक करने में किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि अब भी पूरे राज्य की विद्युत आपूर्ति अस्त-व्यस्त होने के कारण क्या हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

विद्युत दरों के कारण प्राप्त कुल राजस्व आय का प्रयोग मुख्यतः कोयला व तेल के भुगतान, रेलवे भाड़ा, एन० टी० पी० सी० से आयातित विद्युत का भुगतान तथा विद्युत परिषद् का अधिष्ठान व्यय आदि में किया जाता है । विद्युत आपूर्ति व्यवस्था ठीक करने के कार्य का प्राविधान कैपिटल वार्षिक योजनागत कार्यों के अन्तर्गत किया जाता है जिसके लिये अलग से धन प्राप्त होता है ।

प्रदेश में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होने के मुख्य कारणों में प्रदेश की विद्युत मांग एवं उपलब्धता में अन्तर होना तथा पारेषण एवं वितरण प्रणाली का ओवर-लोडेड होना है ।

जनपद मिर्जापुर के विगत वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये चयनित गांवों में विद्युतीकरण की मांग

56–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मिर्जापुर जनपद के विकास खण्ड नरायनपुर के ग्राम–रजौली एवं जगरनाथपुर, जमालपुर ब्लाक के ग्राम खाजगीपुर एवं करजी राजगढ़ के ग्राम सदिया, सेमरा बरहो एवं धनसिरिया को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ऊर्जीकरण हेतु पिछले वित्तीय वर्ष में चयनित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्रामों को ऊर्जीकृत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मिर्जापुर जनपद के विकास खण्ड नरायनपुर के ग्राम रजौली, विकास खण्ड जमालपुर के ग्राम खाजगीपुर एवं करजी तथा विकास खण्ड राजगढ़ के ग्राम सदिया को वर्ष 1991-92 में विद्युतीकरण हेतु सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा चयनित किया गया था । जबकि विकास खण्ड नरायनपुर के ग्राम जगरनाथपुर तथा राजगढ़ विकास खण्ड के ग्राम सेमरा बरही और धनसिरिया को चयनित नहीं किया गया था ।

शासन/परिषद् द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य संशोधित होने के कारण उक्त चयनित ग्रामों में विद्युतीकरण हेतु सामान भण्डार से उपलब्ध नहीं हो पाया । अतः इनका विद्युतीकरण वर्ष 91-92 में पूरा नहीं किया जा सका, वर्ष 92-93 में उनका पुनः जनपदीय सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा चयन कर लिया गया है और विद्युतीकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

आर्थिक अभाव के कारण विद्युतीकरण से छूटे गांवों में पुनः विद्युतीकरण की योजना की जानकारी

57–श्री इन्द्र पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत विभाग द्वारा जो गांव आर्थिक अभाव में पूर्ण विद्युत युक्त नहीं किया जाता है उसे विद्युतीकरण कराये जाने की अगले वित्तीय वर्ष में कोई योजना बनायी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं ।

आंशिक रूप से विद्युतीकृत ग्रामों को जिनमें केवल खम्भे आदि खड़े किये गये हैं उनका कार्य दूसरे वित्तीय वर्ष में तब किया जा सकता है जबकि उनका चयन, चयन समिति द्वारा पुनः किया जाय । चयन समिति से ऐसे ग्रामों को प्राथमिकता के आधार पर चयन करने का अनुरोध किया गया है ।

विगत दो वित्तीय वर्षों में विधान सभा क्षेत्र औरैय्या, जनपद इटावा में ग्रामीण विद्युतीकृत गांवों का विवरण

58–श्री इन्द्र पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1990-91 तथा 91-92 में विधान सभा क्षेत्र औरैया, जनपद इटावा में कितने गांवों को विद्युतीकृत किया गया है ? क्या उन सब गांवों के विद्युत तारों में विद्युत प्रवाहित हो रही है ? यदि नहीं, तो सभी छूटे ग्रामों में कब तक विद्युत प्रवाह का कार्य पूर्ण हो जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

औरैया विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 1990-91 में 7 एवं 1991-92 में 4 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 में विधान सभा क्षेत्र औरैया, जनपद इटावा में विद्युतीकृत ग्रामों की सूची :–

1990-91	1991-92
1–सेगनपुर	1–रोशंगपुर
2–मधू पुर	2–चौकी
3–नवादा महीपत शाह	3–सबलपुर
4–पन्हर	4–मधवापुर
5–चिल्हुलिया	
6–रोशंगपुर	
7–चौकी	

विधान सभा क्षेत्र औरैया, जनपद इटावा के कतिपय गांवों का विद्युतीकरण

59–श्री इन्द्र पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औरैया विधान सभा क्षेत्र, जनपद इटावा के ककोर से कन्चौसी तक विद्युत लाइन, जिससे चमरौआ, जमौली कन्चौसी गांव, दोही आदि गांव का विद्युतीकरण किया गया है, कार्यरत है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त गांवों को, जो विद्युत युक्त हैं शीघ्र बिजली देने का आदेश करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

कार्यरत नहीं है ।

इस संबंध में आदेश पारित हो चुके हैं एवं प्राक्कलन स्वीकृत हो चुका है । धन एवं सामग्री उपलब्ध होने पर पुनः लाइन का निर्माण हो सकेगा ।

जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र औरैया के खानपुर औरैया के गांव में लगे ट्रांसफार्मर को ठीक कराने की मांग

60–श्री इन्द्र पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि इटावा जिले के औरैया विधान सभा क्षेत्र में खानपुर औरैया गांव में ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण करीब 3 माह से अंधेरा पड़ा है ? यदि हां, तो क्या वहां नये ट्रांसफार्मर दिलवाकर गांव रोशनीयुक्त करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मंडी समिति पहाड़िया, जनपद वाराणसी में कतिपय दुकानों के काफी पहले निर्माण हो जाने के बाद किराये का आवंटन न होने से हो रही सरकारी हानि

61–श्री ऊदल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी समिति पहाड़िया, वाराणसी में सी० 70, सी० 89, सी० 93, सी० 79, सी० 44, सी० 18, सी० 95, सी० 29, सी० 28 व बी० 40 दुकानों का निर्माण किस वर्ष में कराया गया है ? क्या यह सही है कि इनका तब से लेकर मार्च, 92 तक किसी को किराये पर एलाटमेंट नहीं किया गया ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? क्या उक्त दुकानों पर अवैध कब्जे देकर धन की वसूली की गयी है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

दुकान सं०–सी० 44, सी० 18, सी० 29, सी० 28 व बी-40 का निर्माण वर्ष 81-82 में कराया गया था तथा दुकान सं० सी० 70, सी० 89, सी० 93, सी० 79 व सी० 95 का निर्माण वर्ष 1984-85 में कराया गया था ।

वर्ष 1981-82 में निर्मित दुकानों का आवंटन माह जुलाई, 1982 में तथा वर्ष 1984-85 में निर्मित दुकानों का आवंटन माह जून, 1985 में किया गया था । पूर्व आवंटी द्वारा कार्य न करने के कारण आवंटन निरस्त करके कुछ दुकानें जून, 91 एवं जुलाई, 91 में दूसरे व्यक्तियों को पुनः आवंटित की गयीं ।

आवश्यकता नहीं ।

ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया ।

कतिपय जिलों के चयनित गांवों में शीघ्र विद्युतीकरण की मांग

62–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत चयनित गांवों में वर्ष 1989-90, 90-91, 91-92, 92-93 के अन्तर्गत सीतापुर जनपद के महमूदाबाद के खाफा, कहारपुर, ईशरयारा, समदा, बजेहरा कोठिला, धरमपुर अपसरिया, गोण्डा देवरिया शेषपुर का विद्युतीकरण वर्ष 1992-93 तक प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया है ? क्या इसी जनपद के अन्य क्षेत्रों में अधिशासी अभियन्ता सीतापुर द्वारा भेदभाव करके विद्युतीकरण किया जा चुका है ? क्या उक्त चयनित गांवों का विद्युतीकरण यथाशीघ्र किया जायेगा ? क्या उक्त कार्य में ढ़िलाई बरतने वाले कर्मी भी दण्डित किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

वर्ष 1989-90, 90-91, 91-92 के अन्तर्गत सीतापुर जनपद के महमूदाबाद क्षेत्र के ग्राम खाफा, कहारपुर, ईशरवार अपसरिया, गोंडा, देवरिया, शेखपुर को विद्युतीकरण हेतु चयनित किया गया था परन्तु लक्ष्य कम हो जाने के कारण तथा पर्याप्त सामग्री समय से उपलब्ध न होने के कारण इन ग्रामों का

विद्युतीकरण करना सम्भव नहीं हो पाया था । नियमानुसार उपरोक्त ग्रामों का पुनः चयन करने के उपरान्त ही कार्य करना सम्भव होगा । वर्ष 1992-93 में ईश रवार, समदा, धरमपुर, मजेहरा, कोठिला, देशी लौकिया ग्रामों का चयन किया गया है । इन ग्रामो के विद्युतीकरण कार्य करने हेतु भी उचित कार्यवाही वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगी ।

ग्रामों का विद्युतीकरण, चयन समिति द्वारा बताये गये ग्रामों अथवा माननीय सदस्यों द्वारा बताये गये ग्रामों हेतु विशेष आज्ञा प्राप्त होने पर ही किया जाता है । अतः अधिशासी अभियन्ता द्वारा भेदभाव करके विद्युतीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता । उपरोक्त के शेष ग्रामों का विद्युतीकरण जिनका वर्ष 1992-93 में चयन नहीं किया गया है, पुनः चयन करने पर ही विद्युतीकरण सम्भव होगा । अस्तु किसी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं बनता है ।

दि किसान सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर के फर्जी उद्घाटन की शिकायत

63–श्री अनिल कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद, सीतापुर का चालू सत्र में फर्जी उद्घाटन जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा 10 नवम्बर, 1991 को किया गया ? क्या मिल में पेराई कार्य 19 नवम्बर से किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? इसी क्रम में क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि फर्जी उद्घाटन के कारण मिल समिति को 10 दिनों का भुगतान सीजनल कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से देना पड़ा है ? क्या इसके दोषी लोगों से धन की वसूली की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

दि किसान सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद, सीतापुर का धार्मिक रीति के अनुसार मिल के मुहूर्त से संबंधित पूजापाठ जिलाधिकारी/प्रशासक की उपस्थिति में दि० 10-11-91 को किया गया ।

जी नहीं ।

सामयिक कर्मचारियों ने मिल समिति में दि० 13-11-91 से 15-11-91 तक कार्यभार ग्रहण किया और मिल से संबंधित कार्य किया जिसके लिये उन्हें नियमानुसार भुगतान किया गया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

दि किसान सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर में गन्ना विकास परिषद् द्वारा बनायी गयी सड़कों का विवरण

64–श्री अनिल कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर खीरी के परिक्षेत्र में वर्ष 1990-91 में किन-किन सड़कों का निर्माण एवं पुनः निर्माण अथवा मरम्मत का कार्य गन्ना विकास परिषद् द्वारा सम्पन्न कराया गया ? शासन द्वारा सड़कवार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई ? अब तक सड़कवार कितनी-कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ? क्या यह सत्य है कि वर्ष 1991-92 में प्राथमिकता हेतु निर्धारित सड़कों पर अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो उसे कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री हनुमन्त सिंह–

दि किसान सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर में वर्ष 1990-91 में 3.70 कि०मी० पेन्टेड/सोलिंग का निर्माण कार्य गन्ना विकास परिषद द्वारा कराया गया था । सड़कों के पुनः निर्माण/मरम्मत का कोई भी कार्य नहीं कराया गया था ।

शासन द्वारा अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत एक मुश्त धनराशि गन्ना आयुक्त को उपलब्ध करायी जाती है । सड़कवार व्यय की गई धनराशि का विवरण संलग्न है ।

वर्ष 1991-92 के लिये चयनित नौ सड़कों में से 6 पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है । शेष तीन सड़कों का निर्माण कार्य लाभान्वित संस्थाओं का अंशदान प्राप्त होने के पश्चात् प्रारम्भ कराया जा सकेगा ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 285 पर)

सिंचाई विभाग के अधिकारी के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

65–श्री अनिल कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 23-3-92 को जो कि भ्रष्टाचार एवं विभागीय कर्मचारियों के उत्पीड़न जैसी शिकायतों का था, मंत्री जी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या शिकायती बिन्दु सही पाये गये और भ्रष्ट अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच करायी गयी । जांच आख्या प्राप्त हो गयी है । जांच आख्या का परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बाराबंकी में विगत वर्ष में नहरों को गहरा करने व सफाई आदि के कार्यों का विवरण

66–श्री छोटे लाल यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में वर्ष 1991-92 हेतु नहरों की सिल्ट सफाई किस नहर में कितनी गहरी तथा कितनी दूरी तक की गयी थी ? क्या उपखण्ड बाराबंकी में सफाई पर प्रखण्ड शारदा नहर, रजबाहा भटेहरा महौलिया तथा माइनर पिण्ड रफीनगर किर्जापुर में गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो इसका जिम्मेदार कौन है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1991-92 में जनपद बाराबंकी में जिन नहरों पर सिल्ट सफाई का कार्य किया गया है, उनकी लम्बाई तथा सिल्ट की गहराई का विवरण मा० राज्य मंत्री जी सिंचाई के कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध है ।

प्राप्त जानकारी के आधार पर वर्ष 1991-92 में प्रश्नगत अल्पिकाओं के सिंचित क्षेत्र में क्षति नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

टाण्डा तापीय परियोजना जनपद फैजाबाद के निर्माण हेतु परियोजना प्राक्कलन में घाघरा नदी पुल का निर्माण एवं पम्प हाउस बनाने का मामला

67–श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत टाण्डा तापीय परियोजना फैजाबाद में कन्डेसर को ठन्डा करने हेतु जलापूर्ति प्रणाली के लिये घाघरा नदी पर पुल बनाने एवं उस पर पम्प हाउस बनाने की प्रारम्भिक तथा आवर्ति लागत क्या आती है ? वर्तमान प्रणाली की प्राथमिक एवं प्रतिवर्ष आवर्ति लागत क्या है ? परिषद् को पुल बनाकर पम्प हाउस से सीधे पानी न लेने के कारण आज तक कितनी आर्थिक क्षति पहुंची है ? इस आर्थिक क्षति के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना के निर्माण हेतु परियोजना प्राक्कलन में घाघरा नदी पर पुल का निर्माण एवं उस पर पम्प हाउस बनाने का कोई प्राविधान नहीं किया गया था, अतः प्रारम्भिक तथा आवर्ती लागत आंकने का प्रश्न नहीं उठता । परियोजना में कन्डेसर को ठन्डा करने हेतु जलापूर्ति प्रणाली महरीपुर पम्प कैनाल सिंचाई विभाग से शीतल जल हेतु 15 क्यूसेक पानी वर्तमान में लिया जा रहा है। उ० प्र० सिंचाई विभाग से परियोजना हेतु कुल 45 क्यूसेक शीतल जल की आपूर्ति होनी है जिसके लिये अभी तक सिंचाई विभाग ने कोई प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किया है । अतएव अनुमानित लागत राशि सूचित करना सम्भव नहीं है । परियोजना प्राक्कलन रिपोर्ट में पुल बनाकर पम्प हाउस से सीधे पानी लेने का कोई प्राविधान नहीं था । अतएव किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराने उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इटावा में तहसील औरैया के ग्राम भंडारीपुर एवं गाजीपुर की विद्युत लाइन को पुनः चालू करने की मांग

68–श्री इन्द्र पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औरैया से भंडारीपुर (जनपद इटावा) गाजीपुर की विद्युत लाइनें इस समय कटी हुई हैं जिससे इस गांव को विद्युत नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो भंडारीपुर व गाजीपुर को बिजली पहुंचाने की व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जनपद इटावा, तहसील औरैया के ग्राम भंडारीपुर एवं गाजीपुर की विद्युत लाइनों में पुनः तार डालकर दिनांक 23-6-92 को चालू कर दिया गया है ।

जनपद देवरिया में सिंचाई हेतु नलकूप लगाने की योजना

69–श्री स्वामीनाथ यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में वर्ष 1992-93 में सिंचाई हेतु राज्य सरकार द्वारा कितने नलकूप लगाने की योजना है ? उक्त जनपद में प्रत्येक तहसील में कितनी भूमि सिंचाई से वंचित है तथा अभी कितने राजकीय नलकूपों की आवश्यकता है ? क्या राजकीय नलकूपों को लगाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद देवरिया में वर्ष 1992-93 में कुल 5 अदद नलकूप जनपद योजना के अन्तर्गत लगाने की योजना है ।

राजकीय नलकूप, नहर तथा निजी साधनों द्वारा सिंचाई होती है । अतः जनपद स्तर पर विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त ही सिंचाई से वंचित भूमि का क्षेत्रफल दिया जाना सम्भव है । इसके उपरान्त ही असिंचित भूमि हेतु राजकीय नलकूपों की आवश्यकता आंकी जा सकती है ।

सामान्यतया जनपद योजना के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों का निर्माण कराया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शारदा सहायक खण्ड-41 रायबरेली में मापपुस्तिका 169 (एस) के गायब होने की शिकायत

70–श्री तेज भान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 92 के सातवें बुधवार के अता० प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार को जानकारी है कि अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता को शारदा सहायक खण्ड-41 रायबरेली की माप पुस्तिका 169 (एस) के गायब होने की कोई सूचना नहीं थी ? क्या यह भी सत्य है कि माप पुस्तिका इस समय संबंधित उपखण्ड में नहीं है । जांच किस आधार पर प्रारम्भ करायी गयी तथा कब ? जांच में अन्तिम निर्णय कब हुआ ? क्या जांच में विलम्ब हेतु उपरोक्त संदर्भित अधिकारी दोषी है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जांच कार्यवाही अप्रैल, 1992 में प्रारम्भ की गई ।

जांच प्रगति में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

71–श्री लीला राम शर्मा–

[दिनांक 28-10-92 को अता० प्र० सं० 93 द्वारा उत्तरित]

लोवर माल रोड पर शान्ती सखन नामक स्थान पर ट्रान्सफार्मर लगाने की मांग

72–श्री लीला राम शर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल में लोवर माल रोड स्थित शान्ती सखन के पास से एक ट्रांसफार्मर से कितने लोगों द्वारा 1991-92 में अवैध रूप से विद्युत कनेक्शन लिये गये थे ? क्या यह भी बतायेंगे कि इसमें से कितने लोग पकड़े गये ? उनमें से सरकारी कर्मचारी कितने थे तथा किस विभाग में किस पद पर कार्यरत हैं ? उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

नैनीताल में लोवर माल रोड पर शान्ती सखन नाम का कोई स्थान नहीं है तथा इस स्थान पर कोई ट्रान्सफार्मर भी नहीं लगा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी मण्डल में पौधशाला वार पौधों के उत्पादन की गणना का अभिलेखों में वर्णित विवरण में भिन्नता पाये जाने की शिकायत

73—श्री भागवत पाल—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 91-92 में वाराणसी मंडल में पौधशालावार पौधों का उत्पादन लेजर व अनुश्रवण रिपोर्ट के अनुसार क्या था ? क्या लेजर व अनुश्रवण रिपोर्ट में भिन्नता है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या इस मामले की जांच कराई गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल—

वर्ष 1991-92 में वाराणसी मण्डल में कुल पौधों का उत्पादन लेजर के अनुसार 3,43,124 एवं अनुश्रवण रिपोर्ट के आधार पर 3,62,861 है । पौधशालावार विवरण संलग्न है ।

जी हां ।

लेजर में केवल बिक्री योग्य पौधों का अंकन किया जाता है जबकि अनुश्रवण रिपोर्ट में समस्त बोये गये पौधों का अंकन किया जाता है । इसी के कारण लेजर व अनुश्रवण रिपोर्ट में अंकित पौधों की संख्या में भिन्नता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 286 पर)

74—श्री विजय सिंह राणा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अधिशासी अभियन्ता देवकली पम्प कैनाल गाजीपुर के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा सिंचाई मंत्री को दिये गये शिकायती पत्र पर कार्यवाही

75—श्री ज्वाला प्रसाद यादव—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र अधिशासी अभियन्ता देवकली पम्प कैनाल गाजीपुर के संबंध में उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसे मंत्री जी के कार्यालय के पत्रांक 393 वी० आई० पी० दिनांक 20-5-92 प्रमुख सचिव को जांच हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो पत्र के सभी बिन्दुओं पर किससे जांच कराई गयी और उसका विवरण क्या है ? जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां ।

उल्लिखित शिकायती-पत्र के सभी बिन्दुओं की जांच अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मण्डल, वाराणसी द्वारा की गयी है तथा उनकी जांच आख्या के अनुसार लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं पाये गये हैं परन्तु मामले की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये उक्त आख्या का गहन परीक्षण कर आख्या/संस्तुतियां उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख अभियन्ता (जांच) सिंचाई विभाग, उ० प्र० लखनऊ को आदेशित कर दिया गया है ।

पूर्व विधायक श्री मदन गोविन्द राव पर उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम यूनिट लक्ष्मीगंज जिला देवरिया के गेट पर हुए हमले की शिकायत

76—श्री अखिलेश—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एक अप्रैल उन्नीस सौ इक्कानवे को तत्कालीन विधायक श्री मदन गोविन्द राव पर हुए हमले में नामजद अभियुक्तों को मुकदमा लड़ने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम यूनिट लक्ष्मीगंज (देवरिया) द्वारा सवेतन अवकाश एवं आर्थिक सहायता दी जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा सरकार की किस नीति एवं निर्देश के अन्तर्गत हो रहा है ? क्या उक्त प्रकरण में सरकार उक्त यूनिट के संबंधित दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री हनुमन्त सिंह—

लक्ष्मीगंज इकाई में दिनांक 1-4-91को हुई घटना के सम्बन्ध में द्विपक्षीय कायम किये गये मुकदमें के संबंध में संबंधित निगम कर्मचारियों को डियूटी के दौरान में हुई घटना के संबंध में कायम हुये वाद में पैरवी हेतु निगम की ओर से नियमानुसार सहायता दी जा रही है ।

दोषी पाये जाने की स्थिति में इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

सिंचाई विभाग के कार्यों की अधिकारियों द्वारा भौतिक चेकिंग हेतु निर्धारित नियम

77—श्री श्रीराम चौहान—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग के कार्यों की अधिकारियों द्वारा भौतिक चेकिंग हेतु कोई नियम निर्धारित है ? यदि हां, तो वह नियम क्या हैं ?इस वर्ष फर्जी कार्यों के भुगतान हेतु क्या कतिपय अधिकारियों को दण्ड दिया गया है ? क्या यह दण्ड समस्त चेकिंग अधिकारियों को दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां ।

संबंधित नियंत्रक अधिकारियों का निर्धारित मानक अनुसार कार्य सुनिश्चित करवाने का दायित्व है। आई०एम०ओ० के पैरा 231 के अनुसार कार्यों की भौतिक चेकिंग हेतु निम्नलिखित प्राविधान भी है :—

1—सहायक अभियन्ता —10 प्रतिशत

2—अधिशासी अभियन्ता—1 प्रतिशत

कार्यों में पाई गई अनियमितताओं पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करके इस वर्ष दोषी पाये गये अधिकारियों को दण्डित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग/जनपद वाराणसी के द्वारा विगत दो वर्षों में भुगतान में की गयी अनियमितताओं की जांच

78–श्री श्रीराम चौहान–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ताओं (सिविल) को कार्यों के बीजकों का भुगतान करने का अधिकार है ? यदि हां, तो वाराणसी जनपद के कितने अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा इस नियम का उल्लंघन वर्ष 1990-91 व 1991-92 में किया गया और क्यों ? उक्त अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा इस अवधि में कितने बीजकों का भुगतान किया गया तथा कितने बीजकों की इनके द्वारा भौतिक चेकिंग की गयी ? उक्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिये शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ताओं (सिविल) को कार्यों के बीजकों का भुगतान करने का मूल अधिकार नहीं है । अधिशासी अभियन्ता द्वारा अनुरक्षण एवं मरम्मत से संबंधित सहायक अभियन्ताओं को केवल 5000/- रु० तक का चेक काटने हेतु अधिकृत किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

79–श्री भारत सिंह रावत–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

मुख्य अभियन्ता (वितरण) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, गढ़वाल क्षेत्र देहरादून की भूतपूर्व विधायक श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी के साथ विद्युत आपूर्ति विषयक मामले पर मुलाकात

80–श्री भारत सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16-3-91 को सर्किट हाउस, पौड़ी गढ़वाल में मुख्य अभियन्ता (वितरण) उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् गढ़वाल क्षेत्र देहरादून की तत्कालीन विधायक श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी के साथ विद्युत समस्याओं के सम्बन्ध में वार्ता हुई थी ? यदि हां, तो वार्ता का विवरण क्या है और वार्ता में उठाए गये बिन्दुओं एवं दिये गये आश्वासनों की पूर्ति करने की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? शेष कार्यवाही कब तक पूरी किये जाने की सम्भवना है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

वार्ता में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये जो केवल पौड़ी जनपद से सम्बन्धित थे:–

1–ग्रामीण विद्युतीकरण वर्ष 90-91 की उपलब्धि ।

2–ग्रामीण विद्युतीकरण वर्ष 1991-92 के लक्ष्य ।

3–सतपुली 33/11 के० वी० उप संस्थान के लिए नये स्विचगियर की व्यवस्था ।

4–ग्रामों का विद्युतीकरण पट्टी वार हो ।

5–गेन्टी छेड़ा विद्युत गृह को दुबारा चालू किया जाना ।

6–गलत बिलों को ठीक करना ।

आश्वासनों की पूर्ति :–

1–पौड़ी जनपद में 90-91 में 107 ग्रामों के लक्ष्य के सापेक्ष 113 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया।

2–वर्ष 1991-92 का लक्ष्य 60 ग्रामों का था जिसे शत-प्रतिशत पूर्ण किया गया।

3–धनाभाव के कारण सतपुली उपसंस्थान के स्विचगियर नहीं बदले जा सके। लेकिन इस वर्ष क्षमता वृद्धि के अन्तर्गत 3 स्विचगियर पैनल अतिरिक्त लगाये जा रहे हैं। यह कार्य 12/92 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

4–यह कार्य अभी सम्भव नहीं है क्योंकि योजनायें विकास क्षेत्र वार ही बनाई जाती हैं।

5–गैन्टी छेड़ा विद्युत गृह वर्ष 1981 से बन्द पड़ा है। इसकी शक्ति नहर एवं पावर हाउस व कालोनी भी अब क्षतिग्रस्त स्थिति में है। क्षेत्र में ग्रिड सप्लाई प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है अतः अब इस विद्युत गृह को चलाना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है।

6–गलत बिलों की संख्या उस समय अधिक इस कारण थी कि कम्प्यूटर द्वारा बिल कुछ माह पूर्व ही प्रारम्भ किये गये थे। नई प्रणाली में कर्मचारियों को सीखने में समय लगा। अब गलतियां काफी कम हैं तथा गलत बिलों को यथा समय ठीक किया जाता है।

आनपारा तापीय परियोजना (अ) के महाप्रबन्धक को अवैध रूप से मुख्य अभियन्ता बनाये जाने की शिकायत

81–श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत आनपारा तापीय परियोजना "अ" के महाप्रबन्धक की प्रोन्नति करके मुख्य अभियन्ता स्तर I बनाया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या परिषद् द्वारा महाप्रबन्धक के विरुद्ध भ्रष्टाचार/अनियमितता के प्रकरण की जांच की जा रही थी ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच लम्बित विचाराधीन होने के बावजूद भी उनकी प्रोन्नति की जा रही है ? यदि हां, तो किस नियम व प्रक्रिया से ? क्या समस्त अभियन्ताओं/कर्मचारियों के लिए यही नीति अपनाई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां।

दिनांक 22 जून, 1992 को।

जी हां।

जी नहीं। लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के समापन, अधिकारी के पूर्णतया दोषमुक्त होने तथा चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के राजकीय कृषि प्रक्षेत्र बरबारी के सरकारी ट्रैक्टर की मरम्मत में भ्रष्टाचार की जांच

82—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच अन्तर्गत राजकीय कृषि प्रक्षेत्र बरबारी का यू० पी० डी० 1557 का इन्टरनेशनल ट्रैक्टर मरम्मत हेतु 1986 से मे० राकेश आटोमोबाइल्स, बहराइच के गैराज में पड़ा है ? यदि हां, तो इतने वर्षों से मरम्मत हेतु क्या कार्यवाही की गयी ? किस अधिकारी के आदेश से उक्त गैराज में ट्रैक्टर खोलवाया गया है ? क्या इसमें कोई लापरवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

जी हां ।

तत्कालीन प्रक्षेत्र अधीक्षक द्वारा प्रश्नगत ट्रैक्टर उक्त गैराज में भेजा गया था । मरम्मत हेतु कोटेशन का नियमानुसार सक्षम अधिकारी से अनुमोदन की कार्यवाही नहीं हुई ।

कृषि निदेशक के आदेश दिनांक 21-10-92 द्वारा जांच आदेशित की गयी है ।

लखनऊ जनपद के शारदा नहर प्रखण्ड—2 में गोसाईंगंज रजबहा के सुदृढ़ीकरण का कार्य

83—श्री सन्त बक्श रावत—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के अधीन शारदा नहर प्रखण्ड—2 के अन्तर्गत गोसाईंगंज रजबहा के एक कि०मी० से कुछ अधिक नहर का सुदृढ़ीकरण पोषक नहर से पानी देने के लिए माह मार्च/अप्रैल, 1992 में किया गया है जिसमें अनुमानतः एक लाख रुपये का व्यय हुआ ? क्या यह सत्य है कि इसके विपरीत 3 लाख से अधिक रुपये का भुगतान करने पर भी नहर निर्धारित क्षमता के अनुरूप नहीं बनी है ? क्या मंत्री जी उक्त कार्य की जांच प्राविधिक परीक्षक द्वारा करवाकर दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां ।

कार्य में वास्तविक व्यय रुपये 3-144 लाख हुआ ।

जी नहीं ।

नहर के प्रथम चरण में 1-375 कि०मी० की लम्बाई में कार्य निर्धारित क्षमता 0-85 क्यूसेक्स के अनुरूप स्वीकृत प्राक्कलनों के अनुसार बनाई गई है । सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जांच कराने के आदेश दिये जा रहे हैं ।

उपरोक्तानुसार

सोनपुर नहर निर्माण योजना को पूरा कराने की मांग

84—श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के दूसरे बुधवार के तारा० प्रश्न संख्या 12 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "सोनपुर नहर निर्माण योजना " को पूरा करने हेतु क्या

अवधि निर्धारित थी ? क्या उसका निर्माण प्रस्तावित योजना के अनुसार हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त नहर को शीघ्र पूरा कराकर सोनपुर तथा अहिरूपुर आदि गांवों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सोनपुर नहर का निर्माण नरायनपुर नहर क्षमतावृद्धि के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है ।

सोनपुर नहर का निर्माण प्रस्तावित योजना के अनुसार चल रहा है ।

नहर को शीघ्र पूर्ण कर वर्ष 1993-94 के अन्त तक सोनपुर, अहिरूपुर आदि गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ।

चुनार मूसाखण्ड लिंक पम्प नहर परियोजना की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रयास करने की मांग

85–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के सातवें बुधवार के तारा० प्रश्न संख्या 8 के उत्तर के संबंध में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या चुनार मूसाखण्ड लिंक पम्प नहर परियोजना की स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

चुनार मूंसाखण्ड लिंक पम्प नहर परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र का एक भाग बाण सागर परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है । बाणसागर परियोजना केन्द्रीय जल आयोग के स्वीकृति हेतु विचाराधीन है । इस योजना की स्वीकृति हो जाने के उपरान्त चुनार मूंसाखण्ड लिंक नहर परियोजना के स्कोप में परिवर्तन कर विचार करना प्रस्तावित है ।

जनपद एटा में ऊसर सुधार योजना के अन्तर्गत आवंटित धन में की गयी अनियमितताओं की जांच

86–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में वर्ष 1991-92 में ऊसर सुधार योजना के अन्तर्गत कितना धन आवंटित किया गया था तथा उस धन से कौन-कौन से कार्य कराये गये ? क्या जिलाधिकारी एटा द्वारा कार्यों का सत्यापन किया गया है ? यदि नहीं, तो सत्यापन कब तक कराया जायेगा ? क्या सत्यापन में अनियमितता पायी जाने पर विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जनपद एटा में भूमि सेना योजना के अन्तर्गत ऊसर सुधार हेतु वर्ष 1990-91 में रु० 183.00 लाख आवंटित हुआ था । वर्ष 91-92 में कोई अतिरिक्त धन आवंटित नहीं हुआ था । उक्त धन से 1007 हेक्टर भूमि में ऊसर सुधार कार्य यथा प्रक्षेत्र विकास जल निकास, नलकूप निर्माण, हरी खाद, फसलोत्पादन के कार्य कराये गये ।

जिलाधिकारी द्वारा सत्यापन कार्य कराया गया ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सम्प्रति कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ला-आफिसर शक्ति भवन लखनऊ द्वारा विगत चार वर्षों में किये गये टेलीफोन पर व्यय का विवरण

87–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० रा० वि० प० के अन्तर्गत ला आफीसर शक्ति भवन लखनऊ द्वारा वर्ष 1988-89, 89-90 एवं 90-91 के मध्य जो भी टेलीफोन/काल किये गये हैं, उसमें से कितनी कालें विदेशों को की गयी हैं ? क्या यह समस्त कालें ला आफीसर के द्वारा ही की गयी हैं ? यदि हां, तो इन व्यक्तिगत कालों के लिए वर्षवार कुल कितना व्यय विदेशों के लिए किया गया है ? क्या उसका ब्योरा मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस अनियमितता के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में उपलब्ध अभिलेखानुसार परिषद् के विधि अधिकारी द्वारा कोई अन्तर्राष्ट्रीय काल नहीं की गई है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

निर्धारित मात्रा से अधिक टेलीफोन करने वाले राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों का विवरण

88–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लखनऊ में ऐसे कितने अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता स्तर एक, दो तथा शक्ति भवन के मिनिस्ट्रीयल अधिकारी हैं, जिनके द्वारा निर्धारित टेलीफोन व्यय से अधिक व्यय किया जाता है ? क्या इसका अनुमोदन अध्यक्ष, रा० वि० प० से लिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के नाम, पदनाम, तैनाती स्थान क्या है ? क्या मंत्री जी पिछले दो वर्ष का ब्यौरा सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मऊ के दोहरी घाट पम्प कैनाल से फतेहपुर माइनर में पानी के अभाव से हुई सिंचन हानि

89–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद-मऊ के दोहरीघाट पम्प कैनाल से फतेहपुर माइनर में पिछले दिनों पानी न रहने के कारण किसानों की फसलों को पानी नहीं मिला ? क्या यह भी सत्य है कि इस माइनर का चार वर्षों से सफाई कार्य नहीं कराया गया है ? क्या यह भी सत्य है कि पानी न मिलने के बावजूद किसानों से सिंचाई की वसूली की गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त अनियमितता की जांच कराने की कृपा करेंगे ? क्या जांचोपरान्त सिंचाई माफ कराने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

वर्ष 1992 खरीफ 1400 फसली में कुल लम्बाई 13.48 कि०सी० में से कि० मी० 9.0तक के किसानों को पानी मिला है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वेतन विसंगतियों के संबंध में प्रश्नकर्ता का गन्ना मंत्री को वर्तमान वर्ष में भेजे गये पत्र पर कृत कार्यवाही

90—श्री देवेन्द्र पाल सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-6-92 वेतन विसंगति के संबंध में प्राप्त हुआ है ? पत्र में दिये गये तथ्यों के विवरण तथा बिन्दुओं को देखने के बाद क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि चीनी मिल अभियन्ता संघ के भिन्न-भिन्न यूनिटों में कार्यरत अभियन्ताओं को अलग-अलग दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है ? क्या मंत्री जी सहायक अभियन्ता (सिविल) को उसी तिथि से सरकारी दर से महंगाई भत्ता दिये जाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह—

प्रश्नकर्ता के उक्त पत्र की तलाश की जा रही है । तदोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड उन्नाव द्वारा नरीचक व गढ़ीकरमली की जांचों में शिकायतकर्ता एवं प्रश्नकर्ता विधायक से पूछ-तांछ न किये जाने की शिकायत

91—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग में विधायकों की शिकायतों व उनके पत्रों पर उनसे भी बात/पूछतांछ किये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या उन्नाव के जिलाधिकारी के स्पष्ट अनुरोध के बावजूद अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वारा नरीचक व गढ़ीकरमली की जांचों में वर्ष 91-92 में संबंधित विधायक/प्रश्नकर्ता को सूचना दी गयी ? यदि नहीं, तो क्या इस प्रकरण में दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां ।

जिलाधिकारी के निर्देशानुसार मा० विधायक को कृत कार्यवाही से अवगत कराया ।

यद्यपि अधिशासी अभियन्ता द्वारा जिलाधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की गयी, फिर भी नियमों के उल्लंघन के लिये उन्हें शासन द्वारा चेतावनी दे दी गयी है ।

जिला पिथौरागढ़ में खराब पड़े ट्रांसफार्मरों का विवरण

92—श्री लीला राम शर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पिथौरागढ़ में कुल 25,63 व 100 के० वी० ए० के कितने ट्रांसफार्मर कब से खराब पड़े हुये हैं ? उनके स्थान पर नये ट्रांसफार्मर की आपूर्ति कब तक हो जायेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

दिनांक 15 सितम्बर, 1992 तक जिला पिथौरागढ़ में केवल 25 के० वी० ए० के 31 ट्रांसफार्मर खराब पड़े हुए हैं। इन ट्रांसफार्मरों के स्थान पर नये ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति इसी वित्तीय वर्ष में होने की सम्भावना है।

93—श्री लीला राम शर्मा—

[दिनांक 28-10-92 को अता० प्रश्न संख्या 110 द्वारा उत्तरित]

निचली गंगा नहर की इटावा शाखा के मुहम्मदाबाद रजबहा में टेल तक पानी पहुंचाने की मांग

94—श्री इन्द्र पाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि निचली गंगा नहर की शाखा इटावा से निकाले गये मुहम्मदाबाद रजबहा में पानी टेल तक पहुंचाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? रजबाहे की टेल के गांव फतेहपुर रामू मुडैना-रामदत्त में कितने एकड़ जमीन की सिंचाई इस वर्ष उक्त रजबहे से की गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त रजबहे की टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद-इटावा में विगत दो वर्षों में वर्षवार लगाये गये नलकूपों का विवरण

95—श्री इन्द्र पाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1990-91 व 91-92 में अलग-अलग कुल कितने सहकारी ट्यूबवेल जनपद-इटावा में लगाये जाने हेतु स्वीकृत हुये हैं ? क्या प्रश्नकर्ता के क्षेत्र औरैया में ट्यूबवेल लगाये जाने प्रस्तावित थे ? यदि हां, तो उक्त ट्यूबवेल कहां-कहां कब तक लग जाना चाहिये थे ? निर्धारित अवधि में ट्यूबवेल न बनाये जाने के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जनपद इटावा में वर्ष 1990-91 में 70 व 1991-92 में एक नये राजकीय नलकूप का निर्माण स्वीकृत हुआ था।

जी हां।

औरैया क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड भाग्यनगर में 5 व विकास खण्ड औरैया में 2 अर्थात् कुल 7 राजकीय नलकूपों का निर्माण 3/92 तक प्रस्तावित था।

निर्धारित अवधि में उपरोक्त सभी 7 प्रस्तावित नलकूप छिद्रित पर दिये गये थे । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

जनपद-इटावा के विधान सभा क्षेत्र औरैया में लगाये गये नलकूपों का विवरण एवं खराब पड़े नलकूपों को ठीक कराने की मांग

96–श्री इन्द्र पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औरैया विधान सभा क्षेत्र इटावा में अब तक कुल कितने नलकूप लगाये गये हैं ? उनमें से कितने चालू हालत में हैं ? क्या सरकार बन्द पड़े स्टेट ट्यूबवेल को चालू कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

औरैया विधान सभा क्षेत्र में अब तक कुल 82 नलकूप लगाये गये हैं ।

इनमें से 64 नलकूप चालू हालत में हैं ।

जी हां ।

6 नलकूप यांत्रिक दोष से बन्द हैं जिन्हें यथाशीघ्र चालू करा दिया जायेगा । 9 नलकूप विद्युत दोष से बन्द हैं जिन्हें अविलम्ब चालू कराने हेतु विद्युत परिषद् से निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है । 3 नलकूप असफल हो गये हैं जिनका पुनः निर्माण जिला योजना की स्वीकृति के अनुसार कराया जायेगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के ग्राम नौरंगा में विद्युत लाइन से आदमी की मृत्यु के मुआवजा की मांग

97–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, भोगांव जनपद मैनपुरी के ग्राम नौरंगाबाद में विद्युत की लाइन ढीली होने से नीचे आने के कारण मार्च, 92 में एक आदमी की मृत्यु हो गयी और दो लोग घायल हो गये ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी कौन है ? क्या विद्युत विभाग ने मृतक के वारिसान को व घायलों को अभी तक मुआवजा देने का निर्णय लिया ? यदि हां, तो कब और कितना मुआवजा देने का ? उन्हें उक्त मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां, जांच से ज्ञात हुआ है कि ग्राम नौरंगाबाद जनपद मैनपुरी में 11 के० वी० लाइन के तार ढीले होने के कारण तार की जमीन से ऊंचाई कम थी जिसके सम्पर्क में आ जाने से श्री अहिबरन सिंह यादव की दिनांक 21-3-92 को धातक दुर्घटना तथा इन्हीं तारों से जुलाई, 1990 में श्री श्याम सिंह यादव व अक्टूबर, 1990 में श्री राम औतार यादव की साधारण दुर्घटना घटित हुयी थी ।

विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा संस्तुति की गयी है कि राज्य विद्युत परिषद मृतक के परिवार की उचित क्षतिपूर्ति करे तथा साधारण रूप से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के इलाज में हुए खर्चे की क्षतिपूर्ति करे तथा दोषी स्टाफ के विरुद्ध कार्यवाही करे ।

क्षतिपूर्ति एवं दोषी स्टाफ के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही राज्य विद्युत परिषद द्वारा यथाशीघ्र की जायेगी ।

बेवर कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मैनपुरी में सरकार द्वारा नामित सदस्य एवं पदाधिकारियों का विवरण

98—श्री राम औतार शाक्य—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जनपद में कृषि उत्पादन मण्डी समिति, बेवर में कितने व कौन-कौन सदस्य एवं पदाधिकारी वर्तमान सरकार द्वारा नामित किये गये हैं ? क्या यह सच है कि क्षेत्राधिकार से बाहर, ग्राम अहिलमतपुर विधान सभा क्षेत्र मिशानी के श्री श्याम बिहारी पाण्डेय को भी उक्त समिति का सभापति नामित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि चार महीने से उक्त समिति की कोई बैठक नहीं बुलाई गयी है ? क्या उक्त समिति में कतिपय अपराधिक इतिहास के सदस्यों को भी नामित किया गया है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन सदस्य हैं और उन पर विभिन्न थानों में कितने आपराधिक मुकदमें लम्बित हैं ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विधान सभा क्षेत्र भोगांव जिला मैनपुरी में विद्युत तारों के चोरी की शिकायत

99—श्री राम औतार शाक्य—

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम परौखा, वि० स० क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी में विद्युत लाइन के तारों की चोरी तीन वर्ष पूर्व 1989 में हो गयी है और अभी तक करीब तीन वर्षों से पुनः दूसरी लाइन वहां पर नहीं बिछायी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि केवल ट्रांसफार्मर ही वहां रखा है तथा ग्रामीणों ने कई शिकायतें अब तक इस संबंध में की है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में वहां विद्युत लाइन पुनः डलवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी हां ।

यह सत्य है कि जनपद मैनपुरी के विकास क्षेत्र भोगांव के ग्राम परौखा में विद्युत लाइन के 18 खम्भों में तारों की चोरी हुई तथा पुनः लाइन बनाने हेतु प्राक्कलन भी स्वीकृत किया गया परन्तु धनाभाव एवं सामान की अनुपलब्धता के कारण लाइन पुनः नहीं बनाई जा सकी ।

इस लाइन पर कोई पावर अथवा प्रकाश एवं पंखे का संयोजन न होने के कारण दूसरी लाइन नहीं बिछायी गयी है । जैसे ही जनता द्वारा संयोजन हेतु प्रार्थना पत्र आयेंगे पुनः लाइन डाली जा सकेगी ।

जनपद मैनपुरी में ऊसर सुधार योजना के अन्तर्गत आवंटित धन एवं कार्यों का विवरण

100—श्री राजेन्द्र सिंह चौहान—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में वर्ष 1991-92 में ऊसर सुधार योजना के अन्तर्गत कितना धन उपलब्ध कराया गया था ? उसमें क्या-क्या कार्य कराये गये ? क्या कार्यों का भौतिक सत्यापन अब तक कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

जनपद मैनपुरी में ऊसर सुधार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में कोई धन उपलब्ध नहीं कराया गया ।

वर्ष 1990-91 की अवशेष धनराशि से ऊसर सुधार कार्यों यथा प्रक्षेत्र विकास कार्य बोरिंग, जिप्सम वितरण, हरी खाद तथा फसलोत्पादन इत्यादि कार्य निष्पादित कराए गए ।

भौतिक सत्यापन विभाग द्वारा निर्धारित माप दण्ड के अनुसार विभिन्न पर्यवेक्षीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा किया गया है । वर्ष 1991-92 में मूल्यांकन अध्ययन दल द्वारा भी कार्यों के निरीक्षण एवं सत्यापन का कार्य किया गया है ।

भूमि संरक्षण अधिकारी, बांदा के विरुद्ध प्रश्नकर्ता की शिकायत

101—श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव एवं मुख्य मंत्री के पत्र संख्या सी० एम० वी० को०/एम-3/14-249/बु/91 दिनांक 26-12-91 जो श्री संजय अग्रवाल द्वारा प्रश्नकर्ता को भूमि संरक्षण अधिकारी, बांदा के विरुद्ध शिकायत से सम्बन्धित भेजा गया था, उसमें अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या भूमि संरक्षण अधिकारी बांदा दोषी पाये गये हैं ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

जांच चल रही है ।

गन्ना विभाग के क्लास तृतीय के ग्रुप—1 में ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना रक्षा निरीक्षक के पदों में अनुसूचित जाति का कोटा

102—श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्लास तृतीय के ग्रुप—1 में कितने ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक/गन्ना रक्षा निरीक्षक गन्ना विभाग में कार्यरत हैं ? उनमें से कितने अनुसूचित जाति के हैं ? क्या उनमें अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त कर्मचारियों के बारे में कोटिक्रम सूचियां सदन के पटल पर उपलब्ध करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मैदानी क्षेत्रों में विद्युत कनेक्शन आपूर्तिदर का विवरण

103—श्री राम लखन—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिना मीटरों के घरेलू उपभोक्ता कनेक्शनों का मैदानी क्षेत्र में निश्चित मासिक दर क्या है तथा पर्वतीय क्षेत्र में निश्चित मासिक दर क्या हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ता को कोई छूट प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? क्या चमोली जनपद के रुद्र प्रयाग उप खण्ड में 60/-रु० मासिक दर से बिना मीटर बिजली का वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो क्या मैदानी क्षेत्र में भी निर्धारित मात्रा की धनराशि ही वसूली जायेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मैदानी क्षेत्र में स्थित ऐसे शहर और गांव जिनकी आबादी 1981 की जनगणना के अनुसार 15 हजार से कम है और जिनको विद्युत आपूर्ति ग्रामीण अधिसूची के अनुसार दी जाती है, में स्थित उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति दर निम्नवत् है :—

रु० 27/-प्रति कनेक्शन प्रतिमाह एक कि०वा० तक । इसके अलावा रु० 10/-प्रति कनेक्शन प्रतिमाह अतिरिक्त एक कि० वा० भार से अधिक परन्तु दो कि०वा० तक । समय से भुगतान करने पर रु० 2/- प्रतिमाह की छूट भी अनुमन्य है ।

पर्वतीय क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति निरन्तर दिये जाने का प्रावधान है अतः वहां निश्चित मासिक दर का प्राविधान नहीं है ।

जी हां ।

उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल जनपदों के समस्त स्थान पर तथा देहरादून एवं नैनीताल जनपदों में 610 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित नये घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति दिये जाने की तिथि से 5 वर्षों तक विद्युत बिलों में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है ।

विद्युत दर सूची में इस तरह का कोई प्राविधान नहीं हैं । परन्तु मीटर की कमी के कारण नये उपभोक्ताओं को उन की सहमति पर 120 यूनिट/कि०वा० प्रतिमाह के अनुमानित खपत का प्राविधान अलग से किया गया है । इसी आधार पर पर्वतीय क्षेत्र में मीटर की कमी के कारण जब उपभोक्ता को सीधे (डायरेक्ट) कनेक्शन दिया गया था तब 120 यूनिट प्रति कि०वा० प्रतिमाह की खपत मानते हुए और पर्वतीय क्षेत्र में छूट दिये जाने के परिप्रेक्ष्य में रु० 60/- प्रतिमाह की दर से विद्युत बिल भेजे गये ।

जी नहीं । ऐसे क्षेत्र जिनकी आबादी 1981 की जनगणना के आधार पर 15 हजार से अधिक है, वहां मीटर द्वारा मापित ऊर्जा खपत के आधार पर वसूली की जाती है । परन्तु ऐसे नये उपभोक्ता जिनको मीटर की कमी के कारण विद्युत कनेक्शन सीधे (डायरेक्ट) दिये गये हैं उन्हें 120 यूनिट प्रति कि०वा० प्रति माह के अनुमानित खपत के आधार पर विद्युत खपत का निर्धारण करके बिल निर्गत किये जाने का प्राविधान अलग से किया गया है ।

धुरियापार चीनी मिल के निर्माण से प्रभावित किसानों को सेवा में न लेकर मिल मालिक द्वारा अपने लोगों को रखने पर आपत्ति

104–श्री सन्त बक्श रावत–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के धुरियापार चीनी मिल के निर्माण हेतु जिन किसानों की भूमि ली गयी है, क्या उनके आश्रितों की नियुक्ति न करके उक्त मिल के जनरल मैनेजर ने अपने रिश्तेदारों की नियुक्तियां मनमाने व अनियमित रूप से कर ली हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जांच कराकर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा पात्र व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि सेवा संवर्ग दो के अधिकारियों में आरक्षित कोटा पूरा किये जाने की मांग

105–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि सेवा संवर्ग दो के अनुसूचित जाति के अधिकारियों के कोटा पूर्ति करते हुये वर्ष 1988 से अब तक कितनी प्रोन्नतियां संवर्ग एक में की गयी हैं ? क्या कृषि

सेवा संवर्ग तीन के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं में सहायक कृषि निरीक्षक, सहायक भूमि संरक्षक, सहायक निरीक्षक, कृषि रक्षा पर्यवेक्षक, सहायक उद्यान निरीक्षक, सहायक फार्म निरीक्षक आदि के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची विभाग द्वारा बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या कृषि सेवा संवर्ग तीन से अनुसूचित जाति का कोटा पूरा करने हेतु ज्येष्ठतम क्रम में कृषि सेवा संवर्ग दो में प्रोन्नति का मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रोन्नति द्वारा कब तक कर रिक्त पद भरे जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

अनुसूचित जाति के 15 कर्मचारियों की वर्ग–2 से वर्ग–1 में प्रोन्नति की गयी ।

जी हां । सहायक कृषि निरीक्षक, सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक, कृषि रक्षा पर्यवेक्षक एवं सहायक फार्म निरीक्षक की अनुसूचित जाति की ज्येष्ठता सूची दिनांक 15-6-77 तक नियुक्त कर्मचारियों की अलग से बनी है । सहायक उद्यान निरीक्षक का पद कृषि विभाग का नहीं है ।

वर्ग–2 में अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण है ।

जिला जज कार्यालय, जनपद बांदा में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

106–श्री गया चरन दिनकर–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय जिला जज, बांदा में शासन के निर्देशानुसार प्रतियोगी परीक्षा में सफल अभ्यर्थी श्री लल्लू राम, उमाशंकर तिवारी, रियाजुल हक आदि की पुलिस पेपर्स की प्रतिलिपियों को तैयार करने हेतु दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रूप में दिनांक 1-2-85 को नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो क्या शासनादेश संख्या–3922/सात-अ०–न्या० 12/74, दिनांक 18 जून, 1986 के द्वारा प्रार्थीगणों की सेवा पूर्ण होने के पूर्व ही पुलिस प्रतिलिपिकों के पदों पर विभागीय नियमों के अन्तर्गत नियमित करने के संबंध में आदेशित किया गया था ? यदि हां, तो प्रार्थीगणों के विगत सेवा को एवं शासनादेश को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त प्रार्थियों द्वारा धारित पदों को भरने के लिये सार्वजनिक प्रतियोगिता लेने का कारण क्या था ? क्या ऐसा कोई शासनादेश था ?

श्री गिरीश नारायण पाण्डेय–

जी हां ।

जी नहीं, क्योंकि इसके पूर्व ही दिनांक 28-2-86 को इन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया था ।

दैनि[illegible]नन भोगी कर्मचारियों का कोई धारणाधिकार नहीं होता है, अतः 18-6-86 के शासनादेश द्वारा सृजित पदों पर नियुक्ति हेतु अधीनस्थ दीवानी न्यायालय लिपिकीय अधिष्ठान नियमावली, 1947 के अनुसार परीक्षा आयोजित की गई ।

अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, उन्नाव द्वारा शासकीय निदेशों का पालन न करने के संबंध में प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

107–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताएंगे कि शासकीय निदेशों का पालन न करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र मार्च, 92 पत्रांक स०ज०प०–442, दि० 13-3-92 मुख्य सचिव को मिला है ? यदि हां, तो जनपद उन्नाव के सिंचाई खण्ड उन्नाव की अनियमितताओं विषयक इस पत्र पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिह–

जी हां ।

पत्र में इंगित अनियमितताओं की नियमानुसार जांच करायी गयी तथा जांचोपरान्त संबंधित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उन्नाव को शासन द्वारा चेतावनी दे दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती के खलीलाबाद शुगर फैक्ट्री को चालू करने की मांग

108–श्री राम ललित चौधरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतालयेंगे कि क्या जनपद बस्ती की खलीलाबाद, शुगर मिल बन्द पड़ी है ? यदि हां, तो इसके बन्द होने का क्या कारण है ? क्या वर्ष 92-93 के सीजन में सरकार इसे चलवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां ।

चीनी मिल क्षमता-विस्तारीकरण हेतु तथा आर्थिक कठिनाईयों के कारण बन्द है ।

इसे चलवाने का प्रयास किया जा रहा है ।

जनपद बस्ती में बस्ती सदर, वाल्टरगंज मुण्डेरवा एवं खलीलाबाद गन्ना मिलों पर किसानों की बकाया धनराशि

109–श्री राम ललित चौधरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में गन्ना मिल बस्ती, वाल्टरगंज, मुन्डेरवा एवं खलीलाबाद के ऊपर गन्ना किसानों का धन वर्ष 1992-93 का बकाया है ? यह बकाया उपरोक्त अलग-अलग मिलों पर कितना है ? क्या सरकार किसानों के आर्थिक संकट को देखते हुए इसका भुगतान शीघ्र करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्या सरकार किसानों के बकाए गन्ना मूल्य पर ब्याज दिलाने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

दिनांक 31-10-92 तक प्रश्नगत मिलों द्वारा पेराई सत्र 1992-93 में गन्ने की खरीद एवं पेराई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

अतः शेष प्रश्न नहीं है ।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा,एडवोकेट का कृषि विभाग के संबंध में कतिपय शिकायती पत्र

110–श्री राम स्वरूप वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के तारंकित प्रश्न संख्या-3 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित मामले में मुख्य आरोप कौन-कौन से हैं ? जांच में अब तक कौन-कौन से आरोप सत्य पाये गये ? नियमानुसार मामले की जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

श्री रमेश चन्द्र शर्मा एडवोकेट, के संदर्भित शिकायती पत्र की प्रति संलग्न है ।

विशेष अनुसंधान शाखा (कृषि) अपराध अनुसंधान विभाग उ० प्र० लखनऊ से जांच करायी जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ-287–289 पर)

111–श्री विजय सिंह राणा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद सीतापुर में विद्युत खम्भों के चोरियों की वारदातें

112–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में बिजली के खम्भों की चोरियां बढ़ी हैं ? क्या सरकार अवगत है कि थाना मिश्रिख के अन्तर्गत ग्राम बीबीपुर जाने वाले मुख्य मार्ग से जून, 1992 में पांच बिजली के खम्भे काट लिये गये थे ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि की जायेगी , तो कब तक ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

दिनांक 12/13-6-92 की रात्रि में नीमसार फीडर के ग्राम बीबीपुर जाने वाली 11 के० वी० लाईन के बीच खम्भे (रेल) चोरों द्वारा काट लिये गये थे । जिसकी सूचना अवर अभियन्ता नीमसार द्वारा थाना मिश्रिख में दिनांक 14-6-92 को एफ० आई० आर० संख्या 24453 में दर्ज कर दी गयी थी । तदोपरान्त पुलिस की अन्तिम जांच आख्या अभी तक प्रतीक्षित है जिसके लिये प्रयास जारी है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना की जानकारी

113–श्री लाखी राम जोशी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे जनपद टिहरी गढ़वाल में विद्युत विभाग द्वारा ग्राम सिलासौड़ (भेड़ाकी) पट्टी बमुन्ड में विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो गांव में कितने विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि 1984 से उक्त गांव में विद्युतीकरण के नाम पर अभी तक सिर्फ 4 खम्भे खड़े किये गये हैं तथा ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया है ? यदि हां, तो उक्त गांव के विद्युतीकरण कार्य पर कुल कितनी धनराशि अब तक विभाग ने खर्च की है ? क्या अधूरे कार्य के लिये दोषी अभियन्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

उक्त ग्राम का विद्युतीकरण वर्ष 1986-87 में किया गया था । ग्राम में 6 खम्भे एवं एक 5 के० वी० ए० का ट्रांसफार्मर लगाया गया था तथा केवल 2 विद्युत कनेक्शन दिये गये थे । 5 के० वी० ए० का ट्रांसफारमर जो समय-समय पर खराब हुआ इस समय चालू हालत में हैं ।

उक्त गांव में विद्युतीकरण करने में एवं समय-समय पर ट्रांसफारमर बदलने में अब तक विभाग द्वारा लगभग रु० 40,000 खर्च किये जा चुके हैं ।

5 के० वी० ए० के ट्रांसफार्मर भण्डार में उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त गांव की विद्युत आपूर्ति में समय-समय पर काफी व्यवधान रहा । अतः किसी अभियन्ता पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि संरक्षण अधिकारी, चरखारी (हमीरपुर) के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा शासन को भेजे गये पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी

114–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र संख्या-ख नं० 705534/मेमो दि० 18-1-92 को उन्हें बुन्देलखण्ड के अनु० जाति के कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय व भूमि संरक्षण अधिकारी, चरखारी (हमीरपुर) आदि के संबंध में लिखा गया था ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

कृषि निदेशक को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है ।

उप निदेशक प्रसार, जनपद बांदा कार्यालय में कार्यरत श्री ए० के० दुबे, सहायक कृषि निरीक्षक के स्थानान्तरण आदेश का पालन न होने की शिकायत

115–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बांदा में कृषि निदेशक प्रसार के कार्यालय में कार्यरत सहा० कृषि निरीक्षक श्री ए० के० दुबे का स्थानान्तरण बांदा से झांसी के लिये जुलाई, 91 में हो गया था ? यदि हां, तो इन्हें बांदा में ही श्री वी० पी० पाण्डे, कृषि निदेशक, प्रसार बांदा ने क्यों रोक लिया है ? क्या यह सही है कि श्री पाण्डेय व श्री दुबे द्वारा आपस में मिलकर भारी अनियमिततायें बरतने की अनेकों शिकायतें हैं ? यदि हां, तो इन्हें वहां तैनात रखने का औचित्य क्या रहा है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

उप कृषि निदेशक (प्रसार), बांदा ने पत्र दिनांक 18-7-91 द्वारा लिखा कि श्री दुबे को जनपद बांदा में तीन वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, अतः स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये जाने की संस्तुति की । इस संदर्भ में संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार), झांसी मण्डल, झांसी ने अपने आदेश दिनांक 18 अप्रैल, 1992 द्वारा श्री दुबे का स्थानान्तरण निरस्त कर दिया ।

शिकायतें प्राप्त होना नहीं पाया जाता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता, केन नहर, बांदा को प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र भेजकर जानकारी प्राप्त करने का मामला

116–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने पत्र संख्या–ख नं० 705528/123, दिनांक 15-1-92 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता, केन नहर, प्रखण्ड बांदा को पत्र लिखा था ? यदि हां, तो पत्र में वांछित जानकारियों के संबंध में अब तक उत्तर न देने का क्या कारण है ? क्या जो शिकायतें प्रश्नकर्ता को जनता से मिली थीं, उनके संबंध में प्रश्नकर्ता ने उपरोक्त अधिशासी अभियन्ता को पत्र लिखा था ? क्या उपरोक्त पत्र का उत्तर दिया गया ? यदि नहीं, तो पत्र का उत्तर न देने का क्या कारण है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

सूचना देने में समय अपेक्षित था ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लसार वायां परियोजना, टिहरी गढ़वाल के निर्माण की मांग

117–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लसार वायां परियोजना, टिहरी गढ़वाल का निर्माण कब तक शुरू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

परियोजना प्रारम्भिक सर्वेक्षण के उपरान्त उपयुक्त नहीं पायी गयी है । अतः निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में भिलंगना नदी से रै परियोजना का सर्वे एवं सड़क के निर्माण का प्रश्न

118–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि रै परियोजना (भिलंगना नदी) टिहरी गढ़वाल की सर्वे किये जाने एवं दो फिट चौड़ी सड़क निर्माण करने के बावजूद योजना अधूरी पड़ी हुई है ? क्या रै परियोजना का निर्माण पूर्ण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद टिहरी गढ़वाल में भिलंगना नदी से रै परियोजना संबंधित कोई सर्वेक्षण एवं निर्माण कार्य नहीं कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जल विद्युत परियोजना, श्रीनगर गढ़वाल के लिए अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

119–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल विद्युत परियोजना, श्रीनगर, गढ़वाल के लिए अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा कृषकों को दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जिन काश्तकारों की भूमि, जल विद्युत परियोजना, श्रीनगर के लिए वहां पर अधिग्रहण की गयी है, क्या उन्हें रोजगार दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इसका सम्बन्ध राज्य विद्युत परिषद् से है ।

मुख्य अभियन्ता (गंडक) गोरखपुर द्वारा ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर के निरीक्षण में पायी गयी खामियों का मामला

120–श्री लाल जी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 13 व 14 मई, 1991 को मुख्य अभियन्ता (गण्डक), गोरखपुर द्वारा ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर के उपखण्डों के कार्यों का निरीक्षण करते समय कार्यों की मापों में गड़बड़ी पायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या माप-पुस्तिकाओं पर जांच की गयीं जिसमें मापें काटकर पुनः अंकित हुई हैं ? यदि हां, तो क्या मुख्य अभियन्ता (गण्डक) द्वारा निरीक्षण टिप्पणी जारी करते समय उक्त तथ्यों का वर्णन टिप्पणी में किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इससे स्थायी आदेश/शासनादेश/नियमों का उल्लंघन हुआ है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दिनांक 13 व 14 मई, 1991 को मुख्य अभियन्ता (गण्डक) द्वारा ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर के उप खण्डों के कई बंधों आदि का निरीक्षण किया गया था । निरीक्षण के समय उसका लखनापार एवं अतरों बंधे पर कराये गये कुछ कार्यों को चेकिंग में गड़बड़ी पायी गयी थी ।

जी हां, कुछ मापें काट कर पुनः अंकित की गयी हैं व कुछ में टिप्पणी अंकित है ।

मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्गत निरीक्षण टिप्पणी में यह अंकित है कि बंधों का निरीक्षण जांच के सम्बन्ध में किया गया । निरीक्षण टिप्पणी में मापों में पायी गयी गड़बड़ी का विवरण अंकित नहीं है, जो कि माप पुस्तिका में अंकित है ।

प्राप्त सूचनानुसार मुख्य अभियन्ता द्वारा इन कमियों का निरीक्षण टिप्पणी में उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

नियमतः कमियों का उल्लेख निरीक्षण टिप्पणी में होना चाहिए था फिर भी इस तथ्य को देखते हुये की गयी मापों में पाई गई गड़बड़ियों को काटकर माप पुस्तिका में ठीक कर दिया गया है, मुख्य अभियन्ता द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है ।

राजामंडी छपैटी मंशा देवी जनपद आगरा में विद्युत व्यवस्था ठीक किये जाने की मांग

121–श्री किशन गोपाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 17-7-91 को राजामण्डी छपैटी मंशादेवी आदि आगरा के क्षेत्रों की जर्जर तार व टूटे पोलों व विद्युत समस्या के समाधान हेतु पत्र दिया गया था जिस पर विद्युत परिषद् अध्यक्ष ने दिनांक 31-7-91 आगरा चीफ इंजीनियर को अग्रिम कार्यवाही हेतु आदेश अंकित कर भेज दिया गया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि छपैटी (राजामंडी) के पो० नं० एल० ए० 9/2 (नौ बटा दो) को बिना आदेश हटवा दिया गया है व उस पर लगे हजारों रुपये के तांबे के तार को गायब कर दिया गया है ? क्या मंत्री जी उक्त पोल किन कारणों से व किस के आदेश से हटाया गया व तार कहां गये की जानकारी करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? उक्त पोल को उसी स्थान पर जहां पोल को हटा कर मकान बना लिया गया है, पोल लगाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

दिनांक 17-7-91 का पत्र प्राप्त हुआ था । जर्जर तार, टूटे पोल एवं विद्युत समस्या के सुधार हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं । इस क्षेत्र के विद्युत सुधार हेतु एक नया उप-केन्द्र छपैटी एवं राजामण्डी बाजार के पास बनाने का प्रस्ताव है परन्तु धनाभाव के कारण कार्य की स्वीकृति नहीं मिल पायी है ।

छपैटी में स्थापित पोल नं० एल०ए० 9/2 नीचे से गल गया था जिसे लगभग तीन वर्ष पूर्व उखाड़ कर वहां से लगभग दो फीट की दूरी पर एक नया पोल लगा दिया गया था । टूटे हुये पोल का निचला भाग अपनी पूर्व स्थिति में जमीन के अन्दर लगा हुआ है । उक्त कार्य विद्युत परिषद् एवं उपभोक्ताओं के हित में कराया गया । चूंकि पोल को हटाने से गली में बने हुये मकानों से तारों की दूरी कम हो गयी थी अतः तारों के स्थान पर एल०टी० केबिल डाल दी गयी थी ।

पोल को पूर्व स्थान पर लगाना आवश्यक नहीं है ।

कृषि सेवा संवर्ग तीन के अन्तर्गत आने वाले पदों पर अनुसूचित जाति के पदधारकों के पदोन्नति का मामला

122–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि सेवा संवर्ग तीन अन्तर्गत आने वाले सहायक कृषि निरीक्षक, सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक, कृषि रक्षा पर्यवेक्षक, सहायक उद्यान निरीक्षक, सहायक कार्य अधीक्षक आदि की ज्येष्ठता सूची उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के संवर्ग के लोगों के प्रोन्नति का मामला शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ? क्या कृषि सेवा संवर्ग दो के अधिकारियों की प्रोन्नति की जा चुकी है ? यदि हां, तो कितनों की ? क्या उक्त रिक्त पदों को भरा जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

सहायक कृषि निरीक्षक, सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक, कृषि रक्षा पर्यवेक्षक की दिनांक 31-7-1979 तक कार्यरत सदस्यों की ज्येष्ठता सूची उपलब्ध है । सहायक उद्यान निरीक्षक एवं सहायक कार्य अधीक्षक के पद कृषि विभाग के पद नहीं है ।

अधीनस्थ कृषि सेवा सवर्ग–2 में अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा पूर्ण है तथा वर्तमान में कोई पद रिक्त नहीं है ।

नलकूप अनुरक्षण खण्ड देवरिया में कर्मचारियों के पदोन्नति का मानदण्ड

123–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप अनुरक्षण खण्ड, देवरिया में वर्ष 1991-92 में कर्मचारियों की पदोन्नति वरिष्ठता क्रम से की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1991-92 में कतिपय पदों पर पदोन्नतियों में अनियमिततायें किये जाने का तथ्य संज्ञान में आया है ।

अनियमित पदोन्नति के सम्बन्ध में जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद देवरिया में नलकूप के रख रखाव एवं नये नलकूपों को चालू न करने से किसानों की हानि

124–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में नलकूपों के रख-रखाव एवं नये नलकूपों को चालू न किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न श्री रामायण शुक्ल, महामंत्री, जिला समाजवादी जनता पार्टी, देवरिया का उनको सम्बोधित शिकायती पत्र वर्ष 1992 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

नियमानुसार जांच कराई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नलकूप अनुरक्षण खण्ड देवरिया में हुयी नियुक्तियों की वैधता

125–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के नलकूप अनुरक्षण खण्ड, देवरिया में वर्ष 91-92 में नयी नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो किनकी ? क्या इसके लिए शासन की स्वीकृति ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की ।

यह नियुक्तियां उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के अधीन की गयी हैं जिसके लिये शासन की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बांदा में ग्राम पाली व कोरारी में बने राजकीय नलकूप के खराब होने से हो रही सिंचन हानि

126–श्री गया चरन दिनकर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के ग्राम पाली व कोरारी में राजकीय नलकूप सं० 49 व 52 विगत कई वर्षों से विद्युत यांत्रिक कमियों से ठप्प पड़े हैं ? क्या उक्त नलकूपों का सुधार किया गया ? यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में प्रश्नगत नलकूपों में सुधार कराकर उन्हें संचालित करने का शासन का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

नलकूप संख्या–49 बबेरू, ग्राम पाली विद्युत दोष दूर होने पर सिंचाईरत् हो सकेगा । पुनः निर्मित राजकीय नलकूप सं०–52 का वी० एण्ड एल० फार्म 12/90 से विद्युत परिषद् में लम्बित है । उर्जीकरण के पश्चात् नलकूप सिंचाईरत् हो सकेगा ।

आगरा में दयालबाग माइनर पर अवैध कब्जों को हटाने से सम्बन्धित विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन मामले

127–श्री विजय सिंह राणा–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के चौथे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–80 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में दयालबाग माइनर पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाने हेतु विभाग द्वारा की गयी न्यायालयी कार्यवाही का पूर्ण विवरण क्या है ? सिंचाई विभाग ने कितने वाद किन-किन लोगों के विरुद्ध अवैध कब्जे को हटाने के लिए, किन-किन तिथियों में दायर किये हैं ? क्या वाद दायर करने से पूर्व अवैध कब्जों को रोकने के लिए पुलिस सहायता ली गयी ? क्या यह सत्य है कि नहर विभाग के अधिकारी उक्त जमीन पर कब्जा करने के दोषी हैं ? यदि हां, तो शासन द्वारा उक्त मुकदमों में सही तरीके से पैरवी नहीं करने तथा जानबूझकर कब्जा करा देने हेतु दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

आगरा में दयालबाग माइनर पर अवैध कब्जों को हटाने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा मा० न्यायालय, परगना अधिकारी आगरा, मा० नगर मजिस्ट्रेट आगरा तथा मा० न्यायालय, सिविल जज, आगरा के यहां वाद चलाये गये हैं ।

सिंचाई विभाग द्वारा 54 वाद दायर किये गये है जिनका विवरण संलग्न है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 290-291 पर)

जनपद आगरा में लोअर खण्ड आगरा नहर के सहायक अभियन्ता पर ठेकेदार द्वारा गोली चलाने की घटना

128–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि आगरा में लोअर खण्ड आगरा-नहर, आगरा के सहायक अभियन्ता पर दिनांक 29 नवम्बर, 90 को विभागीय ठेकेदार श्री मुरारीलाल व श्री वासुदेव त्यागी ने उस समय गोली चलाई जब वह अपने कार्यालय में बैठकर कार्य कर रहे थे और बाद में मार्च, 1992 में इन्हीं ठेकेदारों ने श्री रोरन सिंह अवर अभियन्ता की जमकर पिटाई की जिसकी पुलिस रिपोर्ट दर्ज हुई थी व न्यायिक कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण पर इनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

श्री रोरन सिंह, अवर अभियन्ता की पिटाई नहीं की गई बल्कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया । इस हेतु एक विभागीय जांच समिति गठित कर दी गई है जिसकी कार्यवाही प्रगति में है ।

अधिशासी अभियन्ता, लोअर खण्ड, आगरा नहर, आगरा ने सम्बन्धित ठेकेदारों को दिसम्बर, 1990 में ब्लैक लिस्ट कर दिया था परन्तु जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) आगरा के परामर्श पर अप्रैल, 1991 में उनका पंजीकरण पुनः बहाल कर दिया गया ।

ग्राम आलीपुर खेड़ा में जिला मैनपुरी में विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने की योजना

129–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी के ग्राम आलीपुर खेड़ा में विद्युत सब स्टेशन बनने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ? क्या सरकार सब स्टेशन बनाने का निर्णय शीघ्र लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

विधान सभा क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी के ग्राम आलीपुर खेड़ा में विद्युत सब-स्टेशन बनने की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है । ग्राम आलीपुर खेड़ा की एक दिशा में 33/11 के० वी० भोगांव विद्युत गृह है, जो कि लगभग 10 कि० मी० की दूरी पर है तथा दूसरी दिशा में 33/11 के० वी० सुल्तानगंज विद्युत गृह है जो कि लगभग 8 कि० मी० की दूरी पर है । इस क्षेत्र का विद्युत भार इतना नहीं है कि आलीपुर खेड़ा में विद्युत गृह का निर्माण निकट भविष्य में आवश्यक हो ।

जनपद गाजीपुर के कतिपय विकास खन्डों में चल रही ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को ऋण दिये जाने का मामला

130–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड बराचवर, कासमाबाद, मर्दा एवं बिरनों में वित्तीय वर्ष 1991-92 एवं 1992-93 में ग्रमीण विद्युतीकरण किए जाने की कुल

कितनी योजना पर भारत सरकार एवं उ० प्र० सरकार द्वारा ऋण अलग-अलग दिया गया है ? इनमें से कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है ? शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

वर्ष 1991-92 में जनपद गाजीपुर में केवल 6 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित था । जिनमें प्रश्नगत तीनों विकास खण्डों में केवल बराचवर, विकास खण्ड के ग्राम बद्रीपुर का चयन जनपदीय सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा किया गया । वर्ष 1991-92 में उक्त ग्राम के विद्युतीकरण हेतु सरकार द्वारा रू० 1.80 लाख आवंटित हुआ था ।

वर्ष 1992-93 में जनपद गाजीपुर में केवल 24 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित हुआ है जिसमें विकास खण्ड बाराचवर में एक, कासिमाबाद में 2, मर्दा एवं बिरनों में 3 ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा चयन किया गया । उक्त कार्य के लिए अभी तक कोई धन एवं सामग्री उपलब्ध नहीं हुई है ।

धन एवं सामग्री उपलब्ध होने पर इन गांवों का विद्युतीकरण हो सकेगा ।

इन विकास खण्डों में शेष ग्रामों का विद्युतीकरण आने वाले वर्षों में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप जनपदीय सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा चयनित होने पर एवं धन की उपलब्धता पर हो सकेगा ।

जनपद आगरा के पार्क माइनर से शाहजहां पार्क में अपर्याप्त पानी की मात्रा की शिकायत

131–श्री विजय सिंह राणा–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के 5वें बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–18 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पार्क माइनर से शाहजहां पार्क के जलाशय में अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराना सम्भव न होने का कारण क्या है ? क्या पानी की उपलब्धता कम है? यदि हां, तो सिकन्दरा रजवाहा और दयालबाग माइनर में कितना पानी दिया जाता था ? उक्त दयालबाग माइनर के पुरी तरह तथा सिकन्दरा रजवाहा के लगभग आधा भाग में विसमार हो जाने से उपलब्ध पानी को पार्क-माइनर में दिए जाने में बाधा क्या है ? शासन द्वारा उक्त सम्बन्धी सीवर कैनाल को एक कैनाल के रूप में विकसित करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के प्रस्ताव के अतिरिक्त और किस प्रस्ताव की अपेक्षा व्यक्त की गयी है ? क्या जनहित में इस योजना को सरकार लागू करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पार्क माइनर से शाहजहां पार्क के जलाशय को अतिरिक्त पानी उपलब्ध न कराये जाने का कारण, आगरा नहर प्रणाली में सीमित जल उपलब्धता है ।

जी हां ।

रजबहा सिकन्दरा में 50 क्यूसेक्स पानी जाता था, जिसमें इसके मील 14-6-87 से निकलने वाली दयाल बाग माइनर का 5 क्यूसेक्स डिस्चार्ज भी सम्मिलित है। रजबहा सिकन्दरा मील 12-4-0 के नीचे तथा दयाल बाग माइनर के बिसमार हो जाने के कारण 7 क्यूसेक्स पानी की बचत हुई जिसके उपयोग के लिये 7 क्यूसेक्स क्षमता की बरौली अहीर माइनर का निर्माण किया जा चुका है, जो टर्मिनल राजबहे के मील 21-0-330 से निकलती है। अतः पार्क माइनर में अतिरिक्त पानी दिया जाना सम्भव नहीं है।

सीवर कैनाल का सम्बन्ध जल निगम से हैं।

इस विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

132–133–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

कृषकों द्वारा सीधे आटा मिलों को गेहूं दिये जाने की योजना

134–श्री दलवीर सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषकों को सीधा फ्लोर मिल पर अपना गेहूं बिक्री करने का अधिकार नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या कृषकों को दबाव से डिप्टी आर० एम० ओ०/एस० एम० आई०/सचिव मंडी में बलपूर्वक गेहूं बिक्री कराने को बाध्य कर सकते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या कृषकों से या व्यापारियों से लेवी शत प्रतिशत लेने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

135–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[2रे मंगलवार में अता०प्र०सं० 185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद में सहायक लेखाकारों के वेतन का मामला

136–श्री ओम प्रकाश–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एन० डी० कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के पत्रांक–1326/स्था०/1991/वेतन विसंगति दिनांक जनवरी, 1, 1992 के अनुसार सहायक लेखाकारों को रु० 1400-2300 का वेतन दिया जा रहा है जबकि रु० 1400-2300 को वेतन उ० प्र० के किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में नहीं दिया जा रहा है ? क्या सरकार प्रशासनिक अधिकारी एवं वित्त नियन्त्रक के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी तथा सहायक लेखाकारों को दिए गए वेतनमान को ठीक करेगी एवं किये गये भुगतान का सहायक लेखाकारों के वेतन से कटौती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा तापीय परियोजना (अ) सोनभद्र के पावर हाउस में बनाये गये फर्श एवं अन्य कार्यों में किये गये व्यय का विवरण

137—श्री रवीन्द्र प्रताप—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा तापीय परियोजना (अ) सोनभद्र के पावर हाउस के क्षेत्र में लगभग 90 लाख रुपये की लागत का बनाया गया हजारों वर्ग मीटर का फर्श बनने के दो वर्ष पश्चात् ही पूर्ण रूप से फट गया तथा स्थान-स्थान पर धंस गया है ? यदि हां, तो इसको ठीक कराने में कुल कितने रुपये व्यय हुए ? इस दोष पूर्ण कार्य की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है ? क्या पुनः फर्श ठीक कराने में जो धन परिषद् का व्यय हुआ है, उसकी वसूली परिषद् के दोषी अधिकारियों के वेतन से की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

आनपारा तापीय परियोजना "अ" सोनभद्र के पावर हाऊस के क्षेत्र में बना फर्श कहीं भी पुर्ण रूप से न तो फटा है न ही स्थान-स्थान पर धंस गया है । फर्श की मरम्मत पर कोई व्यय नहीं किया गया है । कहीं-कहीं फर्श पर सरफेस फेक दिखाई देते हैं जो अक्सर फर्श में कभी-कभी आ जाते हैं । फर्श की मरम्मत पर किसी भी प्रकार के व्यय की आवश्यकता नहीं है । अतः इसके लिये किसी को दोषी ठहराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

आनपारा तापीय परियोजना (अ) सोनभद्र में आक्जीलरी पम्प हाऊस डिस्चार्ज चैनेल पर न बनने के कारण हो रहा अपव्यय का विवरण

138—श्री रवीन्द्र प्रताप—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा तापीय परियोजना (अ) सोनभद्र में आक्जीलरी पम्प हाउस डिस्चार्ज चैनेल पर क्यों नहीं बनाया गया ? वहां पर पानी पम्प करने में प्रति वर्ष कितने करोड़ रुपये व्यय होते हैं ? क्या यह सत्य है कि करोड़ों रुपये आक्जीलरी पम्प बड़ी पाइप लाइन आदि के निर्माण से बचाया जा सकता था ? यदि हां, तो इस दोषपूर्ण निर्माण के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

आनपारा तापीय परियोजना "अ" सोनभद्र में आक्जीलरी पम्प हाउस डिस्चार्ज चैनेल पर इसलिये नहीं बनाया गया क्योंकि डिस्चार्ज चैनेल में गर्म पानी आता है । ठंडा पानी होने के पश्चात् ही अन्य जगह मशीनों आदि के प्रयोग में लाया जा सकता है । अतः उपरोक्त डिस्चार्ज चैनेल के गर्म पानी को ठंडा करने के लिये तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टिकोण से अलग चैनेल द्वारा रिजर्वायर में डालना काफी लाभप्रद था इसी कारण आक्जीलरी पम्प हाउस डिस्चार्ज चैनेल पर नहीं बनाया गया ।

अनपारा "अ" ताप विद्युत गृह में लगे पम्पों पर वार्षिक विद्युत खपत रु० 0.50 प्रति यूनिट की दर से लगभग रु० 35 लाख आता है तथा वार्षिक अनुरक्षण पर व्यय सालाना रू० 25.00 लाख तथा उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को देय वेतन पर वार्षिक रु० 6 लाख का औसतन व्यय होता है ।

जी नहीं । आक्जीलरी पम्प हाउस, पावर हाउस का एक अनिवार्य अंग है जहां यह पम्प लगा है वहां पर पानी पम्प करने में वही खर्चा आता है जो यदि आक्जीलरी पम्प हाउस डिस्चार्ज चैनल पर लगा होता तब आता ।

कार्यवाही करने का प्रश्न हीं नहीं उठता ।

139–श्री रवीन्द्र प्रताप –

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अंतर्गत आनपारा तापीय परियोजना (अ) में पम्प हाउस के स्वीच, गियर की बुनियाद भराव पर ग्राइटिंग डालने से बैठ गई थी ? यदि हां, तो उस पर ग्राइटिंग कराने में कुल कितना खर्च हुआ ? क्या यह सही है कि ग्राइटिंग की दर तीन गुना थी ? यदि हां, तो परिषद् की इस वित्तीय हानि जिसमें लगभग 5 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय हुआ ? क्या इसकी वसूली अधिकारियों के वेतन से की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस दोषपूर्ण निर्माण की जिम्मेदारी किस पर है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् की "अ" अनपरा तापीय परियोजना के पम्प हाउस के ट्रांसफार्मरों की बुनियाद लगभग 8 मी० भराव की मिट्टी पर बनी हुयी थी । पहली इकाई की कमिशनिंग के समय जब ट्रांसफार्मर बुनियादों पर रखे गये तो पता चला कि बुनियाद बैठने लगी थी । इस विषय में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विशेषज्ञ तथा तत्कालीन परियोजना सलाहकार पद्म श्री आर० एस० गहलौत के निरीक्षण के वाद सलाह के अनुसार बुनियाद के चारो तरफ मिट्टी को स्टेबलाइज करने हेतु सीमेन्ट ग्राइटिंग करायी गयी । इस कार्य पर कुल 5.03 लाख का खर्च आया । चूंकि निर्माण दोषपूर्ण नहीं था बल्कि बूनियाद भराव की मिट्टी पर बने होने के कारण वरसात में जल भराव एवं कटान के कारण धंसने लगी थी, जिससे बुनियाद पर रखे हुये 40 एम० वी० ए० ट्रांसफार्मर को भी क्षति पहुंच सकती थी । ट्रांसफार्मर को सुरक्षित रखने के लिये यह कार्य वर्ष 1985 में कराया गया था ।

आनपारा तापीय परियोजना के रेलवे साइडिंग, के खुदाई, पटाई, फायर फाइटिंग टंकी के परिकल्पना एवं ल:इटिंग टावर के निर्माण आदि कार्यों में की गयी वित्तीय अनियमितताएं तथा अधिशासी अभियन्ता श्री अशोक कुमार अग्रवाल के विरुद्ध कार्यवाही

140–श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अंतर्गत आनपारा तापीय परियोजना में जिस स्थान पर रेलवे साइडिंग आ रही थी, उसमें पहले से स्थित कठोर चट्टान को एक मीटर से अधिक तक खोदा गया था ? यदि हां, , तो क्या पुनः दो वर्ष पश्चात् उसी स्थान को मिट्टी से भरकर एक फुट मोटी कंकरीट का फर्श डलवा दिया गया है ? यदि हां, तो इस कार्य में कुल कितने रूपये की परिषद् को राजस्व क्षति हुई ? किस अधिकारी की योजना के अनुसार उक्त कार्य किया गया ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

यह सही नहीं है कि जिस स्थान पर रेलवे साइडिंग आ रही थी उस स्थान की कठोर चट्टान को एक मीटर से ज्यादा खोदा गया । वास्तविकता यह है कि लेवलिंग तथा ग्रेडिंग का कार्य केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तय किए गये नक्शे के अनुसार पहले कराया गया । उस समय तक यह अन्तिम रूप से

तय नहीं था कि रेलवे साइडिंग वर्तमान स्थान पर बनी हुई रेलवे साइडिंग के स्थान पर ही बनना है। बाद में भारत सरकार की कम्पनी मेसर्स पूर्व रेलवे के द्वारा तय किए गये ले-आउट के आधार पर रेलवे साइडिंग बनाई गई जिसकी फाइनल लेविल मेसर्स इरकान एवं पूर्व रेलवे के नक्शों के अनुसार तय किया गया। अतः मिट्टी की भराई तथा एक फुट मोटा पर्दा डालने में किसी की कोई गलत मंशा नहीं थी। दोनों कार्य अलग-अलग समय पर किए जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। इस कार्य के कराये जाने से किसी राजस्व की क्षति नहीं हुई है। अतः इसके लिये किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। पावर हाउस का ले-आउट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के निर्देशानुसार तय किया गया था।

141–श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अंतर्गत आनपारा तापीय परियोजना में फायर फाइटिंग टंकी की परिकल्पना परिषद् के सक्षम अधिकारियों से न करवाकर ठेकेदार लूथा ब्रदर्स से रु० 80,000 (अस्सी हजार रुपये) देकर करवायी गयी थी ? जबकि ठेकेदार के पास कोई डिप्लोमा इंजीनियर भी कार्यरत नहीं था ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि परिषद् में यह परिकल्पना किसके द्वारा करवाई गई ? क्या यह सत्य है कि ठेकेदार और अभियन्ताओं की लापरवाही से तारकोल भरने के आइटम की मात्रा 20 किलो से बढ़ाकर 800 किलो कर दी गई तथा जिसकी दर 200 प्रति किलो थी ? क्या इसकी वास्तविक लागत मात्र 5 रु० (पांच रुपये) प्रति किलो थी ? यदि हां, तो अधिकारियों द्वारा इस त्रुटिपूर्ण परिकल्पना और दर से परिषद् को कुल कितना रुपया व्यय करना पड़ा ? क्या निर्माण के पश्चात् भरी पानी के रिसीव के कारण समस्त भरा हुआ तारकोल निकल ग्राउडिंग करने लगा था ? यदि हां, तो क्या तारकोल के मद में ठेकेदार को भुगतान की गयी धनाराश की कटौती की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा तापीय परियोजना में 31 ए० सी० अनुबंध की शर्तों के अनुसार फायर फाइटिंग टंकी की परिकल्पना ठेकेदार मेसर्स लूथरा ब्रदर्स से करायी गई थी, जिसके लिए रु० 80,000 (अस्सी हजार रुपये) का भुगतान किया गया था। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर यह तो मालूम नहीं कि ठेकेदार के पास कोई इंजीनियर था अथवा नहीं लेकिन उनके द्वारा दिये गये मानचित्रों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से अनुमोदन के बाद ही कार्य कराया गया था। यह सही है कि अनुबन्ध में 20 किलोग्राम ब्लोन विट्विन (तारकोल) की मात्रा ही दी गई थी, जिसकी दर रु० 200 प्रति क़िलोग्राम थी, लेकिन मानचित्रों में दिये गये कांसट्रक्शन ज्वाइंट को भरने में कुल 83.70 किलोग्राम विटविन लगा था। ठेकेदार को अनुबन्ध में दिये गये दरों से ही भुगतान किया गया है। विभिन्न आइटमों के लिए जब एक अनुबंध कर लिया जाता है तो एक-एक आइटम की वास्तविक कीमत का कोई अर्थ नहीं रहता है। चूंकि सभी परिकल्पना परियोजना के कन्सलटेन्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारण (भारत सरकार) से अनुमोदित होकर ही निर्माण के लिए जारी की गई है अतः इसे त्रुटिपूर्ण कहने का कोई औचित्य नहीं है। पानी भरने के बाद रिसाव, सीमा से थोड़ा अधिक होने के कारण ठेकेदार द्वारा प्रेशर ग्राउटिंग कराया गया है, जिसका उसे कोई भुगतान नहीं किया गया है, रिकार्ड देखने से यह कहीं भी आभास नहीं होता कि तारकोल वहां है एवं इस मद में ठेकेदार से कोई कटौती नहीं की गई है। यह कार्य लगभग सन् 1984-87 (सन् 1984 से 87 तक) में कराया गया था।

142–श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उ० प्र० राज्य विद्युत के अंतर्गत आनपारा तापीय परियोजना सोनभद्र में इरकान कम्पनी द्वारा 60 अदद लाइटिंग टावर बनवाये गये थे ? यदि हां, तो उसी कार्य का ठेका पुनः फिलिप्स कम्पनी को देकर पुनः टावर बनवाये गये ? यदि हां, तो किस अधिकारी के आदेश से टावर पुनः बनाये गये ? उक्त कार्यों पर कुल कितने रुपये दोनों कम्पनियों को भुगतान किए गये ? क्या यह सत्य है कि पूर्व कम्पनी द्वारा निर्मित 20 टावरों को लगाया ही नहीं गया है ? क्या शेष टावर में लाइट के कनेक्शन भी नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो इस दोहरे कार्य से परिषद् को कितनी वित्तीय हानि उठानी पड़ी ? इस वित्तीय हानि की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है ? क्या इसकी वसूली उक्त अधिकारी के वेतन से की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

यह सही नहीं है कि मेसर्स इरकान कम्पनी द्वारा 60 अदद लाइटिंग टावर बनवाये गये । बल्कि उक्त कम्पनी द्वारा केवल 24 अदद टावर बनाये गये । यह भी सत्य नहीं है कि इरकान कम्पनी द्वारा निर्मित 20 टावरों को लगाया ही नहीं गया । इरकान कम्पनी के द्वारा जितनी भी टावर निर्मित की गयी, लगाई गयी थी । अधीक्षण अभियन्ता, तापीय परिकल्पना अभियन्त्रण (विद्युत परिकल्पना इकाई) लखनऊ के आदेश संख्या 1225-ई० डी० यू०/ ई० ई० डी०/ 701/ दिनांक 27-2-84 द्वारा तथा परामर्श दाता केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा अनुमोदित 18 टावर मार्शिलिंग यार्ड में तथा 14 टावर कोल यार्ड में फिलिप्स कम्पनी द्वारा लगाये गये जहां और कोई टावर नहीं लगा था । फिलिप्स कम्पनी द्वारा लगाये गये कुल 32 टावरों पर कुल लागत रु० 26 लाख 3 हजार है ।

143–श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अंतर्गत आनपारा तापीय परियोजना में कार्यरत श्री अशोक कुमार अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता (सिविल) दिनांक 5-5-76 को रिश्वत लेते हुए पकड़े गये थे ? यदि हां, तो जिला जज ने इनके विरुद्ध क्या फैसला दिया था ? क्या उसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? इनको पुनः नौकरी पर किस आधार पर रखा गया ? किस निर्णय के आधार पर गत तेरह वर्षों से निरन्तर महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्यों पर इन्हें तैनात किया जाता रहा है ? इन तेरह वर्षों में कितनी बार इनका स्थानान्तरण हुआ और आदेश का निरस्तीकरण हुआ ? किसके आदेश से उक्त दोषी अधिकारी के स्थानान्तरण आदेशों का निरस्तीकरण हुआ ? क्या उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां, श्री अशोक कुमार अग्रवाल जब विद्युत सिविल निर्माण खण्ड, मेरठ में सहा० अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत थे, दिनांक 8-4-1976 को कथित रूप से रिश्वत लेते हुए पकड़े गये थे ।

विशेष न्यायाधीश मेरठ ने श्री अग्रवाल को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें निर्दोष घोषित किया था । अतएव इसकी आवश्यकता नहीं है ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इन्हें निर्दोष करार दिये जाने के पश्चात् श्री अग्रवाल को पुनः सेवा में बहाल किया गया ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्री अग्रवाल को निर्दोष करार दिये जाने के पश्चात् परिषदीय सेवक के रूप में इन्हें परिषद् के अधीन किसी पद पर तैनात करना नियम विरुद्ध नहीं है ।

सम्प्रति उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर श्री अग्रवाल, अप्रैल, 1980 से जून 1992 तक आनपारा परियोजना में तैनात रहे । इस काल खण्ड में इनका चार बार स्थानान्तरण किया गया जिनमें से दो बार स्थानान्तरण आदेशों का निरस्तीकरण किया गया । एक बार श्री अग्रवाल का स्थानान्तरण आनपारा परियोजना "अ" से "ब" में हुआ था और अन्तिम बार आनपारा परियोजना से ओबरा में हुआ, जहां इन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

अधिकारी को माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्णतया बरी कर दिया है अतएव उसे दोषी नहीं कहा जा सकता । जनहित/परिषदीय कार्यहित तथा प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण किया जाना अथवा उनका स्थगन/निरस्तीकरण प्रशासनिक व्यवस्था की अनवरत स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसके लिये किसी व्यक्ति विशेष को दोषी ठहराये जाने का कोई तर्क संगत औचित्य नहीं है । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न अप्रासंगिक है ।

144–श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा तापीय परियोजना "अ" सोनभद्र के कोल हैन्डलिंग प्रणाली की क्षमता 50 हजार टन प्रतिदिन का प्लान्ट ठेकेदार द्वारा बनाकर दिया जाना था ? यदि हां, तो क्या ठेकेदार/अधिकारियों की गलती से 10 हजार टन प्रतिदिन का प्लान्ट दिया गया है ? यदि हां, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है ? क्या यह सत्य है कि वर्तमान क्षमता में सुधार हेतु 2 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ठेकेदार/अधिकारियों के लापरवाही द्वारा निर्मित घटिया प्रणाली के सुधार का खर्च राज्य विद्युत परिषद् वहन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

यह सत्य है कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा तापीय परियोजना सोनभद्र के कोल हैण्डलिंग प्लांट की क्षमता 2100 टन प्रतिघंटा अथवा 50,000 टन प्रतिदिन है । यह कथन कि परिषदीय अधिकारियों तथा ठेकेदार की गलती से 10,000 टन प्रतिदिन का प्लांट बना दिया गया है । पूर्णतया असत्य है किसी भी अधिकारी की जिम्मेदारी का प्रश्न ही नहीं उठता ।

दो करोड़ रूपये की एक योजना परिषद् को स्वीकृत प्रदान करने हेतु प्रस्तुत की गई थी, जिसकी स्वीकृत परिषद् से अभी तक अपेक्षित है । यह आरोप भी सत्य नहीं है कि अधिकारियों की लापरवाही द्वारा घटिया प्रणाली का प्लांट निर्मित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद ज्ञानपुर पम्प कैनाल पर ग्यारह के० वी० ए०, ओ० सी० वी० की फर्जी आपूर्ति का मामला

145–श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या सिचाई मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद में ज्ञानपुर पम्प कैनाल पर 11 के० वी० ए०, ओ० सी० वी० की आपूर्ति फर्जी कोटेशन लगाकर तथा इसी नहर पर अन आरमर्ड केबिल के स्थान पर आरमर्ड केबिल बिछाकर लाखों रुपयो का घपला किया गया है ? क्या यह भी सत्य है कि टोंस नरह पम्प कैनाल में एल० टी० पावर लाइन बिछाने की निविदा की अनुमानित दर लगभग 4 लाख रुपये

थी ? क्या 12 लाख का अनुबन्ध करके मार्च, 1992 में 5 लाख का अग्रिम भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

टोन्स पम्प नहर पर एल० टी० पावर, लाइन बिछाने की निविदा का विभागीय अनुमानित दर 12,65,000 रु० था, जिसके विरुद्ध अनुबन्ध रुपये 11,88,400 में किया गया है तथा मार्च, 1992 में इस कार्य हेतु रुपये 3,3,238 का भुगतान किया गया है ।

दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही करने का निर्णय लिा जा चुका है ।

146–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गाजीपुर के गन्ना किसानों को गन्ना की प्रगतिशील प्रजातियों को उपलब्ध कराने का मामला

147–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेगे कि जनपद गाजीपुर में वर्तमान बुआई सत्र, 91-92 में वहां की मिट्टी की किस्म को ध्यान में रखकर सरकार की नीति के तहत किसानों को कौन-कौन सी गन्ना प्रजाति के बीज, कितनी मात्रा में उपलब्ध कराये गये ? जनपद गाजीपुर में गन्ना किसानों द्वारा कितने क्षेत्रफल भूमि पर उक्त नई प्रजातियों के गन्ने की खेती हुई एवं इससे गन्ना किसानों को कितना लाभ हुआ ?

श्री हनुमन्त सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गाजीपुर में सिंचाई व्यवस्था के संबंध में की गयी धांधलियों की शिकायत

148–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के अमुभाग-10 अर्धशा० पत्र संख्या-172 -एम/ 82-27- सिंचाई-10, दिनांक 25-4-92 के अन्तर्गत गाजीपुर में देवकली पम्प नहर प्रथम के अन्तर्गत बिरनों, राजवाह, तरौती, राजापुर राजवाहा भोगना एवं दलपतपुर माइनर तथा सिंचाई कालोनी से कई हजार क्यूबिक मीटर मिट्टी उठाकर जहूराबाद एवं बाराचवर स्टोर पर ले जाने एवं निर्माण कार्यों में धांधली के कारण लाखों रुपये के घोटालों के संबंध में तकनीकी जांच बैठाई गयी थी ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच पूर्ण हो गयी ? क्या सरकार इसकी, रिपोर्ट सदन के पटल कर रखेगी ? इसमें कौन-कौन अभियन्ता दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । जनपद गाजीपुर के देवकली पम्प नहर प्रथम के अन्तर्गत विभिन्न माइनरों एवं राजवाहों पर वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिनों में फर्जी भुगतान किये जाने तथा पानी टेल तक न पहुचने के संबंध में

प्रश्नकर्ता श्री सुरेन्द्र सिंह, विधायक द्वारा दिये गये नियम-301 के अन्तर्गत सूचना पर शासन के प्रश्नगत आदेश दिनांक 25-4-92 द्वारा प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठक को जांच हेतु लिखा गया था ।

जी हां ।

प्रश्नगत जांच रिपोर्ट का मानीनय विधायक अपनी सुविधानुसार सिंचाई मंत्री के कक्ष में आकर अवलोकन कर सकते हैं ।

जांच में किसी अभियन्ता को दोषी नहीं पाया गया । जांच में यह तथ्य अवश्य प्रकाश में आया कि देवकली पम्प नहर प्रणाली के डिजाइन क्षमता के 7+1 (1 स्टैण्ड बाई) पम्प लगाये गये थे, जो सभी क्षतिग्रस्त हो गये तथा उक्त पम्पों पर विद्युत आपूर्ति भी नियमित रूप से नहीं हो पाती जिसके कारण उक्त राजबहे में पानी को आपूर्ति कम रहती है । उक्त समस्त क्षतिग्रस्त पम्पों को सही कराने हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ को आदेश दे दिये गये हैं तथा विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से किये जाने का अनुरोध भी विद्युत विभाग से किया गया है । उक्त कार्यवाही की सूचना प्रश्नकर्ता श्री सुरेन्द्र सिंह, विधायक को भी दी जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी में मार्ग निर्माण हेतु दिये गये धनराशि के प्रयोग में धांधली

149–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 89-90 बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर, विधान सभा क्षेत्र में जमोहना, सेखई मार्ग के निर्माण हेतु मण्डी परिषद् द्वारा दस लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो अब तक उक्त मार्ग के निर्माण न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी मामले की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने और निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाने का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

रु० 9.00 लाख (रु० नौ लाख) की स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

उक्त मार्ग का निर्माण कार्य जो बरसात के कारण बन्द था, अब प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) मण्डल लखनऊ के अन्तर्गत जी० डी० साइट्स पर यंत्र एवं संयत्र रखने के लिए खोले गये स्टोरों की जांच प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग से कराने की मांग

150–श्री समीउल्ला–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) मण्डल लखनऊ के अन्तर्गत खण्डों के जी० डी० साइट्स पर यंत्र एवं संयंत्र रखने के लिए कुल कितने स्टोर्स का अस्तित्व में होना अभिलेखों में अंकित है ? उक्त स्थल पर वास्तव में कितने स्टोर विद्यमान है ? क्या मंत्री जी प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के माध्यम से वास्तुविक स्टोर्स का निरीक्षण करवाकर स्थिति से सदन को अवगत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) मण्डल, लखनऊ के अन्तर्गत अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड, लखनऊ मे 6, अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड, बस्ती में 7 तथा अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड, वाराणसी में 10 स्टोर्स अस्तित्व में हैं।

उक्त स्थलों पर 23 स्टोर्स विद्यमान हैं।

उक्त समस्त स्टोर्स मौके पर विद्यमान हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

151–श्री श्रीराम (जालौन)–

[मा० सदस्य ने वापस लिया]

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का सरकारी संस्थानों एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर बकाया धनराशि का विवरण

152–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् का सरकारी संस्थानों पर कुल कितना धन बकाया है ? क्या यह सच है कि विभिन्न जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों को दिए गए पंखा/बत्ती कनेक्शनों के विद्युत बिल की काफी रकम परिषद् वसूल नहीं कर पा रही है ? यदि हां, तो यह धनराशि कितनी है और कब तक वसूल हो जायेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

माह जुलाई, 92 के अंत में सरकारी संस्थानों पर विद्युत बिलों का लगभग 307.38 करोड़ रुपया बकाया है।

राज्य विद्युत परिषद द्वारा सूचना एकत्र की जा रही है।

देवरिया जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विगत दो वर्षों से जले ट्रांसफार्मरों का विवरण

153–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 90-91, 91-92 और 92 जून तक कुल कितने ट्रांसफार्मर जले हैं ? क्या सरकार दोषी संबंधित अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के गोरखपुर क्षेत्र के अन्तर्गत देवरिया जनपद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 90-91, 91-92 एवं 92 जून तक कुल 729 ट्रांसफार्मर जले थे। चूंकि ट्रांसफार्मर विभिन्न तकनीकी कारणों से जलते हैं, अतएव संबंधित अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री पारसनाथ वर्मा सहायक अभियन्ता केन कैनाल द्वितीय उपखण्ड, अतर्रा जनपद बांदा द्वारा नहरों की सफाई आदि में घपला

154–श्री गयाचरन दिनकर–

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पारस नाथ वर्मा, सहायक अभियन्ता, केन कैनाल द्वितीय उपखण्ड, अतर्रा, जनपद बांदा द्वारा नहरों की सफाई पिंचिंग एवं कटानों को बंधवाने के कार्यों

पर बढ़ा चढ़ाकर फर्जी कार्यों का भुगतान कराया है ? क्या उक्त सहायक अभियन्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 1991-92 में कराये गये कार्यों का एवं व्यय धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इनके द्वारा कराये गये कार्यों की तकनीकी जांच सम्पादित कर दोषी पाये जाने पर उन्हें दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

वर्ष 1991-92 में कराये गये कार्यों एवं व्यय की गई धनराशि का विवरण मा० सिंचाई राज्य मंत्री जी ने कक्ष में अवलोकन हेतु उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ द्वारा तकनीकी जांच दिनांक 24-2-92 से 27-2-92 तक की गई है । जांच में संबंधित सहायक अभियंता की फर्जी भुगतान हेतु दोषी नहीं पाया गया अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के विकास खण्ड अकोला के ग्राम नगला परमाल के विद्युतीकरण में धांधली

155–श्री विजय सिंह राणा–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद आगरा के विकास खण्ड अकोला के ग्राम नगला परमाल के विद्युतीकरण के आदेश वर्ष 1986-87 में हो चुके हैं तथा 15 प्रतिशत रिर्टन जमा किया गया है ? क्या गांव में खम्भे लगा दिये गये हैं ? क्या स्टोर से 2.2. कि० मी० तार दिये जाने के आदेश भी हो चुके है ? यदि हां, तो गांव का विद्युतीकरण न किये जाने के क्या कारण है ? क्या विभागीय अधिकारियों की अकर्मण्यता और लापरवाही के कारण ही उक्त गांव का विद्युतीकरण अभी तक संभव नहीं हो सका है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

उक्त कार्य के लिये पोल साइट पर पहुंचा दिये हैं परन्तु परिषद् में धनाभाव के कारण 15 प्रतिशत रिटर्न के आधार पर ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये फण्ड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि यह ग्राम जनपदीय सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा चयनित नहीं हुआ है ।

इसके लिये कोई विभागीय अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

जनपद बांदा में किसान सहायक भवनों का निर्माण एवं उसकी अनुमानित लागत

156–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो किसान सहायक भवनों का निर्माण कार्य बांदा जनपद में ठेकेदारों से करवाया जा रहा है उनके अनुबन्धों/एग्रीमेंन्ट करने हेतु प्रत्येक कार्य में कितने-कितने धनराशि के स्टाम्प किस-किस तारीख को खरीदे गये हैं ? एक किसान सहायक भवन की अनुमानित लागत क्या है ?

श्री गंगाभक्त सिंह–

विवरण संलग्न है ।

एक किसान सहायक आवासीय भवन टाइप-2 की अनुमानित लागत लगभग 1.32 लाख रुपये है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 292 पर)

अनुसंधान एवं नियोजन (जल संस्थान) खण्ड वाराणसी के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अनुपस्थित काल का वेतन अर्जित करने की शिकायत

157– श्री समीउल्ला तथा श्री राम खिलाड़ी –

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड वाराणसी के अधिशासी अभियन्ता द्वारा विगत वर्षों में लगभग रुपये पचास हजार की धनराशि अपने वेतन के रूप में स्वयं आहरित की गयी है ? क्या यह सत्य है कि जिस अवधि का वेतन आहरित किया गया है वही अवधि संबंधित अधिकारी का अनुपस्थित काल था ? क्या उक्त धनराशि के आहरण की वैधानिकता की जांच मुख्य लेखाधिकारी, सिंचाई विभाग के माध्यम से कराकर दोषी अधिकारी के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1989 में अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता ने बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये अपनी 9/87 से 7/88 तक के अनुपस्थित अवधि को बाध्य प्रतीक्षा काल मानकर धनराशि रु० 48,773 वेतन स्वरुप आहरित कर लिया ।

संबंधित अधिकारों का स्पस्टीकरण मांगा गया था, जो प्राप्त हो गया है और इस पर विचार करते हुये नियमानुसार दण्ड दिया गया है ।

जी नहीं । शासन स्तर पर संबंधित अधिकारी को स्पष्टीकरण प्राप्त कर निर्णय लेकर नियमानुसार दण्ड दिया गया है । शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

अनुसंधान एवं नियोजन जल संसाधन मण्डल लखनऊ में गेज डिस्चार्ज साईट्स साइफन एवं कर्मचारियों की नियुक्ति का विवरण

158–श्री समीउल्ला तथा श्री राम खिलाड़ी –

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) मण्डल लखनऊ के अंतर्गत खण्डों के अधीन कुल कितने गेज डिस्चार्ज साइट्स अस्थायी तथा स्थायी है तथा प्रत्येक गेज डिस्चार्ज साइट्स के विरुद्ध कितने-कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी रखे गये हैं ? क्या वर्तमान अधीक्षण अभियन्ता से समस्त गेज डिस्चार्ज साइट्स का निरीक्षण करवाकर सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायेंगे कि डिस्चार्ज साईट्स पर वास्तविक रूप से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) मंडल लखनऊ के अन्तर्गत खण्डों के अधीन कुल 11 अस्थाई तथा 22 स्थाई गेज डिस्चार्ज साईट्स है । वर्तमान समय में निम्नलिखित अस्थायी गेज डिस्चार्ज साईट्स के विरुद्ध दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी रखे गये हैं:–

1–गोमती नगर जी० डी० स्थल	3
2–शरीफाबाद	1
3–औरास	1
4–मसौली	1
5–पीर अलीपुर	1
6–काटनाला	1
7–कोनी घाट	1
8–रबही	1
9–महौली	1

गेज डिस्चार्ज साईट्स पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या-11 है । समय-समय पर गेज डिस्चार्ज साईट्स का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

वाहनों व चालकों हेतु लखनऊ में बने विभिन्न स्थानों पर आवासों का विवरण

159–श्री समीउल्ला–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्ट रोड, लखनऊ स्थित तथा हैवलक रोड, लखनऊ स्थित कैनाल कालोनी में कुल कितने आवास वाहन चालकों के लिए निर्मित है ? उक्त कालोनियों में कुल कितने वाहन चालक, कब से प्रवास कर रहे हैं ? उनमें से कितने वाहन चालकों का विधिवत् आवास आवंटित है. ? कितने वाहन चालकों द्वारा सरकारी उपनिवेश में प्रवास करते समय भी मकान किराया भत्ता प्राप्त किया गया है ? कितने वाहन चालकों द्वारा कैनाल कालोनी स्थित अनावासीय भवनों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवासों पर कब्जा करके उनमें प्रवास किया जा रहा है ? उक्त के संबंध में मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) स्तर के वर्ष 1986 से 1991 के मध्य कितने पत्र निर्देश निर्गत किए गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वाहन चालकों के लिए अलग से कोई आवास निर्मित नहीं है ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विधान सभा

भूमि संरक्षण अधिकारी बस्ती के विरुद्ध श्री दयाराम चौधरी सदस्य विधान परिषद् आदि का शिकायती पत्र

160–श्री राम ललित चौधरी–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि मई, 92 के दूसरे सप्ताह में श्री दयाराम चौधरी सदस्य, विधान परिषद् एवं नगर व्यवस्था प्रमुख बस्ती का कोई शिकायती पत्र भूमि संरक्षण अधिकारी बस्ती के विरुद्ध कृषि निदेशक, उन्हें तथा मुख्य मंत्री को जांच के लिए प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगाभक्त सिंह–

जी हां ।

उप कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण) फैजाबाद द्वारा जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गढ़वाल के कालागढ़ में सिंचाई विभाग द्वारा संचालित इण्टर कालेज के अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें

161–श्री भारत सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल जनपद में कालागढ़ में सिंचाई विभाग द्वारा एक इण्टर कालेज संचालित किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय के कर्मचारियों तथा शिक्षकों की सेवा की शर्तें किस विभाग द्वारा और किन मानकों के अनुसार नियंत्रित होती है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

गढ़वाल जनपद के कालागढ़ मुख्यालय पर स्थापित रामगंगा परियोजना इण्टर कालेज कालागढ़ का संचालन वर्तमान समय में सिंचाई विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है ।

उक्त विद्यालय चूंकि सरकारी विद्यालय की श्रेणी का नहीं है, अतः उसके कर्मचारियों तथा शिक्षकों पर वही सेवा की शर्तें लागू हैं, जो संस्थागत विद्यालयों पर इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1992 में किये गये प्राविधान के अनुसार लागू होती हैं ।

सेवा निवृत्त सहायक अध्यापक श्री भीम सिंह नेगी राम गंगा परियोजना प्राथमिक विद्यालय कालागढ़ जनपद गढ़वाल के पेंशन आदि देयों के भुगतान की मांग

162–श्री भारत सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा गढ़वाल जनपद कालागढ़ में संचालित प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक श्री भीम सिंह नेगी जो दिनांक 30-6-92 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं का पेंशन प्रकरण अभी तक निस्तारित नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त पेंशन प्रकरण का निस्तारण करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

गढ़वाल जनपद के कालागढ़ मुख्यालय पर सिंचाई विभाग द्वारा संचालित रामगंगा परियोजना प्राथमिक विद्यालय, कालागढ़ से श्री भीम सिंह नेगी सहायक अध्यापक दिनांक 30-6-82 को सेवानिवृत्त

हुये । सहायक अध्यापक श्री भीम सिंह नेगी नियमित अधिष्ठान के कर्मचारी नहीं थे, अतः उन्हें पेंशन का लाभ अनुमन्य नहीं है ।

कालागढ़ बांध परियोजना जनपद गढ़वाल में बने भवनों के उपयोग का विवरण

163–श्री भारत सिंह रावत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कालागढ़ बांध परियोजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों में से कितने भवन सुरक्षित हैं और कितने भवन किस-किस उपयोग में लाये जा रहे हैं ? क्या यह सही है कि उक्त भवनों में से कुछ में स्थानीय व्यक्ति निवास कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवनों को जो अब परियोजना के लिए अनुपयोगी हैं को उनमें निवास कर रहे व्यक्तियों को विक्रय करेगी अथवा किराये पर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कालागढ़ बांध परियोजना के अंतर्गत निर्मित कुल 4183 आवासीय भवनों में से 1195 आवासीय भवन भूमि सहित वन विभाग को स्थानान्तरित किये जो चुके हैं, और 465 आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं । अतः अब केवल 2523 आवासीय भवन सुरक्षित हैं, जिसमें से 1928 आवासीय भवनों का उपयोग अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है शेष 595 आवासीय भवनों पर अवैधानिक कब्जा है ।

जी हां ।

चूंकि भूमि जिस पर आवासीय भवन निर्मित हैं, वन भूमि है, अतः अनुपयोगी आवासों को उनमें निवास कर रहे व्यक्तियों को सिंचाई विभाग द्वारा विक्रय किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि० लखनऊ द्वारा जनपद मेरठ के कृष्णा नदी पर बनाये गये पुल में अनियमितता

164–श्री कटार सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि संयुक्त प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि० लखनऊ ने जनपद मेरठ में कृष्णा नदी पर असारा व सुजती गांव के बीच से अस्थाई पक्का पुल बनाये जाने हेतु अपने पत्रांक-1293/ एफ० ए०/एम० (एका)/ 91-92 दिनांक 20 सितम्बर, 91 द्वारा अंकन रुपये 4.68 लाख स्वीकृत किया गया था ? क्या अस्थाई पक्के पुल का निर्माण चालू पेराई सत्र से आरम्भ से पूर्व किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या स्वीकृत धनराशि अस्थायी पक्के पुल के निर्माण में ही प्रयोग की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?क्या सरकार गन्ना विभाग को अस्थायी पक्का पुल निर्माण के आदेश पुनः जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गन्ना विभाग में जिला संवर्गीय मिनिस्ट्रीरियल कर्मचारियों के पदोन्नति का मामला

165–श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री अकबर हुसैन–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि गन्ना विभाग में विगत तीन वर्षों से जिला संवर्गीय मिनिस्टीरियल कर्मचारियों की रिक्तियां होते हुए भी उपर्युक्त कर्मचारियों की रिक्त पदों पर पदोन्नतियां नहीं की गयी ? यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जो समय से पदोन्नति न होने के कारण उक्त लाभ से वंचित रह कर सेवानिवृत्त हो गये तथा कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो वर्षों से पदोन्नति रिक्त पदों पर न पाने के कारण उक्त लाभ से वंचित हैं ? सरकार को संबंधित मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को रिक्त पदों पर भूतगामी प्रभाव से प्रोन्नति देने में क्या परेशानी है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि विगत तीन वर्षों में क्रमशः 89-90, 90-91 तथा 91-92 में उपलब्ध रिक्तियों पर आधार पर 81 लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदोन्नतियां की गयीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

लिपिक वर्गीय सेवा संघ (जिला शाखा) द्वारा दायर याचिका में मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 23-3-92 के अनुसार पदोन्नति देने में कठिनाई है ।

166-167–श्री राम किशन ददाजू–

[दि० 6-5-92 को अता० प्र० सं० 144-145 के अन्तर्गत उत्तरित]

अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) मण्डल लखनऊ में खण्डों के जी० डी० साइट्स पर यंत्र एवं संयंत्र रखने हेतु स्थापित किये गये स्टोरों में गड़बड़ी

168–श्री राम खिलाड़ी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) मण्डल लखनऊ के अंतर्गत खण्डों के जी० डी० साईट्स पर यंत्र एवं संयंत्र रखने के लिए कुल कितने स्टोर्स का अस्तित्व में होना अभिलेखों में अंकित है तथा स्थल पर वास्तव में कितने स्टोर विद्यमान है ? क्या मंत्री जी प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के माध्यम से वास्तविक स्टोर्स का निरीक्षण करवाकर स्थिति से अवगत करायेंगे इस प्रकरण पर हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच सिंचाई विभाग के मुख्य लेखाधिकारी से करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) मण्डल, लखनऊ के अधीनस्थ खण्डों के जी० डी० साइट्स पर अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड, लखनऊ में 6, अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड, बस्ती में 7 एवं अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड, वाराणसी में 10 स्टोर्स अस्तित्व में हैं । उक्त सभी स्टोर मौके पर विद्यमान हैं ।

उक्त समस्त स्टोर्स मौके पर विद्यमान हैं ।

कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

169–श्री राम खिलाड़ी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

170–श्री राम खिलाड़ी–

[दिनांक 28-10-92 को अता० प्र० सं० 145 द्वारा उत्तरित]

अधिशासी अभियन्ता अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड बस्ती द्वारा चतुर्थ श्रेणी में की गयी नियुक्ति में गड़बड़ी

171–श्री राम खिलाड़ी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) खण्ड बस्ती द्वारा दि० 29-12-89 से अपने कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी अधिष्ठान में सीधी भर्ती

करते हुए एक बाहरी अभ्यर्थी की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त भर्ती से पूर्व उन शासनादेशों/नियमों का भी ध्यान रखा गया जिसके अनुसार अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों/व्यक्तियों तथा कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत व्यक्तियों को नियमित अधिष्ठान में नियुक्ति प्रदान किये जाने विषयक कतिपय प्राविधान है ? क्या उक्त भर्ती से पूर्व रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम के प्राविधानों का भी पालन किया गया ? उक्त भर्ती के प्रकरण में क्या उन शासनादेशों के प्राविधानों का भी पालन किया गया है जिसके अनुसार क्षेत्रीय विधायकों को भी रिक्तियों की सूचना दिया जाना अनिवार्य है ? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक कार्यवाही न किये जाने के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, बल्कि दिनांक 9-12-1989 से नियुक्ति की गयी है ।

जी हां ।

जी हां ।

क्षेत्रीय विधायकों को रिक्तियों की सूचना दिये जाने संबंधी शासनादेश कार्मिक विभाग द्वारा 30-4-91 को जारी किया गया है । चूंकि चयन शासनादेश जारी होने से पूर्व किया गया है अतः क्षेत्रीय विधायक को उस समय सूचना दिये जाने का औचित्य नहीं था ।

172–श्री राम खिलाड़ी सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

गोमती नदी के हार्डिंग्स पुल के उत्तर एवं दक्षिण किनारे पर स्थित बांधों के रख-रखाव का कार्य एक उपखण्ड से कराये जाने की मांग

173–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नदी के हार्डिंग्स पुल के ऊपर की ओर दाहिने किनारों पर स्थित बांध के आंशिक निर्माण व बायें किनारे के बांध के रख-रखाव का कार्य एक ही उपखण्ड से निष्पादित कराने में क्या कठिनाई है ? क्या बायें बन्धे का निर्माण वर्ष 1988 में पूरा हो जाने के पश्चात् पंचम उपखण्ड को विघटित कर दिया जाना चाहिये था जो कि इसी कार्य हेतु मई/जून, 1983 में सिंचाई खण्ड-3 के पुनर्नामांकन के समय लखनऊ खण्ड, शारदा नहर के अधीन स्थानान्तरित किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

एक उपखण्ड से कार्यों का निष्पादन व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता ।

जी नहीं ।

बायें बन्धे का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है ।

174-175–श्री अंगद सिंह यादव–

[दिनांक 28-10-92 को अता० प्र० सं० 134-132 द्वारा उत्तरित]

गोमती नदी के हार्डिंग्स पुल के ऊपर बाये बन्धे के रख-रखाव में वित्तीय वर्ष 1988-89 से 1991-92 में व्यय की गई धन राशि का विवरण

176–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नदी के हार्डिंग्स पुल के ऊपर बायें बन्धे के रख-रखाव कार्यों में वित्तीय वर्ष 1988-89 से वित्तीय वर्ष 1991-92 के माह अक्टूबर, 91 तक कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या यह भी बतायेंगे कि व्यय की गयी धनराशि वार्षिक मरम्मत मद के अंतर्गत आवंटित धनराशि के अनुसार एवं बाढ़ सुरक्षा मानदण्डों के अनुसार है ? यदि हां, तो वर्षवार वार्षिक मरम्मत मद का आवंटन तथा प्रति किलोमीटर व्यय हेतु मानदण्ड की धनराशि बतायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

गोमती नदी के हार्डिंग्स पुल के ऊपर बायें बन्धे के रख-रखाव कार्यों में निम्नलिखित धनराशि वित्तीय वर्षों में व्यय हुई:–

वर्ष	व्यय की धनराशि
1988-89	शून्य
1989-90	1.57 लाख
1990-91	1.31 लाख
1991-92 (माह अक्टूबर, 91 तक)	2.02 लाख

जी हां ।

वर्षवार मरम्मत हेतु स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार वांछित धनराशि आवंटन एवं व्यय प्रति किलो मीटर निम्नानुसार है :

वर्ष	आवंटन (लाख रु० में)		वार्षिक मरम्मत के स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार प्रति कि० मी० मानदण्ड की धनराशि (लाख रुपये में)	व्यय प्रति कि० मी० (लाख रुपये में)
	कैपिटल	अनुरक्षण		
1	2	3	4	5
88-89	–	–	–	–
89–90	88.46 (पूरे कार्यों हेतु)	–	–	0.45
90–91	63.50 (पूरे कार्यों हेतु)	–	–	0.37
91–92	–	2.69	0.77	0.58

निर्माण काल में पूर्ण हुये कार्य का अनुरक्षण परियोजना के अन्तर्गत कैपिटल मद में ही किया जाता है।

कैनाल कालोनी लखनऊ स्थिति आफिसर्स क्लब को श्री धीर सिंह गम्भीर सहायक अभियन्ता के नाम आरक्षित किये जाने का विवरण

177–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कैनाल कालोनी लखनऊ स्थित आफिसर्स क्लब श्री धीर सिंह गम्भीर सहायक अभियन्ता के नाम से 30-6-92 से पूर्व किन-किन तिथियों में किस प्रयोजनार्थ आरक्षित किया गया था ? क्लब के बायलाज की प्रतिलिपि उपलब्ध कराते हुये यह भी अवगत कराने की कृपा करेंगे कि उक्त क्लब के अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र तथा कैनाल कालोनी के प्रभारी अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में समानता है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दिनांक 30-6-92 से पूर्व श्री धीर सिंह गंभीर, सहायक अभियन्ता के नाम आफिसर्स क्लब आरक्षित नहीं किया गया।

आफिसर्स क्लब के अध्यक्ष एवं कैनाल कालोनी के प्रभारी अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में समानता नहीं है।

(आफिसर्स क्लब के बायलाज की प्रति माननीय सदस्य, माननीय सिंचाई राज्य मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में अवलोकित कर सकते हैं)

अधीक्षण अभियन्ता सप्तम मण्डल सिंचाई कार्य लखनऊ द्वारा हैदरगढ़ ब्रान्च की लाइनिंग के कार्य में वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग–6 के प्रस्तर 439 का अनुपालन की जानकारी

178–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग–6 के प्रस्तर 439 अनुपालन अधीक्षण अभियन्ता सप्तम मण्डल सिंचाई कार्य लखनऊ द्वारा हैदरगढ़ ब्रांच के लाइनिंग के कार्य में किया गया है ? यदि हां, तो उस माप पुस्तिका का सन्दर्भ देंगे जिस पर उक्त कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या यह पुष्टि करेंगे कि सम्बन्धित कार्य विशिष्टियों के अनुसार हुए हैं जिससे शासन को कोई क्षति नहीं हुई है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

अधीक्षण अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका में माप की चैकिंग करने का प्राविधान नहीं है, परन्तु अधीनस्थों द्वारा निर्धारित चैकिंग किये जाने को सुनिश्चित करने का प्राविधान है।

प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ द्वारा भी हैदरगढ़ शाखा की लाइनिंग का निरीक्षण अगस्त, 1992 में किया गया है, जिसके फलस्वरूप कुछ स्थानों पर वसूली करने का प्रकरण सामने आया।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सप्तम मण्डल सिंचाई कार्य लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष 1991-92 में शारदा नहर लखनऊ में अतिरिक्त घोषित स्टाफ को स्थानान्तरित किये जाने की मांग

179–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 में शारदा नहर लखनऊ द्वारा लखनऊ खण्ड शारदा नहर लखनऊ के जिन कर्मचारियों को स्वीकृत पदों से अधिक होना बताया है उनका

स्थान्तरण अन्यत्र कब तक कर दिया जायेगा ? उक्त खण्ड में स्वीकृत पदों से अधिक संख्या में कर्मचारियों के कार्यरत होने की जानकारी विभाग को प्रथम बार कब हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अगले स्थानान्तरण सत्र में स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा ।

वर्ष 1991-92 में अधीक्षण अभियन्ता, सप्तम् मण्डल ने अपने पत्रांक–2279/सप्तम्, दिनांक 18-12-91 द्वारा मुख्य अभियन्ता को सूचना दी ।

शारदा नहर खण्ड लखनऊ के अधीन विभिन्न किस्म के वाहनों की संख्या तथा उनके रख-रखाव पर व्यय किये जाने वाली धनराशि का विवरण

180–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खण्ड शारदा नहर लखनऊ के नियंत्रणाधीन जीपों एम्बेसडर व अन्य कारों तथा ट्रक ट्रैक्टरों की संख्या कितनी है ? क्या इन वाहनों पर मरम्मत मद पर नियमों के प्रतिकूल प्राविधिक व्यय से अधिक धनराशि व्यय की जा रही है ? यदि नहीं, तो वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 में प्रत्येक वाहन पर मरम्मत पर किए गए मासिक व्यय का विवरण क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कुल 41 हैं ।

जी नहीं ।

विवरण संलग्न है ।

[देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 293-298 पर]

अधीक्षण अभियन्ता सप्तम मण्डल सिंचाई कार्य लखनऊ के अधीक्षण अभियन्ता श्री उमा शंकर लखटकिया के विरुद्ध लोकायुक्त कार्यालय लखनऊ में प्रचलित परिवाद प्रकरण की जानकारी

181–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब सप्तम मण्डल सिंचाई कार्य लखनऊ के अधीक्षण अभियन्ता पद पर श्री उमाशंकर लखटकिया आसीन थे तब उनके विरुद्ध लोकायुक्त से सम्बन्धित कोई परिवाद प्रकरण मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) के अधीनस्थ अनुभाग में प्रचलित था ? यदि हां, तो जब मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) पद पर श्री लखटकिया आसीन हुए तब उससे पूर्व तक उक्त प्रकरण में अन्तिम पत्र व्यवहार वैयक्तिक सहायक (शारदा सहायक) द्वारा किस आशय का किया गया ? मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) पद पर श्री लखटकिया के आसीन हो जाने के उपरान्त अन्तिम पत्र व्यवहार वैयक्तिक सहायक (शारदा सहायक) द्वारा किस आशय का किया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1989 से 1992-93 तक बाढ़ सुरक्षा एवं बांध के निर्माण में व्यय की गयी धनराशि आदि का विवरण

182–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1989 से आज तक बाढ़ सुरक्षा कार्य पर बांध निर्माण एवं मरम्मत कराने पर कितनी धनराशि किस-किस खण्ड को किस-किस कार्य के लिए आवंटित की गयी है ? क्या सरकार इसका सत्यापन कराकर सूचना सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1989 से 1992-93 के माह सितम्बर तक बाढ़ सुरक्षा कार्य पर बांध निर्माण एवं मरम्मत पर खण्डानुसार आवंटन निम्नवत् है :–

खण्ड तथा कार्य का नाम	वर्षवार आवंटन की धनराशि (लाख रुपये में)			
	1989-90	90-91	91-92	92-93
ड्रेनेज खण्ड सिद्धार्थनगर				
बांधों का निर्माण	1.25,	26.00,	10.00,	39.20,
बांधों की मरम्मत	41.00,	43.00,	25.00,	44.16
बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्य की मरम्मत	28.25,	6.20,	18.75,	--
सिंचाई निर्माण खण्ड बस्ती				
बांधों का निर्माण तथा कटाव निरोधक कार्य	6.00,	8.60,	11.00,	13.60,
बांधों की मरम्मत	5.98,	9.25,	14.50,	20.00,
बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्य की मरम्मत	11.00,	3.00,	2.85	--

उपरोक्त दिये गये आंकड़े सत्यापित हैं ।

विधान सभा क्षेत्र चांदा के विभिन्न विकास खण्डों के रजबहा माईनरों के रख-रखाव एवं निर्माण में की गयी व्यापक धांधलियों की शिकायत एवं व्यय धनराशि का विवरण

183–श्री फतेह बहादुर सिंह तथा श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि विधान सभा क्षेत्र–चांदा के अन्तर्गत विकास खण्ड भदैया, लम्भुआ, प्रतापपुर कमैचा से होकर कितनी चौड़ी डिवाई रजबहा माइनर, कितने किलो मीटर की परिधि में निकाली गयी है ? क्या यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1991 में रजबाहों डिवाई माइनरों की कितनी बार सफाई हुई ? कितना-कितना धन व्यय हुआ ? कितनी घनफिट मिट्टी निकाली गयी व किसके माध्यम से ? क्या उनके नाम व पतों के साथ माइनरों के विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या यह भी सत्य

है कि वर्ष 1991 में नहरों की सफाई केवल अभिलेखों में ही की गयी ? क्या पानी हेड से टेल तक पहुंचा नहीं ? क्या किसानों की फसल सूखने के बावजूद भी ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, विधान सभा क्षेत्र चांदा के अन्तर्गत विकास खण्डों में नहरों की लम्बाई निम्न प्रकार है :–

क्रम सं०	ब्लाक	नहरों की लम्बाई		
		राजवहा	माइनर	योग
1	मढ़ैया	10.98	28.30	39.280
2	लम्भुवा	27.85	53.20	81.050
3	प्रतापपुर कमैचा	16.85	9.40	26.250
	योग	55.68	90.90	146.58

वर्ष 1991 में अधिकांश नहरों में केवल एक बार सफाई हुई है ।

1	विकास खण्ड मढ़ैया	रु० 35,145=00
2	विकास खण्ड लम्भुवा	रु० 29,981=00
3	विकास खण्ड प्रतापपुर कमैचा	रु० 9,865=00
	योग	रु० 74,991=00

1	विकास खण्ड मढ़ैया	6986 घन मी०
2	विकास खण्ड लम्भुवा	5570 ,, ,,
3	विकास खण्ड प्रतापपुर कमैचा	1830 ,, ,,
	योग	14,386 घन मी०
	अथवा	508027 घन फिट

जी हां, विवरण संलग्न है ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत विकास खण्डों में 35 नहरों में से 23 नहरों की टेल पर खरीफ 1399 फसली में तथा 34 नहरों टेल पर रबी 1399 फसली में पानी पहुंचा है । ठेकेदारों को भुगतान उनके कार्य के आधार पर किया जाता है । भुगतान का सम्बन्ध फसल सूखने से नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 299-301 पर]

जनपद फैजाबाद के मोहल्ला सिविल लाइन्स स्थिति राजकीय कालोनियों के रहने वाले पर विद्युत परिषद का बकाया

184–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के नगरीय क्षेत्र फैजाबाद में पड़ने वाले मुहल्ला सिविल लाइन्स स्थित राजकीय आवासों व राजकीय कालोनियों में रहने वाले किन-किन लोगों के विरुद्ध कनेक्शनों हेतु उपभोक्ताओं पर विद्युत परिषद् का कितना-कितना विद्युत मूल्य बकाया है ? उक्त बकाया

की वसूली के लिए राज्य विद्युत परिषद् के सक्षम और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सिविल लाइन्स स्थिति राजकीय आवासों व राजकीय कालोनियों में 70 लोगों पर अगस्त 92 तक विद्युत मूल्य का बकाया रु० 17,33,172,16 है । कनेक्शनवार सूची संलग्न है ।

राजकीय आवासों एवं राजकीय कालोनियों के नियंत्रक अधिकारियों से बराबर पत्र व्यवहार किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू, लखनऊ में वर्ष 1982 से 1992 के दौरान टेम्परेरी कनेक्शन से प्राप्त राजस्व का विवरण

185–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू लखनऊ में वर्ष 1982 से जनवरी, 1992 तक वर्षवार टेम्पोरेरी कनेक्शन में कितना राजस्व प्राप्त हुआ ? कहां-कहां पर टेम्पोरेरी कनेक्शन दिये गये हैं ? क्या यह सही है कि इसमें लगातार राजस्व की हानि हो रही है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी ऐसे सभी स्थानों की सूची सदन के पटल पर रखेंगे जहां वर्ष 1982 से जनवरी, 1992 तक विवाह तथा अन्य कार्यक्रमों हेतु अस्थायी कनेक्शन स्वीकृत किए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

वर्ष 1982 से जनवरी 1992 तक रु० 1,90,35,984.02 राजस्व के रूप में प्राप्त हुये । वर्षवार विवरण इस प्रकार है :–

वर्ष	राजस्व धनराशि
1982	10,28,026.20
1983	14,33,396.70
1984	18,61,185.37
1985	24,75,138.36
1986	09,93,194.89
1987	17,60,886.70
1988	21,34,330.14
1989	13,34,385.58
1990	21,67,626.70
1991	27,11,895.79
1992	11,35,917.59
	रु० 1,90,35,984.02

लेसू, लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर विभिन्न स्थानों पर टेम्पोरेरी कनेक्शन दिये गये ।

राजस्व की कोई हानि नहीं हो रही है क्योंकि अस्थायी संयोजन हेतु उपभोक्ता से उपभोग किये जाने वाले विद्युत व्यय अग्रिम में ही ले लिया जाता है जो कि लागू विद्युत दर से 25 प्रतिशत अधिक होता है । कोई अधिकारी दोषी नहीं है । किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

लेसू, लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर विभिन्न स्थानों पर अस्थायी कनेक्शन दिये गये जिनकी संख्या 9725 है । इतनी विस्तृत सूची का बनवाना श्रम एवं व्यय साध्य होगा तथा पूरी सूची की जनहित में उपयोगिता प्रतीत नहीं होती है ।

जिला अधिकारी मुरादाबाद द्वारा नगर के विद्युत विभाग 2, 3 के सम्बन्ध में हुई बैठक सम्बन्धी मुख्य मंत्री को भेजे गये पत्र पर कार्यवाही

186–श्री जाहिद हुसैन–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर मुरादाबाद से जिलाधीश महोदय के द्वारा विद्युत विभाग खण्ड-2, 3 के सम्बन्ध में 30-9-91 की बैठक के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र मा० मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी में कतिपय रजबहों के जलस्तर का लेबिल नापे जाने का विवरण

187–श्री छोटे लाल यादव–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जिले में वर्तमान में (15 मार्च, 1992 के पूर्व) शारदा सहायक नहर के पूरब में सफेदाबाद रजबहा और गदिया रजबहा के मध्य जबरी कला, धौरमऊ, टिकरिया, जमुवासी, तिन्दौला, माती का वर्तमान में ग्रामवार वाटर लेबिल क्या है ? वर्ष 1980 से इन ग्रामों का वाटर लेविल/जल स्तर कब-कब नापा गया है तथा इन ग्रामों में वाटर लेविल क्या पाया गया है ? क्या नवम्बर/दिसम्बर, 1991 में शारदा सहायक डिवीजन, लखनऊ द्वारा की गयी नाप में बबुरिहा (धारमऊ) का वाटर लेबिल एक फिट 10 इंच पाया गया है ? यदि हां, तो इसे कम करने की क्या संस्तुति की गयी है तथा उस संस्तुति पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दिसम्बर, 1991 में धौरमऊ /बबुनिया ग्राम में पोषक नहर के समीप कुएं का वाटर लेबिल नापा गया था ।

ग्राम धौरमऊ/बबुनिया के माह दिसम्बर, 1991 में पोषक नहर के समीप स्थित एक कुएं का जल स्तर नापा गया, जिसका वाटर लेबिल भूमितल से 1 फिट 10 इंच नीचे पाया गया । मई, जून, जुलाई, 1992 में धौरमऊ टिकरिया, सिंदौली के कुंओं का जलस्तर नापा गया जो भूमितल से लगभग 8 फिट नीचे था ।

जी हां ।

पोषक नहर के बिलकुल समीप के कुएं में वर्षा ऋतु के तुरन्त बाद जलस्तर ऊंचा होना स्वाभाविक है जिसके लिये किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद बाराबंकी में शारदा सहायक नहर के पूरब में गदिया रजबहा एवं धारमऊ माइनर के मध्य कतिपय गांवों में सीवर/सीपेज के प्रभाव के रोक थाम की मांग

188–श्री छोटे लाल यादव–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जिले में शारदा सहायक नहर के पूरब में गदिया रजबहा एवं धारमऊ माइनर के मध्य वाटर लाग्ड/जल भराव वाला तथा शारदा सहायक नहर के सीवर से प्रभावित क्षेत्र हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रभाव को दूर करने के लिए कोई व्यवस्था की गयी है? यदि हां, तो क्या ? क्या उक्त गांव के सीपेज को दूर करने हेतु दो सीपेज निकास ड्रेन बनायी गयी हैं ? यदि हां, तो ड्रेन किसकी संस्तुति के आधार पर बनायी गयी है ? इसकी संस्तुति कब की गयी ? निर्माण कब प्रारम्भ किया गया तथा निर्माण कब पूर्ण किया गया ? इन ड्रेनों पर कुल कितना धन व्यय हुआ ? उसका भुगतान कब किया गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शारदा सहायक के पोषक नहर के बायें किनारे से निकलने वाली गदिया रजबहा एवं धौरमऊ माइनर के मध्य सीपेज से प्रभावित क्षेत्र नहीं है । वर्षाकाल में कुछ क्षेत्र में जल भराव की समस्या रहती है ।

जल भराव की समस्या के निदान के लिये जमुवासी एवं धौरमऊ ड्रेन का निर्माण प्रस्तावित किया गया था ?

उपरोक्त दोनों ड्रेनों का निर्माण पूर्ण नहीं है ।

जमुवासी और धौरमऊ ड्रेन का निर्माण अधीक्षक अभियन्ता द्वारा अनुमोदित लम्बछिन्नक के अनुसार प्रारम्भ किया गया । कार्य वर्ष 1984-85 में प्रारम्भ किया गया । जमुवासी ड्रेन का निर्माण आंशिक किया गया है तथा धौरमऊ ड्रेन को कृषकों द्वारा कुछ भाग में अवरोधित कर दिया गया है । अभिलेखों के अनुसार व्यय एवं भुगतान नियमानुसार किया गया है ।

ड्रेन	व्यय	भुगतान	
जमुवासी ड्रेन	5,619.00	4,305.00	84-85
		1,314.00	91-92
धौरमऊ ड्रेन	1,13,892.00	6,796.00	84-85
		25,264.00	85-86
		4,676.00	87-88
		77,156.00	91-92

विद्युत खण्ड 2 तथा 3, नगर–मुरादाबाद में विद्युत वितरण की मात्रा एवं हानि का विवरण

189–श्री जाहिद हुसैन–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत खण्ड–2 तथा 3 नगर मुरादाबाद के वर्ष 1990–91 माह जनवरी में कुल विद्युत 18.608 मेगावाट प्राप्त की गयी है, इसी माह जनवरी में उपभोक्ताओं को खण्ड–2 व 3 से 21.356 मेगावाट सप्लाई दी गई ? यदि हां, तो आमद से 2.488 मेगावाट विद्युत ज्यादा कहां से सप्लाई की गयी ? क्या यह सही है कि विद्युत खण्ड–2 व 3 की वर्ष 1988-89 के माह फरवरी में

कुल विद्युत प्राप्त हुई 14.592 मेगावाट इसी माह वर्ष 1989-90 में सप्लाई की गयी 13.264 मेगावाट, इस तरह 9, 10 प्रतिशत बिजली की हानि हुई, इसी वर्ष 1988-89 माह के अप्रैल में खण्ड–2 व 3 को कुल विद्युत प्राप्त हुई 14.482 और सप्लाई की गयी 4.841 मेगावट इसी माह में 66.57 प्रतिशत बिजली की हानि हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

विद्युत वितरण खण्ड 2 व 3 नगर, मुरादाबाद को वर्ष 1990-91 के माह जनवरी में कुल विद्युत 18.868 एम० यू० प्राप्त की गयी तथा 21.356 एम० यू० बेची गयी जिसमें 14.478 एम० यू० इस वर्ष के पुराने उपयोग की मात्रा भी शामिल है । इस प्रकार माह जनवरी, 1991 में वास्तविक सप्लाई 21.356–14.478=6.878 एम० यू० की गयी थी ।

इस प्रकार जनवरी 1991 की ऊर्जा हानि 63.55 प्रतिशत हुई अतः वास्तव में आमद से ज्यादा विद्युत सप्लाई नहीं हुई थी ।

विद्युत खण्ड 2 व 3 को वर्ष 1988-89 के माह फरवरी में 14.592 एम० यू० प्राप्त की गयी तथा इसी माह में 13.264 एम० यू० बेची गयी जिसमें 7.203 एम० यू० अप्रैल 1988 से 11/88 तक की अवधि के मिनिमम चार्जेज के बिलों का उपयोग दर्शाया गया है । इस प्रकार माह फरवरी 89 में वास्तविक विद्युत की सप्लाई 13.264–7.203=6.061 एम० यू० की गयी ।

इस प्रकार फरवरी 1989 में ऊर्जा की हानि 58.46 प्रतिशत हुई न कि 9.10 प्रतिशत ।

वर्ष 1988-89 के माह अप्रैल में विद्युत खण्ड 2 व 3 को कुल विद्युत 16.080 एम० यू० प्राप्त हुई, न कि 14.482 तथा 21.093 एम० यू० बेची दर्शायी गयी है न कि 4.841 जिसमें 14.478 एम० यू० पुराने उपभोग की मात्रा भी शामिल है इस प्रकार इस माह में वास्तविक बिजली की सप्लाई 21.093–14.478=6.615 एम० यू० की गयी । इस प्रकार अप्रैल 1989 की ऊर्जा की हानि 58.86 प्रतिशत हुई न कि 66.57 प्रतिशत ।

मुरादाबाद नगर में बिजली की लाइनें कम साइज की एवं काफी पुरानी हैं एवं लाइनों की सप्लाई काफी ज्यादा हो चुकी है । जिससे टैक्नीकल ऊर्जा हानि काफी मात्रा में है । इसके अतिरिक्त विद्युत चोरी की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता ।

कई मामलों में विद्युत चोरी पकड़ी भी गयी है तथा इस सम्बन्ध में परिषदीय नियमानुसार उचित कार्यवाही भी सुनिश्चित की गयी है ।

जनपद उन्नाव में विद्युत खम्भों की चोरी एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

190–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में विद्युत खम्भों की चोरी, अनियमितता आदि के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के राज्य मंत्री ऊर्जा को मिलकर दिए गए पत्र दिनांक 28-2-92 पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि 25-2-92 को पुलिस महानिरीक्षक, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को इसी सन्दर्भ में मिलकर दिए गए प्रश्नकर्ता के पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? क्या ऊर्जा मंत्री

यह भी बतायेंगे कि सचिव ऊर्जा को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 29-2-92 पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मुजफ्फरनगर में स्वीकृत विद्युत सब-स्टेशनों के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की मांग

191–श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मुजफ्फरनगर में 6 विद्युत सब स्टेशन ऐसे हैं जिनके क्वाटर्स के बिल्डिंग आदि के निर्माण पर करोड़ों रुपये अब तक लग चुके हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जब कई साल से वहां कोई निर्माण प्रगति न होने पर, यह धन अवरुद्ध पड़ा है तथा नागरिकों को इससे लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त कार्य पूर्ण कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो अवशेष कार्य को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मुजफ्फरनगर जनपद में 6 विद्युत सब स्टेशन यथा गड़ही अब्दुला, कुतवा-कुतवी, सिसोली, पभनावली, डांडा, कल्याणपुर तथा महावीर चौक पर कुछ कार्य किया गया किन्तु वित्तीय संसाधानों की कमी के कारण यह कार्य पूर्ण नहीं किये जा सके हैं । संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही निर्माण कार्य सम्भव हो सकेगा । अतः निश्चित अवधि बताना सम्भव नहीं है ।

सब-स्टेशन बिलरियागंज के विद्युतीकरण हेतु पूर्व विधायक श्री गोमती यादव (आजमगढ़) द्वारा राज्य विद्युत परिषद् को भेजा गया पत्र एवं कार्यवाही

192–श्री दल सिंगार–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि तत्कालीन विधायक श्री गोमती यादव का ग्राम नगवा मेदों, जनपद आजमगढ़ (सब स्टेशन बिलरियागंज) के विद्युतीकरण किये जाने हेतु पत्र दिनांक 26-1-92 अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

तत्कालीन विधायक श्री गोमती यादव का ग्राम नगवा मेदों हरिजन बस्ती, जनपद आजमगढ़ के विद्युतीकरण किये जाने हेतु पत्र दिनांक 26-1-91 के स्थान पर पत्र दिनांक 26-2-91 को परिषद में प्राप्त हुआ था जो कि माननीय उद्यान मंत्री को सम्बोधित था ।

लाइन में एक खम्भा (बल्ली) लगाकर एवं तार खींचकर दिनांक 5-4-92 को लाइन चालू कर दी गयी है ।

हथौड़ा ड्रेन जनपद हरदोई के विगत तीन वर्षों में हुई सफाई में धांधली की शिकायत

193–श्री सैय्यद कासिम हसन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की हथौड़ा ड्रेन की सफाई विगत तीन वर्षों से न कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि विगत वर्षों में इसकी सफाई अभिलेखों में

दिखाकर फर्जी भुगतान भी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या जांच कराकर सरकार दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वित्तीय संसाधनों के अभाव में वर्ष 89-90 एवं 90-91 में सफाई का कार्य नहीं कराया गया । वर्ष 91-92 में इस नाले की सफाई का कार्य कराया गया । वर्ष 1991-92 में किये गये कार्य की जांच कराई गयी, जिससे मात्रा कम पाई गयी ।

जी हां । दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही का निर्णय लिया जा चुका है ।

राज्य विद्युत परिषद् में अधीक्षण अभियन्ता एवं उससे उच्च पदों के सृजन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का विवरण एवं कार्य क्षेत्र

194–श्री रवीन्द्र प्रताप तथा श्री तीरथ राज–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के चौथे बुधवार के लिए निर्धारित अता० प्रश्न सं० 119 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत प्रदेय अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्मित रेगुलेशन आफ बिजनेस एण्ड प्रोसीजर्स आफ द बोर्ड के नियम 13(1) व (11) में उल्लिखित विनिमय के विपरीत अधीक्षण अभियन्ता और इसके ऊपर के पदों के सृजन के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या यह भी बतायेंगे कि परिषद् द्वारा प्राधिकृत प्रबन्ध समिति/परिषदाध्यक्ष को पदों के सृजन जैसे वित्तीय मामलों में कोई अधिकार है ? यदि हां, तो वह कौन है ? क्या 187 उच्च पदों पर करोड़ों रुपये का ही जो अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा है, उसकी रिकवरी दोषी अधिकारियों से करायी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में परिषद् के तत्कालीन सदस्य (तापीय) के नोट सं० 3941/पी०एम०जी०/ए०पी०एस०/विधि दिनांक 16-10-87 की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मुरादाबाद (नगर) में भूमि अध्याप्ति में अनियमितता की शिकायत

195–श्री रवीन्द्र प्रताप तथा श्री तीरथ राज–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1990 के प्रथम बुधवार दिनांक 17-10-90 के लिए निर्धारित अता० प्रश्न सं० 65 के उत्तर के क्रम में ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कुल कितने लोगों की भूमि अध्यापित की गयी है ? उनके नाम क्या हैं ? कितनों की 50 प्रतिशत से अधिक भूमि अध्यापित की गयी हैं ? उनके नाम क्या हैं ? क्या यह सत्य है कि क्रमांक 28, 29, 40, 20, 7, 5, 16 पर की गयी नियुक्तियों में एक ही परिवार के अनेक लोगों को नियुक्ति प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो इस धोखा-धड़ी के विरुद्ध परिषद् के किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट कब दर्ज करायी है ? उनके नाम एवं पद नाम क्या हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि जब दिनांक 17-1-90 को ही इस अनियमितता के लिए तत्कालीन उप सचिव को दोषी करार किया गया था ? यदि हां, तो तत्काल निलम्बित न करने के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? क्रमांक 7, 8, 11, 22, 23 की पद श्रेणी परिषद् को न ज्ञात होने के लिए क्या अनुभाग अधिकारी जिम्मेदार हैं ? क्या 15 नियुक्तियों के आदेश जो कार्मिक 9-बी अनुभाग से जारी किये गये उनकी कार्यालय प्रति मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

परिषद् में उपलब्ध सूचना के आधार पर 195 परिवारों की भूमि अध्यापित की गई है जिनके नामों की सूची सदन के पटल पर संलग्नक–अ के रूप में रख दी गयी है।

परिषद् में उपलब्ध सूचना के आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक भूमि अध्यापित से प्रभावित परिवारों की कुल संख्या 91 है। उनके नामों की सूची सदन के पटल पर संलग्नक–ब के रूप में रख दी गयी है।

जी हां।

क्रमांक 28 को छोड़कर शेष को संयुक्त परिवार में एक से अधिक को नियुक्ति प्रदान की गयी है।

नियुक्तियों से सम्बन्धित प्रकरण को परिषदीय सतर्कता इकाई को जांच हेतु संदर्भित किया गया था। परिषदीय सतर्कता ने केवल यह पाया कि नियुक्ति के मामले में नियमों का उल्लंघन किया गया तथा स्वेच्छाचारितापूर्वक कार्यवाही की गई। इसके लिए सतर्कता इकाई द्वारा सम्बन्धित उप सचिव को उत्तरदायी बताया गया। उप सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु मामला परिषदीय जांच समिति को सौंप दिया गया है।

इस सम्बन्ध में सतर्कता इकाई द्वारा जांच की गयी थी।

तत्कालीन उप सचिव (श्री एच० बी० सिंह) को निलम्बित करने के आदेश शासन के पत्र सं०--10882पी-2/92-165 एक्यू/92, दिनांक 10-2-92 द्वारा परिषद् को प्राप्त हुए थे जिसके अनुपालन में परिषदीय आदेश सं०–292 अनु०कार्य० एवं सतर्कता/राविप–92, दिनांक 25-2-92 द्वारा श्री सिंह को निलम्बित कर दिया गया था। इससे पूर्व उन्हें निलम्बित करने का प्रश्न इसलिए नहीं उठा कि सतर्कता द्वारा उन्हें निलम्बित करने की संस्तुति नहीं की गयी थी।

अतः इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी के जिम्मेदार होने का प्रश्न नहीं उठता है।

जी नहीं।

यह सूचना उस समय परिषद् मुख्यालय में उपलब्ध नहीं थी। यह सूचना अब प्राप्त हो गयी है जिसके अनुसार क्रम संख्या 7, 8, 11, 22 व 23 पर उल्लिखित भूमि विस्थापितों को क्रमशः दैनिक श्रेणी लिपिक, चपरासी, कार्यालय चौकीदार एवं धावक के पद पर नियुक्त किया गया था।

सम्बन्धित 15 नियुक्तियों के आदेशों की कार्यालय प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के श्री रामेश्वर पाण्डेय, अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति तिथि एवं कार्यस्थलों का विवरण

196–श्री रवीन्द्र प्रताप तथा श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत श्री रामेश्वर पाण्डेय, अधिशासी अभियन्ता आडिट नं० आर–278 आई नं० 68020 की नियुक्ति कब हुई थी? आज तक वे कहां-कहां कार्यरत रहे? क्या इनके विरुद्ध स्टेट विजलेंस इन्क्वायरी एवं अन्य जांचें चल रही हैं? यदि हां, तो जांच के मामले में किन-किन बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है? कब तक जांच पूरी हो जायेगी? क्या यह भी बतायेंगे कि इनके विरुद्ध अनेक गम्भीर मामलों की जांच के बाद भी संवेदनशील पद पर उन्हें क्यों रखा गया?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

श्री रामेश्वर पाण्डेय, अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद में दिसम्बर, 1968 में हुई थी?

श्री रामेश्वर पाण्डेय, की नियुक्ति की कार्यावधि का विवरण निम्नवत् हैं:–

श्री रामेश्वर पाण्डेय (68020)

तैनाती का स्थान	अवधि
1–एस० डी० ओ०, ई० एम० एस० डी०, रार्बट्सगंज	दिसम्बर, 68 से जून, 70

2–एस० डी० ओ० (निर्माण) ई० एम० डी० बलिया	जून, 70 से जून 73 तक
3–एस० डी० ओ०, आर० ई०, चुनार	जून, 73 से मई, 74 तक
4–एस० डी० ओ०, आर० ई०, देवरिया	जून 74 से मई, 75 तक
5–सहा० अभि०, स्टोर्स गोरखपुर	मई, 75 से अक्टूबर, 76
6–सहा० अभि० कुम्भ मेला, इलाहाबाद	अक्टूबर, 76 से अप्रैल, 77 तक
7–सहा० अभि० (वाणिज्य) एस०, इलाहाबाद	अप्रैल, 77 से सितम्बर, 79 तक
8–सहा० अभि०, स्टील सेल, लखनऊ ।	अक्टूबर, 79 से जनवरी, 81 तक
9–सहा० अभि० (सं) स्टोर्स लखनऊ	जनवरी, 81 से जुलाई, 81 तक
10–अधि० अभि०, भण्डार खण्ड, लखनऊ	जुलाई, 81 से जुलाई, 85 तक
11–वै० सहा०, मु० अभि० (नियोजन) लखनऊ	जुलाई, 85 से नम्बम्बर 85 तक
12–अधि० अभि०, लेसू लखनऊ ।	नवम्बर, 85 से जून 86 तक
13–अधि० अभि०, ई० एस० पी० सा०, 11, लखनऊ	जून 86 से जून, 87 तक
14–अधि० अभि०, डब्ल्यू, डी०, लखनऊ ।	जून, 87 से अप्रैल, 88 तक
15–अधि० अभि०, वि० वि० खं०, सुल्तानपुर	अप्रैल, 88 से अक्टूबर, 89 तक
16–अधि० अभि०, वि० भं० खं०, लखनऊ	अक्टूबर, 89 से जून, 90 तक
17–अधि० अभि०, नलकूप (विश्व बैंक खं०), लखनऊ ।	जून, 90 से अब तक

जी हां । शासन की सतर्कता इकाई द्वारा श्री पांडे के विरूद्ध जांच की जा रही है । जांच के बिन्दुओं के विषय में सतर्कता अधिष्ठान से कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है ।

मात्र जांच चलते रहने के आधार पर किसी अधिकारी को किसी भी पद नियुक्त रखने या अन्यथा के विषय में विभिन्न प्रशासनिक पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त निर्णय लिए जाते हैं । श्री पाण्डे वर्तमान में विशेष संवेदनशील पद पर नहीं है ।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में बाधा रहित विद्युत आपूर्ति हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र एवं सुझाव पर कार्यवाही

197–छेदी लाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने विधान सभा क्षेत्र मनकापुर, गोण्डा में बाधा रहित विद्युत आपूर्ति के संबंध में दिनांक 30-10-91 को मुख्य अभियन्ता लखनऊ क्षेत्र उ० प्र० रा० वि० परिषद् को एवं दिनांक 21-2-92 एवं 26-5-92 को ऊर्जा मंत्री को कोई लिखित सुझाव दिया है ? यदि हां, तो सुझाव में क्या-क्या बिन्दु हैं ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गौसीगंज तहसील रोड पर अवैध कनेक्शन देने संबंधी प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य अभियन्ता ग्राम्य विकास को भेजे गये पत्र दिनांक 23 मार्च, 1992 पर की गयी कार्यवाही की मांग

198–श्री तेज भान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता ग्रा० वि० लखनऊ क्षेत्र को संबोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-3-92 उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें गौरींगंज तहसील रोड पर अवैध तरीके से लाईन खड़ी कर कनेक्शन देने की शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो उक्त अवैध लाईन के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या शिकायती पत्र पर जांच की गयी है ? यदि जांच लम्बित है, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

उक्त अवैध लाइन श्री मुसाफिर सिंह अवर अभियन्ता द्वारा बनाई गयी थी, वही इसके लिए जिम्मेदार है ।

जांच पूर्ण कर ली गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित श्री लायक सिंह पुत्र कामता प्रसाद, ग्रामअरमापुर विकास खण्ड कल्यानपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा ऊर्जा मंत्री को भेजे गये पत्र पर कृत कार्यवाही

199–श्री तेज भान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हीं को सम्बोधित पत्र लायक सिंह पुत्र कामता प्रसाद/ग्राम अलमापुर, ब्लाक कल्यानपुर, जनपद कानपुर देहात का दिनांक 8-6-92 प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित जिसमें लाइट फैन का कनेक्शन न प्राप्त होने व फर्जी बिल आने की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

शिकायत की जांच करने पर जानकारी प्राप्त हुई तत्कालीन अवर अभियन्ता की आख्या पर दि० 15-4-89 से 500 वाट के घरेलू पंखा बत्ती के संयोजन की बिलिंग हो रही थी । मौके पर जांच के दौरान यह पाया गया कि उपभोक्ता श्री लायक सिंह पुत्र श्री कामता प्रसाद ग्राम अलमापुर, कल्यानपुर, कानपुर देहात ने भी सर्विस लाइन चार्जेज जमा करते समय यह गलत तथ्य प्रस्तुत किया था कि इनका कनेक्शन पोल से 40 मी० की दूरी के अन्दर है अन्यथा सर्विस लाइन चार्जेज का पैसा न जमा कराया गया होता । श्री लायक सिंह को कनेक्शन देने हेतु दो पोल अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे जिसके व्यय को वहन करने उपभोक्ता को लिखा जा रहा है यदि उपभोक्ता दो पोल लगाने हेतु आंकलित धनराशि का भुगतान कर देता है तब उसको पंखा बत्ती संयोजन प्रदान किया जायेगा । अन्यथा उपभोक्ता को जमा सर्विस कनेक्शन का पैसा वापस कर दिया जायेगा ।

जनपद-उन्नाव के कालू-खेड़ा ग्राम में ट्रांसफार्मर की चोरी में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

200–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह अप्रैल, मई, 92 में उन्नाव जिले में कालूखेड़ा ग्राम में पुलिस प्रवर्तन दल (विद्युत) ने बिजली चोरी का गंभीर मुकदमा दर्ज करवाया है ? यदि हां, तो ट्रांसफार्मर के चोरी में लिप्त दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

प्रवर्तन दल द्वारा ग्राम कालू खेड़ा, जिला उन्नाव में बिजली चोरी संबंधी मुकदमा अ० सं० 62/92 अन्तर्गत धारा 39/40 भा० वि० अ० दिनांकित 21-4-92 को थाना असोहा जिला उन्नाव में पंजीकृत कराया गया है । यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है ।

ट्रांसफार्मर चोरी की कोई सूचना उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् की पुलिस इकाई को उपलब्ध नहीं हुई तथापि शासन स्तर से विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गये हैं ।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत जनपद बस्ती व सिद्धार्थनगर के कतिपय विकास खण्डों में विद्युतीकरण के कार्य का विवरण

201–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विकास खण्ड रूदौली जनपद बस्ती तथा विकास खण्ड सांथा एवं खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर के किन–किन ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने हेतु जिला स्तरीय समिति में स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कष्ट करेंगे कि अब तक इनमें से किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और किन-किन ग्रामों का नहीं किया गया ? जिन ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है वह कब किया गया तथा जिन ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं किया गया वह क्यों नहीं किया गया और कब तक उसे पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

वर्ष 1991-92 में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड रुधौली जनपद बस्ती व विकास खण्ड सांथा एवं खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर में निम्नलिखित ग्रामों को विद्युतीकरण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी:–

1- विकास खण्ड रूधौली जिला बस्ती

मैनी, कैथबलिया, मल्हवार, पिकोरा-धन्सी, खुरवार कला, दुधावा एवं परसोहिया ।

2–विकास खण्ड सांथा जिला सिद्धार्थनगर

हकीम राई, वरगदवा, सुकरौली, मोतीपुर, कोइलभार एवं मुसहरा ।

3–विकास खण्ड खेसरहा जिला सिद्धार्थनगर

ग्राम नैतारी कला, करमा, वगहा एवं देवरी ।

उक्त ग्रामों के विद्युतीकरण की स्थिति निम्नवत् है:–

विकास खण्ड रूधौली जिला बस्ती

ग्राम पिकोरा, धन्सी, दुधारा, परसोहिया एवं खुरवार कला, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अन्तर्गत विद्युतीकृत हैं । इनका गहन विद्युतीकरण नहीं हो सका क्योंकि बस्ती जनपद में विद्युतीकरण का लक्ष्य 80 से घटाकर 38 कर दिया गया । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से विद्युतीकृत ग्रामों के गहन विद्युतीकरण का लक्ष्य केवल 2 था । अतः इन ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हो सका ।

विकास खण्ड सांथा एवं खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर

इन विकास खण्डों में किसी भी उक्त चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हो सका क्योंकि सिद्धार्थनगर जनपद में विद्युतीकरण का लक्ष्य 80 से घटाकर 38 कर दिया गया।

उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण लक्ष्य की कटौती के कारण इस वर्ष नहीं हो सका एवं अगले वर्षों में चयन समिति द्वारा अनुमोदित होने एवं संसाधन उपलब्ध होने पर किया जा सकेगा।

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय रजबहो पर संबंधित अवर अभियन्ता द्वारा शीशम के पेड़ों को कटवाये जाने की शिकायत की जांच की मांग

202–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के चन्दोख, शाहजहांपुर, जलालाबाद शाहाबाद, कोरोकुइयां आदि राजबहों पर संबंधित अवर अभियन्ताओं की सांठगांठ से कीमती शीशम कटाना विगत 6 महीनों में किया गया है ? यदि हां, तो क्या जांच कराकर जांच आख्या सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद शाहजहांपुर में शाहजापुर चन्दोखा, कोरोकुइया नाम का कोई राजबहा नहीं है परन्तु जनपद शाहजहांपुर में शाहजहांपुर शाखा जलालाबाद एवं शाहाबाद राजबहा है। इन पर विगत 6 महीनों में शीशम कटान नहीं किया गया है। शाहजहांपुर शाखा पर दिनांक 1-4-92 से 30-9-92 की अवधि में शीशम के सात पेड़ चोरी से काटे जाने की घटनायें तथा शाहाबाद राजबहा पर चार शीशम के पेड़ काटे जाने की घटनायें प्रकाश में आयी है। शीशम के पेड़ चोरी से काटे जाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थानों में दर्ज करा दी गयी है।

श्री बी० के० अग्रवाल अधीक्षण अभियन्ता विद्युत मण्डल सीतापुर द्वारा वित्तीय नियमों के विरुद्ध पांच विभागीय ट्रकों की नीलामी

203–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री के संज्ञान में है कि विद्युत मण्डल सीतापुर में श्री बी० के० अग्रवाल अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विभागीय वित्तीय नियमों के विरुद्ध पांच विभागीय ट्रकों की नीलामी माह दिसम्बर, 1991 में कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इससे परिषद् को लाखों रुपयों की आर्थिक क्षति उठानी पड़ी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं। श्री बी० के० अग्रवाल तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, सीतापुर द्वारा इस प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गयी।

श्री बी० के० अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, सीतापुर ने पांच पुराने जर-जर एवं निष्प्रयोज्य वाहनों की सर्वे-रिपोर्ट होने के पश्चात् बिक्री की। श्री अग्रवाल ने दो अधिशासी अभियन्ताओं तथा लेखाकार की एक समिति गठित करके ट्रकों की रेजर्व प्राइस निर्धारित कराकर बिक्री हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से निविदायें आमंत्रित करके, ट्रकों की बिक्री की।

जी नहीं। श्री अग्रवाल ने नियमानुसार कार्यवाही की और जर्जर एवं निष्प्रयोज्य ट्रकों की बिक्री करके परिषद् को कोई हानि नहीं उठानी पड़ी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अग्रवाल द्वारा उपरोक्त प्रकरण में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गयी है।

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कार्यरत अध्यापकों को पुनरीक्षित वेतन दिया जाना

204-श्री सैय्यद कासिम हसन–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अन्तर्गत परिसर विश्वविद्यालय किस शिक्षा सत्र में खुला तथा विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों को कब से पुनरीक्षित वेतनमान दिया गया ? क्या यह सत्य है कि अध्यापकों की नियुक्ति 1982 के बाद पुनरीक्षित वेतनमान में की गयी थी जिससे शासनादेश की अवहेलना की गयी ? क्या इससे किसी अध्यापक को (11) ग्यारह वेतनवृद्धि का लाभ हुआ और अन्य वरिष्ठ प्राध्यापकों को यह लाभ नहीं मिल पाया ? क्या इसमे वित्त संहिता के 22 वें खण्ड का उल्लंघन किया गया ? क्या सरकार इस वित्तीय अनियमितता करने वाले अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

शिक्षा सत्र 1982 में ।

कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ।

24-1-86 से पूर्व नियुक्तियां अपुनरीक्षित वेतनमान में की गयी थीं । प्रबन्ध परिषद् ने दिनांक 24-1-86 को लिये गये निर्णय द्वारा अध्यापकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान उपलब्ध कराया ।

एक अध्यापक को, उनके द्वारा अन्यत्र की गयी सेवाओं में प्राप्त परिलब्धियों को सुरक्षित करते हुए, वेतन निर्धारण 12 वेतन वृद्धियों के स्तर पर हुआ । इस प्रकार का मामला अन्य किसी अध्यापक का नहीं था और न ही किसी के द्वारा मांग ही की गयी, अतः यह लाभ अन्य प्राध्यापकों को उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

कदाचित प्रश्न का आशय मूल नियम 22 से है, जो लागू नहीं होता है ।

शासन द्वारा प्रकरण की जांच करायी जा रही है ।

मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी नहर) सिंचाई विभाग के संगठन में स्थित मण्डलीय एवं उप मण्डलीय स्तर पर विभिन्न अधिकारियों के खाते में लायबिलिटी के रूप में पड़ी धनराशि का विवरण

205-श्री लालजी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (पश्चिम नहर) के संगठन में स्थित खण्डीय स्तर के तथा उपमण्डलीय स्तर के कितने अधिकारियों द्वारा उपलब्ध धनराशि से अधिक की धनराशियों का कार्य सम्पन्न करा दिया गया है ? इस कारण उक्त संगटन में कितनी धनराशि लायबिलिटी के रूप में पड़ी है ? इस अनियमितता के लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ?

206–श्री लाल जी वर्मा–

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त]

प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के ग्राम असोहा में 33/11 के० वी० ए० विद्युत उपगृह के निर्माण की मांग

207–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के आठवें बुधवार के ता० प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के असोहा ग्राम में 33/11के० वी० ए० के विद्युत उपगृह के निर्माण की आवश्यकता के संदर्भ में सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराया है ? क्या मौरावां सब स्टेशन को 132 के० वी० ए० की शक्ति का बनाने हेतु कोई जांच की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि असोहा ब्लाक की 88 ग्राम सभाओं की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जी नहीं ।

असोहा ब्लाक के विद्युतीकृत ग्रामों की विद्युत आपूर्ति 33 के० वी० मौरावां और 33 के० वी० अजगैन उपकेन्द्रों द्वारा की जा रही है ।

लखनऊ कैन्ट विधान सभा क्षेत्र के पकड़ी खेड़ा (आलमबाग) में विद्युत खम्भों पर तार लगाने की मांग

208–श्री सतीश भाटिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के पखरीखेड़ा (आलमबाग) में 1986 से लगे विद्युत खम्भों पर आज तक तार क्यों नहीं खींचे गये ? यदि खींचे जायेंगे, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

पखरी खेड़ा (आलमबाग) में वर्ष 1986 में लगाये गये विद्युत खम्भों पर तार खींचे जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला पिथौरागढ़ में पूर्ण एवं अधूरे विद्युतीकृत गांवों का विवरण

209–श्री लीला राम शर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पिथौरागढ़ में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है ? उनमें से कितने ऐसे विद्युतीकृत ग्राम हैं जिनके सम्पूर्ण ग्रामवासियों को विद्युत उपलब्ध नहीं करायी गयी है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मार्च, 1992 के अन्त तक जनपद पिथौरागढ़ में 1336 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है । चूंकि पर्वतीय क्षेत्र में प्रायः प्रत्येक ग्राम में एक मकान से दूसरे मकान के मध्य अत्यधिक दूरी होती है, अतः

विद्युतीकरण में किसी भी ग्राम के सम्पूर्ण घरों तक बिजली की लाइन धनाभाव के कारण बिछाना सम्भव नहीं है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड प्रतापनगर के अन्तर्गत जलकूर नदी से बौसाड़ी गांव तक निर्माणाधीन सिंचाई नहर में धांधली की शिकायत

210–श्री लाखी राम जोशी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड प्रतापनगर के अन्तर्गत जलकूर नदी से बौसाड़ी गांव तक निर्माणाधीन 5.50 कि०मी० लम्बी सिंचाई नहर में भारी गड़बड़ी की गयी है ? क्या यह सत्य है कि सम्पूर्ण लागत राशि खर्च करने के बावजूद निर्माण कार्य अत्यन्त घटिया किस्म का हुआ है ? यदि हां, तो दोषी अभियन्ताओं के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

नहर की कुल लम्बाई 5.5 कि०मी० में से 4.8 कि०मी० तक का निर्माण पूरा किया गया है । इस नहर से सिंचाई भी की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार में गैर (नंगुण) सिंचाई नहर पर कार्य आरम्भ होने की तिथि तथा व्यय की गयी धनराशि का विवरण

211–श्री लाखी राम जोशी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार में गैर (नंगुण) सिंचाई नहर पर किस वर्ष कार्य आरम्भ हुआ ? अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है ? क्या नहर से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या यह सत्य है कि विभागीय अभियंताओं ने नहर निर्माण के नाम पर भारी अनियमिततताएं की हैं ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या कार्य की गुणवत्ता की जांच की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

गैर (नंगुण) नहर पर वर्ष 1988-89 में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था । नहर पर अब तक रु० 6.404 लाख खर्च हुए है ।

वर्तमान में नहर निर्माणाधीन है । निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

नहर निर्माण में कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

नहर निर्माण कार्यों के विषय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । अतः जांच नहीं कराई गयी ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के गांवों में ट्रांसफार्मरों की खराबी एवं विभागीय कर्मचारियों की उदासीनता की शिकायत

212–श्री लाखी राम जोशी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के गांवों में ट्रांसफार्मर जले होने व खराबी के कारण विद्युत ठप्प पड़ी है ? ऐसे जले अथवा खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या यह सत्य है कि विद्युत विभाग के अभियन्ता/अधिकारी जनपद टिहरी के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति करने में उदासीन है ? यदि हां, तो उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों/अभियंताओं के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जनपद टिहरी गढ़वाल मे 30-6-92 तक कुल लगे हुए ट्रांसफार्मरों की संख्या–1001 अदद हैं जिनमें से उक्त तिथि तक 31 ट्रांसफार्मर जले अथवा खराब हुए । इन क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों में से, माह जुलाई, 1992 मे 8 अदद एवं माह अगस्त 1992 में 10 अदद ट्रांसफार्मर बदले गये । शेष 13 क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को बदलने का कार्य उनकी उपलब्धता पर निर्भर है । किन्तु जहां ट्रांसफार्मर उपलब्ध न होने पर विद्युत आपूर्ति में बाधा थी, उसे निकट के ग्रामों से जहां पर कि विद्युत आपूर्ति मौजूद थी, क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर वाले ग्राम में विद्युत आपूर्ति कर दी गई ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश स्तर पर पानी के अभाव/कमी वाले नहरों/रजबहों/माइनरों का विवरण एवं सुधार की मांग

213–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन नहरों/रजबहों/माइनरों में 5 साल से भी पानी नहीं गया है या पूरे वर्ष में कभी-कभी एक बार पहुंच सका है, उन्हें नहर कमाण्ड एरिया से हटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण प्रदेश में गत 5 साल या उससे अधिक समय से पानी न पाने वाले रजबहों की पहचान क्या सरकार ने कर ली है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस प्रकार के असिंचित मगर नहर के कमाण्ड में आने वाले क्षेत्रों को पानी देने की सरकार की क्या योजना है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वर्ष 1991-92 में ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य की जानकारी तथा लक्ष्य पूरा न करने वाले दोषी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

214–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1991-92 में ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य क्या था ? उक्त वर्ष का संशोधित लक्ष्य क्या था ? माह जून, 92 तक भी 91-92 का संशोधित लक्ष्य पूरा न कर पाने के लिये दोषी कितने अधिकारियों/कर्मचारियों पर विभागीय कार्यवाही की गयी है ? कितने प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित अवधि में पूरा हुआ है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

वर्ष 1991-92 में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के मूल लक्ष्य/संशोधित लक्ष्य प्रगति एवं प्रतिशत प्रगति निम्न तालिका में दर्शाया गया है :––

क्र०सं०	मूल लक्ष्य	संशोधित लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
1 निजी नलकूपों का ऊर्जन	18,500	20,000	21,361	106.8
2 के० वि० प्रा० की परिभाषा एवं एल० टी० मेन द्वारा ग्रामों का विद्युतीकरण	1,550	750	702	93.6
3 के० वि० प्रा० की परिभाषा से विद्युतीकृत ग्रामों का गहन विद्युतीकरण	100	100	141	141.0
4 अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण	1,555	805	792	98.4

भारत सरकार द्वारा संशोधित लक्ष्य केवल 12500 कर दिया था ।

माह अप्रैल, 1992 से जून, 1992 तक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति निम्न प्रकार है :––

1–निजी नलकूपों का ऊर्जन	...	3325
2–ग्रामों का के० वि० प्रा० एवं एल० टी० मेन द्वारा विद्युतीकरण	...	109
3–ग्रामों का गहन विद्युतीकरण (एल० टी० मेन द्वारा)	...	70
4–अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण	...	142

उपरोक्त प्रगति वर्ष 1992-93 में लक्ष्यों के समक्ष की गयी है इसलिये इसे वर्ष 1991-92 के निर्धारित लक्ष्यों के समक्ष नहीं माना जा सकता है । ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लक्ष्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये अलग-अलग निर्धारित किये जाते हैं और प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर उस वर्ष की प्रगति को अन्तिम रूप दे दिया जाता है । अगले वित्तीय वर्ष के लिये फिर से लक्ष्य निर्धारित करके उनके समक्ष प्रगति का अनुश्रवण किया जाता है ।

वर्ष 1991-92 में समस्त कार्यक्रमों की प्रगति 90 प्रतिशत से अधिक रही । अतः जैसा कि पहले इंगित किया जा चुका है कि किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी ठहराना अथवा उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है ।

सभी कार्यक्रमों में प्रगति 90 प्रतिशत से अधिक है जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बहुत अच्छी श्रेणी में आती है ।

विद्युत वितरण खण्ड, सुल्तानपुर में वर्ष 1990-91 व 1991-92 में ग्रामीण विद्युतीकरण एवं कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण

215–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड, सुल्तानपुर में वर्ष 1990-91 एवं 91-92 में ग्रामीण विद्युतीकरण एवं कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामों में कार्य कराया गया ? उक्त कार्य किन-किन ठेकेदारों से कराया गया है ? उक्त कार्य के लिये विभाग को कितना धन मिला ? उक्त मद में कितना भुगतान अब तक किया गया ? क्या कुछ ठेकेदारों का भुगतान बकाया है ? यदि हां, तो कितना, क्या उक्त मद में प्राप्त धन को किसी अन्य मद में खर्च कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितना और क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

विद्युत वितरण खण्ड, सुल्तानपुर में वर्ष 1990-91 एवं 91-92 में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य कराये गये :––

कार्य योजना	वर्ष 90-91	वर्ष 91-92
ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	76	2
कुटीर ज्योति योजना	शून्य	शून्य

उक्त कार्य जिन 26 ठेकेदारों से कराया गया, उनकी सूची मा० सदस्य मेरे कार्यालय में देख सकते हैं ।

उक्त कार्य के लिये विभाग को निम्न धनराशि प्राप्त हुई :––

वर्ष 1990-91	रु० 10,56,757.50
वर्ष 1991-92	शून्य

उक्त मद में वर्ष 1990-91 के कार्यों के विरुद्ध अब तक रु० 5.32 लाख का भुगतान किया गया ।

जी हां, 22 ठेकेदारों का लगभग रु० 7.62 लाख भुगतान हेतु बकाया है ।

उक्त मद में प्राप्त धन को किसी अन्य मद में खर्च नहीं किया गया है । क्यों का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के गौरीगंज विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में विद्युतीकृत एवं अविद्युतीकृत गांवों का विवरण

216–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के गौरीगंज विधान सभा क्षेत्र में कितने पुरवे ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अभी तक विद्युतीकृत नहीं हुए और क्यों ? उन्हें कब तक विद्युतीकृत करने की योजना है ? उक्त क्षेत्रों में कितने खम्भे बिना ऊर्जीकृत हुए खड़े हैं ? क्या उन्हें ऊर्जीकृत करने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जनपद सुल्तानपुर के गौरीगंज विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत अभी तक 863 पुरवे विद्युतीकृत नहीं हुए हैं। किसी भी प्रकार का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य न प्राप्त होने के कारण उक्त पुरवों का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका है।

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्त होने पर विद्युतीकरण का कार्य सम्भव होगा। उक्त विधान सभा क्षेत्र के 98 पुरवों में 1960 खम्भे बिना ऊर्जीकरण हुए खड़े हैं। फिलहाल इन्हें ऊर्जीकृत करने की योजना नहीं है क्योंकि पुरवों के विद्युतीकरण की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

अतः प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के तापीय विद्युत गृहों के विद्युत उत्पादन में गिरावट के निराकरण की मांग

217–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के तापीय विद्युत गृहों के विद्युत उत्पादन में असामान्य कमी को देखते हुए विद्युत के निरन्तर ह्रास होने के मुख्य कारण क्रमशः कोयले की आपूर्ति समुचित मात्रा में समय से न होने से ड्यू टाइम ओवरहाउलिंग व स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति न होना, मशीनों के स्वचालित नियंत्रण केन्द्र खराब हो जाना, आवश्यक पुर्जों व सामान की खरीद के लिये धन उपलब्ध न होना, अकुशल तथा अक्षम प्रबन्धतंत्र होना आदि कारणों का निवारण करके विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही व उपाय क्या-क्या हैं ? उपरोक्त संसाधनों के अभाव का निराकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

प्रदेश के तापीय विद्युत गृहों से विद्युत उत्पादन में असामान्य कमी के सम्बन्ध में प्रश्न में इंगित कारणों का त्वरित निवारण करने हेतु विद्युत परिषद् सतत् प्रयत्नशील है। कोयले की समुचित मात्रा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये केन्द्र सरकार से मंत्री स्तर पर वार्तायें होने के फलस्वरूप माह अक्टूबर, 1992 से कोयले की आपूर्ति में सुधार हुआ है। भारत सरकार के वित्तीय संस्थान पावर फाइनेन्स कारपोरेशन तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से धन प्राप्त करने के प्रयासों में सफलता मिली है। तापीय विद्युत गृहों के अनुरक्षण एवं नवीनीकरण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा धन आवंटित किया गया है। तापीय विद्युत गृहों के संचालन के लिये कुशल कर्मचारी एवं अधिकारी उपलब्ध हैं। इनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें समय-समय पर समुचित प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

परिषद् के प्रयासों से वर्तमान में तापीय विद्युत उत्पादन बढ़ा है और इस संदर्भ में प्रदेश सरकार द्वारा संसाधनों की कमी को दूर करने का पूर्ण प्रयास किया गया है।

सिंचाई एवं विद्युत सलाहकार समितियों में विधायकों एवं सांसदों के सुझाव पर कार्यवाही

218–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई व विद्युत सलाहकार समिति की प्रथम बैठक सन् 91 में हुई थी ? यदि हां, तो क्या गांवों के विद्युतीकरण हेतु विधायकों एवं सांसदों से गांवों की लिस्ट मांगी गयी थी ? क्या प्रत्येक सदस्यों एवं सांसदों ने सूची दी है ? क्या अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खंड वाराणसी तहसील के श्री राय ने उसे बदल दिया है और उसमें नये गांवों को जोड़ दिया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां, यह सही है कि सिंचाई एवं विद्युत सलाहकार समिति की बैठक सितम्बर, 1991 में हुई थी। इस बैठक में अन्य समस्याओं के अतिरिक्त ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु वाराणसी जनपद के सम्मानित सांसदों एवं विधायकों से ग्रामों की सूची मांगी गयी थी। मा० सांसदों एवं विधायकों ने जिन ग्रामों की सूची विद्युतीकरण हेतु उपलब्ध करायी उन्हीं ग्रामों में से परिषद् द्वारा निर्धारित लक्ष्य तथा दिशा निर्देश के अनुसार वर्ष 1991-92 हेतु ग्रामों के विद्युतीकरण का चयन किया गया। विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम वाराणसी अधिशासी अभियन्ता द्वारा उसमें न तो किसी भी प्रकार का बदलाव किया गया है और न ही किसी नये गांवों को जोड़ा गया है। इसलिये जांच का प्रश्न नहीं उठता।

गजोखर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में विद्युत स्टेशन बनाने की मांग

219–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान गजोखर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में 132 के० वी० विद्युत स्टेशन बनाने की जिम्मेदारी राज्य विद्युत परिषद् की होगी ? क्या राज्य विद्युत परिषद् को इस हेतु धन मिल गया है ? क्या वह जमीन जिस जमीन पर विद्युत स्टेशन बनना है बहुत नीचा है जिसको पाटने हेतु एक करोड़ रु० लगेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां।

जी नहीं।

भूमि का कुछ भाग नीचा अवश्य है परन्तु उपकेन्द्र निर्माण के लिये पटाई में कुछ धन व्यय नहीं होगा।

जनपद नैनीताल में लोवर माल रोड पर कथित शान्ती सखन स्थान पर लगे ट्रांसफार्मर से लिये गये अवैध विद्युत कनेक्शन

220–श्री लीला राम शर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल में लोवर माल रोड स्थित शान्ती सखन के पास से एक ट्रांसफार्मर से कितने लोगों द्वारा 1991-92 में अवैध रूप से विद्युत कनेक्शन लिये गये थे ? क्या यह भी बतायेंगे कि इनमें से कितने लोग पकड़े गये तथा उनमें से सरकारी कर्मचारी कितने थे ? किस विभाग में व किस पद पर वे कार्यरत हैं ? उन लोगों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

नैनीताल में लोवर माल रोड पर शान्ती सखन नाम का कोई स्थान नहीं है तथा इस स्थान पर न ही कोई ट्रांसफार्मर लगा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में सिंचाई साधनों की उपलब्धता के आधार पर पानी उपलब्ध कराया जाना

221–श्री गया चरन दिनकर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े जनपद बांदा में सिंचाई साधनों के होते हुए भी कृषकों को पानी उपलब्ध न कराने हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच कार्यवाही सम्पादित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जलाशयों में उपलब्ध समस्त जल कृषकों को दोनों फसलों में उपलब्ध कराया जाता है । जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के विद्युत वितरण क्षेत्र, गोरखपुर, लखनऊ एवं बांदा मण्डल में पन्द्रह साल से अधिक समय से कार्यरत अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की मांग

222–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण क्षेत्र एवं मण्डल गोरखपुर, लखनऊ, बांदा में कितने अवर अभियन्ता पन्द्रह वर्षों से अधिक समय से एक डिवीजन पर कार्यरत हैं ? स्थानान्तरण की समयावधि संबंधी नीति क्या है ? निर्धारित समयावधि से अधिक समय से कितने अवर अभियन्ता वहां कार्य कर रहे हैं ? क्या उनमें से कुछ के स्थानान्तरण किये गये हैं तथा वे रिलीव अब तक नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? इसका क्या औचित्य है ? क्या स्थानान्तरण नीति के पालन में अब इनके स्थानान्तरण किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण क्षेत्र, गोरखपुर, लखनऊ एवं बांदा मण्डल के अन्तर्गत एक ही डिवीजन में 15 वर्ष से अधिक समय से कुल 28 अवर अभियन्ता कार्यरत हैं ।

सामान्यतया सभी अवर अभियन्ताओं (ई एण्ड एम) को निरन्तर एक पद/स्थान पर लगातार 5 वर्ष, एक जनपद में एक/विभिन्न पदों पर लगातार सात वर्ष एवं एक मण्डल में एक/विभिन्न पदों पर 10 वर्ष तथा एक क्षेत्र/परियोजना में विभिन्न पदों पर लगातार 15 वर्ष की अवधि से अधिक समय तैनात नहीं रखा जायेगा ।

कुल 28 अवर अभियन्ता 15 वर्ष एवं उससे अधिक वर्षों से कार्यरत हैं ।

समस्त 28 अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण आदेश निर्गत किये जा चुके हैं । जहां तक अवर अभियन्ताओं को रिलीव करने का प्रश्न है, के संबंध में प्रस्तुत है कि सात अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण आदेश विभिन्न आधारों पर मार्च, 1993 तक स्थगित किये जा चुके हैं । शेष अवर अभियन्ताओं को रिलीव करने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

स्थगित किये गये स्थानान्तरण के मामलों पर आगामी सत्र में विचार किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गोरखपुर / बस्ती में एंगिल आयरन, कन्डक्टर वायर व एच० टी० केबिल की चोरी के दर्ज मामलों का विवरण

223–श्री रवीन्द्र प्रताप तथा श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गोरखपुर/बस्ती जिले में पिछले 5 वर्षों से एंगिल आयरन, कन्डक्टर वायर व एच० टी० केबिल चोरी के कितने मामले कब कब दर्ज किये गये तथा कितनी-कितनी मात्रायें चोरी गईं तथा उसकी लागत क्या थी ? दर्ज कराने वाले अभियन्ताओं के नाम, पदनाम, नियुक्ति स्थान, कार्यरत अवधि क्या है ? चोरी गये सामान किस अभियन्ता ने भण्डार से कब-कब इश्यू कराये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि अवर अभियन्ताओं/एस० डी० ओ०/अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा सामानों को भण्डार से इशू कराकर अपने घर ही रखवा लिया जाता रहा है जबकि उसे साईड पर किसी की सुपुर्दगी में रखा जाना चाहिए ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा तापीय परियोजना, जनपद सोनभद्र में राख निस्तारण की व्यवस्था

224–श्री रवीन्द्र प्रताप तथा श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा तापीय परियोजना सोनभद्र में राख निस्तारण में सैडिल डैम-1 एवं सैडिल डैम-2 का संरेखण कोई तकनीकी अध्ययन द्वारा ही किया गया था ? यदि हां, तो क्या वह रपट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? वर्तमान संरेखण के अतिरिक्त कोई और सुझाव दिये गये थे ? यदि हां, तो उससे लागत में कितनी कमी आ सकती थी ? क्या यह सत्य है कि करोड़ों रुपये की अतिरिक्त लागत से निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री ब्रमदत्त द्विवेदी–

आनपारा "अ" तापीय परियोजना, आनपारा में कार्य के लिये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण परिषद् के पारामर्शदाता (कन्सल्टेन्ट) हैं और यह कार्य उनके ही सलाह पर कराने का निर्णय लिया गया है । यह सत्य नहीं है कि करोड़ों रुपये की अतिरिक्त लागत से कार्य कराया गया है । अतः दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । परियोजना पर जो भी कार्य कराया जाता है वह केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा तापीय परिकल्पना एवं अभियंत्रण के अनुमोदन पर ही कार्य कराया जाता है । सैडिल डेम-1 एवं सैडिल डेम-2 के निर्माण कार्य भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा तापीय परिकल्पना एवं अभियंत्रण के अनुमोदन पर ही कराये गये ।

दीवानी न्यायालय, बहराइच में कार्यरत आशुलिपिकों के द्विभाषीय भत्ते का प्रतीक्षित मामला

225 –श्री तेजभान सिंह–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दीवानी न्यायालय, बहराइच में कार्यरत आशुलिपिकों को द्विभाषीय भत्ता अनुमन्य है ? यदि हां, तो द्विभाषीय भत्ते हेतु जनपद न्यायाधीश द्वारा कर्मचारियों के

संबंध में अनुमति शासन/मा० उच्च न्यायालय से मांगी थी ? यदि हां, तो उक्त अनुमति कब मांगी गयी थी तथा कब दी गयी ? यदि द्विवभाषीय भत्ता देने के संबंध में अनुमति दी गयी, तो कब ? लम्बी अवधि तक अनुमति न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री गिरीश नारायण पाण्डेय–

जी हां ।

अनुमति मा० उच्च न्यायालय से मांगी गयी थी ।

अनुमति 29-1-86 को मांगी गई थी और अक्टूबर, 1992 में दी गई ।

अक्टूबर, 1992 में ।

देरी के कारणों का पता मा० उच्च न्यायालय द्वारा लगाया जा रहा है ।

राज्य विद्युत परिषद् में प्रदेश स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण

226–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् में प्रदेश भर में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या उनको छूट पर विद्युत उपभोग अनुमन्य है ? यदि हां, तो कितनी ? विद्युत चोरी न हो, इस दृष्टि से क्या विभाग के नियंत्रक विभाग के अधिकारी विभागीय लोगों के यहां मीटर लगे होने की पुष्टि करते हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर सदर तहसील के जंगल रामगढ़ (चौरी) में राज्य विद्युत परिषद् द्वारा खींची गयी विद्युत लाइन हेतु मुआवजा दिये जाने की मांग

227–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर में सदर तहसील के अन्तर्गत जंगल रामगढ़ (चौरी) से राज्य विद्युत परिषद् द्वारा श्री आरिफ वली उल्ला तथा श्री अरसद वली उल्ला के बाग से गोरखपुर–देवरिया ट्रांसमिशन लाइन ले जायी गयी है ? यदि हां, तो उसमें कितने लोगों को कितना मुआवजा दिया गया है ? क्या श्री आरिफ वली उल्ला को मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

132 के० वी० सिंगिल सर्किट गोरखपुर–देवरिया ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के समय जनपद गोरखपुर में सदर तहसील के अन्तर्गत ग्राम अहदादपुर निवासी सर्वश्री जमरूल इस्लाम, जहीरूल इस्लाम, अजीजुल इस्लाम पुत्र श्री हनीफ अल्लाह एवं सर्वश्री आरिफ वली उल्ला तथा अरसद वलीउल्ला पुत्र श्री मुहम्मद वली उल्ला के पेड़, लाइन के नीचे आ गये थे जिनका कुल मुआवजा तहसीलदार द्वारा रु० 74,400 आंका गया है ।

इस लाइन को चालू करने के समय पेड़ काटे जाने पर मुआवजे के रूप में सर्वश्री जमरूल इस्लाम, जहीरूल इस्लाम एवं श्री अजीजुल इस्लाम पुत्र श्री हनीफ उल्लाह को रु० 12,400 प्रति व्यक्ति के

हिसाब से तथा श्री अरसद वली उल्ला पुत्र श्री मुहम्मद वली उल्ला को रु० 18,600 मात्र का भुगतान कर दिया गया है ।

श्री आरिफ वली उल्ला पुत्र श्री मुहम्मद वली उल्ला के हिस्से के पेड़ों को उनके द्वारा अभी तक नहीं काटा गया है । जैसे ही श्री आरिफ वली उल्ला द्वारा पेड़ों को काट दिया जायेगा वैसे ही तहसीलदार द्वारा प्रतिकर की आंकी गयी धनराशि रु० 18,600 का भुगतान परिषद् द्वारा कर दिया जायेगा ।

नन्दगंज औद्योगिक एरिया, गाजीपुर में प्रतिदिन आपूर्ति होने वाली विद्युत की मात्रा की जानकारी

228–श्री बच्चा पाठक–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में नन्दगंज औद्योगिक एरिया में प्रतिदिन कितने घंटे विद्युत आपूर्ति किये जाने का प्राविधान है एवं वर्तमान में (अप्रैल, 92 से जून, 92) कितने घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की जा रही है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

गाजीपुर जनपद में नन्दगंज औद्योगिक एरिया को विद्युत आपूर्ति 33/11 के० वी० उपकेन्द्र नन्दगंज से की जाती है । चूंकि यह ग्रामीण क्षेत्र में आता है इसलिये इसको 14 घंटा प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति किये जाने का प्राविधान है । अप्रैल, 92 से जून, 92 तक विद्युत आपूर्ति प्रतिदिन औसतन 14.48 से 20.4 घंटे की गयी है ।

जिला मऊ व गाजीपुर में कतिपय स्थानों पर के० वी० विद्युत स्टेशनों के बनाने हेतु केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री द्वारा किये गये शिलान्यास का विवरण

229–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ व गाजीपुर में जुलाई, 91 से 31-5-92 तक 132 के० वी० के विद्युत स्टेशन बनाने हेतु कहां-कहां केन्द्रीय राज्य ऊर्जा मंत्री श्री कल्पनाथ राय ने शिलान्यास किया है ? क्या उन स्टेशनों को बनाने हेतु राज्य विद्युत परिषद्, उत्तर प्रदेश को धन केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने दिया हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जनपद मऊ में जुलाई, 91 से 31-5-92 तक की अवधि में माननीय केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री कल्पनाथ राय द्वारा 132 के० वी० विद्युत उपकेन्द्रों को बनाने हेतु निम्न स्थानों पर शिलान्यास किया गया है :—

1–132 के० वी० उपकेन्द्र, हलधरपुर का शिलान्यास दिनांक 21-9-91 को किया गया था ।

2–132 के० वी० उपकेन्द्र, मुहम्मदाबाद का शिलान्यास दिनांक 19-11-91 को किया गया ।

जनपद गाजीपुर में जुलाई, 91 से 31-5-92 तक की अवधि में माननीय केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री कल्पनाथ राय द्वारा किसी भी स्थान पर 132 के० वी० उपकेन्द्र बनाने हेतु शिलान्यास नहीं किया गया है ।

जनपद मऊ के उक्त विद्युत उपकेन्द्रों को बनाने हेतु भारत सरकार के ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को धन उपलब्ध कराया जा रहा है ।

मिलम सिंचाई नहर योजना, जिला पिथौरागढ़ के निर्माण हेतु खरीदे गये पाइप का उपयोग न किये जाने की शिकायत

230–श्री लीला राम शर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मिलम सिंचाई नहर, तहसील मुन्शयारी, जिला पिथौरागढ़ सन् 1989 में स्वीकृत हुई थी ? क्या उक्त नहर निर्माण को कार्यान्वित किये जाने हेतु सिंचाई विभाग ने पाइप खरीद कर उसका ढुलान मुन्शयारी, मिलम वोगडियार तक कराया ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त पाइप आज तक उन स्थानों में लावारिस पड़े हैं ? उक्त योजना अब तक कार्यान्वित क्यों नहीं की गयी ? यह कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

मिलम सिंचाई नहर योजना वर्ष 1986 में स्वीकृत हुई थी ।

जी हां ।

जी नहीं । उक्त पाइप सुरक्षित रखे गये हैं ।

योजना की लागत निर्धारित मानकों से बहुत अधिक होने के कारण कार्यान्वित नहीं की गयी है ।

विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ० प्र० द्वारा विद्युतीकरण कार्य हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को दिये गये लाइसेंस की वैधता की अवधि

231–श्री राम चन्द्र चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ० प्र० द्वारा उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० को विद्युतीकरण कार्य करने के लिये कोई लाइसेन्स प्रदान किया गया है ? यदि हां, तो यह कब तक के लिये वैध था ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि लाइसेन्स की शर्तों का पूर्णतः उल्लंघन करके उपरोक्त निगम द्वारा अपनी अनेक महत्वपूर्ण इकाइयों पर विद्युतीय कार्य अन्य शाखाओं के अभियन्ताओं द्वारा सम्पादित कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? इनका लाइसेन्स अब तक निरस्त न किये जाने का मूल कारण क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

उक्त लाइसेन्स दिनांक 31-3-93 तक वैध है ।

शर्तों का उल्लंघन करके महत्वपूर्ण इकाइयों पर विद्युतीय कार्य सम्पादित कराये जाने संबंधी कोई सूचना/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा सदस्य श्री प्रेम प्रकाश द्वारा ऊर्जा मंत्री को भेजे गये पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

232–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी का पत्र दिनांक 14-6-92 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि की जायेगी, तो कब तक ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां, श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी का दिनांक 14-6-92 का पत्र जो कि ग्राम धनुहरी, वि० खं० मनवापुर की हरिजनं बस्ती के विद्युतीकरण हेतु था, प्राप्त हुआ है। इस पत्र पर समुचित कार्यवाही करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं, परन्तु धनाभाव के कारण उपरोक्त कार्य अभी तक करा पाना सम्भव नहीं हो सका है।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम जमालपुर मेलखड़ा, विकास खण्ड मुहम्मदपुर में विद्युतीकरण की मांग

233–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम जमालपुर मेलखड़ा, विकास खण्ड मुहम्मदपुर को ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु विद्युत वितरण खण्ड प्रथम (सिधारी), जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 31-3-91 को विद्युतीकरण हेतु चयनित किया गया है ? क्या दिनांक 19-8-91 को स्टोर (सिधारी) से अवर अभियन्ता को विद्युतीकरण हेतु सामग्री निर्गत की गयी है ? यदि हां, तो अभी तक उक्त गांव के विद्युतीकरण सम्पन्न न होने का क्या कारण है ? विलम्ब हेतु दोषी व्यक्ति कौन है तथा उस अधिकारी के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी ? क्या इस संबंध में सांसद श्री श्याम लाल कमल का पत्र दि० 11-6-92 विद्युत वितरण खण्ड प्रथम (सिधारी), आजमगढ़ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम जमालपुर मेलखड़ा, विकास खण्ड मोहम्मदपुर को वर्ष 1990-91 के लक्ष्य की विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, आजमगढ़ के द्वारा चयनित कराया गया था तथा दिनांक 19-8-91 को अंशतः एच० टी० लाइन का सामान सिधारी स्टोर से प्राप्त किया एवं दिनांक 9-1-92 को उक्त ग्राम का पूरा सामान प्राप्त करने के बाद माह अगस्त, 1992 में विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर दिया गया है।

विलम्ब हेतु कोई भी कर्मचारी एवं अधिकारी दोषी नहीं है। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री द्वारिका प्रसाद यादव निवासी ग्राम तेजगढ़, ब्लाक बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में भेजा गया शिकायती पत्र

234–श्री श्याम नरायन–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री द्वारिका प्रसाद यादव, ग्राम सभा तेजगढ़, ब्लाक बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर ने 1989 में ग्राम सभा तेजमढ़, विकास खण्ड बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में शिकायती पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री द्वारिका प्रसाद यादव का पत्र परिषद् में प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता।

ग्राम सभा तेजगढ़, विकास खण्ड बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर का विद्युतीकरण दिनांक 30-3-1988 को किया गया है। ऐसी स्थिति में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा तापीय परियोजना में इन्सर्ट, दरवाजे तथा फैंसिंग आदि कार्य में व्यय की गयी धनराशि का विवरण

235–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा तापीय परियोजना में इन्सर्ट बनाने, दरवाजे बनाने एवं फैन्सिंग आदि के बनाने के लिये कौन-कौन से अनुबन्ध हुए ? अनुबन्ध में मदानुसार कितनी-कितनी मात्रा में लोहे की आपूर्तियां ली गयीं ? क्या यह सत्य है कि परियोजना के भंडार में उपरोक्त अनुबन्धों द्वारा आपूर्ति कराये गये लोहे के सेक्सन उपलब्ध थे ? यदि हां, तो बाहर से आपूर्ति लेने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

अनुबंध, कार्य का नाम एवं इस्पात की मात्रा का विवरण संलग्न है। अनुबंध में लोहे की कोई आपूर्ति नहीं ली गयी। लोहे/स्टील, फैब्रीकेटेड आइटम स्टोर में उपलब्ध नहीं है। संलग्नक में दिये गये अनुबंधों में विभाग द्वारा संरचना इस्पात नहीं दिया जाना था।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 302-303 पर)

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा तापीय परियोजना से उत्पन्न राख को निस्तारित किये जाने के संबंध में की गयी खोज

236–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा तापीय परियोजना से उत्पन्न राख को निस्तारित करने के लिये कोई तकनीकी अध्ययन किया गया था ? यदि हां, तो वह अध्ययन क्या है ? क्या यह सत्य है कि राख निस्तारण हेतु उपयुक्त स्थान 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है किन्तु 10 किलोमीटर दूरी पर योजना का कार्यान्वयन किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? इसके कारण हुए करोड़ों रुपये के अतिरिक्त व्यय की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

आनपारा "अ" तापीय परियोजना की स्वीकृति केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपनी 23वीं बैठक दिनांक 7-12-77 एवं नियोजन आयोग, नई दिल्ली ने 19-1-79 को प्रदान की थी, जिसमें ऐश निस्तारण के लिये परियोजना स्थल से 10 कि०मी० दूर पर एक बांध के प्रस्ताव का उल्लेख परियोजना रिपोर्ट में बिन्दु 1.2.6.21में है। जिसका हिन्दी में सारांश सुगम संदर्भ हेतु संलग्न† है।

---

† छापा नहीं गया।

स्थाई ऐश निस्तारण हेतु 3 कि०मी० दूरी पर उपयुक्त स्थल उपलब्ध नहीं है। परियोजना रिपोर्ट के प्राविधानों के अनुसार ही ऐश निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। अतः किसी भी प्रकार की हानि या किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का औचित्य नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ओबरा/आनपारा/टाण्डा/पनकी एवं हरदुआगंज परियोजनाओं में कोयले पर पानी छिड़कने वाली मशीन के बाद भी ठेकेदारों द्वारा इस कार्य को किया जाना तथा उस पर व्यय का विवरण

237–श्री रवीन्द्र प्रताप तथा श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ओबरा/आनपारा/टाण्डा/पनकी/परीछा एवं हरदुआगंज परियोजनाओं में कोयले पर पानी छिड़कने के लिये कोई यांत्रिक (स्वचालित) व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो पानी छिड़कने के लिये ठेकेदारों द्वारा इस मद में विगत 5 वर्षों में परियोजनानुसार प्रति वर्ष कितना-कितना भुगतान किया गया ? क्या इसके लिये परिषद् ने कोई शिड्यूल दर नियत की है ? यदि हां, तो वह दर क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत प्रश्नगत परियोजनाओं में कोयले पर पानी छिड़काव की निम्नवत् व्यवस्था है :—

ओबरा – यांत्रिक

आनपारा – यांत्रिक

टाण्डा – यांत्रिक (स्वचालित)

पनकी – यांत्रिक (स्वचालित)

परीछा – यांत्रिक

हरदुआगंज – स्वचालित यांत्रिक व्यवस्था नहीं।

पानी छिड़कने के लिये ठेकेदारों द्वारा इस मद में विगत 5 वर्षों में परियोजनानुसार भुगतान निम्न है :—

ओबरा–कोयला संचालन संयंत्र पर कोयले पर पानी छिड़कने के लिये यांत्रिक व्यवस्था होने के कारण व्यय शून्य है।

आनपारा–1988-89 शून्य (इस अवधि मे कोल यार्ड में कोयला नहीं था।)

1989-90 – रु० 14850.00

1990-91 – रु० 51812.50

1991-92 – रु० 37580.00

1992-93 – रु० 72507.40

टाण्डा – इस परियोजना द्वारा कोयला पर पानी के छिड़काव की स्वचालित व्यवस्था होने के कारण कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी।

पनकी – कोलयार्ड में पानी वाटर स्प्रिंकलिंग लाइन से छिड़का जाता है । ठेकेदारों को भुगतान किया गया विवरण निम्न है :—

14-4-88 से 12/88	—	रु०. 19751.00
1-1-89 से 12/89	—	रु० 45353.50
1-1-90 से 12/90	—	रु० 39588.90
1-1-91 से 12-91	—	रु० 19644.50
1-1-92 से 8/92	–	रु० 15401.00
		(इस माह का भुगतान अभी शेष है)

परीछा – इस परियोजना में कोयले पर पानी छिड़कने के लिये विभिन्न बेल्टों पर पाइप एवं स्प्रे नोजल द्वारा आवश्यकतानुसार खोला एवं बन्द किया जता है । अतएव इस स्थिति में पानी के छिड़काव पर कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी ।

हरदुआगंज – इस परियोजना पर कोयले पर पानी छिड़कने के लिये कोई यांत्रिक (स्वचालित) व्यवस्था नहीं है । भुगतान का विवरण निम्नवत् है :–

1987-88	–	रु० 9080
1988-89	–	रु० 21255
1989-90	–	शून्य
1990-91	–	शून्य
1991-92	–	शून्य
4/92 से 9/92	–	शून्य

हर एक परियोजना पर परिस्थितियां भिन्न-भिन्न हैं । अतएव परिषद् द्वारा कोई शेड्यूल दर नियत करना सम्भव नहीं है ।

राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा "अ" में तापीय परियोजना सोनभद्र में सरिया की आपूर्ति

238—श्री तीरथ राज—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंके कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा "अ" तापीय परियोजना सोनभद्र के 7,8,9,10 तथा 17 ए० सी० ठेके में व्यासानुसार किस ठेके में कितनी मात्रा की सरिया विभाग द्वारा इशू की गयी ? ठेकानुसार मापी और लोहे के भण्डार में वापसी की मात्रायें क्या थी ? क्या यह सत्य है कि विभागीय अनुमति से ठेकेदारों द्वारा सरिया बेची गयी थी ? यदि हां, तो किन-किन तिथियों में कुल कितनी मात्रा में सरिया बेची गयी और उससे विभाग को कितनी आय हुई ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा "अ" तापीय परियोजना सोनभद्र के 7,8,9,10 तथा 17 ए० सी० ठेके में व्यासानुसार इशू की गयी कुल सरिया की मात्रा और लोहे के भण्डार में वापसी की मात्रा संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है । अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ही सरिया सरिया की मात्रा इशू की गयी जो निर्धारित 3 प्रतिशत वेस्टेज सीमा के अन्तर्गत थी । उपरोक्त वर्णित सभी अनुबन्धों में 9 ऐसी (एनपीसीसी) में सरिया की मात्रा ठेकेदार के पास वेस्टेज लिमिट में से थोड़ा ज्यादा है जिसे अन्तिम बीजक बनाते समय एडजस्ट कर लिया जायेगा । 8 ए०सी० में वेस्टेज लिमिट से ज्यादा इशू लगभग 1 टन सरिया की कीमत अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार दो गुनी दर से काट ली गयी है । ठेकेदारों द्वारा सरिया बेचने के लिये विभागीय अनुमति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 304-305 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा 'अ' तापीय परियोजना सोनभद्र द्वारा ए०सी०, जी० सी० सीटों की आपूर्ति में कथित घपला

239–श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा "अ" तापीय परियोजना सोनभद्र में ए० सी० और जी० सी० शीटें मंगाई गयी थीं ? यदि हां, तो कुल कितनी शीटें मंगाई गयी थीं और उसकी क्या लागत थी ? क्या यह सत्य है कि यह शीटें कहीं पर नहीं लगाई गयी हैं ? यदि हां, तो क्या यह शीटें परियोजना भण्डार से बाजार में बेच दी गय हैं ? यदि हां, तो विभाग को कुल कितनी आय हुई ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा "अ" तापीय परियोजना में सन् 1980-81 में 15,000 ए० सी० शीटें मंगाई गयी थी जिनकी कुल लागत रु० 11,65,450.00 (ग्यारह लाख पैंसठ हजार चार सौ पचास) मात्र थी इनमें से लगभग 95 प्रतिशत शीटें परियोजना पर विभिन्न कार्यों में लगायी जा चुकी हैं । इन शीटों में से कोई शीट बाजार में नहीं बेची गयी है । अतः इन शीटों से नकद आय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा (अ) तापीय परियोजना सोनभद्र में जलापूर्ति हेतु व्यासानुसार पाइप की खरीद

240– श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आनपारा (अ) तापीय परियोजना सोनभद्र में जलापूर्ति हेतु व्यासानुसार कुल कितना ए० सी० और सी० आई० पाइप खरीदी गयी थी और उसकी लागत क्या थी ? जलापूर्ति हेतु विभिन्न ठेकों के माध्यम से व्यासानुसार कुल कितनी पाइप लाइन डलवाई और उखड़वाई गयी थी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कुछ पाइप लाइन अब भी अवशेष रहने के क्या कारण हैं और उसकी लागत क्या है ?

श्री बह्मदत्त द्विवेदी–

व्यासानुसार ए० सी० पाइप और सी० आई० पाइप संलग्न एनेक्जर के अनुसार खरीदी गई थी । सी० आई० पाइप लाइन की कुल कीमत रु० 87,48,293.47 पैसा सैलटैक्स को छोड़कर थी । ए० सी०

पाइप की कीमत करीब रु० 19,88,000,00थी । जलापूर्ति के काम में लाई गई कुल पाइप लाईन संलग्न एनेक्जर में दी गई है । उखाड़ी गई पाइप लाईन उसे पुनः डालने की मात्रा भी संलग्न चार्ट में है । जैसा कि संलग्न चार्ट से विदित है, पाइपों की कोई मात्रा अवशेष नहीं है । अतः अवशेष पाइप के शेष रहने का प्रश्न नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ- 306-307 पर)

प्रदेश स्तर पर कतिपय जनपदों में विद्युत के पुराने तारों को बदलने की मांग

241—श्री सुरेश प्रताप गांधी—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत कडक्टर (तार) व अन्य संसाधनों के अभाव के कारण कुछ जनपदों में बहुत पुरानी, क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों के तार न बदले जाने तथा आवश्यक मरम्मत कार्य न हो पाने के कारण प्रति वर्ष अनेकों दुर्घटनायें तथा विद्युत आपूर्ति में भी व्यवधान होता है ? क्या सरकार इस प्रकार की विद्युत लाइनों के सुधार हेतु प्राथमिकता पर संसाधन उपलब्ध करायेगी ? अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ क्षेत्र की अत्यन्त जर्जर व खतरनाक स्थिति की विद्युत लाइनों से दुर्घटनाओं में प्रति वर्ष अनेकों व्यक्तियों व पशुओं की मृत्यु होने तथा सम्पत्ति की क्षति होने के बाद भी इस क्षेत्र की क्षतिग्रस्त लाइनों को अभी तक न बदले जाने का कारण क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

वर्तमान में परिषद् के अति सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कुछ स्थानों पर कभी-कभी रख-रखाव के कार्यों में कुछ विलम्ब हो जाता है । परन्तु वित्तीय साधनों के उपलब्ध होते ही यथासम्भव शीघ्रता से रख-रखाव के कार्य करा दिये जाते हैं ।

शासन/परिषद् वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु सतत प्रयत्नशील है । संसाधनों की उपलब्धता पर विद्युत लाइनों के बदलने के कार्य कराये जाते हैं ।

कठिन वित्तीय स्थिति के कारण क्षतिग्रस्त लाइनों के जर्जर तार क्रास आर्म्स केबिल, पोल आदि बदलने हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है । कार्य का पूर्ण होना सामान व धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

मुख्य अभियन्ता राज्य विद्युत परिषद्, देहरादून में हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण की मांग

242—श्री भारत सिंह रावत—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि मुख्य अभियन्ता उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, देहरादून के पत्रांक 939/मु० क्षेत्र अ० (दं०) तद०/आर-2 दिनांक 13-5-91 के द्वारा तत्कालीन उपाध्यक्ष, पर्वतीय विकास परिषद् उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को वर्ष 1990-91 में ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य 237 गांव के विपरीत 267 गांव तथा 190 हरिजन बस्तियों के विपरीत 197 हरिजन बसितयों के विद्युतीकरण किये जाने की जानकारी दी गयी थी ? यदि हां, तो गढ़वाल क्षेत्र के वर्ष 1990-91 में विद्युतीकृत गांवों की संख्या क्या है तथा निर्धारित लक्ष्य में प्रस्तावित गांवों की संख्या क्या थी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी हां ।

गढ़वाल क्षेत्र के वर्ष 1990-91 में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 267 व हरिजन बस्तियों की संख्या 197 है । वर्ष 1990-91 में प्रस्तावित लक्ष्य में गांवों की संख्या 346 थी तथा संशोधित लक्ष्य की संख्या 237 थी ।

उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड (प्रथम) श्रीनगर (गढ़वाल) को अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर गढ़वाल द्वारा प्रेषित पत्रों पर कृत कार्यवाही

243—श्री भारत सिंह रावत—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि प्रमुख क्षेत्र समिति, कोट, पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक कोट 16-विद्युत/91-92 दिनांक 20-12-91 के पत्र द्वारा उप खण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उप खण्ड (प्रथम) श्रीनगर, (गढ़वाल) का ध्यान अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड श्रीनगर (गढ़वाल) के कतिपय पत्रों की ओर आकर्षित करते हुये उन पर की गयी कार्यवाही की जानकारी चाही गयी थी ? यदि हां, तो संदर्भित पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और कृत कार्यवाही की जानकारी प्रमुख, क्षेत्र समिति कोट को कब दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी हां । संदर्भित पत्रों पर माह दिसम्बर, 1991 तक की गयी कार्यवाही की जानकारी माननीय प्रमुख, क्षेत्र समिति, कोट को उनके मुख्यालय कोट पर दिनांक 4-1-92 को दी गयी । पत्रों पर की गयी कार्यवाही का विवरण "विस्तीर्णता" के कारण संलग्न किया जाना सम्भव नहीं है । माननीय सदस्य अपनी सुविधानुसार मेरे कार्यालय में देख सकते हैं ।

244—श्री राम कृष्ण—

[3रे सोमवार में अता० प्र० सं० 177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

[12 बजकर 20 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष—

अब निधन के निर्देश लिये जायेंगे ।

भूतपूर्व सदस्य श्री हबीबुर रहमान आजमी तथा श्री मोहम्मद नसीर के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)—

श्रीमन् इस सदन को बड़े दुःख के साथ सूचित कर रहा हूं कि श्री हबीबुर रहमान आजमी का निधन 16 मार्च, 1992 को हो गया । उनकी आयु इस समय 91 वर्ष की थी । श्री हबीबुर रहमान आजमी का जन्म मोहल्ला पठानटोला, मऊ में 1901में हुआ था । उन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा स्थानीय उल्मा से तथा मजहरुल उलूम से मुल्ला और मुल्ला फाजिल की शिक्षा ग्रहण की थी ? श्री हबीबुर रहमान वर्ष 1952 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र मोहम्मदाबाद जिला आजमगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे । उनका एक राजनीतिक और सामाजिक लम्बा जीवन था । उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में जन सेवा की । उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में सदैव जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, उनके हितों की लड़ाई लड़ी । स्वयं में वह बहुत विद्वान थे । उनके चले जाने से प्रदेश को भारी क्षति हुई है । मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे और मेरे दल की शोक-संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार को पहुंचाने की कृपा करें ।

श्रीमन्, दूसरे भूतपूर्व सदस्य श्री मोहम्मद नसीर का निधन 14 दिसम्बर, 1991 को लम्बी बीमारी के उपरान्त हो गया । वे लगभग 90 वर्ष के थे । श्री मो० नसीर का जन्म 1901 में जिला फैजाबाद में हुआ था । उन्होंने मिडिल तक की शिक्षा प्राप्त की थी । श्री मोहम्मद नसीर वर्ष 1952 के सामान्य निर्वाचन में

निर्वाचन क्षेत्र टांडा जिला फैजाबाद से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री मोहम्मद नसीर एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजसेवी थे। उन्होंने सन् 1922,1924,1925,1930,1942 तथा 1943 में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, जिसके फलस्वरूप कई बार जेल गये। वे वर्ष 1957 के बाद लगभग 10 वर्ष तक लखनऊ विश्वविद्यालय में फारसी के लेक्चरर रहे। उन्हें संस्कृत, उर्दू, अरबी,फारसी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। वर्ष 1970 के आसपास वे जिला परिषद् फैजाबाद के अध्यक्ष भी रहे। वे फैजाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। श्री मोहम्मद नसीर के उठ जाने से जनपद फैजाबाद ने एक कुशल राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी तथा समाजसेवी खो दिया। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से उनके प्रति बड़े सम्मान के साथ श्रद्धंजलि अर्पित करता हूं। श्रीमन् आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे दल की ओर से शोक समवेदना उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

* नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, श्री हबीबुर रहमान आजमी का निधन 16 मार्च, 1992 को हो गया। वे विधान सभा के सदस्य तो थे ही, 1952 में सामान्य निर्वाचन में वह निर्वाचन क्षेत्र मोहम्मदाबाद जिला आजमगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा के सदस्य बने थे। लेकिन मान्यवर, वह अरबी और फारसी के प्रख्यात विद्वान थे। उन्होंने उस हैसियत से पूरे प्रदेश मे बहुत बड़ा योगदान दिया था। अरबी और फारसी के लिए और मान्यवर, अगर उन्हें देखा जाय, तो अध्यापन से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। अध्यापक भी रहे, प्रिंसिपल भी रहे और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अरबी विभाग के सदस्य भी रहे। अध्यापन से शुरू से वह जुड़े हुए थे और मान्यवर, उन्होंने अरबी और फारसी बोर्ड इलाहाबाद, पंजाब विश्वविद्यालय के अरबी विभाग, बिहार मदरसा एजूकेशन बोर्ड, मदरसा आलिया, कलकत्ता के परीक्षक भी रहे चुके थे। मान्यवर, वह उच्च कोटि के विद्वान थे और उन्होंने बहुत सी किताबें अरबी और फारसी में लिखी हैं, जिनमें मुखासिर, मोहद्दीस, फक्कीह, मोतकल्लिम, मुनाजिर, काखती, मोवर्रिक मुख्य हैं, लेकिन इस सबके बावजूद उनका प्रिय व्यवसाय अध्यापन ही था। उन्होने कई शताब्दी पुरानी हस्त लिखित धर्म ग्रन्थों को विभिन्न देशो से मंगाकर शुद्ध किया और उनका रुपान्तर किया। मान्यवर, उनके निधन से जहां राजनैतिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी रिक्कता आयी है ; उसी के साथ ही साथ मान्यवर, लेखन में, अध्यापन में और उर्दू,अरबी और फारसी के क्षेत्र में जो रिक्तता आयी है, उसे आसानी से भरा नहीं जा सकता है। मान्यवर, कृपया मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार को शोक संवेदनायें भेजने की कृपा करें।

मान्यवर, श्री मोहम्मद नसीर जी का निधन 14 दिसम्बर, 1991 को हो गया। वह फैजाबाद के निवासी थे और फैजाबाद में उनका नाम बड़े अदब और फक्र से लिया जाता है। 1952 में निर्वाचन क्षेत्र टांडा जिला फैजाबाद से चुनकर आये थे, वह ऐसे स्थान से चुनकर आये थे, जो प्रदेश मे ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में बुनकरी के लिये प्रसिद्ध है। वह वहां पर अपना एक स्थान रखते थे और वह कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित होकर आये थे। वह केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, वह उस पीढ़ी से आते थे जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और उन्होंने 6 बार जेल की यातनायें सहीं थी और वह लम्बे अंतराल तक जेल में रहे और आजादी की लड़ाई लड़ी जो महात्मा गांधी ने प्रारम्भ की थी, उसमें उनका योगदान रहा।

मान्यवर, वे वर्ष 1957 के बाद लगभग 10 वर्ष तक लखनऊ विश्वविद्यालय में फारसी के लेक्चरर रहे। मान्यवर, इतना ही नहीं वह एक योग्यतम व्यक्ति थे। उन्हें संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। बिरले ही व्यक्ति मिलते हैं जिनको इतनी भाषाओं का ज्ञान

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो, उनमें मोहम्मद नसीर साहब एक थे । मान्यवर, 1970 में वे फैजाबाद जिला परिषद् के अध्यक्ष भी रहे और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे । मान्यवर, उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है जिसको आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता है । कृपया मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार को मेरी संवेदनायें भेजने का कष्ट करें ।

* श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, मैं नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष ने जो शोकसंवेदना व्यक्त की है उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । श्रीमन्, श्री हबीबुर्रहमान आजमी जिन्होंने आजादी के समय लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और कांग्रेस से इस विधान सभा के सदस्य रहे, उनका निधन 16 मार्च, 1992 को हो गया । उन्होंने राजनैतिक और शैक्षिक रूप से इस समाज की सेवा की और समाज को नयी दिशा दी । अध्यापन का कार्य करते समय उन्होंने विदेशों के कई ग्रन्थों को मंगाकर ठीक करके, जिस तरह से ठीक करके अन्य देशों को भेजा उससे यह सिद्ध होता है कि उनमें कितनी काबिलियत थी और कितना लगाव था । आज वह हमारे बीच में नहीं है उससे कांग्रेस दल को तो क्षति हुई है साथ में मऊ जनपद को और इस प्रदेश को जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती है । मैं अपने दल की ओर से और अपनी ओर से शोकसंवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी शोकसंवेदनाएं उनके शोकसंतप्त परिवार तक भेजने की कृपा करें ।

श्री मोहम्मद नसीर साहब जिनका निधन 14 मार्च, 1991 को लम्बी बीमारी के बाद हो गया, वह 91 वर्ष के थे । वह कांग्रेस दल के सदस्य रहे और वह कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए थे, आजादी के योद्धा थे और आजादी की लड़ाई में वह कई बार जेल गये, उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि आजादी की लड़ाई लड़कर इस देश में जो हिन्दू-मुस्लिम-सिख इसाई का जो भाईचारे का नाता है वह उन्होंने सिद्ध किया कि भाईचारे के नाते वह राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं । वर्ष 1952 में विधायक होने के बाद 70 में वह जिला परिषद् फैजाबाद के अध्यक्ष रहे, वह फैजाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे और उन्होंने अध्यापक के रूप में भी लखनऊ विश्वविद्यालय में 10 वर्ष काम किया । उन्होंने समाज की सेवा राजनीतिक रूप से और शैक्षिक रूप से दोनों प्रकार से की । आज उनकी मृत्यु से फैजाबाद जनपद को ही नहीं पूरे प्रदेश को क्षति हुई है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है । मैं अपने और अपने दल की ओर से उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे निवेदन है कि उनके शोकसंतप्त परिवार तक हमारी शोक संवेदना भेजने की कृपा करें ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, जिन दो भूतपूर्व सदस्यों को माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता कांग्रेस आई ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, श्री हबीबुर्रहमान आजमी जिनका निधन 91 वर्ष की उम्र में हुआ वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शुरू से ही उर्दू साहित्य के सृजन में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था । वह आजमगढ़ से विधान सभा के सदस्य चुने गये थे । वह सन् 1922 में दारुलउलूम मऊ में अध्यापक तथा सन् 1931 में मजहरुल उलूम बनारस के प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हुये थे । कई संस्थाओ से वह जुड़े थें, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार में भी रहे, वे अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अरबी विभाग के सदस्य भी रह चुके थे उसके बाद वह कई जगह के परीक्षक भी रहे । वे एक खुशदिल आदमी थे, लोकप्रिय व्यक्ति थे जिनका सम्मान आज भी मऊ की जनता में किया जाता है । अध्ययन करना तो उनका बहुत ही प्रिय काम था । अध्ययन

---

* वक्ता ने भाषण का पुर्नीक्षण नहीं किया ।

अध्यापन में तो उनकी रुचि थी । बहुत सारे धर्म ग्रन्थ की हस्तलिखित पाण्डुलिपियों को मंगाकर शुद्ध करके प्रकाशन का काम कराया । उनके निधन से एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं विश्वविख्यात विद्वान उठ गया है । मैं अपनी और अपने दल की ओर से शोक संवेदना प्रकट करता हूं और आपसे प्रार्थना है कि हमारी संवेदना उनके परिवार तक भिजवाने की कृपा करें । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें ।

मान्यवर, श्री मोहम्मद नसीर का 14 दिसम्बर, 1991 को लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे । उनका जन्म 1901 में जनपद फैजाबाद में हुआ था । उन्होंने बहुत कम मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की थी । इतनी कम शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद वे स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन में योद्धा के रूप में कूद पड़े थे और इसके लिए कई बार उन्हें जेल यातनाएं सहनी पड़ीं । उन्होंने सन् 1922.1924.1925.1930.1942 तथा 1943 में स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया जिसके परिणामस्वरूप वे कई बार जेल गये । वे लगभग 10 वर्ष तक लखनऊ विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रवक्ता रहे । उन्हें उर्दू, फारसी, अरबी,अंग्रेजी के साथ ही हिन्दी और संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान था । केवल बिरले हुआ करते हैं जो हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, अरबी के एक साथ जानकार हों, उन्हें अंग्रेजी पर अच्छा कमांड था । जिला परिषद् फैजाबाद के 1970 के आसपास अध्यक्ष रहे और फैजाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके थे । मान्यवर, शिक्षा जगत से जुड़ने के बाद उन्होंने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया । राजनीतिक जीवन में आने के बाद सभी भाषाओं हिन्दी, अंग्रेजी, अरबी, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया और वह आजन्म जारी रहा । उनके निधन से हमने एक कुशल राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेवी खो दिया है । मैं, श्री मो० नसीर की दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं । अपनी ओर से और अपने दल की ओर से चाहता हूं कि हमारी शोक संवेदनायें उनके परिवारजन तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, दो भू० पू० माननीय सदस्यों के निधन पर जो शोकद्गार माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता कांग्रेस दल, माननीय नेता जनता दल (अ) ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । श्रीमन्, मृत्यु चाहे परिपक्व उम्र में हो चाहे कम उम्र में हो वह दुखदायी होती है । श्री हबीबुर रहमान आजमी साहब साहित्य के क्षेत्र में विश्वविख्यात विद्वानों में से रहे । 1952 में वे विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया । उनके निधन से न केवल प्रदेश, में देश में बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक बहुत बड़े विद्वान की कमी आयी है ।

श्री मोहम्मद नसीर साहब की 90 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गयी, वे फैजाबाद जिले की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे उनका पूरा जीवन राजनीतिक आन्दोलन से जुड़ा हुआ रहा । सन् 1922 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया । उसके बाद जितने गांधी जी के सत्याग्रह के आन्दोलन हुए सब में वे बढ़कर हिस्सा लिये । श्रीमन्, उनके निधन से निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की राजनीति से एक महान व्यक्तित्व उठ गया । श्रीमन्, हमारा दल इन दोनों महान आत्माओं के निधन से दुखी है और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी शोक संवेदनायें उनके परिवार जन तक भेजने का कष्ट करें ।

* श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, जो दो भूतपूर्व माननीय विधायकों के निधन पर जो विचार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता कांग्रेस (आई) माननीय नेता जनता दल (अ) माननीय नेता समाजवादी पार्टी ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमन्, स्व० हबीबुर रहमान आजमी साहब हमारे जनपद के बिल्कुल सटे हुए जनपद मऊ के थे। उनका जन्म 1901 में हुआ था यह कुशल अध्यापक और प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किये। शिक्षा जगत से यह हमेशा जुड़े रहे। वह उच्चकोटि के उर्दू, अरबी, फारसी के विद्वान थे। यह विश्व स्तर के विद्वान थे इन्होंने कई देशों से हस्त लिखित ग्रन्थों को मंगाकर उनको शुद्ध करके धर्म के प्रति अपनी आस्था भी जतायी। ऐसे महान राजनीतिज्ञ, विद्वान का हमारे बीच से उठ जाना बड़े ही दुख की बात है। मैं आपसे आग्रह करुंगा कि हमारी तथा हमारे दल की शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। दूसरे जो मोहम्मद नसीर साहब जो इस सदन के सदस्य रह चुके हैं, उस देश के जाने माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिला परिषद् के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने राजनीति और समाज सेवा में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। ऐसे समाज सेवी तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज हमारे बीच से उठते जा रहे हैं, आज उनकी कड़ी समाप्त होती जा रही है, जबकि उनकी आज हमारे देश को जरूरत थी क्योंकि इस देश का माहौल कुछ अजीब सा हो गया है। मैं आपसे आग्रह करुंगा कि हमारी तथा हमारे दल की शोक संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

* श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, जो दो भूतपूर्व सम्मानित स्व० सदस्यों के प्रति नेता सदन, नेता विरोधी दल, नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेता जनता दल (अ), नेता समाजवादी पार्टी, नेता जनता पार्टी ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, मैं और मेरा दल उससे अपने को सम्बद्ध करता है। मान्यवर, स्व० हबीबुर रहमान आजमी का निधन 91 वर्ष की अवस्था में हुआ। मान्यवर, यह जनपद मऊ के रहने वाले थे और शिक्षा जगत में इनकी एक अलग पहचान थी। उन्होंने 91 वर्ष की अवस्था में इस प्रदेश, देश और मऊ जनपद से अपना मोह भंग कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी तरफ से तथा मेरे दल की तरफ से उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें।

श्रीमन्, इसी कड़ी में स्व० मो० नसीर साहब, जो मेरे ही जनपद के थे, का भी निधन हो गया है। यह बड़े ही जुझारू, ईमानदार और पूरे जनपद में इनकी एक अलग पहचान थी। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, यह जिला परिषद् के अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे और तमाम संस्थाओं से यह जुड़े थे। श्रीमन्, आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। मैं आपसे आग्रह करुंगा कि हमारी तथा हमारे दल की तरफ से उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी शोक संवेदनाएं पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री इम्तियाज अहमद–

मान्यवर, अभी माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल, नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेता जनता दल (अ), नेता समाजवादी पार्टी, नेता बहुजन समाज पार्टी ने जिन दो भूतपूर्व सदस्यों के प्रति शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, मैं अपने को तथा अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, श्री हबीबुररहमान आजमी का निधन 16 मार्च, 1992 को 91 वर्ष की अवस्था में हो गया। वह मेरे ही जिले के रहने वाले थे और मेरे ही गृह नगर के रहने वाले थे। मैंने स्वयं उनसे बहुत कुछ सीखा है और इसलिए जब पिछले सत्र में उनका निधन के निदेश में नाम नहीं आया उनकी श्रद्धांजलि के लिए तो मैंने यह बात कही थी कि इतने महान विद्वान के उठ जाने पर सरकार ने नोटिस नहीं लिया। श्रीमन्, इनकी शिक्षा के क्षेत्र में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विशेष योग्यता रही । खासतौर से अरबी और फारसी भाषा में इनका विशेष योगदान रहा । इनकी प्राथमिक शिक्षा मऊ में हुई थी और उसके बाद मजहरुल उलूम से इन्होंने आलिम फाजिल की डिग्री ली । उसके बाद से वह लगातार शिक्षण के क्षेत्र में रहे । सबसे खास बात यह है कि पूरे जीवन में, जहां भी उन्होंने शिक्षण, अध्यापन का कार्य किया, कभी भी एक भी पैसा उन्होंने वेतन के रूप में नहीं लिया और जितनी भी किताबें लिखीं, जो विश्वविख्यात ग्रन्थ थे, जो अभी तक छपे नहीं थे, जो हस्तलिखित थे, अरबी, फारसी में थे, उनका पता लगाने का काम उन्होंने किया और उन्हें मंगाकर शुद्ध करने, छपवाने, प्रकाशकों से सम्पर्क करने का काम करके उन्हें दुनिया के सामने लाने का भी काम किया, लेकिन कभी भी एक भी पैसा रायल्टी के रूप में नहीं लिया, यह उनकी खूबी रही । उनकी विद्वता के कारण इराक में बगदाद की अकादमी में वह 1989 में सदस्य बनाये गये । गर्वनमेंट आफ इण्डिया की एजूकेशनल मिनिस्ट्री में भी अरबी, फारसी के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहा । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वह अरबी विभाग के सदस्य रहे । फारसी बोर्ड, इलाहाबाद तथा पंजाब विश्वविद्यालय इन दोनों जगहों पर अरबी विभाग तथा बिहार मदरसा एजूकेशनल बोर्ड में भी रहे । वह एक मुनक, मितक,मोहर्रिक्क, मोतर्रिफ लेखक थे, उनकी सेवाओं को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता । राष्ट्रपति महोदय से भी उन्हें कई अलंकरण प्राप्त हुये, उन्हें पदमश्री से भी सम्मानित किया गया । उनकी लोकप्रियता का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके मरने की खबर जंगल की आग की तरह केवल जनपद में ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों में भी फैली । मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि उनके नमाजे जनाजा के लिये मऊ में कोई उपयुक्त स्थान नहीं था, इसलिये एक बड़े मैदान में, जहां एक लाख लोग आ सकते थे, जनाजे की नमाज अदा की गयी और एक मोटे अनुमान के मुताबिक जनाजे में 80 हजार लोग इकठ्ठा हुये, जिन्होंने नमाजे जनाजा अदा किया । वह इस सम्मानित सदन के 1952 में सदस्य भी रह चुके थे । मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके परिजनों तक पहुंचायें ।

दूसरे मोहम्मद नसीर साहब, टांडा, जिला फैजाबाद के रहने वाले थे । वह भी इस सम्मानित सदन के सदस्य थे और 14दिसम्बर, 1991 को एक लम्बी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया । सन् 1901 में उनका फैजाबाद में जन्म हुआ था, मिडिल तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी । उन्होंने 1922 से लगातार स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन में अपना योगदान किया । उन्होंने 1922, 1924, 1925, 1930, 1942, 1945 के आन्दोलनों में भाग लिया और विभिन्न मौकों पर वह जेल भी गये और यातनायें सहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका काफी योगदान रहा । लखनऊ विश्वविद्यालय में वह 10 वर्ष तक फारसी के लेक्चरर रहे । उन्होंने एक साथ संस्कृत, अरबी, फारसी, हिन्दी, अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान रखते हुये सेवायें कीं । राजनीति के क्षेत्र में, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो उनका योगदान रहा, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता । मैं श्री मो० नसीर के निधन पर अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों तक मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें पहुंचा दें ।

* श्री पवन कुमार पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, नेता सदन, नेता विपक्ष, नेता कांग्रेस एवं अन्य दलों के नेताओं ने जो शोक संवेदनायें व्यक्त की हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं ...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो मान्यवर, आज हमारे बीच से ये दोनों महान समाज सेवी उठ गये हैं । मैं इन दोनों दिवंगत विभूतियों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं । श्री हबीबुर रहमान आजमी जी, हमारे बगल के जनपद के ही रहने वाले थे । इन्होंने राजनैतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में व शिक्षा के क्षेत्र में तमाम योगदान दिया ! मैं इनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । श्री मोहम्मद नसीर भी हमारे ही क्षेत्र के बगल के रहने वाले थे । श्री नसीर साहब स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन में जेल भी गये और विभिन्न पदों पर रहकर इन्होंने समाज की सेवा की । इनसे हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता था । आज उनके न रहने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है । मैं इन दोनों महान विभूतियों के प्रति अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे और मेरे दल की ओर से व्यक्त शोक संवेदना के भाव उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री हबीबुर रहमान का निधन 16 मार्च, 1992 को हो गया । वे 91 वर्ष के थे । श्री हबीबुर रहमान आजमी का जन्म मोहल्ला पठानटोला, मऊ में 1901 में हुआ था । 1952 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र मोहम्मदाबाद, जिला आजमगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे । अध्यापक के रूप में दारुलउलूम, मऊ में तथा मजहरुलउलूम, बनारस में प्रधानाचार्य के रूप में उन्होंने अपनी सेवायें दीं । अरबी और फारसी में उनका योगदान देश और विदेश के तमाम इस्लामिक देशों में जाहिर था । स्व० हबीबुर रहमान आजमी एक कुशल राजनीतिज्ञ व विश्वविख्यात विद्वान थे जो आज हमारे बीच से चले गये हैं । स्व० श्री मोहम्मद नसीर का जन्म 1901 में जिला फैजाबाद में हुआ था और 14 दिसम्बर, 1991 को वह हमारे बीच से चले गये । 1952 के सामान्य निर्वाचन में वह निर्वाचन क्षेत्र टांडा, जिला फैजाबाद से कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए थे । वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवम् समर्पित समाज सेवी थे । लखनऊ विश्वविद्यालय में वह फारसी के लेक्चरर भी रहे और जिला परिषद् फैजाबाद के अध्यक्ष भी रहे । इन्हें उर्दू, अरबी, फारसी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था । श्री नसीर जी के निधन से जनपद फैजाबाद ने एक कुशल राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सेवी खो दिया है । इन दोनों महा विभूतियों के प्रति जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल व अन्य माननीय नेताओं ने व्यक्त किये हैं, उससे मैं अपने को भी सम्बद्ध करता हूं । जो शोकोद्गार उनके सिलसिले में यहां पर व्यक्त किये गये हैं, उन्हें उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचा दिया जायेगा ।

(सभी सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के लिए दो मिनट के लिये मौन खड़े हुए)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, मैंने एक सूचना दी थी....

श्री उपाध्यक्ष–

आज जो बात हुई नियम 300 के बाद लेंगे । नियम 311 की सभी सूचनायें अस्वीकार की जा चुकी हैं । अब मैं पहले नियम 301 की सूचनाएं ले रहा हूं ।

आज दिनांक 25 नवम्बर, 1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 36 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से श्लाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित

7 सूचनायें स्वीकार की गयीं उनके नाम मैं पढ़ रहा हूं 1. श्री मिही लाल, 2. श्री देवेन्द्र पाल सिंह, 3. श्री राम सेवक सिंह (अनुपस्थित), 4. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, 5. श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी (अनुपस्थित), 6. श्री श्याद अली (अनुपस्थित) 7. श्री राम औतार शाक्य (अनुपस्थित) ।

जो माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं उनकी जगह पर प्रतीक्षा सूची में श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय और श्री लाल जी वर्मा की सूचना स्वीकार की गयी है ।

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, चार सदस्य नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

दो की प्रतीक्षा सूची थी उनमें से ले लिये गये हैं । सूचनायें पढ़ी हुई मानी जायं ।

(301 की सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

श्री गिरजा शंकर तिवारी, उपनिदेशक, शिविर कार्यालय लखनऊ के बकाया वेतन व भत्तों के भुगतान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मिही लाल–

[महोदय, आदरणीय सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि श्री गिरिजा शंकर तिवारी, पन्तगनर कृषि विश्वविद्यालय, शिविर कार्यालय, लखनऊ में उप निदेशक पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं । इनके सेवा समायोजन हेतु प्रबन्ध परिषद् द्वारा 23-6-90 को सन्दर्भित किया गया । प्रबन्ध परिषद् ने निर्णय किया कि चूंकि नियुक्ति पर प्रतिबन्ध है । अतः समायोजन हेतु शासन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाये इससे पूर्व इस पर विचार न किया जा सकेगा । शासन ने दिनांक 26-2-91 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र समायोजन हेतु दे दिया और लिखा कि जब तक समायोजन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती इनको कार्यमुक्त न किया जाय । किन्तु इसके पूर्व ही प्रबन्ध परिषद् के तत्कालीन सचिव ने प्रबन्ध परिषद् को गुमराह करते हुये दिनांक 26-2-91 से पूर्व ही बैठक में प्रस्ताव रखवा दिया । बाद में प्रबन्ध परिषद् के सदस्यों ने लिखित रूप से दिया कि बिना हमारी जानकारी के उक्त बिन्दु निर्णित कर लिया गया है किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी । शासनादेश में अनापत्ति प्रमाण-पत्र में कार्यमुक्त न होने के आदेश होते हुये भी कार्यमुक्त के आदेश किये । किन्तु श्री तिवारी इस आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय गये जहां से इन्हें स्थगनं मिला जो दिनांक 20-3-91 का है । तत्पश्चात न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुये इन्हें द्वेषवश लखनऊ कैम्प आफिस से पन्तनगर स्थानान्तरण के आदेश दिये तथा वेतन भत्ते व समस्त सुविधायें बन्द कर दीं । विश्वविद्यालय को विधिपरामर्शी, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश की राय से कृषि अनुभाग–8 द्वारा 26-2-92 को सूचित किया गया कि श्री तिवारी को स्थानान्तरित करना उचित न होगा तथा वह शिविर कार्यालय लखनऊ में पदस्थापित रखें जायें । लेकिन अब तक उस परामर्श पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

विचार नहीं किया गया और मनमानी कार्यवाही हो रही है । उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 21 अगस्त, 1991 से श्री तिवारी के वेतन भत्ते तथा अन्य सुविधायें रोक रखीं हैं ।

सदन के माध्यम से कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि श्री तिवारी के बकाया वेतन भत्ता व सुविधायें आदि तत्काल दिलायी जायें तथा न्यायालय व विधि परामर्शी न्याय विभाग की राय के अनुसार शासन द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र के प्रकाश में कार्यवाही की जाये तथा सम्बन्धित के विरुद्ध जिन्होंने अवहेलना की है, के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाय ।]

लाटरी निदेशालय द्वारा सभी स्टाकिस्टों को समान दर पर दो रुपये के टिकट का वितरण करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

[महोदय, निवेदन है कि मैंने एक पत्र मा० वित्त मंत्री जी को दिनांक 3-9-92 को भेजा था जिसमें लाटरी निदेशालय से मांग की गयी थी कि छोटे बड़े सभी स्टाकिस्टों को दो रुपये के दिये जाने वाले टिकटों की समान दर निर्धारित किया जाना आवश्यक है ।

इस समय लाटरी निदेशालय दो रुपये के प्रति ड्रा प्रति लाटरी लगभग 70 लाख टिकट छपवा रहा है । इसमें से 90 प्रतिशत टिकट कम दर पर बड़े स्टाकिस्टों को तथा लगभग 10 प्रतिशत टिकट छोटे स्टाकिस्टों को अधिक दर पर निर्गत किये जा रहे हैं । परिणामस्वरूप छोटे स्टाकिस्टों बड़े स्टाकिस्टों के मुकाबले में बाजार में अपने टिकट बेंच नहीं पा रहे हैं और उनके सामने रोजी रोटी का प्रश्न खड़ा हो गया है । प्रारम्भ में लाटरी निदेशालय ने टिकटों की बिक्री हेतु ब्लैब इसलिए अपनाया था क्योंकि टिकटों की बिक्री बहुत कम होती थी । वर्तमान में स्थिति बिल्कुल विपरीत है और टिकटों की स्वमेव मांग है तथा निदेशालय निर्धारित शर्तों पर टिकट जारी करता है ।

अतः इस जनहित के प्रश्न पर मा० सदन के पैरा एक में दिए गये सुझाव पर विचार करने का कष्ट करें ताकि छोटे स्टाकिस्टों का उत्पीड़न समाप्त हो सके इससे टिकटों की बिक्री पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और भ्रष्टाचार पनपने की कोई गुजाइंश नहीं होगी ।]

जनपद बांदा के जल संस्थान तिन्दवारी के अवर अभियन्ता द्वारा की जा रही धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि जल संस्थान तिन्दवारी जनपद बांदा के अवर अभियन्ता द्वारा पेयजल सप्लाई एवं रख-रखाव में भारी धांधली की जा रही है । अवर अभियन्ता द्वारा मुगुस मेन लाइन से12 कनेक्शन बिना फेरूल के दिये हैं तथा तेरहवीं मेन लाइन से आठ कनेक्शन दिये हैं तथा जी० आई० ने आधा इंच एवं पौने इंच पाइप निकलवाकर बेंच लिया है तथा धौपढ़ मेन लाइन से पेय

---

* वक्ता ने बाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जल सप्लाई से सिंचाई कार्य कराया जा रहा है । लीकेज मरम्मत में भारी धांधली की जा रही है, तथा अवैध कनेक्शन देकर मनमानी वसूली की जा रही है । इस तरह से ग्राम बस्तियों को जो कनेक्शन जारी है भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है इसलिये स्पेशल आडिट सेल से जांच कराना अति आवश्यक है ।

अस्तु, आपसे आशा करते हैं कि उक्त प्रकरण की जांच टी० ए० सी० से कराने की कृपा करें ।]

जनपद उन्नाव के राज्य अग्निशमन केन्द्र, दोस्तीनगर, पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर में पेयजल एवं बिजली व्यवस्था कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

[महोदय, वर्तमान समय में सरकार द्वारा किये जा रहे हर गलत कार्यों से प्रदेश के हर विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारीगण पीड़ित हैं । जनपद उन्नाव के राज्य अग्निशमन केन्द्र, दोस्तीनगर, उन्नाव में पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर नौ करोड़ अस्सी लाख रुपये की लागत से बना है वहां पर नियुक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पीने हेतु स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है । बिजली की भी व्यवस्था आज तक नहीं हो पायी है । सरकार का इतना रुपया व्यय होने के बाद भी वहां पर कार्यरत कर्मचारी बिना प्रशिक्षण के पड़े हुए हैं जिसमें सरकार का एक लाख छप्पन हजार रुपया प्रति माह वेतन के रूप में कर्मचारियों पर खर्च होता है जिसका कोई लाभ न तो सरकार को मिल रहा है और न तो विभाग को ही मिल रहा है । वहां के पानी पीने के बाद कर्मचारियों के शरीर पर कुप्रभाव पड़ रहा है जिसकी सूचना शासन को मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गयी है । लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मैंने स्वयं दिनांक 15-6-92, 12-8-92 को इस ट्रेनिंग सेन्टर की जांच हेतु पत्र दिया है लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

अतः महत्वपूर्ण मामले को सदन के संज्ञान में लाते हुए अनुरोध करूंगा कि इस पर शासन की स्थिति स्पष्ट कराने की कृपा करें ।]

टाण्डा, जनपद फैजाबाद में बिजली के पुराने तार बदलने एवं 33/11 के० वी० ए० का उपकेन्द्र स्थापित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री लाल जी वर्मा–

[महोदय, टाण्डा जनपद फैजाबाद में विद्युत लोड अत्यधिक होने तथा विद्युत तार पुराने एवं ढीले होने के कारण प्रायः विद्युत आपूर्ति ठप रहती है । विद्युत आपूर्ति ठप्प होने के कारण हजारों बुनकर भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं । विद्युत लोड अत्यधिक होने के कारण करोड़ों रुपये के ट्रांसफार्मर विगत दो माह में जलकर स्वाहा हो गये हैं । ट्रांसफार्मर बदलने एवं मरम्मत के कार्य की टाण्डा में कोई व्यवस्था न होने के कारण भयंकर समस्या बनी हुई है । जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है ।

अस्तु, इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए टाण्डा में पुराने तार बदलने, 33/11 के० वी० ए० का उप केद्र स्थापित करने तथा सहायक अभियन्ता स्टोर का आफिस खुलवाने की मांग करता हूं ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 25-11-92 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुई हैं । (श्री प्रमोद तिवारी को बुलाने पर)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, सभी के नाम सुना दीजिये ताकि हमें मालूम हो जाय कि किस-किस की सूचनायें हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

सिलसिलेवार एक-एक को लेते जायेंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हमारी सूचनायें हैं या नहीं मालूम हो जायेगा इसलिये नाम पढ़ दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल, दूसरी सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री अकबर हुसैन, तीसरी श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री बलराम यादव, श्री राधेश्याम वर्मा, चौथी श्री मो० आजम खां, पांचवीं श्री अंगद सिंह यादव, छठी श्री हृदय नारायण दीक्षित, सातवीं श्री सुरेश प्रताप गांधी, श्री किशोरी लाल यादव एवं आठवीं श्री विजय सिंह राणा की हैं ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मेरी सूचना का क्या हुआ मैंने भी दी थी ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने देखा है उसे अग्राह्य कर दिया गया है (व्यवधान) आप कृपया बैठें । (व्यवधान) दूसरे माननीय सदस्यों का समय बरबाद न करें ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

ग्राह्यता पर सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

प्रदेश के आउट ले प्लान से कटौती किये जाने तथा भा० ज० पा० विधायकों के क्षेत्र में एक-एक करोड़ रुपये का कार्य अलग से दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री प्रमोद तिवारी

मान्यवर, आप दिनेश जी की बात सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं, अब आप बोलें ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इस आदरणीय सदन का ध्यान और उत्तर प्रदेश की सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मान्यवर, संविधान के अनुसार जब भी कोई वित्तीय स्वीकृति सरकार को प्राप्त होती है सदन से तो उसमें सरकार के लिये आवश्यक होता है कि वह उसके अनुरूप उसका पालन करे । लेकिन यह सरकार जो धोखाधड़ी और फरेब की पैदाइश है, अपनी ओर से असफल प्रयास इस बात का कर रही है और किया गया वर्ष के प्रारम्भ में जनता को बताया गया, मुख्य मंत्री ने और उनके दूसरे मंत्रियों ने भी जनता को यह बताया तथा महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस वर्ष का सदन में जो अपना अभिभाषण पढ़ा, उसमें भी यह कहा गया था कि वार्षिक बजट के कुल परिव्यय का 60 प्रतिशत यह सरकार आने वाले वर्षों में ग्रामीण विकास के लिये ग्रामीण अंचलों में खर्च करेगी, ग्रामीण अंचलों के विकास की पूरी बात करेगी । किन्तु इन्होंने जो कहा था वह किया नहीं और आज स्थिति यह है कि जो हमारा वार्षिक बजट था, उसमें से 600 करोड़ रुपये की कटौती ग्रामीण अंचलों पर खर्च की जाने वाली राशि में से इन्होंने कर ली है, और तद्नुसार जनपदों में इनके यह निदेश चले गये हैं कि 30 प्रतिशत की कटौती जिला योजनाओं में कर ली जाये । आप देखें कि ऐसी हालत में ग्रामों का विकास कैसे होगा । गांवों की लगातार इस सरकार ने घोर उपेक्षा की है और इसकी मंशा भी कभी यह नहीं रही है कि गांवों का और ग्रामीण जनता का विकास हो ।

हमारा निश्चित मत है कि जबतक गांवों का विकास नहीं होगा, प्रदेश और देश का विकास भी नहीं हो सकता है । यह सरकार इस संबंध में सदन की मान्य परम्पराओं का निर्वहन नहीं कर रही है । जब इस सदन की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी, बजट में प्राविधान किया गया था तो उनको बजट में यह कटौती करने का कोई अधिकार नहीं था । एक तरफ इस सरकार के पास गरीबों के हितों के लिये, ग्रामीणों के हितों के लिये चलाने के लिए कलम नहीं है और दूसरी तरफ यह सरकार पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के लिये अपनी कलम चलाने में संकोच नहीं करती है । इन्हीं वित्त मंत्री की एक कलम से 300 करोड़ रुपयों का लाभ पारित अध्यादेशों के जरिये पूंजीपतियों को हो गया । उसमें वह फर्म भी शामिल है, जिसका सीधा सम्बन्ध वित्त मंत्री जी से है, क्योंकि उनके पुत्र उस फर्म में नौकरी करते हैं । मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है कि इन्होंने उस फर्म को यह लाभ कैसे पहुंचाया जहां उनका लड़का कार्यरत है, क्योंकि यह एक इत्तिफाक भी हो सकता है । लेकिन इसमें यह बात आपत्तिजनक है कि जो यहां पर बजट की रूपरेखा बनी थी, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण मे कहा था–गांवों में 60 प्रतिशत खर्च होने की बात कही थी, उसके विपरीत कार्य इस सरकार ने किया है । तो मान्यवर, इसलिये इस सरकार को निर्देशित किया जाए कि 30 प्रतिशत की कटौती यह सरकार वापस ले और जो उसे स्वीकृति प्राप्त हुई है, उसके अनुसार ही वह कार्य करें । इसके साथ ही जो सम्मानित विधायक हैं उनको यह सरकार विभिन्न समितियों से हटा रही है, और उनके स्थानों पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रख रही है, जिससे इनका भ्रष्टाचार जनता के सामने उजागर न हो सके । इसके अलावा दूसरी बात जो सबसे ज्यादा चिन्ताजनक है वह यह है कि यह सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिये तमाम उलटे-सीधे काम कर रही है । यह अपनी असफलताओं को छुपाने और अपनी कुर्सी को बचाने के लिये गलत काम कर रही है । किन्तु यह चाहे जितना प्रयास कर लें, इनकी कुर्सी बचने वाली नहीं है, यह कुछ ही दिन के मेहमान हैं .....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

दो एक दिन के ही ।

श्री उपाध्यक्ष–

जरा मेहमानी अपने बारे में भी बता दीजिये कि कितने दिन की है ? यह तो सबके लिये बराबर है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

श्रीमन्, जरा सुन नहीं पाया ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने नहीं सुना यही अच्छा है । आगे चलें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी बात न सुन पाऊं, यह मेरे लिये ठीक बात तो नहीं है । मान्यवर, इस बात से जितनी प्रसन्नता आपके चेहरे पर आयी है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है । यही प्रसन्नता जनता के चेहरे पर भी होगी । मान्यवर, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, परन्तु एक बात और कह दूं कि इनकी पार्टी के अन्दर ही भेद हो रहा है वह इन्हें अपदस्थ कर देना चाहते हैं । कुछ विधायक इनके हैं जिन्होंने पार्टी के कार्यालय में जाकर मुख्य मंत्री के खिलाफ आवाज उठायी उस समय इनको कुछ समझ में नहीं आया। इन्होंने जो स्वीकृत धनराशि थी उसमें से एक करोड़ दस लाख विधायकों को दे दी ताकि कुछ देर के लिये उन्हें दिलासा मिल जाय और वह उनके आंसू पोछने के काम में आयें । मैं कुछ कहना नहीं चाहता यह तो आने वाले चुनाव के समय में पता चलेगा कि इनके विधायकों को क्या होगा । एक चिन्ता मुझे अवश्य है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो धनराशि विधान सभा द्वारा जनपदों के एलौटेड प्लान्स के लिये स्वीकृत की गयी थी उसमें जो कटौती की गयी है उससे संविधान का उल्लंघन हुआ है । जनपदों के जो प्रारूप बनाये गये हैं वहां की योजनाओं के उनको कैसे पूरा किया जा सकेगा । जनपदों को योजनाओं के व्यय की स्वीकृत धनराशि में से जो कटौती की गयी है वह मान्यवर, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के परिवार के लोग काम करते हैं, वहां दी गयी है । मेरा आपसे आग्रह है कि जो कटौती की गयी है उसको वापस कराया जाय । यह पैसा लेकर गरीबों को दिया जाय ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह जो संविधान के अनुसार प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली अपने यहां बनी है । इसमें नियम 183 से 196 तक इस विधान सभा को यह अधिकार दिया गया है कि सरकार को वर्ष भर में जो भी राजस्व का आउट ले प्लान सरकार बनाकर इस सदन में पास कराये और उसके बाद में वह धनराशि सारे विभागों में विभिन्न प्रकार की योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के विकास में लगायी जाय । माननीय नेता सदन भी सदन में बैठे हैं, मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । श्रीमन्, वर्ष 1992-93 में उत्तर प्रदेश का 4,035 करोड़ रुपये का आउट ले प्लान बनाया गया । इसके अन्तर्गत 70 प्रतिशत जिला योजनाओं में और 30 प्रतिशत राज्य सेक्टर के तहत डिस्ट्रिक्ट प्लान में लगाया जायेगा । मान्यवर, जब योजनाएं बनती हैं, तो उसके अनुरूप ही धनराशि भी स्वीकृत कर दी जाती है । जब जिला योजनाओं का पैसा स्वीकृत हो जाता है तो हम अपने क्षेत्रवासियों को इनकी सूचना दे देते हैं । आप भी जनप्रतिनिधि होने के नाते इस चीज को समझते हैं । हमारी बातों पर विश्वास करना

क्षेत्रवासियों का कर्तव्य होता है । हम उनको बताते हैं कि यह योजना थी और उसके लिये इतनी धनराशि स्वीकृति की गयी है, वह हमारी बात पर विश्वास भी करते हैं । मान्यवर, ऐसा अधिकार नहीं है, परन्तु सस्ती लोकप्रियता के लिये इन्होंने किया क्या ? जो ले-आउट प्लान पास हुआ था, उसके लिये जो धनराशि स्वीकृत की गयी थी उसमें से कटौती कर ली गयी । श्रीमन्, जो 30 प्रतिशत की कटौती की गयी है उसके हिसाब से 1200 करोड़ रुपये की कटौती की गयी है । तमाम योजनायें अधूरी रह गयी हैं । मान्यवर, जब सदन में आय-व्ययक पेश करते हैं तो यह सोचकर किया जाता है कि पूरे प्रदेश का समग्र विकास हो । किसी दल विशेष की बात नहीं रहती है ।

श्रीमन्, हमारे इनके बीच कोई बड़ा अन्तर नहीं है 52-48 का । 52 प्रतिशत सत्ता के हैं तो 48 प्रतिशत हमारा है । इन्होंने अपने विधायकों को लालच में लाने की मंशा से मंडी समितियों से दिलवा दिया । पी० डब्लू० डी० का स्टेट प्लान का पैसा विधायकों को दे दिया । इसके अलावा इन्होंने यह किया कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा समिति की स्थाई समितियों से विधायकों को अलग कर दिया और अधिकारियों के माध्यम से विकास की रूप-रेखा तैयार करें इन्होंने यह कर दिया ताकि वह विकास इनके विधायकों के क्षेत्रों में हो । श्रीमन्, अगर इस तरह से होगा तो अभी तो प्रदेश में थोड़े हिस्से में आतंकवाद है लेकिन जब विकास का आतंकवाद फैलेगा तो मुख्य मंत्री जी आपकी जनता आपको कभी क्षमा नहीं करेगी । दूसरा आतंकवाद जो यह पार्टीवाइज करने जा रहे हैं उससे प्रदेश में भयावहता का माहौल पैदा हो जायेगा । इसमें प्रदेश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, तो हमारा निवेदन है कि इस सरकार ने इस सदन का अपमान किया है । इन्होंने 30 प्रतिशत की कटौती की है वह चाहे मुख्य मंत्री जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिये की हो चाहे और मंत्रियों ने दो-चार विधायक और साथ हो जायें इसलिये की हो । इससे प्रदेश में आक्रोश हो गया है । श्रीमन्, अगली योजना 1993-94 में योजना आयोग ने सात सौ करोड़ रुपये ज्यादा दिये हैं तो उसमें भी अगर सरकार ज्यादा दिन चली तो कटौती हो जायेगी । मैंने आपके माध्यम से औचित्य का प्रश्न उठाया है आप इसमें सरकार की स्थिति स्पष्ट कराने का कष्ट करें ।

* वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, सबसे पहले मैं माननीय तिवारी जी को जानकारी दे दूं कि जिला योजना में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की गयी है इसकी आपको भी जानकारी होगी ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा चैलेन्ज है

श्री उपाध्यक्ष–

कृपा करके बीच में न टोकें । आपने अपनी बात कह दी अब आप मंत्री जी की पूरी बात सुन लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

चीखने चिल्लाने से सब होगा तो यह ऊंची आवाज में बोल लेते । बजट आपने देखा होगा और अगर पढ़ने का शौक है तो पढ़ा भी होगा । वार्षिक योजना 3853 करोड़ रुपये की थी यह चार हजार 35 सौ करोड़ की कुल योजना बनी थी । यह पहला मौका है जब भारी पैमाने पर वित्तीय स्वीकृतियां हुई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं और यह वित्तीय स्वीकृतियां पहली बार इतने भारी पैमाने पर जारी की गयी हैं । यही नहीं 31 मार्च तक जारी करके अर्थोपाय की स्थिति होती है । इतना रुपया खजाने में आता नहीं है जो समय-समय पर आता है वह खर्च करते हैं । 33 सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की स्वीकृतियां हम जारी कर चुके हैं । प्रथम चरण में कहीं किसी तरह की कोई कटौती का इरादा नहीं है । भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को विशेष तौर से लाभान्वित करने की बात कही गयी । यह पहला मौका है कि जब योजनाओं में कहीं कोई रिसेफल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है तो जो जिला योजना वालों ने किया है हमने कोई योजना में संशोधन नहीं किया है । माननीय तिवारी जी को जानकारी होगी कि 1993-94 की योजना लेने के लिये योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पास जब गये तो जो वित्तीय अनुशासन किया है इसकी माननीय उपाध्यक्ष ने भूरि-भूरि प्रशंसा की । अब मान्यवर, यह कहा गया कि जो हमने संशोधन बढ़ाने की बात की थी वह हमने कुछ नहीं किया । हमने 700 करोड़ का वायदा किया था कि अतिरिक्त संसाधन बढ़ायेंगे लेकिन उसके विरुद्ध हमने मान्यवर, 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जिसकी माननीय तिवारी जी ने स्वयं प्रशंसा की । हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है । फंड ही का लगभग 88 प्रतिशत रुपया है । पं० दीनदयाल विकास योजना जो हमने गांवों में चलाई है, इसकी माननीय तिवारी जी ने प्रशंसा की । आज एक विकास की गति फैल रही है । हमने बजट भाषण में कहा था कि हम 60 प्रतिशत गांवों में खर्च करेंगे । तो मान्यवर, 60 प्रतिशत से अधिक पैसा गांवों में खर्च किया गया, क्योंकि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि गांवों का अधिक विकास होना चाहिए । एक बात जो तिवारी जी ने कही कि हमने व्यापारी वर्ग को राहत दी, 300 करोड़ की राहत दी यह बात सही है कि बजट में हमने राहत घोषित की । हमने उद्योगीकरण को बढ़ावा दिया है, इसकी तिवारी जीने सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आपके शासन काल में औद्योगीकरण की गति कितनी बढ़ी है, कितने लोगों का पैसा लगा है, कृपया इसको बता दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इस समय इसका मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आज कोई पैसा प्रदेश में लगाने के लिये तैयार नही है औद्योगीकरण की गति इस समय शून्य है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो आरोप माननीय सदस्य ने लगाया है इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि कोई निर्णय हमने राग द्वेष के आधार पर नहीं लिया । मैं हर्षद मेहता जिसने 4000 करोड़ रुपये का घपला किया है ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखता ये सब आपकी पार्टी में होता है ।

(शोर शराबा)

श्री प्रमोद तिवारी–

इसमें आपकी पार्टी के नेता शामिल हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इस तरह मान्यवर, शंका अगर हम करेंगे तो यह हर जगह हो सकती है । हर अच्छे काम में शंका दिखाई देगी । इसलिये आरोप लगाना उचित नहीं है हमने नीतिगत फैसले लिये हैं । हमने प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया है । योजना में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की और न ही ऐसी कोई योजना है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

एक स्पष्टीकरण और चाहता हूं कि आपका पुत्र जिस संस्थान में काम करता है, उसे आपने आर्थिक लाभ दिया है या नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मैं साफ-साफ खण्डन करता हूं ।

श्री राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवादित स्थल पर दिनांक 6 दिसम्बर, 1992 को होने वाली कारसेवा रोकने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने जो नियम 300 में दिया है कि इस सदन की गरिमा को बनाये रखने के संबंध में है । माननीय मुख्य मंत्री जी जब सदन में बोल रहे थे, और जब तमाम विपक्ष के लोग इस बात का आश्वासन चाहते थे कि 6 दिसम्बर को न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार सेवा रुकेगी कि नहीं । माननीय नेता सदन तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने इसको काफी चालाकी से टाल दिया और कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया ।

(1 बजकर 20 मिनट)

लेकिन दूसरी तरफ इनकी मंत्रि परिषद् के 2 वरिष्ठ सहयोगी श्री लालजी टण्डन तथा श्री ओम प्रकाश सिंह ने हाउस के बाहर प्रेस के लोगों से कहा कि 6 दिसम्बर से कार सेवा जरूर होगी, झगड़ा भी होगा, बातचीत भी होगी और पूरे टर्म मेरी सरकार भी चलेगी । श्रीमन्, मुख्य मंत्री स्पष्ट घोषणा करें या न करें लेकिन इनके सहयोगी, कैबिनेट स्तर के मंत्री, जो एक इनके राइट हैंड कहलाते हैं और दूसरे लेफ्ट हैंड कहलाते हैं, दोनों ने स्पष्ट घोषणा किया कि 6 तारीख से कारसेवा होगी । (शोर) (होगी होगी की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया शांत रहें, कार सेवा का संबंध अयोध्या से है सदन से नहीं है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, एक महत्वपूर्ण मसला इसलिये भी है कि हाईकोर्ट में जो इन्होंने निवेदन किया था कि या तो मामले का जल्दी से निस्तारण हो जाय, या जो कोर्ट ने स्टे लगाया है उसको वापस ले लें तो हाईकोर्ट ने इनके दोनों निवेदन निरस्त कर दिये हैं और उसके बाद इन दोनों में मंत्रियों ने घोषणा की है यह खुले आम न्यायालय की अवहेलना है, अपमान है । जहां तक सदन का सवाल है, यह मान्य परम्परा रही है, आपकी पीठ से निर्देश हुये हैं कि जब सदन चलता है तो महत्वपूर्ण चीजों के बारे में घोषणा सदन से बाहर कोई मंत्रि परिषद् का सदस्य नहीं करेगा । कई बार ऐसी घोषणाओं पर आपकी पीठ से प्रताड़ित

भी किया गया, निर्देश भी दिया गया है । मैं आपके माध्यम से औचित्य के प्रश्न पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी कार सेवा के बहाने प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगा भड़काने का षड़यन्त्र कर रही है । (शोर) इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो मामला दिया है वह महत्वपूर्ण है । एक तरफ यह कहते हैं कि शांतिपूर्ण वातावरण रखेंगे और दूसरी तरफ साम्प्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश कर रहे हैं । इसलिये इनके मंत्रियों को ऐसी घोषणायें करने से रोका जाय और जिन्होंने सदन के चलते सदन के बाहर घोषणा किया है कि 6 दिसम्बर से कारसेवा की जायगी उन्होंने न्यायपालिका का अपमान किया है, विधान सभा का अपमान किया है और आपकी पीठ से दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया है । आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि इस औचित्य के प्रश्न को निश्चित रूप से स्वीकार किया जाय और आप कोई स्पष्ट निर्देश दें अगर आपके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो गर्वनर को, मंत्रियों को बर्खास्त करने का आवेदन कर दें ।

(मुख्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इसी से संबंधित हमारा मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष–

वर्मा जी का औचित्य का प्रश्न इसी से संबंधित है , उचित यह होगा कि वर्मा जी अपने विचार व्यक्त कर लें उसके बाद आप बोल लें ।

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

उपाध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप उचित समझें तो राम जन्म भूमि के प्रकरण में तथा 6 दिसम्बर की कारसेवा के संबंध में जो-जो नोटिसें आपके पास आयी हैं आप उनको एक साथ ले लें और जो जितना बोलना चाहें बोलने की अनुमति दे दें, मैं इकट्ठे उत्तर दे दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं चाहूंगा कि इस प्रकरण से संबंधित जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें हैं उनको सुन लिया जाय और उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी अपना मत व्यक्त कर दें ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हमारी सूचना श्रीमन्, बहुत सीमित है और श्रीमन्, हमने जो औचित्य के प्रश्न की सूचना आपको दी है, उसमें हमने यह अपेक्षा नहीं की है कि माननीय मुख्य मंत्री उसका उत्तर दें या न दें । श्रीमन्, औचित्य का प्रश्न माननीय अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया गया है । हम आपसे विशेष रूप से आग्रह करेंगे कि आप उसको गम्भीरता से लें और मुख्य मंत्री जी को भी सुन लें और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यदि बोलना चाहें, तो उनको भी सुन लें । श्रीमन् जो लोकतांत्रिक, वैधानिक स्थिति है, उस पर आप ध्यान दें और अपनी व्यवस्था दे । श्रीमन् इस प्रदेश में और देश में हमने रूल आफ ला हम लोगों ने अंगीकार किया है । श्रीमन् रूल आफ ला परोक्ष में रूल आफ कोर्ट भी कहा जाता है और श्रीमन् अयोध्या के प्रकरण में माननीय मुख्य मंत्री की सरकार जिस दिन आई, तब से वह बाधायें दूर करने की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बात कर रही है, कोई रास्ता नहीं मिला, जमीन को एक्वायर किया, बहुत से मंदिर तोड़ दिये, गलत बयान हल्फी लगाये, प्रचार जनता में किये । लेकिन हाई कोर्ट ने उसमें स्टे दे दिया । श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, यह संवैधानिक कुर्सी है ।

इस पर बैठने के बाद कोर्ट के आदेश का सम्मान करना पड़ेगा । श्रीमन्, जैसा कि माननीय राम गोविन्द चौधरी ने कहा कि इनकी दरख्वास्त खारिज हो गयी है । सुप्रीम कोर्ट ने भी इनसे पूछा है कि जो कारसेवा होने जा रही है, उसको किस तरह से रोकेंगे ? श्रीमान् आप इसकी जानकारी कर ले कि सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कौन सा जवाब भेजा है । वहां पर कारसेवा बगैर अदालत के आदेश के नहीं होनी चाहिए । हाईकोर्ट ने रोक लगाई है । सुप्रीम कोर्ट ने भी इनसे जवाब मांगा है । ऐसी स्थिति में माननीय मुख्य मंत्री की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के नेता की नहीं है । श्रीमन्, इसी सदन में आपको निर्देश देना चाहिये कि माननीय मुख्य मंत्री यहीं पर घोषणा करें कि जैसा कि 6 दिसम्बर को कारसेवा का ऐलान हुआ है, जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक ये कार-सेवा नहीं करेंगे । श्रीमन् इनको इस बात का आश्वासन देना चाहिए । अगर ये आश्वासन नहीं देना चाहते हैं, तो आपको सरकार को निर्देश देना चाहिये या तो वह इस्तीफा दे दें और फिर इस्तीफा देने के बाद कारसेवा की वकालत करें । श्रीमन्, सरकार में रहते हुए कार-सेवा पर रोक लगाने के लिये आपको निर्देश देना चाहिये । श्रीमन्, अगर यही स्थिति बनी रही, तो हमारे प्रदेश में इसका मामूली परिणाम नहीं होगा, इससे हमारे प्रदेश और देश का दुनिया के सामने सिर झुक जायेगा कि एक पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिये कानून की धज्जियां उड़ा दीं और विरोध में बैठे हुए लोग हल्ला उठाते रहे, अपनी मांग करते रहे ।

श्रीमन् इसमें आपका उत्तरदायित्व है कि अगर यह आश्वासन नहीं देते हैं, तो आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें, आप निर्देश दें कि कार-सेवा वह रोक दे या वे इस्तीफा दें, वरना आपको कार सेवा रोकने की घोषणा करनी पड़ेगी । इस औचित्य के प्रश्न से यही आपसे निवेदन करना था ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर.....

श्री स्वामी नाथ यादव

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने भी नियम 300 में नोटिस दिया था । आपसे आग्रह है कि जिन प्रकरणों पर चर्चा हो गयी है, उसी प्रकरण पर फिर चर्चा हो रही है । तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में आप चर्चा करा रहे हैं, जब इस पर कल चर्चा हो गयी है और आज भी सदन में चर्चा हो रही है और इसी सन्दर्भ में मेरी नोटिस थी, उसको आपने निरस्त कर दिया । आप मेरी नोटिस को देख लें, अगर वह इस विषय से अलग है, तो मुझे बोलने की इजाजत न दें और अगर अलग नहीं है, तो मुझे भी अवसर दें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर.....

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय स्वामी नाथ यादव का भी नाम इस सूचना के साथ जोड़ दिया गया है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आज लोगों के मन में शंका और दहशत है, कि पूरे प्रदेश में 6 दिसम्बर को क्या होगा ? मान्यवर, कल माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे और उन्होंने एक जुमला कहा था, हो सकता है कि दूसरे साथियों ने उसको अहमियत दी हो या न दी हो, उन्होंने उस जुमले की कितनी अहमियत दी है और कितनी नहीं दी है, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा बाबरी मस्जिद ऐक्शन कमेटी से सीधा ताल्लुक है, इसलिये मैं उस जुमले की बड़ी अहमियत समझता हूं। उन्होंने कहा था कि इस समस्या का समाधान निकल सकता था और ऐसा रास्ता था कि यह मामला तय हो जाता, लेकिन राष्ट्रीय एकता परिषद् ने इसको संजीदगी के साथ नहीं लिया।

एक सदस्य–

सुरक्षा परिषद् नहीं, एकता परिषद्।

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह एक ऐसा जुमला था, जिससे ऐसा महसूस हुआ कि कोई रास्ता था। हो सकता है कि कोई ऐसा सुझाव माननीय मुख्य मंत्री जी के पास हो, जिससे रास्ता निकल सकता है। मान्यवर, जिस समाज में हम रहते हैं, उसमें आदमी पैदा हुआ और जब वह पैदा हुआ, तो उस समय वह आजकल की तरह सभ्य नहीं था। लोग नंगे रहते थे, हाथ में पत्थर रखते थे और एक दूसरे को मार डालते थे। वही आदमी बहादुर माना जाता था, जिसकी झोपड़ी के बाहर जितने अधिक सिर टंगे होते थे। मान्यवर, जब ज्यादा समय गुजरा, तो लोगों ने तय किया कि कोई ऐसी व्यवस्था निकाली जाये जिससे सामाजिक ढंग से मामले हल हो जायें। नंगे रहने वाले लोगों ने पेड़ की छाल और पत्ते पहनना शुरू कर दिये।

(व्यवधान)

श्री प्रेम प्रकाश–

सदन का समय व्यर्थ में जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप इसका निर्णय न करें तो अच्छा रहेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

तो मान्यवर, इस तरह से समाज सभ्य हुआ, लोगों ने अपने हाथ से पत्थर फेंक दिये और यह तय हुआ कि रूल आफ ला कायम होगा, एक सोसाइटी कायम होगी और कानून को किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं होगा। इसके बाद समाज में धार्मिक आस्थायें आयीं।

श्री उपाध्यक्ष–

जो मुद्दा है उस पर आप आवें। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर न जायें तो अच्छा रहेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

तो मान्यवर, धार्मिक आस्थायें आयीं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप दिये गये मुद्दे तक ही अपने को सीमित रखें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

तो मैं समझता हूं कि अगर ऐसी बात हो कि रास्ता निकल सके तो अच्छा है । ऐसा नहीं है कि मैं कोई बात गुस्से से कह रहा हूं, न शरारत से कह रहा हूं और न चिढ़ाने के लिये कह रहा है, बल्कि ऐसी बात कह रहा हूं, जिससे पूरे माहौल में कुछ मिठास आ सके और कहीं पर अगर गलती हो गयी हो तो उसका सुधार हो सके । सरकार ने जो वार्ता करायी वहां मैंने कहा और यहां मैं कहता हूं कि अदालत की बात आ गयी है और यह कहा गया कि अगर इस जगह पर साबित हो जाये कि मंदिर को तोड़ कर मस्जिद बनवाई गयी है, तो मैंने अशोक सिंघल जी से भी यही कहा कि यहीं पर रुक जाइये अगर यह साबित हो जाय कि यहां कभी कोई मंदिर नहीं था और मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनायी गयी है तो क्या आप अपना दावा वापस कर लेंगे । तो उस पर यह सवाल और यही बुनियादी सवाल है इस पर कोई बहस नहीं हो रही है, अब साफ तौर से बहस होनी चाहिए, अगर इस सदन में बहस नहीं होगी तो हमारा आपका भ्रम दूर नहीं होगा, देश की जनता का भ्रम दूर नहीं होगा । उस समय यह सवाल उठा कि यह मामला आस्था का है और उसे कोई अदालत तय नहीं कर सकती कि श्री राम चन्द्र जी कहां पैदा हुए थे । इसलिये कहने के तो अदालतों के आदेश हमारे पास हैं लेकिन इसके साथ ही सवाल आस्था का है जो बहुत अहम है । लेकिन हम यह मानकर चलते हैं कि हिन्दू धर्म एक पुराना धर्म है इसकी पुरानी आस्थायें हैं और यह आस्थाएं बदली नहीं जा सकती हैं । हमें यह मानकर चलना होगा कि बाल्मीकि जी ने जो राम चरित मानस लिखी उसकी आस्थाएं नहीं बदली जा सकती, तुलसी दास जी ने जो रामायण लिखी उसकी आस्थाएं नहीं बदली जा सकती हैं । 22/23 दिसम्बर 1949 को जो हुआ और बाकी जो आस्था पैदा हुई, उस दो आस्थाओं से जो दो रामायणों से मिलती है जोड़ी नहीं जा सकती हैं इसलिये जब आस्थाओं का मामला उठता है तो बहस होती है और होगी (व्यवधान)

मान्यवर, 22-23 दिसम्बर, 1949 को जो कुछ हुआ वह दुखद था बाद में एक आदेश जारी हुआ और वह यह हुआ कि कानून बड़ा होगा और लोगों को अपने हाथ में पत्थर लेने की इजाजत नहीं दी जायेगी । आज सबसे बड़ा मामला यह है कि जो 2.77 एकड़ जमीन एक्वायर की गयी है उसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना है कि हम मंदिर यहीं बनायेंगे कहां मंदिर बनाया जायेगा कहां कारसेवा करेंगे यह एक अलग बहस है लेकिन इस जमीन पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्ड पीठ और सुप्रीम कोर्ट दि० 15-4-91 का सबका एक स्टे आर्डर है । हमें यह कहते हुए अफसोस भी है और खुशी भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह जमीन ली थी तो यह समझा था कि हम यहां पर मंदिर बनायेंगे क्योंकि यह वायदा करके आये हैं – राम लला हम आयेंगे और मंदिर यहीं बनायेंगे लेकिन इनकी की हुई अक्लमंदी इनके ही गले में पड़ गयी और आज तक ये यह नहीं कह पा रहे हैं, न्यायालय और देश के सामने नहीं कह पा रहे हैं कि जमीन हमने एक्वायर नहीं की है और मन्दिर तो वि० हि० प० बना रहा है इसलिये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि आपको इस बात की जमानत देनी होगी कि जो जमीन आपने एक्वायर किया है उस पर कोई पक्का काम होगा या नहीं होगा ।

(व्यवधान)

* श्री लाल चन्द्र पाण्डे–

मान्यवर, इन्होंने अपने को सबसे पहले बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से जोड़ा है इसलिये इनको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें, व्यवधान न पैदा करें ।

श्री लाल चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है इन्होंने अपने को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से जोड़कर एक वर्ग का अपमान किया है इसलिये सबसे पहले इनको सदन से निलम्बित किया जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें, बार-बार आप लोग अव्यवस्था पैदा करने के लिये खड़े हो जाते हैं । माननीय आजम साहब अब आप अपनी बात कह चुके अब समाप्त करें ।

श्री प्रेम प्रकाश–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(घोर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें, हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी बात बतला दूं जिससे फायदा पहुंच जाय ।

(व्यवधान)

हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी बातें बता सकूं जिससे फायदा पहुंच सके ।

14-8-89 को लखनऊ हाईकोर्ट बेंच का एक आदेश हुआ था यथास्थिति बहाल रखी जायेगी, 23-10-91 को फिर यही आदेश हुआ कि यथास्थिति बरकरार रखी जायेगी । 2-11-91 को एकता परिषद् की बैठक में विचार हुआ उसमें मुख्य मंत्री जी ने लिखित आश्वासन दिया कि न्यायालय के आदेशों का पालन .....

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय आजम साहब इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है आपने अपने विचार व्यक्त कर लिये अब आप कृपया समाप्त करें ।

इस प्रश्न की ग्राह्यता पर आपको सुना जा रहा था ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मुझे अपनी बात पूरी कहने का मौका दे दें।

(व्यवधान)

श्री प्रेम प्रकाश–

मान्यवर, यह आपकी बात भी नहीं मान रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने सारे बिन्दुओं पर प्रकाश डाल दिया कृपया एक मिनट में समाप्त कर दें। कृपया आप लोग शांति बनाये रखें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरा जो औचित्य का प्रश्न है, उस पर पूरी बात कहने का अवसर दिया जाय। कल उ० प्र० हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक तारीफी फैसला हुआ है, यह बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आप पूरे हिन्दुस्तान का अदालती इतिहास को देखें तो यह आज तक कहीं नहीं हुआ कि जज की कुर्सी पर बैठे हुए लोगों से यह कहा जाय कि उक्त मुकदमें के फैसले में हमारी मंशा हमारी मर्जी यह है कि ऐसा कर दिया जाय और इस मुद्दत में कर दिया जाये लेकिन कल सरकारी वकील जो उ० प्र० सरकार के हैं लिखित यह हलफनामा दिया कि इस मुकदमें का फैसला 6 दिसम्बर से पहले हमारे हक में कर दें अन्यथा हालत खराब हो जायेगी। मान्यवर, उसके जवाब में हाईकोर्ट की उस बेंच ने.....

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, यह तो न्यायपालिका की बातें यहां पर कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें, माननीय स्वामी नाथ यादव जी।

* स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मुझे इसलिये बुलाया गया है कि मैं यहां प्रश्न रख सकूं।

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरी नोटिस आप पूरी तरह पढ़ लीजिये मैंने जो कुछ कहा है अपने औचित्य के प्रश्न के बारे में कहा है।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शांत रहें। आजम खां जी कृपया आप समाप्त करें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न है और उसे आपको सुनना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष–

आजम खां जी मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया समाप्त करें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जब तक मेरा औचित्य का प्रश्न नहीं आ जाता उस वक्त तक आप मेरे अधिकार को नहीं छीन सकते। मान्यवर, यह सदन भी नियम से बंधा है और आप मुझे क्षमा करें, यह आपकी मर्जी से नहीं बना है। आपने मुझे औचित्य का प्रश्न रखने की अनुमति दी है और मैं उसे रखना चाहता हूं मगर आप नहीं रखने दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी तक आप क्या कर रहे थे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, अभी तक तो मैंने औचित्य के प्रश्न की भूमि का बतायी है। मान्यवर, हाईकोर्ट का जो फैसला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिये हैं कि जब तक उत्तर प्रदेश सरकार उसके बारे में सही राय नहीं देती, हालांकि पहली बार हाईकोर्ट ने यह कहा है कि हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिये मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि जो हाईकोर्ट में हलफनामा दिया गया है और उसमें यह आश्वासन दिया गया है सरकार द्वारा उस विवादित स्थल, प्लाट नम्बर–586, जहां 30×60 फीट का चबूतरा बन गया है, के आगे कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि इससे पहले भी चूंकि आप न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर चुके हैं इसलिये आपकी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता, लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार यह बताये कि 6 दिसम्बर, 1992 को जो कार सेवा होने वाली है उसके लिये क्या प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ? मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि हाईकोर्ट का जो फैसला है वहां की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी, डिस्प्युटेड लैंड की सुरक्षा, वहां पर कानून बहाल करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है और यही आदेश सर्वोच्च न्यायालय का है तो उत्तर प्रदेश सरकार यह बताये कि 6 दिसम्बर की कार सेवा रोकने के लिये, आज जो हलफनामा लगायेंगे वह क्या है उसकी एक कापी मैं फैक्ट्स के रूप में आपको कल दे दूंगा, मगर सरकार कार्यवाही करने जा रही है। कल मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि खून की नदियां बहा दी जायेंगी क्या खून बहाना मंशा है या कानून का पालन करना ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहें। मैं स्वामी नाथ यादव जी को बोलने के लिये कहता हूं।

* श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, कल भी इसी विषय पर इस सदन में चर्चा हुई थी। यह औचित्य का प्रश्न बनता है चाहे आप इसे मानें या ना मानें। कल भी यह सवाल सदन में उठा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में क्यों नहीं गये। इस पर उन्होंने कल सदन में कहा कि राष्ट्रीय एकता परिषद्

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की बैठक जो थी, वह भाजपा के विरोध में थी । मान्यवर, मैं कहता हूं कि चाहे वह भाजपा के विरोध में हो, चाहे जनता दल के विरोध में हो, चाहे कांग्रेस के विरोध में हो, लेकिन राष्ट्रीय एकता परिषद् किसी दल विशेष के रूप में नहीं बनी है और माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश श्री कल्याण सिंह वहां भाजपा के नेता की हैसियत से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि तथा सदन के नेता होने की हैसियत से उसमें जाते हैं और राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में न जाकर उन्होंने संविधान का तथा भारत की संसद द्वारा गठित होने के नाते उसका भी अपमान किया है, उल्लंघन किया है, दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं जिसे भाई आजम खां ने उठाया है, उसके बारे में यह सदन जानना चाहता है, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है, केवल मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानना चाहता कि इस भारत के संविधान की, भारत की न्यायपालिका की रक्षा होगी कि नहीं ? इसके संदर्भ में माननीय मुख्य मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कौन सा हलफनामा उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया गया है, उसके बारे में यह सदन जानना चाहता है उत्तर प्रदेश की जनता रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से जानना चाहती है यही मेरा औचित्य का प्रश्न है । माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि खून की नदियां बहा दी जायेंगी, यह इस तरह कहकर देश व प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री की कुर्सी संविधान से ऊपर है, क्या भाजपा की सरकार न्यायपालिका से ऊपर है ? अगर इस देश की न्यायपालिका टूटेगी, तो मुख्य मंत्री जी आपकी कुर्सी भी नहीं बचेगी, इसलिये मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न बनता है और इसे आप स्वीकार करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने इस तरह के बयानों से साम्प्रदायिक आग को भड़काने का काम किया है, इनके सिंघल साहब पूरे प्रदेश को जलाना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब कृपया आप समाप्त करें, एक ही बात को आप बार-बार दुहरा रहे हैं ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, उच्चतम न्यायालय में जो आज इन्होंने हलफनामा दाखिल किया है, उसे यह सदन के पटल पर रखें ।

(माननीय मुख्य मंत्री पुकारे जाने पर)

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट तथा जयश्री राम के नारे लगाने से व्यवधान)

{ इसके विरोध में विपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों की ओर से [x x x] }

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जो अव्यवस्था का माहौल बनाया जा रहा है, वह अच्छा नहीं है ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इधर से क्या नारा लगाया गया, इसे मैं जानना चाहता हूं ।

नोट — [x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठ जायं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, एक गलत नारा इधर से लगया गया, उसके लिये मैं खेद प्रकट करना चाहता हूं । इधर से जो नारा लगाया गया, उसके स्थान पर यह होना चाहिए था–राम नाम सत्य है, कल्याण सिंह सरकार का अंत है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप कृपा करके बैठ जायं । यह जो आप कह रहे हैं, आपकी डिक्सनरी के लिये मसाला मिल रहा है । इसे आप तैयार करके रखिये ।

श्री प्रमोद तिवारी–

तो क्या मान्यवर, इलेक्शन होने वाले हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं सबसे पहले विपक्ष के उन सभी माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि आज इतनी दुर्दशा हो जाने के बाद और बहुत दिनों के बाद इन्होंने स्वीकार किया कि राम नाम सत्य है । यह बात अगर.....

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, हर चीज सही समय पर होती है । जब अर्थी उठती है तो तभी यह कहा जाता है । कल्याण सिंह की सरकार जा रही है, इसलिये राम नाम सत्य है । यदि ऐसा विपक्ष ने कहा तो क्या गलत कहा ?

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, आप देखें, जो कुछ भी यहां पर कहा गया, मैंने उसे पूरे शांति से सुना और मैं आशा करता हूं कि सम्मानित विपक्ष और माननीय नेतागण, मेरी बात को भी धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता अपने अन्दर विकसित करें । विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों को अकल तो आयी लेकिन इतनी दुर्दशा होने के बाद, आज स्वीकार किया कि राम नाम सत्य है । शायद इनको अगर यह अकल कुछ पहले आ गयी होती तो जनता की अदालत में इनकी यह दुर्दशा नहीं हुई होती । मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि इनकी यही सद्बुद्धि बनी रहे और जो आज स्वीकार किया है राम नाम सत्य है, यह इनका संस्कार व विचार बना रहे । दूसरा धन्यवाद इसलिये देना चाहता हूं इन्होंने कहा कि कल्याण सिंह का अन्त हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

उसके लिये मैंने क्षमा मांगी, कल्याण सिंह की सरकार का अन्त है ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, कोई व्यक्ति अपनी बात कह कर इतनी जल्दी बदल जायेगा और इस सदन का माननीय सदस्य बदल जायेगा यह मैं उनके बारे में नहीं सोच सकता (व्यवधान) रिकार्ड पर मौजूद होगा । परन्तु मैं आपके इस कथन पर भी कोई आपत्ति प्रकट नहीं कर रहा हूं क्योंकि इन सब के मस्तिष्क के ऊपर सोते जागते, उठते बैठते खाते पीते भी कल्याण सिंह का नाम सवार है, हव्वा की तरह हाबी है । मुझे ध्यान आ गया उलफत न सही नफरत ही सही हम दिल में समाये रहते हैं । तो हम आपके दिल में जगह पा चुके हैं इसके लिये भी बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री प्रमोद तिवारी–

यह कल्याण सिंह की अदा है न जाने कितने दिलों में समाये हुए हैं।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, कल भी इस विषय पर चर्चा हुई और आज पुनः औचित्य के प्रश्न के माध्यम से यह प्रश्न उठाया गया। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि हम इस विषय को संवेदनशीलता से समझें और जो कुछ भी कहें यह सोच करके कहें कि इस समस्या का कोई सम्यक् सर्वस्वीकार्य समाधान कैसे निकले ? आलोचना हमारी आप कर सकते हैं, हम आपकी कर सकते हैं उसके लिये बहुत से और विषय हैं। परन्तु यह विषय बहुत संवेदनशील है। अभी यहां पर कुछ बातें, जो बिन्दु उठाये गये मैं सब का संक्षेप में उत्तर दूंगा लेकिन मोहम्मद आजम खां साहब ने कुछ बुनियादी बातें उठायीं। मैं अपना दृष्टिकोण इस संबंध में स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने पहले भी एक बात कही थी और आज भी कहना चाहता हूं कि इस विषय का समाधान संभव हो सकता है मैं पुनः दोहरा रहा हूं, हम में से सब चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो जाय (व्यवधान) मैं क्षमा चाहूंगा मैंने बड़े धैर्य से, शान्ति से आपकी बात सुनी, आपको मेरी बात से असहमत होने का अधिकार है लेकिन मुझे कहने का भी अधिकार है (व्यवधान) यह भी आपने ठीक ही समझा क्योंकि समझने की क्षमता किस में हो सकती है। मैं कह रहा था कि इस समस्या का समाधान हो और आज भी समय शेष है, इस समय का सदुपयोग इस समस्या के सम्यक् समाधान की ओर लगाया जाना चाहिए। मैं अपने को उससे अलग नहीं समझता हूं .....

श्री प्रमोद तिवारी–

तो फिर चर्चा करा लीजिये।

श्री कल्याण सिंह–

अब मैं जब 18 और 19 तारीख को माननीय प्रधान मंत्री जी से मिला था उन्होंने मुझे बुलाया और मैं गया था, तो पहले दिन माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ माननीय रक्षा मंत्री भी थे (व्यवधान) अभी आप पायेंगे कि जो कल मैंने नहीं कहा था वह आज कह रहा हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

ठीक है, आज बता दीजिये, पता नहीं कल मिले या न मिले।

श्री कल्याण सिंह–

आप इतना वर्मा जी निराश क्यों हो गये ? (व्यवधान) लेकिन निश्चित यह है कि पूरे पांच साल तक आपको उधर बैठने का मौका मिलेगा और हम कोशिश करेंगे। यह सरकार कहीं नहीं जा रही है।

श्रीमन्, वहां हमारे सामने एक प्रस्ताव रखा गया, मुझ से कहा गया कि आप अपनी सहमति इस बात पर दे दो अपनी सरकार की ओर से कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 (2) के अन्तर्गत कि एक सूत्रीय-सिंगिल प्वाइन्ट रेफरेंश सुप्रीम कोर्ट में करने के पक्ष में। मुझ से कहा गया कि इस पर मैं अपनी सहमति दे दूं। इस पर मैंने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की कि आखिर विश्व हिन्दू परिषद् की ओर से या आल इंडिया बावरी मस्जिद कमेटी की ओर से जो दस्तावेज पेश किये गये थे, जिनको आपने अदला-बदली कराया है, एक्सचेंज कराया है, उसमें आपका क्या मत बना है ? क्योंकि पी० एम० का आफिस कोई पोस्ट आफिस का काम तो करता नहीं है, दोनों को पढ़कर, अध्ययन करके आपका भी कोई निष्कर्ष निकला होगा, आपने कोई नोट्स बनाए होंगे, आप अपने नोट्स हिन्दुस्तान की जनता की और

मुझे बता दें। इस पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आप हमारी इस बात को स्वीकार कर लीजियेगा तो मामला आपके पक्ष में जायेगा। मैंने कहा कैसे ? तो उन्होंने कहा हमने सारे ईवीडेंस ठीक से देख लिये है और ईवीडेंस देखकर यही सिद्ध हो रहा है कि वहां पर हिन्दू स्ट्रक्चर था। (व्यवधान) वह कान्ट्रोडिक्ट करें, मैं तो सार्वजनिक तौर पर आज यह बात कह रहा हूं बोले फिर कि 138 (2) में रेफरेन्स करने की अपनी सहमति दे दीजियेगा। इस पर फिर कहा था इससे क्या होगा ? तो उन्होने कहा सुप्रीम कोर्ट से यह आ जाएगा कि वहां पर हिन्दू स्ट्रक्चर था, मन्दिर हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर हम उस निर्णय के अनुसार कानून बनाकर उस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को ले लेंगे और न्यास को सौंप देंगे और इस तरह से वहां पर मन्दिर बनना शुरू हो जायेगा। इसके बाद मैंने बड़ी विनम्रता से उनसे कहा जब आप इस बात से पूरी तरह मुतमइन हैं, प्राप्त ईवीडेंश से कनविस्ड है और ईवीडेंस से यह सिद्ध हो रहा है कि वहां पर हिन्दू स्ट्रक्चर था, तो क्यों नहीं आप पोलिटिकल विल या करेज दिखाते हैं जनता के सामने इस बात को कहने की। फिर रेंफरेन्श करने की क्या आवश्यकता है ? इसका मतलब तो यह हुआ कि आप या तो हमें गलत बता रहे हैं या सही बात कहने से आप कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट चला जायेगा तो कुछ न कुछ फेस सेविंग हो जायेगी हमारी।

मैंने कहा क्या इसका रिफरेन्स या पेचीदगियां भी सोची हैं आपने, मैं वकील तो नहीं हूं, लेकिन अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार समझता हूं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो हिन्दुस्तान के अन्दर फिर इस प्रकार का एक पिण्डारा बाक्श खुल जायेगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आयगा कि यह हिन्दू स्ट्रक्चर था जिसको तोड़ा गया और आप कानून बनाकर उसका टेक-ओवर करेंगे और उसे न्यास के हक में उसको सौंप देगे और संविधान के अनुच्छेद 138 (2) में सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देगा, तो वह एक केश-ला बन जायगा। तो फिर जो तीन या तीन हजार की बात करते हैं, उनको बल मिल जायेगा। फिर कहीं भी कोई निकलकर किसी भी अदालत में जाकर कहेगा कि यह मंदिर था और इसे तोड़कर मस्जिद बनायी गयी। इस बात का खुलासा तो हो सकेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट को पेश कर दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि न्यायालय को भी इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया यह दोनों बड़ी नजीर बन जायेंगी और यह राज खुल जायेगा। इस मत से मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूं कि सिंगल प्वाइंट रिफरेन्स सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 138 (2) के अन्तर्गत की जाय। मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार की समस्यायें आने वाले भविष्य में एक लम्बी श्रृंखला का रूप लें। हां सन्तोष के लिये करना ही चाहते हैं तो विवादित ढांचे को आप संविधान के अनुच्छेद 143 में पेश करवा दीजिये।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या कोई साक्ष्य इस समय वह प्रस्तुत कर सकते हैं कि उन्होंने रक्षा मंत्री जी से यह कहा है।

श्री कल्याण सिंह–

इससे बड़ा साक्ष्य और क्या होगा कि स्वयं प्रधान मंत्री कह दें कि उनके सामने मैंने यह नहीं कहा। मैं मान लूंगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

नहीं, आप की जो बातचीत हुई उसके संबंध में कोई साक्ष्य है देने के लिये।

श्री कल्याण सिंह–

मैं कह तो रहा हूं। मैं अपना गला पेश कर रहा हूं इससे बड़ा साक्ष्य क्या दूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

अगर आपने यह कहा था तो आप राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में क्यों नहीं गये । आपको वहां जाना चाहिए था और वहां कहते कि आप पहले ऐसा कह चुके हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, माननीय प्रमोद तिवारी जी मेरे से गवाह मांग रहे हैं । मैं गवाह के नाम के रूप में श्री नरसिंहा राव प्रधान मंत्री, भारत सरकार का नाम ले रहा हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आप सही बात नहीं कर रहे हैं । आपने रक्षा मंत्री से कोई ऐसी बात नहीं कही है । मेरी रक्षा मंत्री जी से बात हो चुकी है । आप यह गलत बात कह रहे हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, इन्होंने असत्य बोलने की कसम खा ली है । तो मैं क्या कर सकता हूं । यह जानें कि यह सत्य बोल रहे हैं या असत्य बोल रहे हैं । सत्य कबूल करने से कभी नहीं घबराना चाहिए सत्य को मान लेना चाहिए । श्रीमन्, जिस मसले को लेकर एकमुश्त बात हो रही थी हमने अपने प्रयासों से उसे दो हिस्सों में बांट दिया है । एक हिस्सा है 2.77 एकड़ भूमि का, जिसका अधिग्रहण किया गया है । जिसके बारे में उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में एक केस लगा है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी को अपनी बात पूरी करने दीजिये ।

श्री कल्याण सिंह–

यह बात सत्य है कि जिस समय कारसेवा होगी न केवल भाजपा ही होगी बल्कि कांग्रेस के साथ जितने भी दल के लोग यहां बैठे हैं कारसेवा में साथ होंगे ।

(सत्ता पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गईं)

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि अभी तक एकमुश्त बात चलती थी । मोहम्मद आजम खां साहब बैठे हैं, इन्हें मालूम ही है । हमने बड़े प्रयासों से, बड़ी सोच समझकर इस समस्या के समाधान हेतु इसे दो हिस्से में करने का प्रयास किया है कि एकमुश्त समस्या को हल करने की दृष्टि से दो भागों में बांट दिया है । 2.77 एकड़ भूमि का एक हिस्सा है जिसका अधिग्रहण किया गया । डिस्प्यूटेड स्ट्रैक्चर, कोटयार्ड और उस तक जाने वाले मार्ग का अधिग्रहण हमने नहीं किया । तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री वी० पी० सिंह ने अधिग्रहण किया, डिस्प्यूटेड स्ट्रेक्चर कोर्टयार्ड और उस तक जाने वाले मार्ग का अधिग्रहण हमने नहीं किया जबकि हम अधिग्रहण कर सकते हैं हम मंदिर मस्जिद का कर सकते हैं कानून हमें इजाजत देता है लेकिन हमने इसलिये नहीं किया क्योंकि इतना हमारी बातचीत का द्वार खोलने के लिये अलग कर देना चाहिये ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

चुनाव का वायदा कब निभायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

चुनाव का वायदा निभायेंगे ।

श्री लीला राम शर्मा–

वी० पी० सिंह ने अधिग्रहण क्यों किया स्पष्ट कर दें ।

श्री कल्याण सिंह–

श्री वी० पी० सिंह ने अधिग्रहण/डिस्प्यूटेड किया, स्ट्रैक्चर, कोर्टयार्ड भी जिसमें सम्मिलित था इसमें उनकी क्या मंशा थी यह उन्हीं को पता होगा । जो बात हमने कही जिस समय पूजास्थल विधेयक आप लाए आज मैं दोहराना चाहता हूं कि उस समय तो आपने किसी राजनीतिक दल से बात नहीं की । आपने किसी न्यायालय में इसका रिफरेन्श नहीं दिया । 15 अगस्त, 1947 की स्थिति आ गई आपने एक तरफ कानून बनाकर देश की छाती पर ठोंक दिए । यह उन्होंने वाई प्रोसेस आफ ला द्वारा किया ? विधिवत प्रक्रिया द्वारा किया । उनके अधिकार क्षेत्र में यह था । 2.77 भूमि क्लीयर हो जाये.....

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, 25-10-91 का यह हाईकोर्ट का है कि "दि स्टेट मे टेक पजेशन आफ दि नोटिफाइड लैण्ड" आपको पजेशन के लिये अधिकार है–

श्री उपाध्यक्ष–

मो० आजम खां जी पहले मुख्य मंत्री जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आप मेरी बात सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं बीच में अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

आपने अपनी पूरी बात रख दी ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

[x x x]

[2 बजकर 20 मिनट]

नोट :—[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पूरी बात रख लें उसके बाद आप जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, जिस प्रकार से पूजास्थल विधेयक लाया गया विधिक प्रक्रिया द्वारा लाया गया बिना किसी के पूछे लाया गया बिना किसी न्यायालय में उसको संदर्भित किए लाया गया, कानून की परिधि में लाया गया, मैं नहीं कहता हूं कि भारत सरकार ने कोई गैर-कानूनी काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले को दो हिस्सों में बांट दिया जाय। जो 2.77 एकड़ भूमि है उसको बाई प्रासेस आफ ला द्वारा विधिक प्रक्रिया के द्वारा अधिग्रहीत कर लिया जाय। उसके बाद जो विवादित ढांचा है जो कोर्टयार्ड है इसका निस्तारण कर लिया जाय। हमसे कहा जा रहा है कि हमने कहा है कि न्यायालय जैसा हम चाहते हैं वैसा निर्णय दे ऐसा नहीं है।

मैंने यह कभी नहीं कहा, न्यायालय स्वतंत्र है, न्यायालय की स्वतंत्रता का हम सम्मान करते हैं, न्याय पालिका का सम्मान करते हैं हम तो केवल यह कह रहे हैं कि मेरिट के हिसाब से न्यायालय का जो भी मत बनता हो, या बने, निर्णय शीघ्र घोषित कर दें। निर्णय कैसा हो यह तो फैसला न्यायालय को लेना है, यह उसके अधिकार क्षेत्र की बात है, केवल हम प्रार्थना कर रहे हैं कि न्यायालय इसका निस्तारण यथाशीघ्रता से कर दे। क्योंकि यह मामला लीटीगेशन का नहीं यह मामला संवेदनशील है। यह करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इस पर पेंडी सी रखना इस समस्या का समाधान करने में कहीं न कहीं रुकावट डाल सकता है। इसलिये हमारी प्रार्थना है, मेरी अपील है कि न्यायालय जो भी निर्णय देना चाहे दोनों पक्षों को सुन कर, दोनों पक्षों के सबूत देखकर जल्दी फैसला करे। आखिर कोई तो मत बनाना ही होगा। ऐसा तो कभी होता नहीं कि कोई निर्णय न हो। हम तो केवल एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि यह मामला ऐसा है कि इसका निर्णय यथाशीघ्र हो जाय। निर्णय तो न्यायालय को ही करना है दूसरे को नहीं। यह जो हमने इक्वीजीशन किया है या तो अपहोल्ड होगा। अगर मेरा पक्ष कमजोर है तो इक्वीजीशन निरस्त कर दिया जाय। दोनों में जो भी निर्णय हो वह यथाशीघ्र दे दिया जाय। तो इसमें हम न्यायपालिका की कहां अवमानना कर रहे हैं। हमने प्रार्थना पत्र दिया है। उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया मुझे कुछ नहीं कहना, यह तो उसके अधिकार क्षेत्र में है वह कुछ भी कर सकता है।

इस सारे प्रकरण में जो कुछ भी बातें सामने आयीं हैं मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि विषय की संवेदनशीलता को समझते हुये इसको वोट तथा राजनीति से जोड़कर हम विचार न करें और न इस प्रकार की अभियुक्ति करें। यह मामला सुलझना चाहिये। श्रीमन्, मैं तो प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं क्योकि इस मामले में वह स्वयं पड़े हैं। 3 महीने का समय मांगा गया था, बाद में कहीं से निकल कर आया कि 3 महीने। तो अब 4 महीने से ज्यादा समय हो जायेगा कुल मिलाकर। अगर प्रधानमंत्री राजनीतिक इच्छा शक्ति संजो सकें, अपनी ही पार्टी के गुटीय दलदल से ऊपर उठ सकें और जिनको दुनिया से नकार दिया है उन बामपंथियों के चंगुल से निकल सकें तो समस्या का समाधान हो जायेगा। जहां तक मेरी सरकार का प्रश्न है हमने किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं किया है और

न न्यायालय की अवहेलना की है । राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् में मैं कह चुका हूं, यहां कह चुका हूं और मैं पुनः दोहराता हूं कि उस विवादित ढांचे की सुरक्षा का पूरा प्रबंध है । हम उस जिम्मेदारी से कभी ना नहीं कर रहे हैं । कुल मिलाकर जितनी आवश्यक व्यवस्था है, जो भी कदम उठाये जाने हैं वह सरकार ने उठाये हैं । सुप्रीमकोर्ट में भी आज हमारा बयान हल्फी दाखिल होने वाला है, उसमें स्पष्ट किया है कि जो भी आवश्यक कदम होगे वह उठाये जायेंगे ।

* नेता,विरोधीदल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

गोलमाल बात है ।

श्री कल्याण सिह–

गोलमाल बात नहीं है । नेता प्रतिपक्ष से निवेदन है कि मामले की गंभीरता को समझे, हर शब्द की कीमत होती है, उससे नुकसान हो सकता है । मैं आज भी इस मत का हूं कि समस्या का समाधान हो सकता है । 10 दिन का समय बाकी है, 10 दिन का समय कम नहीं होता है । ईमानदारी के साथ मिलकर तय करें तो समस्या का समाधान हो सकता है । इस 10 दिन के समय का सदुपयोग हो सकता है । इसलिये उत्तेजना में कुछ कहेंगे तो जो रास्ता निकल सकता है उसमें कहीं व्यवधान आ सकता है । मैं यहां पर उसकी चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन मेरे पास आज भी समाचार है कि वार्ता बढ़नी चाहिये । मैंने कहा स्वागत है, यह उच्च स्तर से है इतना ही कहना काफी है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

ठीक है वार्ता होनी चाहिये ।

श्री कल्याण सिंह–

तो ऐसी स्थिति में हर शब्द की कीमत है । जहां तक सांप्रदायिकता फैलाने का प्रश्न है मैं आपको और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 17 महीनों से सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण है और आगे भी सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे । आज उत्तर प्रदेश में कहीं कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मुख्य मंत्री जी एक स्पष्टीकरण दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी बीच में आप स्पष्टीकरण न पूंछें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मुख्य मंत्री जी बैठ गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । मुख्य मंत्री जी पूरे तथ्य प्रस्तुत कर लें उसके बाद स्पष्टीकरण करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

जो डी० जी० की रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि अडवानी जी की रथ यात्रा से सांप्रदायिकता फैली है।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, मा० बेनी प्रसाद वर्मा जी ने एक बात कही, मुझे खुशी है कि माननीय वर्मा जी को रूल आफ ला की याद , देर से ही सही, याद तो आ गयी। माननीय वर्मा जी उस सरकार के वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, जिन्होंने परिक्रमा पर रोक नहीं रहेगी न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ा दी थीं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह कहना मान्यवर गलत है, परिक्रमा पर रोक नहीं लगाई गयी थी।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शांत रहें।

(घोर व्यवधान)

(इस समय 2 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने जितना भाषण दिया है, उतना सदन तथ्य नहीं चाहता था।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–.

कृपया शांत रहें। माननीय सदस्य को भी कोई बात कहने का अवसर देंगे न, यदि कोई स्पष्टीकरण की बात होगी, तो माननीय मुख्य मंत्री अपना स्पष्टीकरण दे देंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं समय अधिक नहीं लेना चाहता हूं, मैं केवल तीन प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री के सामने रखना चाहता हूं। संविधान के संबंध में इससे ज्यादा मैं बहुत कुछ कह सकता हूं। संविधान की बात आपने कहा कि न्यायालय की बात मानेंगें। यह भी आश्वासन दिया। सुप्रीम कोर्ट आज या कल जो भी फैसला देगा, आपके मन के प्रतिकूल या अनुकूल, क्या आप उसको मानेंगे ? दूसरी बात यह कि आप यहां पर घोषणा करें कि 6 दिसम्बर की कार-सेवा नहीं होने दी जायेगी, संविधान और न्यायालय के मुताबिक। तीसरी बात यह है अनर्गल बात आपको नहीं कहनी चाहिये अब तो आप मुख्य मंत्री जी की कुर्सी पर बैठे हैं, आदेश निकाल कर दिखाइये कि मैंने अयोध्या में परिक्रमा रोकी थी यदि सच है तो स्वीकार कर लूंगा।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें ।

(श्री जी० पी० तिवारी के खड़े होने पर)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठ जायं, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, परिक्रमा पर हमने रोक नहीं लगाई । आप मुख्य मंत्री होकर, आपको इतना गैरजिम्मेदाराना बयान सदन के अन्दर नहीं देना चाहिये । आप जिम्मेदार पद पर हैं । जहां तक कार सेवा का सवाल है, हमने कार-सेवा रोकी है, सांप्रदायिक शक्तियों के सामने झुका नहीं, पर परिक्रमा हमने नहीं रोकी, सरकार चली गयी, मुझे कोई अफसोस नहीं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

जिस प्रकार से देश का साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कुछ शक्तियों ने कोशिश की, अब भी मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में हिन्दू धर्म की सहिष्णुता ने ही इस भारत को महान राष्ट्र बनाया है । इतना बड़ा महान राष्ट्र बना है, केवल इसलिये कि हिन्दू धर्म में सहिष्णुता रही है ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम प्रकाश–

इन्होंने कहा था कि तीन मिनट का समय लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर दे देंगे ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं लम्बा भाषण नहीं दूंगा । मैं फिर आग्रह करना चाहता हूं कि यह विभिन्न संस्कृतियों का देश रहा है और इसलिये यह देश कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरा देश एकता के सूत्र में बंधा रहा है । इन्हीं साम्प्रदायिक शक्तियों ने पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का बंटवारा करने में पूरी साजिश की और कोशिश की, इसलिये हमने साम्प्रदायिक शक्तियों को कानून का उल्लंघन करने से रोका है, परिक्रमा नहीं रोकी है । आप केवल इस बात का उत्तर दे दें । दोनों पक्षो की बात को सुन लिया है । 143 और 2.77 के दुहराने की कोई बात नहीं है । आप कह दें कि संविधान और न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन नहीं करेंगे और 6 दिसम्बर की कार सेवा नहीं की जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप शान्त रहें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगी, उसको आप मानने के लिये तैयार हैं या नहीं,इसका उत्तर आप दे दें । मैं लम्बा भाषण मुख्य मंत्री से चाहता हूं ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, जब मुलायम सिंह जी बोलने के लिये खड़े हुये, तो मैं बैठ गया और सोच रहा था कि काम की बात कहेंगे और कोई मौलिक बात कहेंगे, लेकिन उन्होंने न कोई काम की बात कही और न मौलिक बात ही कही । मैं पुनः दुहराना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाये रखना सरकार का पहला उत्तरदायित्व है । मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक दंगे नहीं होने दिये जायेंगे, शांति व्यवस्था बनाये रखी जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

आपने कहा कि प्रदेश में दंगे नहीं होने दिये जायेंगे, तो इससे ऐसा लगता है कि जो कुछ यह चाहेंगे और जब चाहेंगे दंगे होंगे और जब नहीं चाहेंगे तो दंगे नहीं होंगे ।

श्री कल्याण सिंह–

हम यह चाहते हैं और चाहते रहेंगे कि प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे न हों और न होने देंगे और श्रीमन् हमारा उत्तर प्रदेश से ही नहीं, हमारा तो मन है कि पूरे देश से साम्प्रदायिक दंगे मिट जायेंगे जब केन्द्र में भी भाजपा आ जायेगी, उसकी सरकार बन जाये और जल्दी बन जायेगी, यह काम देश की जनता अगले चुनाव में कर देगी ।

मान्यवर, कुछ प्रश्न उठाये नेता स० पा० ने ।

(व्यवधान)

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

औचित्य का प्रश्न का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री जी खड़े हुए हैं, उनको यह मालूम होना चाहिये कि यह चुनावी सभा नही है, यह विधान सभा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी प्रश्नों का समेकित उत्तर दे दें ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने कहा कि यह सार्वजनिक सभा नहीं है यह विधान सभा है, यह भी सद्बुद्धि वर्मा जी को बहुत दिनों के बाद आई । अब तक वह भी सार्वजनिक सभा समझकर बोलते रहे हैं, मैं तो विधान सभा समझकर बोलता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं । मान्यवर, कुछ प्रश्न उठाये माननीय नेता स० पा० ने ।

1–संविधान के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, संविधान का पूरी तरह से परिपालन करेंगे ।

2–न्यायालय के निर्णय की अवहेलना नहीं करेंगे ।

3–देश का विभाजन, भाजपा का जब तक एक कार्यकर्ता भी जीवित है, देश का विभाजन दुबारा नहीं होने देगा । क्योंकि देश का विभाजन करने वाले वे लोग हैं जो अपनी वोट की खातिर निजी तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं और आज भी अपनाते रहे हैं, हमारी नीति है कि न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी को नहीं ।

परिक्रमा पर रोक नहीं रहेगी यह न्यायालय का आदेश था, सभी इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उस परिक्रमा को रोकने की कोशिश की और वह नाकाम रहे और वह परिक्रमा होकर रही । आज कार सेवा की बात आप कर रहे हैं, 6 तारीख के आने मे अभी 10 दिन है और मैं आशावान हूं कि इन 10 दिनों के अन्दर कोई ने कोई समाधान निकलने की संभावना है । मैं आज भी इन्कार नहीं कर सकता हूं, श्रीमन् यह हमारी भाषा नहीं है जिस भाषा ने उत्तेजना पैदा की थी कि राम जन्म भूमि में परिन्दा भी पर नहीं मार सकता, यह भाषा मेरी नहीं है । तो मान्यवर, मैंने इनके हर प्रश्न का बड़ी संजीदगी के साथ उत्तर दिया है इस नाते 300 में जो नोटिस दी गयी है इसको निरस्त किया जाना चाहिये इसमें कोई औचित्य नहीं है ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह जी का नाम पुकारें जाने पर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न है मुझे बोलने दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल खड़े हैं, उसके बाद आपको अवसर मिलेगा ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, हमारा और माननीय आजम खां का औचित्य का प्रश्न था । उस समय आप पीठ पर नहीं थे, मैंने पीठ से आग्रह किया था । औचित्य के प्रश्न को सरकार सुनती है और निर्देश पीठ खुद देती है और जो माननीय मुख्य मंत्री जी को कहना चाहिये था बयान् में उसकी घोषणा नहीं की गयी । 6 तारीख को कारसेवा जो हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के आदेश के विपरीत होने जा रही है जिसकी घोषणा आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं जो न्यायालय और संविधान के विपरीत है । हमने विधान सभा में यह आश्वासन चाहा था कि 6 तारीख की कारसेवा के बारे में आपकी क्या राय है उसको रोकेंगे या नहीं ।

इस संबंध में कोई जवाब नहीं आया मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 6 तारीख को कार सेवा रोकेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कह दिया जैसा कि मैंने सुना और समझा कि आज 25 नवम्बर है अभी 6 दिसम्बर में 10 दिन का अंतराल है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह न्यायालय का अपमान है । न्यायालय का आदेश है कि 6 तारीख को कार सेवा न हो ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

तर्क के लिये यदि यह मान लें 5 दिसम्बर को न्यायालय यह आदेश देता है कि यह अधिग्रहण सही है तो 6 तारीख को कार सेवा किस आधार पर रोकेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आप कानून के विद्वान हैं ।

6 तारीख को कार सेवा रोकने के आदेश हैं आज के परिपेक्ष्य में 6 तारीख को कार सेवा रोकने के लिये क्या प्रबन्ध है यह बताया जाय । काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर तो मान्य नहीं है । 6 तारीख को रोकने के आदेश के बारे में बताया जाय । काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर तो माना नहीं जा सकता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उनका आशय था कि अंतिम निर्णय लेने का समय नहीं आया 10 दिन का अंतराल है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह तो न्यायालय का अपमान हुआ है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, जैसा कि अभी माननीय वर्मा जी ने कहा कि हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का स्टे हैं । कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी को बताते हुए हाउस मे स्पष्ट कोई घोषणा नहीं की । मेरा औचित्य का प्रश्न यह था कि इनके दो वरिष्ठ मंत्रियों श्री ओम प्रकाश सिंह व श्री लाल जी टंडन ने सदन के बाहर घोषणा की है कि 6 तारीख को कार सेवा निश्चित शुरू होगी, झगड़ा भी होगा, मारकाट भी होगी । इसलिये आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं किस आधार पर उनके मंत्रियों ने हाउस के बाहर घोषणा की इसका स्पष्ट उत्तर दें । इनकी बात सही है या माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सही है या सुप्रीम कोर्ट की बात सही है कि उच्च न्यायालय की बात सही है । मान्यवर, आपने पहले कहा था कि तीनों प्रश्नों के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी एक साथ जवाब दे देंगे । बाहर कहा गया कि निश्चित तौर से कारसेवा शुरू होगी वह जो भी होगा देश में खून-खराबा हो जायेगा इस पर उत्तर दिलवा दीजिये ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जो दो चीजें माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही हैं एक तो पजेशन के सिलसिले में, जो मैंने कहा है हाईकोर्ट में यह बयान है, 25-10-91 का हाईकोर्ट बेंच का जो आदेश है वह पढ़कर सुना रहा हूं। उसका तरजुमा कर दूंगा।

"दि स्टेट मे टेक पजेशन आफ दि नोटिफाइड लेंड—इसका अधिकार राज्य सरकार को दिया है न्यायालय ने कि आप उस जमीन पर कब्जा ले सकते हैं।

"ऐंड मे टेक अरेंजमेंट फार दि परपज नोटिफाईड इन दि नोटिफिकेशन्स"

(व्यवधान)

एक सदस्य–

मान्यवर, इसकी कापी आपके पास नही है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कापी की आवश्यकता नहीं है, राज्य सरकार इसमें पार्टी है, राज्य सरकार के संज्ञान में है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

सरकार ने अपनी मंशा जो नोटीफिकेशन में जाहिर किया है वह इसे कर सकते हैं। "बट नो स्ट्रक्चर आफ परमानेन्ट नेचर"। कोई ऐसा निर्माण जो मुस्तकिल हो नहीं कर सकते।

वित्त, संस्थागत नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, न्यायालय की अवमानना का निर्णय न्यायालय के बाहर भी कोई एजेन्सी कर सकती है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इस बात के लिये सरकार को खुले तौर पर पाबंद किया है कि आपने जो नोटिफाइड किया है इस जमीन पर 2.77 एकड़ की इस पर आप कब्जा ले सकते हैं लेकिन आप इस पर कोई पक्का निर्माण नहीं कर सकते हैं। मैंने पूर्व में यही कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार रोज अपना मन बनाती है कि हम अपना नोटिफिकेशन कैंसिल कर लें लैन्ड आजाद कर दें विश्व हिन्दू परिषद् या न्यास से काम करा दे और हम कह दें कि न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया गया। आप कानून जानते हैं मान्यवर, आपने अध्ययन किया है आपने कानून पढ़ा है कानून पर काम किया है। इसका मतलब यह हुआ कि इनकी इच्छा न बनती हो और जब इच्छा बनी सरकार को कब्जा मिला और यह कब्जा सरकार के लिए फांसी का फंदा बन गया। यह इससे मुकर नहीं सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 30 x 60 फीट का जो परमानेन्ट कान्स्ट्रक्शन हुआ, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में रिट लगी है उसमें यह कहा है कि चबूतरा को तोड़ा जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्य वहीं सीटों पर बैठकर कहने लगे कि ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है)

आप लोग कृपया शांत रहें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, सरकार को यह साबित करना होगा कि जो 25-10-91 को जो हाई कोर्ट में आदेश हुए हैं उसका अपमान नहीं होने दिया जायेगा ।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के अनके सदस्यों द्वारा एक दूसरे पर टीका टिप्पणी के कारण कुछ सुनायी नही दिया)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जायें, माननीय पाण्डेय जी आप भी कृपया बैठ जायें । यह जो बोल रहे हैं वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

श्रीं लाल चन्द्र पाण्डेय–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें । आप जो बोल रहे हैं वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा । जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है, मुझे अपनी व्यवस्था देने दें । मैं अपनी बुद्धि एवं विवेक से निर्णय दूंगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने कल के आदेश के बारे में कहा, मैं समझता हूं वह एक जिम्मेदार शख्स हैं, गलत बयानी नहीं कर सकते हैं । हाईकोर्ट में जो अटेस्टेड कापी मिली है उसमें सरकार ने जो अपना पक्ष रखा है वह वही है कि यह 15-7-92 का है, इसमें कहा गया है "आर सूटेबली मोडीफाइड टू इनेबिल दि स्टेट गर्वन्मेंट टू प्रोसीड विद दि परपज फार विच दि लैन्ड हैज बीन एक्वायर्ड एन्ड मेक सूटेबिल एरेन्जमेन्ट्स " इसका मतलब यह है कि फैसला हमारी पार्टी का है और हमारे समय हो ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

हां, बोलें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं एक कार्य संचालन संबंधी प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं । आपसे पूर्व माननीय उपाध्यक्ष जी विराजमान थे, उन्होंने इस विषय पर, औचित्य के प्रश्न पर सुना, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया माननीय मुख्य मंत्री नेता सदन ने कहा था कि यदि इस विषय पर कोई भी विचार प्रस्तुत करना चाहें तो मैं उत्तर दे दूंगा । मेरे हिसाब से अब उत्तर आ गया है, उसके बाद यदि कोई चीज उत्तर में छूटी हो या जिस पर स्पष्टीकरण चाहें तो मांग लिया जाय । आप जानते हैं कि जब प्रश्न न्यायालय की अवमानना का है तो न्यायालय के बाहर कोई एजेन्सी उसका फैसला नहीं कर सकती । इसके अलावा

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

आज कई महत्वपूर्ण चर्चायें लगी हैं, इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि इसलिये कोई समय निर्धारित कर दें, ताकि अन्य काम भी हो सके ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आपने कहा, 10 दिन शेष हैं, यह सदन का मामला है मान्यवर, आप विद्वान अध्यक्ष हैं । यह सदन की संपत्ति है और 10 दिन सदन रहेगा या नहीं, 10 द्रिन यह असेम्बली चलायेगें या नहीं, यह अलग बात है न्यायालय का क्या आदेश होगा, यह बात काल्पनिक है । आज के आदेश पर यहां बात हो रही है । अब यह केवल एक ही बात बता दें कि कारसेवा को रोकने की घोषणा करेंगे या कारसेवा करेंगे, सदन केवल इसका ही उत्तर चाहता है ।

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर तो मानीनय मुख्य मंत्री जी ने दे दिया । उन्होंने एक वाक्य में कह दिया कि अदालत के आदेशों की अवहेलना नहीं करेंगे ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मेरे औचित्य के प्रश्न से यही प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश सरकार न्यायालय का फैसला मानने के लिये बाध्य है या उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीमकोर्ट, हाईकोर्ट का फैसला मानने से इन्कार करती है । वह कार सेवा करायेंगे या कार सेवा रोकेंगे । इस पर निश्चित बयान उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का आना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने दोनो पक्षों को सुन लिया है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, हां या न में जवाब आना चाहिये ।

(अन्य सदस्यों की ओर से भी जवाब देने के लिये जोर देने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम 300 की इस सूचना को निरस्त करता हूं, यह नियम 300 में नहीं आती, मैं इसे अग्राह्य करता हूं ।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों के वेल में आ जाने पर घोर व्यवधान)

मैं सदन को सवा तीन बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 3 बजे श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी, 3 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठ जायं । मैंने उस सूचना को निस्तारित कर दिया है । अब मैं अगली सूचना को ले रहा हूं ।

(श्री अंगद यादव जी का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, इस सूचना में श्री बी० आर० वर्मा जी का नाम भी है ।

श्री अध्यक्ष–

नाम स्पष्ट नहीं है । पूरा नाम लिखा जाना चाहिये । ठीक है, आप अपनी बात कहें ।

श्री अंगद सिंह यादव सदस्य विधान सभा के गनर एवं रिश्तेदार की हत्या के संबंध में पीठ से दिये गये निर्देश को शासन द्वारा पालन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इस सदन में माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछते हैं और उनका उत्तर देने के लिये जो भी मंत्री महोदय खड़े होते हैं, वह उत्तर तोड़-मरोड़ कर देते हैं । 24 तारीख को अंगद यादव जी का शैडो व उनके रिश्तेदार मारे गये थे । उस घटना को उन्होंने यहां पर उठाया था । इस पीठ से, आप ही के द्वारा निर्देश दिये गये थे परन्तु आज तक उनका अनुपालन नहीं किया गया । जो भी इस सदन में कहा जाता है, वह विधान सभा की सम्पत्ति हो जाती है और उस पर कार्यवाही होती है और यह सदन की गरिमा का भी सवाल है । परन्तु आज तक इस घटना के बारे में शासन की ओर से नोटिस नहीं लिया गया और न ही कोई कार्यवाही की गई । कार्यवाही तो दूर उस गनर की विधवा को शुरू में जो पारिवारिक पेंशन दे भी रहे थे, उसे इस सरकार ने रोक दिया है । इससे भी इनकी मंशा परिलक्षित होती है । इसलिये मान्यवर, आपने जो पूर्व में निर्देश दिये थे, उनका अनुपालन हो, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

वैसे मैं पहले यह बता दूं कि माननीय सदस्य की सूचना नियम-300 के अंतर्गत नहीं आती है । चूंकि अध्यक्ष पीठ से कुछ निर्देश दिये गये थे, इसलिये माननीय सदस्य की शिकायत यह है कि उन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है । मैं पुनः निर्देशित करता हूं कि एक सप्ताह के अंदर उन निर्देशों का अनुपालन करके माननीय सदस्य को इसकी सूचना दे दी जाय ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री हृदय नारायण दीक्षित जी का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

जिला विकास योजनाओं एवं डी० आर० डी० ए० आदि में मा० सदस्यों के अधिकारों में कटौती किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, यह संसदीय परम्परा रही कि इस सदन में माननीय मंत्रियों द्वारा जी आश्वासन दिये जाते हैं और वचन दिये जाते हैं अथवा जो घोषणायें की जाती हैं, उनका पालन करना और उन घोषणाओं के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करना इस सरकार का दायित्व है । मान्यवर, गत सत्र में माननीय नगर विकास मंत्री जी द्वारा दो घोषणायें एक साथ इस सदन में की गई थीं । पहली घोषणा नगर पालिका वार्डों की भांति एरिया और नोटिफाइड एरिया में भी माननीय विधायकों और माननीय सांसदों को भी प्रतिनिधित्व दिये जाने की बात थी । दूसरी घोषणा यह थी कि सार्वजनिक हैण्डपम्पों की स्थापना में सम्मानित विधायकों के सुझाव लिये जायेंगे और उन्हीं के सुझावों के अनुरूप हैंडपम्पों की स्थापना की जायेगी । जहां तक पहली घोषणा का सवाल है, उसके संबंध में आपने अध्यादेश निर्गत कर दिया है और इस सत्र में आप विधेयक भी ला रहे हैं । इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने वचन को पूरा किया और विधायकों तथा सांसदों को टाउन एरिया व नोटीफाइड एरिया में मनोनीत किये जाने की व्यवस्था कर दी । परन्तु जहां तक दूसरी घोषणा का सवाल है इसके पूर्ण

* वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया ।

विपरीत कार्य किया । नगर विकास अनुभाग-2 से एक शासनादेश निर्गत हुआ है । शासनादेश संख्या 1815/4-22-92-57/90, दिनांक 8-10-92 है । मान्यवर, इस शासनादेश के द्वारा व्यवस्था कर दी गयी है.....

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी सूचना देख ली है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से सूचना मांग रहा हूं ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

इस शासनादेश में यह व्यवस्था की गयी है कि जो विधायकों को पहले अधिकार थे उसकी जगह अधिकारियों को चयन करना होगा । पूर्व में जो सदन में माननीय मंत्री जी द्वारा घोषणा की गयी थी उसके विपरीत व्यवस्था कर दी गयी है इसमें अगर विधायक चाहें या सांसद चाहें तो अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं परन्तु स्थल चयन का अधिकार विधायकों से छीन लिया गया है । विधायक जनतंत्र में ज्यादा जनोपयोगी, सुझाव दे सकते हैं वह जगह-जगह घूमते हैं और स्थानीय समस्याओं से अवगत होते हैं और सही सुझाव दे सकते हैं जहां कही क्राइसिस है उसको जानते हैं । मैं अपने यहां की बात कहता हूं हमारे यहां नगरपालिका को भंग कर वहां प्रशासक एस० डी० एम० बना दिया गया उन्होंने दो हैण्ड पम्प लगाने की बात की, एक हैण्ड पम्प अपने घर में लगा दिया और दूसरा ए० ओ० के घर में लगा दिया गया ।

जो वास्तव में गलत है हमने इस बांत को कहा तो उनका कहना है कि ए० ओ० ने या अधिशासी अधिकारी ने गलत तरीके से हैण्ड पम्प लगा दिये हैं । जब दो हैण्ड पम्प लगाने में प्रशासनिक अधिकारी गलती करेंगे तो दो सौ हैण्ड पम्प कैसे सही लगायेंगे ? नगर विकास मंत्री जी ने सदन में घोषणा की थी कि उसके पूर्णतः यह विपरीत है । इसलिये यह औचित्य का प्रश्न बनता है । यह जनतंत्र विरोधी परम्परा है, जो जनतांत्रिक अधिकार हमें दिये गये हैं उसमें गलत तरीके से कटौती की जाय यह उचित नहीं है। इस तरह से जो विधायकों के अधिकार बचे हैं उन्हें भी समाप्त किया जा रहा है । इसी तरह से यह चला तो यह स्पष्ट है कि हमारे अधिकार समाप्त हो जायेंगे और परगनाधिकारी शासन की तरफ से निर्णय ले लेंगे तो जो इस सदन में नगर विकास मंत्री द्वारा घोषणा की गयी उसके यह विपरीत है उनके द्वारा शासनादेश चलाना उचित नहीं है ।

* श्री विजय सिंह राणा–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह गलत काम हुआ है । पिछली बार जब मैंने यहां पर प्रश्न उठाया था और कहा था कि हैण्ड पम्पों के स्थल चयन का अधिकार अन्तिम रूप से विधायक को होना चाहिए तो माननीय नगर विकास मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि यह उचित है और उस पर उन्होंने शासनादेश भी जारी कर दिया था ।अब हैण्ड पम्प लगाने के लिये स्थल चयन का अधिकार एस० डी० एम० और परगनाधिकारी को दिया गया है । जो विधायक हैं वह जनता की समस्या को जानते हैं वह जगह-जगह जाते हैं तो वह हैण्ड पम्प के लिये स्थल चयन नहीं कर सकते हैं इस तरह से ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है । आपका उस पर कोई नियंत्रण नहीं है । इससे आप अपने को अक्षम साबित करते हैं उनको दिन रात अधिकार देते जा रहे हैं तो फिर हम यहां क्यों बैठते हैं । आप इस आदेश को वापस लें हैण्ड पम्प के लिये स्थल चयन का अधिकार सांसद को भी नहीं केवल विधायक को होना चाहिए क्योंकि विधायक जनता की समस्या को ज्यादा जानता है ।

*नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, सम्भवतः आपके सामने ही बात हुई थी संसदीय कार्य मंत्री जी वहां उपस्थित थे । हम लोग इस बात को संज्ञान में लायें कि शनैः-शनैः यह सरकार विधायकों को जो अधिकार मिले हैं उनमें कटौती करती जा रही है और उन अधिकारों को अधिकारियों को दे रहे हैं । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि .....

* वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह हैण्ड पाइप वाला मामला ऐसा है कि पहले प्रधान लोग इसे लगवाते थे । जनता दल की सरकार में इस पर पुनर्विचार हुआ और माननीय विधायकों को इसका अधिकार दिया गया, क्योंकि प्रधान लोग अपनी पार्टी, अपने वोट देने वालों के यहां लगवा देते थे और पिछड़े तथा गरीब लोगों के यहां नहीं लगवाते थे और इसमें यहां तक होता था कि अपने आदमी के यहां यह दो-दो लगवा देते थे । यही बात इसके पहले श्रीमती प्रेमलता कटियार जो नगर विकास मंत्री थीं उनके सामने हमने उठाई थी और उन्होंने आदेश भी कर दिया था । तो मैं कहूंगा कि अब जो उसके विपरीत जी० ओ० निकाला गया है उसको वापस लेकर सरकार यह घोषणा कर दे कि यह अधिकार विधायकों का ही रहेगा ।

इसके अलावा ऊर्जा सलाहकार समिति में पहले विधायक रहते थे, लेकिन अब यह हो गया है कि वह नहीं रहेंगे तो उसमें भी आप सुधार करवा दें ।

तीसरी बात यह है कि डी० आर० डी० ए० में विधायकों को अधिकार था कि वह बतायें कि कौन सी सड़क बनेगी और कौन सी कच्ची बनेगी, कौन सी पक्की बनेगी या किस पर पेंटिंग होगी । किन्तु अब इस व्यवस्था में यह परिवर्तन किया गया है कि इस सम्बन्ध में न्याय पंचायत जो निदेश देगी सरकार को, उसके अनुसार करना होगा । तो यह डी० आर० डी० ए० का पैसा प्रदेश सरकार का नहीं है, यह केन्द्र सरकार का है और उसका भी काफी प्रतिशत पैसा जवाहर रोजगार योजना में चला गया है । अब वह भी चला जाये तो समस्त विकास कार्य एक न्याय पंचायत में ही होगा । अतः मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि इन तीन बिन्दुओं पर जो मैंने प्रकाश डाला है, आज उनके बारे में सदन में स्पष्ट घोषणा कर दें, जो पूर्व व्यवस्था थी, वह यथावत कायम रहेगी उसमें जो परिवर्तन हो भी गया है, उसको वापस लेकर वैसा ही कर दिया जायेगा ।

श्री रामगोविन्द चौधरी—

मान्यवर, आपके सामनै कई बार मैंने रख है कि यह सरकार विधायकों का महत्व दिन प्रति दिन कम करती जा रही है । संख्या में अधिक तो उनके ही विधायक हैं और घाटा भी इन्हीं के विधायकों को ज्यादा है । फिर भी पता नहीं क्यों जनतन्त्र से इनका विश्वास हटता चला जा रहा है । मैं आपसे यह व्यवस्था चाहूंगा, आप हम लोगों के संरक्षक हैं, विधायकों को सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा आपका ही दायित्व है आप सरकार को कड़े निर्देश दें कि यह विधायकों के दिन प्रति दिन कटते और घटते अधिकारों को रोकें और जो उन्हें पहले से अधिकार मिला हुआ था वह मिलते रहना चाहिए ।

(व्यवधान)

कुवंर रेवती रमण सिंह—

वैसे नगर विकास मंत्री को अधिकार है, किन्तु यह केवल एक विषय नहीं है । उसमें ऊर्जा का भी है और डी० आर० डी० ए० का भी है, इसलिये वह हमारी बातों का पूरा जवाब नहीं दे पायेंगी । विधायको के अधिकारों को आज हम यहां से वापस कराकर जायेंगे । इसलिये इसमें संसदीय कार्य मंत्री से बेहतर और कोई हो नहीं सकता है ।

* श्री धनी राम वर्मा—

मान्यवर, इसी सम्बन्ध में मेरा भी औचित्य का प्रश्न था । पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी भी जिला स्तरीय समितियां थी, उनमें से लगभग सभी विधायकों को हटा दिया गया है और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो हैं भी उनमें जिलाधीश, अध्यक्षता करने लगे हैं । अनुश्रवण समिति में भी विधायकों को हटा दिया गया है । जिला स्तरीय समितियां जिनमे विधायक सदस्य हैं उनमें विधायक सदस्यों में से ही वरीयता या क्रम में से अध्यक्ष बनाना चाहिए लेकिन इसमें भी डी० एम० अध्यक्ष होने लगे हैं, मान्यवर, इस तरह से माननीय सदस्यों की अवमानना हो रही है । जिला स्तरीय समितियों से विधायकों को हटाकर उनके अधिकार खत्म किये जा रहे हैं । उनकी अवमानना हो रही है । एक बात और कहना चाहता हूं कि जो भी काम हो रहे हैं; चाहे किसी स्कूल इमारत का या किसी पुल का उद्घाटन या शिलान्यास हो गैर सरकारी व्यक्ति यह काम सम्पन्न करते हैं । मेरे ही क्षेत्र की बात है, एक प्राइमरी पाठशाला के भवन का शिलान्यास भूतपूर्व सांसद श्री राम प्रकाश त्रिपाठी जी द्वारा किया गया । वह उद्घाटन शिलान्यास के लिये वहां पहुंचे और लोग भी वहां पहुंचे और उन्हें रोकने लगे । वहां पर लड़ाई भी हो गई । हमने कहा कि करने दो । इस तरह से मान्यवर, उन्होंने शिलान्यास किया । मान्यवर, यह नहीं होना चाहिए ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय संसदीय कार्य मंत्री से उत्तर देने को कहने पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने माननीय ग्राम्य विकास मंत्री को उत्तर देने के लिये खड़ा किया जिसका कई माननीय सदस्यों ने विरोध किया)

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)—

मैंने माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी से इसलिये कहा था कि इस पूरी चर्चा में एक बिल्कुल सुनिश्चित बिन्दु था जल निगम का । इसलिये मैंने कहा कि व बता देंगे ।

कुवंर रेवती रमण सिंह—

आप ऐसा न कहें । आपको सुनिश्चित जानकारी हैं । आप ही इसका जबाब दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, विधायकों के सम्मान को कम करने का हमारा कोई इरादा नहीं है । एक दिन आपके कक्ष में माननीय नेता विरोधी दल से बात हुई थी । मैंने विधायकों से संबंधित शासनादेश अपने पास रखे हैं । इस समय मेरे पास नहीं हैं । मैंने इस दृष्टि से उसे देखने का प्रयास किया कि उनमें क्या और कहां पर परिवर्तन किये गये हैं । उनमें कहीं पर कम्युनिकेशन गैप जरूर है । बिना किसी चर्चा के दो बातें बताना चाहता हूं । एक तो माननीय सदस्य इटावा ने यहां पर एक मौलिक मुद्दा उठाया है कि एम० एल०ए० एम० पी० सांसद के अलावा किसी व्यक्ति को सरकारी भवन का शिलान्यास करने का अधिकार नहीं है । इस बात से तो सभी सहमत होंगे कि सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति द्वारा अगर इस तरह का शिलान्यास होता है तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

श्री धनी राम वर्मा—

[xxx]

श्री अध्यक्ष—

माननीय धनीराम जी, यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा । यह उचित भाषा नहीं है । इन शब्दों को मैं कार्यवाही से निकाल रहा हूं ।

नोटः— [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, लोकल मामला होगा । मैं तो यहां पर सैद्धान्तिक रूप से चर्चा कर रहा हूं । आज हम जिस जगह पर हैं कल उस जगह पर न भी हो इसलिये ऐसा कोई प्रतिबध ठीक नहीं है । जहां तक विधायकों को समितियों से हटाये जाने की बात है तो उसके सम्बन्ध में मैं नेता विरोधी दल के साथ बैठकर सभी शासनादेश देख लूंगा जहां उसमें आवश्यकता होगी संसोधन किया जायेगा ।

श्री नरेश अग्रवाल--

नहीं मान्यवर, सभी दल के नेताओं को होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

क्या आपको नेता विरोधी दल पर विश्वास नहीं है ? इनके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, दो तीन कमेटियों की चर्चा की गई है । मैंने उन कमेटियों के प्रारूप को देखा है । मान्यवर, आप सबके आर्शिवाद से इस आदरणीय सदन में काफी समय से काम करने का मौका मुझे प्राप्त हो रहा है । शिक्षा सलाहकार समिति नई बनाई गई है जिसमें गांव जिले मण्डल से संबंधित हैं । जहां तक मैं समझता हूं और मेरी जानकारी है माननीय विधायकों विधायक होने के नाते उसमें पदेन सदस्यता प्राप्त है । यह डी० आर० डी० ए० के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने बताया कि उसमें से उन्हें हटाया जा रहा है । जहां तक मुझे याद है मैं वहां बैठा करता था । एक बार इस आदरणीय सदन में चर्चा हुई थी ।माननीय विधायकों को अध्यक्षता करनी चाहिये, लेकिन एक आपत्ति आई । वहां जिन बातों को सिद्धान्तः हम स्वीकार कर चुके हैं उसमें परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है । डी० आर० डी० ए० में ग्राम पंचायत के चयन कराने का काम करेंगे । अरबों रुपया ग्राम्य विकास के लिये खर्च किया गया । पता लगा कि एक ग्राम पंचायत में एक सड़क एक पुलिया बनाई गयी है तो अब एक ग्राम पंचायत पकड़ कर उसको सुदृढ़ करेंगे । उसका विकास करेंगे, उसके बाद दूसरी ग्राम पंचायतों को पकड़ेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

जो शासनादेश है वह जी० ओ० हमारे पास है मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं वह पैसा विधायक की मर्जी से खर्च होगा । वह पैसा कैसे खर्च हो यह अधिकार आपको नहीं है केन्द्र सरकार का है आप कह रहे हैं पहले एक न्याय पंचायत का विकास हो तो आप अलग से प्रदेश सरकार का पैसा दिला दें आप केन्द्र सरकार के पैसे में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं यह गम्भीर मामला है इसमें मान्यवर, आश्वासन देना पड़ेगा इसमें बैठक वगैरह नहीं होगी । इसमें तीन बिन्दु उठे हैं । उसके डी० आर० डी० ए) का महत्वपूर्ण बिन्दु है । इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के अधिकारों का हनन हो रहा है । दस बारह साल से जवाहर योजना लागू है किसी ने नहीं कहा अगर आपको चिन्ता है तो आप प्रदेश सरकार से धन लेकर स्टेट सेक्टर से उसका विकास करवा दें ।

श्री विजय सिंह राणा--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं आपने कह दिया कि एक न्याय पंचायत के समग्र विकास के लिये योजना लागू कर देंगे तो जिन पंचायतों में काम नहीं होगा वहां फिर कोई विधायक घुस पायेगा । एक का तो पूरा विकास हो जायेगा और दूसरी ऐसे ही रह जायेगी तो क्या फिर कोई विधायक उस क्षेत्र में घुस पायेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह किसी विशेष दल की बात नहीं है यह सब से संबंधित है। मान्यवर, एक विकास खण्ड है उसमें आठ-दस न्याय पंचायतें होती है आप एक न्याय पंचायत में कर देंगे तो बाकी में तो कुछ हो नहीं पायेगा। आपकी तो एक न्याय पंचायत होगी मोहल्ले से चुनकर आ जायेंगे। आपने जो प्राविधान किया है उसमें क्या केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त की है। आप पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई बात नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी–

जब केन्द्र का जिक्र होता है तो हमें बोलना पड़ता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय सदस्यों के पूरे हक की रक्षा करते हुए बोलना चाहता था अब उस विभाग के मंत्री जी आ गये हैं वह कुछ कहेंगे।

सिंचाई एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

ग्राम्य विकास के बारे में नयी रणनीति तय हो रही है। यह नहीं समझ रहे हैं क्योंकि इनको आशंका हो गयी है कि कहीं विधायकों के अधिकारों का हनन हो रहा है या उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम भी तो जानना चाहेंगे। अभी तो न्याय पंचायतों के चयन की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न दूसरा है।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मंत्री जी की पूरी बात तो सुन लें, तो समस्या का समाधान हो जायेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

संसदीय कार्यमंत्री जी, ग्राम्य विकास मंत्री जी तो अभी आये हैं। उन्होंने तो पूरी बात भी अभी नहीं सुनी है। जब उन्होंने पूरी बात ही नहीं सुनी तो वह जवाब क्या देंगे।

(कई माननीय सदस्यों के जोर से बोलने पर घोर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय ग्राम विकास मंत्री जी नहीं थे जब यह सवाल उठा था। हम लोग यह नहीं कह रहे हैं कि न्याय पंचायत का चयन हो रहा है या किसका चयन हो रहा है हम लोग तो सिर्फ एक ही जबाब चाहते हैं। यह जो डी० आर० डी० ए० का पैसा है जिसके बारे में यह कहा गया है कि पहले एक विकास खण्ड की एक न्याय पंचायत का विकास किया जायेगा। मान्यवर, जब डी० आर० डी० ए० की संरचना की गयी थी तो पहले तो पूरा

पैसा इसी के द्वारा खर्च किया जाता था । जवाहर रोजगार योजना के लागू हो जाने पर 80 प्रतिशत प्रधानों के साथ और 20 प्रतिशत पैसा विधायकों के पास आता है । तो इस पैसे से तमाम काम पुलिया, सड़क आदि में खर्च करना पड़ता है । जब यह जी० ओ० लागू कर देंगे तो केवल थोड़े ही क्षेत्र में विकास होगा जबकि पूरे क्षेत्र की हमारी जिम्मेदारी बनती है । अगर आप अपनी नीति लागू करना चाहते हैं तो आप अलग से करें । यह तो पैसा भारत सरकार का है इसको आप विधायकों को खर्च करने दें । स्टेट सेक्टर से आज पंचायत वाइज व्यवस्था में केवल 20 प्रतिशत ही पैसा मिलता है । यह केवल विपक्ष की ही बात नहीं है क्योंकि इससे तो दोनों पक्षों के विधायक जुड़े हुए हैं । इसलिये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस जी० ओ० को वापस ले लें । पुरानी व्यवस्था जो थी उसे चलने दे । और अगर आपको समग्र विकास करना है तो स्टेट सेक्टर में से विकास करवायें इसमें हम लोगों को कोई एतराज नहीं होगा ।

मान्यवर, डी० आर० डी० ए० का सारा पैसा एक ही न्याय पंचायत में डाइवर्ट होगा ऐसी मंशा नहीं है और यह भी मंशा नहीं है कि केवल एक न्याय पंचायत के बाद ही दूसरी न्याय पंचायत का विकास होगा । सिर्फ प्रायरिटी की बात है । जो स्टेट फंड है उसको भी डाईवर्ट करेंगे । जो डी० आर० डी० ए० का पैसा है उसमें माननीय विधायक या सांसद जो पैसा डाइवर्ट करना चाहेंगे वह डाईवर्ट करेंगे । अगर जिला समिति कहती है तो हम बिल्कुल नहीं डाइवर्ट करेंगे उस पर हम विचार करेंगे ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी बातों को स्पष्ट करा दूंगा लेकिन पहले मंत्री जी की बात सुन तो लें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, डी० आर० डी० ए० का अधिकार विधायकों का है तो वह प्रस्ताव पास करेंगे वह लागू होगा । अगर किसी जिले में कोई कहता है कि हम डाईवर्ट नहीं करेंगे तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे । अगर इस जी० ओ० में कोई कमी होगी तो उसको स्पष्ट कर देंगे । हमारी मंशा है कि सभी न्याय पंचायतों और ग्रामों का विकास हो । सभी क्षेत्रों का विकास जारी रहेगा केवल चयनित न्याय पंचायत को हम प्राथमिकता देंगे जिससे चरणबद्ध तरीके से 6-7 अवस्थापनायें पूरी हो जायं । अगर कहीं जी० ओ० में यह भाषा निकलती है कि किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो निश्चित ही उस सीमा तक जी० ओ० को संशोधित करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहता हूं । जो पुराने माननीय सदस्य बैठे हैं उनको याद होगा कि जब डी० आर० डी० ए० में कोई प्रस्ताव पास करते थे तो क्या उन प्रस्तावों का शत-प्रतिशत अनुपालन होता था, नहीं होता था । प्रस्तावों को पुनरीक्षित करने का अधिकार जिलाधिकारी को पहले भी था । मंत्री जी ने खुद आश्वस्त किया है कि यह अनिवार्य नहीं है अगर आप और खर्च करना चाहते हैं तो वह प्राथमिकता रहेगी । जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा है कि माननीय नेता विरोधी दल के साथ और माननीय नेताओं के साथ बैठ लेंगे । जब तक शासनादेश को पूरा पढ़कर अर्थ नहीं लगाया जायगा तब तक सही चर्चा नहीं होगी । माननीय नेता कांग्रेस शासनादेश पढ़ रहे हैं । जैसा कि माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने कहा माननीय विधायकों के अधिकारों पर किसी तरह की कटौती करने का शासन का कोई इरादा नहीं है । इस बात का पूरा सम्मान किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष–

2 चीजें हैं । इस सदन के जितने सदस्य हैं वह जनता से चुनकर आते हैं और उनका दायित्व जनता के प्रति है । इसलिये उनसे अपेक्षा की जाती है कि जितने भी कार्य उनके क्षेत्र में होंगे उनसे वह कहीं न कहीं किसी प्रकार सम्बद्ध जरूर होंगे । उनकी जवाबदेही उसमें होगी । उदाहरण के लिये अमुक गांव में हैण्ड पम्प लगा तो दूसरे गांव में क्यों नहीं लगा ? जो विकास कार्यों के संबंध में न्याय पंचायतों का चयन डी० आर० डी० ए० के अन्तर्गत किया जायगा अगर उसमें विधायकगण का हाथ नहीं रहा तो उनके सामने संकट की स्थिति आयेगी, उसमें वह उत्तर क्या देंगे ? इसमें दो बातें आ रही हैं, क्या ऐसा शासनादेश जारी किया गया है जिससे विधायकों की आवाज एकदम बंद हो जाय और उनका हाथ न्याय पंचायत के चयन में नहीं होगा, अथवा ऐसा शासनादेश जारी नहीं किया गया है परन्तु उसका उल्टा अर्थ जिलाधिकारी या अन्य अधिकारी लगा रहे हैं । इस स्थिति का स्पष्टीकरण होना आवश्यक है कि क्या शासनादेश की यह मंशा है कि न्याय पंचायतों के चयन में विधायकों का कोई हाथ नहीं रहेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

थोड़ा सा परिपेक्ष्य जो आप बता रहे हैं, उसमें हमारा निवेदन यह है कि .....

श्री अध्यक्ष–

मैं उसके आगे कहने जा रहा हूं । उसमें भी विधायकों का प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, विकास कार्यों का चयन करने में उनकी सलाह नहीं ली जा रही है । कुछ शासनादेश इसके बारे में हुए होंगे कुछ न हुए होंगे, बहरहाल माननीय सदस्यों की इसमें आशंका है कि विकास कार्यों में उनकी सलाह नहीं ली जा रही है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं शासनादेश पढ़ रहा हूं । मान्यवर, इसमें लिखा है कि "इस प्रकार अभिज्ञापित न्याय पंचायतों में ग्राम्य विकास विभाग की तत्काल आरम्भ की जा सकने वाली योजनाओं का अमात्राकृत/अबचनबद्ध धनराशि से क्षेत्र की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जायेगी । इसके लिये आवश्यक है कि जिन योजनाओं में अभी लाभार्थी चयन स्थल चयन शेष हो, उनमें प्राथमिकता के आधार पर इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं को देखते हुए इन्हीं अभिज्ञापित न्याय पंचायतों में उक्त कार्यवाही की जाये । " यानि कि जहां भी कमिटमेंट नहीं है, जहां बकाया काम नहीं है, उसके लिये आपने यहां से शासनादेश जारी कर दिया है । वहां पर जो अधिकारी बैठेगा, वह कहेगा कि हम इस गाइड लाइन से बंधे हैं । अब दो ही रास्ते हो सकते हैं । वह तो यह कहेगा कि हम तो शासनादेश से बंधे हुए हैं । इसमें साफ लिखा है कि जहां पर जो योजना अधूरी है, जो इन दो के अलावा होगी, वह उस न्याय पंचायत में खर्च होगा । अब हमारे लिये क्या बचा । मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री की मैं समस्या समझ सकता हूं, वे विधान परिषद् के सदस्य हैं, जितनी बार विधान सभा का चुनाव हुआ, यहां आने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दो बार विधान सभा का सदस्य रहा हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं तो यह कह रहा था कि इसको पढ़ देने के बाद धन की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। माननीय मंत्री अगर इसको पढ़ लिये होते, तो आपको कहने की गुंजाइश नहीं रह जाती है, जिसके लिये कमिटमेंट नहीं होगा, वह न्याय पंचायत में जायगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, सम्भवतः हम लोगों की भावना माननीय मंत्री नहीं समझ पाये। वह डी० आर० डी० ए० का गठन जो हुआ उत्तर प्रदेश में, वह केन्द्र सरकार की गाइड लाइन के निर्देश पर ही हुआ था कि कहां पर पुल बनेगा, कहां पर सड़क बनेगी, कहां पर नहर बनेगी, कहां पर हैण्ड पम्प लगेगा। यह विधायक ही अपने क्षेत्र में डी० आर० डी० ए० के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसमें प्रश्न यह है कि डी० आर० डी० ए० का पैसा डी० आर० डी० ए० की बैठक में विधायकों द्वारा खर्च करने का प्राविधान रखा जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपकी अनुमति हो, तो मैं एक सवाल पूछ लूं। मान्यवर, क्षमा करेंगे लाल जी वर्मा जी वह पहली बार विधान सभा में आये हैं, लेकिन अनुभव की बात होती है। इसमें तो सभी को पहली बार कठिनाई होती है। मैं राम गोविन्द चौधरी जी से कहना चाहूंगा। आप जरूर सुन लें। राम गोविन्द चौधरी जी बता देंगे, उनको मालूम होगा, कि पुरानी सरकारों में यह शासनादेश था कि डी० आर० डी० ए० के पैसे से नया काम नहीं लिया जायेगा, अधूरा कार्य पूरा किया जायेगा। इसके माने हैं कि समय-समय पर जो डी० आर० डी० ए० में प्रस्ताव पारित हुए हैं, उस पर शासन द्वारा परामर्श दिया जाता रहा है। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, हम लोग बैठकर इन जी० ओज० की स्टडी कर लेंगे। अगर हमें इसकी जानकारी पहले से होती, तो मैं शासनादेश लेकर आता। मान्यवर, बैठकर हम लोग इसको देख लेंगे और कोई शिकायत का मौका नहीं आयेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप आज ही, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य विपक्ष के नेताओं के साथ बैठ लें और शासनादेश को मंगवा लें। रात्रि में इनको भोज पर आमंत्रित कर लें और वहीं पर स्पष्टीकरण हो जाये और कल जी० ओ० जारी हो जाये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपकी आज्ञा को टालने में दुख होगा। अगर आज के बजाये कल बैठ जायें, 9.00 बजे बैठ लें, क्योंकि सारे शासनादेश मंगवाने होंगे।

श्री अध्यक्ष–

कल बैठ लें और शून्य प्रहर में सदन को सूचना दे दें। इस सूचना के साथ इसका निस्तारण हो रहा है। यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है और इसको अग्राह्य किया जाता है।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

क्या निर्णय हुआ है ?

श्री अध्यक्ष–

कल 9.00 बजे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं के साथ बैठ लेंगे और जो निर्णय होगा, उसकी सूचना यहां पर शून्य प्रहर में दे देंगे ।

जनपद आगरा में 10 लाख कुओं के योजना के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन की पूर्ति न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, जो बात अभी उठायी गयी है, उसी से सम्बन्धित मेरी भी सूचना है । मान्यवर, जिला गवर्निंग बाडी की संरचना वर्ष 1981 में हुई थी और इस आशय से हुई थी कि विकास कार्यों का विकेन्द्रीकरण होगा । मेरा यह कहना है कि हमारे अपने ही कार्यों से व्यूरोक्रेशी इस तरह से हावी होती चली जा रही है जिससे विधायकों के अधिकार कम होते चले जा रहे हैं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि 29-12-1990 को आगरा जिले में गवर्निंग बाडी की बैठक हुई और उसमें यह प्रस्ताव पास किया गया, वह प्रस्ताव संख्या 5 था, कि जिले के अन्दर जो पैसा आया है उससे पूरे जिले में छोटी नदियों पर बन्धे बनाये जायेंगे और तत्कालीन जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने यह तय किया कि इस पैसे से तालाब और कच्चे कुंये खुदवाये जायेंगे । इसका कारण यह है कि कच्चे काम में उनको 60 प्रतिशत और पक्के काम में 20 प्रतिशत कमीशन मिलता है । 60 प्रतिशत खाने के लिये उन्होंने तालाब और कच्चे कुयें खुदवाने का निर्णय लिया ।

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि उस प्रस्ताव का वहां पर जिलाधिकारी ने उसका विरोध किया और प्रस्ताव पास हो गया, प्रस्ताव संख्या–5 है, मैं कापी आपकों भेज चुका हूं न मिली हो तो दुबारा भेज दूंगा। मेरे पास प्रस्ताव है उसमें यह साफ कर दिया गया था कि जल भराव बांध बनाया जायेगा यह प्रस्ताव पास हो गया था, उसके बाद जिलाधिकारी महोदय की नीयत साफ नहीं थी इसलिए मैंने इसको विधान सभा में 11 मार्च, 1991 को नियम 300 में उठाया था और उठाने के बाद तत्कालीन मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा था यह कार्यवाही के अन्दर है सुने–"मान्यवर, यह सरकार की हमेशा मंशा रही है कि विधायकों की बातों पर ध्यान दिया जाय । मान्यवर, पूरी सूचना तो हमारे पास नहीं है लेकिन जो माननीय राणा साहब ने कहा है हम उसको दिखवा लेंगे और माननीय विधायकों की राय लेकर कार्यवाही की जायेगी । "

तो मान्यवर, यह बात हुई 11 मार्च, 1991 को उसके बाद मान्यवर, 14 मार्च, 1991 को यहां आश्वासन दिया उसी आश्वासन के अनुरूप माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने और ग्राम्य विकास मंत्री ने मेरे पत्र पर आदेश कर दिया कि जल भराव बांध बना दिये जांय । उसके बाद भी बांध नहीं बना तो यह 14 मार्च की घटना घटित हो गयी । 16 मार्च को उन्होंने पूरे मामले को ग्राम्य विकास सचिव को भेजा उसके बाद 30 तारीख को विधान सभा भंग हो गयी और उसी के बीच में पूरा पैसा मनचाहे ढंग से तालाब खुदवाने पर खर्च किया गया और उसमें कमीशन भी खाया गया और फर्जी काम भी दिखाया गया और इस तरह से एक करोड़ रुपया का घपला जिलाधिकारी ने किया । माननीय अध्यक्ष को मैंने लिखकर दिया था और इसी बीच में जब यह हो गया तो मैं थोड़ा पीछे जाता हूं उसके बाद जब गर्वनिंग बाडी की मीटिंग हुई तो उसमें इस प्रस्ताव के खिलाफ प्रस्ताव हुआ ।

माननीय अध्यक्ष जी या तो आप ही मेरी बात को सुने या फिर संसदीय कार्य मंत्री ही सुने, दोनो में से कोई तो मेरी बात को नहीं सुन रहा है ।

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि जब विधान सभा भंग हो गयी तो जिलाधिकारी ने उस पैसे को अपने ढंग से खर्च कर लिया और उसमें सीधा एक करोड़ रुपया खा लिया उसके बाद जब गवर्निग बाडी की बाद में बैठक हुई तो उसमें जो उन्होंने तालाब और कुयें खुदवाने का फैसला ले लिया था उसका अनुमोदन नहीं किया उसके बाद अगली बैठक 1-8-92 को हुई उसमें यह प्रस्ताव हुआ कि जो पैसा खर्च कर लिया है उस पैसे को वापिस किया जाय । इसी बीच में मैंने यह प्रश्न उठाया कि क्या जिला गवर्निंग बाडी का प्रस्ताव किसी न किसी रूप में बदला गया है तो यहां से प्रश्न का जवाब गया कि कोई प्रस्ताव कभी बदला नहीं गया । यह प्रश्न है कि क्या आगरा जनपद के जिला विकास अभिकरण के गवर्निंग

बाडी के किसी प्रस्ताव को बदला नहीं गया । 29-11-90 को जिला गवर्निंग बाडी का प्रस्ताव था जल भराव बांध बनाने का तो वह क्यों नहीं बनाये गये ? उन्होंने जवाब दिया कि यह इसलिए नहीं बनाये गये (व्यवधान)

तो मान्यवर, मेरा कहना यह है कि उस मार्ग निर्देशक में पांच नम्बर पर पृष्ठ 3 पर यह बात स्पष्ट अंकित है कि जल भराव बांध बनाया जा सकता है उसके बावजूद नहीं बनाया गया है । आज की तारीख में वहां बंधा बन भी गया । जब नहीं बन सकता था तो आज कैसे बन गया ? अब यह प्रश्न नहीं रह गया कि बंधा नहीं बन सकता था बंधा बन गया और उसी जगह पर बना । जिलाधिकारी भ्रष्ट था उन्होने नहीं बनने दिया पैसा खा गये । बंधा नहीं बन सकता था तो कैसे बन गया नियमों में परिवर्तन नहीं हुआ और बंधा बन गया । मान्यवर, गवर्निंग बाडी मिनी विधान सभा उसका प्रस्ताव न माना जाना यह अनुचित है । अफसरशाही को इस तरह से हावी कर दिया गया है कि विधायकों के कार्य क्षेत्र में अतिक्रमण करते चले जा रहे हैं 29-12-90 का जो प्रसताव जल भराव का था उस प्रस्ताव का क्रियान्वयन नहीं हुआ । गवर्निंग बाडी ने प्रस्ताव पास कर दिया कि धनराशि वापस कर दीजिये । सारा प्रकरण आपको सुपुर्द कर दिया । आपके कार्यालय से 25 जुलाई, 91 को 16-10-91 को 13 दिसम्बर 91 को चिट्ठियां भेजी गयीं लेकिन ग्राम्य विकास सचिव ने एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया । वे स्थिति में फंसे हुए हैं हमें कैसे न्याय मिलेगा ? मान्यवर, आपकी उस सीट पर बैठने के बाद भी हमें न्याय नहीं मिल सकता है तो विधान सभा में बैठे रहने का कोई अस्तित्व नहीं है । फिर तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा फिर तो विधान सभा में आने का मतलब नहीं है । अफसरशाही को आगे कर दिया गया है और हम विधायकगण निरन्तर बौने होते जा रहे हैं । हमें न्याय कहां से मिलेगा ?

* वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

माननीय राणा जी ने इस संबंध में मुझसे पहले भी चर्चा की थी मुझे स्मरण आ रहा है इस मामले का परीक्षण भी कराया गया लेकिन मान्यवर, एक मुख्य बात है इस बात को माननीय सदस्य भी जानते हैं कि सेन्ट्रली, स्पांसर्ड स्कीम केन्द्र से मिलती हैं । यह जो टेन मिलियन वेल्स की स्कीम है यह केन्द्र की स्पांसर्ड स्कीम है व्यवहारिकता के धरातल पर उत्तर प्रदेश की भूमि की समस्याओं के हिसाब से वह स्कीम उपयोगी नहीं है हम भी इसको जानते हैं । केन्द्र से इस के बारे में और भी योजनाओं के बारे में पत्राचार किया गया केन्द्र सरकार को राय दी गयी है कि हम से योजनाओं को बनवायें जो योजनायें धरती की आवश्यकता के हिसाब से हों उससे ग्रामीण जीवन का विकास होगा ।

यह स्थिति बाद में भी आयी हैं । डी० आर० डी० ए० ने एक प्रस्ताव पास किया ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने पूरा प्रकरण समझा नहीं । मैंने कोई बात नहीं छोड़ी है जो बच गयी हो । संयुक्त सचिव टोलिया साहब का एक पत्र 27-10-90 को जारी हुआ है इसमें 5 नम्बर पर है जलभराव बांध यह इसमें साफ लिखा हुआ है जो केन्द्र के मार्ग निर्देशक थे वे उस समय भी थे आज भी हैं अब वह बंधा बन गया है जब वह नहीं बन सकता था तो आज क्यों बन गया है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इसमें हमने प्रयास किया है लेकिन जो मार्ग दर्शक सिद्धान्त हैं उससे विसंगतियां पैदा हो जाती हैं लेकिन राणा जी ने ध्यान आकर्षित किया है कि उस समय जब नहीं बना तो बाद में कैसे बन गया इस सम्बन्ध में माननीय राणा जी ने पहले भी कहा था मैं उसका परीक्षण करा रहा हूं और जिन अधिकारियों ने गड़बड़ी इसमें की है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें आप शीघ्रता बरतें । यह प्रकरण बहुत दिनों से शासन के संज्ञान में हैं । यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता लेकिन इस सम्बन्ध में मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देशित कर दिया है कि वह शीघ्रता बरतें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि यह सवाल नियम–300 के अन्तर्गत बनता है कि नहीं बनता है इसका निस्तारण कैसे हो ?

श्री अध्यक्ष–

यहां जो चल रहा है वह आश्वासन से सम्बन्धित है इस पर मैं नियमों के अनुसार निर्णय दूंगा । आज आपने इसे नियम–300 के अन्तर्गत उठाया है और इस सम्बन्ध में मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्दिष्ट कर दिया है कि व इसमें शीघ्रता बरतें और आवश्यक कार्यवाही करें । अब एक सूचना सदन को दी जा रही है ।

उत्तर प्रदेश सरकारीवाद (अभिवक्ताओं का आबंधन) विधेयक, 1991

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150(2) के अन्तर्गत "उत्तर प्रदेश सरकारी वाद (अभिवक्ताओं का आबन्धन) विधेयक, 1991" को, उसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित सदन के पटल पर रखता हूं । यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 1992 को पारित किया गया था और दिनांक 25 नवम्बर, 1992 को विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित इस सचिवालय में वापस प्राप्त हुआ ।

विशेषाधिकार हनन/सदन की अवमानना की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष के निर्णयों की सूचना

श्री अध्यक्ष–

विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के निम्नांकित मामलों में मैंने निर्णय लिये हैं :–

श्री पवन कुमार पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 30-9-91, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 13-1-92, श्री लालजी वर्मा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 10-3-92, श्री भोला शंकर मौर्या द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 11-3-92, श्री अखिलेश द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 31-3-92, श्री राम स्वरूप वर्मा द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 31-3-92, श्री मोहम्मद आजम खां द्वारा प्रस्तुत सूचना 1-4-92, श्री अकबर हुसैन द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 8-4-92 श्री महराज सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनाक 10-4-92, श्री बलराम यादव द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 28-4-92, श्री रेवती रमण सिंह, श्री सुरेन्द्र नाथ तथा कतिपय अन्य मा० सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत सूचना दिनांक 28-4-92, श्री दिवाकर विक्रम सिंह तथा श्री सुरेश प्रताप गांधी द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 28-4-92, श्री अखिलेश द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 11-5-92, श्री राम प्रसाद सिंह एवं श्री ऊदल द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 12-5-92, श्री दिनेश चन्द्र सोनकर द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 12-5-92, श्री विजय सिंह, श्री राम प्रसाद सिंह तथा कतिपय अन्य मा० सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत सूचना दिनांक 12-5-92, श्री राम प्रसाद तथा श्री ऊदल द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 12-5-92, श्री कप्तान सिंह द्वारा प्रस्तुत सूचना दिनांक 13-5-92, उपरोक्त सभी मामलों में विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनाएं अग्राह्य कर दी गयी हैं ।

इसके अतिरिक्त श्री सोमांश प्रकाश द्वारा श्री ओम प्रकाश मिश्रा, सी० ओ० श्यामली जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 11-5-92 तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह सभापति, लोक लेखा समिति द्वारा श्री के० आर० भाटी, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास विभाग के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन तथा समिति की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 10-8-92 को विचारोपरान्त मैंने जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया है । उक्त सूचनाओं पर मेरे द्वारा दिये गये निर्णय सदन की आज की कार्यवाही का अंग माने जायेंगे ।

(संलग्न सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

श्री पवन कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा मा० स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री पवन कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा ने मा० स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना अभिसूचित की है जो दिनांक 30-9-91 को प्राप्त हुई है । मा० सदस्य का कथन है कि ग्यारहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र के दूसरे शुक्रवार दिनांक 9-8-91 को उनके द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर में मा० स्वास्थ्य मंत्री ने गलत उत्तर देकर और भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा किये गये व्यय को वास्तविक व्यय बताया है तथा यह भी कहा है कि इसकी जांच कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । माननीय सदस्य ने आगे यह भी कहा है कि जिला चिकित्सालय, फैजाबाद में कार सेवकों के नाम पर अलग से कोई धनराशि व्यय न किये जाने की बात पूर्णतया असत्य तथा भ्रष्ट सी० एम० एस० (श्री वी० पी० गुप्ता) को बचाने के लिये कही गयी है । निदेशालय से इस हेतु डेढ़ लाख रुपये की अलग से व्यवस्था की गयी थी ।

प्रश्नगत मामले में मा० स्वास्थ्य मंत्री का अभिकथन मांगा गया था । मा० चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 9-4-92 में कहा है कि संदर्भित प्रश्न का उत्तर सदन में महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दिया गया था । प्रश्न के उत्तर तैयार करते समय शासन स्तर पर किसी भी स्रोत से यह सूचना प्राप्त नहीं हुई थी कि वर्ष 90 में कार्तिक मेले हेतु व्यय हुई धनराशि के भुगतान में किसी प्रकार की कोई अनियमितता बरती गयी है । अतः इसी आधार पर जांच न कराये जाने की आवश्यकता से माननीय सदन को अवगत कराया गया था । इसके अतिरिक्त माननीय राज्य मंत्री का यह भी कथन है कि सदन में दिनांक 9-8-91 को उत्तर देते समय शासन के संज्ञान में कोई ऐसा तथ्य नहीं था जसके आधार पर महानिदेशक द्वारा प्रश्न के संबंध में दी गयी सूचना के संबंध में कोई शंका उत्पन्न होती है और दिनांक 9-8-91 को सदन में दिया गया उत्तर उक्त तिथि से पूर्व प्राप्त सूचना के आधार पर उचित था और इससे मा० सदन की कोई अवमानना नहीं की गयी है । मा० राज्य मंत्री ने कहा है कि प्रश्न के उत्तर में मा० सदन को यह भी सूचना दी गयी कि जिला अस्पताल फैजाबाद में कार सेवकों के नाम पर किसी मद में कोई धनराशि अलग से व्यय नहीं की गयी, इस संबंध में प्रश्न के उत्तर में जो स्थिति बतायी गयी है वह सही है । वर्ष 1991 में जनपद फैजाबाद के जिला अस्पताल को औषधि की मद में रुपये एक लाख तथा सर्जिकल ड्रेसिंग की मद में रुपया 37,5000 का अतिरिक्त आवंटन किया गया था जिसका उपयोग अस्पताल के सामान्य रोगियों/पुलिस कर्मियों तथा कार सेवकों आदि के उपचार में किया गया । अतः माननीय सदन को दिये गये उत्तर के इस अंश से भी सदन की अवमानना की गयी नहीं प्रतीत होती है । मा० मंत्री ने यह भी कहा है कि मा० सदन में दिये गये उक्त उत्तर के संबंध में जब प्रश्नकर्ता मा० सदस्य द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना का प्रश्न उठाया गया तो पूछताछ करने पर महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने माह अक्टूबर, 1991 में यह अवगत कराया कि उन्हें उपरोक्त व्यय की गयी धनराशि में अनियमिततायें किये जाने की सम्भावना प्रतीत होती है । उक्त पूरे प्रकरण की जांच अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व से कराये जाने पर इसमें कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध गम्भीर अनियमितता किये जाने के तथ्य प्रकाश में आये ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस संबंध में मा० राज्य मंत्री जी अग्रेतर जानकारी मांगे जाने पर शासन के चिकित्सा अनुभाग–1 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार पूरे प्रकरण की जांच अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) फैजाबाद द्वारा करायी गयी जिसके परीक्षणोपरान्त दोषी पाये गये कतिपय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निलम्बित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने के आदेश किये जा चुके हैं।

प्रश्नगत मामले में मा० सदस्य की सूचना तथा इस संबंध में शासन से प्राप्त पत्रों में उल्लिखित तथ्यों पर सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 9-8-91 को संदर्भित प्रश्न का सदन में दिया गया उत्तर उक्त तिथि से पूर्व में प्राप्त सूचना के आधार पर दिया गया था और यह जानबूझ कर तथ्यों को छुपाकर सदन का अवमान करने की नियत से दिया गया प्रतीत नहीं होता है। मा० सदस्य ने इस संबंध कोई साक्ष्य अथवा प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत मामलों में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के आदेश भी दिये जा चुके हैं। दिनांक 9-8-91 को उत्तरित प्रश्न के संबंध में सूचना दिनांक 30-9-91 को दी गयी है। इस प्रकार यह विलम्बित भी है।

वर्णित स्थिति में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमान का प्रश्न अन्तर्गस्त प्रतीत नहीं होता है, अतः इसे मैं सदन में उठाने की अनुज्ञा नहीं देता हूं।]

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद सदस्य विधान सभा द्वारा श्री गिरिजा शंकर शुक्ल थानाध्यक्ष मऊ जनपद बांदा के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, सदस्य, विधान सभा ने श्री गिरिजा शंकर शुक्ल, थानाध्यक्ष, मऊ जनपद बांदा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 8-1-92 को दी, जो 13-1-92 को मुझे प्राप्त हुई है। सूचना के साथ मा० सदस्य ने उनके द्वारा भेजे गये तार दिनांक 30-12-91 की भी प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम वरियारी कलां, थाना मऊ जनपद बांदा में मा० सदस्य के साथ हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज करने में उक्त थानाध्यक्ष ने आना-कानी की तथा कहा कि इस तरह के विधायकों को मैंने देखा है चाहे विधायक हो या जनता, बराबर है।

प्रश्नगत मामले में मा० मुख्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी। अपने पत्र दिनांक 27-7-92 द्वारा मा० गृह राज्य मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि प्रश्नगत मामले में जिलाधिकारी बांदा एवं पुलिस उपमहानिदेशक झांसी परिक्षेत्र, झांसी से जांच कराई गयी। उन्होंने आगे कहा है कि मा० सदस्य जिस घटना के सम्बन्ध में रिपोर्ट लिखाना चाहते थे वह घटना ग्राम वरियारी कलां में 10 बजे घटित हुई और उसकी रिपोर्ट उसी दिन अपराह्न 1.00 बजे लिखी गयी थी एवं अपराध संख्या 232/91 दर्ज किया गया था। घटना स्थल से थाने की दूरी देखते हुए इतना समय लगना स्वाभाविक पाया गया तथा जांच से कोई ऐसी बात सामने नहीं आयी जिससे यह स्पष्ट हो कि मा० विधायक की रिपोर्ट दर्ज कराने में कोई आना-कानी की गयी हो। मा० राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि जांच में यह भी पाया गया कि मा० सदस्य को थाने में सम्मान दिया गया था। मा० राज्य मंत्री ने कहा है कि इस पूरी घटना के संबंध में जांच में किसी को कोई कदाशय प्रतीत नहीं हुआ है फिर भी भविष्य में अधिक सतर्कता

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बरतने के लिये श्री गिरिजा शंकर शुक्ला, निरीक्षक की व्यक्तिगत पत्रावली पर चेतावनी दिये जाने का निदेश दिया गया है ।

वर्णित स्थिति में प्रश्नगत मामले में प्रथम दृष्टया विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है । अतः मैं विशेषाधिकार हनन की उक्त सूचना को अस्वीकार करता हूं ।]

श्री लालजी वर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री सूर्यप्रताप शाही तत्कालीन गृह राज्य मंत्री के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री लाल जी वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने श्री सूर्य प्रताप शाही तत्कालीन मा० गृह राज्य मंत्री के विरुद्ध प्रक्रिया नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 10-3-92 को अभिसूचित की है । माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में यह उल्लेख किया है कि दिनांक 10-3-92 को जब वे अपने दल के विधायकों के साथ पथरदेवा, जनपद देवरिया में महिलाओं के साथ पुलिस द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के मामले को लेकर सदन में धरने पर बैठे थे तो उसी समय श्री सूर्य प्रताप शाही गृह राज्य मंत्री सदन के बीच में आये और मा० विश्वनाथ सिंह को देवरिया चलने एवं एक-एक की खबर लेने आदि की धमकी देने लगे ।

मा० सदस्य की सूचना के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन मा० गृह राज्य मंत्री का अभिकथन मांगा गया । इस संबंध में तत्कालीन मा० गृह राज्य मंत्री ने अपने अभिकथन दिनांक 15-5-92 मे यह उल्लेख किया है कि वे श्री विश्वनाथ सिंह तथा श्री लाल जी वर्मा सहित सभी विधायकों का व्यक्तिगत रुप से आदर तथा सम्मान करते हैं । मा० मंत्री का यह भी कथन है कि उनके द्वारा उपरोक्त कहे गये शब्दों का प्रयोग कदापि सम्भव नहीं है और न ही उन्होंने ऐसा कहा है ।

मा० सदस्य की सूचना तथा तत्कालीन मा० गृह राज्य मंत्री के अभिकथन पर सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मा० गृह राज्य मंत्री द्वारा मा० सदस्यों के प्रति व्यक्तिगत आदर एवं सम्मान व्यक्त करने के पश्चात् इस बारे में और जांच करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । अतः विशेषाधिकार हनन की उक्त सूचना को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं ।]

श्री भोला शंकर मौर्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री हरिराज सिंह, पुलिस अधीक्षक, बदायूं के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री भोला शंकर मौर्य, सदस्य, विधान सभा ने श्री हरिराज सिंह, पुलिस अधीक्षक, बदायूं के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन के अवमानना की सूचना दिनांक 11-3-92 को अभिसूचित की है । दिनांक 26-1-92 को एन० ए० इण्टर कालेज, बिलसी, बदायूं में मा० सदस्य पर हुए हमले के संबंध में दिनांक 14-2-92 को सदन में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर मा० मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के फलस्वरूप पुलिस अधिकारियों द्वारा उचित कार्यवाही न किये जाने के संबंध में मा० सदस्य का कथन है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा० मुख्य मंत्री ने चार आश्वासन दिये थे जिनमें से पहले के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण पर सी० आई० डी० के एस० पी० रैंक के अधिकारी से जांच के आदेश हो चुके हैं । दूसरा आश्वासन जो सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में है मा० सदस्य ने कहा है कि उनकी आवश्यकतानुसार पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गयी । केवल 2 आर्मड सिपाही दिये गये जबकि उन्होंने एक अतिरिक्त शैडो तथा आर्मड गार्ड की मांग की थी । तीसरे आश्वासन के संबंध में जो उनके हथियारों के लाइसेन्स निरस्त

करने के बारे में हैं मा० सदस्य का कहना है कि उनके हथियारों के लाइसेन्स को निरस्त नहीं किया गया है। चतुर्थ आश्वासन जो उनके क्षेत्र में उनके प्रति असम्मानजनक व्यवहार किये जाने के मामले में सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में है, माननीय सदस्य का कहना है कि इस संबंध में यदि कोइ निदेश दिए गये हो तो वे क्षेत्रीय अधिकारियों के व्यवहार से परिचलित होते। मा० सदस्य का आगे यह भी कहना है कि जब वे श्री हरिराज सिंह, पुलिस अधीक्षक से मिले तो उन्होने कहा कि आपको सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है मैं सब जानता हूं। मेरे विरूद्ध विधान सभा में काफी शोर किया और अधिक से अधिक विधान सभा में उठा सकते हो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है।

प्रश्नगत मामले में मा० मुख्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी एवं एस० पी० बदायूं का अभिकथन प्राप्त किया गया। शासन के गृह विभाग द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी एवं पुलिस अधीक्षक का अभिकथन मुलरूप से भेजा गया है। शासन ने कहा है कि मा० सदस्य श्री भोला शंकर मौर्य पर दिनांक 26-1-92 को एन० ए० इण्टर कालेज, बिलसी में किये गये हमले से संबंधित मामले में थाना विलसी पर मुकदमा अपराध संख्या 37/92 धारा 307/324/323/504/506 भा० दं० स० व धारा 3(1) (×) एस० सी०/एस० टी० एक्ट 1989 दिनांक 26-4-92 पंजीकृत कराया गया। शासन ने यह भी कहा है कि मा० सदस्य श्री भोला शंकर मौर्य एवं उनके साथियों द्वारा भूतपूर्व चेयरमैन, नगरपालिका, विलसी के घर पर चढ़कर मारपीट करने आदि के संबंध में भी अभियोग दिनांक 26-1-92 को ही थाना विलसी पर अपराध संख्या 37ए/92 धारा 147/148/149/452/364/504/506 भा० दं० वि० व अपराध संख्या 37/बी 92 धारा 147/148/336/323 भा० दं० वि० पंजीकृत हुआ। उपर्युक्त मुकदमों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को दिनांक 15-2-92 को अभिदिष्ट कर दी गयी है। शासन की आख्या में यह भी कहा गया है कि मा० सदस्य श्री भोला शंकर मौर्य को एक गनर दिया गया है और जब वे बदायूं आते हैं तो उन्हें 2 सशस्त्र कांस्टेबिल भी प्रदान कर दिये जाते हैं। मा० सदस्य के लाइसेन्स निरस्त करने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है पुलिस अधीक्षक श्री हरिराज सिंह ने भी मा० सदस्य द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर बिन्दुवार आख्या प्रस्तुत की है। शासन की आख्या एवं श्री हरिराज सिंह पुलिस अधीक्षक के अभिकथन मैं यह कहा गया है कि मा० सदस्य की छवि धूमिल करने एवं उनके साथ असम्मान जनक व्यवहार किसी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। मा० सदस्य पुलिस अधीक्षक से दिनांक 27-1-92 तथा 18-2-92 को मिले थे। उस समय पुलिस अधीक्षक द्वारा उन्हें अवगत कराया गया कि उनकी सुरक्षा के संबंध में जो शासन से आदेश मिलेगा उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

पुलिस अधीक्षक ने इस बात का भी खंडन किया है कि उन्होंने मा० सदस्य से यह कहा था कि उनके द्वारा उनके विरुद्ध विधान सभा में जो शोर मचाया गया है उसके कारण उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। शासन की आख्या एवं पुलिस अधीक्षक के अभिकथन में यह भी स्पष्ट किया गया हैं कि उनके द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है जिससे सदन की अवमानना हो। शासन का कहना है कि उक्त पुलिस अधीक्षक का मा० सदस्य श्री मौर्य व सदन के प्रति सदैव आदरपूर्ण एवं सम्मानजनक व्यवहार रहा है।

सम्पूर्ण मामले पर विचारोपरान्त प्राग्दर्शन में प्रश्नगत विषय में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता है। अतः माननीय सदस्य की उक्त सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं।]

श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा जिला अधिकारी (बाराबंकी) पुलिस अधीक्षक तथा उनके सहयोगी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दिये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा ने जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी एवं उनके सहयोगी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना अभिसूचित की है जो

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिनांक 31-3-92 को प्राप्त हुई है । मा० सदस्य का कथन है कि दिनांक 30-3-92 को अपने निवास स्थान नौतनवा, जनपद महराजगंज से कार द्वारा लगभग प्रातः 5.00 बजे वह विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने आ रहे थे तो उन्हें रामसनेही घाट, जनपद बाराबंकी के लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में रोक लिया गया जबकि मा० सदस्य ने जिलाधिकारी को अपना परिचय पत्र दिया और कहा कि वह विधान सभा सदस्य हैं एवं विधान सभा की बैठक में भाग लेने लखनऊ जा रहे हैं । मा० सदस्य ने आगे कहा कि बाद में उन्हें यह पता चला कि उनकी गिरफ्तारी मा० श्री मुलायम सिंह यादव के अयोध्या मार्च को देखते हुए की गयी है । मा० सदस्य ने यह भी कहा कि उक्त दिनांक को उन्हें 12 बजे से 5 बजे तक उक्त डाक बंगले में गिरफ्तार करके रोका गया और उनको विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने में बाधा पहुंचायी । उपरोक्त कार्यवाही जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी तथा उनके सहयोगी पुलिस कर्मियों द्वारा की गयी है । मा० सदस्य ने उक्त विशेषाधिकार हनन के प्रश्न को उठाने की अनुज्ञा चाही है ।

प्रश्नगत मामले में मैंने मा० मुख्य मंत्री जी से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की । विशेष सचिव, नियुक्ति अनुभाग-5 ने अपने पत्र दिनांक 22-4-92 के साथ जिलाधिकारी, बाराबंकी का पत्र दिनांक 10-4-92 तथा पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी के पत्र दिनांक 9-4-92 में प्राप्त आख्या मूल रूप में मुझे प्रेषित की है । पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में कहा है कि दिनांक 30-3-92 को मा० भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव के जत्थे के साथ ही मा० सदस्य श्री अखिलेश सिंह को लखनऊ से राम जन्म भूमि/बाबरी मस्जिद के संबंध में रामसनेही घाट पर शांति भंग होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए 450 व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार किया गया था, इनमें दो सांसद, 19 विधायक तथा 15 एम० एल० सी० थे । पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि मा० सदस्य का यह कहना सही नहीं है कि उन्हें लखनऊ की ओर जाते समय रोका गया था बल्कि उन्हें लखनऊ से अयोध्या की ओर जाते समय रोका गया था । जिलाधिकारी, बाराबंकी ने पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी की उपरोक्त आख्या से अपनी सहमति व्यक्त की है ।

दिनांक 30 मार्च, 1992 को मा० भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा राम जन्म भूमि/बाबरी मस्जिद स्थल अयोध्या के लिए प्रस्तावित मार्च के कारण शांति भंग की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन बाराबंकी द्वारा अनेक माननीय सदस्यों/सांसदों आदि के साथ माननीय सदस्य श्री अखिलेश सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था उक्त घटना के संबंध में दिनांक 31-3-92 को सदन में विपक्ष द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी थी । जिसमें शासन ने अपना पक्ष भी प्रस्तुत किया था । सम्पूर्ण स्थिति पर विचार करने पर इस मामले में दोषारोपित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मा० सदस्य को विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने में जानबूझ कर बाधा पहुंचाने का आरोप प्राग्दर्शन में सिद्ध नहीं होते है । अतः प्रश्नगत मामले को मैं विशेषाधिकार हनन के रूप में सदन में उठाने की अनुज्ञा नहीं देता हूं ।]

श्री राम स्वरूप वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा मा० कृषि मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

[मा० सदस्य श्री राम स्वरूप वर्मा ने मा० कृषि मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 31 मार्च, 1992 को अभिसूचित की है । मा० सदस्य का कहना है कि प्रथम सत्र 1992 के दूसरे बुधवार दिनांक 25-3-92 के अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर में मा० कृषि मंत्री जी ने

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जानबूझकर सदन को गुमराह किया है क्योंकि प्रथम सत्र 1992 के पहले बुधवार दिनांक 26-2-92 के अतारांकित प्रश्न संख्या 73 में मा० कृषि मंत्री ने स्वीकार किया है कि श्री मोती लाल, लेखाकार के विरुद्ध प्राप्त तथाकथित शिकायती-पत्र पर जांच कराने एवं उनका स्थानान्तरण रोक देने के आदेश हुए थे और दिनांक 25-3-92 को संदर्भित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर में श्रीमती इन्द्रावती के शिकायती पत्र में अंकित आरोपों को निराधार पाया गया जबकि जांच श्री मोतीलाल के विरुद्ध शिकायत पर थी । इसका उल्लेख अनु सचिव, कृषि अनुभाग–9 द्वारा अपर कृषि निदेशक (सामान्य), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजे गये अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 2 जून, 1988 में किया है जिसकी प्रतिलिपि भी मा० सदस्य ने संलग्न की है ।

मा० सदस्य का यह भी कथन है कि मा० कृषि मंत्री ने यह कह कर सदन को गुमराह किया है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री ने संबंधित कर्मचारी को योगदान कराने के आदेश नहीं दिये जबकि प्रश्न संख्या 73 में मा० कृषि मंत्री ने स्वीकार किया है कि मा० मुख्य मंत्री ने श्री मोती लाल, लेखाकार के विरुद्ध प्राप्त तथाकथित शिकायत की जांच कराने तथा उनके स्थानान्तरण को रोक देने के आदेश दिये, तो मा० सदस्य का आगे यह भी कहना है कि मा० कृषि मंत्री ने सदन को यह भी गलत सूचना दी है कि शासन ने कृषि निदेशक की आख्या के आधार पर श्री मोती लाल को पूर्व पद से स्थानान्तरण को उचित पाया जबकि मा० मुख्य मंत्री के आदेश स्थानान्तरण रोकने के थे उनसे स्थानान्तरण रोके जाने की पुष्टि होनी चाहिए थी ।

उक्त सूचना पर मा० कृषि मंत्री जी का अभिकथन मांगा गया । अपने पत्र दिनांक 26-6-92 द्वारा मा० कृषि मंत्री ने अवगत कराया है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री स्व० श्री वीर बहादुर सिंह को तत्कालीन नेता, विरोधी दल, श्री सत्य पाल सिंह यादव के पत्र के साथ श्रीमती इन्द्रा वर्मा (श्री मोती लाल की पत्नी) का शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर तत्कालीन मुख्य मंत्री ने जांच कराने तथा स्थानान्तरण रोकने के आदेश दिये थे । उक्त पत्र में नेता, विरोधी दल ने शिकायत की थी कि प्रार्थिनी के पति के विरुद्ध मा० सदस्य श्री मो० उमर के नाम से फर्जी शिकायत पर बिना जांच के श्री मोती लाल का स्थानान्तरण अन्य अनुभाग में कर दिया गया है । मा० मंत्री का कहना है कि श्री मोती लाल का स्थानान्तरण किसी विधायक की फर्जी शिकायत पर नहीं किया गया बल्कि उन्हें सम्प्रेक्षण अनुभाग में 10 वर्ष से अधिक समय तक कार्यरत रहने के कारण स्थानान्तरित किया गया था । मा० कृषि मंत्री ने कहा है कि प्रश्न संख्या 17 में तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 2-5-88 को भी श्री सत्य पाल सिंह यादव के पत्र पर जो आदेश, जांच के लिये पारित किया गया था, वह श्रीमती इन्द्रा वर्मा द्वारा की गयी शिकायत के लिये था अतः इस प्रश्न का उत्तर सही है । इसमें सदन को गुमराह करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

मा० सदस्य की सूचना के पैरा 2 में उल्लिखित आपत्ति के संबंध में मा० मंत्री ने कहा है कि श्री मोती लाल वर्मा को कृषि निदेशालय के सम्प्रेक्षण अनुभाग से दिनांक 27-8-87 को कार्यमुक्त कर दिया गया था जबकि मा० मुख्य मंत्री द्वारा उनके स्थानान्तरण रोकने के आदेश 2-5-88 को दिये गये थे । इस बीच उन्हें पेंशन अनुभाग, नियोजन अनुभाग तथा दलहन अनुभाग और उसके पश्चात् कृषि (सांख्यिकी) अनुभाग में स्थानान्तरित किया गया किन्तु उन्होंने किसी अनुभाग में कार्यभार ग्रहण नहीं किया और दिनांक 27-8-87 से कार्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं । इससे स्पष्ट है कि निदेशालय द्वारा उनका उत्पीड़न नहीं किया गया है ।

मा० सदस्य की सूचना के तृतीय पैरा की आपत्ति के संबंध में मा० मंत्री का यह कहना है कि मा० मुख्य मंत्री के आदेश जांच कराने और स्थानान्तरण रोकने के थे। जांच कराने पर यह पाया गया कि श्री मोती लाल का स्थानान्तरण सामान्य नियमों के अन्तर्गत उनके सम्प्रेक्षण अनुभाग में अधिक समय तैनात रहने के कारण किया गया था। किसी भी कर्मचारी को किसी एक कार्य-स्थल या अनुभाग विशेष में कार्य करते रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में श्री मोती लाल को सम्प्रेक्षण अनुभाग में पुनः स्थानान्तरित करने का योगदान कराने का औचित्य नहीं पाया गया। मा० कृषि मंत्री ने यह भी कहा है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों को देखते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में सदन को कोई गलत सूचना नहीं दी गयी है और सदस्य के विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

मैंने उक्त प्रकरण पर मा० सदस्य श्री राम स्वरूप वर्मा तथा मा० कृषि मंत्री जी को सुना। मा० कृषि मंत्री जी ने सभी संबंधित अभिलेख लेकर अपनी टिप्पणी का समर्थन किया। विधान सभा में दिये गये दोनों उत्तरों में एक बात स्पष्ट है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित मा० श्री राम स्वरूप वर्मा द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 17 में एक विधायक की शिकायत का उल्लेख किया गया था जबकि शासन द्वारा दिये गये उत्तर में श्री मोती लाल की पत्नी श्री इन्द्रा वर्मा के शिकायती पत्र का उल्लेख है। यह शिकायती पत्र श्री मोती लाल के विरुद्ध नहीं बल्कि उनके उत्पीड़न के विरुद्ध था। श्री मोती लाल के विरुद्ध एक शिकायती पत्र विधायक श्री मो० उमर के द्वारा भी दिया गया था।

दोनों पत्रों पर अलग-अलग जांच हुई। दोनों में जो आरोप थे वह निराधार पाये गये। विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के दूसरे बुधवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर में श्रीमती इन्द्रा वर्मा के शिकायती पत्र का उल्लेख है न कि श्री मो० उमर के पत्र का। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीमती इन्द्रा वर्मा के पत्र जिसमें शिकायत है कि उनके पति को उत्पीड़ित किया जा रहा है, को शिकायत समझ कर उत्तर तैयार किया गया। यह उत्तर इस सीमा तक भ्रामक है कि प्रश्न में मो० उमर, विधायक के शिकायती पत्र का उल्लेख है। मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर जानबूझ कर भ्रामक नहीं प्रतीत होता इसलिये जहां तक विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न है, यह सूचना निरस्त की जाती है। किन्तु यह उचित होगा कि मा० मंत्री जी प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या 166 के अन्तर्गत संबंधित प्रश्न का संशोधित उत्तर दें और भ्रामक उत्तर तैयार करने वाले संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करें।]

श्री मो० आजम खां, सदस्य, विधान सभा द्वारा मा० मुख्य मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री मोहम्मद आजम खां, सदस्य, विधान सभा ने मा० मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना, दिनांक 1-4-92 को अभिसूचित की है। मा० सदस्य का कथन है कि दिनांक 31-3-92 को विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह ने फतेहगंज मोहल्ला, जिला फैजाबाद में बम द्वारा क्षतिग्रस्त की जाने वाली मस्जिद को पहुंचने वाले नुकसान के संबंध में कहा कि वहां एक दीवार में नुकसान हुआ है और लगभग 1 मीटर दीवार में सुराख हो गया है

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तथा पड़ोस के घरों को मामूली नुकसान हुआ है । जबकि सत्य यह है कि मस्जिद की पुश्त की दीवार समाप्त हो गयी है, छत का भी पिछला हिस्सा उड़ गया है, करीब के कई मकानों का मलवा ढेर के रूप में पड़ा है ।

प्रश्नगत मामले में मा० मुख्य मंत्री से अभिकथन मांगा गया । मा० मुख्य मंत्री ने अपने अभिकथन में कहा है कि फैजाबाद के कसाईबाड़ा की मस्जिद में दिनांक 31-3-92 को प्रातः 4.45 पर घटित घटना के संबंध में उसी दिन सदन को अवगत कराया गया था । घटना का विवरण सही था किन्तु संक्षेप में था । सदन को किसी प्रकार गुमराह नहीं किया गया है । कसाईबाड़ा मस्जिद की उत्तरी दीवार में विस्फोट से एक मीटर व्यास का छेद तथा दरारें आ गयी थीं । यह दरारें ईंटों के गिरने से बढ़ती गयीं तथा अब उत्तरी दीवार का छेद बड़ा होकर "वी" आकार में हो गया है । मस्जिद की उत्तरी दीवार समाप्त नहीं हुई है । परन्तु इसमें क्षति हुई है । मस्जिद की छत का पिछला हिस्सा नहीं उड़ा था और मस्जिद की छत सुरक्षित है । क्षतिग्रस्त दीवार से अलग हुए 4.5 मीटर लम्बे और सवा मीटर चौड़े एक छोटे स्टोर कमरे की छत क्षतिग्रस्त हुई है । यह छत मस्जिद की छत से काफी कम ऊंचाई की थी ।

मा० मुख्य मंत्री ने आगे कहा है कि श्री खलील, श्री नवाब एवं श्री करीम उल्ला के मकानों को मामूली क्षति पहुंची है । श्री खलील के मकान का शौचालय क्षतिग्रस्त हो गया तथा कुछ दीवार के ईंटें उखड़ कर गिर गये । श्री नवाब के मकान की आंगन की एक दीवार टूटी है । श्री करीम उल्ला के मकान के आगे का छप्पर गिर गया है । घटना के संबंध में 2 व्यक्तियों को मामूली चोटें आयी थीं । क्षतिग्रस्त मकान मालिकों को 5-5 हजार रुपये तथा दो घायलों को 1-1 हजार रुपये की सहायता दुर्घटना के दिन ही वितरित कर दी गयी थी । मा० मुख्य मंत्री ने आगे कहा है कि बम विस्फोट से हुई क्षति की मरम्मत के लिये जिला प्रशासन ने मस्जिद की इन्तजामियां कमेटी के सदस्यों से बात की । जिला प्रशासन द्वारा मस्जिद की मरम्मत हेतु आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव इन्तजामियां कमेटी के सदस्यों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया जिससे मस्जिद के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका ।

मा० मुख्य मंत्री के उपरोक्त अभिकथन से विदित है कि प्रश्नगत विषय पर सदन को सूचना संक्षेप में दी गयी थी और घटना का विवरण सही था जिससे सदन को किसी प्रकार गुमराह नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त मा० सदस्य ने अपनी शिकायत के समर्थन में कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनके कथन की पुष्टि हो सके । वर्णित परिस्थिति में प्रश्नगत विषय में विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता है । अतः इसे मैं सदन में उठाने की अनुज्ञा नहीं देता हूं ।]

श्री अकबर हुसैन, सदस्य, विधान सभा द्वारा मा० मुख्य मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री अकबर हुसैन, सदस्य, विधान सभा ने मा० मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 8-4-92 को दी है । सूचना में मा० सदस्य का कहना है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के दूसरे सोमवार दिनांक 9-3-92 को निर्धारित उनके अतारांकित

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रश्न संख्या-24 का उत्तर मा० मुख्य मंत्री ने जानबूझ कर सदन को गुमराह करने के इरादे से तथा विभागीय भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की नियत से दिया है। मा० सदस्य का आगे कहना है कि जनपद मुरादाबाद में 10 लाख कुओं की योजना हेतु दिये गये धन के दुरुपयोग के संबंध में उन्होंने अपना पत्र दिनांक 12-11-91 स्वयं मा० मुख्य मंत्री को दिया था। उनका यह भी कहना है कि मा० मुख्य मंत्री से लिखित उत्तर प्राप्त होने के बाद वे स्वयं मा० मुख्य मंत्री कार्यालय गये और उन्होंने विधायक प्रकोष्ठ के अभिलेखों में 18 नवम्बर, 1991 के रजिस्टर में क्रम संख्या 12 पर उल्लिखित उक्त शिकायती पत्र मा० मुख्य मंत्री के आदेश से वन सचिव को भेजा गया जबकि मा० मुख्य मंत्री ने अपने उत्तर में उनके संदर्भित पत्र के प्राप्त न होने की बात कही है।

प्रश्नगत मामले में मा० मुख्य मंत्री से उनका अभिकथन मांगा गया.। मा० ग्राम्य विकास मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 24-10-92 द्वारा यह सूचित किया है कि मा० सदस्य के पत्र दिनांक 12-11-91 के ग्राम्य विकास विभाग में प्राप्त न होने के कारण उक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 24 का तद्नुसार उत्तर दिया गया था। वस्तुतः उक्त प्रश्न के दूसरे अंश में वर्णित संदर्भित पत्र पर कार्यवाही की बात पूछी गयी है। उन्होंने आगे कहा है कि मा० सदस्य के पत्र के संबंध में वन (अनुभाग–4) के शासनादेश दिनांक 20-12-91 द्वारा कार्यवाही की गयी है। मा० मंत्री का आगे कहना है कि प्रश्नगत पत्र ग्राम्य विकास विभाग में प्राप्त न होने एवं उसके बारे में जानकारी न होने के कारण कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव न था। इससे स्पष्ट है कि उक्त प्रश्न का उत्तर देने में किसी प्रकार की गुमराहपूर्ण कार्यवाही नहीं की गयी है।

सम्पूर्ण प्रकरण पर विचारोपरान्त ऐसा प्रतीत होता है कि मा० सदस्य का पत्र दिनांक 12-11-91 ग्राम्य विकास विभाग में न प्राप्त होने के कारण ऐसा उत्तर दे दिया गया। यद्यपि उसमें सदन को जानबूझ कर गुमराह करने का आशय नहीं था फिर भी शासन स्तर पर प्रश्नोत्तर तैयार करते समय पर्याप्त सतर्कता नहीं बरती गयी अन्यथा ऐसी स्थिति न उत्पन्न होती। वर्णित स्थिति में मैं विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के उक्त प्रश्न को सदन में उठाने की अनुज्ञा नहीं देता हूं। फिर भी शासन से यह अपेक्षा करता हूं कि प्रश्नों के उत्तर देते समय पर्याप्त सतर्कता बरती जाया करे।]

श्री महराज सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री दिवेश कुमार चतुर्वेदी, परगना अधिकारी, भर्थना जनपद इटावा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री महराज सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत श्री दिवेश कुमार चतुर्वेदी, परगनाधिकारी, भर्थना, जिला इटावा के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं अवमानना की सूचना दिनांक 10-4-92 को दी है। माननीय सदस्य की शिकायत है कि जन समस्याओं को लेकर पूर्व निश्चित कार्यक्रमानुसार वे दिनांक 18-2-92 को श्री चतुर्वेदी से मिले तो उन्होंने उन्हें अपमानित किया और विधान सभा को गुण्डों का अड्डा बताते हुए विधान सभा से ठिकाने लगाने की धमकियां दी। उक्त घटना के संबंध में माननीय सदस्य ने मुझे दिनांक 18-2-92 को एक तार भी भेजा था, जिसमें उन्होंने अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग की थी।

नोट:— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रश्नगत मामले में माननीय मुख्य मंत्री से वस्तुस्थिति की ज़ानकारी मांगी गयी । शासन के नियुक्ति अनुभाग–5 के विशेष सचिव ने अपने पत्र दिनांक 26-5-92 द्वारा सूचित किया है कि श्री महराज सिंह यादव तथा एक अन्य व्यक्ति की साझे की चावल मिल है तथा दोनों विद्युत देयो के बकायेदार हैं । श्री यादव उक्त व्यक्ति विद्युत देयों की वसूली की कार्यवाही उनके विरुद्ध न किये जाने के उद्देश्य से परगनाधिकारी से मिलने गये थे । वसूली के अभियान के अन्तर्गत सामान्य प्रक्रिया के अनुसार बकाये का भुगतान न होने पर परगनाधिकारी, भर्थना द्वारा उनकी चल सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही की गयी, जिससे क्षुब्ध होकर मा० विधायक द्वारा निराधार एवं असत्य शिकायत की गयी है । शासन द्वारा उक्त पत्र के साथ जिलाधिकारी की रिपोर्ट भी संलग्न की गयी है, जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया है कि श्री चतुर्वेदी ने मा० सदस्य के साथ कोई गाली-गलौज या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया ।

माननीय सदस्य की सूचना तथा इसके संबंध में शासन द्वारा स्पष्ट की गयी स्थिति पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दिनांक 18-2-92 को मा० सदस्य परगनाधिकारी, भर्थना से मिलने गये थे परन्तु उनका यह कृत्य सदन अथवा उसकी किसी समिति के सदस्य की हैसियत से किये गये कार्य से संबंधित नहीं था । इसके अतिरिक्त दिनांक 18-2-92 की घटना के संबंध में विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 10-4-92 को अभिसूचित की गयी है । इस प्रकार यह विलम्बित भी है ।

अतः प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन अथवा अवमान का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त होना प्रतीत नहीं होता है और मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।]

श्री बलराम यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा मा० ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री बलराम यादव, सदस्य, विधान सभा ने मा० ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना अभिसूचित की, जो मुझे दिनांक 28-4-92 को प्राप्त हुई है । इसमें मा० सदस्य ने कहा है कि प्रथम सत्र 1992 के पांचवें बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 173 के उत्तर में मा० ऊर्जा मंत्री ने बताया है कि टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना के निर्माण से प्रभावित किसान परिवार को नौकरी दिये जाने के लिये वर्ष 1990-91 तथा वर्ष 1991-92 में कोई सार्वजनिक विज्ञप्तियां प्रकाशित नहीं करायी गयीं । अतः सेवायोजन प्रदान करने का कोई प्रश्न नहीं उठता तथा 62 कृषकों का चिकित्सीय परीक्षण तथा चरित्रपूर्ण वृत्त इस आशय से कराया गया था कि परियोजना के लिये जब पद स्वीकृत होंगे इनकी नियुक्तियों पर विचार किया जायेगा । मा० सदस्य की शिकायत है कि मा० मंत्री का उत्तर सत्यता से परे है, सही तो यह है कि उक्त परियोजना में स्वीकृत पद उपलब्ध हैं और अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जनपद निर्माण मण्डल, टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, विद्युत नगर, फैजाबाद द्वारा दिनांक 15-4-92 सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी की गयी जिसमें 100 प्रतिशत प्रभावित सदस्यों के समायोजन हेतु 5, 6, 7 मई, 1992 की तिथि निर्धारित की गयी थी ।

प्रश्नगत मामले में मा० ऊर्जा मंत्री का अभिकथन प्राप्त किया गया । अपने पत्र दिनांक 23-6-92 में मा० ऊर्जा मंत्री ने यह कहा है कि प्रश्नगत प्रश्न के उत्तर में यह अवगत कराया गया था कि वर्ष

नोटः—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

1990-91, 1991-92 में कोई भी सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं करायी गयी थी, बल्कि विद्युत परिषद् के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 8-4-92 द्वारा वर्ष 1992-93 में टाण्डा विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी के 20 रिक्त पदों के विरुद्ध परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों में से ही भरे जाने की अनुमति विद्युत परिषद् द्वारा प्रदान की गयी थी और इसी क्रम में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जनपद निर्माण मण्डल, टाण्डा परियोजना की सूचना दिनांक 15-4-92 द्वारा, जो 100 प्रतिशत प्रभावित किसानों को दिनांक 31-8-88 तक सेवायोजन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये थे, के अतिरिक्त 100 प्रतिशत प्रभावित कृषक शेष कृषकों से 25-4-92 तक वांछित अभिलेखों सहित प्रार्थना पत्र मांगे गये । माननीय ऊर्जा मंत्री का आगे कहना है कि उपर्युक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 1990-91 व 1991-92 में कोई सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी नहीं की गयी थी वरन् वर्ष 1992-93 (15 अप्रैल, 1992) को एक उपर्युक्त सन्दर्भ से सम्बन्धित सूचना अवश्य जारी की गयी थी ।

माननीय सदस्य की सूचना एवं मा० ऊर्जा मंत्री के अभिकथन पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत मामले में कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि मा० ऊर्जा मंत्री ने तथ्यों को छुपा कर, गलत उत्तर सदन में देकर सदन को जानबूझ कर गुमराह करके इसकी अवमानना की है । वर्णित स्थिति में प्राग्दर्शन में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन अथवा सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है । अतः मैं इसे इस रूप में उठाने की अनुज्ञा नहीं देता हूं ।]

कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री सुरेन्द्र नाथ, श्री नरेश अग्रवाल, श्री ऊदल तथा श्री सुरेन्द्र सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा सहकारिता मंत्री श्री सुधीर कुमार बालियान के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, श्री नरेश अग्रवाल, श्री ऊदल तथा श्री सुरेन्द्र सिंह, सदस्यगण, विधान सभा ने मा० सहकारिता मंत्री श्री सुधीर कुमार बालियान के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की एक सूचना दिनांक 28-4-92 को दी है । मा० सदस्यों की शिकायत है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के प्रथम शुक्रवार दिनांक 14-2-92 के अतारांकित प्रश्न संख्या 32 के उत्तर में मा० सहकारिता मंत्री ने सूचना दी है कि कोई पद रिक्त नहीं है और नियुक्ति का कोई प्रश्न नहीं है , जबकि विधान परिषद् के प्रथम सत्र 1992 के दूसरे बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 2 में कुल 12 पद रिक्त बताये गये हैं तथा नियुक्तियां आवश्यकतानुसार की जायेंगी, की सूचना दी गयी है । मा० सदस्यों ने कहा है कि वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 6-2-86 से 31-7-89 तक की 3 वर्ष 8 माह की अवधि में निरन्तर कार्यरत श्री लक्ष्मीकान्त दीक्षित की सेवा अकारण ही समाप्त कर दी गयी तथा दिनांक 21-1-87 को नवभारत टाइम्स समाचार पत्र में प्रकाशित अवर अभियन्ता (सिविल) की नियुक्ति मात्र 89 दिनों के लिये की गयी थी । समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् आज भी वह कार्यरत हैं ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रश्नगत मामले में मा० सहकारिता मंत्री श्री सुधीर कुमार बालियान का अभिकथन प्राप्त किया गया। मा० मंत्री का कथन है कि तारांकित प्रश्न संख्या 2 में जिन 25 अवर अभियन्ताओं (सिविल) की नियुक्ति की तिथियां प्रश्न के अनुसार उल्लिखित हैं उनमें से अवर अभियन्ता नियुक्त किये गये थे उन्हीं के विषय में यह उल्लेख किया गया था कि उनसे व्यवधान के साथ कार्य लिया जा रहा है। व्यवधान के साथ कार्यरत अभियन्ताओं की संख्या व्यक्त नहीं की गयी थी और न उनकी संख्या के संबंध में प्रश्न पूछा गया था। मा० सहकारिता मंत्री ने कहा है कि वास्तव में उस तिथि को 17 अवर अभियन्ता (सिविल) कार्यरत रहे जिनसे एन० सी० डी० सी० योजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, पी० सी० एफ० के स्तर से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 31-क के अधीन 89 दिन की अवधि पूर्ण होने के बाद पुनः 89 दिन के लिये कार्यहित में नियोजित किया जा रहा है किन्तु निबन्धक द्वारा सृजित 25 पद दिनांक 31-3-87 को ही समाप्त हो गये थे। अतः उत्तर में यह कहा जाना कि कोई पद निबन्धक स्तर से सृजित 25 पदों के विरुद्ध उत्तर दिये जाने की तिथि में अथवा उससे पूर्व 31-3-87 के पश्चात् रिक्त नहीं थे, यह सर्वथा प्रमाणित और अभिलेखों के आधार पर सत्य है। मा० मंत्री का कहना है कि निबन्धक, सहकारी समितियों के पत्रांक दिनांक 17-1-89 द्वारा अवर अभियन्ता (सिविल) के 21 पद अन्य तकनीकी पदों के साथ सृजित किये गये थे। इनके विरुद्ध 9 अवर अभियन्ता (सिविल) व्यवधान सहित समायोजित हो गये तथा इन्हीं नियमित पदों में से 12 पद रिक्त होने की सूचना तारांकित प्रश्न-2 के उत्तर के संदर्भ में दी गयी थी। वर्तमान समय में उक्त 12 पदों के विरुद्ध व्यवधान सहित कार्यरत अन्य 10 अवर अभियन्ता व्यवधान रहित व्यवस्था में दिनांक 28-3-92 से समायोजित कर लिये गये हैं तथा 2 पद आरक्षित हैं।

मा० सहकारिता मंत्री ने आगे कहा है कि श्री लक्ष्मीकान्त दीक्षित की सेवा समाप्त किये जाने के संबंध में स्थिति यह है कि आदेश दिनांक 5-2-86 द्वारा 12 अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति सिविल पदों हेतु तदर्थ एवं अस्थाई आधार पर मात्र 180 दिन पूर्व भी बिना पूर्व सूचना के समाप्त किये जाने की शर्त सहित थी। इसी में श्री लक्ष्मीकान्त दीक्षित का भी नाम था, श्री लक्ष्मीकान्त दीक्षित की सेवायें दिनांक 30-9-87 को समाप्त की गयीं और आदेश में समस्त 10 अवर अभियन्ता (सिविल) थे। श्री लक्ष्मीकान्त दीक्षित मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर दिनांक 3-10-86 से पुनः कार्यरत हो गये थे। तदोपरान्त दिनांक 3-3-89 को मा० उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका खारिज कर दिये जाने के फलस्वरूप दिनांक 1-8-89 को मा० उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में इन्हें तथा अन्य को सेवा से पृथक कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनकी एस० एल० पी० दिनांक 26-2-90 को अस्वीकृत हो गयी तथा दिनांक 31-12-90 को अध्यक्ष, यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन के निर्णयानुसार श्री लक्ष्मीकान्त दीक्षित का सेवा संबंधी प्रकरण निस्तारित हो चुका है।

मा० सदस्य की सूचना तथा इसके संबंध में मा० सहकारिता मंत्री के पत्र दिनांक 21-7-92 पर सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मा० सदस्य ने सूचना के साथ कोई ऐसा प्रमाण संलग्न नहीं किया है जिसके आधार पर उनके इस कथन की पुष्टि हो सके कि मा० मंत्री द्वारा संदर्भित प्रश्न का उत्तर सत्य से परे व सदन को गुमराह करने वाला दिया गया है। वैसे भी प्रश्नगत सूचना विधान परिषद् में पूछे गये तारांकित प्रश्न पर आधारित है और परिषद् में कही गयी बातों को विधान सभा द्वारा संज्ञान में नहीं लिया जाता, यह सर्वमान्य सिद्धान्त है। इसके अतिरिक्त, प्रश्नगत सूचना विलम्बित भी है। अतः वर्णित परिस्थिति में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है, और मैं इसे इस रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।]

श्री दिवाकर विक्रम सिंह तथा श्री सुरेश प्रताप गांधी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा सहकारिता मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री दिवाकर विक्रम सिंह तथा श्री सुरेश प्रताप गांधी, सदस्यगण, विधान सभा ने माननीय सहकारिता मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की एक सूचना दिनांक 28-4-92 को दी है । मा० सदस्यों का कहना है कि प्रथम सत्र 1992 के दिनांक 24-4-92 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1में प्राथमिक सहकारी समिति से लेकर श्रीर्षस्थ तक के लम्बित चुनाव के संबंध में जानकारी चाही गयी थी । माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया कि नियमावली, 1968 के नियम 440(1) में किये गये संशोधन तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न केन्द्रीय सहकारी समितियों की प्रबन्ध समिति द्वारा की गयी याचिकाओं में पारित आदेश को देखते हुए प्राथमिक सहकारी समितियां किस तरह से प्रभावित हुई हैं और उनका चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है । माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि माननीय मंत्री के मूल उत्तर में ही स्थगन आदेश केवल केन्द्रीय सहकारी समिति तक ही सीमित है और इसमें जानबूझकर एक प्रमुख तथ्य प्राथमिक सहकारी समितियों के चुनाव को छुपाने का प्रयास कर सदन को गुमराह करने का प्रयास किया गया है । मा० सदस्यों ने आगे यह कहा है कि मा० सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में मा० मंत्री ने कहा कि जब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश मिल जायगा तब चुनाव करा दिये जायेंगे परन्तु आप द्वारा पुनः यह पूछा गया कि क्या स्थगन आदेश चुनाव नहीं कराने के हैं तो मा० मंत्री ने उत्तर दिया कि ऐसा कोई आदेश उनके संज्ञान में नहीं है । मा० सदस्यों ने सूचना के साथ मा० उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 772 आफ 1992 में दिये गये निर्णय की फोटोस्टेट प्रति संलग्न की है तथा यह भी कहा है कि लगभग सभी याचिकाएं इसी प्रकृति की हैं और यह चेयरमैन नामित किये जाने से संबंधित है और चुनाव कराने अथवा न कराने के संबंध में कोई भी आदेश मा० उच्च न्यायालय के नहीं हैं ।

प्रश्नगत मामले में मा० सहकारिता मंत्री से उनका अभिकथन मांगा गया । मा० सहकारिता मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर शासन के सहकारिता अनुभाग-1 ने अपने पत्र दिनांक 31-7-92 द्वारा अभिकथन प्रेषित किया है । इसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रदेश की 89 केन्द्रीय सहकारी समितियों द्वारा मा० उच्च न्यायालय में याचिकाएं प्रस्तुत कर अपनी निर्वाचित प्रबन्ध कमेटियों, जिनका कार्यकाल वर्ष 1991 में समाप्त हो रहा था, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम 445 के अधीन निर्धारित तीन वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद आगामी निर्वाचन तक कार्यरत रहने के स्थगन आदेश प्राप्त किये गये । साथ ही उक्त समितियों में न्यायालय द्वारा परस्पर विरोधी अन्तरिम आदेश पारित किये गये । उदाहरणार्थ जिला सहकारी संघ लि०, गोरखपुर की प्रबन्ध कमेटी द्वारा दायर याचिका सं० 2986/91 में यह आदेश दिनांक 13-9-91 को पारित किये गये कि केन्द्रीय समिति के निर्वाचन तभी सम्पन्न कराये जायें जबकि उनसे सम्बद्ध प्रारम्भिक समितियों के निर्वाचन सम्पन्न हो जायें । इसके विपरीत जिला सहकारी संघ लि०, शाहजहांपुर, बाराबंकी, गाजीपुर के संबंध में न्यायालय द्वारा पुराने प्रतिनिधियों पर ही सहकारी नियमावली के नियम 89 के प्राविधानों के अधीन निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित याचिकाओं में अन्तरिम आदेश पारित किये गये ।

नोटः— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उपर्युक्त भ्रामक स्थिति से निबन्धक के सम्मुख प्रारम्भिक समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के संबंध में दुविधाजनक स्थिति उत्पन्न हुई । प्रारम्भिक समितियों के निर्वाचन की तिथियां निर्धारित किये जाने की स्थिति में जिन केन्द्रीय समितियों के निर्वाचन न्यायालय की विभिन्न अन्तरिम आदेशों के अनुपालन में नियम 89 के प्राविधानों के अधीन सम्पन्न कराये जा चुके हैं, की सामान्य निकाय में नवनिर्वाचित प्रारम्भिक समितियों के प्रतिनिधियों को मतदान के अधिकार से वंचित रहना पड़ेगा, जो शासन द्वारा नियम 440(1) में शासकीय अधिसूचना दिनांक 13-1-92 के प्राविधानों के विपरीत होगा । शासन से प्राप्त अभिकथन में कहा गया है कि केन्द्रीय समितियों के निर्वाचन संबंधी अन्तरिम आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए जिनमें न्यायालय ने वर्ष 1991 में उनकी प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु निर्देश दिये थे, जिला सहकारी संघ, केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार तथा जिला सहकारी बैंकों की प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन हेतु निबन्धक स्तर से निर्वाचन सम्पन्न कराये गये । उक्त अभिकथन में यह कहा गया है कि प्रदेश की प्रारम्भिक समितियों के निर्वाचन केंन्द्रीय समितियों में न्यायालय द्वारा पारित परस्पर विरोधी अन्तरिम आदेशों तथा शासन द्वारा नियम 440(1) में किये गये संशोधन से प्रभावित है । मा० उच्च न्यायालय के द्वारा प्रारम्भिक समितियों का निर्वाचन कराये बिना केन्द्रीय समितियों का निर्वाचन कराये जाने विषयक अन्तरिम आदेशों के अनुपालन के कारण प्रारम्भिक समितियों के निर्वाचन हेतु अन्तरिम आदेशों के अनुपालन के कारण प्रारम्भिक समितियों के निर्वाचन हेतु बनायी गयी योजनाओं का क्रियान्वयन लम्बित हो गया । शासन द्वारा प्रेषित उक्त अभिकथन में यह भी कहा गया है कि प्रश्नगत अल्पसूचित तारांकित प्रश्न में मा० सदस्य द्वारा प्रारम्भिक समितियों से लेकर सीधे संस्थाओं तक के निर्वाचन 30-6-92 तक करवाने विषयक प्रश्न किया गया जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम 440 में निर्वाचन क्षेत्रों के अवधारण एवं निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने के पूर्व निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम के प्रकाशन समयावधि विषयक प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में सम्पन्न कराये जाने सम्भव नहीं है । शासन ने अभिकथन में मा० उच्च न्यायालय द्वारा जिन सहकारी संस्थाओं में पूर्णतः उनकी प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा कालान्तर में निर्वाचन सम्पन्न न कराये जाने विषयक अन्तरिम आदेश पारित किये हैं उनका विवरण भी अंकित किया है ।

मा० सदस्यों की सूचना तथा इस संबंध में शासन के पत्र में उल्लिखित तथ्यों का मैंने अवलोकन किया है प्रश्नगत मामले में स्थिति स्पष्ट हो गयी है और इसमें कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि मा० सहकारिता मंत्री द्वारा सदन में दिया गया उत्तर जानबूझकर सदन को गुमराह करने के उद्देश्य से दिया गया है । अतः वर्णित परिस्थिति में प्रश्नगत मामले को मैं विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप मे अस्वीकार करता हूं ।]

श्री अखिलेश सदस्य, विधान सभा द्वारा मा० लोक निर्माण मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार के हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा ने मा० लोक निर्माण मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना अभिसूचित की है जो दिनांक 11-5-92 को प्राप्त हुई है । मा० सदस्य का कहना है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 92 के छठे गुरुवार दिनांक 9-4-92 के लिये

नोट :— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के उत्तर में मा० लोक निर्माण मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि जनपद बहराइच के सांसद एवं विधायक का शिकायती पत्र दिनांक 18-8-91 उन्हें प्राप्त हुआ है परन्तु प्रश्नांकित माप पुस्तिका की छाया प्रति उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। जबकि माप पुस्तिका की फोटो प्रति का उक्त शिकायती पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

मा० मंत्री ने दिनांक 20-8-91 को सचिव को आदेश करते हुए लिखा था कि जांच करवाकर आख्या प्रस्तुत करें। उस समय मा०. मंत्री जी ने यह प्रश्न नहीं उठाया कि मापी पुस्तिका की छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न नहीं है। मा० सदस्य ने आगे कहा है कि प्रश्न के उत्तर में यह कहना सच्चाई से परे और जानबूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश है कि उन्हें मापी पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त नहीं हुई।

प्रश्नगत मामले में मा० लोक निर्माण मंत्री का अभिकथन मांगा गया। अपने पत्र दिनांक 3 जुलाई, 1992 में मा० मंत्री का कथन है कि रामवृक्ष यादव, अवर अभियन्ता के कथित भ्रष्टाचार एवं मांगों पर अवैधानिक भुगतान संबंधी शिकायतों विषयक श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी सांसद का पत्र दिनांक 18 अगस्त, 1991 उनके कार्यालय में दिनांक 20-8-91 को प्राप्त हुआ परन्तु उक्त पत्र में वर्णित माप पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त नहीं हुई। उक्त पत्र दिनांक 10-9-91 को जांच हेतु मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद को भेजा गया था जिसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि मा० सांसद के पत्र में उल्लिखित मापी पुस्तिका की फोटो प्रति शासन में प्राप्त नहीं हुई।

मा० मंत्री का यह भी कहना है कि वर्णित परिस्थितियों में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अतारांकित प्रश्न संख्या 69 का प्रथम भाग के उत्तर में संदर्भित शिकायती पत्र का प्राप्त होना स्वीकार किया गया। चूंकि मापी पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त नहीं हुई, इस प्रकार प्रश्नगत उत्तर के संबंध में कोई तथ्य न तो छिपाये गये और न ही सदन को गुमराह किया गया।

विशेषाधिकार की अवहेलना का मामला तभी उठता है जब मा० मंत्री जानबूझकर सदन को गुमराह करने के उद्देश्य से गलत बयानी करें। प्रश्नगत विषय में मा० मंत्री द्वारा उल्लिखित तथ्यों से ऐसा कोई मामला नहीं प्रतीत होता। इसके अतिरिक्त सूचना विलम्बित भी है क्योंकि दिनांक 9-4-92 के प्रश्नोत्तर के संबंध में यह दिनांक 11-5-92 को दी गयी है.। अतः वर्णित परिस्थिति में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना की उक्त सूचना को मैं सदन में उठाने की अनुज्ञा नहीं देता हूं।]

श्री राम प्रसाद सिंह व श्री ऊदल, सदस्यगण विधान सभा द्वारा तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री लाल जी टण्डन के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री राम प्रसाद सिंह एवं श्री ऊदल, सदस्यगण, विधान सभा ने तत्कालीन एवं मा० ऊर्जा मंत्री श्री लाल जी टण्डन के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 12-5-92 को दी है। मा० सदस्यगण का कहना है कि प्रथम सत्र, 1992 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 41 के उत्तर में मा० मंत्री जी ने अन्य बातों के अलावा यह कहा था कि जांच रिपोर्ट शासन को दिनांक 10-2-92 को प्राप्त हुई और जांच रिपोर्ट को लोकहित में सदन के पटल पर रखना उचित नहीं है तथा यह भी कहा गया कि जांच अधीक्षण अभियन्ता (सिविल), इलाहाबाद द्वारा करवाई गई। उनका आगे कहना है कि दूसरी ओर प्रथम सत्र 1992 के चौथे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 87

नोट:— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के उत्तर में यह कहा गया कि सूचना एकत्र की जा रही है। इस प्रकार स्पष्टतया सदन को गुमराह किया गया है।

प्रश्नगत मामले में मा० ऊर्जा मंत्री का अभिकथन प्राप्त किया गया। तत्कालीन मा० ऊर्जा मंत्री श्री लाल जी टण्डन ने अपने पत्र दिनांक 20-6-92 में कहा है कि प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 41 में राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 400 के० वी० उपकेन्द्र सारनाथ, वाराणसी के निर्माण कार्य की गोपनीय जांच कराये जाने के विषय में अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् को दिये गये पत्र दिनांक 20-9-91 की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रकरण में कराई गयी जांच आदि की स्थिति की जानकारी चाही गयी थी और उसका सदन में विस्तृत रूप से उत्तर दिया गया था। दूसरी ओर चौथे बुधवार हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 87 के संदर्भ में समय से सूचना एकत्र न हो सकने के कारण अन्तरिम उत्तर दिया गया था। उनका आगे कहना है कि जब उपर्युक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 87 उसी सत्र के छठे बुधवार हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 209 के रूप में पुनः निर्धारित हुआ तब पूर्व में सदन में दिये जा चुके उत्तर को दृष्टि में रखते हुए उक्त प्रश्न को पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त करने हेतु विधान सभा सचिवालय से दिनांक 16 अप्रैल, 1992 को अनुरोध किया गया और अन्ततः उक्त प्रश्न के निरस्तीकरण की सूचना प्राप्त हो गयी।

मा० ऊर्जा मंत्री का यह भी कहना है कि जहां तक जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे जाने का सम्बन्ध है, रिपोर्ट शासन में दिनांक 10-2-92 को प्राप्त हुई और जिसमें कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये। चूंकि शासन स्तर पर उक्त रिपोर्ट का परीक्षण अवशेष था, अतएव उसके बाद ही रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाना उपर्युक्त समझा गया था। इस प्रकार उक्त अतारांकित प्रश्नों के उत्तर देते समय सदन को भ्रमित किये जाने की कोई मंशा नहीं थी।

सम्पूर्ण मामले पर सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है क्योंकि ऐसे मामलों में समय-समय पर अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों में कहा गया है कि जानबूझकर गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने पर ही विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया जा सकता है। मा० सदस्यों ने मा० ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की जो शिकायत की है उसके पक्ष में उन्होंने कोई ऐसा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि मा० मंत्री द्वारा जानबूझ कर सदन में गलत बयानी की गयी है। वर्णित परिस्थितियों में विशेषाधिकार हनन की उक्त सूचना को मैं सदन में उठाने की अनुज्ञा नहीं देता हूं।]

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, सदस्य, विधान सभा द्वारा मा० मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, सदस्य, विधान सभा ने मा० मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दिनांक 12-5-1992 को अभिसूचित की है। प्रथम सत्र 1991 के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-48 के उत्तर के संबंध में मा० सदस्य ने यह आपत्ति की है कि उत्तर के प्रथम प्रस्तर में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नैनी आवासीय योजना हेतु अधिग्रहीत की गयी

नोट:— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भूमि में से भूखण्ड 28 व 91 से मात्र दो व्यक्तियों के अनाधिकृत निर्माण को हटाने का उल्लेख है जबकि दिनांक 7-2-87 को लगभग 20 व्यक्तियों के मकान गिराये गये थे । उनका आगे कहना है कि उत्तर के दूसरे प्रस्तर मे उल्लेख किया गया है कि मामला विधान परिषद् की वित्तीय एवं प्रशासनिक विलम्ब समिति के विचाराधीन है किन्तु समिति द्वारा प्राधिकरण की अगली कार्यवाही पर रोक नहीं लगायी गयी है । इस संबंध में मा० सदस्य का कहना है कि उक्त समिति ने प्राधिकरण के सचिव को दिनांक 16-1-1990 को स्पष्ट निर्देश दिया था कि अन्तिम निर्णय होने तक यथास्थिति बनाये रखें । उत्तर के तीसरे प्रस्तर के संबंध में मा० सदस्य का कहना है इसमें प्रश्नगत भूमि का कब्जा दिनांक 2-4-1985 को लिये जाने का उल्लेख है जब कि उक्त गिराये गये मकानों के अधिग्रहण की सूचना दिनांक 6-3-1987 के द्वारा जारी हुई है मा० सदस्यों ने उक्त तथ्यों की पुष्टि में कतिपय पत्र, गजट आदि की फोटो प्रतियां संलग्न की है ।

प्रश्नगत मामले में मा० मुख्य मंत्री का अभिकथन मांगा गया । माननीय नगर विकास मंत्री एवं आवास मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 10-9-1992 में कहा है कि प्रश्नगत क्षेत्र में अधिग्रहण की कार्यवाही दो समय में की गयी थी । सर्वप्रथम अधिसूचना दिनांक 16-6-1983 को गजट में प्रकाशित हुई थी जिसके आधार पर प्राधिकरण ने भूखण्ड संख्या 28 तथा अन्य भूखण्डों का कब्जा दिनांक 2-4-1985 को लिया था । मा० मंत्री जी ने आगे कहा है कि मा० सदस्य ने जो दिनांक 6-3-1987 की अधिसूचना की बात कही है वह अधिग्रहण के द्वितीय चरण से संबंधित है । इस प्रकार उत्तर तथ्यात्मक और सही है तथा इसमे कोई गलत बयानी का प्रश्न नहीं उठता है । मा० मंत्री ने आगे कहा है कि जहां तक वित्तीय एवं प्रशासकीय विलम्ब समिति द्वारा रोक लगाये जाने का प्रश्न है इस संबंध में उक्त समिति ने दिनांक 18-1-1990 को सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण को सीधे निर्देश दिये थे और इसकी जानकारी शासन स्तर पर नहीं थी । उन्होंने यह भी कहा है इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर शासन द्वारा उत्तर दिया गया और आदरणीय सदन को गलत सूचना देने अथवा गुमराह करने की कोई मंशा नहीं थी । माननीय मंत्री ने यह भी कहा है कि उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण को इस बिन्दु पर गलत सूचना दिये जाने के लिये दायित्व निर्धारित करने एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

मैंने मा० सदस्य की सूचना तथा इस संबंध में मा० नगर विकास एवं आवास मंत्री के अभिकथन पर सम्यक् रूप से विचार किया है । इस मामले में कोई ऐसा तथ्य नहीं पाया गया जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि सदन को गुमराह करने के उद्देश्य से मा० मंत्री द्वारा जानबूझकर कोई असत्य बात कही गयी है । मामले में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर ही सदन में उत्तर दिया गया और गलत सूचना दिये जाने के लिये दायित्व निर्धारित करने तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के आदेश भी दिये जा चुके हैं । इसके अतिरिक्त प्रश्नगत सूचना अत्यधिक विलम्बित भी है । क्योंकि दिनांक 13-8-1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या-48 के उत्तर के संदर्भ में यह दिनांक 12-5-1992 को दी गयी है ।

वर्णित स्थिति में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त प्रतीत नहीं होता है । अतः मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।]

श्री विजय सिंह, श्री राम प्रसाद सिंह, डा० बृजभान यादव तथा श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री लालजी टण्डन के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री विजय सिंह, श्री राम प्रसाद सिंह, डा० बृजभान यादव तथा श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, सदस्यगण, विधान सभा ने तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री लालजी टण्डन के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की एक सूचना दिनांक 12-5-1992 को दी है ।

उक्त सूचना में मा० सदस्यों का कहना है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के प्रथम बुधवार दिनांक 26-2-1992 को श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर में मा० मंत्री जी ने कहा कि आनपारा प्रोजेक्ट "ए" में वर्ष 1990 में तृतीय श्रेणी में 37 कर्मचारियों की तदर्थ रूप से नियुक्ति की गयी जबकि विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 1992 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मदन सिंह के तारांकित प्रश्न संख्या 30 के उत्तर में उन्होंने कहा है कि तापीय परियोजना में वर्ष 1990 में कुल 55 तदर्थ नियुक्तियां की गयी परन्तु इसी प्रश्न 30 (ख) के उत्तर में कहा गया है कि 1-1-1990 के बाद तदर्थ नियुक्त कर्मचारी पहले से कार्यरत थे । माननीय सदस्यों का कहना है कि विधान सभा एवं विधान परिषद् में दिये गये उत्तर में भिन्नता है और परिषद् में पूछे गये प्रश्न संख्या 30 "क" एवं "ख" के उत्तर में नियुक्ति के समय के विषय में भ्रामक सूचना दी गयी है ।

प्रश्नगत मामले में तत्कालीन माननीय ऊर्जा मंत्री श्री लालजी टण्डन से उनका अभिकथन प्राप्त किया गया । माननीय मंत्री ने अपने पत्र दिनांक 11-8-1992 में यह उल्लेख किया है कि राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के संबंध में यह सूचना दी गयी कि आनपारा "अ" परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1990 में तृतीय श्रेणी में मात्र 37कर्मचारियों की तदर्थ रूप में नियुक्तियां की गयी हैं और विधान परिषद् के वर्ष 1992 के प्रथम सत्र के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 30 के उत्तर में राज्य विद्युत परिषद् द्वारा सूचना दी गयी कि आनपारा "अ" परियोजना के अन्तर्गत 1 जनवरी 1990 के बाद कुल 55 नियुक्तियां की गयी । इनमें से 18नियुक्तियां नियमित अधिष्ठान में तथा शेष 37 नियुक्तियां तदर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत की गयी है । विधान परिषद् में बतायी गयी 55 नियुक्तियों में विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर में बतायी गयी 37 तदर्थ नियुक्तियां भी शामिल थी । विधान परिषद् के उक्त प्रश्न संख्या 30 के भाग "ख" के उत्तर में विद्युत परिषद् द्वारा सूचना दी गयी कि उक्त तदर्थ व्यवस्था में नियुक्त कर्मचारी आनपारा "अ" परियोजना के अन्तर्गत पूर्व से कार्यरत थे । इसकी स्थिति स्पष्ट की गयी है कि आनपारा "अ" परियोजना में एक जनवरी, 1990 के पश्चात् जिन 37 कर्मचारियों की तदर्थ रूप से नियुक्तियां की गयी हैं वे सभी आनपारा "अ" परियोजना में 1 जनवरी, 1990 के पूर्व मस्टर रोल/दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ व्यवस्था में कार्यरत रह चुके थे । मा० मंत्री ने आगे कहा है कि प्रश्नगत नियुक्तियों में बरती गयी कतिपय अनियमितताओं के संबंध में प्रारम्भिक छानबीन करने के उपरान्त यह प्रतीत होता है

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कि नियमित नियुक्तियों में कतिपय अनियमिततायें बरती गयी हैं। अस्तु मामले में उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु राज्य विद्युत परिषद् द्वारा एक उच्च स्तरीय अधिकारी की नियुक्ति शीघ्र रिपोर्ट देने के निदेश देकर, की गयी है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

मा० सदस्यों की सूचना का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि इसमें मुख्य रूप से माननीय मंत्री द्वारा विधान परिषद् में दिये गये उत्तर को भ्रामक बताया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि समय-समय पर अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों के आधार पर विधान परिषद् के कार्यों से विधान सभा का कोई प्रयोजन नहीं होता है। इसके अतिरिक्त मा० सदस्यों ने विधान सभा में दिनांक 26-2-1992 को उत्तरित प्रश्न के संदर्भ में विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 12-5-1992 को दी है इस प्रकार यह अत्यधिक विलम्बित भी है। अतः उपरोक्त कारणों से मैं उक्त सूचना को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की अनुज्ञा नहीं देता हूं।]

श्री राम प्रसाद सिंह तथा श्री ऊदल, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा मा० ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री राम प्रसाद सिंह तथा श्री ऊदल, सदस्यगण विधान सभा ने माननीय ऊर्जा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक 12-5-92 को दी है। माननीय सदस्यों का कथन है कि प्रथम सत्र 1992 के प्रथम बुधवार दिनांक 26-2-92 के अतारांकित प्रश्न संख्या 38 के उत्तर में माननीय ऊर्जा मंत्री ने सूचना दी कि मुख्य अभियन्ता (सिविल) लखनऊ के अधीन समयबद्ध वेतनमान दिए जाने का प्रकरण मु० अ० (जल विद्युत) लखनऊ के समक्ष वर्ष 1990-91 से विचाराधीन है तथा वांछित अभिलेख अपूर्ण पाये गये हैं। वास्तव में जिन कर्मचारियों के नाम दिए गए हैं वह गलत है। अनेक कर्मचारियों जिनके नाम भेजे गये उनके नाम सम्मिलित नहीं किये गये और अभिलेखों की पूर्णता के बाद भी सदन को गलत सूचना दी गयी है। माननीय सदस्यों ने नियम–67 के अन्तर्गत इसे सदन में निस्तारित किये जाने हेतु अनुज्ञा चाही है।

प्रश्नगत मामले में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री लाल जी टण्डन का अभिकथन प्राप्त किया गया। उन्होंने अपने अभिकथन में अवगत कराया है कि राज्य विद्युत परिषद् द्वारा उक्त प्रश्न के बारे में सूचना/उत्तरालेख्य भेजते समय सर्व श्री ए० के० नागर, कनिष्ठ पाण्डुलिपिक, नन्द लाल जायसवाल, कनिष्ठ पाण्डुलिपिक एवं निदेश चन्द्र मिश्र, दैनिक श्रेणी लिपिक के नाम त्रुटिवश शासन को नहीं भेजे गये थे जिससे शासन स्तर पर उक्त नाम प्राप्त नहीं हुए और उत्तर में त्रुटि रह गई इनका आगे कहना है कि इस त्रुटि के लिए सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को उत्तरदायित्व निर्धारित करके आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा गया है। माननीय ऊर्जा मंत्री का यह भी कहना है कि आशुलिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की सूचना उक्त प्रश्न के उत्तरालेख्य में सम्मिलित नहीं की गई क्योंकि उनका संवर्ग अलग है और उनके मामले में पृथक से विचार किया जा रहा है।

माननीय सदस्य की सूचना एवं माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिकथन से यह स्पष्ट होता है कि माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर त्रुटिपूर्ण होते हुए भी इस सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त त्रुटिपूर्ण उत्तर उन्होंने जानबूझकर सदन को गुमराह करने के उद्देश्य से

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिया। विशेषाधिकार हनन की सूचना को ग्राह्य करने के लिए उत्तर का गलत होना ही पर्याप्त नहीं है। समय-समय पर अध्यक्ष पीठ से यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि जानबूझकर गलत बयानी करने और सदन को गुमराह करने की दशा में ही विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त होता है।

वर्णित परिस्थितियों में विशेषाधिकार हनन की सूचना अस्वीकार की जाती है, किन्तु चूंकि उत्तर त्रुटिपूर्ण था अतः शासन को यह निदेश दिया जाता है कि माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश सं०–166 के अनुसार उसका शोधित उत्तर सदन में शीघ्र दिया जाय।]

श्री कप्तान सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा महा-निदेशक स्वास्थ्य डा० एस० के० सक्सेना एवं सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के विरुद्ध सदन की अवमानना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

[श्री कप्तान सिंह, सदस्य, विधान सभा ने महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, डा० एस० के० सक्सेना एवं सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के विरुद्ध सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना दिनांक 13-5-92 को दी है। माननीय सदस्य का कथन है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के प्रथम शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–128 में श्री हीरा लाल, भूतपूर्व स्टोर कीपर, यू० एच० एम० चिकित्सालय, कानपुर के विरुद्ध सरकारी राजस्व की हानि के आरोप सिद्ध होने के बावजूद भी उत्तर में माननीय स्वास्थ्य मंत्री का कथन है कि शासन स्तर पर कार्यवाही किए जाने के बजाय सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही किए जाने का औचित्य पाया गया। माननीय सदस्य ने आगे कहा है कि द्वितीय सत्र 1985 के पहले गुरूवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 128 में उक्त कर्मचारी के लाखों रुपये गबन तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 129 में उनकी गलत प्रोन्नति से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तरित होने पर आश्वासन संख्या 113/85 के सम्बन्ध में आश्वासन समिति की कार्यवाही दिनांक 28-7-88 में उक्त आश्वासन की पूर्ति आज तक नहीं की गयी है। इस सदन के समक्ष गलत तथ्य रखकर गुमराह किया गया जिससे सदन की अवमानना हुयी है।

प्रश्नगत मामले में सचिव, एवं महानिदेशक, स्वास्थ्य से अभिकथन तथा माननीय मुख्य मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी। माननीय राज्य मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त कर शासन के चिकित्सा विभाग के विशेष सचिव ने अपने पत्र दिनांक 14-7-92में यह कहा है कि उक्त उत्तर में कोई गलत सूचना नहीं दी गयी है और न ही यह उत्तर पूर्व में माननीय सदन को दिए गए उत्तर तथा आश्वासन समिति में दिए गए साक्ष्य के ही विपरीत है। इस संबंध में पूर्व में विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या–128 का उत्तर तथा उसी से संबंधित आश्वासन समिति में दिनांक 28 जुलाई, 1988 को दिया गया साक्ष्य एवं प्रथम सत्र 1992 के प्रथम शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–128 का दिया गया उत्तर तथ्यात्मक है और इनमें कहीं पर विरोधाभास नहीं है। शासन ने आगे उल्लेख किया है कि उत्तर में यह कहना कि शासन स्तर पर कार्यवाही के बजाय संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही किए जाने का औचित्य पाया गया और तदनुसार उन्हें निर्देश दिये गये सर्वथा तथ्यात्मक एवं विधिक है, क्योंकि सेवा नियमों के अन्तर्गत दण्ड देने का अधिकार केवल नियुक्ति प्राधिकारी में ही निहित होता है। उस अधिकार का शासन द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता। शासन का यह भी कथन है कि उल्लिखित प्रश्नों के उत्तर एवं आश्वासन के साक्ष्य में यह नहीं कहा गया था कि दण्ड देने की कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी। केवल जांच की स्थिति एवं जांच के परिणाम से

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अवगत कराया गया था । दण्ड देने पर विचारोपरान्त ही शासन ने नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दण्डादेश पारित किये जाने के निर्देश दिए । शासन ने यह भी कहा है कि सदन को केवल तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराया गया और किसी प्रकार की गलत सूचना देकर माननीय सदन को गुमराह नहीं किया गया है ।

माननीय सदस्य की सूचना तथा इस संबंध में शासन के पत्र में उल्लिखित तथ्यों पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस मामले में कोई ऐसा बिन्दु प्रकाश में नहीं आया है जिससे यह साबित हो सके कि सदन के समक्ष गलत तथ्य रखकर मा० सदन की अवमानना की गयी है । वर्णित परिस्थिति में प्रश्नगत मामले में सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं प्रतीत होता है अतः मैं उक्त सूचना को अस्वीकार करता हूं ।]

श्री जागेश्वर प्रसाद स० वि० स० द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र की अधूरी योजनाओं को पूर्ण कराये जाने की मांग

अगली सूचना श्री जागेश्वर प्रसाद जी की है जो मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को दे दी है ।

* श्री जागेश्वर प्रसाद–

मान्यवर, असोथर ब्लाक में जो बंबा से एक-डेढ़ किलोमीटर सड़क मंजूर हुई है वह अभी तक बन नहीं रही है । कहूवन जरौली की लिफ्ट योजना जो निकाली गयी है जिसमें वी० पी० सिंह गये थे, उद्घाटन के लिए वह काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है । लोवर गंगा में इसका पानी छोड़ा जायेगा तो इसका पानी इलाहाबाद में हमारे धाता से होते हुए जायेगा और धाता के अन्दर जो सड़क मंजूर हुई है वह अभी तक नहीं बन रही है इसे जल्दी बनाया जाये । पावर हाऊस के विषय में जो जमीन एक्वायर की गयी है, बिजली नहीं लग रही है इससे वहां के बनिया और किसान लोग हैं वह परेशान हैं । मैंने पहले भी यह कहा था कि जब तक पावर हाऊस न बने तब तक जनरेटर का इन्तजाम कर दिया जाये । गाढ़ाकोट की जो सड़क मंजूर हुई थी वह भी अभी तक नहीं बन पायी है उसे जल्दी ही बनाया जाये । खकडेरु से दामपुर के लिए जो सड़क मंजूर हुई थी वह अभी तक नहीं बन पायी है उसे भी बनाया जाये 10 साल से पावर हाऊस के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुयी । वहां दुकानदार बहुत दुखी हैं । इसके अलावा हमारे क्षेत्र में कई सड़कें हैं, उस पर कोई भला आदमी जा नहीं सकता इसलिए हमारा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इसकी इन्क्वायरी करायें और हमारे क्षेत्र पर ध्यान दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–4 में कुछ नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति (1991-92) का तीसवां प्रतिवेदन †

श्री श्रीराम चौहान–

मान्यवर, मैं सभापति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश विधान मंडल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति (1991-92) का तीसवां प्रतिवेदन, जो जनपद खीरी ग्राम मटेरा तथा अमेठी, तहसील धौरहरा में वर्ष 1986 से 1987 के मध्य समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों में आवंटन हेतु क्रय की गयी भूमि में घोटाले के संबंध में है, प्रस्तुत करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

† छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त (1991-92) इक्तीसवां प्रतिवेदन†

श्री श्रीराम चौहान–

मान्यवर, मैं सभापति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति, उत्तर प्रदेश विधान मंडल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति (1991-92) का इक्तीसवां प्रतिवेदन, जो जनपद फैजाबाद कस्बा–गोसाईगंज, तहसील सदर स्थित कटरा मोहल्ले एवं जनपद बस्ती के बभनान भटहट जंगल के वैश्य जाति के कतिपय व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त कर सरकारी नौकरियों तथा अन्य लाभ लेने के संबंध में है, प्रस्तुत करता हूं।

प्रतिनिहित विधायन समिति उत्तर प्रदेश की ग्यारहवीं विधान सभा का द्वितीय प्रतिवेदन †

श्री चन्द्रमणि कान्त सिंह–

मान्यवर, मैं सभापति, प्रतिनिहित विधायन समिति उत्तर प्रदेश की ग्यारहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

बांदा जनपद के विकास खण्ड जसपुरा में गौरी कलां अमारा सम्पर्क मार्ग में चन्द्रकलां नदी पर पुल के निर्माण के संबंध में याचिका

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से बांदा जनपद के विकास खण्ड जसपुरा में गौरी कलां अमारा सम्पर्क मार्ग में चन्द्रावल नदी पर पुल का निर्माण किये जाने के संबंध में श्री माधव प्रसाद निषाद, निवासी ग्राम अमार बांदा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद फतेहपुर के ग्राम शहवालपुर रावतपुर, फरीदपुर में नाले तथा साइफन का स्थगित कार्य पूरा कराये जाने तथा विकास खण्ड खजुहा में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के संबंध में याचिका

श्री अभिमन्यु सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद फतेहपुर के ग्राम शहबालपुर, रावतपुर, फरीदपुर में नाले व साइफन का स्थगित कार्य पूरा किये जाने के संबंध में श्री जियालाल, प्रधान निवासी ग्राम पंचायत, बिन्दकी फतेहपुर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद फतेहपुर के ग्राम ततनी विकास खण्ड खजुआ में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के संबंध में याचिका

(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद फतेहपुर के ग्राम ततनी विकास खण्ड खजुहा में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री महमूद हसन, प्रधान ग्राम सभा, निवासी तपनी, विकास खण्ड खजुहा, फतेहपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद फतेहपुर के ग्राम देवरी बुर्जुग में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के संबंध में याचिका

श्री अभिमन्यु सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद फतेहपुर के ग्राम देवरी बुजुर्ग में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री राजेश कुमार शुक्ल, प्रधान निवासी ग्राम देवरी बुजुर्ग, तहसील बिन्दकी फतेहपुर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–10 में कुछ नहीं है।

---

† छापा नहीं गया।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 24 नवम्बर, 1992 की बैठक में सदन के दिनांक 25 नवम्बर, 1992 से 26 नवम्बर, 1992 तक के उपवेशनों के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

नवम्बर, 1992

1–निधन के निर्देश (प्रश्नकाल के उपरान्त) ।

25 बुधवार

2–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(क) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1992–आधा घण्टा ।

(ख) उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, 1992–आधा घण्टा ।

(ग) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992–आधा घण्टा ।

(घ) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1992–आधा घण्टा ।

(ङ) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति और पंचायत लेखा परीक्षा विधेयक, 1992–आधा घण्टा ।

3–निम्नलिखित संकल्प का न्याय तथा विधायी मंत्री द्वारा प्रस्तुतीकरण–

"यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा-पारित संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992 द्वारा 'भारत का संविधान' में प्रस्तावित संशोधन का, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (क) के अन्तर्गत आता है, अनुसमर्थन करता है ।"

4–माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण–

"यह सदन संकल्प करता है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत 'मंत्रियों को परामर्श देने के लिए स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्य विधि के नियम' में, नियम 1 के खण्ड (क) में उल्लिखित स्थायी समितियों की सूची में–

(क) क्रम संख्या 1 के सम्मुख स्तम्भ–2 में शब्द 'हरिजन संबंधी' के स्थान पर शब्द 'अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण एवं समाज कल्याण' रख दिये जायें,

(ख) क्रम संख्या–9 के सम्मुख स्तम्भ–2 में शब्द "माल" के स्थान पर शब्द 'राजस्व' रख दिया जाय, और

(ग) क्रम संख्या 23 के सम्मुख स्तम्भ–2 में शब्द 'समाज कल्याण' के स्थान पर शब्द 'महिला कल्याण एवं बाल विकास' रख दिये जायें ।"

5–(क) नियम 103 के अन्तर्गत श्री सुरेश प्रताप गांधी सदस्य विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा–

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश की ग्राम सभाओं की भूमि को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सामूहिक चारागाहों तथा वनौषधियों के उत्पादन के लिए आवंटित कर आरक्षित किया जाय ।"

(ख) नियम 103 के अन्तर्गत श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय सदस्य विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा–

"इस सदन का निश्चित मत है कि जनपद मऊ के नत्थूपुर निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा के सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय एवं महिला विद्यालय की स्थापना की जाय ।"

(ग) नियम 103 के अन्तर्गत श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा–

"इस सदन का निश्चित मत है कि जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु इस क्षेत्र के मधुबन में उद्योगों की स्थापना की जाय ।"

(घ) नियम 103 के अन्तर्गत श्री श्याम नारायण तिवारी, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा–

"इस सदन का निश्चित मत है कि जनपद महाराजगंज में त्वरित विकास के लिए वहां विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाय ।"

(ङ) नियम 103 के अन्तर्गत श्री श्याम देव राय चौधरी, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा–

"इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी अंचल के गोरखपुर, महराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा इलाहाबाद में इस वर्ष वर्षा न होने के कारण उन्हें सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाय ।"

26 गुरुवार विधायी कार्य ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गयी है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

मद संख्या 12 में कुछ नहीं है ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

कार्य स्थगन प्रस्ताव के माननीय सदस्य कृपया संक्षेप में बोलें, क्योंकि कार्य सूची बहुत लम्बी है, अन्य कार्यों का निपटारा भी हो सके । आज दिनांक 25-11-1992 को नियम 311 में प्राप्त कतिपय सूचना को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित 10 सूचनायें चयनित की गयीं । पहली सूचना श्री रेवती रमण सिंह, प्रमोद तिवारी, बेनी प्रसाद वर्मा, कैलाश नाथ सिंह यादव, राम लखन वर्मा, हृदय नारायण, सोमांश प्रकाश, स्वामी नाथ यादव, नरेन्द्र सिंह भाटी, लाल जी वर्मा, विजय पाल सिंह तोमर, दीनानाथ सिंह, राजपाल त्यागी, इम्तियाज अहमद, फागू चौहान, रणजीत सिंह जूदेव, सुखवीर सिंह गहलौत की, महेन्द्र सिंह भाटी की हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । दूसरी सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी, हृदय नारायण दीक्षित, विजय सिंह राणा, नरेश अग्रवाल, लाल जी वर्मा, कुंवर अंखिलेश सिंह, भागवत पाल की जनपद फैजाबाद में थाना इब्राहीमपुर के अन्तर्गत पूर्व खाद्य मंत्री श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के पुत्र की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

तीसरी सूचना सर्वश्री मोहम्मद मुकीम, प्रमोद तिवारी, अमरेश चन्द्र पाण्डेय व श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी जी की है । चौथी सूचना सर्वश्री अकबर हुसैन, नरेश अग्रवाल, बंशीधर राज, श्याम सुन्दर वर्मा, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, रेवती रमण सिंह, स्वामीनाथ यादव, हरवंश सहाय, देवेन्द्रपाल सिंह, गामाराम शास्त्री, सुरेन्द्र सिंह, यदुनाथ सिंह, ज्वाला प्रसाद यादव, कैलाश नाथ सिंह यादव, विजय सिंह राणा, हरेन्द्र मलिक, महक सिंह, डा० जी० एस० विनोद और डा० ज्ञानवती सिंह की है । पांचवीं सूचना श्री बलराम यादव जी की है । छठी सूचना श्री पूरन प्रकाश जी की है । सातवीं सूचना सर्वश्री यदुनाथ सिंह, विजय सिंह राणा, विजय पाल सिंह तोमर, भोला सिंह, सुरेश प्रताप गांधी, डा० ज्ञानवती सिंह जी की है । आठवीं सूचना श्री धनीराम वर्मा जी की है, नवीं सूचना श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी की है और दसवीं सूचना श्री बृजभान यादव जी की है । प्रथम पांच सूचनाएं केवल ग्राह्यता पर सुनूंगा । शेष पांच सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट करूंगा ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी––

मान्यवर, मैं आपका ध्यान ऐसी समस्या की तरफ ले जा रहा हूं जिससे सारा सदन अवगत है कि माननीय महेन्द्र सिंह भाटी जी जो दादरी क्षेत्र से विधायक चुने गये थे और 1991 में सर्वाधिक वोटों से तीसरी बार चुनकर वह इस विधान सभा में आये थे । उन्होंने समय-समय पर सरकार को और प्रशासन को अपनी हत्या के आशंका से अवगत कराया था । दिनांक 13-9-1992 को सायंकाल लगभग 7.00 बजे दादरी कोतवाली से मात्र डेढ़ किलोमीटर दूर रेलवे फाटक पर हत्यारों ने उनकी हत्या कर दी थी । इस हत्या के बाद जनपद गाजियाबाद की पुलिस ने अपना इतना भी दायित्य नहीं समझा कि चेकिंग बैरियर पर किसी पुलिस वाले की ड्यूटी लगा देते । बजाय ड्यूटी लगाने के उसी दिन पुलिस हटा ली गई । दुख का विषय यह है कि बीसों हजार लोग वहां एकत्र थे, विभिन्न जनपदों व विभिन्न स्थानों से लोग वहां आ गये थे परन्तु एक सिपाही भी चेकिंग पर नहीं लगाया गया था । इससे पहले 13-8-1991 को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मैंने इस सदन के माध्यम से अवगत कराया था माननीय मुख्य मंत्री जी को कि श्री महेन्द्र सिंह भाटी जी की हत्या के प्रयास किये जा रहे हैं और उनकी हत्या की पूरी आशंका है इसलिये उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाय । आपके आश्वासन के बावजूद भी उनकी सुरक्षा नहीं की गई । 13-8-1991 को उनके पास एक गनर था परन्तु श्री शैलजा कान्त मिश्र की रिपोर्ट के हिसाब से वह गनर भी हटा लिया गया था । काफी लंबे समय तक वह बिना गनर के रहे ।

10 फरवरी से सत्र शुरू हुआ और 12 फरवरी, 1992 को मैंने व श्री भाटी जी ने अपनी सुरक्षा के संबंध में यहां पर बात रखी थी । आपके निर्देशों के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक गनर की स्वीकृति प्रदान कर दी । इसके बाद श्री राज्यपाल त्यागी जो इस सदन के मा० सदस्य हैं, उनके भाई श्री कुशल पाल त्यागी की हत्या कर दी गई । 24-4-1992 को जब वह प्रकरण उठा तो मैंने अपनी सुरक्षा के संबंध में यहां पर प्रार्थना की थी और उसी दिन श्री महेन्द्र सिंह भाटी जी ने भी अपनी सुरक्षा के संबंध में अवगत कराया था अगर मेरी संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले सत्र में मेरी भी कंडोलेन्स होगी । आपने उस समय पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी । इस सबके चलते श्री भाटी जी की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई । श्री भाटी जी की, जिला प्रशासन नहीं चाहता था कि सुरक्षा हो ।

जिला प्रशासन उनके खिलाफ सरकार को रिपोर्ट भेजता रहा । आज की सरकार जो प्रदेश में काम कर रही है वह गश्त में एक सिपाही जो रात में जाता है उसकी रिपोर्ट पर चल रही है । यही कारण हुआ कि उनकी हत्या हो गयी जो पुलिस हमारे विरूद्ध थी क्योंकि पुलिस से गरीबों और माइनौरिटी के लिये हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें जिला प्रशासन अड़ंगेबाजी कर रहा था उसी वजह से हमारे खिलाफ वह रिपोर्ट भेजते थे कि हमारी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है । अपनी सुरक्षा के लिये 18-9-91 को एक पत्र लिखा और भाटी जी ने अपनी सुरक्षा की मांग की और अपनी हत्या की आशंका जाहिर की उसके बाद 26-10-91 को जिलाधिकारी गाजियाबाद को स्वयं भाटी जी ने अपने हाथ से पत्र लिखा जिसकी कापी मेरे पास है । उसको मैं पढ़ कर सुना देता हूं जिलाधिकारी गाजियाबाद दिनांक 18-9-91 को एक पत्र मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद को लिखकर अवगत कराया था कि दादरी पुलिस बदमाश महेन्द्र फौजी से मिलकर न मेरी बल्कि मेरे परिवार की हत्या कराना चाहती ही नहीं बल्कि कटिबद्ध है । उसी दिन एक प्रेस सम्मेलन में मैंने दादरी पुलिस की अभिरक्षा में हुयी रहीसुद्दीन की हत्या का मामला भी उठाया था जिसमें आपने अदालती जांच के आदेश दिनांक 23-9-91 को दिये थे । दिनांक 7-10-91 को जिलाधिकारी कार्यालय पर क्षेत्र के लोगों ने एक प्रदर्शन न्यायिक जांच के लिये किया था आपके आश्वासन के अनुसार आपने शासन को न्यायिक जांच की संस्तुति की थी ।

दिनांक 8-10-91 को दादरी पुलिस प्रदर्शन से उभरे रोष को दबाने के लिये विकास खण्ड विसरख के जनता दल अध्यक्ष श्री अतर सिंह को फरीदाबाद (हरियाणा) की पुलिस को सौंप कर एक झूठे मामले में फंसाना चाहती थी । स्वयं फरीदाबाद दे आयी । इस उत्पीड़न के विरोध में थाना दादरी पर जद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, दादरी पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमें लिखे । जद कार्यकर्ताओं पर 30 से अधिक झूठे मुकदमें 8 जुलाई, 1991 के बाद लिखे गये हैं जिस दिन एस० एस० पी० गाजियाबाद ने पद ग्रहण किया है । अब तक तो इसे मात्र पोलोटिकल परगेशेन ही समझ रहा था किन्तु धीरे-धीरे यह लड़ाई शुद्ध व्यक्तिगत हो गयी है । इस लड़ाई के चलते दादरी में बदमाशों को पुलिस का पूर्ण संरक्षण प्राप्त हो गया है । यहां तक कि जब मुझे टेलीफोन पर महेन्द्र फौजी ने जान से मारने की धमकी दी तो मेरी एफ० आई० आर० तक पुलिस ने नहीं लिखी--मात्र जी० डी० में इन्द्राज किया गया यह घटना 17-9-1991 की है । एक डाक्टर महेश बंसल की कार को चोरी दिखा कर उससे मेरा पीछा कराया गया । यह कार कंटेसा है । इसमें बदमाश दादरी पुलिस के इशारे पर भेजे गये थे । मेरा ऐसा मानना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के इशारे के बिना यह नहीं हुआ होगा ।

इस बीच भी मैं आपसे मिला हूं और आपकी समय-समय पर स्थिति से अवगत भी कराता रहा हूं ।

मैं आपसे यह पत्र अपनी रक्षा के लिये नहीं लिख रहा हूं । सार्वजनिक जीवन में मौत का कोई स्थान नहीं है । मैं या मेरे परिवार की हत्या हो जाय, ये कोई महान घटना भी नहीं होगी पुलिस की इस

नीयत का दस्तावेज आपके पास रहे इसलिये यह लिख रहा हूं । मुझे विश्वास है आप इसे सुरक्षित रखेंगे । धन्यवाद-महेन्द्र सिंह भाटी ।"

इसके बाद 23-6-92 को फिर एक पत्र उन्होंने अपने हाथ से लिखा है जो इस प्रकार है–थाना प्रभारी दादरी महोदय, मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि महेन्द्र फौजी, नि० मेवला भट्टी थाना नोनी, पाला उर्फ लक्कड़ नि० पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, अजीत सुजपुरा थाना विसरख एवं नीरज, नि० महमूदपुर जनपद बुलन्दशहर आदि कई बदमाश दादरी कस्बा एस्कू क्षेत्र में ठहरे हुये हैं और 4 दिन से पूरी तरह सक्रिय हैं । ये लोग मुझ पर तथा मेरे परिवार पर किसी भी समय घातक हमला कर सकते हैं । इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता एवं जिला अध्यक्ष का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है जो दादरी पुलिस की पूरी जानकारी में है । सूचना हेतु प्रेषित । " 23-6-92 को थानाध्यक्ष को लिखने के बाद भी कोई सुरक्षा नहीं दी गयी । इसके बाद, 18 सितम्बर, 91 को जो सेक्टर 39 नोएडा थाने में एक सन्त राम नामक युवक की पुलिस दरोगा ने हत्या कर दी थी, उसकी मौत के बाद जो आक्रोश क्षेत्र की जनता में व्याप्त हुआ और उसके फलस्वरूप उत्तेजना में जो घटनाएं हुईं, उस मामले में महेन्द्र सिंह भाटी को, उनके दोनों पुत्रों और भतीजें को वहां की पुलिस ने अपराधी ठहराते हुए इनको टाडा के अन्तर्गत बन्द कर दिया गया और वह जांच सी० बी० सी० आई० डी० को दे दी गई । उस जांच से संबंधित सी० बी० सी० आई० डी० के इंस्पेक्टर मूलचन्द तिवारी जो नोएडा आए हुए थे, वह भाटी साहब और उनके परिवार के सभी लोगों के बयान ले चुके थे । किन्तु दिनांक 13-9-92 को महेन्द्र सिंह भाटी जी जब क्षेत्र से दौरा कर अपने घर लौटे तो उसके बाद 6 बजे सायं तक उनकी पत्रकारों से वार्ता हुई और उसके बाद उनके लिये मूल चन्द्र तिवारी का फोन आता है कि मुझे आपसे अभी कुछ बात करनी है आप आ जाइये । उस समय भाटी जी की तबियत कुछ अस्वस्थ थी, वह थक भी गए थे और उस समय उनकी सिक्योरिटी के लोग भी वापस जा चुके थे । उन्होंने यह समझकर कि अब कहीं जाना नहीं है, उन लोगों को वापस कर दिया था । इसलिये उन्होंने उससे उस वक्त यह कहा कि मैं इस समय नहीं आ सकता हूं, सुबह आ जाऊंगा ।

फिर पुनः 6 बजकर 15 मिनट पर उनका फोन आता है कि मूल चन्द्र तिवारी को सुबह आगरा के लिये निकलना है, इसलिये इसी समय आकर मिल जाइये तफ्तीश के संबंध में कुछ बात करनी है । जबकि उसके साथ इस संबंध में सारी बात हो चुकी थी, उन्होंने दुबारा आने के लिये मनाकर दिया । किन्तु उसने फिर तिबारा 6.25 पर फोन किया और कहा कि हमारे एस० पी० साहब और दूसरे अधिकारी आप से बात करने के लिये यहां बैठे हुए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं । तो इस प्रकार तिबारा फोन आने पर भाटी जी ने आमन्त्रण स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं तुरन्त चलकर बंगले पहुंच रहा हूं । उन्होंने अपने साथ ले जाने के लिए आवश्यक ड्राइवर आदि को साथ लिया और 6.40 बजे वह अपने घर से नोएडा जाने के लिये निकले और निकलने के मात्र 10 मिनट बाद, जबकि वह मुश्किल से डेढ़ किलोमीटर पहुंचे थे, ए० के०-47 और अमेरिकन राइफल जी- 3 से जो एस० एल० आर० टाईप है बदमाशों द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी गई । इनकी हत्या में बड़े खतरनाक हथियार प्रयुक्त किये गये थे । जिनके बारे में 13-8-91 को इसी सदन में बताया गया था कि हमारे यहां के बदमाशों के पास, जिनसे श्री महेन्द्र सिंह भाटी की हत्या की आशंका है, ए० के०-47, ए० के०-74, ए० के-94 और एस० एल० आर० तरह के अनेक भयानक हथियार मौजूद हैं । और उनकी सुरक्षा के लिए मात्र एक स्टेनगन पर्याप्त नहीं है । उसके बाद उन्हीं हत्यारों द्वारा दादरी स्टेशन पर उनकी हत्या की गई, जिसकी हमें पहले से ही पूरी आशंका थी । यह स्टेशन रोड दादरी जो अत्यधिक बिजी रोड है, उस पर

हत्यारे भाटी जी की हत्या करके उसी से हत्या करके वापस दादरी आए और कोतवाली के सामने से होकर चले गये ।

इस सबके बाद 9 अक्टूबर, 92 को दादरी क्षेत्र की जनता, सभी सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने निर्णय लिया था कि भाटी साहब की हत्या की जांच सी० बी० आई० द्वारा कराई जाय क्योंकि इसके अलावा प्रदेश सरकार के पास कोई निष्पक्ष जांच एजेंसी बाकी नहीं रह गई थी । उसके लिए दादरी बन्द का आयोजन किया गया था और उसमें दादरी के बाजार तो बन्द थे ही, सभी सामाजिक और व्यापारिक संगठन भी पूरी तरह बन्द रहे थे । उसको विफल करने के लिए पुलिस ने कई जगह उस दिन बल प्रयोग किया और पांच हजार लोग जो धरने पर बैठे थे, उन पर एस० पी० नोएडा ने मेरे सामने खड़े होकर लाठीचार्ज करवाया, जिसमें हजारों स्त्री पुरुष घायल हो गये और उनकी कोई एफ० आई० आर० तक भी नहीं लिखी गई । एक घंटे तक यह लाठीचार्ज हुआ । 13-9-92 की यह घटना है और 9-10-92 को हम लोग धरना दे रहे थे यानी घटना के 25 दिन बाद तक उनके पास कोई सलूशन नहीं था यह कोई भी अपराधी नहीं पकड़ पाए थे । उसमें डेढ़ सौ आदमियों को पुलिस ने बेवजह पकड़ा और बाद में उनको रुपया लेकर छोड़ा गया । पुलिस ने जो किया उससे पुलिस प्रशासन की बदनीयती साफ हो गयी । जब वहां पर क्षेत्र के लोग और अन्य संगठनों के लोग वहां पर जमा थे तो वहां पर पुलिस ने 90-100 सौ साल के लोगों को भी पीटा । मान्यवर, इस तरह की घटनाओं से इस सरकार की बदनीयती का पर्दाफाश हुआ है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने 28-10-92 को घोषणा की थी कि महेन्द्र सिंह भाटी जी की हत्या के सिलसिले में सी० बी० आई० की जांच के लिये संस्तुति कर दी है । लेकिन मान्यवर, आज तक कोई जांच की कार्यवाही नहीं हुई है । मैंने दिल्ली से मालूम किया था तो पता चला कि लखनऊ से फाइल ही नहीं गई है । फाइल शायद रास्ते में कहीं पर रोक ली गई है जिससे सी० बी० आई० की जांच में विलम्ब हो रहा है ।

एक साल पहले 8 जुलाई, 1991 के बाद भाटी जी के परिवारवालों को गाजियाबाद की पुलिस ने नहीं बख्शा । कार्य रोको प्रस्ताव से इस सदन के माध्यम से मैं यह मांग करता हूं कि आज भी भाटी जी के परिवार के लोग सुरक्षित नहीं है । भाटी जी के परिवार की पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ले । दूसरी घटना के बारे में मैं बता दूं 8 जुलाई, 1991 के बाद 8-10-91 को थाने में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ भी पुलिस ने बुरा व्यवहार किया और उन्हीं लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया । श्री भाटी जी के दोनों पुत्रों को इसमें फंसाया गया । एक पुत्र जो कि एम० बी० ए० कर रहा है और दूसरा पुत्र जो कि ला कर चुका है जिनका राजनीति से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं था, उन दोनों को इसमें फंसाया गया । भाटी जी के साथ-साथ उनके बेटों व भतीजे पर भी टाडा लगाई गई । टाडा की जांच में वही मूलचन्द गये थे जो कि भाटी जी की हत्या में लिप्त हैं । उन्हें कठघरे में होना चाहिये था । मैं सदन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि जितने मुकदमें स्वर्गीय भाटी जी के पारिवार के खिलाफ लगाये गये हैं, उन सब को तुरन्त वापस लिया जाय और उनके परिवार वालों की पूर्ण सुरक्षा की जाय । तीसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि 20-9-92 को जब शोक सभा दादरी में हुई थी तो उसमें 75 हजार आदमी वहां पर मौजूद थे जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री श्री वी० पी० सिंह भी थे । हमारे नेता विरोधी दल, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के नेता भी थे । राजस्थान के भाजपा के मिनिस्टर वहां मौजूद थे । दिल्ली कांग्रेस सरकार के मिनिस्टर वहां मौजूद थे । इन सबकी मौजूदगी में यह प्रस्ताव किया गया था कि ''ग्रेटर नोएडा'' जहां एक ही वर्ग के लोग हैं इस स्थान का नाम ''महेन्द्र सिंह भाटी नगर'' रख दिया जाय ।

मान्यवर, पुलिस ने जितनी ज्यादतियां हम लोगों के साथ में की हैं सरकार उनका उतना ही साथ दे रही है। थाने के इन्सपेक्टर को इनाम के तौर पर दूसरी कोतवाली दे दी गई है। आज तक भी जांच शुरू नहीं की गई है। पुलिस का वही सिस्टम वहां पर चला आ रहा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन में इतनी बार कहने के बावजूद भी कि हमारी हत्या हो सकती है, हमें पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था दी जाय, इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। 3 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को मैंने स्वयं मुख्य मंत्री जी को लिखित दिया था कुंवर रेवती रमण साहब ने भी मुख्य मंत्री जी से बात की थी। मेरे कहने के बावजूद भी मुझे पूर्ण सुरक्षा नहीं दी गई है। एस० एस० पी०, बुलन्दशहर से कहा तो वह कहते हैं कि एक क्या दो रायफल एस० एल० आर० दे देंगे। जब दो के लिये लिखकर दिया तो एक के आदेश दिये जाते हैं। मान्यवर, इन सबके चलते मैं यहां पर मांग करता हूं आज की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराई जाय। जो मैंने क्षेत्रीय जनता की भावनाएं इस सदन के माध्यम से अवगत कराई हैं इन सब पर सरकार पूरी तरह से ध्यान देकर इनका निस्तारण आज ही करने का कष्ट करे।

श्री अध्यक्ष–

पर्याप्त विस्तार से बात आ गई है।

* श्री सुखवीर सिंह गहलौत–

मान्यवर, मैंने पिछली बार भी इसी सदन में जब हाउस चल रहा था तो कहा था कि मेरा निश्चित मत है कि भाटी जी की हत्या होगी और अगले सदन में जब हम बैठेंगे तो उनकी श्रद्धांजलि सदन में होगी। मैं कहना चाहता हूं कि भाटी जी का थाने पर झगड़ा हुआ था तो मेरे समक्ष हुआ था। एस० एस० पी० ने मेरे सामने कहा उनके लड़कों को झूठा नामजद कराया गया है। आज भी उनके बच्चों का नाम उस केस में है। मूलचन्द्र तिवारी सी० आई० डी० इंस्पेक्टर नोएडा में जांच कर रहे हैं। भाटी जी के बच्चों का नाम द्वेष के कारण निकाला नहीं जायेगा। मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं चाहे वह इधर के बैठे लोग हों और चाहे वह उधर के बैठे लोग हों, सुरक्षा चाहते हैं। मान्यवर, डी० पी० यादव के बहनोई की हत्या हुई, गाजियाबाद में। माननीय सदस्य कुशलपाल सिंह की हत्या हुई, कुशलपाल त्यागी की जांच सी० आई० बी० से करा दी जाये। माननीय भाटी जी ने कलेक्टर गाजियाबाद को लिखकर दिया था आयुक्त मेरठ को मेरे समक्ष दिया उन्होंने कहा कत्ल करना चाहते हैं, मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि भाटी जी को सुरक्षा यदि दी गयी होती तो भाटी जी दुनियां से न उठते। मैं फिर संसदीय कार्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि वह हमारे बीच में नहीं रहे हैं उनकी सुरक्षा नहीं की गई और कत्ल की वारदात हो गयी है। मान्यवर, वीरेन्द्र सिंह मुजफ्फरनगर नहीं है उनके कत्ल की कोशिश की गई वह डर के मारे सदन में नहीं आए।

मान्यवर, चाहे वह हरेन्द्र मलिक हों, राजपाल त्यागी हों चाहे मैं होऊं आपने महसूस किया होगा, तिवारी जी बैठे हैं, राजपाल को जो गनर दिये गये हैं उन्होंने पत्रकारों की मौजूदगी में कहा कि गन चलानी नहीं आती है। राजपाल त्यागी को गनर दिया गया उसने कहा कि मैं स्टेनगन चलाना नहीं जानता तो इस तरह की सुरक्षा दी जा रही है हमारी सुरक्षा जो होनी चाहिए वह नहीं हो रही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, चाहे इधर के बैठे माननीय सदस्य हों चाहे उधर के बैठे माननीय सदस्य हों उनकी सुरक्षा होनी चाहिये । संसद सदस्य हैं उनको दो-चार सिपाही सुरक्षा के लिए दिये गये हैं मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं विपक्ष के एम० एल० ए० और विशेषकर पश्चिम में ऐसा क्यों हो रहा है कि जो लोग चुनकर आते हैं उनकी एक-एक करके हत्या हो रही है । मेरी फिर गुजारिश है हम सब विपक्ष के विधायक पश्चिम के हैं, गैंगवार के नाम से उनकी हत्या हो रही है । कुशलपाल सिंह की हत्या हुई, महेन्द्र सिंह भाटी की हत्या हुई इतनी हत्यायें हो रही हैं लेकिन एक आदमी भी नहीं पकड़ा गया एक अपराधी नहीं पकड़ा गया । कुशलपाल त्यागी राजपाल त्यागी के भाई है तब चौथा आदमी जो बैठा था उस कार में उसका नाम नहीं बताया जा रहा है कौन था ।

(इस समय 4 बजकर 40 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मैं फिर सदन से चाहूंगा, मेरी गुजारिश है कि हम लोगों को पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हो । मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से, श्री प्रमोद तिवारी जी से कि मेरे परिवार की सुरक्षा की जाये । मान्यवर, आज सुरक्षा के नाम पर एक गनर दिया गया है जो मेरे पिता जी के साथ रहेगा, माता जी के साथ रहेगा, पत्नी के साथ रहेगा किस-किस के साथ रहेगा । इसलिये आप हम विपक्ष के तमाम पश्चिमी विधायकों की पूरी सुरक्षा व्यवस्था करें । इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का समय दिया ।

* श्री सोमांश प्रकाश–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा दुखद प्रकरण है । भाटी जी की हत्या जिन हालात में हुई इसके बावजूद भी जब कि इस सदन में भी यह सूचना हो चुकी थी । भाटी जी स्वयं अपनी जबान से कह चुके थे कि मेरी हत्या हो सकती है । उसमें पूरे प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया इसलिये मेरा यह मानना है कि प्रदेश की भाजपा सरकार भी निश्चित रूप से घेरे में शामिल है । इसी के साथ मैं एक बात विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि उनके परिवार के खिलाफ जो भी मुकदमें हैं वह सारे राजनैतिक रूप से हैं इसलिये उनको वापस लिया जाये । उनके परिवार को, उनके बच्चों को राजनैतिक रूप से बिला वजह टाडा जैसे मामलों में इन्वाल्व किया है इसलिये उनके परिवार के विरुद्ध जो केसेस हैं उनको वापस लिया जाये और उनकी कम से कम सुरक्षा तो प्रदान कर दी जाये । उनका परिवार अच्छी स्थिति में नहीं है और दुश्मनियां हैं वह उनके बच्चों को मारने की कोशिश कर रहे हैं इसलिये इस ओर ध्यान दिया जाये । उनके परिवार की पूरी तरह से सुरक्षा हो जाये और उनके विरुद्ध सारे मुकदमें वापस ले लिये जायें । दूसरे मान्यवर, सी० बी० आई० जांच के आदेश हो गए हैं लेकिन जांच आपके स्तर पर रुकी हुई है इस विषय में विशेष तौर से बल दूंगा । इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बड़ी दुखद स्थिति है और सरकार की असफलता को उजागर करती है । भयमुक्त समाज का खोखला नारा देने वाली सरकार विरोधी दल के उप नेता की रक्षा नहीं कर सकी तो जनसामान्य की रक्षा कैसे करती होगी । जब यहां से बैठकर भी भाटी जी ने अपने जीवन रक्षा की आशंका व्यक्त की थी तो बड़े गर्व के साथ वहां से श्री संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था आश्वासन दिया था, आश्वस्त दिया था कि उनके प्राणों की रक्षा की जायेगी । आज भाटी जी हमारे बीच नहीं है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संसदीय कार्यमंत्री मौजूद हैं इनके आगे नैतिकता की बात तो करना ही बेकार है । आज एक बहुमूल्य जीवन हमारे बीच नहीं है । भाटी जी की हत्या में निश्चित रूप से प्रदेश सरकार जिम्मेदार है । आज लगातार उनके परिवार वालों को धमकियां मिल रही हैं उनके जीवन को खतरा उपस्थित हो गया है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब जवाब देंगे तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनके परिवार की रक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है । भाटी जी के विरुद्ध तमाम राजनैतिक मुकदमें कायम कर दिए गये थे । उनके परिवार के ऊपर मुकदमें चलाना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिसमें बदनीयती झलकती है । इसी गाजियाबाद में यह लगातार तीसरी राजनैतिक हत्या हुई । श्री राजपाल के भाई कुशल पाल की हत्या हुई, श्री डी० पी० यादव के बहनोई कमल यादव की हत्या हुयी लेकिन सरकार नहीं चेती । श्री भाटी जी की हत्या हुयी, सरकार को अब भी होश नहीं है कि यह घटना क्यों घटी ? भयमुक्त समाज का नारा देने वाली सरकार ने ऐसी घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया है । मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि विधायकों की सुरक्षा के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ? इस संबंध में मान्यवर, यह आपको अवगत करा दें और आप हमको विश्वास में ले लें । मैं जानना चाहता हूं कि सत्ता रूढ़ दल के लोगों के लिये क्या व्यवस्था है और विपक्ष के लोगों के लिये सरकार द्वारा क्या सुरक्षा व्यवस्था की गयी है । आप आज ही यह घोषणा करें, महेन्द्र सिंह भाटी की परिवारजनों की विशेष सुरक्षा के लिये और उनके परिवार के खिलाफ जो झूठे मुकदमें कायम किये गये हैं उनको वापस लेने की घोषणा करें । इसी में इनकी नैतिकता का तकाजा है । इससे पता चलेगा कि इनका हाथ उसमें है कि नहीं ।

* श्री इम्तियाज अहमद–

उपाध्यक्ष महोदय, वाकई में यह बहुत दुखद प्रकरण है । जिन परिस्थितियों में भाटी जी की हत्या हुयी है और इसके पहले जो भी दस्तावेज पढ़े गये, जो चिट्ठी पढ़ी गयी जिलाधिकारी गाजियाबाद और पुलिस थाना दादरी के संबंध में और स्वयं भाटी जी ने यहां गुहार की थी अपनी रक्षा की लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से मुनासिब कदम नहीं उठाये गयें और उनकी हत्या हो गयी । अब उनके परिवार की रक्षा का सवाल है । अक्सर यह देखने में आया है कि जब भी विपक्ष की ओर से कोई सदस्य अपनी सुरक्षा की गुहार करता है तो बहुत हल्केपन से सत्तापक्ष की ओर से, सरकार की ओर से उस बात को लिया जाता है । नतीजा यह है कि हम एक-एक माननीय सदस्य को अक्सर श्रद्धांजलि अर्पित करते जा रहे हैं । भयमुक्त समाज का नारा देने वाली यह सरकार, जो सरकार यह कहती है कि हमने कानून का शासन कायम कर रखा है उसके जमाने में हर दिन बेशकीमती जानें जा रहीं हैं । यह जो सिलसिला है यह टूटेगा या नहीं । दुख होता है कि बार-बार ये प्रकरण आते हैं । अभी माननीय नेताओं ने अपनी बातें रखीं हैं, दुख की बात है कि भाटी जी के परिवार के लोगों पर झूठे मुकदमें कायम किये गये हैं । उनकी हत्या के प्रकरण में सी० बी० आई० की जांच के लिये कहा गया था उसमें सिर्फ एक फैक्स संदेश भेजा गया है फाइल न जाने कहां है । इन सब बातों की सरकार को नोटिस लेना चाहिये और तत्काल कारगर कार्यवाही करनी चाहिये और उनके परिवारजनों की सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिये । भाटी जी की हत्या की जांच का काम शीघ्रातिशीघ्र शुरू करा देना चाहिये यही मैं कहना चाहता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

* श्री विजय पाल सिंह तोमर–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो जब से यह भयमुक्त समाज का नारा देने वाली सरकार सत्ता में आयी है तब से बराबर विपक्षी दलों के विधायकों और उनके परिवार के लोगों की हत्यायें तथा उन पर हमले हो रहे हैं। माननीय भाटी जी की हत्या हुयी। उन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार इसी सदन में अपनी सुरक्षा की गुहार की और उनको आश्वासन दिया गया लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उनकी सुरक्षा करने में पूर्णतः असफल रही। बल्कि यही नहीं वहां के स्थानीय् पुलिस प्रशासन पर आरोप है कि इस हत्या में वह शामिल था। उनकी साजिश इस हत्या में थी। सी० बी० आई० की जांच आज तक नहीं हुयी है। वहां पर लगातार राजनीति हत्यायें हो रही हैं। श्री डी० पी० सिंह यादव के बहनोई की हत्या हुयी, विधायक राजपाल त्यागी के भाई की हत्या हो गयी और महेन्द्र सिंह भाटी की हत्या हो गयी और उनके परिवार को बराबर धमकियां मिल रही हैं उनके परिवार को खतरा है। यदि कोई विपक्ष का सदस्य अपनी सुरक्षा की मांग करता है और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करता है तो कोई व्यवस्था नहीं की जाती है लेकिन जो इनके विधायक भी नहीं हैं उनको 2-2- गनर और 4 सिपाही सुरक्षा के लिये मिलते हैं इस तरह का पक्षपाती रवैया अपनाया जाता है। मेरा निवेदन है कि श्री महेन्द्र सिंह भाटी के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें और उनके परिवार के लोगों पर जो झूठे मुकदमें कायम किये गये हैं उनको वापस लिया जाये।

* नेता विरोधी दल–(कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, इस सरकार से कोई सही भी बात कितनी भी कही जाय, लेकिन यह सरकार अपनी ही लाइन पर चलती रहती है, चाहे विधायक मारा जाय और खास तौर से विरोधी दल के विधायकों की इनको कोई चिन्ता नहीं है। महेन्द्र सिंह भाटी जी ने इसी सदन में एक बार नहीं अनेक बार गोहार लगाई थी, अपनी सुरक्षा के लिये, लेकिन व्यवस्था क्या की गयी, एक गनर दे दिया फर्ज अदायगी में। जरा आप भयमुक्त समाज की जो कल्पना की है, गाजियाबाद में दो-दो सौ हत्या करने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं, आपके एस० एस० पी० में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको गिरफ्तार करें। टाडा में, गैगेस्टर में विधायकों को तो आप बन्द करवा रहे हैं, लेकिन जो डेढ़-डेढ़ सौ हत्या करने वाले लोग वहां पर घूम रहे हैं, जरा एक भी नाम तो बता दीजिये कि पुलिस उनके पास तब पहुंच पाई हो। श्री महेन्द्र सिंह भाटी की हत्या हुए डेढ़ महीने हो गये, श्री कुशल पाल त्यागी की हत्या हुए 4 महीने हो गये, क्या आपकी पुलिस कुछ कर पाई है ? नहीं कर पाई है और न कर पायेगी। क्या विरोधी दल के विधायक इस तरह से मारे जायेंगे ? मान्यवर, यह सरकार पूर्ण रूप से कानून-व्यवस्था के माने में, वैसे तो सभी माने में असफल हो चुकी है, लेकिन जब विधायक की जान की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो सामान्य आदमी की क्या स्थिति होगी।

मान्यवर, आप जानते हो कि डकैत दिन में आता है और दिन दहाड़े जहां पर पहुंचता है, लोग घर के घर छोड़ कर भाग जाते हैं। यह आपकी पुलिस की शाख बनी हुई, इतनी शाख पुलिस की बनी हुई है कि आज डकैत से परेशानी नहीं है, उससे ज्यादा पुलिस से परेशानी है। ऐसा कोई थाना नहीं है जहां

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

*

पर कि खुलेआम वसूली न हो रही हो । सबसे ज्यादा जो लोग पीड़ित हैं, वह पुलिस से पीड़ित हैं । रोजाना थानों द्वारा पचासों हजार की वसूली हो रही है, आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं, शासन चला रहे हो । भाई गुप्ता जी, जरा कुछ तो सोचिये, आप वहां बहुत दिन रहोगे कि नहीं रहोगे, लेकिन जो आपके कार्य हैं, वह हमेशा याद किये जायेंगे । आप चाहते हो कि आपके इन्हीं कार्यों को जनता याद करे । इस प्रदेश की सबसे असफल सरकार रही है, तो आपकी, किसी माने में, आप देख लें । आप कहते हैं कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक कर दी गयी है । महेन्द्र सिंह भाटी के हत्यारों को डेढ़ महीने से गिरफ्तार नहीं किया गया है और न कर पाओगे । वह मूल चन्द तिवारी जो इन्सपेक्टर था सी० आई० डी० का, तीन बार फोन करता है, क्यों फोन करता है, भाटी के घर पर जाकर बयान नहीं ले सकता था । तो मैं आपसे 3-4 बातें जानना चाहूंगा और सदन में कोई चलता पुर्जा जवाब मत दो, यह गंभीरतापूर्वक, सदन की गरिमा के अनुरूप, विधायक की गरिमा के अनुरूप जवाब दिया करो । यह मेरा आपसे आग्रह है । आप किसी बात का सीधा जवाब ही नहीं देते हो । एक तो उन अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार किया जाय । आप आज सदन में घोषणा करें कि कितने दिन के अन्दर उन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजोगे ?

दूसरे भाटी के परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाये और अगर कोई बात हो तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी । आज तक उनके परिवारों का पता नहीं लग पाया है । उनके परिवार वालों के पास रोज फोन आ रहे हैं कि उनकी भी हत्या कर दी जायेगी । नरेन्द्र सिंह भाटी तीसरे सदस्य हैं, दो भाइयों की हत्या पहले ही हो चुकी है । आपने उनको एक गनर दिया है । जब दूसरों के पास ए० के० 47 और ए० के० 51 राइफलें हैं तो उनके सामने एक गनर क्या कर पायेगा । आप उनके परिवार की रक्षा करायें । नरेन्द्र सिंह भाटी की रक्षा की जिम्मेदारी आप लें । जैसा हमने कहा कि तमाम आपराधिक लोगों को 2-2 और चार-चार गनर दिये गये हैं, आप अपने दामन को झांक कर देखें कई ऐसे आपके जिला अध्यक्ष हैं, जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले चल रहे हैं, उनको गनर देने में आप नहीं पूछते हैं कि हमारे पास गनर नहीं है ।

श्री शिव लाल मित्तल–

मेरे पास गनर नहीं है । आप सफेद झूठ बोल रहे हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आप पहली बार चुनकर आये हैं और यही आखिरी बार भी है । यह बेचारे मंत्री नहीं बन पाये हैं । मान्यवर, भाटी जी के लड़कों पर फर्जी मुकदमें दायर हैं, आप उनको वापस लें और ग्रेटर नोएडा का नाम बदल कर महेन्द्र सिंह भाटी के नाम पर उसको रखें ।

* वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री–(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

कुछ क्षण ऐसे जरूर होते हैं जिस समय कोई पार्टी का भेद रख कर बात की जाये, लेकिन हर समय पार्टी के आधार पर बात करना ठीक नहीं है । मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने कई आरोप लगाये हैं और अगर उन आरोपों पर टिप्पणी न की जाये तो जो प्रोसीडिंग लिखी जा रही है, वह हजारों साल रहेगी । मान्यवर, जहां तक भाटी जी का सवाल है, उनकी मृत्यु बहुत दुखद हुई है । उनकी मृत्यु के बाद मैं वहां गया था और कुछ विधायक भी थे और चर्चा हुई थी । जहां तक मेरा व्यक्तिगत और शासन का रुख है, उसे मैं बता दूं । यह कहा गया कि जो नामजद मुल्जिम हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन किशन भाटी, नवाब आजाद और बलजीत कौन हैं ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

यह भाटी की हत्या में मुल्जिम नहीं था । वह नवाब महेन्द्र फौजी का एसोसियेट है और उसको दिल्ली में पुलिस ने गिरफ्तार किया और जब यहां की पुलिस से पूछा गया कि किस अपराध में इसको गिरफ्तार किया जा रहा है, अपराध संख्या बतावें तो पुलिस ने कह दिया कि महेन्द्र सिंह भाटी की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है और जेल में भिजवा दिया । किशन और बलजीत का जहां तक सवाल है वह मेरठ जेल में पेश हो गये हैं । इन लोगों ने मुखबिर का काम किया है । यह हत्या में शामिल नही थे, इन्होंने भी आत्म समर्पण किया है, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, पुलिस ने जांच की और जांच में जो अभियुक्त सामने आते गये, जो मैंने नाम लिये हैं इसमें से 2 को पुलिस ने पकड़ा, 2 सरेन्डर हुए और 2 शेष हैं लेकिन इस पर आपका कहना है कि जो असली मुल्जिम हैं पकड़े नहीं गये , मैं किसी बहस में नहीं जाता, आपने स्वयं इच्छा व्यक्त की थी कि पूरे संदर्भ की जाँच सी० बी० आई० से करा दी जाय । सी० आई० डी० से जांच कराने के लिये राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाता है, ने 25-10-92 को भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया । अभी तक मेरे पास इसकी सूचना नहीं आई है कि अगला कदम क्या है . हम इसकी स्वयं मानीटरिंग कर लेंगे । हम यह आश्वासन देते हैं कि हम सरकारी स्तर पर भी इसको दिखवा लेंगे कि सी० बी० आई० जांच की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की गयी । मैं तिवारी जी से भी निवेदन करूंगा कि इसको वह भी देखे ।

मान्यवर, यह बात भी सही है कि उनके पास एक गनर होने के बाद भी उनकी हत्या हो गयी । मैं किसी विवाद में नहीं जाना चाहता । गाजियाबाद स्थिति माननीय सदस्य भी जानते हैं कि अन्य जिलों के मुकाबले में वहां की स्थिति भिन्न प्रकार की है । भिन्न क्यों बनी मुझे इसकी गहरी जानकारी भी नहीं है और मैं उसकी गहराई में जाना भी नहीं चाहता । लेकिन फिर भी अन्य जिलों के मुकाबले वहां की स्थिति भिन्न है तो वहां का नियंत्रण करने की प्रक्रिया भी भिन्न प्रकार की है । भाटी जी के साथ ट्रेन में हम लोग साथ-साथ जा रहे थे, समस्या की गहराई को मैं भी समझता हूं । शासन से अगर कोई अपेक्षा करेगा, वैसे तो हर नागरिक की सुरक्षा करना शासन की जिम्मेदारी है अगर कोई कहेगा तो हम शैडो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देंगे, गनर देंगे लेकिन प्राण रक्षा करने का काम तो भगवान का है वहां सरकार नहीं जायेगी । वैसे मुझे पूरी हमदर्दी है इस बात से, मैंने गाजियाबाद में भी बात की थी, शासन का निर्देश है, उस परिवार की सुरक्षा के लिये अगर कोई कमी है तो उसको दिखवा लिया जायेगा । एक बात माननीय सदस्य ने बहुत ही गंभीर कही कि वहां पर एक ऐसा गनर भेज दिया गया है जो बन्दूक चलाना नहीं जानता, मैंने प्रतिवाद नहीं किया वहां पर चर्चा हो रही है सांसद और विधायकगण बैठे थे वहीं पर यह बिन्दु भी उभरकर आया था कि वहां जो शैडो और गनर दिये गये हैं, वहां वह रहना नहीं चाहते हैं, हमसे यह भी बात कही गयी थी एक विशेष व्यक्ति के लिए कि एक शैडो या गनर इसको भी दे दिया जाय मैंने उसका नाम नोट किया था, उसको देखना पड़ेगा, मेरे पास जानकारी आई है कि कई मामलों में उस व्यक्ति का चरित्र साफ नहीं है ।

मुझे उस परिवार के साथ पूरी हमदर्दी है लेकिन शासन के नियम तोड़ कर उस बात का पालन करने में दिक्कत है । हम प्रयास कर रहे हैं कि बदल दें, इसके लिए निर्देशित कर दिया जायेगा और बदल दिया जायेगा । 2-3 बातें कही गयीं जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा था मैं माननीय नेता विरोधी दल जी की बात को सम्मान पूर्वक लेता हूं और लेना भी चाहिये लेकिन उन्होंने पता नहीं किस आवेश में यह कह दिया एक भी थाने को अपवादस्वरूप नहीं माना और कह दिया कि सब थाने 50,000 रुपये में बिक रहे हैं, मै समझ रहा हूं कि यह अतिश्योक्ति पूर्ण बात हो जायेगी । हमें यह सोचना है कि यह कर्मचारी हमारे हैं हमें काम इन्हीं से लेना है लेकिन एक झाड़ू से सबको भ्रष्ट कह दें, लापरवाही कह दें, चरित्रहीन कह दें यह भी डेमोक्रेटिव सेटप में अच्छी बात नहीं होगी लेकिन जहां कहीं भी गड़बड़ी की सूचना मिलती है, हम कार्यवाही करते हैं ।

एक बात हमारी पार्टी के खिलाफ लगायी गयी कि गनर दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों को शैडो और गनर दे दिया है यह भी कुछ गुस्से में बात कही गयी है, हकीकत नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

एक लिस्ट दे दूंगा मेरे पास है जिसमें कि आपराधिक चरित्र के लोगों को गनर दिये गये हैं एक-एक नहीं दो-दो दिये गये हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं स्वयं नेता विरोधी दल के पास जाकर वह लिस्ट प्राप्त करने का प्रयास करूंगा । जहां तक हमारी नीति का सवाल है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को शैडो या गनर देने का सवाल नहीं है अगर कहीं दिया गया होगा तो उस चूक को ठीक करने का प्रयास करेंगे । हम क्रियाशील सहयोग के लिये नेता विरोधी दल के आभारी होंगे । राजनीतिक भेदभाव की बात कही गयी कि वे हम बरतते हैं यह ज्यादती होगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

लालजी वर्मा जी टांडा फैजाबाद से आते हैं फैजाबाद के हर एम० पी०, एम० एल० ए० को दो-दो गनर दिये गये हैं विजय सिंह तोमर मेरठ से आते हैं हर विधायक के पास वहां दो-दो गनर हैं इन लोगों को मात्र एक दिया गया है । यह दो उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी, मैंने कहा कि मैं इस संबंध में नेता विरोधी दल से स्वयं मिलकर के आपराधिक व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त कर लूंगा । शैडो गनर की जो बात है अलग-अलग व्यक्ति की आवश्यकतायें और परिस्थितियां होती हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आप केवल विरोधी दल के विधायकों की परिस्थितियों को देखेंगे अपने यहां के विधायकों की नहीं देखेंगे । भा० ज० पा० के सांसद/विधायक को दो-दो देंगे इधर के जो हैं उनको एक-एक देंगे । यह भेदभाव नहीं होना चाहिये ।

यह फैजाबाद और मेरठ में भेदभाव नहीं है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरठ में तो हमारी पार्टी का कोई एम० एल० ए० है ही नहीं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह हुआ था कि जो भू० पू० मंत्री हैं और सदन के सदस्य हैं उनको दो-दो शैडो दिये जायेंगे । हमारे पास और आजम साहब के पास देख लें कि कितने शैडो हैं । अध्यक्ष पीठ से जो निदेश हुए, उनका अनुपालन नहीं हुआ ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय वर्मा जी ने जो बात कही उनकी बात पर हम विश्वास करेंगे पता लगाने क्यों जायेंगे । मैंने कहा कि कहीं पर दिये गये हैं तो परिस्थिति रही है । कोई भेदभाव नहीं है मैं उसका प्रतिवाद करता हूं । महेन्द्र सिंह भाटी के संबंध में जो शोक की बात है उससे मैं अपने को संबद्ध करता हूं । शासन की ओर से पूरे निर्देश दिये गये हैं सुरक्षा के लिये, हम उसे देख लेंगे पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था है या नहीं ।

श्री सोमांश प्रकाश–

एक हम लोगों ने मांग की थी कि माननीय भाटी जी के परिवारजनों के खिलाफ जो मुकदमें हैं उनके बच्चों के खिलाफ जो राजनीतिक आधार पर हो गये थे, भाटी जी का तो स्वर्गवास हो गया उनके बारे में क्या निर्णय ले रहे हैं वापस करने के बारे में ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इस स्तर पर जानकारी नहीं है । मुकदमें किस तरह के हैं . मुकदमें दो तरह से विभाजित होते हैं एक सरकार उसका पक्ष हो दूसरे किसी व्यक्ति ने मुकदमा दायर किया हो । लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है जिनका देहान्त हो गया उनके खिलाफ मुकदमे थे उनका तो कोई सवाल नहीं है लेकिन आपने उनके परिवार के लोगों के बारे में कहा जब तक उसका नेचर क्या है, इसकी जानकारी मुझे नहीं हो जाती है तब तक मैं कोई आश्वासन इस सदन में नहीं दे सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूं दूसरी सूचना ले रहा हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, नरेन्द्र सिंह भाटी जी ने भी कहा है कि उनकी जान को खतरा है, उनके पास केवल एक गनर हैं । आपने उसके बारे में कुछ नहीं बताया । उनके परिवार के बारे में आप क्या सुरक्षा करेंगे यह भी बता दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, उनके परिवार की सुरक्षा के बारे में मेरी जानकारी के अनुसार उचित निर्देश दे दिये गये हैं और मुकदमों के बारे में हम समीक्षा करा लेंगे ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को मैं अवगत करा दूं कि उनके दो बेटों को एक -एक गनर दिया गया है । दूसरा जो मुकदमों के नेचर के बारे में कहा गया है तो अगर कोई चोरी या डकैती का मुकदमा होगा तो मैं वापस नहीं कराऊंगा । लेकिन जो पुलिस की बदनीयती है, 18-10-91 को जो लाठी चार्ज किया गया और उसमें उनके दोनों बेटों को नामजद किया गया दूसरा मामला 18-11-92 का सेक्टर -39 में जो सन्तराम की हत्या हुई और ग्रामवासियों में और पुलिस में जो झगड़ा हुआ और उसमें भाटी जी के छोटे लड़के को गाजियाबाद से बुलाकर टाडा में बन्द कर दिया जो कि एम० बी० बी० एस० कर रहा था और हास्टल में रहता था और बड़े लड़के को भी टाडा में बन्द कर दिया तो यह पुलिस की बदनीयती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, गाजियाबाद की जो स्थिति है वह अन्य जिलों से बिल्कुल भिन्न है.इससे आप भी सहमत होंगे । जब तक इसका परीक्षण नही कराया जायेगा तब तक मैं इस सदन में कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूं ।

(इस पर विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे "पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी ")

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपने-अपने स्थानों प्रर चले जायें । मुझे अपनी व्यवस्था देने दें ।

(विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये)

श्री उपाध्यक्ष–

शासन से यह अपेक्षा की जाती है कि स्व० श्री महेन्द्र सिंह भाटी के परिवार की सुरक्षा, माननीय श्री नरेन्द्र सिंह भाटी जी की सुरक्षा सुनिश्चित करें तथा माननीय महेन्द्र सिंह भाटी के परिवारजनों के खिलाफ जो मुकदमें कायम हैं उनका परीक्षण कराकर उस पर अपना निर्णय लें ।

अब मैं दूसरी सूचना ले रहा हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आज नियम–56 में मैंने जो सूचना दी है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि 9/10 अक्टूबर की रात इसी सदन के भूतपूर्व सदस्य तथा इस प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के छोटे पुत्र की हत्या गला दबाकर कर दी गयी और उसमें नामजद रिपोर्ट हुई । नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई और चार अभियुक्त गिरफ्तार हुए । अभियुक्त जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अभियुक्तों को छुड़ाने के लिये सत्तापार्टी के कुछ लोग पुलिस पर दबाव डालकर अभियुक्तों को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं । यह बात महत्वपूर्ण इसलिये भी है कि इससे पहले भी माननीय श्री तिवारी जी ने ठेकेदारी और राजनैतिक गठबन्धन तथा राजनीतिज्ञों का अपराधियों से सांठगांठ और राजनीति में अपराधीकरण के बढ़ते वर्चस्व के खिलाफ बराबर संघर्ष करने की घोषणा की और इसके लिये उन्होंने संघर्ष किया भी । इससे पहले कोई गुप्ता जी थे, उनकी मृत्यु हुई थी । उसके अपराधियों को पकड़वाने के लिये उन्होंने बराबर मुख्यमंत्री जी को, डी० आई० जी० को व गृह मंत्री जी को पत्र लिखे ।

माननीय श्री तिवारी जी ने अपने पत्र में यह स्पष्ट लिखा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी आपने एकता परिषद् की बैठक में जो भाषण दिया कि राजनैतिक अपराधीकरण और अपराधियों का राजनैतीकरण के खिलाफ हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार संघर्ष करेगी । इससे प्रभावित होकर राजनैतिक अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीति में बढ़ते वर्चस्व को देखकर तथा फैजाबाद में दिन प्रतिदिन हत्याओं की घटनाओं को लेकर मैं भी आपके नेतृत्व में संघर्ष कर रहा हूं । इस पत्र में उन्होंने यह भी लिखा है कि इस संघर्ष को करने के परिणामस्वरूप मेरी और मेरे परिवार की हत्या की जा सकती है परन्तु राजनीति में ईमानदारी और सत्यता के साथ काम करने और आपके द्वारा एकता परिषद् की बैठक में की गयी घोषणा के तहत मैं भी अपनी जान की बाजी लगाकर इस अपराधीकरण का विरोध कर रहा हूं । उन्होंने यह आशंका जाहिर की थी कि मेरे पुत्र की हत्या हुई और जो नामजद अभियुक्त गिरफ्तार किये गये थे, उनकी मंशा हत्या करने की क्यों हुई, उनका मोटिव क्या था, पुलिस इसकी जानकारी अभी तक नहीं कर पाई है ।

श्री तिवारी जी ने अपने पत्र में आशंका जाहिर की है कि राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण का विरोध करने के कारण मेरे पुत्र की हत्या की गयी है । उन्होंने पहला पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को 3-11-92 को लिखा । बड़ा लम्बा पत्र लिखा है, जो बहुत ही सशंकित व गम्भीर मन से लिखा है । प्रिय मुख्य मंत्री जी, मेरे लड़के श्री चन्द्र प्रकाश की 9/10 अक्टूबर की रात्रि में गला दबाकर हत्या कर दी गयी थी । उन्होंने इस पत्र में यह भी आशंका व्यक्त की है कि इस हत्या के बाद हमारी जान को भी खतरा उत्पन्न हो जाय, इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस सारे मामले में सी० बी० आई० जांच करा दें, जिससे इस बात का पता चल सके कि किस साजिश के तहत अपराधियों ने मेरे लड़के की हत्या की । मेरे लड़के की हत्या के बाद मेरी और मेरे परिवार की भी कहीं हत्या न हो जाय । जब इस पत्र का कोई उत्तर नहीं मिला तो मजबूर होकर 11-11-92 को उन्होंने दूसरा पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को पुनः लिखा । जिसमें उन्होंने लिखा है–''यह पत्र मैं बड़ी ही तनावपूर्ण स्थिति में और अपने जीवन तथा आजादी को गम्भीर खतरे में डालकर लिख रहा हूं ।

मेरे लड़के चन्द्र प्रकाश तिवारी की 9/10 अक्टूबर, 92 की रात्रि में गला दबाकर हत्या कर दी गयी । हत्यारों के बारे में पता लगते ही मैंने घटना की नामजद रिपोर्ट थाना इब्राहिमपुर जनपद फैजाबाद में कर दिया और पुलिस पांच नामजद अभियुक्तों में से चार को पकड़ने में सफल भी हुई लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा नेताओं तथा कुख्यात अपराधियों के अनुचित दबाव में क्षेत्राधिकारी टाण्डा श्री आर० बी० सिंह ने अभियुक्तों को हर प्रकार का संरक्षण देना शुरू कर दिया और पकड़े गये अभियुक्तों से हत्या के मकसद का पता लगाने का प्रयास करने के बजाय उन्हें आनन-फानन में जेल भिजवा दिया । पांचवां अभियुक्त न तो आज तक पकड़ा गया और न उसे पकड़ने के लिये पुलिस द्वारा कोई विशेष प्रयास किया गया । पत्र तो बहुत लम्बा है किन्तु मैं उसके खास अंश आपको सुनाता हूं । इस पत्र का भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब कोई जबाव नहीं दिया तो उन्होंने मजबूर होकर तीसरा पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा, 18-11-92 को । इस पत्र में उन्होंने लिखा कि हत्या के पहले जितने अपराधियों का उन्होंने विरोध किया था, उनकी गिरफ्तारी कराने आदि बातों का ब्यौरा दिया था । उन्होंने इस पत्र में यह भी लिखा कि अगर अपराधियों का पर्दाफाश नहीं किया जाता और सी० बी० आई० इन्क्वायरी नहीं कराई जाती, तो मैं पुनः चेतावनी देता हूं कि अपराधी गिरोहों द्वारा मेरे परिवार तथा मेरी भी हत्या कर दी जायेगी । मान्यवर, मैं बड़ी गम्भीरता से कहना चाहता हूं कि यह जितने भी पत्र तिवारी जी द्वारा लिखे गये हैं, उन सभी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया है और यह सभी पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को मिल गये हैं, इसे वह नकार भी नहीं सकते कि नहीं मिले हैं । इन सभी पत्रों

की प्रतिलिपि डी० आई० जी० तथा जिलाधिकारी को भी दी गयी है । इसके बाद चौथा पत्र तिवारी जी ने जिलाधिकारी, फैजाबाद को लिखा है, जिसमें लिखा है कि राजनैतिक दबाव के चलते सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों ने एक मुल्जिम को जबरिया अंधा होने का सर्टीफिकेट दिलवाने के लिये डाक्टर पर दबाव डाला है ।

श्रीमन् माननीय तिवारी जी आपके साथ भी काम किये हैं, इस प्रदेश में एक ईमानदार राजनीतिज्ञ के रूप में उनकी छवि है, उनके द्वारा कही हुयी किसी बात पर पूरे सदन ने विश्वास किया है, उसे सही माना है । तिवारी जी ने कभी भी किसी असत्य बात को सदन में उठाने की हिम्मत नहीं की इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तिवारी जी ने भरे मन से, रो-रोकर यह सब लिखा है इसलिये माननीय मुख्यमंत्री जी आपको इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । अंतिम पत्र में तिवारी जी ने मुख्य मंत्री जी को लिखा है कि श्रीमन् आपकी घोषणाओं के अनुरूप मैंने अपराधियों के खिलाफ खुली जंग का ऐलान किया है और उसका परिणाम यह हुआ है कि मेरे लड़के की हत्या कर दी गयी और अब मेरी और मेरे परिवार की भी हत्या कर दी जायेगी इसलिये अपराधियों का अवश्य पर्दाफाश किया जाय और इसके लिये सी० बी० आई० इन्क्वायरी हो । मान्यवर, आप तिवारी जी के काफी निकट रहे हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी उनके मित्र हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनके मित्र हैं और तिवारी जी ने अपने पत्रों में अपनी स्वयं की हत्या हो जाने की बात को लिखा है, इसलिये कहीं ऐसा न हो, जैसे महेन्द्र सिंह भाटी ने इसी सदन में चिल्ला-चिल्लाकर कहा था कि मेरी हत्या हो जायेगी, सदन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उनकी हत्या हो गयी, इसलिये मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर इस बात को थोड़ा सा भी हल्के रूप में लिया गया तो तिवारी जी और उनके परिवार की फैजाबाद के अपराधी गिरोहों द्वारा हत्या कर दी जायेगी और एक कुशल चरित्रवान व्यक्ति का सफाया कर दिया जायेगा, इसलिये मेरा कहना यह है कि आप सरकार को निर्देशित करें, माननीय संसदीय कार्य मंत्री से भी मेरी प्रार्थना है कि वह इस मामले की सी० बी० आई० इन्क्वायरी के लिये केन्द्र सरकार को संस्तुति कर दें ।

* श्री लालजी वर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राम गोविन्द चौधरी ने जो प्रकरण उठाया है, वह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है मेरे विधान सभा क्षेत्र में तिवारी जी का घर पड़ता है । तिवारी जी जैसे राजनीतिक व्यक्ति के पुत्र की इस तरह से हत्या की जाय शर्म की बात है । तिवारी जी के लिखने के बावजूद भी उस पर कोई कार्यवाही सरकार द्वारा न की जाय और उल्टे सरकार के मंत्री और विधायक अपराधियों को छुड़ाने की कार्यवाही में संलग्न हैं तो इससे ज्यादा दुख की बात और कोई नहीं हो सकती है । इनके भयमुक्त समाज का नारा खोखला साबित हो रहा है । आप तिवारी जी को अच्छी तरह से जानते हैं, राजनीति में रुचि रखने वाले बहुत से लोग उन्हें अच्छी तरह जानते हैं । अपने तर्कपूर्ण भाषणों के लिये यहां वह जाने जाते रहे हैं यहां पर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें उठाई हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तिवारी जी के साथ-साथ काम किये हैं । ऐसी स्थिति में मुझे आश्चर्य हो रहा है कि उनके लड़के की हत्या होती है और उसको इतने हल्केपन से लेने का काम किया जा रहा है । उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कराया जा रहा है । आज इससे पूरे क्षेत्र में भय व्याप्त हो गया है । जब यह प्रकरण हुआ उस समय जो तत्कालीन थानाध्यक्ष थे उसने जानबूझकर तिवारी जी की रिपोर्ट नहीं लिखने दी । इस तरह से वहां की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पुलिस एस० ओ० और सी० ओ० सब ने मिल कर इस तरह की कई हत्यायें कराई हैं और लाखों रुपया लेने का काम किया है इस तरह की हत्याओं की सूचना पहले पुलिस को थी ।

श्री उपाध्यक्ष–

संक्षेप में कहें ।

श्री लालजी वर्मा–

जानबूझ कर इस प्रकरण को मंत्रियों के द्वारा विधायकों के द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा है और अनुचित दबाव डाल कर बचाने का प्रयास किया जा रहा है । रवीन्द्र नाथ तिवारी जी के लड़के को जिस प्रकार अपराधियों ने मारा उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये । यह उसी तरह की घटना है जैसे गाज़ियाबाद का जिक्र आया हमारे यहां भी अकबरपुर में दिन दहाड़े हत्या होती हैं, उससे लगा हुआ यह क्षेत्र है । वहां अपराधी इस कार्य में संलग्न हैं और पुलिस से लड़ने के लिये भी तैयार रहते हैं । जब तिवारी जी उनके खिलाफ कहते हैं तो इस तरह की साजिश कर उनके लड़के की हत्या की जाती है एक सबक सिखाने के लिये । यह एक गम्भीर मामला है इसमें दो-दो मंत्री राजनीतिक दबाव डाल रहे हैं । मेरी आपके माध्यम से शासन से मांग है कि इसकी सी० बी० आई० से जांच कराई जाय यही मेरी आपसे कार्यस्थगन के माध्यम से मांग है ।

* श्री विजय सिंह राणा–

माननीय उपाध्यक्ष जी माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी के लड़के की हत्या एक दुखद मामला है वह हमारे सदन के माननीय सदस्य रहे हैं । जो लोग इस पक्ष या उस पक्ष में बैठे हैं सभी उनके व्यक्तिगत मित्र रहे हैं और उनका सम्मान और आदर करते रहे हैं । मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी इस सदन के मर्यादित व्यक्तियों में से रहे हैं और उनकी मांग माननीय मुख्य मंत्री जी को पहले ही मान लेनी चाहिये थी उन्होंने कोई अन्यथा मांग नहीं की है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी व्यक्तिगत रूप से उनसे प्रभावित रहे होंगे । मैं समझता हूं रवीन्द्र नाथ तिवारी जी कोई अन्यथा बात नहीं कहते हैं उन्होंने एक सही बात कही है तो मान लेनी चाहिये । तो मैं यह मांग करता हूं कि एक तो सी० बी० आई० की इन्क्वायरी इस संबंध में अवश्य हो दूसरी बात यह है कि जो उनके पुत्र की हत्या हुई है, पुलिस वहां के लोगों से मिलकर जिस तरह से प्रकरण को बदलना चाहती है, राजनीति के चलते प्रकरण को बदलने को एक घृणित प्रयास किया जा रहा है राजनैतिक साजिश के तहत उसको तुरन्त दिखवाया जाये और रुकवाया जाय । यह नहीं होना चाहिये । तिवारी जी की सुरक्षा बहुत आवश्यक है वह हर स्थिति में हो जानी चाहिये और उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिये । मैं अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं जब भाटी जी का प्रकरण चल रहा था तो मंत्री जी ने एक बात यह कही थी कि इसमें जो राजनैतिक संरक्षण अपराधियों को देने या राजनैतिक विद्वेश का आरोप लगाया गया है वह सही नहीं है । उस संबंध में मैं दो बात कहना चाहता हूं, एक तो उत्तर प्रदेश में इस कालावधि में जब से संसदीय कार्य मंत्री बने हैं तब से आज तक जितनी राजनैतिक लोगों की हत्यायें हुई हैं, उसकी सूची बनाकर उसका परीक्षण करा लिया जाय कि उसमें विपक्षी पार्टियों से संबंधित कितने लोग हैं और दूसरी बात यह है कि मैं यह स्पष्ट बात कहना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश के अन्दर राजनैतिक विद्वेश की भावना से दूसरे पक्ष के लोगों के साथ तमाम अत्याचार हो रहे हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आगरा जिले में हमारे थाना में एक रामवीर सिंह हैं, जो हमारी पार्टी के बहुत बड़े जुझारू कार्यकर्ता हैं उन पर कई फर्जी केस लगाये गये हैं गुण्डा ऐक्ट तक के मामले । लेकिन यह सब मामले फर्जी थे, उस पर फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है । "व्यवधान" और वहीं पर उसी थाने के अन्तर्गत एक ऐसा व्यक्ति था जो भाजपा का समर्थक हैं, उसको न केवल पुलिस ने संरक्षण दिया बल्कि रामवीर सिंह से ज्यादा संगीन अपराधों में वान्टेड होते हुए भी सरकार ने उसे अपनी ओर से अंग रक्षक दे रखे हैं । जितने भी अपराधी इनके पास और इनकी छत्रछाया में पल रहे हैं, उन सबके पास अंगरक्षक हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि उनका इस सरकार पर यह आरोप पूर्णतया सही है और यह सरकार पूर्णतया राजनैतिक विद्वेश से ग्रसित होकर काम कर रही है । यह प्रमाणिक है । इसलिये मैं मांग करता हूं कि श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के पुत्र की हत्या के संबंध में सी० बी० आई० जांच करा दी जाय और उनकी तथा उनके परिवार को पूरी सुरक्षा की जाय । इसमें कोई देरी न की जाय ।

(लाबी में जोर-जोर से बातें होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

लाबी में दिखवा लिया जाय ।

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, इस रवीन्द्र नाथ तिवारी के पुत्र की हत्या के संबंध में अभी मंत्री जी जबाब देंगे, मैं उनसे कहूंगा कि वह इस मामले में तकनीकी मामले में ज्यादा न पड़ें । तिवारी जी की सच्चाई और ईमानदारी इसी से जाहिर है कि हत्या होने के बाद उनको हत्या होने का किसी प्रकार का संदेह ही नहीं हुआ । यह इतने सुनियोजित ढंग से हत्या की गयी थी कि यह पता चलना मुश्किल था कि स्वभाविक मौत हुई या हत्या हुई । इसलिये उन्होंने न कोई रिपोर्ट लिखाई न लड़के की लाश का कोई पोस्टमार्टम हुआ । यह तो हत्या के एक हफ्ता बाद जो उनका नौकर था, उसके जरिये मालूम हुआ कि कौन-कौन लोगों ने उसकी हत्या की थी क्योंकि वह तो भाग गया था जब वापस आया तो रहस्यमय खुला और तिवारी जी को मालूम हुआ कि उनके परिवार के लोगों की भी हत्या की जा सकती है तब जाकर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई और एक पेश हो गया । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री की नियत पर कोई शक नहीं करता हूं, लेकिन सत्तारूढ़ दल के वहां के स्थानीय लोगों ने इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की है । इस तरह से किसी राजनीति में रहने वाले व्यक्ति के संबंधियों यहां तक कि उनके पुत्र की हत्या हो जाय तो इसके बारे में जांच करवानी चाहिये । जो निवेदन तिवारी जी ने किया है कि इसकी सी० बी० आई० द्वारा जांच कराई जाय तो मान्यवर, हमारा निवेदन है कि इसकी जांच सी० बी० आई० से ही करवाई जाय । स्थानीय पुलिस द्वारा जांच करा पाना सम्भव नहीं है क्योंकि चार्जशीट ही नहीं लिखी जायेगी । साबित हो गया है कि हत्या की गयी है । पोस्ट मार्टम नहीं कराया गया । सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे मामले होते हैं जिनमें आई विटनैस है तो पोस्ट मार्टम की उतनी आवश्यकता नहीं होती है । आई विटनैस के आधार पर सजा मिल सकती है । तिवारी जी ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि इसकी सी० बी० आई० जांच कराई जाये जिससे मुल्जिम को सजा मिलने में कोई दिक्कत न हो इसलिये हम चाहते हैं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी तरफ से इसकी सी० बी० आई० जांच के निर्देश दे दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मानवता के आधार पर भी स्वच्छ राजनीति करने वाले व्यक्ति जिनके पास कोई शैडो नहीं था जो कि आज भी गांव में अकेले रहते हैं । उनका लड़का घर के दरवाजे पर सोता था यदि उसकी किसी से दुश्मनी होती तो वह कमरे में सोता । दरवाजे पर ही हत्या हुई है । तिवारी जी भी गांव में दरवाजे पर ही सोते हैं इसलिये मेरा कहना है कि पार्टी दलगत या कानूनी बरीकियों से या स्थानीय पुलिस से जांच कराने से अच्छा है कि इसे सी० बी० आई०. को सुपुर्द कर दिया जाय जिससे मुल्जिम को सजा मिलने में आसानी रहे ।

* श्री अखिलेश–

मान्यवर, 9/10 अक्टूबर को पूर्व खाद्य एवं रसद मंत्री माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी के छोटे पुत्र चन्द्र प्रकाश तिवारी की हत्या कर दी जाती है । हत्या के विषय में बहुत से लोगों ने यहां अपनी-अपनी बात रखी । मैं भी कुछ बिन्दुओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । तिवारी जी ने मुख्य मंत्री और गृह मंत्री और भारत सरकार को जो पत्र लिखा है उसमें स्पष्ट लिखा है कि पांच अभियुक्त गिरफ्तार कर लिये गये हैं परन्तु हत्या का उद्देश्य इनको गिरफ्तार करने के बाद भी मालूम नहीं हो पाया है । माननीय तिवारी जी अपराधीकरण के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहे हैं । फैजाबाद के अपराधी गिरोह को सत्ता का वर्चस्व प्राप्त है इसलिये हत्या के उद्देश्य का पता स्थानीय पुलिस द्वारा नहीं लगाया जा पा रहा है । डी० एम० फैजाबाद ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर इस प्रकरण पर सी० बी० आई० की जांच कराने की बात कही है । वहां पर राजनीति दबाव में आकर सही बात नहीं पता चल पायेगी । एक राम उजागर पाण्डेय नामक व्यक्ति है जिसके पास लाइसेंसी बन्दूक है, उसके निलम्बन के लिये कहा गया है परन्तु जिलाधिकारी फैजाबाद ने अभी तक लाइसेंस कैंसिल नहीं किया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ दूसरे तथ्यों को रखना है तो रखें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

इसी तरह से वहां पर ठाकुर प्रसाद पाण्डेय हैं, जो अपनी खेती बाड़ी स्वयं करते हैं जिन्होंने जेल के डाक्टर के ऊपर राजनीतिक दबाव डलवा कर अन्धे होने का सर्टिफिकेट बनवा लिया । जिला अस्पताल के डाक्टर द्वारा राजनीतिक दबाव में भी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया । मान्यवर, इस तरह से अपराधी प्रकृति के लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में स्थानीय पुलिस से निष्पक्ष विवेचना मिलने की सम्भावना नहीं है इसलिये हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि उक्त प्रकरण की सी० बी० आई० जांच कराई जाय और माननीय तिवारी जी के परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाय ।

श्री नरेश अग्रवाल–

सम्मानित सदस्यों ने सब बातें विस्तृत रूप से ला दीं । मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की कथनी और करनी में क्या अन्तर है । तिवारी जी ने राष्ट्रीय एकता परिषद् की प्रेरणा से अपराधियों के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विरुद्ध जेहाद छेड़ा उसका परिणाम यह हुआ कि उनके पुत्र की हत्या हो गई । चार पत्र देने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको गम्भीरता से नहीं लिया ।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई नई बात या कोई नया तथ्य जानकारी में हो तो ला दें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, चूंकि आरोप लगा है कि दो-दो मंत्री और सांसद का दबाव है मंत्रियों के हस्तक्षेप और उनके दबाव से हत्या हुई है आप निर्देश दे दें कि इसमें सत्यता से जांच के लिए सी० बी० आई० से जांच के आदेश दे दें । केन्द्र से जांच के आदेश हम करवा देंगे सत्यता आ जाएगी मंत्रियों का हाथ निकलेगा तो फैजाबाद की जनता भी जान जाएगी कि मंत्री क्या कर रहे हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर सदन की भावनाओं से आप अवगत हो गये पूरा विरोध पक्ष यह चाहता है कि इस प्रकरण में सी० बी० आई० से जांच हो । सी० बी० आई० से जांच का मतलब आपके ऊपर या सरकार के ऊपर दोषारोपण नहीं है लेकिन तिवारी जी के पुत्र की जिन परिस्थितियों में हत्या हुई है अभियुक्तों से कोई ऐसा बयान पता नहीं लगाया जा सका है कि हत्या क्यों हुई ? इसके पीछे उनकी मंशा क्या है तो इस प्रकरण में, इस गम्भीर मामले में, माननीय गुप्ता जी आप बात बाद में कर लीजिएगा आज सदन में पार्टी से ऊपर उठकर, पक्ष और विपक्ष की बात न करके इसको गम्भीरता से लें इसमें आपका ओछापन नहीं होगा आपकी सरकार की बदनामी इसमें नहीं है । इसमें नेकनामी ही होगी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा । सी० बी० आई० की घोषणा कर दें । जो इसमें जांच रिपोर्ट आई है उसमें भी यह घोषणा की गई है कि सी० बी० आई० से तथ्य सामने आ सकते हैं । जब आप बोलने खड़े हों तब आप और बातों पर कहेंगे तो इस गम्भीर प्रकरण पर भी सी० बी० आई० पर अपनी संस्तुति भेज देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय सदस्यों ने जो उद्गार प्रकट किए उनको हमने सुना । रवीन्द्र नाथ तिवारी जी बड़े आदर्शवादी और अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं । इसमें संदेह नहीं है । मुझे इस आदरणीय सदन में सेवा करने का मौका मिला है । मुझे फैजाबाद जाने का मौका मिला अजीब प्रकार की चर्चा है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिये । उनके पुत्र की मृत्यु हुई उसमें जो लोग शामिल है अभियुक्त है उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए इसमें कोई भेद नहीं है इसमें उम्मीद की जाती है कि सही-सही बात कहें मात्र पैशन के लिए आरोप न लगाएं । पांच अभियुक्त जेल में हैं । सूचना में इस बात की पुष्टि है इनके बयान हुए होंगे पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है । जहां तक सी० बी० आई० से जांच का सवाल है पूर्व मंत्रीगण बैठे हैं । वह स्वयं जानते हैं किस स्तर में सी० बी० आई० की जांच कराई जाती है ।

श्री भाटी जी का दूसरा संदर्भ था सभी माननीय विधायकों की इच्छा थी कि सी० बी० आई० की जांच हो। उसमें भी भारत सरकार क्या करती है। ऐसे कई उदाहरण हैं कि वहां से जांच के लिए मना कर दिया जाता है कि हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है। अगर भेजने के लिए ही भेजना है तो वह उचित नहीं है। इसलिए मैं खुद चाहता हूं कि हत्या के उद्देश्य के बारे में जानकारी मिल जाए उसके बाद हम सी० बी० सी० आई० डी० से जांच करा लेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आपने सी० बी० सी० आइ० डी० से जांच मान ली है तो क्या आप सी० बी० आई० से जांच नहीं करा सकते हैं। श्री तिवारी जी ने लिखा है कि अगर सी० बी० आई० से इन्क्वायरी नहीं होगी तो मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। मान्यवर, तिवारी जी का स्वास्थ्य बिल्कुल खराब चल रहा है। अगर कोई दुर्घटना हो गई तो यह पूरे प्रदेश का दुर्भाग्य होगा। अगर आप सी० बी० सी० आई० डी० से जांच के लिए सहमत हो गए हैं तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है माननीय उपाध्यक्ष जी से कि इसकी सी० बी० आई० से जांच के आदेश शासन से दिलवाएं। आप यहां से संस्तुति कर दें, केन्द्र सरकार नहीं करेगी तो यह तो केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। क्योंकि इस मामले पर नेता कांग्रेस आई० नेता विरोधी दल, जनता दल (अ) और जनता दल (ब) सहित सभी विरोधी दल के नेताओं ने इसी बात पर सहमति व्यक्त की है कि सी० बी० आई० से जांच होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस सम्बन्ध में शासन से अपेक्षा करता हूं कि सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस पर उचित निर्णय लेंगे।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आपने तो अपेक्षा की है लेकिन गुप्ता जी के भाव से लगता है कि यह उसे करने के मूड में नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसके सारे केस खुल रहे हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह कह रहे हैं कि केस खुल गया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सी० बी० आई० की संस्तुति कर दें केन्द्र सरकार स्वीकार करे या न करे यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर वह रिजेक्ट हो जायगा तो हम आपसे दोबारा नहीं कहेंगे कि आप पुनः भेजें या जोर लगायें। आप संस्तुति करके भेज दें। तिवारी जी ऐसे व्यक्ति जिनका सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन इस सदन और इस सदन के बाहर पूरी तरह से समर्पित जीवन रहा है उनके छोटे लड़के की हत्या हो जाय, उसमें आपकी कौन सी हेठी हो जाएगी, आप सी० बी० आई० की जांच करा देंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार की इसमें क्या बदनामी हो जायगी। आप कह रहे हैं कि सारी बातें खुल गयीं हैं तो सी० बी० आई० की जांच कराने में क्या हर्ज है जो आरोप लग रहे हैं वह निराधार साबित हो जायेंगे। इसको प्रतिष्ठा का विषय न बनायें और इसकी सी० बी० आई० से जांच करा दें। आप स्वयं सक्षम हैं इसमें किसी से पूछना नहीं है। सबकी यही भावना है और आपकी भी यही भावना होगी यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। आप

सी० बी० आई० की जांच की घोषणा कर दें केन्द्र स्वीकार करे या न करे । मैं आग्रह करता हूं कि आप घोषणा करें ।

श्री स्वामीनाथ यादव–

मान्यवर, मंत्री जी से कुछ कहलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं पहले कह चुका हूं । जो कुछ कहना था कह दिया है ।

श्री स्वामीनाथ यादव–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री और इनकी सरकार कातिलों के बचाने की साजिश कर रही है ।

(श्री मुहम्मद मुकीम का नाम पुकारे जाने पर ।)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री घोषणा नहीं कर रहे हैं । माननीय मंत्री जी इससे संबंधित हैं । मंत्री जी घोषणा करें ताकि इनका चेहरा साफ हो जाय कि मंत्री जी इस कत्ल में शामिल नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो विपक्ष की ओर से सुझाव आये हैं उन पर विचार कर लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सुझाव एक है कि यहां से प्रस्ताव कर दिया जाय । मान्यवर, मैं नम्रतापूर्वक सभी उधर बैठे माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि सी० बी० आई० किस स्तर की इन्क्वायरी करेगी उसकी परिपाटी आप पहले बना चुके हैं । क्या उस परिपाटी को देखते हुये हमें भेज देना चाहिये ? मान्यवर, केस बिल्कुल खुल गया है । यह आरोप निराधार है कि सत्तादल का कोई मंत्री या विधायक इसको दबाने की चेष्टा कर रहा है । आप उनके गांव चले जायं सब पता चल जायेगा उसके बाद लौटकर बतायेंगे तो मैं विचार करुंगा ।

श्री मोहम्मद मुकीम–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इटवा में 22 तारीख को पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज किये जाने की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, रासायनिक उर्वरकों की चोरबाजारी हमारे इटवा क्षेत्र में चरम सीमा में चल रही थी जिसको रोकने के लिये परगनाधिकारी से कई बार मैंने अनुरोध किया था और कहा था कि जो पुरानी दरों की खाद है वह किसानों को पुरानी दरों पर बेची जाय लेकिन इस पर परगनाधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया । मैंने 11 तारीख को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि आपकी मिली भगत से खाद की चोर बाजारी हो रही है । इसकी प्रतिलिपि मैंने जिलाधिकारी और मुख्य मंत्री को 11-10-92 को दिया था ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, सरकार सी० बी० आई० की जांच नहीं करवा रही है इसके विरोध में मैं अपने दल के साथ सदन त्याग करता हूं ।

(मा० राम गोविन्द चौधरी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से चले गये ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय ससंदीय कार्य मंत्री जी माननीय रवीन्द्रनाथ तिवारी के लड़के की हत्या की सी०. बी० आई० से जांच कराने में कठोर रुख दिखा रहे हैं इसके विरोध में मैं अपने दल के साथ संदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से चले गये।)

श्री मोहम्मद मुकीम–

मान्यवर, 15 तारीख को मैं परगनाधिकारी के चेम्बर में 11 बजे खाद के संबंध में मिलने गया। चूंकि 11 तारीख को मैंने पत्र लिखा था जिससे वह क्रोधित थे इसलिये उन्होंने मेरा अपमान किया जिसकी सूचना मैंने विशेषाधिकार के रूप में 15-10-92 को 1.30 बजे दे दी थी। मैंने टेलीग्राम द्वारा विशेषाधिकार की सूचना दी थी, परगनाधिकारी को जब यह खबर हुई कि मैंने विशेषाधिकार की सूचना दी है तो उन्होंने पेशबन्दी की और मेरे खिलाफ तथा मेरे सहयोगियों के खिलाफ एक फर्जी मुकदमा लिखाकर हमारे और हमारे साथियों का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। मेरे तथा करम हुसैन, गब्बू पाण्डेय, अमीर उल्लाह, प्रधान एवं 50 अज्ञात व्यक्तियों के नाम मुकदमा अपराध संख्या 125/92 धारा 147/149/353/504/506 सात क्रिमिनल ऐक्ट का दर्ज करा दिया तथा मेरे कुछ समर्थकों को पकड़-पकड़ कर जेल भेजना शुरू कर दिया। 17-10-92 को परगनाधिकारी, इटवा के उकसाने पर तहसील के कर्मचारियों ने एक जुलूस निकाल कर मेरा पुतला जलाया तथा मेरे और प्रधान मंत्री एवं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भद्दे–भद्दे नारे लगाये, यहां तक कि मेरी गिरफ्तारी के लिए मेरे ग्राम मित्रौलिया खालसा और विधायक निवास, लखनऊ पर भी पुलिस ने छापा मारा। यहां तक कि मेरे खास 6 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को पकड़ कर जेल भेज दिया, जिसमें एक भूतपूर्व प्रमुख श्री नियाज अहमद एवं तीन अन्य प्रधान भी हैं और एक भूतपूर्व जिला परिषद् सदस्य एवं एक प्रधान के घर की कुर्की कर दिया। मान्यवर, 15-10-92 को समय 1.30 बजे मैंने विशेषाधिकार की सूचना जब माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव को जब टेलीग्राम से दिया और जब इसकी जानकारी परगना मजिस्ट्रेट को हो गयी, तो उन्होंने 16 तारीख को पेशबन्दी में मेरे तथा मेरे अन्य सहयोगियों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया और पुलिस उसमें गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, जिसमें 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दो लोगों के घरों की कुर्की कर दी। मैंने इस संबंध में 22 तारीख को एक जन सभा इटवा में करके अपनी गिरफ्तारी देने का ऐलान किया। उस जन सभा में विधान परिषद् के सदस्य माननीय जगदम्बिका पाल, एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महा मंत्री देवेन्द्र पाण्डेय एवं बस्ती एवं सिद्धार्थनगर से लेकर तमाम कांग्रेसी नेता जिसमें भूतपूर्व एम० पी० काजी जलील अब्बासी, भूतपूर्व एम० एल० ए० श्री चन्द जी जैसे लोग उपस्थित थे।

सभा हमारी बड़ी शांति ढंग से 11 बजे से 3 बजे तक चली। सभा समाप्त होने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी श्री आर० के० श्रीवास्तव ने माता प्रसाद जायसवाल इण्टर कालेज इटवा को अस्थायी जेल की घोषणा करके हम समस्त कांग्रेसी जनों को उक्त विद्यालय में गिरफ्तारी देने का ऐलान किया। हम सभी कांग्रेस जन माता प्रसाद जायसवाल इण्टर कालेज में अपनी गिरफ्तारी दे दिये, जिसमें लगभग 8 हजार लोगों ने गिरफ्तारी दी। गिरफ्तार लोगों की सूची 3 बजे से साढ़े 7 बजे शाम तक पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों ने लिस्ट बनाते रहे। साढ़े सात बजे जब अंधेरा हो गया, तो अचानक पुलिस और पी० ए० सी० के लोगों ने बर्बर लाठी चार्ज बिना किसी पूर्व सूचना के प्रारम्भ कर दिया, जिसमें 500 से अधिक लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये और करीब 50 लोगों के हाथ और पैर फ्रैक्चर

हो गये, जिसमें 80-85 वर्ष के बुजुर्ग भी शामिल थे और प्राण घातक हमला पुलिस वालों ने जान से मारने की नियत से किया। इस बर्बर लाठी चार्ज में जिला प्रशासन ने 82लोगों को फैजाबाद जेल में बन्द किया। मेरे तथा जगदम्बिका पाल सहित 20 लोगों को आजमगढ़ जेल एवं 14लोगों को पुलिस कस्टडी में हास्पिटल में ऐडमिट किया, जो बहुत ही गम्भीर रूप से घायल थे। इस तरह से वहां का पुलिस प्रशासन मेरी आवाज़ को दबाने के लिये और बदले की भावना से हमारे लोगों पर बर्बर लाठी चार्ज किया और हमारे लाइसेंस को निरस्त कर दिया। मेरे ऊपर इसके पहले कोई आपराधिक मुकदमा नहीं रहा है। 16 तारीख को जो मुकदमा दायर किया गया है, वह उसी के कारण किया गया है और उसी कारण ही मेरा लाइसेंस निरस्त किया गया है। परगनाधिकारी ने कहीं पर यह नहीं कहा है कि मैंने उनको असलहे से मारा है। 22 तारीख की पूरी वीडियो फिल्म तैयार है और अगर आप कहें तो मैं उसको पेश करने के लिये तैयार हूं। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इसकी न्यायिक जांच हो और अगर ऐसा आ जाये कि कोई ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा था, तो मैं सजा भुगतने के लिये तैयार हूं। कहीं से भी आ जाता है कि मेरे द्वारा या मेरे साथियों द्वारा तहसील को फूंकने की योजना बनाई जा रही थी, तो जो सजा आप दें वह मैं भुगतने के लिये तैयार हूं। और अगर इसमें मैं निर्दोष पाया जाता हूं तो इसकी न्यायिक जांच करायी जाये और दोषी पाये गये लोगों को दण्डित किया जाये। आप से आशा है कि आप इसकी न्यायिक जांच कराने के जरूर आदेश देंगे और जिलाधिकारी, परगनाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सरकिल आफीसर के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, इस सरकार को लज्जा नाम की कोई चीज नहीं है। आप देखें कि एक सदस्य रो रहा है और अपनी आंखों से आंसू बहा रहा है और यह उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आपके पक्ष के जो विधायक हैं, वह इस प्रकार के हैं, उनकी ऐसी हालत है। खाद के भाव बढ़ाये गये, उनके विरोध में प्रदर्शन किया गया, आन्दोलन किया गया, इटवा क्षेत्र की जनता ने उसका विरोध किया और आन्दोलन किया और प्रदर्शन किया और परगनाधिकारी से कहा गया कि पुरानी खाद को पुराने दामों पर ही बेचा जाये। मुकीम साहेब ने और इटवा के लोगों ने एक सर्वदलीय बैठक की, जिसमें लाखों लोग उपस्थित थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया और कहा कि यह सरकार कालाबाजारी कर रही है और इसको बन्द किया जाये और खाद को पुराने भाव पर बेचा जाये। इस बात का प्रदर्शन था और इसी का आन्दोलन था और कोई सवाल नहीं था। लोगों को 10 बजे से गिरफ्तार करना शुरू किया गया और साढ़े सात बजे तक रखा गया और उनकी सूची बनायी गयी। वहां पर सूची साढ़े पांच हजार लोगों की परगनाधिकारी और सी० ओ० के नेतृत्व में बन चुकी थी और साढ़े सात बजे गैस को बुझा दिया गया और उन पर लाठी चार्ज किया गया और इस प्रकार से उनको झूठे मुकदमें में फंसाया जा रहा है। मेरा कहना है कि जनता के सवाल को लेकर अगर सत्याग्रह किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, तो क्या उन पर लाठी चार्ज करना ठीक है, उन पर लाठी चार्ज करना कानून सही है, लेकिन भाजपा की सरकार उन पर लाठी चार्ज करा रही है। ऐसा कार्य आज तक किसी भी सरकार के समय में नहीं हुआ है, जैसा कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर मुकीम साहब गुण्डा नहीं थे, 302 के मुल्जिम नहीं थे, कोई कत्ल नहीं किये थे, डकैती नहीं किये थे।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अगर यह संयम नहीं बरतेंगे तो इधर भी संयम टूटेगा । मान्यवर, इस सदन को संयम से चलायें नहीं तो इस सदन में रहने का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शान्ति बनायें, पाण्डेय जी बोलें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मैं 31 अक्टूबर को आजमगढ़ जिला जेल में उनसे मिला था, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है । हम क्षेत्र के विधायक हैं अगर जनआन्दोलन से हमें रोका जायेगा, सत्याग्रह से रोका जायेगा और अगर हम खड़े होते हैं तो उसमें पुलिस द्वारा और इस सरकार द्वारा हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जायेगा तो हमारा दिल टूटेगा, समाज का दिल टूटेगा, उसमें न आप रह पायेंगे और न हम रह पायेंगे । मैं 2-3 सवाल आपसे करूंगा मान्यवर, मेरी व्यक्तिगत रूप से राय है कि जो गलत मुकदमें जिसमें मुकीम साहब को फंसाया गया है, मेरा आपके द्वारा संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वह फर्जी मुकदमें तत्काल वापस लिये जाय, दूसरा सवाल यह है कि मुकीम साहब को जो अस्त्र मिल चुके थे, जो उनके पास अस्त्र थे, उनको निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं था, मैं संसदीय कार्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि तत्काल वह लाइसेंस जारी करा दिये जांय और अस्त्र दे दिये जायं । इन्हीं शब्दों के साथ व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करूंगा मान्यवर, न्यायिक जांच कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है । हमारे यहां के जिलाधिकारी वहां सी० डी० ओ० रह चुके हैं, मेरा उनसे संबंध है, मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि हमारे न रहने की वजह से गड़बड़ी हो गयी । मान्यवर, एस० डी० एम० के द्वारा चोरबाजारी की जा रही थी । मेरा माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध है कि परगनाधिकारी के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करें और इसकी न्यायिक जांच करायें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह एक ऐसा प्रकरण है जिस पर मैं आपसे चाहता हूं, सम्मानित सत्ता के लोगों से चाहता हूं कि दलीय भावना से ऊपर उठकर इस पर विचार करें, यह आज एक विधायक के साथ हुआ है कल किसी के साथ हो सकता है । मो० मुकीम 16 साल से यहां विधान सभा के सदस्य हैं क्या उनके आचरण व व्यवहार से किसी को सदन में यह शिकायत हो सकती है कि उनका आचरण खराब है । मैं इस घटना के संबंध में कुछ बातें जानता हूं वह अर्ज करना चाहता हूं । माननीय मुकीम के यहां खाद की चोर बाजारी हो रही थी मान्यवर, उन्होंने परगनाधिकारी से कहा, परगनाधिकारी को चाहिए था कि एक सम्मानित विधायक के कहने पर उसकी जांच करवा लेते और इसको रोकने का प्रयास करते लेकिन उन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया बल्कि विधायक को अपमानित किया यह एक विधायक का अपमान नहीं बल्कि पूरे सदन का अपमान है क्योंकि वह एक विधायक के रूप में गये थे किसी अपने काम से नहीं गये थे ।

आप कृपया उस एफ० आई० आर० को भी देख लें जो एस० डी० एम० ने लिखाई है उसमें यह नहीं है कि इन्होंने किसी को मारा पीटा या किसी को कोई अपशब्द का प्रयोग किया हो जिससे बेइज्जती हुई हो, मुकीम की एफ० आई० आर० को देख लें । इसमें दलीय कोई बात नहीं है । विशेषाधिकार का प्रश्न बनेगा जो बात होगी उसकी तो जांच होती रहेगी । मान्यवर, यह भी देखें कि जो 15 तारीख को घटना होती है उसकी चार्जशीट भी चली गयी । माननीय मुकीम हमारे पास आये थे तो मैंने माननीय

संसदीय कार्य मंत्री से बात करने का प्रयास किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने का प्रयास किया था तो यह हुआ था कि राजनैतिक प्रकरण है इसको और ढंग से न लिया जाय तो मैंने इनसे कहा था कि आप जायं और अपनी गिरफ्तारी दे दें जो कुछ होगा उसको हम देखेंगे । मान्यवर, उनके साथ कांग्रेस विधान मण्डल से जगदम्बिका पाल भू० पू० मंत्री और कांग्रेस पार्टी की ओर से श्री देवेन्द्र पाण्डेय जायेंगे । इसके बकायदा पोस्टर छपवा दिये गये कि निश्चित समय पर यह अपनी गिरफ्तारी देंगे। मान्यवर, जो स्वयं गिरफ्तारी दे रहा है वह पुलिस की कैद से भागने का क्यों प्रयास करेगा ? जो लखनऊ से इटवा जाकर अपनी गिरफ्तारी देना चाहता है वह अपनी जमानत करा सकता था । निश्चित रूप से जो मुद्दा था उसमें जन समर्थन मिला काफी बड़ी संख्या में लोग वहां उपस्थित थे । इतने लोगों को जेल में नहीं रखा जा सकता था, जैसवाल इण्टर कालेज है वहां पर इनको भेज दिया गया । 5 हजार से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गये । पुलिस कस्टडी में जो है वह हथियार तो रख नहीं सकता । अगर उत्तेजना ही फैलानी थी तो जब सभा में 25-30 हजार लोग मौजूद थे तो तहसील में मार्च कर सकते उससे जो स्थिति उत्पन्न होती उसमें तो दुर्घटना हो सकती थी । उस समय ऐसा कुछ नहीं हुआ । गैस बुझा दी गयी, लाईट खत्म कर दी गयी है, फायर बिग्रेड से पानी डलवाया गया फिर बर्बर लाठीचार्ज किया गया । मैं अभी हाल ही में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ वहां एक कार्यक्रम में गया था । मैंने अपनी आंखों से देखा 82-84 साल के बुजुर्ग हैं उनके हाथ टूटे हुए हैं वे चलने फिरने से मजबूर हैं मैं नहीं समझता हूं कि उन 82-84 साल के बुजुर्गों से पुलिस को क्या खतरा हो सकता है वे किस तरह से साढ़े सात बजे जा सकते थे ।

माननीय विधायक जी के साथ जो कुछ हुआ है वह मान्यवर, सम्पूर्ण विधायिका का अपमान है, सदन का अपमान है । संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच करा लें । यदि मो० मुकीम साहब दोषी होंगे तो मैं इस सदन में खेद प्रकट करूंगा मुकीम साहब इस सदन में खेद प्रकट करेंगे । उनके खिलाफ एफ० आई० आर० हो गयी आपने गिरफ्तार भी कर लिया इनके साथ के लोगों को गिरफ्तार कर लिया और जो परगनाधिकारी क्षेत्राधिकारी के खिलाफ इनकी एफ० आई० आर० थी उसमें क्या कार्यवाही की गयी । वे लोग वहां विराजमान हैं । तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने का वे वहां रहकर प्रयास कर रहे हैं उनको वहां से हटाया भी नहीं है । जहां आप विधायक के सम्मान की बात करते हैं वहां तो आपने चार्जशीट फाईल करा दी मुकदमें कायम करा दिये । ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें आपने अधिकारियों को वहां से हटाया है लेकिन वह सत्तारूढ़ दल का मामला था । लेकिन इसमें यह अधिकारी वहां बने हुए हैं विधायक के खिलाफ तो आपने कार्यवाही कर दी । उनका अपमान हुआ है उनको मारा पीटा गया । 20-22 लोगों को मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूं चोटें लगी हुई हैं । काजी जलील अब्बासी साहब को जिन्हें आप भी जानते हैं उनको चोटें आयी हैं । आप न्यायिक प्रक्रिया से जांच करा लें जो दोषी हों उनको दण्ड देने की कृपा करें ।

[6 बजकर 20 मिनट]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जिस घटना का उल्लेख किया गया उसमें दो तारीखें छोड़ दी गयी हैं । एक तारीख है 15 और दूसरी तारीख है 23 मान्यवर, 15 तारीख को कोई घटना घाटी उसके बाद 22 तारीख को एक प्रदर्शन कांग्रेस (आई) की ओर से घोषित किया गया और भारी संख्या में प्रदर्शन के लिए लोग वहां पर पहुंचे । मान्यवर, यह बात वहां के प्रशासन से हमारे कांग्रेस के सम्मानित सदस्यों ने कहा था कि आज का कार्यक्रम जेल गोइंग कार्यक्रम है । प्रदर्शन हुआ और उसके बाद तीन चार हजार लोग आये और

कहने लगे कि हमें जेल में बन्द करो। अब उनको जेल में कहां ले जायें तो इसके लिए कोई जायसवाल कालेज हैं उसमें ले जाया गया। वहां पर भाषण हुए उसके बाद सबने कहा कि हमें गिरफ्तार करो। मान्यवर, हम लोगों ने भी आन्दोलन किया था। दस-दस हजार लोग एक साथ गिरफ्तार हुए हैं और सूचियां बनी हैं। तो सूची बननी शुरू हो गयी। पानी की भी व्यवस्था की गयी, स्टाफ लगाया गया यह सब हुआ लेकिन इसी बीच एक नयी बात पैदा हो गयी। वहां पर माननीय विधायक, मुकीम जी के अलावा एक अन्य कांग्रेस के प्रतिष्ठित नेता माने जाते हैं, डब्बू पाण्डे उनके उत्तेजनात्मक भाषण होने लगे।

श्री मोहम्मद मुकीम–

मान्यवर, वहां पर कोई भाषण नहीं हुए हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

चलिए मैं स्वीकार करता हूं कि भाषण नहीं हुए। लेकिन उसके बाद पुलिस जनों ने गिरफ्तार किया वह सब बाद में छोड़े जाने थे। लेकिन पुलिस वालों ने यह बात कही कि श्री डब्बू पाण्डे और माननीय विधायक, मुकीम जी यह दोनों लोग संज्ञेय अपराधों में वान्टेड हैं इसलिए इनको न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना पड़ेगा और बाकी लोगों को छोड़ दिया गया। इससे वहां पर हाहाकार मच गया। यह मैं 23 तारीख की बात कर रहा हूं। 22 तारीख की बात मैं नहीं कर रहा हूं। 22 तारीख को तो श्री जगदम्बिका पाल व श्री देवेन्द्र पाण्डेय तथा उनके साथ जिन्होंने जलूस निकाला था उनकी गिरफ्तारी होती है लेकिन मुकीम साहब और एक डब्बू पाण्डे की गिरफ्तारी 23 तारीख को होती है। मान्यवर, हम लोग भी आन्दोलन किए थे और हम लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता था। हम लोग रात के 11.00 बजे गिरफ्तार होकर जाते थे और जब हम वहां के अधिकारियों से कम्बल और भोजन मांगते थे तो वह कभी अरेन्ज कर पाते थे और कभी नहीं कर पाते थे तो हम उनकी मजबूरी समझते थे। तो मान्यवर, उसमें कुछ झगड़ा हुआ और उसमें कुछ लोग गिरफ्तार हुए मारपीट हुई अधिकारियों के खिलाफ क्या-क्या हुआ यह मैं नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद रहा। मैं भाषण की चर्चा नहीं करूंगा कि कितने उत्तेजनात्मक भाषण हुए। लेकिन जिनके खिलाफ संज्ञेय अपराध थे वह वहां से चले गये और पुलिस ने उन्हें 23 तारीख को पकड़ लिया। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि 22 तारीख को जो लाठी चार्ज हुआ उस समय की क्या परिस्थितियां थीं। मान्यवर, जो उत्तेजनात्मक भाषण हो रहे थे, अगर लखनऊ में गिरफ्तार किये जाने तो एक-एक पुलिस वाले सिर काट डालते। हमने भी सत्याग्रह किया है और सत्याग्रह का अर्थ है–सत्य का आग्रह। उनमें किसी आकांक्षा की जरूरत नहीं रह जाती है बल्कि निष्काम भाव से सम्पूर्ण की भावना रहती है। उस समय किसी आकांक्षा की जरूरत नहीं होती, पूज्य बापू के शब्दों में सत्याग्रह की परिभाषा क्या है, इसे आप पढ़ लें। पहले 16 बसें मंगाई गयीं तो कहा गया कि 16 बसें क्यों आईं, 50 बसें मंगाई जायें। अगर हमको जाना है तो हम ट्रक में बैठकर चले जाते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं, डाले पर बैठ जाते हैं। डाले पर बैठकर खोपड़ी बाहर निकालेंगे तो लोग कहेंगे कि देखो गुप्ता जी जा रहे हैं। कुल मिलाकर बसों को क्षति पहुंचायी गयी। पुलिस को भी चोटें आईं। राजकीय सम्पत्ति की क्षति हुयी। वैसे मैं इसे स्वीकार करता हूं कि पुलिस ने बल प्रयोग किया, लेकिन हमारी जांच कहती है कि वह बल प्रयोग अनावश्यक और मर्यादा से बाहर नहीं था। अब एक बात माननीय सदस्यों ने कही कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाय।

मान्यवर, अगर जांच में प्राग्दर्शन में कोई बात दिखाई देती है तो और ऊपर जांच करा लेंगे, लेकिन मान्यवर, ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसमें तिल का ताड़ बनाया जाय। हम विधायक हैं, जन प्रतिनिधि

हैं, जनता ने हमें चुना है, लेकिन भारत के संविधान में या प्रक्रिया नियमावली में हमको ऐसा कोई प्रिविलेज प्राप्त नहीं है जो आप नागरिक से भिन्न हों । यह सरकारी कर्मचारी/अधिकारी हैं, अगर कोई गलती करता है, तो हम उसे दण्डित करते हैं, लेकिन कोई अच्छा काम करता है, तो उसे पुरस्कृत भी करेंगे । अकारण किसी कर्मचारी को मारने लगेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा ? हड़ताल की भी नोटिस हो गयी थी । मान्यवर, विवाद दूसरी चीज का था आज 15 तारीख की घटना की चर्चा करते हैं ।

वैसे माननीय सदस्यों ने जो भावना व्यक्त की है कि जांच निष्पक्ष कराई जाये तो मेरी जानकारी के अनुसार जांच बिल्कुल निष्पक्ष हो रही है और फिर भी कोई शिकायत होगी तो फिर से जांच करा लूंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

80-85 वर्ष के लोगों को चोटें आईं, क्या यह ज्यादती नहीं है, माननीय विधायक को जान से मारने की कोशिश की गयी, क्या यह ज्यादाती नहीं है, हथियारों के लाइसेंस कैन्सिल कर दिये गये, क्या यह ज्यादती नहीं है । मोहम्मद मुकीम एक-एक घटना का विवरण दे रहे हैं । जेल में बर्बर लाठीचार्ज हुआ । अब आप यह बता दें कि सी० ओ० और एस० डी० एम० के खिलाफ जांच अधिकारी कौन है और पुलिसकर्मियों को क्या-क्या चोटें आई हैं, इन दो चीजों का स्पष्टीकरण दिलवा दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, पुलिसकर्मियों को क्या चोटें आई हैं, इसकी फर्द तो इस समय नहीं है, लेकिन यह पूरी जानकारी सही है कि लोगों के मेडिकल इक्जामिनेशन हुये हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

जब कार्यस्थगन आया है तो यहां पूरी सूचना क्यों नहीं है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्यों नहीं है, इसका भी कारण दे दूं । ग्राह्यता पर चर्चा होनी थी, मैंने जो बात कही वह यह कि यह सूचना नियमों में आती नहीं है इसलिए प्राग्दर्शन में तथ्य रखें ?

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय मंत्री जी तथ्य तो रख रहे हैं, लेकिन तथ्य का साक्ष्य नहीं दे रहे हैं । आप सी० ओ० और एस० डी० एम० के खिलाफ जांच अधिकारी का नाम ही बता दें ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने यह कहा कि यह कोई अविलम्बनीय मामला नहीं है, कोई लोक महत्व का मामला नहीं है, इसलिये नियम–56 में स्वीकार्य नहीं होना चाहिये । यदि आप आदेशित करेंगे तो पूरे तथ्यों के साथ सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

यदि इनके पास पुलिस वालों कों क्या-क्या चोटें आई हैं, इसकी जानकारी नहीं है तो इतना तो ये अवश्य बता दें कि सी० ओ० और एस०डी०एम० की जांच कौन अधिकारी कर रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी अगर आपके पास इसकी जानकारी है तो आप बता दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमारे पास इस समय नहीं है । दूसरा, मैं आपको बता दूं कि कार्य स्थगन में विषय की मैरिट्स पर चर्चा नहीं होती अपितु नियमों के तहत ग्राह्यता के बिन्दुओं पर चर्चा होती है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, एक विधायक का अपमान शासन के इशारे पर किया गया है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

ग्राह्यता के बारे में आपने अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया है और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया । इसपर चर्चा नहीं कराई जा रही है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आप इस कुर्सी पर बैठे हैं । आपको भी तो इसमें कुछ करना होगा । ऐसे काम नहीं चलेगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

हमारे विधायक पर आरोप लगाया है । यह इतना बता दें कि पुलिस को कितनी चोटें आई हैं कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ है ।

(श्री सुधीर, श्री मोहम्मद मुकीम, मारकण्डेय सिंह, अमरेश चन्द्र पाण्डेय आदि कई कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य बेल पर आ गये जिससे व्यवधान हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग वापस जायें । आप लोग कुछ कहने देना ही नहीं चाहते ।

(वेल कर आये सदस्य अपने-अपने आसन पर वापस चले गये)

पीठ का काम है निर्णय करने का ।

(श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी के खड़े रहने पर–शोर/व्यवधान)

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । कृपा करके आप बैठ जायं ।

श्री स्वामीनाथ यादव–

मुसलमान आपकी छाती पर रहेगा । वह हिन्दुस्तान से बाहर जाने वाला नहीं है ।(शोर/व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

यह क्या हो रहा है (व्यवधान) इनके इशारे पर हो रहा है, यह उचित नहीं है (व्यवधान)

श्री शिवलाल मित्तल–

यह गलत है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शांत रहें (घोर व्यवधान)

मैं सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय 6 बजकर 35 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित कर दी। 6 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिये और बढ़ा दिया है, 7 बजे मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिये और बढ़ा दिया है। 7 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही पुनः श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मोहम्मद मुकीम माननीय प्रमोद तिवारी माननीय अमरेश चन्द्र पाण्डे जी ने कार्यस्थगन की सूचना के रूप में प्रकरण उठाया सत्तापक्ष की ओर से जो जवाब दिया गया है उसमें मैं अपनी व्यवस्था सुरक्षित करता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि वह जाने के पूर्व इस प्रकरण से संबंधित जानकारी मुझे दे दें और व्यवस्था मैं कल शून्य प्रहर में दे दूंगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

कल 12.20 पर इसको ले लें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने आपकी बात के आधार पर ही कहा था कि शून्य प्रहर में ले लूंगा। शेष कार्यस्थगन प्रस्ताव हैं उनके बारे में मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि उनको कल पुनः लिखकर दे दें उन पर विचार कर लिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर दो रह गये हैं ले लें।

श्री उपाध्यक्ष–

अगर दो पर चर्चा ग्राह्यता पर सुननी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है मैं लिए लेता हूं।

(व्यवधान)

जहां तक जनपद देवरिया की रामकोला चीनी मिल पर गन्ने के बकाया मूल्य के भुगतान के संबंध में प्रदर्शन कर रहे गन्ना किसानों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है–

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां–

नियम 56 में मेरी भी सूचना है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

एक बात का निर्णय कर लें कल इसको लिखकर दे दें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, गन्ना मूल्य वाला भी कल ले लीजिएगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

कल लिखकर दे देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री बलराम यादव की सूचना पर ध्यान आकर्षित किया जाता है । माननीय पूरन प्रकाश तथा माननीय धनीराम वर्मा की सूचना कल लेंगे । तीन सूचनाओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है । माननीय बेनी प्रसाद वर्मा माननीय आजम खां कल सूचना लिखकर दे दें । बाकी सूचना को अग्राह्य किया ।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1992 के अननुमोदन का प्रस्ताव तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक 1992

* श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश 1992 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, निवेदन यह है कि बेसिक शिक्षा संशोधन अध्यादेश 1992 के द्वारा मूल अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 10 को परिवर्तित करके धारा 10 (1) के द्वारा जिला बेसिक शिक्षा समिति के गठन का प्राविधान किया गया है । इस बेसिक शिक्षा समिति में जनपद स्तर के अधिकारी पदेन सदस्य होंगे । जैसे मुख्य विकास अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा माध्यमिक शिक्षण संस्थान के अधिकारी, प्राचार्य इन सरकारी अधिकारियों के पदेन सदस्य होने के अतिरिक्त 5 सदस्यों को नामजद या शासन द्वारा नाम निर्दिष्ट करने की व्यवस्था इस प्रस्ताव द्वारा की गई है ।

मान्यवर, इस प्रकार आप देखें कि 6, 7, 8 अधिकारी पदेन सदस्य, 5 राज्य सरकार के नाम निर्दिष्ट सदस्य यह संख्या मिलाकर इतनी हो जाएगी कि जनपद के निर्वाचित प्रतिनिधि विधायक और सांसदों की संख्या से अधिक हो जायेगी । और जिला बेसिक शिक्षा समिति में विधायक और सांसदों निर्वाचित प्रतिनिधियों के अनुपात में अधिकारियों की संख्या बढ़ जाने के कारण इस समिति के निर्णय जो होंगे वे जनभावनाओं के अनुरूप या स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप न होकर मात्र सरकारी निर्देशों तक ही सीमित होंगे । मान्यवर, इसके पूर्व जब औचित्य का प्रश्न मैं लाया था हैण्ड पम्पों के संबंध में और नेता विरोधी दल ने भी ध्यान आकर्षित कराया था.....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

श्री उपाध्यक्ष–

आप बहुत विस्तृत चर्चा कर रहे हैं कृपया संक्षेप में कहें ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

उस समय भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया था कि जनतांत्रिक अधिकारों में कटौती की जा रही है । मान्यवर, देखा जाये विधायकों और सांसदों की संख्या सत्ता पक्ष की अधिक है । मैं नहीं समझता हूं कि किस कारण से यह व्यवस्था लाई जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ा कर नौकरशाही का वर्चस्व स्थापित किया जा रहा है । यह व्यवस्था जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक नहीं हो सकती है । मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी इसका उत्तर देंगे, तो वह कहेंगे कि हमने महिला सदस्यों को प्रोत्साहन देने के लिये यह व्यवस्था की है । दूसरा तर्क देंगे कि अनुसूचित जातियों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिये यह व्यवस्था की गई है । तो मेरा कहना है कि मान्यवर, कि अगर वह वास्तव में प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं तो जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्य हैं उनमें से महिला सदस्यों को चुन लें । जिला परिषद् के निर्वाचित अनुसूचित जाति के सदस्य हैं उनमें अनुसूचित जातियों के सदस्यों को चुन ले ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, दूसरी व्यवस्था यह है कि इन्होंने जो ब्लाक प्रमुख है या नगरपालिकाओं के अध्यक्ष और टाउन एरिया के अध्यक्ष हैं उनमें से सदस्य चुन लिये जाएंगे । बेसिक शिक्षा समिति को आप देखें जो चुने हुए सदस्य है उनका कार्यकाल मात्र एक वर्ष शैक्षणिक वर्ष रखा गया है, लेकिन जो सरकारी नामजद सदस्य हैं उनका कार्यकाल दो वर्ष होगा ।

दूसरे मान्यवर, बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी सुझाव देने के बारे में निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाता है

[7 बजकर 20 मिनट]

परन्तु आप देखें कि इसमें जो प्राविधान किया गया है उसमें डिग्री कालेज के प्रिंसिपल, इंटर कालेज के प्रिंसिपल को अनावश्यक रूप से प्रतिनिधित्व दिया गया है । उनके पास समय नहीं होता है कि वह मीटिंग में भाग ले सकें और न उन्हें बेसिक शिक्षा या ग्रामीण क्षेत्रों का अनुभव होता है । मान्यवर, इस अध्यादेश में एक सबसे बड़ी भ्रमात्मक बात यह है कि ग्राम शिक्षा समितियों को यह अधिकारी दिया गया है कि वह शिक्षकों का स्थानान्तरण, प्रोन्नति और अन्य बातों के बारे में, शिक्षा के प्रसार और विस्तार के बारे में निर्णय लेगी । मान्यवर, किसी विभाग में जब प्रोन्नति की जाती है तो उसका आधार वरिष्ठता, श्रेष्ठता और वार्षिक प्रविष्टि के आधार पर ग्रेडेशन लिस्ट बनती है । लेकिन यह शिक्षा समितियां किस प्रकार से ग्रेडेशन करेंगी, किस प्रकार से प्रोन्नति के लिये संस्तुति करेंगे । मैं समझता हूं कि बिना विचार किये यह अध्योदश लाया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, अभी कई धाराओं के बारे में बोलना है, आप कह रहे हैं तो समाप्त कर रहा हूं।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अनिल कुमार तिंवारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, अभी माननीय गांधी जी ने अपने विचार रखे। मैं चंद शब्दों के माध्यम से यह आग्रह करता चाहूंगा और इस विधेयक की उपयोगिता भी सिद्ध करने का प्रयत्न करूंगा। मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा का आधार हुआ करती है और शिक्षा किसी राष्ट्र का आधार हुआ करती है। हमने यह निश्चय किया है कि इस विधेयक के माध्यम से...

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, अभी अध्यादेश आया है, मंत्री जी विधयेक की बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप संक्षेप में अपनी बात रख दें और माननीय गांधी जी ने जो मुद्दे उठाये हैं उनका उत्तर दे दें।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि माननीय गांधी जी ने जो कुछ बिन्दु उठाये हैं, माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे इनके सामने सिवाय नौकरशाही के और कुछ नहीं दिखाई पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने पहले ही माननीय मंत्री जी से आग्रह किया है कि जो माननीय गांधी ने तर्क उठाया है, उसका उत्तर दे दें।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, यहां पर जो व्यवस्था ये करने जा रहे हैं, वह स्पष्ट कर दें।

(व्यवधान)

श्री अनिल कुमार तिवारी–

मान्यवर, हमने प्रयत्न किया कि लोग मजबूत हो और तंत्र का सुदृढ़ीकरण हो सके, उसकी उपयोगिता शिक्षा क्षेत्र में आरम्भ हो सके।

श्री विजय सिंह राणा–

आप सिर्फ इतना बता दें कि ....

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय राणा जी, जवाब माननीय मंत्री जी को देने दीजिये । आप बैठें । माननीय मंत्री जी को जवाब दे लेने दें । अगर आप अपना कोई मत व्यक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिये आपको अवसर दे दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अनिल कुमार तिवारी–

मान्यवर, हमारी मंशा है कि लोग मजबूत हो और तंत्र का सुदृढ़ीकरण हो । माननीय गांधी जी ने उसको ध्यान से देखा नहीं है, इसलिये वह ऐसी बात कह रहे हैं । इसमें कुछ पदेन अधिकारियों को नामित किया गया है । वहां पर उस जनपद के सभी माननीय सांसद, माननीय सदस्य, विधान परिषद् माननीय सदस्य विधान सभा और माननीय सदस्य, राज्य सभा, ब्लाक प्रमुख, जिला परिषद् के सारे लोगों का प्रतिनिधित्व किया गया है । यह संख्या अधिकारियों की संख्या से अधिक हो ही जायेगी । इस प्रकार से सार्वजनिक जीवन में जन प्रतिनिधित्व इसमें होना चाहिये, इसलिये यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं । प्रधानाचार्यों को उसमें रखा गया है । अगर प्रधानाचार्यों को न रखा जाता तब यह कहा जाता कि शिक्षा विदों का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है । ऐसे लोगों को नामित किया जायेगा और रखा जायेगा, तो कहा जाता है कि उनकी इसमें उपयोगिता नहीं है ।

(व्यवधान)

डा० जी० एस० विनोद–

ऐसा लग रहा है कि माननीय मंत्री जी को इसका ज्ञान नहीं है । याद करके आ जायं और वह कल बता दें ।

श्री अनिल कुमार तिवारी–

हमारे ज्ञान और अज्ञानता में माननीय सदस्य न जायं । जो लोकतंत्र की मंशा थी, उसको प्रतिष्ठित करने के लिये यह व्यवस्था की गयी है । इसलिये मैं इसको प्रस्तुत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय लाल जी वर्मा, माननीय राम गोविन्द चौधरी और माननीय अकबर हुसैन नहीं हैं ।

श्री विजय सिंह राणा–

माननीय गांधी जी ने जो बातें कही हैं, उसमें दो बातें हैं । एक तो माननीय मंत्री जी यह कह रहे हैं कि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करने के लिये यह व्यवस्था लागू किया है । आप क्यों यह समझते हैं कि ये अधिकारी जो बैठे हुए हैं, यही मजबूत कर सकते हैं । हम लोग जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वह गड़बड़कर देंगे, यह धारणा आपके अन्दर क्यों ?

मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि निगमों के चेयरमैन आई० ए० एस० अधिकारी हैं और फिर भी उनका बंटाधार हो रहा है । तो मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह धारणा क्यों बनाई जा रही है कि यही लोग सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं । यह तो हुई पहली बात और दूसरी बात यह है कि इसमें जो आपके अधिकारी होंगे, जिनको आप नामित करेंगे उन सब को मिलाकर इतने लोग हो जायेंगे कि जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम रह जायेगा । आप कहते हैं, कि

हमने एम० एल० सी० को भी स्थान दिया है, तो यह तो पहले से ही है, आप ने क्या किया ? आप तो हमारे अधिकारों को कम कर रहे हैं । जनता के प्रतिनिधियों के महत्व को कम कर रहे हैं, उसको कम नहीं करना चाहिये । स्थानान्तरण और प्रोन्नति का मामला भी आप उसको सौपने जा रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि प्रोन्नति के लिये तो कुछ मानक निर्धारित हैं । योग्यता, कार्य दक्षता, ज्येष्ठता आदि चीजों के आधार पर प्रोन्नति की जाती है । क्या आप किसी की दया दृष्टि के आधार पर प्रोन्नति की व्यवस्था करेगें । इस प्रकार से मान्यवर, जो संकल्प है वह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, इसलिये मेरी मांग है कि इसको प्रवर समिति के पास सुपुर्द किया जाये जहां पर इस पर पूर्ण रूप से विचार हो जाये और जनता की राय ले ली जाये, तब इसको लागू किया जाये ।

* श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, आज बेसिक शिक्षा के सिलसिले में माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, वह ऐसे समय लाया गया है जब प्रदेश के सामने कठिन समस्यायें हैं । आपने नकल अध्यादेश लागू कर दिया, मानों तीर मार दिया है । मान्यवर, बेसिक शिक्षा का स्तर गिर चुका है, इसको सदन स्वीकार करता है और सदन के बाहर भी स्वीकार किया जाता है । जब बेसिक शिक्षा का स्तर गिर चुका है तो उच्च शिक्षा का स्तर भी गिर गया है । मान्यवर, जब यही विद्यालय जिला परिषद् के अधीन थे तो पढ़ाई सुचारु रूप से होती थी । उस समय कोई कानूनी शिकंजा इन पर नहीं था । अगर आप कानूनी शिकंजे से व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, तो इससे देश और प्रदेश की उन्नति होने वाली नहीं है । आप बेसिक शिक्षा को मजबूत बनाएं । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस को प्रवर समिति के पास भेज दें और वहां पर इस पर पूर्ण रूप से विचार हो जाए और तब आप इसको लागू करें ।

*श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, यह बिल जो प्रस्तुत हुआ है, इसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी मंत्रिपरिषद् में सम्भवतः बेसिक शिक्षा परिषद् की जानकारी बहुत कम है । हाई कोर्ट ने इसी बेसिक शिक्षा परिषद् के संबंध में एक आदेश निकाला है और उसी के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला कि इस तरह की व्यवस्था होगी, लेकिन जो डाइरेक्टर महोदय हैं उन्होंने एक आदेश अलग से निकाल दिया कि जो मुख्य विकास अधिकारी हैं वह बेसिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष होंगे और उन्हीं के माध्यम से सारी कार्यवाही चलेगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार बड़ी है या डाइरेक्टर साहेब । और अगर सरकार बड़ी है तो आज आदेश सरकार की ओर से गया है उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा है और उसके विपरीत डायरेक्टर के आदेश का क्रियान्वयन क्यों किया जा रहा है दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी बेसिक शिक्षा परिषद् है कि उसमें किसी भी किस्म के मामले में या किसी बात में ढंग से विचार नहीं हो सकता अगर उसका उदाहरण देखना चाहें तो जाकर नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया का जायजा ले लें । हर नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया में एक स्कूल होगा बहुत से बहुत दे । स्कूल होंगे और उसमें अध्यापकों की संख्या 7 या 8 होगी और उनकी प्रबन्ध समिति बनायी गयी है 13 अधिकारियों की और अध्यापक सिर्फ आठ हैं और वह उनको देखेंगे । पदोन्नति देखेंगे यह 13 आदमी तो क्या पदोन्नति का कार्य बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां से छीन लिया गया है, बेसिक शिक्षा निदेशक के साथ से छीन लिया गया है । पदोन्नति का काम, वेतन की बढ़ोत्तरी देने का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

काम बेसिक शिक्षा कार्यालय से होता है लेकिन हमें नहीं जानकारी हो पायी है कि किस आधार पर पदोन्नति का कार्य इसमें जोड़ दिया गया है अगर जुड़ गया है तो गांव या टाउन एरिया क्या ट्रांसफर करेगी, गांव पंचायतं कहां से ट्रांसफर करेगी तो मैं यह कहूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखा है इसको प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाय मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव नहीं आया है, अनुमोदन का प्रस्ताव आया है।

श्री भगवती सिंह विशारद–

तो मैं इस आर्डिनेन्स का हर तरह से विरोध करता हूं और अननुमोदन करता हूं।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, ब्लाक प्रमुखों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं तो जो 5 सदस्यों का नाम निर्दिष्ट करने का जो प्राविधान किया गया है राज्य सरकार द्वारा वह जिला परिषद् के सदस्यों और ब्लाक प्रमुखों में से ले लें, अनुसूचित जाति का ले लें अगर महिला सदस्य लेना हो तो उनको ले लें इसमें क्या कठिनाई है ?

श्री अनिल कुमार तिवारी–

मान्यवर, कुल मिलाकर केवल एक आपत्ति है कि सरकारी अधिकारियों का प्रतिनिधित्व अधिक हो गया है मैं उसकी गिनती गिना देना चाहता हूं। विधायकों की संख्या जनपदवार साधारणतः लगभग 9-10-11 से लेकर 13 तक सम्भावित होगी, सांसद 2 या 3 या एक हो जायेंगे, 5 सदस्य जो हम नामित करेंगे वह भी जनप्रतिनिधि ही कहे जायेंगे सरकारी अधिकारी कर्मचारी कदापि नहीं कहे जायेंगे, नगर पालिका के प्रतिनिधि आयेंगे वह भी जनप्रतिनिधि ही होंगे, प्राचार्यों से दो आयेंगे वह भी जनप्रतिनिधि ही कहे जायेंगे सरकारी अधिकारी कदापि नहीं कहे जायेंगे। यह कुल संख्या मिलाकर लगभग 21-22 के आस-पास पड़ती है। सरकारी अधिकारियों की कुल संख्या जो आयी है वह मात्र 4 और 5 की होती है। यदि 4 और 5 की संख्या 22 और 23 की संख्या से अधिक हो जायेगी तो मैं पुनः प्राथमिक शिक्षा के प्रवक्ता की हैसियत से इसे लाऊंगा और वे इसे अननुमोदन करने का कष्ट करेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिये बता दें कि ललितपुर में मात्र 2 एम० एल० ए० हैं और उत्तरकाशी में एक ही विधायक है।

श्री अनिल कुमार तिवारी–

मान्यवर, मैंने 9 से लेकर 13 तक कहा है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जितना कहा है मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री गांधी जी ने और श्री राणा जी ने जो कहा उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गांधी जी आप अननुमोदन के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जिला परिषद के सदस्यों में से और ब्लाक प्रमुखों से सदस्य नामजद करने पर सहमत हैं अगर इस व्य था को लागू कर देंगे तो वह जनतांत्रिक होगी, स्वागत योग्य होगी।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले रहे हैं, प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश 1992 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड–9 तक खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1992

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तैतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

– 1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1992 कहा जायेगा।

(2) यह 14 अक्टूबर, 1992 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

"(क–1) "शैक्षणिक वर्ष" का तात्पर्य प्रथम जुलाई को प्रारम्भ होने वाले वर्ष से है;"

धारा 4 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में,–

(क) खण्ड (छ-4) में, शब्द "तथा नगर बेसिक समितियों" के स्थान पर शब्द "नगर बेसिक शिक्षा समितियों, खण्ड शिक्षा समितियों और गांव शिक्षा समितियों" रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (छ–2) में, शब्द "तथा नगर बेसिक शिक्षा समितियों". के स्थान पर शब्द "नगर बेसिक शिक्षा समितियों, खण्ड शिक्षा समितियों और गांव शिक्षा समितियों" रख दिये जायेंगे ;

धारा 5 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :–

"(1) परिषद् और धारा 10 में अभिदिष्ट प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा समिति, धारा 10–क में अभिदिष्ट प्रत्येक नगर बेसिक शिक्षा, समिति, धारा 10–ख में अभिदिष्ट प्रत्येक खण्ड शिक्षा समिति और धारा–11 में अभिदिष्ट प्रत्येक गांव शिक्षा समिति का कार्य ऐसे विनियमों के अनुसार संचालित किया जाएगा जिन्हें परिषद् राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस निमित्त बनाये ।"

धारा 10 का प्रतिस्थापन

5–मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"10 (1)प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये एक समिति स्थापित की जायेगी जिला बेसिक शिक्षा समिति जो जिला बेसिक शिक्षा समिति कहलायेगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(क) अध्यक्ष, जिला परिषद्, पदेन, जो समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ख) लोक सभा और राज्य विधान सभा के सब सदस्य, जिनका निर्वाचन क्षेत्र या उसका भाग जिले की सीमा के भीतर पड़ता है, पदेन या उनका नाम निर्देशिती;

(घ) राज्य सभा और राज्य विधान परिषद् के सब सदस्य, जिनका निवास स्थान जिले की सीमा के भीतर हो, पदेन या उनका नाम-निर्देशिती;

स्पष्टीकरणः–इस खण्ड के प्रयोजनार्थ राज्य सभा या राज्य विधान परिषद् के किसी सदस्य का निवास स्थान वही समझा जायगा तो यथास्थिति, उसके निर्वाचन या नाम-निर्देशन की अधिसूचना में उल्लिखित हो ;

(घ) पांच व्यक्ति, जिनमें एक महिला होगी और दूसरा अनुसूचित जाति का होगा, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे ;

(ङ) मुख्य विकास अधिकारी,पदेन;

(च) जिला विद्यालय निरीक्षक, पदेन ;

(छ) जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, पदेन ;

(ज) जिला समाज कल्याण अधिकारी, पदेन ;

(झ) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का प्रधानाचार्य, पदेन ;

(ञ) तीन व्यक्ति जो जिले की क्षेत्र समितियों के प्रमुखों में से विहित रीति से चुने जायेंगे ;

(ट) एक व्यक्ति जो जिले की महापालिका, यदि कोई हो, के नगर प्रमुख और नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया कमेटी के प्रेसीडेन्टों और टाउन एरिया कमेटी के अध्यक्षों में से विहित रीति से चुना जायेगा ;

(ठ) दो व्यक्ति, जो जिले के डिग्री कालेजों और इण्टरमीडियेट कालेजों के प्रधानाचार्यों में से विहित रीति से, चुने जायेंगे ;

(ड) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पदेन जो समिति का सदस्य-सचिव होगा ।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्टि समिति के सदस्य दो शैक्षणिक वर्षों के लिये पद धारण करेंगे, जबकि चुने हुए सदस्य एक शैक्षणिक वर्ष के लिये पद धारण करेंगें ।

(3) समिति की बैठक, तीन मास में कम से कम एक बार आयोजित की जायगी ।

(4) जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद् के अधीक्षण और निर्देशों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्:–

(एक) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना ;

(दो) नये बेसिक स्कूलों की स्थापना करना ;

(तीन) नये बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनायें तैयार करना ;

(चार) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों का अनुश्रवण (मानीटर) करना ;

(पांच) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति का अनुश्रवण करना और यदि छात्रों की संख्या कम हो जाय तो उसमें सुधार के लिये परिषद् को उपाय सुझाना ;

(छः) ऐसे अन्य कृत्यों को सम्पादित करना जो राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, समय-समय पर निदेशित करे ।''

धारा 10- क का प्रतिस्थापन

6–मूल अधिनियम की धारा 10–क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"10-क–(1) प्रत्येक नगर, नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया के लिये एक समिति स्थापित की जायेगी जो नगर बेसिक शिक्षा समिति कहलायेगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

नगर बेसिक शिक्षा समिति

(एक) नगर और नगरपालिका के लिये–

(क) यथास्थिति, महापालिका का नगर प्रमुख या नगर पालिका बोर्ड का प्रेसीडेन्ट, पदेन, जो अध्यक्ष होगा ;

(ख) लोक सभा और राज्य विधान सभा के सब सदस्य, जिनका निर्वाचन क्षेत्र या उसका भाग, यथास्थिति, नगर या नगरपालिका की सीमा के भीतर पड़ता हो, पदेन, या उनका नाम-निर्देशिती;

(ग) राज्य सभा और राज्य विधान परिषद् के सब सदस्य, जिनका निवास स्थान, यथास्थिति, नगर या नगरपालिका की सीमा के भीतर हो, पदेन, या उनका नाम-निर्देशिती ;

स्पष्टीकरण:–इस खण्ड के प्रयोजनार्थ राज्य सभा या राज्य विधान परिषद् के किसी सदस्य का निवास स्थान वही समझा जायगा तो यथास्थिति, उसके निर्वाचन या नाम-निर्देशन की अधिसूचना में उल्लिखित हो ;

(घ) तीन व्यक्ति, जिनमें एक महिला होगी और दूसरा अनुसूचित जाति का होगा, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे ;

(ङ) तीन से अनधिक व्यक्ति, जिनमें से एक महिला होगी और दूसरा अनुसूचित जाति का होगा, जो यथास्थिति महापालिका या नगरपालिका बोर्ड के सदस्यों से में विहित रीति से चुने जायेंगे ;

(च) यथास्थिति, मुख्य नगर अधिकारी या नगर पालिका बोर्ड का अधिशासी अधिकारी, पदेन;

(छ) जिला विद्यालय निरीक्षक, पदेन ;

(ज) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पदेन ;

(झ) जिला समाज कल्याण अधिकारी, पदेन ;

(ञ) अधीक्षिका या सहायक अधीक्षिका, बालिका शिक्षा, यदि कोई हो, पदेन ;

(ट) दो व्यक्ति, जो यथास्थिति, नगर या नगरपालिका के डिग्री कालेजों और इन्टरमीडियेट कालेजों के प्रधानाचार्यों में से विहित रीति से चुने जायेंगे ;

(ठ) शिक्षा अधीक्षक और यदि कोई ऐसा अधिकारी न हो तो अधिकारितायुक्त सहायक अधीक्षक या विद्यालय अवर उप निरीक्षक, पदेन; जो समिति का सदस्य-सचिव होगा ।

(दो) नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया के लिये—

(क) यथास्थिति, नोटीफाइड एरिया कमेटी का प्रेसीडेन्ट, या टाउन एरिया कमेटी का अध्यक्ष, पदेन, जो अध्यक्ष होगा ;

(ख) तीन से अनधिक व्यक्ति, जिनमें एक महिला होगी और दूसरा अनुसूचित जाति का होगा, जो यथास्थिति, नोटीफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी के सदस्यों में से, विहित रीति से, चुने जायेंगे ;

(ग) तीन व्यक्ति, जिनमें एक महिला होगी और दूसरा अनुसूचित जाति का होगा, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगें ;

(घ) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पदेन ;

(ङ) विद्यालय उप निरीक्षक, पदेन ;

(च) राज्य विधान सभा के सब सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र या उसका भाग, यथास्थिति, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया की सीमा के भीतर पड़ता हो, पदेन, या उनका नाम-निर्देशिती;

(छ) राज्य विधान परिषद् के सब सदस्य जिनका निवास स्थान यथास्थिति, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया की सीमा के भीतर हो, पदेन, या उनका नाम-निर्देशिती;

<u>स्पस्टीकरण:</u>–इस उप खण्ड के प्रयोजनार्थ राज्य विधान परिषद् के सदस्य का निवास स्थान वही समझा जायेगा जो यथास्थिति, उसके निर्वाचन या नाम-निर्देशन की अधिसूचना में उल्लिखित हो ।

(ज) दो व्यक्ति, जो यथास्थिति, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया के डिग्री कालेजों और इण्टरमीडियेट कालेजों के प्रधानाचार्यों में से विहित रीति से चुने जायेंगे ;

(झ) सर्किल का अधिकारितायुक्त विद्यालय अवर उप निरीक्षक, पदेन, जो समिति का सदस्य सचिव होगा ।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न समिति के सदस्य एक शैक्षणिक वर्ष के लिये पद धारण करेंगे ।

(3) समिति की बैठक तीन मास में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी ।

(4) धारा 10 की उपधारा (4) के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित नगर बेसिक शिक्षा समिति पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे जिला बेसिक लागू होंगे जिस प्रकार वे जिला बेसिक शिक्षा समिति पर लागू होते हैं ।''

7–मूल अधिनियम की धारा 10- क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:– नई धारा 10-ख का बढ़ाया जाना

"10-ख–(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की

खण्ड शिक्षा समिति — धारा-3 के अधीन इस रूप में विनिर्दिष्ट प्रत्येक खण्ड के लिए एक समिति स्थापित की जायेगी जो खण्ड शिक्षा समिति कहलायेगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(क) क्षेत्र समिति का प्रमुख, पदेन जो अध्यक्ष होगा;

(ख) एक व्यक्ति जो क्षेत्र समिति के ऐसे सदस्यों में से जो जिला परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जायं, विहित रीति से, चुना जायगा;

(ग) राज्य विधान सभा के सब सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र या उसका भाग खण्ड की सीमा के भीतर पड़ता हो, पदेन या उनका नाम-निर्देशिती;

(घ) राज्य विधान परिषद् के सब सदस्य जिनका निवास स्थान खण्ड की सीमा के भीतर हो, पदेन या उनका नाम-निर्देशिती;

स्पष्टीकरण– इस खण्ड के प्रयोजनार्थ राज्य विधान परिषद् के सदस्य का निवास स्थान वही समझा जायेगा जो यथास्थिति उसके निर्वाचन या नाम निर्देशन की अधिसूचना में उल्लिखित हो ।

(ङ) एक व्यक्ति जो खण्ड में प्रत्येक न्याय पंचायत सर्किल की गांव सभाओं के प्रधानों में से, विहित रीति से, चुना जाएगा;

(च) एक व्यक्ति जो खण्ड में गांव पंचायतों के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों में से, विहित रीति से, चुना जाएगा,

(छ) एक व्यक्ति जो खण्ड में गांव पंचायतों की निर्वाचित महिला सदस्यों में से, विहित रीति से, चुना जायेगा ;

(ज) खण्ड विकास अधिकारी, पदेन ;

(झ) तीन व्यक्ति, जिनमें एक महिला होगी और दूसरा अनुसूचित जाति का होगा, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जायेंगे;

(ञ) विद्यालय अवर उप निरीक्षक, पदेन जो समिति का सदस्य सचिव होगा ।

टिप्पणी– खण्ड मुख्यालय के या उसके निकट के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रित व्यक्ति होगा ।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न समिति के सदस्य एक शैक्षणिक वर्ष के लिए पद धारण करेंगे ।

(3) समिति की बैठक प्रत्येक मास में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी ।

(4) खण्ड शिक्षा समिति, परिषद् के अधीक्षण और निदेशों के अधीन रहते हुए; निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्

(एक) जिला बेसिक शिक्षा समिति को सामान्यता खण्ड में शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए और विशेषतः बेसिक स्कूलों में छात्रों के नामांकन के लिए सुझाव देना;

(दो) बेसिक स्कूलों में शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुश्रवण (मानीटर) करना ।''

धारा 11 का प्रतिस्थापन

8–मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

" 11–(1) प्रत्येक गांव या गांव समूह के निमित्त, जिसके लिए यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 के अधीन गांव सभा स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जायेगी जो गांव शिक्षा समिति कहलायेगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

गांव शिक्षा समिति

(क) गांव सभा का प्रधान पदेन, जो अध्यक्ष होगा;

(ख) गांव सभा का उप प्रधान, पदेन;

(ग) गांव पंचायत की एक निर्वाचित महिला सदस्य;

(घ) गांव पंचायत का एक अनुसूचित जाति का सदस्य, पदेन;

(ङ) गांव पंचायत का एक अनुसूचित जन जाति का सदस्य, यदि कोई हो पदेन;

(च) महिला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के भिन्न गांव पंचायत का एक सदस्य,पदेन;

(छ) बेसिक स्कूलों के छात्रों के दो संरक्षक जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा, विहित रीति से, नाम निर्दिष्ट किए जायेंगे;

(ज) उस गांव या गांव समूह में बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि एक से अधिक ऐसे स्कूल हों, तो उनमें से ज्येष्ठतम प्रधान अध्यापक, पदेन, जो समिति का सदस्य-सचिव होगा ।

(2) जहां खण्ड (ग) से (च) में विनिर्दिष्ट श्रेणी के एक से अधिक सदस्य हों, वहां सबसे अधिक आयु का व्यक्ति समिति का सदस्य होगा ।

(3) पदेन सदस्यों से भिन्न समिति के सदस्य एक शैक्षणिक वर्ष के लिये पद धारण करेंगे ।

(4) समिति की बैठक प्रत्येक मास में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी ।

(5) गांव शिक्षा समिति परिषद् के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थातः–

(एक) बेसिक स्कूलों को आवश्यक सुविधाएं, सुख-सुविधाएं और उपस्कर उपलब्ध कराने में सहायता देना,

(दो) बेसिक स्कूलों के भीतर या बाहर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने में ऐसे स्कूलों के प्रधान अध्यापकों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को सहायता देना,

(तीन) छात्रों को छात्रवृत्तियां स्वीकृत करना और उनका संवितरण करना,

(चार) बेसिक स्कूलों के समुचित संचालन में सहायता प्रदान करना, अध्यापकों के ऊपर सम्यक् नियंत्रण रखना और उनकी नियमित उपस्थित सुनिश्चित करना और उसके संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को मासिक रिपोर्ट देना,

(पांच) अध्यापकों के दक्षता-रोक पार करने, चयन श्रेणी देने, बोनस स्वीकृति करने और पदोन्नति के विषयों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट देना,

(छ) बेसिक स्कूलों में छात्रों की उपस्थित का मासिक अनुश्रवण करना और यदि किसी ऐसे स्कूल में छात्रों की संख्या घट जाय तो उसमें सुधार के लिए जिला बेसिक शिक्षा समिति को उपाय सुझाना,

(सात) स्कूलों के विकास के लिए छात्रों द्वारा अंशदान की गई धनराशि का प्रशासन करना,

(आठ) ऐसे अन्य कृत्यों को सम्पादित करना जो राज्य सरकार सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा निदेशित करे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 26 सन् 1992

9–(1) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1992 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 9 तक, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विषयेक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया स्वीकृत हुआ)

मद संख्या-16–

(पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने मद संख्या 16 ले ली है !

श्री अनिल कुमार तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधयेक, 1992 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

मद संख्या –17–

श्री सुरेन्द्र सिंह तथा श्री श्याम नारायण का नाम पुकारे जाने पर ।

श्री उपाध्यक्ष–

मा० सदस्य गण नहीं हैं ।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1992

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ -3

1–विधेयक के खण्ड 6 द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 10- क में, उपधारा (1) में:–

(क) प्रथम पंक्ति में:––

"एरया" के स्थान पर "एरिया" पढ़ा जाय ।

(ख) खण्ड (ङ) की द्वितीय पंक्ति में;-

"यथास्थित" के स्थान पर "यथास्थिति" पढ़ा जाय ।

पृष्ठ -6

2– विधेयक के खण्ड 9 के उपखण्ड (2) में:––

(क) प्रथम पंक्ति में:––

"निरसन" के स्थान पर "निरसन के" पढ़ा जाय ।

(ख) द्वितीय पंक्ति में:––

"कृत कोई कार्यवाही" के स्थान पर "कृत कोई कार्य या कार्यवाही " पढ़ा जाय ।

(ग) तृतीय पंक्ति में:—

"अधिनियम" के स्थान पर "अधिनियम के" पढ़ा जाये ।

पृष्ठ–9

(प्रतिनिहित विधायन का ज्ञापन)

3–चौथी पंक्ति में:–

"अन्तग्रस्त" के स्थान पर "अन्तर्ग्रस्त" पढ़ा जाय ।

विधेयक के खण्ड 5 के समक्ष द्वितीय स्तम्भ में, खण्ड (ख) में "खण्ड (ङ)" के स्थान पर "खण्ड (ञ)" पढ़ा जाय ।

4–खण्ड 6 के समक्ष द्वितीय स्तम्भ में:—

(क) खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) की तृतीय पंक्ति में "जिनमें" के स्थान पर " जिनमें से" पढ़ा जाय ।

(ख) (2) के उपखण्ड (क) की तृतीय पंक्ति में:–

"तीन अनधिक" के स्थान पर "तीन से अनधिक" पढ़ा जाय ।

पृष्ठ -13

(संगत धाराओं का उद्धरण)

5–धारा 5 की उपधारा (1) की द्वितीय पंक्ति में:—

"विनिमों" के स्थान पर "विनियमों" पढ़ा जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 9 तक, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं उनको सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने मद संख्या 16 ले ली है ।

श्री अनिल तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(श्री सुरेन्द्र सिंह तथा श्री श्याम नरायण का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण नहीं है ।

उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवन्यू (संशोधन) विधेयक, 1992

* राजस्व मंत्री–(श्री रमापति शास्त्री)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवन्यू (संशोधन) विधयेक, 1992 पर विचार किया जाय ।

यह एक ऐसा विषय विचार करने के लिये आपके सामने रखा है जो उ० प्र० में दो करोड़ किसानों के हित में है, जो इस हितकारी काम के लिये तड़प रहे थे । उ० प्र० में राजस्व विभाग की तहसील के द्वारा, तहसील के कर्मचारियों के द्वारा आज तक बड़े पैमाने पर किसानों के साथ, खातेदारों के साथ शोषण करने का प्रयास और नंगा नाच लोग करते रहे, हमारी सरकार ने इस सारी व्यवस्था को संशोधित करके उ० प्र० के दो करोड़ किसानों के लिये एक किसान बही बनाकर के किसानों को एक दस्तावेज पेश कर दिया है । (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) तो किसानों की सारी समस्या के निराकरण में यह किसान बही सहायक होगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

बहुत ही संक्षेप में आप अपनी बात रखें ।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, किसान बही में किसानों का चित्र लगेगा और उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र भी होगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

* श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, 1992 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ।

मान्यवर, इस संशोधन द्वारा यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट 1901 की धारा (33) में संशोधन करके इसमें किसान बही का प्राविधान कर दिया गया है । इसमें कोई नया परिवर्तन नहीं किया है । इसमें माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े ही जोर- शोर में यह कहा था कि हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे किसान प्रताड़ित नहीं किये जायेंगे, उन्हें अनावश्यक राजस्व विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे । मान्यवर, इसमें जमींदारी उल्मूलन, 1950 की परिधि में आने वाले भूमि की ही एन्ट्री होगी, जो नान जेड० ए० की भूमि है उसके बारे में कोई प्राविधान नहीं किया गया है । इसमें खेवट की भी व्यवस्था की जानी चाहिये थी मगर वह इसमें नहीं की गयी है । दूसरा यह परिवर्तन किया गया है कि जो व्यक्ति जमीन ट्रांसफार करेगा या बेचेगा उसकी किसान बही खारिज हो जायेगी और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरा जो बेचेगा उसकी एन्ट्री हो जायेगी । आप इस स्थिति पर भी विचार कर लें कि जो अगर क्रेता करता है, जिसके पास पहले से जमीन नहीं है उसके पास बही होगी तो क्या उसे किसान बही जारी की जायेगी, उसकी एन्ट्री कहां होगी इसका भी कोई प्राविधान इसमें नहीं है । चौथी बात यह है कि हर छः साल बाद खतौनी परिवर्तित होती है मगर इसमें यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि छः साल बाद किसान बही दोबारा दी जायेगी । इन्होंने जो कहा है कि इससे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा और यह उपहार बताते हैं और दूसरी तरफ यह 10 रुपये फीस ले रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, किसान बहियां लेखपाल से जारी कर और जोत बहियां किसानों को जारी कर दी गयी हैं । उस समय दो रुपये मूल्य था और उसे क्रय नहीं किया गया और उनका पैसा लेखपाल से काट लिया गया अगर आज 10 रुपया कर देंगे तो उसकी वसूली भी लेखपाल से होगी ।

मान्यवर, यह क्रांतिकारी व्यवस्था की बात कर रहे हैं । यहां सभी जनपदों के प्रतिनिधि बैठे हैं, सब अवगत होंगे कि खतौनी परिवर्तित होने का एक सतत क्रम है और 6 साल के बाद यह होती है, लेकिन इसका एक कन्टीन्यू प्रासेस है । जैसे एक गांव की इस साल होगी, दूसरे गांव की दूसरे साल, जैसे विधान परिषद् के सदस्यों के रिटायर होने का क्रम है । परन्तु मान्यवर, कहीं भी किसी जनपद में फार्म उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, जिनसे खतौनी बन सके । इनके पास मूल अभिलेख भी नहीं है, तो नई खतौनियां बन ही नहीं सकतीं, यह एक धोखा है । सबसे पहले इनको यह निर्णय लेना चाहिये कि फार्मों की सप्लाई स्थानीय छपाई करके होगी । जब इनके पास मूल खतौनी ही नहीं है तो डुप्लीकेट कहां से बनेगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब कृपया समाप्त करें ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि आज तक बड़ा नग्न नाच हुआ है । मैं कहता हूं कि यह तो आपके द्वारा ही जारी हुयी है । आप लैण्ड रेवन्यू एक्ट, 1901 की धारा 33 (ख) देख लें । आज जो खेवट के नाम पर, जमींदारी के नाम पर दलितों को जमीनों से उजाड़ रहे हैं, वह ठीक नहीं है । आप कहीं से भी दलित वर्ग, कमजोर वर्ग के लिये कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठा रहे हैं, अगर वास्तव में आप उनके लिये कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप इसे प्रवर समिति को सौंप दें, तभी आप सही मायने में गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का हित कर सकेंगे ।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, लगता है हमारे विद्वान साथी को भ्रम हो गया है । यह जोत बही और किसान बही में अन्तर नही जानते । वह किसी जमाने में जोत बही बनी होगी, उसकी कोई विधिक मान्यता नहीं थी, कोई नियमावली नहीं थी, न सख्ती से लागू कराने की कोई बात कही गयी थी । अब जिस किसान बही की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, इसको विधिक मान्यता दे दी गयी है और इसके साथ ही रूल्स बनाने की लिये व्यवस्था भी तय कर दी गयी है । माननीय गांधी जी से और स्वामी नाथ जी से एक बात

पुनः कहना चाहता हूं कि यह किसान बही किसानों के लिये वरदान साबित होगी और जिन भू-माफियाओं के पास 18 एकड़ से ज्यादा जमीन है, असिंचित 27 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उन सबके पर्दाफास हो जायेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि भू माफियाओं का पर्दाफाश हो जायेगा । मान लीजिये मेरे नाम जमीन है, लखनऊ में 18 एकड़, अलीगढ़ में 18 एकड़, बुलन्दशहर में 18 एकड़, तो आप मुझे कैसे पकड़ेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, इसमें सब तरह की व्यवस्थायें होगीं और इसकी छानबीन करके पकड़ेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं । मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह किसान बही, किसानों के लिये वरदान साबित होगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गांधी जी क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो बोगस इंट्रीज हैं, वे सब इससे समाप्त हो जाएंगी । उसके लिए तो आप इस समय भी सक्षम हैं । मैं दो सुझाव देना चाहता हूं । पहला, आपने खतौनी का प्राविधान किया है इसलिये खसरे का प्राविधान भी आप कर दें । दूसरा, अगर किसी खेत में नलकूप लगा है या बाग लगा है या किसी ने बोरिंग कर ली है तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा तो उसकी इंट्री भी होनी चाहिये । नहर विभाग से सिंचित का प्राविधान भी आप कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, 1992 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन दो माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ) ।

श्री उपाध्यक्ष –

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक ,1992 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 व खण्ड 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन विधेयक) ,1992

यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) अधिनियम , 1992 कहा जाएगा ।

(2) यह 24 सितम्बर, 1992 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या 3 सन् 1901 की धारा 33 का संशोधन

2–यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 33 में (क) उपधारा (4)और (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात् –

"(4) कलेक्टर प्रत्येक उस व्यक्ति के निमित्त जो भूमिधर हो, चाहे संक्रमणीय अधिकार वाला हो या नहीं, असामी या सरकारी पट्टेदार अभिलिखित हों, एक किसान बही (पास बुक) तैयार करायेगा और उसे दिलवायेगा, जिसमें,–

(क) उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये वार्षिक रजिस्टर से लिये गये ऐसे उद्धरण जिसमें उन सभी जोतों के विषय में जिनके संबंध में यह (अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से) उस प्रकार अभिलिखित हो, होंगे;

(ख) उसमें स्वीकृत अनुदानों का ब्योरा होगा; और

(ग) ऐसे अन्य विवरण, जो नियत किए जायं, होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि संयुक्त जोतों की स्थिति में, इस उपधारा के प्रयोजन के लिये यह पर्याप्त होगा, यदि किसान बही (पास बुक) ऐसे अभिलिखित सह-अंशधारियों में से ऐसे एक या एकाधिक को, जो नियत किया जाय, दी जाय।

(4–क) उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसान बही (पास बुक) ऐसी रीति से तैयार की जायेगी और ऐसे शुल्क के, जो मालगुजारी के बकाये की भांति वसूल किया जा सकेगा, भुगतान पर दी जायगी, जैसा नियत किया जाये।

(5) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति बिना अतिरिक्त शुल्क दिये उपधारा (2) के अधीन वार्षिक रजिस्टर मे किये गये किसी संशोधन को अपनी किसान बही (पास बुक) में समादिष्ट कराने का हकदार होगा।"

(ख) उपधारा (6) में, शब्द "जोत बही (पास बुक)" के स्थान पर शब्द "किसान बही (पास बुक)" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 25 सन् 1992

निरसन और अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू (संशोधन) अध्यादेश, 1992 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल, अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 व खण्ड 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मद संख्या-20 पर श्री सुरेन्द्र सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अमरनाथ यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाये ।

मान्यवर, यह विधेयक इसलिये लाना पड़ा कि उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड 1992 द्वारा प्रधानाचार्यों और सहायक अध्यापकों की नियुक्ति में विलम्ब हो जाता था और दूसरा इस अधिनियम की 18वीं धारा में प्रबन्धतंत्र को जो अधिकार प्राप्त था, उससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश थी, इसलिये इसको समाप्त करने के लिये माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 को उत्तर प्रदेश विधान मंडल के मा० दोनों सदनों द्वारा पारित कराके भारत सरकार के पास महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृत के लिये भेजा गया था, अभी वह स्वीकृत होकर नहीं आया है । जिसमें नियुक्ति में विलम्ब होना स्वाभाविक है अतः नियुक्ति में देरी न हो 14 जुलाई, 92 को प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1992 जारी किया जाय उसी अध्यादेश के तहत यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि कार्य में गतिरोध पैदा न हो ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

बार-बार आग्रह किया जा रहा है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को पुकार लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

जब मद खत्म हो जाय माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी चाहेंगे तो समय दे देंगे ।

* श्री सुरेश प्रताप गांधी–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे। (सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

मान्यवर, विगत सत्र में माध्यमिक शिक्षा आयोग विधेयक में संशोधन लाकर उन्होने उसकी धारा 18 को समाप्त कर तदर्थ नियुक्ति के प्रावधान को समाप्त कर दिया उसमें तर्क यह दिया था कि तदर्थरूप से जो शिक्षक नियुक्त किये जाते हैं उन्हें मानवीय आधार पर या अन्य कारणों से विनियमित करने के लिये शासन पर दबाव पड़ता है। जैसा मंत्री जी बोल रहे थे कि नियुक्तियां सही नहीं हो पाती थीं इसलिये समाप्त कर दिया। परन्तु उसके स्थान पर जो वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है उसमें डी० आई० ओ० एस०, बेसिक शिक्षा अधिकारी और बालिका विद्यालय निरीक्षिका जो जनपद में हैं उनको भर्ती करने का अधिकार दिया गया है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि 30-30 हजार रुपया लेकर अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जा रहा है।

दूसरा जो रिक्तियों के लिए अवधारणा घोषित करने के लिए निर्धारित की गयी है, उसकी जो प्रक्रिया बनायी गयी है उसे जिला विद्यालय निरीक्षकों पर छोड़ दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष–

संक्षिप्त भाषण दें।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

दो धाराओं पर भी नहीं बोल पाया हूं। तो इसमें जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा किसी जिले में कोई प्रक्रिया अपनाई जा रही है किसी जिले में कोई प्रक्रिया अपनाई जा रही है। नियुक्तियों के लिए कोई निश्चित मापदण्ड नहीं है। इसलिए एक निश्चित मापदण्ड होना चाहिए। इसी तरह से चयन के लिए निश्चित मापदण्ड होना चाहिए। निर्धारित प्रक्रिया न होने के कारण मनमाने तरीके से विज्ञप्तियां जारी हो रही हैं। अगर चयनित शिक्षक ने योगदान नहीं किया उसके लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है कि प्रबन्ध-तंत्र किस प्रकार कार्य करेंगे। 10-10 वर्षों से नियुक्त शिक्षकों के विनियमितीकरण की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। धारा–21 में सेवा शर्तों और उपलब्धियों के बारे में स्पष्ट नहीं है।

इसी तरह से पदच्युत होने पर कोई नियम नहीं है कि उसकी उपलब्धियां क्या होंगी ? अगर कोई पदच्युत होगा तो उसकी उपलब्धियां क्या होंगीं ? किस तरह से उनको नोटिस दिया जायेगा इसका भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है ? तो इन सभी विसंगतियों को स्पष्ट करने के बाद कोई विधेयक लाया जाता तो अच्छा रहता। एक तरफ तदर्थ नियुक्तियों को यह गलत मानते हैं दूसरी तरफ प्रकारांतर में तदर्थ नियुक्तियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि तदर्थ नियुक्ति में अनियमितता होती है और दूसरी तरफ इसके माध्यम से वह उसे बढ़ावा देने जा रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । सुरेश प्रताप गांधी जी ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

इस विधेयक में अन्य स्थानों पर आपस में विरोधाभास है और जो इसका उद्देश्य और कारण दिया गया है, उसका जरा आप अवलोकन कर लें । इसके प्रतिकूल इसमें व्यवस्था की गयी है । इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, जैसा गांधी जी ने कहा यह विधेयक अनेक विषमताओं से भरा हुआ है । वह अपनी उपधारा 7 को ही देख लें आपने जो उसमें प्राविधान किया है और यदि यह प्राविधान चला तो जो नियुक्ति इससे होगी, क्या आपने अपने इन चयन समितियों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को सेवा में ज्वाइन कराने के लिए ऐसा कोई प्राविधान सुनिश्चित कर लिया है । क्योंकि पूर्व समय में देखा गया है कि जो प्रबन्ध तन्त्र हैं, उसकी मर्जी के खिलाफ जब कोई नियुक्ति होती है तो वह उसको ज्वाइन नहीं कराते हैं, उसकी नियुक्ति अपने यहां नहीं करते हैं । तो इसको देखने से यह नहीं मालूम पड़ता है कि इसके द्वारा इसमें आपके पास ऐसा कोई दण्ड आ गया है कि ऐसी स्थिति पैदा होने पर आप अपने आदेशों का, इच्छा का उनसे पालन करा लेंगे । इसके पहले भी एक आयोग बना था, उसमें भी जो चयन हुआ, वह लोग ज्वाइन नहीं कर सके । उनको आप ज्वाइन नहीं करा सके । इसलिए इसमें इस प्रकार का कोई सख्त प्राविधान डालना आवश्यक है कि जो नियुक्ति होती है आयोग के द्वारा, उनकी नियुक्ति भी विद्यालयों में आप आसानी से करा सकें । अभी आपने जो आदेश दिया है कानपुर के एक बालिका विद्यालय में दो अध्यापिकाओं की नियुक्ति के संबंध में । वे अभी तक अपने विद्यालयों में नियुक्ति नहीं पा सकी हैं और आप इस ओर कुछ कर नहीं सके हैं, जबकि इन अध्यापिकाओं में से एक अनुसूचित जाति की है और दूसरी पिछड़ी जाति की अध्यापिका है । इस प्रकार की और ऐसी तमाम कमियों को दूर करने के लिए आप इसको प्रवर समिति में भेज दें, जिससे उनके लिए भी उसमें समुचित प्राविधान रखा जा सके ।

श्री अमरनाथ यादव–

माननीय विधायक गांधी जी ने जो आरोप लगाया है, वह बिल्कुल निराधार है और उसका मै खण्डन करता हूं । हमारे यहां इसमें भ्रष्टाचार कहीं नहीं है । इसमें किसी को न दबाव डालने की आवश्यकता पड़ेगी और न किसी को मनमानी की गुंजाइस रहेगी....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

गांधी जी, आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

इसमें अभी राज्य शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया है कि इसमें किसी को विवेक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो बिना विवेक के चयन होगा तो ऐसी हालत में शिक्षा विभाग में कैसे काम चलेगा ।

श्री अमरनाथ यादव–

मेरे कहने का यह आशय नहीं है, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि.....(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आप इसका निर्धारण कैसे करेंगे कि कौन से विद्यालय में रिक्ति है और वह जो रिक्ति है वह किस तरह से प्रकाश में लायी जायगी । उसकी प्रक्रिया क्या होगी ? ऐसी हालत में कि मैनेजमेंट रिक्ति होने की बात लिखकर नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे ? जिला विद्यालय निरीक्षक अपनी मर्जी से चयन करेंगे तो उसमें क्या होगा । इसलिए इसमें इतना विरोधाभास है कि आप इस आयोग का कार्य इससे कैसे लेंगे, यह आप स्पष्ट कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

गांधी जी आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं या नहीं ?

श्री सुरेश प्रताप गांधी–

वह उद्देश्य और कारण पत्र इसका देख लें, फिर.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप वापस लेते हैं या नहीं, यह स्पष्ट बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 व खण्ड 3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1992 कहा जायेगा । संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 14 जुलाई, 1992 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982 की धारा 18 का प्रतिस्थापन

2–उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा 18 के जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

तदर्थ अध्यापक

"18 (1) जहां प्रबन्धतंत्र ने इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आयोग को किसी रिक्ति की सूचना दी हो और ऐसे अध्यापक का पद वास्तव में दो मास से अधिक रिक्त रहा हो, वहां प्रबन्धतंत्र इस धारा में एतद्पश्चात् उपबंधित रीति से, किसी अध्यापक को पूर्णतया तदर्थ आधार पर, सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा, नियुक्त कर सकता है ।

(2) प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक से भिन्न किसी अध्यापक को, जिसे सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया जाना हो, उपधारा (9) में निर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जा सकता

है ।

(3) प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक से भिन्न विहित अर्हता रखने वाले किसी अध्यापक को, जिसे पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया जाना हो,–

(क) प्रवक्ता ग्रेड में किसी रिक्ति के मामले में, प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड में ज्येष्ठतम अध्यापक को प्रवक्ता के रूप में,

(ख) प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड में किसी रिक्ति के मामले में सर्टिफिकेट आफ टीचिंग ग्रेड में ज्येष्ठतम अध्यापक को प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड में अध्यापक के रूप में;

विहित रीति से पदोन्नति करके नियुक्त किया जा सकता है ।

(4) प्रधानाचार्य के पद में रिक्ति को प्रवक्ता ग्रेड में ज्येष्ठतम अध्यापक की पदोन्नति करके भरा जा सकता है ।

(5) प्रधान अध्यापक के पद में किसी रिक्ति को प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड में ज्येष्ठतम अध्यापक की पदोन्नति करके भरा जा सकता है ।

(6) उपधारा (2) और (3) के अधीन नियुक्तियां करने के प्रयोजनार्थ प्रबन्ध तंत्र रिक्तियों की संख्या और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किये गये नियमों या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित की ज़ाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा । यदि रिक्तियों का अवधारण करने में यह पाया जाय कि ऐसी श्रेणियों के व्यक्ति पदों की ऐसी संख्या को धारण नहीं किये हुए हैं, जैसी कि ऐसे नियमों या आदेशों के अनुसार उनके द्वारा धारण किया जाना चाहिए, तो रिक्तियों का अवधारण इस प्रकार किया जायगा कि प्रथम और प्रत्येक एकान्तर रिक्ति को तब

तक ऐसी श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जायेगा जब तक कि पदों का अपेक्षित प्रतिशत उनके द्वारा धारण न कर लिया जाय ।

(7) उपधारा (6) में यथा उपबन्धित रिक्तियों की संख्या के अवधारण के पश्चात् प्रबन्धतंत्र उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर जिला विद्यालय निरीक्षक को सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां सूचित करेगा । यदि प्रबन्धतंत्र पन्द्रह दिन की उक्त अवधि के भीतर ऐसी रिक्तियों को सूचित करने में विफल रहता है तो जिला विद्यालय निरीक्षक ऐसी संस्था से या अपने अभिलेख से सत्यापन के पश्चात् स्वयं ऐसी रिक्तियों को अवधारित करेगा ।

(8) जिला विद्यालय निरीक्षक, उपधारा (7) के अधीन यथास्थिति, रिक्तियों की सूचना की प्राप्ति पर या रिक्तियों का अवधारण करने के पश्चात् इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 या तद्धीन बनाये गये विनियमों के अधीन विहित अर्हतायें रखने वाले व्यक्तियों से प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक से भिन्न अध्यापकों के पद पर तदर्थ नियुक्ति के लिए ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा ।

(9) (क) प्रत्येक जिले के लिए सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(एक) जिला विद्यालय निरीक्षक, जो अध्यक्ष होगा,

(दो) बेसिक शिक्षा अधिकारी,

(तीन) जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका और जहां ऐसी निरीक्षिका न हो, वहां राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्या और जहां एक से अधिक ऐसे विद्यालय हों वहां ऐसे विद्यालयों की ज्येष्ठतम प्रधानाचार्या और जहां ऐसा विद्यालय न हो वहां राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्या ।

(ख) खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति अभ्यर्थियों का चयन करेगी, चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी उन्हें संस्थाओं को आवंटित करेगी और उपधारा (2) के अधीन नियुक्ति के लिए प्रबन्धतंत्र को उनके नाम की सिफारिश करेगी ।

(ग) अभ्यर्थियों के चयन के लिए मापदण्ड और प्रक्रिया और चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने और संस्थाओं को उनके आवंटन की रीति ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय ।

(10) उपधारा (1) के अधीन तदर्थ अध्यापक की प्रत्येक नियुक्ति उस दिनांक से प्रभावहीन हो जायेगी जब वह अभ्यर्थी जिसकी सिफारिश आयोग या बोर्ड द्वारा की गयी हो कार्यभार ग्रहण कर ले ।

(11) धारा 21-घ के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे अध्यापकों पर लागू होंगे जिन्हें इस धारा के उपबन्धों के अधीन नियुक्त किया जाना हो ।''

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 1992

3–(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1992 एतदद्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 व खण्ड–3, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अमर नाथ यादव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

* वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, कार्य स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत श्री मोहम्मद मुकीम से संबंधित एक प्रकरण यहां पर उठाया गया था जिसके संबंध में प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने अपनी बात यहां पर रखी.....

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने इस प्रकरण पर कल तक के लिए अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपके कक्ष में इस प्रकरण के संबंध में जो वार्ता हुई वैसे उसे यहां कहना उचित नहीं है । प्रतिपक्ष की भावनाओं का आदर करते हुए दिनांक 15 तारीख से 23 तारीख तक जो भी हुआ उसके संबंध में बोर्ड आफ रेवेन्यू के किसी सदस्य को नामित करके जांच करा लेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आपकी व्यवस्था दो बिन्दुओं पर सीमित रहेगी । पहला लाइसेंस वाली बात.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जांच के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा तद्नुसार हम अपना मत तय करेंगे ।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1992

* वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय । मान्यवर, अब तक व्यवस्था ऐसी थी कि असेस्मेंट की कार्यवाही अगर चल रही है इस बीच में अगर कोई अपनी सम्पत्ति का स्थानान्तरण करता है, बेच देता है ऐसी स्थिति में दिक्कत यह होती थी कि हम उससे रकम कैसे उसूल करें । यह व्यवस्था अचल सम्पत्ति के बारे में थी, चल सम्पत्ति का स्थानान्तरण हो जाता था तो नियमों में अब हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि जो व्यवस्था अचल सम्पत्ति के बारे में थी वह चल सम्पत्ति के बारे में हो जाए । तो अगर उसने कपट से चीज को बेचा है तो हम सरकारी धन की वसूली कर लेंगे अगर किसी ने कुछ पूरा धन देकर खरीदा है तो उसके इंट्रैस्ट को वाच करेंगे बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको पकड़ना सरकार के वश का नहीं है । हमने यह भी किया है, कि भूमि, भवन, मशीन, संयंत्र उपस्कर, साधित्र, अंश प्रतिभूति प्रमाण-पत्र, ऋण-पत्र, बैंक में सावधि जमा और मोटर यान आदि हैं । यह बहुत सामान्य संशोधन हैं और राजस्व के हित में हैं । दूसरी व्यवस्था है सब जानते हैं कि बिक्रीकर की तकनीकी बातों का ज्ञान सबको नहीं रहता है.....

श्री उपाध्यक्ष–

मैं समझता हूं कि पर्याप्त हो गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अवधि तीन वर्ष के लिए बढ़ाई जाए ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 व खण्ड 3, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1992

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1992 कहा जायगा । संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 34 का प्रतिस्थापन

2–उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, 1948 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्–

कतिपय अन्तरण राज्य सरकार के प्रभार के अधीन होंगे

"34 (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों की विचार अवधि में कर अथवा अन्य देयों का देनदार कोई व्यक्ति अपनी किन्हीं परिसम्पत्तियों पर (बिक्री, बन्धक, दान विनियम या अन्तरण की किसी भी अन्य रीति से) किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में प्रभार उत्पन्न करता है या उसे अन्तरित करता है, वहां ऐसी परिसम्पत्तियां उक्त कार्यवाहियों के समापन के परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतान किये जाने वाले किसी कर या अन्य देयों की सीमा तक राज्य सरकार के पहले प्रभार के अधीन होंगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात सद्भावी तथा प्रतिफल दाता अन्तरिती के अधिकारों को कम नहीं करेगी ।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा में "परिसम्पत्ति" का तात्पर्य भूमि, भवन, मशीन, संयंत्र, उपस्कर, साधित्र, अंश, प्रतिभूति, प्रमाण-पत्र, ऋण-पत्र, बैंक में सावधि जमा और मोटर यान की उस सीमा तक है जहां तक उपर्युक्त कोई परिसम्पत्ति व्यापारी के कारोबार के माल का भाग न बनती हो ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात बैंकिंग रेगूलेशन अधिनियम, 1949 में यथा परिभाषित बैंकिंग कम्पनी अथवा इस निमित्त विज्ञप्ति द्वारा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य वित्तीय संस्था के पक्ष में किसी प्रभार या अन्तरण पर लागू न

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1979 की धारा 6 का प्रतिस्थापन

3–उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 6 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्–

"(1) किसी प्रतिकूल निर्णय, बिक्री या आदेश के होते हुए भी,–

(क) किसी माल को जो उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1973) द्वारा बढ़ाई गयी, मूल अधिनियम की धारा 28-क या 28-ग के अधीन रोका या अभिग्रहीत किया गया हो या जिसका रोका या अभिग्रहीत किया जाना उपर्युक्त धाराओं के अधीन तात्पर्पित हो ;

(ख) किसी प्रतिभूति की धनराशि को जो इस प्रकार रोके गये या अभिग्रहीत माल को छुड़ाने के लिए जमा की गयी हो ;

(ग) किसी अर्थ दण्ड की धनराशि को जो उपर्युक्त धाराओं के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए आरोपित और समायोजन द्वारा या अन्यथा वसूल की गयी हो ;

उपर्युक्त धाराओं की अविधिमान्यता के आधार पंर वापस करने या लौटाने के लिए कोई प्रार्थना-पत्र, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की समाप्ति तक नहीं की जा सकेगी ।"

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व खण्ड-3, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति और पंचायत लेखा परीक्षा विधेयक, 1992

* वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति और पंचायत लेखा परीक्षा विधेयक, 1992 पर विचार किया जाये।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, प्रस्तावक का नाम छूट गया है इस मामले पर कार्यवाही आप कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आज भी बड़ी चर्चा हुई विधायक के अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है अब हम ऐसा विधेयक पेश कर रहे हैं कि इससे आदरणीय सदन की शक्ति बढ़ेगी। लेखा परीक्षा को विनियमित करने के संबंध में कोई बाधा नहीं होती। सहकारी समितियों, ग्राम पंचायतों का लेखा परीक्षा वित्त विभाग के द्वारा किया जाता था। विभाग लेखा परीक्षा होने की फीस नहीं देते थे। रिपोर्ट कर दी आडिट कर दिया तो भी कोई कार्य नहीं हुआ हमें ऐक्शन लेने का कोई अधिकार नहीं था इसके लिये हमने नियम कानून बना दिये हैं इसमें कोई वित्तीय भार नहीं आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी बात पूरी हो गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अब जैसे जनरल रिपोर्ट सदन में पेश की जाती है इसकी भी की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति और पंचायत लेखा परीक्षा विधेयक, 1992 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खण्ड 2 से खण्ड 22, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति और पंचायत लेखा परीक्षा विधेयक, 1992

उत्तर प्रदेश राज्य में सहकारी समितियों और पंचायतों के लेखों की लेखा परीक्षा की व्यवस्था करने और उसको विनियमित करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति और पंचायत लेखा परीक्षा अधिनियम, 1992 कहा जायगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

परिभाषायें

2—इस अधिनियम में,—

(क) ''अपील प्राधिकारी'' का तात्पर्य धारा 11 के अधीन अपीलों की सुनवाई करने के लिये राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त प्राधिकारी से है,

(ख) ''लेखा-परीक्षा' के अन्तर्गत सांकेतिक लेखा परीक्षा, समवर्ती लेखा परीक्षा, शत-प्रतिशत लेखा परीक्षा, विशेष लेखा परीक्षा और अधिलेखा परीक्षा और धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारियों द्वारा लेखा का निरीक्षण भी है,

(ग) ''लेखा परीक्षक'' के अन्तर्गत निदेशक और उसकी सहायता करने के लिये धारा 3 के अधीन नियुक्त समस्त अन्य अधिकारी भी हैं,

(घ) ''शत-प्रतिशत लेखा-परीक्षा'' का तात्पर्य किसी विनिर्दिष्ट अवधि के किसी विशिष्ट लेखे के समस्त संव्यवहारों के पश्च लेखा परीक्षा से है,

(ङ) ''समवर्ती लेखा-परीक्षा'' का तात्पर्य समय-समय पर लेखे के सामान्य पुनर्विलोकन के साथ दिन-प्रतिदिन के लेखे की पश्च लेखा परीक्षा से है,

(च) ''सहकारी समिति'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित सहकारी समिति से है,

(छ) "निदेशक" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन नियुक्त निदेशक, सहकारी समितियां और पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश से है,

(ज) "गांव सभा" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अधीन स्थापित गांव सभा से है,

(झ) "निरीक्षक" का तात्पर्य धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक से है,

(ञ) "संस्था" का तात्पर्य किसी सहकारी समिति, गांव सभा, न्याय पंचायत, संयुक्त समिति या किसी सहकारी समिति, गांव सभा, न्याय पंचायत या संयुक्त समिति से एकत्रित या वसूल की गयी निधि या अंशदान से प्रवर्तित या चलाई जाने वाली किसी संस्था, जिसके लेखे की लेखा-परीक्षा की जानी है, से है, और इसके अन्तर्गत ऐसी अन्य संस्थायें भी हैं जैसी राज्य सरकार द्वारा, इस अधिनियम के अधीन लेखा-परीक्षा के प्रयोजनों के लिये, अधिसूचित की जायं,

(ट) "संयुक्त समिति" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 30 के अधीन बनाई गई दो या अधिक गांव सभाओं की संयुक्त समिति से है,

(ठ) "प्रबन्ध निकाय" का तात्पर्य, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (ङ) में यथा परिभाषित प्रबन्ध कमेटी और संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खण्ड (ज) में यथा परिभाषित "गांव पंचायत" से है,

(ड) "न्याय पंचायत" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 42 के अधीन स्थापित न्याय पंचायत से है और इसके अन्तर्गत इसकी न्यायपीठ भी है,

(ढ) किसी संस्था के संबंध में "प्रमुख अधिकारी" का तात्पर्य उसके ऐसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये, जो ऐसी संस्था का कारोबार चलाने के लिये उत्तरदायी हो,

(ण) "निबन्धक" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निबन्धक, सहकारी समिति से है और इसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निबन्धक की सहायता करने के लिये नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से भी है,

(त) किसी संस्था के संबंध में "विशेष लेखा परीक्षा" का तात्पर्य राज्य सरकार के आदेशों के अधीन या निबन्धक के निदेश पर या प्रमुख अधिकारी के अनुरोध पर सर्वांगीण जांच किये जाने की अपेक्षा पर की जाने वाली किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लेखे या किसी लेखे की विनिर्दिष्ट मद या लेखे की मदों की श्रेणियों की लेखा परीक्षा से है,

(थ) "अधिलेखा परीक्षा' का तात्पर्य लेखा-परीक्षा की गुणवत्ता की जांच करने के लिये लेखा-परीक्षित लेखे की सांकेतिक लेखा-परीक्षा से है,

(द) "अधिभार" का तात्पर्य धारा 10 के अधीन आदेशित अधिभार से है,

(ध) "सांकेतिक लेखा-परीक्षा" का तात्पर्य लेखा परीक्षक द्वारा किसी वर्ष में यदृच्छया चुने गये या अधिक मास के लेखे की और उस वर्ष के लेखे के सामान्य पुनर्विलोकन के साथ उसके विवेकानुसार प्रतिशत के आधार पर की गयी वार्षिक लेखा परीक्षा से है,

निदेशक और अन्य लेखा परीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति

3–(1) राज्य सरकार संस्थाओं की निधियों की लेखा-परीक्षा करने के लिये निदेशक, सहकारी समिति और पंचायत लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश की नियुक्ति करेगी और निदेशक की सहायता करने के लिये निम्नलिखित श्रेणी के अधिकारियों को भी नियुक्त कर सकती है, अर्थात्—

(क) संयुक्त निदेशक

(ख) उप निदेशक

(ग) सहायक निदेशक

(घ) लेखा परीक्षा अधिकारी श्रेणी एक

(ङ) जिला लेखा परीक्षा अधिकारी

(च) लेखा परीक्षा अधिकारी–श्रेणी दो

(छ) ज्येष्ठ लेखा परीक्षक–श्रेणी एक

(ज) ज्येष्ठ लेखा परीक्षक–श्रेणी दो

(झ) लेखा परीक्षक

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन ऐसे क्षेत्र के भीतर करेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी अधिकारी को जो सहायक निदेशक के स्तर से निम्न न हो, धारा 4 की उपधारा (3) या धारा 6 या धारा 7 या धारा 8 के अधीन निदेशक की समस्त या किन्हीं शक्तियों को प्रदत्त कर सकती है।

लेखा-परीक्षा और लेखा-परीक्षा फीस

4—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 या संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 या उक्त अधिनियमों के अधीन बनाये गये नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, समस्त संस्थाओं के लेखों की वार्षिक लेखा-परीक्षा इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपबन्धित रीति से की जायगी।

(2) ऐसी संस्थायें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों लेखा-परीक्षा फीस का भुगतान करेगी।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन प्रभार्य लेखा-परीक्षा फीस का ज्ञापन प्राप्त होने के एक माह के भीतर, सम्बद्ध संस्था के प्रमुख अधिकारी द्वारा लेखा-परीक्षा फीस का भुगतान न किया जाय तो निदेशक इस निदेश के साथ बैंकर या किसी अन्य व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में ऐसी संस्था की निधि है, आदेश दे सकता है कि वह ऐसी निधि से लेखा-परीक्षा फीस की धनराशि का विहित रीति से भुगतान कर दें, अन्यथा लेखा-परीक्षा फीस की धनराशि भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

लेखा-परीक्षा के लिये अभिलेखों का प्रस्तुत किया जाना

5—प्रमुख अधिकारी, लेखा-परीक्षा के लिये, सभी लेखे, विवरणियां रजिस्टर, पत्रावलियां और पत्राचार और किसी अन्य दस्तावेज को जिसकी लेखा-परीक्षक द्वारा अपेक्षा की जाय, प्रस्तुत करेगा या करायेगा ।

लेखा परीक्षक की शक्तियां

6—(1) किसी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ–

(क) सम्बद्ध संस्था के प्रमुख अधिकारी या किसी अधिकारी, अभिकर्ता, सेवक, सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति से जो किन्हीं बाउचरों, विवरणियों, लेखों, रजिस्टरों, पत्रावलियों और पत्राचार या संस्था के लेखों के संबंध में अन्य दस्तावेज के लिये उत्तरदायी समझा जाय या जिसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में वे हों, ऐसे बाउचरों, विवरणियों, लेखों, रजिस्टरों, पत्रावलियों और पत्राचार या लेखे के सम्बन्ध में कोई अन्य दस्तावेज, जिसे लेखा परीक्षक उचित समझें, ऐसे स्थान पर और ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर जैसा लेखा परीक्षक निदेश दे प्रस्तुत करने या कराने की और साक्षात् रूप में उसके समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है,

(ख) ऐसे व्यक्ति से जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध संस्था के अधीन किसी कार्य में कोई अंश या हित हो या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी उपस्थिति किसी कठिनाई या परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिये आवश्यक समझी जाय साक्षात् रूप में या किसी प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा अधियाचन में विनिर्दिष्ट स्थान पर उसके समक्ष उपस्थित होने और किसी प्रश्न के उत्तर देने के लिये अपेक्षा कर सकता है,

(ग) प्रमुख अधिकारी से ऐसे स्थान पर, जहां लेखा-परीक्षा की जा रही हो या ऐसे अन्य स्थान पर, जहां लेखा परीक्षक निदेश दे, उससे मिलने और उन बिन्दुओं को जिन पर कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित हो, स्पष्ट करने की अपेक्षा कर सकता है ।

(2) लेखा परीक्षक उपधारा (1) के अधीन किये गये किसी अधियाचन में युक्तियुक्त अवधि निर्धारित कर सकता है, जो कम से कम तीन दिन की होगी, जिसके भीतर ऐसे अधियाचन का अनुपालन किया जायेगा ।

(3) लेखा परीक्षक संस्था को जिस दिनांक से उसका लेखा-परीक्षा प्रारम्भ करने का प्रस्ताव हो उसकी लिखित सूचना कम से कम दो सप्ताह पूर्व देगा :

परन्तु लेखा परीक्षक ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अल्पावधि की सूचना देकर या कोई सूचना दिये बिना, लेखा-परीक्षा प्रारम्भ कर सकता है और इस निमित्त राज्य सरकार या निदेशक के किसी निदेश पर प्रारम्भ कर देगा ।

(4) निदेशक को लेखा परीक्षक के कृत्यों का निर्वहन करते समय इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राधिकार होगा :–

(क) किसी संस्था के लेखे का निरीक्षण करना जिसके अन्तर्गत नगदी, मूल्यवान वस्तुओं और भण्डार का भौतिक सत्यापन भी है ;

(ख) यह अपेक्षा करना कि ऐसा कोई रजिस्टर, बही, कागजात और अन्य दस्तावेज जो ऐसे संव्यवहार से, जिसकी लेखा-परीक्षा करना उसकी सीमा में आता हो, संबंधित हो या उसका आधार हो या अन्यथा उनसे सुसंगत हो, ऐसे स्थान पर और ऐसे दिनांक को जिसे वह अपने निरीक्षण के लिये नियत करें, भेज दिये जायं,

(ग) कार्यालय के प्रभारी व्यक्ति से ऐसा प्रश्न पूछना जिसे वह आवश्यक समझे और ऐसी सूचना मांगना जिसे वह लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिये या किसी लेखा या रिपोर्ट को, जिसे तैयार करना उसका कर्तव्य है, तैयार करने के लिये अपेक्षा करें ।

धारा 6 के अधीन अधियाचन की अवज्ञा करने की शास्ति

7—(1) कोई व्यक्ति जो विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर धारा 6 की उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन विधिवत किये गये किसी अधियाचन की या लेखा-परीक्षा रिपोर्ट या आपत्तियों का अनुपालन करने की, जानबूझ कर उपेक्षा करता है या उत्तर देने या पालन करने से इंकार करता है, ऐसी अवधि के साधारण कारावास से जो छः मास तक हो सकती है, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(2) कोई न्यायालय उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान निदेशक की पूर्व स्वीकृति से किये गये किसी परिवाद के बिना नहीं लेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन स्वीकृति देने के पूर्व निदेशक सम्बद्ध व्यक्ति को कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देगा कि ऐसी स्वीकृति क्यों न दे दी जाय ।

(4) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

8—(1) लेखा परीक्षा कार्य सम्पन्न होने के पश्चात्, यथा शक्य शीघ्र, लेखा-परीक्षा का परिणाम ऐसे प्रपत्र में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जैसी विहित की जायं, सम्बद्ध संस्था के प्रमुख अधिकारी को निम्नलिखित दो भागों में संसूचित कि.. जायगा, अर्थात—

(एक) सामान्य और महत्वपूर्ण विषयों का, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, विवेचन करने वाली लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, और

(दो) आपत्ति का विवरण-पत्र जिसमें अशोधित आपत्तियां दी गयी हों।

(2) लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की प्रतियां ऐसे अधिकारियों और प्राधिकारियों को भी भेजी जायेंगी जिन्हें निदेशक द्वारा आवश्यक समझा जाय।

(3) निदेशक लेखा की संहत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और अशोधित लेखा-परीक्षा आपत्तियों की संहत रिपोर्ट तैयार करेगा या करायेगा और उसे राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने के लिये राज्य सरकार को प्रतिवर्ष अग्रसारित करेगा।

रिपोर्ट की प्राप्ति पर प्रक्रिया

9—(1) धारा 8 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्रमुख अधिकारी तत्काल कार्यवाही करेगा और उसमें उठाये गये प्रत्येक बिन्दु पर एक मास के भीतर उत्तर अभिलिखित करेगा जिसमें उस बिन्दु पर की गयी या की जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही दर्शित होगी। लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और प्रमुख अधिकारी की टिप्पणी पर सम्बद्ध संस्था के प्रबन्ध निकाय की विशेष बैठक में, जो लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर होगी, विचार किया जायगा और विनिश्चिय किया जायगा।

(2) प्रमुख अधिकारी का कर्तव्य और दायित्व यह देखना होगा कि लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और आपत्ति के विवरण पत्र में इंगित त्रुटियों और अनियमितताओं का निराकरण या निपटारा शीघ्रता से कर दिया जाय।

(3) लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और आपत्ति का विवरण-पत्र प्रमुख अधिकारी की टिप्पणी और प्रत्येक बिन्दु पर सम्बद्ध संस्था का विनिश्चय और ऐसी अन्य विशिष्टियों सहित जैसी विहित की जायं, विहित रीति से निदेशक को भेजी जायेंगी।

(4) प्रमुख अधिकारी की टिप्पणी और सम्बद्ध संस्था के विनिश्चय सहित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और आपत्ति का विवरण-पत्र प्राप्त होने पर, निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, उसमें चर्चित समस्त या किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में—

(क) संस्था द्वारा की गयी कार्यवाही को स्वीकार कर सकता है; या

(ख) यह निदेश दे सकता है कि विषय का अग्रतर अन्वेषण अगली लेखा-परीक्षा में या किसी पूर्ववर्ती दिनांक को किया जाय; या

(ग) यह निर्णय कर सकता है कि इंगित की गयी त्रुटियों या अनियमितताओं या उनमें से किसी का निराकरण या प्रतिकार नहीं किया गया है।

(5) यदि यह निर्णीत हो कि संस्था के लेखा में इंगित की गयी किसी त्रुटि या अनियमितता का निराकरण या प्रतिकार युक्तियुक्त समय के भीतर नहीं किया गया है तो निदेशक तथ्यों के विस्तृत विवरण सहित और कपट, आपराधिक दुर्विनियोग या किसी अन्य अपराध के मामले का, यदि कोई हो, उल्लेख करते हुए, उसे विशेष रूप से राज्य सरकार की जानकारी में लायेगा ।

(6) जहां राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक समझे, वहां उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 या संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 या उक्त अधिनियमों के अधीन बनाये गये नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रहते हुए,—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति का जो, यथास्थिति, त्रुटि या अनियमितता के लिये उत्तरदायी हो, अभियोजन करने ;

(ख) संस्था के प्रबन्ध निकाय का विघटन या अतिक्रमण करने या उसकी सहायता अनुदान या किसी वित्तीय सहायता, जैसे ऋण, राज सहायता या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंशपूंजी में भाग लेने का निलम्बन करने ;

(ग) संस्था के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध विभागीय जांच या उसके प्रमुख अधिकारी को हटाने, का निदेश दे सकती है ।

घोर अपेक्षा या अवचार के कारण हुई हानि के लिये अधिभार

10—(1) यदि सम्बद्ध व्यक्ति को कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, निदेशक का समाधान हो जाय कि संस्था के किसी धन या सम्पत्ति की कोई हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन ऐसे व्यक्ति के अवचार या उसकी ओर से घोर उपेक्षा का सीधा परिणाम है, या कि उक्त व्यक्ति कोई अवैध भुगतान करने या ऐसे भुगतान को प्राधिकृत करने में एक पक्ष है, तो निदेशक, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकता है कि वह संस्था को विनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व ऐसी धनराशि का, जिसे निदेशक संस्था को ऐसी हानि, दुर्व्यय, दुरुपयोजन या अवैध भुगतान की प्रतिपूर्ति करने के लिये न्याय-संगत और साम्यपूर्ण समझे उस पर ब्याज सहित, भुगतान करे :

परन्तु किसी संस्था के किसी प्रमुख अधिकारी, सदस्य या सेवक के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन अधिभार का कोई आदेश ऐसी हानि, दुर्व्यय, दुरुपयोजन या अवैध भुगतान का पता लगाने के दिनांक से दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उसका ऐसा प्रमुख अधिकारी, सदस्य या सेवक न रह जाने के दिनांक से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जो भी पश्चातवर्ती हो, नहीं दिया जायगा ;

परन्तु यह और कि यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय, दुरुपयोजन या अवैध भुगतान संस्था या उसकी किन्हीं समितियों या उप समितियों के किसी संकल्प के परिणाम स्वरूप हुआ हो, तो अधिभार की धनराशि को समस्त सदस्यों में, जिसके सम्बन्ध में, यथास्थिति, ऐसी संस्था, समिति या उप समिति के कार्यवृत्त

में यह सूचना हो कि उन्होंने ऐसे संकल्प के पक्ष में मत दिया था या तटस्थ रहे थे, बराबर-बराबर बांट दिया जायगा ;

परन्तु यह भी कि किसी अतिक्रमित संस्था के मामले में, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय, दुरुपयोजन या अवैध भुगतान प्रशासक या प्रभारी अधिकारी की, जो सरकार सेवक हो, किसी कार्यवाही के कारण हुआ हो, तो निदेशक द्वारा मामले की सूचना राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिये दी जायेगी ;

परन्तु यह भी कि किसी मृत अपचारी व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की सम्पत्ति की सीमा तक होगा जो ऐसे विधिक प्रतिनिधि को प्राप्त हुई हो ।

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन अधिभार के आदेश की या धारा 11 के अधीन अपील के आदेश की प्रति लेने से इन्कार करता है तो यह समझा जायगा कि उसने उसे ऐसे इन्कार करने के दिन को सम्यक् रूप से प्राप्त कर लिया है ।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी आदेश को व्यक्तिगत रूप से तामील करना व्यवहार्य न हो, तो उसकी प्रवर्ती भाग सहित उसका सारांश उसके अन्तिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसे भेज दिया जायगा या उसके अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर चिपका दिया जायगा और उस परिक्षेत्र में डूग्गी पिटवाकर उसकी उद्घोषणा की जायगी और तदुपरान्त ऐसे आदेश की सम्यक् रूप से तामील की उपधारणा की जायगी ।

अधिभार के आदेश के विरुद्ध अपील

11—(1) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस पर आदेश की तामील के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी की विहित रीति से अपील कर सकता है ।

(2) अपील प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गयी अपील की सुनवाई करते समय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी विहित की जाय ।

(3) इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अन्तिम होगा ।

भू-राजस्व के बकाये के रूप मे प्रभार की वसूली

12—अधिभार की धनराशि का भुगतान अधिभारित व्यक्ति द्वारा आदेश की तामील के दिनांक से साठ दिन के भीतर किया जायगा, ऐसा न करने पर, उसे निदेशक के आवेदन-पत्र पर भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जायगा और संस्था की निधि में विहित रीति से जमा किया जायगा ।

प्रभार का भुगतान

13—धारा 6 के अधीन लेखा-परीक्षक द्वारा किये गये किसी अधियाचन के अनुपालन में किसी संस्था द्वारा किया गया समस्त व्यय ऐसी संस्था की निधि से देय होगा ।

निदेशक लेखा-परीक्षक आदि लोक सेवक होंगे

14–निदेशक, और उसके अधीन कार्यरत, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन शक्ति का प्रयोग करने वाले या प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी और लेखा परीक्षक, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक होंगे।

वादों पर रोक

15—इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा विधिक रूप से दिये गये किसी आदेश पर आपत्ति करने के लिये किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जायगा या अन्य कार्यवाही नहीं की जायगी।

सद्भावना से किये गये कार्यों का संरक्षण

16—राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही ऐसे कार्य के लिये नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन सद्भाव से किया गया हो या किये गये जाने के लिये तात्पर्यित हो।

निरीक्षक द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण

17—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना, द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारियों में से ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह उचित समझे निरीक्षक नियुक्त कर सकती है और उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमायें परिनिश्चित कर सकती है।

(2) इस निमित्त बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, कोई निरीक्षक अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर—

(क) निदेशक, लेखा परीक्षक या लेखा-परीक्षा की कार्यवाही के किसी अन्य प्रभारी व्यक्ति के आदेश से उचित समय पर किसी परिसर या स्थान में, सरकार की या किसी सहकारी समिति, गांव सभा, न्याय पंचायत, संयुक्त समिति या अन्य लोक प्राधिकारी की सेवा में कार्यरत व्यक्तियों की ऐसी सहायता से, जैसी वह उचित समझे और जो निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अनुमोदित हो, लेखा-परीक्षा की कार्यवाहियों के संबंध में किसी रजिस्टर या अभिलेख या पत्रादि की परीक्षा करने के प्रयोजनार्थ, प्रवेश कर सकता है और निरीक्षण के लिये उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(ख) सूचना प्राप्त करने के लिये स्थल पर किसी व्यक्ति से परिप्रश्न कर सकता है,

(ग) अपने ज्येष्ठ अधिकारियों के निदेशों का पालन करने के लिये ऐसे अभिलेख या पत्रादि को जो आवश्यक हो, अभिगृहीत कर सकता है या उनकी प्रतियां ले सकता है या उन पर हस्ताक्षर कर सकता है।

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो विहित की जायं।

(3) कोई व्यक्ति जिससे उपधारा (1) के अधीन निरीक्षक कोई दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत करने या सूचना देने की अपेक्षा करे, ऐसा करने के लिये बाध्य होगा।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध, यथा शक्य, उपधारा (1) के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी किये गये वारन्ट के प्राधिकार से की गयी किसी तलाशी या अभिग्रहण पर लागू होते हैं।

अपराधों का शमन

18—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन, चाहे अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् निदेशक द्वारा राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए उस अपराध के लिये नियत जुर्माना की अधिकतम धनराशि से अनधिक शमन फीस की ऐसी धनराशि का जिसे वह उचित समझे, भुगतान करने पर किया जा सकेगा, और जहां अपराध का इस प्रकार शमन–

(एक) अभियोजन संस्थिति किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिये अभियोजित नहीं किया जायगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायगा,

(दो) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोष मुक्ति का होगा।

विनियम बनाने की शक्ति

19—निदेशक, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, अपने प्रभाराधीन लेखा-परीक्षा कार्य को विनियमित करने के लिये ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो।

नियम बनाने की शक्ति

20—(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिये व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्–

(क) संस्थाओं की लेखा परीक्षा के लिये प्राथमिकतायें निर्धारित करने को विनियमित करना ;

(ख) किसी संस्था द्वारा भुगतान की जाने वाली लेखा-परीक्षा फीस की दर और उसके भुगतान और वसूली की रीति ;

(ग) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार लेखा रखा जायगा और लेखा-परीक्षा के लिये प्रस्तुत किया जायगा ;

(घ) लेखा-परीक्षक की शक्तियां और कर्तव्य और लेखा-परीक्षा करने की प्रक्रिया, समय और स्थान ;

(ङ) निदेशक की शक्तियां और कर्तव्य ;

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या विहित किया जाय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-12 सन् 1984 का संशोधन

21—उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा 2 में, खण्ड (घ) में, शब्द "गांव सभा" निकाल दिये जायेंगे और अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्—

"किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी समिति और पंचायत लेखा-परीक्षा अधिनियम, 1991 के उपबन्धों द्वारा शासित सहकारी समितियां, गांव सभा, न्याय पंचायत या संयुक्त समितियां या संस्थायें नहीं हैं"

अभिभावी प्रभाव

22—जहां इस अधिनियम के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 और उसके अधीन बनाये गये नियमों या संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबन्धों से असंगत हों, वहां इस अधिनियम के उपबन्ध अभिभावी होंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 22 तक खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति और पंचायत लेखा परीक्षा विधेयक, 1992 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति और पंचायत लेखा परीक्षा विधेयक, 1992 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992 द्वारा "भारत का संविधान" में प्रस्तावित संशोधन का, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (क) के अन्तर्गत आता है, अनुसमर्थन करता है।"

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992 द्वारा "भारत का संविधान" में प्रस्तावित संशोधन का, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (क) के अन्तर्गत आता है, अनुसमर्थन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थाई समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्य विधि के नियम में संशोधन हेतु संकल्प

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन संकल्प करता है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत "मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थाई समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्य विधि के नियम में, नियम 1 के खण्ड (क) में उल्लिखित स्थाई समितियों की सूची में–

(क) क्रम संख्या 1 के सम्मुख स्तम्भ-2 में शब्द "हरिजन सम्बन्धी" के स्थान पर शब्द "अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण एवं समाज कल्याण" रख दिये जाएं।

(ख) क्रम संख्या 9 के सम्मुख स्तम्भ-2 में शब्द "माल" के स्थान पर शब्द "राजस्व" रख दिया जाये, और

(ग) क्रम संख्या 23 के सम्मुख स्तम्भ-2 मे शब्द "समाज कल्याण" के स्थान पर शब्द "महिला कल्याण एवं बाल विकास" रख दिये जाएं।"

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन संकल्प करता है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत "मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थाई समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्य विधि के नियम में, नियम 1 के खण्ड (क) में उल्लिखित स्थाई समितियों की सूची में–

(क) क्रम संख्या 1 के सम्मुख स्तम्भ-2 में शब्द "हरिजन सम्बन्धी" के स्थान पर शब्द "अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण एवं समाज कल्याण" रख दिये जाएं।

(ख) क्रम संख्या 9 के सम्मुख स्तम्भ-2 में शब्द "माल" के स्थान पर शब्द "राजस्व" रख दिया जाये, और

(ग) क्रम संख्या 23 के सम्मुख स्तम्भ-2 मे शब्द "समाज कल्याण" के स्थान पर शब्द "महिला कल्याण एवं बाल विकास" रख दिये जाएं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सदन के अनिश्चित काल तक के स्थगन का प्रस्ताव

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव रखता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान सामूहिक रूप से गाया गया)–

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे ।
भारत भाग्य विधाता ।।
पंजाब सिंधु गुजरात मराठा ।
द्राविड़ उत्कल वंग ।।
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा,
उच्छल जलधि तरंग ।।
तब शुभ नामे जागे,
तब शुभ आशिष मांगे ।।
गाहे तब जय गाथा ।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता ।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे ।।

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम अनिश्चितकाल तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 8 बजकर 25 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
25 नवम्बर, 1992

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र०सं० 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर)

नलकूप मण्डल, बरेली

वर्ष 1990-91 (दिनांक 1 -3-90 से 31-3-91 तक)

क्र०सं०	खण्ड का नाम	किस अधिकारी द्वारा आर्डर किया गया	चन्द्रा ट्रेडिंग कारपोरेशन कानपुर	भारत इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल कानपुर	मेसर्स सजल सेल्स कारपोरेशन, कानपुर
1	2	3	4	5	6
1	नलकूप खण्ड–I, बरेली	अधि० अभियन्ता द्वारा	–	–	–
		अधी० अभियन्ता द्वारा	–	–	–
		क्रय प्रस्ताव द्वारा	—	–	–
2	नलकूप खण्ड–II, बरेली	अधि० अभियन्ता द्वारा	–	–	–
		अधी० अभियन्ता द्वारा	–	–	–
		क्रय प्रस्ताव द्वारा	—	–	–
3	नलकूप खण्ड–I, बदायूं	अधि० अभियन्ता द्वारा	–	–	–
		अधी० अभियन्ता द्वारा	–	–	–
		क्रय प्रस्ताव द्वारा	—	–	–
4	नलकूप खण्ड–II, बदायूं	अधि० अभियन्ता द्वारा	–	–	–
		अधी० अभियन्ता द्वारा	–	–	–
		क्रय प्रस्ताव द्वारा	—	–	–
5	नलकूप खण्ड–II, बदायूं	अधि० अभियन्ता द्वारा	–	–	–
		अधी० अभियन्ता द्वारा	–	–	–
		क्रय प्रस्ताव द्वारा	—	–	–
6	नलकूप खण्ड, शाहजहांपुर	अधि० अभियन्ता द्वारा	–	–	–
		अधी० अभियन्ता द्वारा	–	–	–
		क्रय प्रस्ताव द्वारा	—	–	–
7	नलकूप निर्माण खण्ड, बरेली	अधि० अभियन्ता द्वारा	–	–	–
		अधी० अभियन्ता द्वारा	–	–	–
		क्रय प्रस्ताव द्वारा	—	–	–
8	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी	अधि० अभियन्ता द्वारा	–	–	–
		अधी० अभियन्ता द्वारा	–	–	–
		क्रय प्रस्ताव द्वारा	—	–	–

कालम नं० 4, 5, 6 की सूचना शून्य ।

नलकूप मण्डल, बरेली

वर्ष 1991-92 (दिनांक 1-4-91 से 31-3-92 तक)

क्र०सं०	खण्ड का नाम	किस अधिकारी द्वारा आर्डर किया गया	चन्द्रा ट्रेडिंग कारपोरेशन कानपुर	भारत इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल कानपुर	मेसर्स सजल सेल्स कारपोरेशन, कानपुर
1	2	3	4	5	6
1	नलकूप खण्ड–I, बरेली	अधि० अभियन्ता द्वारा	–	–	–
		अधी० अभियन्ता द्वारा	–	–	22,077.00
		क्रय प्रस्ताव द्वारा	–	–	2,77,005.00
2	नलकूप खण्ड–II, बरेली	अधि० अभियन्ता द्वारा	–	–	5,700.00
		अधी० अभियन्ता द्वारा	8,240.00	–	–
		क्रय प्रस्ताव द्वारा	3,620.00	–	83,800.00
3	नलकूप खण्ड–I, बदायूं	अधि० अभियन्ता द्वारा	–	–	10,200.00
		अधी० अभियन्ता द्वारा	–	–	–
		क्रय प्रस्ताव द्वारा	–	–	51,850.00
4	नलकूप खण्ड–II, बदायूं	अधि० अभियन्ता द्वारा	–	–	15,465.00
		अधी० अभियन्ता द्वारा	–	–	8,400.00
		क्रय प्रस्ताव द्वारा	–	–	–
5	नलकूप खण्ड–III, बदायूं	अधि० अभियन्ता द्वारा	2,875.00	–	12,440.00
		अधी० अभियन्ता द्वारा	–	–	–
		क्रय प्रस्ताव द्वारा	–	–	47,300.00
6	नलकूप खण्ड, शाहजहांपुर	अधि० अभियन्ता द्वारा	–	–	–
		अधी० अभियन्ता द्वारा	–	–	7,235.00
		क्रय प्रस्ताव द्वारा	–	–	54,750.00
7	नलकूप निर्माण खण्ड, बरेली	अधि० अभियन्ता द्वारा	–	–	–
		अधी० अभियन्ता द्वारा	–	–	–
		क्रय प्रस्ताव द्वारा	–	–	–
8	नलकूप खण्ड हल्द्वानी	अधि० अभियन्ता द्वारा	–	–	–
		अधी० अभियन्ता द्वारा	–	–	–
		क्रय प्रस्ताव द्वारा	–	–	–

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

संलग्नक

जनपद	तहसील जहां मुंसिफ न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव है
1 अलीगढ़	(1) सिकन्दराराउ (2) इगलास (3) अतरौली (4) खैर
2 अल्मोड़ा	बागेश्वर
3 आजमगढ़	लालगंज
4 इलाहाबाद	(1) मेजा (2) बारा
5 इटावा	(1) विधूना (2) भरथना
6 उन्नाव	हसनगंज
7 एटा	जलेसर
8 कानपुर देहात	अकबरपुर
9 खीरी-लखीमपुर	(1) निघासन (2) पलिया (3) गोला गोकरननाथ
10 गोण्डा	(1) तुलसीपुर (2) मनकापुर (3) उतरौला
11 गोरखपुर	गोला
12 गाजीपुर	जमानिया
13 गाजियाबाद	दादरी
14 चमोली	(1) गोपेश्वर (2) रुद्र प्रयाग
15 जौनपुर	शाहगंज
16 टिहरी गढ़वाल	कीर्तिनगर
17 देवरिया	सलेमपुर
18 नैनीताल	रामनगर
19 पिथौरागढ़	लोहाघाट
20 पौड़ी गढ़वाल	श्रीनगर
21 प्रतापगढ़	कुण्डा
22 पीलीभीत	बीसलपुर
23 फर्रुखाबाद	कायमगंज

विधान सभा उत्तर प्रदेश

जनपद	तहसील जहां मुंसिफ न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव है
24 फतेहपुर	बिंदकी
25 फैजाबाद	टाण्डा
26 बस्ती	खलीलाबाद
27 बरेली	(1)बहेड़ी (2) नवाबगंज
28 बहराइच	नानपारा
29 बांदा	(1) नरैनी (2) बबेरू (3)मऊ (4) अतर्रा
30 बुलन्दशहर	स्याना
31 बिजनौर	चांदपुर
32 बदायूं	दातागंज
33 मिर्जापुर	चुनार
34 मैनपुरी	जसराना
35 मुजफ्फरनगर	बुढ़ाना
36 रायबरेली	डलमऊ
37 रामपुर	(1) शाहाबाद (2)मिल्क (3)स्वार (4) बिलासपुर
38 सीतापुर	महमूदाबाद
39 सहारनपुर	नकुड़
40 सिद्धार्थनगर	डुमरियागंज
41 सुल्तानपुर	(1) अमेठी (2)मुसाफिरखाना
42 हरदोई	(1) शाहाबाद (2) बिलग्राम
43 हमीरपुर	(1)राठ (2)कुलपहाड़ (3) चरखारी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 64 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर)

वर्ष 1990-91 से 1991-92 तक उपलब्ध कराई गयी धनराशि एवं उसके व्यय संबंधी सूचना

गन्ना विकास परिषद्–सम्पूर्णानगर–खीरी

क्र०सं०	नाम सड़क	कार्य का प्रकार	लम्बाई कि०मी०	स्वीकृत धनराशि	सड़क पर हुआ कुल व्यय
1	बालपुर	मरम्मत कार्य	1.000	52,252.70	1,04,305.43
2	भगवानपुरी सड़क	मरम्मत कार्य	1.000	53,477.30	1,06,954.60
3	महगापुर-परसपुर रोड				
	प्र० कि० मी०	पेन्टेड कार्य	1.000	1,41,082.00	2,02,164.00
4	,, ,, द्वितीय	,,	1.000	1,34,442.00	2,68,884.00
5	,, ,, तृतीय	,,	0.900	1,41,434.50	2,62.869.00
6	विसेनपुरा-घोला रोड	,,	0.500	68,222.50	1,36,445.00
7	रानीनगर रोड	,,	0.500	78,760.00	1,57,720.00
	योग –सड़क निर्माण मरम्मत कार्य		2.000	6,69,671.00	13,39,342.03
	पेन्टेड कार्य		3.900		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 73 का उत्तर पीछे पृष्ठ 59 पर)

वाराणसी मंडल में पौधशालावार वर्ष 1991-92 में उत्पादन निम्नानुसार था :–

क्रम सं०	पौधशाला का नाम	पता	अनुश्रवण रिपोर्ट मार्च, 92 के अनुसार	लेजर मार्च, 92 के अनुसार
1	राजकीय पौधशाला	कड़ाबाग, गाजीपुर	36,900	36,788
2	,, ,,	कम्पनीबाग, वाराणसी	74,302	72,793
3	,, ,,	सहाबगंज ,,	54,049	57,085
4	,, ,,	नियमताबाद ,,	14,000	14,000
5	,, ,,	कम्पनीबाग, बलिया	45,985	35,325
6	,, ,,	विसुन्दरपुर, मिर्जापुर	42,320	36,156
7	,, ,,	पटेहरा ,,	7,640	7,140
8	,, ,,	पालिटेक्निक, जौनपुर	34,685	34,685
9	,, ,,	बक्शा ,,	22,800	22,800
10	,, ,,	बभनी, सोनभद्र	30,180	26,352
		मण्डल, योग	3,62,861	3,43,124

उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 110 का उत्तर पीछे पृष्ठ 74 पर)

रजि० सं०–5680

प्रेषक : रेडिकल सोसायटी, उ० प्र०,
प्रान्तीय कार्यालय,
1/861, विशाल खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ ।

दि० 24 मार्च, 1991

सेवा में,

माननीय कृषि मंत्री महोदय,
उ० प्र० (शासन),
लखनऊ ।

विषय :–भ्रष्टाचार व गबन के संबंध में ।

महोदय,

निवेदन यह है कि मैं आपका ध्यान लाखों रुपयों की हेराफेरी करने वाले संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) लखनऊ मण्डल और उप कृषि निदेशक (प्रसार) उन्नाव के अधिकारियों व कर्मचरियों की ओर दिलाना चाहता हूं ।

1–उप कृषि निदेशक (प्रसार) उन्नाव के काले कारनामों के आरोप संबंधी समाचार विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए हैं ।

2–जनपद उन्नाव में भवन निर्माण हेतु दिनांक 29-11-88, 1-2-89 व 9-2-89 को निविदायें आमंत्रित की गयीं जो ठेकेदारों के समक्ष नहीं खोली गयीं तथा दिनांक 29-11-88 व 1-2-89 की निविदायें कमीशन न तय हो पाने की वजह से अस्वीकृत हुईं ।

3–संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) लखनऊ मण्डल व उप कृषि निदेशक (प्रसार) उन्नाव के प्रतिनिधियों की एक बैठक नवाबगंज पक्षी बिहार में दिनांक 8-2-89 की रात्रि 8.00 बजे कमीशन तय करने के लिए हुई थी । तथा एक कमरा भी बुक हुआ था जिसकी रसीद नम्बर 1523 है ।

4–विभागीय पंजीकृत ठेकेदारों के अतिरिक्त ठेकेदारों ने निविदा की शर्त नम्बर 3 को पूरा नहीं किया और उनकी निविदा स्वीकृत हुई ।

5–निविदा की शर्त नम्बर 7 में स्पष्ट लिखा है कि प्रतिशत होने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी । परन्तु सफीपुर और पुरवा किसान सहायक आवास निर्माण की निविदाओं में प्रतिशत होते हुए निविदायें स्वीकृत हुईं ।

6–कुछ ठेकेदारों/फर्मों ने बिना निविदा शुल्क दिये निविदायें प्राप्त कर निविदायें अमुक-अमुक स्थान पर निर्माण करने हेतु डाल दी जो स्वीकृत हुई और कुछ निविदायें दिनांक 9-2-89 के बाद डाली गयीं वह भी स्वीकृत हुईं ।

7–किसान सहायक आवास निर्माण इन्द्रमऊ की एम० वी० फाड़कर दूसरे पन्ने सिले गये जो एक संगीन अपराध है ।

8–किसान सहायक आवास अजगैन (नवाबगंज), सफीपुर, पुरवा, टिकरा सामद और पूरानिस्प पंसारी आदि निविदाओं में भारी फेर बदल कमीशन लेकर किया गया है ।

9–किसान सहायक आवास अजगैन व पूरानिस्प पंसारी के टेण्डरों में तो लगभग 15,000 रुपये तक अधिकारियों द्वारा बढ़ाये गये ।

10–शासन आदेश सं०-ई०-1-1277/दस-1988 दिनांक 18 जुलाई, 1988 के अन्तर्गत सिविल कार्य केवल सिविल अभियन्ता द्वारा ही कराया जाना है । जो नहीं कराया गया यह भी एक अपराध है ।

11–शासन आदेशानुसार संबंधित सभी किसान सहायक आवास निर्माण कार्य मार्च, 1989 तक पूर्ण हो जाना चाहिए था । परन्तु दिनांक 16-2-91 तक केवल किसान सहायक आवास निर्माण का कार्य अधिकारियों की लापरवाही के कारण 61.53 प्रतिशत पूरा हुआ और विषय वस्तु विशेषज्ञ आवास निर्माण 75 प्रतिशत पूरा हुआ जब कि क्रमशः 38.47 व 25 प्रतिशत कार्य अधूरे हैं जो निम्न हैं :–

पूरानिस्प पंसारी, हिलौली, कपनपुर, असोहा, नवाबगंज, टिकरा, सामद, रामपुर, गेंढवा, इनायतपुर, मियांगंज, (असीवन) मियांगंज (बरहाकल) कंजौरा, मरौंदा मझवारा, बहुराजमऊ, बिहार और ऊंचगांव तथा वि० व० वि० आवास नवाबगंज । इस प्रकार टी० एण्ड वी० योजना उन्नाव में खटाई में पड़ गयी ।

12–किसान सहायक आवास निर्माण व वि० व० वि० आवास निर्माण की प्रतिमाह प्रगति सूचना भी उच्च अधिकारियों को गलत भेजी जाती है ।

13–आवासों में विद्युतीकरण का कार्य भी कार्यालय निदेशक विद्युत सुरक्षा, उ० प्र० (शासन) लखनऊ से मान्यता प्राप्त ठेकेदारों से न करा कर किसी अन्य से कराया गया है ।

14–उ० प्र० (शासन) की स्पष्ट सूचना "इस सड़क के बीच से दोनों ओर 220 फिट तक बिना आज्ञा कोई भवन निर्माण रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 के अन्तर्गत वर्जित है" के उपरान्त भी सुहरामऊ, दोस्ती नगर, सिकन्दरपुरकरन आदि अनेकों भवन सड़क के किनारे जानबूझकर बनवाये गये हैं । जो भविष्य में तोड़े जा सकते हैं ।

15–कार्यालय उप कृषि निदेशक (प्रसार) के उन्नाव के पत्रांक -631/90-91 दिनांक 16-2-91 के द्वारा प्रेषित पत्र में दर्शाया गया है कि 14 ठेकेदार 27 भवनों के संबंधित उप संभागीय कृषि (प्रसार) अधिकारी उन्नाव के कार्यालय में उपस्थित होंवें तथा साथ में जाकर भवन का अधिग्रहण करावें । जबकि अधिकांश भवनों का निर्माण कार्य 18 माह पूर्व शुरू हो चुका था तथा अधिकांश कार्यों का पूर्ण भुगतान हो गया था व जमानत धनराशि भी मुक्त हो चुकी थी । तथा इन्देमऊ और पाटन एक इन्देमऊ का भुगतान दिनांक 9-1-90 को एम० बी० होने के बावजूद वैमनस्यतावश नहीं किया गया ।

16–27 भवन पूर्व में बनाये जाने के बाद संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवंटित नहीं किये गये हैं । तथ उन्हें आवासीय भत्ता भी अभी तक दिया जा रहा है । इस प्रकार जनता के लाखों रुपयों का दुरुपयोग अधिकारियों द्वारा किया गया है ।

17–एस० एम० ए० उन्नाव द्वारा एम० बी० तथा तुलनात्मक चार्ट भी बाहरी व्यक्तियों से बनवाये गये हैं तथा उसमें काफी फेर बदल दिनांक 9-2-89 के टेण्डरों में किया गया है । टेण्डर में दर ठेकेदारों द्वारा गलत दी गयी । परन्तु लेखानुभाग लखनऊ मण्डल में निविदा क्रम संख्या 9 और 10 में स्वयं क्रास

तीर बनाकर उल्टा-सीधा करके ठेकेदारों को जबरन काम दिया गया । इस प्रकार प्रत्येक ठेकेदार को लगभग 2,000 रुपयों से अधिक का भुगतान विभाग की मिली भगत से ठेकेदारों को किया गया ।

18–एक फर्म को अजगैन के स्थान पर टिकरा सामद पर निर्णय निविदा स्वीकृत हुई जब कि फर्म ने टिकरा सामद का टेण्डर ही नहीं खरीदा था ।

19–यह भी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गयी कि आवास निर्माण नवाबगंज के कार्य पर रु० 58,500 (अट्ठावन हजार पांच सौ रुपया) मियागंज (आसीवन) के कार्य पर रु० 40,000 ठेकेदारों को दिया गया जबकि यह भुगतान ठेकेदारों को नहीं मिला इससे यह गबन साबित होता है कि अधिकारियों ने स्वयं ले लिया है ।

माननीय मंत्री जी से पुनः अनुरोध है कि सी० आई० डी० द्वारा जांच कराकर दोषी भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाओं को अनिवार्य सेवा निवृत्ति नियमों के अन्तर्गत समाप्त करने की कृपा करें ।

आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि माननीय मंत्री जी दोषी भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें अविलम्ब समाप्त करने की अवश्य कृपा करेंगे ।

भवदीय,
ह०/–
(रमेश चन्द्र शर्मा)
एडवोकेट,
महामंत्री,
रेडिकल सोसायटी उ० प्र०,
1/861, विशाल खण्ड गोमती नगर,
लखनऊ ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उ० प्र०, कृषि भवन, लखनऊ ।
2–कृषि अभियन्ता (मुख्यालय), कृषि भवन, लखनऊ ।
3–पुलिस अधीक्षक सतर्कता कृषि विभाग कृषि भवन, लखनऊ ।
4–जिलाधिकारी, उन्नाव ।

भवदीय,
ह०/–
(रमेश चन्द्र शर्मा)
एडवोकेट,
महामंत्री,
रेडिकल सोसायटी उ० प्र०,
1/861, विशाल खण्ड गोमती नगर,
लखनऊ ।

नस्बी 'च'

(देखिये अता० प्र० सं० 127 का उत्तर पीछे पृष्ठ 80 पर)

दयालबाग के मील 0-0-0 से 0-3-363 तक

अनाधिकृत कब्जेदारों की सूची

अनाधिकृत कब्जेदारों का नाम	वाद दायर करने की तिथि	विवरण
1–हरीबाबू	15-9-80	न्यायालय परगनाधिकारी आगरा
2–मोहनचन्द पाण्डे	15-9-80	,,
3–जगदीश/हरीबाबू	15-9-80	,,
4–राम बाबू	15-9-80	,,
5–ताराचन्द्र	15-9-80	,,
6–फत्ते	15-9-80	,,
7–गंगा राम,	15-9-80	,,
8–बंगाली होटल	15-9-80	,,
9–सतीश डेरी वाला	21-1-88	,,
10–जवाहर होटल वाला	15-9-80	,,
11–मोहन सेठी	15-9-80	,,
12–देवकी नन्दन विभव	15-9-80	,,
13– देवकी नन्दन विभव	15-9-80	,,
14– देवकी नन्दन विभव	15-9-80	,,
15–देवकी नन्दन विभव	15-9-80	,,
16–देवकी नन्दन विभव	15-9-80	,,
17–देवकी नन्दन विभव	15-9-80	,,
18–देवकी नन्दन विभव	15-9-80	,,
19–देवकी नन्दन विभव	15-9-80	,,
20–देवकी नन्दन विभव	15-9-80	,,
21–देवकी नन्दन विभव	15-9-80	,,
22–नाहर सिंह पुत्र राम खिलाड़ी	3-10-80	न्यायालय सिटी मजिस्ट्रेट आगरा
23–शिव चरन वकील	15-9-80	न्यायालय परगनाधिकारी आगरा
24–राधा वल्लभ गुप्ता	15-9-80	,,

उत्तर प्रदेश सरकार

अनाधिकृत कब्जेदारों का नाम	वाद दायर करने की तिथि	विवरण
25–धर्म चन्द्र सिंधी	15-9-80	न्यायालय परगनाधिकारी आगरा
26–मोहन लाल कश्यप	15-9-80	,,
27–राधा वल्लभ गुप्ता	15-9-80	,,
28–पीतम सिंह	15-9-80	,,
29–चन्द्रशेखर	15-9-80	,,
30–कैलाश चन्द्र	15-9-80	,,
31–बच्चू सिंह	15-9-80	,,
32–प्रो० नसरुद्दीन (फौलाद बैण्ड)	15-8-80	,,
33–शर्मा वाच कम्पनी	15-9-80	,,
34–रमेश	3-10-80	,,
35–पी० के० मेहरोत्रा	15-9-80	,,
36–राम सिंह चौहान	3-10-80	,,
37–डा० आर० बी० शर्मा	3-10-80	,,
38–अरविन्द कुमार गुप्ता	10-9-86	न्यायालय सिटी मजिस्ट्रेट आगरा
39–देवकी नन्दन विभव	3-10-80	न्यायालय परगनाधिकारी आगरा
40–देवकी नन्दन विभव	3-10-80	,,
41–जे० पी० सक्सेना	3-10-80	,,
42–रामधन मनोचा	3-10-80	,,
43–डा० आर० बी० शर्मा	3-10-80	,,
44–देवकी नन्दन विभव	3-10-80	,,
45–देवकी नन्दन विभव	3-10-80	,,
46–ओम प्रकाश प्रहलाद	3-10-80	,,
47–ओम प्रकाश पुत्र निस्सी	3-10-80	,,
48–ट्रान्सपोर्ट कम्पनी	3-10-80	,,
49–सुखलाल सब्जी वाला	16-7-86	,,
50–न्यू आगरा आवास मंच	14-1-88	अतिरिक्त सिविल जज आगरा
51–शारदा देवी	25-5-92	न्यायालय सिटी मजिस्ट्रेट आगरा
52–रेशम पाल सिंह	25-5-92	,,
53–अशोक कुमार रंगवाले	25-5-92	,,
54–द्वारिका वत्पानी	3-11-82	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अता० प्र० सं० 156 का उत्तर पीछे पृष्ठ 93 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1992 के द्वितीय बुधवार हेतु निर्धारित श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 156 के उत्तर का संलग्नक

बांदा जनपद में ठेकेदारों से बनवाये जा रहे किसान सहायक आवासीय भवनों हेतु उनके अनुबंधों/एग्रीमेंट करने हेतु खरीदे गये स्टाम्प का तिथिवार विवरण निम्नवत है :—

क्र० सं०	नाम स्थान	स्टाम्प खरीदने की तिथि व धनराशि				धनराशि का महायोग
		दिनांक	धनराशि	दिनांक	धनराशि	
1	बफर परिसर बी-बांदा	3-1-92	10.00	31-3-92	1567.00	1577.00
2	महोखर	3-1-92	10.00	31-3-92	1587.00	1597.00
3	अतर्रा (ए)	2-1-92	10.00	31-3-92	1587.00	1597.00
4	अतर्रा (बी)	3-1-92	10.00	31-3-92	1587.00	1597.00
5	बहेरी	10-1-92	10.00	31-3-92	1587.00	1597.00
6	नहरी (ए)	13-1-92	10.00	31-3-92	1587.00	1597.00
7	नहरी (बी)	13-1-92	10.00	31-3-92	1550.00	1560.00
8	बड़ोखर बुजुर्ग	13-1-92	10.00	31-3-92	1600.00	1610.00
9	लामा	17-1-92	10.00	31-3-92	1575.00	1585.00
10	महुआ	3-1-92	10.00	31-3-92	1587.00	1597.00
11	बहोरवा पुरवा	10-1-92	10.00	31-3-92	1562.00	1572.00
12	बपर परिसर बांदा–ए	4-1-92	10.00	31-3-92	1567.00	1577.00
13	भूरागढ़	17/25-1-92	10.00	31-3-92	1567.00	1577.00
14	कालींजर	3-1-92	10.00	31-3-92	1625.00	1635.00
15	बरई मानपुर	3-1-92	10.00	31-3-92	1587.00	1597.00
16	बफर परिसर बांदा	4-1-92	10.00	31-3-92	1762.00	1772.00
17	अतर्रा	29-1-92	10.00	31-3-92	1695.00	1705.00
18	नरैनी	13-1-92	10.00	31-3-92	1875.00	1885.00

नत्थी 'ज'

(देखिये अता० प्र० सं० 143 का उत्तर पीछे पृष्ठ 101 पर)

वर्ष 1990-91 के समस्त वाहनों के मरम्मत पर किये गये मासिक व्यय का विवरण

वाहन का नम्बर	वाहन का माडल	वाहन का वर्ष	4/90	5/90	6/90	7/90	8/90	9/90	10/90	11/90	12/90	1/91	2/91	3/91	
URL 3096	कार	1982					3221.00	5013.00	330.00	–	617.00	–	–	–	9181.00
UGI 8403	,,	1984	1521.51	1895.45	–	–	2283.00	2230.00	750.00	–	4940.00	903.00	–	–	14522.00
UMR 1515	,,	1987	–	1677.00	–	–	–	1139.00	9200.00	–	3500.00	617.00	–	5761.00	21894.00
UMR 6150	,,	1987	–	–	–	–	250.00	–	1646.00	457.00	–	804.00	–	–	3157.00
UMR 6604	,,	1987	–	–	–	–	–	1646.00	–	3450.00	10090.00	–	–	10206.00	25392.00
UAG 3643	,,	1988	–	4128.00	–	–	16600.00	2408.00	–	4654.00	3996.00	–	–	1970.00	33757.00
UAG 182	,,	1988	–	2638.00	1646.00	–	–	732.00	–	–	–	–	–	4370.00	9386.00
UTC 4189	,,	1977	–	943.00	–	–	1518.00	802.00	–	–	1856.00	3989.00	–	2924.00	12032.00
UTC 4042	,,	1977	–	1456.00	–	–	–	2366.00	–	1988.00	570.00	–	–	4883.00	11263.00
URU 7363	,,	1981	2982.18	991.00	–	–	963.00	1485.00	1961.00	–	1711.00	585.00	–	4305.00	14983.18
URL 472	,,	1982	–	4310.00	–	–		5749.00	–		2583.00	2088.00	–	5252.00	19982.00

वाहन का नम्बर	वाहन का माडल	वाहन का वर्ष	4/90	5/90	6/90	7/90	8/90	9/90	10/10	11/90	12/90	1/91	2/91	3/91	
URG 1761	,,	1984	–	3929.00	–	–	5314.00	4228.00	2700.00	2542.00	2322.00	–	–	8480.00	29515.00
UAW 9045	,,	1990	–	–	–	–	–	–	–	210.00	826.00	1319.00	–	12909.00	15264.00
UP 78/A 7049	,,	1989	–	–	–	–	10580.00	2800.00	–	–	–	–	–	409.00	13789.00
UAG 4056	,,	1988	–	4213.00	4985.00	4430.00	185.00	–	–	–	–	–	–	–	14413.00
UTL 4008	,,	1974	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
URL 1656	,,	1982	–	1985.00	–	–	1485.00	–	–	–	–	–	–	–	3470.00
URU 6993	,,	1981	–	–	–	–	1497.00	–	–	–	–	–	–	–	1497.00
UGI 4249	,,	1984	–	–	–	–	2105.00	649.00	–	–	–	–	–	–	2754.00
UP 32 F/7201	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32 F/7202	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32 G/1853	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
नयी कार															
UTC 4016	जीप	1977	–	–	–	–	1646.00	4311.00	4397.00	108.00	573.00	3253.00	2985.00	1450.00	18723.00
UTC 4278	,,	1977	–	740.58	–	–	10052.00	2959.00	–	–	2063.00	–	–	888.00	16698.00
UTC 4276	,,	1977	–	–	–	–	784.00	–	–	–	2588.00	–	765.00	1855.00	5992.00
URU 7903	,,	1981	–	4047.00	–	–	295.00	–	–	–	1645.00	–	–	–	5987.00
URU 3782	,,	1981	–	880.00	–	953.00	6040.00	2040.00	1981.50	98.28	4664.00	1910.00	1203.14	2494.00	20737.50
											657.11	1685.00	–	–	–

वाहन का नम्बर	वाहन का माडल	वाहन का वर्ष	4/90	5/90	6/90	7/90	8/90	9/90	10/10	11/90	12/90	1/91	2/91	3/91	
UHG 8857	,,	1983	–	734.00	–	–	7355.00	338.00	–	–	327.00	655.00	–	162.00	9571.00
USQ 435	,,	1972	–	2568.00	–	–	348.00	–	5269.00	–	170.00	608.00	–	2064.00	11027.00
UP 32/D 1293	,,	1990	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7093.00	7093.00
UHE 2618	,,	1981	–	–	9118.00	4780.20	–	–	–	–	–	–	–	668.00	14566.20
USK 9074	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1138.95	1338.45	2221.45	122.40	4821.25
USS 9155	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32/F 7789	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32/F 8179	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32/F 2706	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32/F 2707	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32/F 3472	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 34/6632	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32 G/1794	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

अविभाजित मध्य

वर्ष 1991-92 के समस्त वाहनों के मरम्मत पर किये गये मासिक व्यय का विवरण

वाहन का नम्बर	वाहन का माडल	वाहन का वर्ष	4/91	5/91	6/91	7/91	8/91	9/91	10/91	11/91	12/91	1/92	2/92	3/92	
URL 3096	कार	1982	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500.00	–	500.00
UGI 8403	,,	1984	3056.00	1923.00	–	610.00	–	1561.00	–	–	638.00	–	3549.00	–	11337.00
UMR 1515	,,	1987	–	534.00	–	3815.00	523.00	–	–	521.00	875.00	–	2183.00	–	8451.00
UMR 6150	,,	1987	–	755.00	–	–	1528.00	–	–	–	–	–	–	824.00	3107.00
UMR 6604	,,	1988	–	–	–	1445.00	–	–	–	–	1663.00	–	–	410.00	3518.00
UAG 3643	,,	1988	2033.00	3197.00	–	4618.00	–	–	–	–	6351.00	–	1055.00	805.79	12343.79
UAG 182	,,	1988	–	1044.00	2535.00	1955.00	1662.00	–	–	1218.00	–	–	6862.00	727.40	16003.40
UTC 4189	,,	1977	–	5604.00	265.00	801.00	585.00	755.00	–	1861.00	1904.00	–	4248.00	–	16043.00
UTC 4042	,,	1977	–	323.00	–	2601.00	–	–	–	–	1330.00	9480.00	–	525.50	14259.50
URU 7363	,,	1981	2399.00	–	–	2294.00	–	130.00	–	–	–	–	828.00	1540.00	7691.00
URL 472	,,	1982	–	1929.00	370.00	2739.00	–	–	–	–	–	–	2200.00	1148.00	7386.00
URG 1761	,,	1984	–	239.00	–	2840.00	261.00	–	–	–	7795.00	9586.00	305.00	976.00	22002.00

पश्चिम बंगाल विधान सभा

वाहन का नम्बर	वाहन का माडल	वाहन का वर्ष	4/91	5/91	6/91	7/91	8/91	9/91	10/91	11/91	12/91	1/92	2/92	3/92	
UAW 9045	,,	1990	–	–	2660.00	1168.00	–	–	–	–	–	–	514.00	610.00	4892.00
UP 78/A 7049	,,	1989	–	–	–	1506.00	–	137.00	–	–	–	–	97.00	–	1740.00
UAG 4056	,,	1988	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UTL 4008	,,	1974	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4980.00	–	–	4980.00
URL 1656	,,	1982	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
URU 6993	,,	1981	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UGI 4249	,,	1984	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32 F/7201	,,		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32 F/7202	,,		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32 G/1853	,,		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
नयी कार															
UTC 4016	जीप	1977	2060.00	720.00	–	1843.00	–	–	–	3270.00	–	3138.00	205.00	–	11236.00
UTC 4278	,,	1977	–	–	250.00	8777.00	526.00	–	–	–	–	–	131.00	498.00	498.00
UTC 4276	,,	1977	–	829.00	–	668.00	5835.00	–	–	2287.00	1060.00	–	–	–	10679.00
URU 7903	,,	1981	–	–	–	–	–	–	–	3080.00	2023.00	4797.00	3795.00	–	13895.00
URU 3782	,,	1981	–	982.00	1975.00	3343.00	2530.00	1410.00	6771.50	4976.00	845.00	1840.00	1845.00	2310.00	28827.50

अविशेष सभा

वाहन का नम्बर	वाहन का माडल	वाहन का वर्ष	4/91	5/91	6/91	7/91	8/91	9/91	10/91	11/91	12/91	1/92	2/92	3/92	
UHG 8857	,,	1983	–	–	–	–	–	–	–	–	785.00	–	–	–	785.00
USQ 435	,,	1972	–	2464.00	–	165.00	4990.00	812.00	180.00	–	–	4988.00	270.00	–	13369.00
UP 32/D 1293	,,	1990	–	–	–	–	2204.00	–	–	–	785.00	–	1262.00	–	4251.00
UHE 2618	,,	1981	–	–	–	14553.00	3836.00	–	–	–	–	–	–	–	18389.00
USK 9074	,,		–	–	4831.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4831.00
USS 9155	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32/F 7789	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32/F 8179	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32/F 2706	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32/F 2707	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32/F 3472	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 34/6632	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UP 32/G 1794	,,	1983	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 183 का उत्तर पीछे पृष्ठ--103 पर)

ब्लाकवार नहरी सिल्ट सफाई एवं भुगतान का विवरण (1/91 से 12/91)

क्र सं०	ब्लाक का नाम	नहर का नाम	कार्य का विवरण	सिल्ट सफाई की नाप M3	ठेकेदार/श्रमिक मुखिया का नाम/पता	भुगतान की धनराशि
1	भदैया	बरसन्डा मा०	सिल्ट सफाई का कार्य (किमी० 00 से किमी० 0.50)	850M3	श्री रियाज अहमद ग्राम पो० छितौना सुल्तानपुर	7012.00
		लाखीपुर मा०	सिल्ट सफाई का कार्य (किमी० 00 से किमी० 0.50)	250M3	,,	
		वीरापुर मा० महेशुवा मा०	टेल गुण की सफाई का कार्य	498M3	मे० उदय कान्सट्रक्शन सुल्तानपुर	2675.00
		बभनगवा मा०	सिल्ट सफाई का कार्य (किमी० 1.80 से 2.60)	912M3	तदैव-- तदैव	4960.00
		,,	सिल्ट सफाई का कार्य (कि०मी० 2.60 से 3.95)	1341M3	श्री बृजराज सिंह ग्राम पो० सकवा सुल्तानपुर	7226.00
		,,	सिल्ट सफाई का कार्य (किमी० 3.95 से 5.00	920M3	श्री रामनयन यादव ग्राम बभनौली पो० उपगांव, आजमगढ़	4955.00
		,,	सिल्ट सफाई का कार्य (किमी 6.00 से 8.00 एवं टेल गुल)	1357M3	श्री पंचम सिंह पो० भदैया सुल्तानपुर	7310.00
		लाखीपुर मा०	सिल्ट सफाई का कार्य (किमी० 00से किमी० 100)	400M3	श्री राजेश कुमार सिंह ग्राम पो० नरायनपुर सुल्तानपुर	2200.00
		रामगढ़ मा०	सिल्ट सफाई का कार्य (किमी० 2.30 से टेला एवं टेल गुल)	458M3	श्री अरुण सिंह ग्राम पो० सकवा सुल्तानपुर	2461.00
			योग ..	6986M3		35,145.00

उत्तर प्रदेश

1	2	3	4	5	6	7
2	लम्भुवा	कल्यानपुर मा०	सिल्ट सफाई का कार्य (किमी० 00 से 0.150)	100M3	श्री रामनयन यादव ग्राम बमनौली पो०– ऊबगव आजमगढ़	550.00
		रानीपुर मा०	सिल्ट सफाई का कार्य (किमी० 00 से 0.210)	200M3	श्री बृजेश सिंह ग्राम पो० चौकिया सुल्तानपुर	1084.00
		खुदौली मा०	सिल्ट सफाई का कार्य (किमी० 0.600 से किमी० 1.300)	900M3	,, ,,	4845.00
			सिल्ट सफाई कार्य (किमी० 7.50 से किमी० 80)	410M3	श्री उमाराज मिश्रा ग्राम लम्भुवा सुल्तानपुर	2201.00
		पथरा मा०	सिल्ट सफाई का कार्य (किमी०0.00 से ०.800)	240M3	श्री बृजेश सिंह ग्राम पो० चौकिया सुल्तानपुर	1320.00
	लम्भुवा	बरेहता मा०	सिल्ट सफाई का कार्य (00 से किमी० 1.00)	673M3	श्री विजय सिंह सरायराजापुर पो० लम्भुवा सुल्तानपुर	3620.00
		भीगमापुर मा०	सिल्ट सफाई का कार्य (0.800 से 1.800)	350M3	श्री अरुण सिंह ग्राम पो० सकवा सुल्तानपुर	1873.00
		रानीपुर मा०	सिल्ट सफाई का कार्य (00 से किमी० 1.00)	891M3	श्री तालुकदार सिंह ग्राम पो० अर्जुनपुर सुल्तानपुर	4794.00
		,,	(किमी० 1.00 से 2.00)	752M3	श्री अरुण सिंह पो० हाफवा, सुल्तानपुर	4046.00
		,,	(किमी०3.00 से 3.600)	354M3	श्री दरगाही ग्रा० नरायन पो० मिसरौली सुल्तानपुर	1881.00

उत्तर प्रदेश गजट

1	2	3	4	5	6	7
		कल्यानपुर मा०	सिल्ट सफाई का कार्य (00 से 0.900)	700M3 सुल्तानपुर	श्री पन्ना लाल ग्रा० पो० राजाहिम्मतपुर	3767.00
			योग	5570M3		29,981.00
3		प्रतापपुर कमेचा	वासुपुर मा० सिल्ट सफाई का कार्य (1.150 से 1.450)	200M3	श्री रामनयन यादव ग्राम बमनौली पो० ऊचगांव आजमगढ़	1102.00
			,, (किमी० 2.50 से टेल)	499M3	श्री रामप्यारे मिश्र ग्राम हरिहरपुर पो० सिगरामऊ, जौनपुर	2681.00
			,, (किमी० 00 से 0.500)	701M3	श्री इरशाद खान ग्राम तातो नुरैनी सुल्तानपुर	3771.00
			अगरुपुर मा० सिल्ट सफाई का कार्य (0.800 से 1.800)	430M3	श्री रामनयन यादव ग्राम बमनौली पो० ऊचगांव, आजमगढ़	2311.00
			योग	1830M3		9865.00

(विनय कुमार श्रीवास्तव)
सहायक अभियन्ता चतुर्थ
सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर

(जी० पी० अग्रवाल)
अधि० अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश गजट

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'अ'

(देखिये अता० प्र० सं० 235 का उत्तर पीछे पृष्ठ 129 पर)

(द्वितीय सत्र 1992 के दूसरे बुधवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या 235 का संलग्नक :)

क्रमांक	अनुबंध संख्या	कार्य का नाम	इस्पात की मात्रा
1	2/ई–1/अ०ता०प०/84/85	प्रथम इकाई की कमिशनिंग के लिये विविध सिविल एवं इस्पात का कार्य ट्रांसफार्मर यार्ड में चौकोर छड़ की फेसिंग का कार्य।	41.337 मी०टन
2	9/ई–1/अ०ता०प०/85/86	ट्रांसफार्मर यार्ड में चौकोर छड़ की फेसिंग का कार्य।	25.528 ,,
3	10/ई–1/अ०ता०प०/85/86	पावर हाउस क्षेत्र में चौकोर छड़ की फेसिंग का कार्य।	06.441 ,,
4	13/ई–2/अ०ता०प०/85/86	-------- तदैव --------	07.466 ,,
5	2/ई–8/अ०ता०प०/86/87	इस्पात के इन्सर्ट बनाकर आपूर्ति	43.253 ,,
6	76/ई–8/अ०ता०प०/89/90	स्विचयार्ड में इस्पात के पूल फेन्सिंग का कार्य।	05.3149 ,,

क्रमांक	अनुबंध संख्या	कार्य का नाम	इस्पात की मात्रा
7	16/ई–6/अ०ता०प०/81/82	फेन्सिंग का कार्य	09.9725 „
8	13/ई–5/अ०ता०प०/81/82	चतुर्थ टाइप में स्टील ग्रील खिड़की एवं गेट का कार्य	00.98982 „
9	13/ई–8/अ०ता०प०/85/86	44 नं० टाइप द्वितीय में एम० एस० गेट की आपूर्ति एवं लगाने का कार्य।	00.9535 „
10	31/ई–5/अ०ता०प०/85/86	जे० ई० क्लब में एम० एस० गेट की आपूर्ति एवं लगाने का कार्य।	00.462 „
11	15/ई–2/अ०ता०प०/86/87	बारबेड वायरलान एवं ग्रेन आदि फेन्सिंग का कार्य।	01.445 „
12	1/ई–4/अ०ता०प०/87/88	बारबेड वायर फेन्सिंग का कार्य	01.873 „

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुपूरक विधि संस्थान

नक्शी 'ट'

(देखिये अता० प्र० सं० 238 का उत्तर पीछे पृष्ठ 132 पर)

सरिया का व्यासानुसार इस्तु कुल खपत, स्टोर में वापसी का विस्तृत विवरण

(मात्र टनों में)

व्यास	7 ए० सी०	8 ए० सी०	9 ए० सी० एन०पी०सी०सी	9 ए० सी० यू०पी०आरएनएम	10 ए० सी० सिम्पेक्स	10 ए० सी० बी० एण्ड आर	17 ए० सी०
6एम०एम०	—	—	—	17.544	—	5	131.739
8 ,,	12.380	1.560	5.040	133.854	—	3.995	138.071
10 ,,	98.834	6.000	14.900	93.573	—	0.650	495.844
12 ,,	108.598	61.386	70.245	354.134	521.661	564.022	505.155
16 ,,	398.861	60.663	326.858	755.684	409.013	298.836	206.819
20 ,,	923.339	124.757	522.591	1397.610	515.264	559.162	43.713
22 ,,	16.310	40.308	1.132	256.258	151.859	20.587	—
25 ,,	340.364	272.575	613.726	3067.202	3828.333	3641.100	14.775
28 ,,	383.404	108.228	125.634	378.824	972.039	789.584	1.733
32 ,,	216.244	11.803	453.872	2059.729	1006.034	329.163	0.850

36 ..	—	—	258.907	1159.963	—	—	—
40 ..	—	—	435.193	1295.263	—	—	—
45 ..	—	—	—	56.900	—	—	—
50 ..	—	—	13.125	—	—	—	—
56 ..	—	—	57.921	—	—	—	—
कुल इशू	2385.954	687.280	2899.144	11026.538	7404.204	6207.099	1538.699
स्टोर में वापसी	87.708	33.909	95.065	213.670	58.661	81.318	45.000
कुल खपत	2280.928	633.438	2710.724	10681.509	7137.436	6018.233	1477.522
शेष (वेस्टेज सहित)	17.318	19.933	93.355	131.350	208.106	107.548	16.177

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ठ'

(देखिये अता० प्र० सं० 240 का उत्तर पीछे पृष्ठ 133 पर)

संलग्नक विधान सभा के द्वितीय सत्र 1992 के पहले बुधवार के प्रश्न संख्या–170 के उत्तर

सी० आई०/ए० सी० पाइप की आपूर्ति एवं डालना परिचालन एवं अनुरक्षण जनपद मण्डल षष्टम

	पाइप का व्यास/प्रकार/मात्रा (मीटर) मात्रा इस मंडल द्वारा (मीटर)	सी० आई० पाइप पोल/डबल — कुल आपूर्ति की मात्रा इस मण्डल द्वारा	कुल लागत कुल आपूर्ति (रु० में)	पाइप उखाड़ना एवं अन्य एलाइमेंट में डालना मात्रा (मी०)	कालोनी क्षेत्र में बिछायी गई विभिन्न व्यास की सी० आई० पाइप लाइन की लागत (पाईप की आपूर्ति विभाग द्वारा की गयी)	ए० सी० पाइप — इस मण्डल के स्टोर में पाइप लाइनों के अनुरक्षण हेतु वर्तमान में अवशेष पाइप की कुल मात्रा (मीटर)	कुल आपूर्ति मात्रा एवं लागत	केवल पाइप डालना मात्रा/लागत (मीटर)	पाइप उखाड़ना एवं अन्य सीमेंट में डालना मात्रा (मीटर)	इस परियोजना द्वारा स्टोर में उखाड़कर रखे गये पाइप की मात्रा	परियोजना/खण्ड स्टोर में अवशेष पाइप की मात्रा
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	450 मि०मी०	—	—	शून्य	—शून्य	शून्य	—	1947.45(मात्रा)	88.00 उखाड़कर स्टोर में रखे गये किसी भी व्यास के पाइप की मात्रा शून्य है (ए० सी० तथा आई० सी०)	इस परियोजना में कारण पुनः डलवाई गई।	शून्य कालम 10 में लाइन एलाईमेंट बदलने के
	400 मि० मी०	1237.50	12,20,452.38	शून्य	शून्य	22.00	—	शून्य	शून्य		
	350 मि०मी०	517.40	4,16,818.63	शून्य	—शून्य	4.00	1000 मी० (रु० 3,48,600)	957.30 (मात्रा 1,53,654.52 (लागत) 24.00		शून्य	कालम 10 में लाइन एलाइमेंट बदलने के

उत्तर प्रदेश विधान सभा

4	300 मि०मी०	–6,348.33	29,88,037.93	15.67	—शून्य	63.15	1799 मी०	1766.50 (मात्र)				
							(रु० 4,82671.40	1,93,820.99				
								(लगभग)	शून्य	1464.60	—	—
5	250 मि० मी०	1916.15	8,56,904.98	351.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—	—
6	200 मि०मी०	–5,977.30	16,18,912.42	शून्य	—शून्य	शून्य	—500 मी०	348.00 (मात्र)				
							(रु० 70,545.00)	44,035.92 (लागत)	शून्य	37.22	—	
7	150 मि० मी०	3,297.50	6,57,202.46	शून्य	शून्य	44.40	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—	
8	100 मि० मी०	4,472.20	5,73,826.56	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—	
9	80 मि० मी०	3,919.34	4,16,138.11	113.00	शून्य	20.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—	
10	450 मि० मी०	----	-------	------	शून्य	-----	1998.5 मी०	शून्य	शून्य	124.90	—	
							रु० 1085964.90					
योग	=		87,48,293.47 (बिक्रीकर छोड़कर)			रु० 8,59,002.19	रु० 19,88442.42	7,50,466.43	---			

नोटः–(1) 3.00 एम० एम० व्यास की 1432 मीटर पाईप अन्य सदस्यों द्वारा स्थानान्तरित की गयी ।

पी० एस० यू० पी०–एल०-331 विधान सभा (566)–1993_572–डी० टी० पी० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा